1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] नवम् विधान सभा के पंचम सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 8

बृहस्पतिवार,

दिनांक 19 सितम्बर, 1991

(विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे, विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। मैं समझता हूं आज आप यह सारे क्वेश्चन कर लें तो एक रिकार्ड और बन जाय। ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं करें, एक-एक क्वेश्चन ले लें तो हो जाय यह।

एक माननीय सदस्य : सबके सब।

श्री अध्यक्ष : सबके लिये कह रहा हूं मैं।

श्री हेमराज मीणा।

शाहबाद में अलाटमेंट कैम्प का आयोजन

158. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगंज व शाहबाद में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में कब कब अलाटमेंट कैम्प आयोजित किये गये ?

(2) क्या अलाटमेंट कैम्पों की सूचना अलाटमेंट कमेटी के सदस्यों को दी गई थी ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) क्या सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कौन-कौन से अलाटमेंट कैम्प में कितनी-कितनी भूमि का आवंटन किस-किस किसान को किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) शाहबाद उपखण्ड में अलाटमेंट कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किन-किन किसानों को भूमि का आवंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) किशनगंज व शाहबाद में वर्ष 1989 व 1990 तथा 1991 में आयोजित अलाटमेंट कैम्पों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। सूचना निम्नांकित पत्रों द्वारा दी गई थी :–

(2)

(श्री गंगाराम चौधरी)

1. सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट कोटा के पत्र क्रमांक 1141-60 दिनांक 31-8-89
2. उप जिला कलक्टर, शाहबाद के पत्र क्रमांक 249-313 दि. 31-8-89
3. उप जिला कलक्टर, शाहबाद के पत्र क्रमांक 2078-94 दि. 27-12-90
4. उप जिला कलक्टर, शाहबाद के पत्र क्रमांक 185-200 दि. 7-2-91
5. उप जिला कलक्टर, शाहबाद के पत्र क्रमांक 888-913 दि. 3-8-91

(3) सूचना साधारण डाक द्वारा भिजवाई गई थी। प्रत्येक कैम्प में किये गये आवंटनों की विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) शाहबाद उपखण्ड के लिये आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य अलग से नियुक्त/मनोनीत नहीं किये गये हैं। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत पूरे राज्य में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार होते हैं:–

1. राजस्थान विधान सभा का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी भूमि स्थित है।
2. क्षेत्राधिकार वाली पंचायत समिति का प्रधान
3. क्षेत्राधिकार वाली पंचायत समिति का विकास अधिकारी
4. क्षेत्राधिकार वाली पंचायत समिति का सरपंच
5. क्षेत्राधिकार वाली तहसील का तहसीलदार
6. पंचायत समिति द्वारा उसके सदस्यों में से नामांकित ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, और
7. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति जिसका मनोनयन ऐसे क्षेत्र के लिये जन हित में आवश्यक समझा जावे।

(5) 378 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 669 एकड़ भूमि तथा 562 अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 890 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। विस्तृत सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अलाटमेंट कमेटी के सदस्यों को साधारण डाक से सूचना भेजने के कारण उनको समय पर प्राप्त नहीं हो पाती, क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि उनको रजिस्टर्ड डाक से यह सूचना भेजी जाय ? दूसरा सवाल....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, एक ही सवाल है।

श्री हेमराज मीणा : दूसरा सवाल, क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटन के बाद उनको केवल कागजों में कब्जा दे रखा है ? ऐसा मेरे इलाके में देखा गया है। क्या माननीय मंत्री महोदय जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटन किया गया है उसका भौतिक सत्यापन करवा कर उनको अपने खसरा नम्बर पर काबिज कराने का प्रयास करेंगे ? इसके लिये आपकी क्या योजना है ?

तीसरा सवाल, क्या यह सही है कि 21-9-89 के बाद पिछले दो वर्ष के अन्तर्गत कोई भी अलाटमेंट नहीं किया गया है ? ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि किशनगंज-शाहबाद में राजस्व भूमि और वन भूमि का काफी विवाद है ? आपका सीमा विवाद होने के कारण से अलाटमेंट होने के बाद किसान सही स्थान पर नहीं बैठ पाता है, तो क्या राज्य सरकार या मन्त्री महोदय सीमा का सही ज्ञान करवा कर उन लोगों, जिनको आवंटन हुआ है, को सही स्थान पर बैठाने के लिए कुछ निर्देश देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक सूचना साधारण डाक से ही भेजी जाती रही है, यह सही है हालांकि हमारे नियमों में इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सम्मन आदि सर्विस कराने के लिये प्रावधान अवश्य है....

श्री अध्यक्ष : सूचना देने का प्रावधान है ना ? सूचना पहुंचनी चाहिये, यह प्रावधान तो है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां ?

श्री अध्यक्ष : तो कैसे भी पहुंचनी चाहिये। चाहे रजिस्टर्ड से पहुंचो....(व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। आप इस बात की पूरी जांच कर लें कि सूचना पहुंचनी चाहिये, चाहे रजिस्टर्ड डाक से पहुंचने, चाहे फोन से पहुंचे, चाहे वायरलैस से पहुंचे, चाहे साधारण डाक से पहुंचे। सूचना मिलनी चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था कर दी जायगी सरकार की ओर से कि सूचना पोस्टल आर्डर के जरिये भेज दी जाय और यह तसल्ली भी कर ली जाय कि सदस्यों को पहुंची या नहीं पहुंची।

श्री हीरालाल इन्दौरा : पोस्टल आर्डर के जरिये नहीं रजिस्टर्ड पोस्ट से। अलाटमेंट अथोरिटी अपनी मनमानी चलाने के लिये जन प्रतिनिधियों....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ना। ऐसा है आप देखिये इस बारे में सन्तुष्ट होइये कि सदस्य महोदय को सूचना मिल गयी है। इसकी संतुष्टि कर लीजिये। रूटीन में मत रखिये इसको। पूछ लीजिये कि सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : सवाल कहां है, अभी तो एक सवाल हो रहा है ।

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में तसल्ली कर ली जायगी । इस पर विचार कर लेंगे, अध्यक्ष महोदय, अंडर पोस्ट सर्टिफिकेट भेजने की बात तो सरकार के दिमाग में है, आवश्यक होगा तो रजिस्ट्री के जरिये भेज दी जायगी । नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कब्जा मिला या नहीं मिला, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने भौतिक सत्यापन की बात कही है । निर्देश जारी कर दिये जायेंगे कि कब्जा अगर नहीं मिला है,...

श्री अध्यक्ष : नहीं साहब, यही इम्पार्टेण्ट है इसमें । आप अलाटमेंट तो कर देते हो मगर कब्जा मिला कि नहीं, आपको, खुद को इस मामले में रुचि लेकर देखना होगा । तब तो मामला कुछ ठीक है अलाटमेंट का, वरना कोई मतलब ही नहीं है अलाटमेंट का ।

श्री गंगाराम चौधरी : आपके आदेशों की पालना हो जायगी, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं आपसे ज्यादा तो ।

श्री गंगाराम चौधरी : नम्बर तीन, 3-9-89 के बाद में आवंटन के कैम्प तो रखे गये थे, अध्यक्ष महोदय, लेकिन कमेटी का कोरम पूरा नहीं होने की वजह से वह आवंटन नहीं किये जा सके थे । वन भूमि और राजस्व भूमि के बीच में, हालांकि इस प्रश्न में यह बात नहीं है, अलग से प्रश्न है, लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में जानकारी करके...

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह आपके कब्जे से सम्बन्धित है । आपने तो अलाट कर दिया, वन विभाग वाले कहते हैं हमारी जमीन है, आप कर नहीं सकते । इसलिये उसको सैटल करके फिर अलाट करिये ताकि वह मिल जाय ।

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में व्यवस्था कर ली जायगी, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री पूनमचन्द विश्नोई । (व्यवधान) भाई यह तो हो गया उनका प्रश्न किशनगंज-शाहबाद का था ।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है ।

श्री अध्यक्ष : अभी अभी आपने कहा कि क्वेश्चन अधिक लेओ । अब आगे नहीं, कोई नहीं ।

इंदिरा गांधी नहर कालोनी, फलौदी (जोधपुर) में आवासों का आवंटन

159. **श्री पूनमचंद विश्नोई** (फलौदी) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के फलौदी नगर में इंदिरा गांधी नहर कालोनी है ?

(श्री पूनमचंद विश्नोई)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कालोनी में सी. ए. खण्ड मोहनगढ़ तृतीय का कार्यालय है ?

(3) क्या यह सही है । कि इस सी. ए. डी. खण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस कालोनी में आवास गृह उपलब्ध होने पर भी आवंटित नहीं किये जा रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ने भी इस संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को आवास गृह आवंटित करने के आदेश दिये हैं ।

(5) क्या यह सही है कि एक ओर सरकारी आवास गृह खाली पड़े हैं और दूसरी ओर सरकार को आवास भत्ता देना पड़ रहा है ? क्या इस नीति से सरकार को वित्तीय घाटा नहीं हो रहा है ?

राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां । जोधपुर जिले के फलौदी नगर में इंदिरा गांधी नहर कालोनी स्थित है ।

(2) जी नहीं, इंदिरा गांधी नहर कालोनी में सी. ए. डी. खण्ड, मोहनगढ़ तृतीय का कार्यालय स्थित नहीं है ।

(3) जी नहीं । इंदिरा गांधी नहर कालोनी में खण्ड अधिकारी व कर्मचारी के उपयुक्त आवास गृह उपलब्ध नहीं हैं ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवजी राम मीणा ।

भीलवाड़ा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अनियमितताएं

160. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में गत तीन वर्षों में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कितनी कितनी राशि के गबन के मामले पकड़े गये ? विभाग द्वारा सम्बन्धित व्यवस्थापकों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या गबन की राशि की वसूली की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या श्री जीवनलाल शर्मा, पूर्व व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, पारोली, एवं भैरू लाल शर्मा, पूर्व व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, बिशनिया के विरुद्ध भी गबन के मामले पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या इनके विरुद्ध वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति सदन की मेज पर रखें ।

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) भीलवाड़ा जिले में गत तीन वर्षों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के कुल 144 मामले प्रकाश में आये हैं जिनकी

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

कुल राशि 14,31,378.20 रुपये है। इन मामलों में अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिसमें 53 मामले 4,22,827 रुपये के निर्णीत हो चुके हैं। गबन में लिप्त पाये गये 45 व्यवस्थापकों को निलम्बित किया गया, इनमें से 36 की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं एवं चार मामलों में अपील चल रही है। एक की मृत्यु हो गई है और 4 को दोषमुक्त किया गया है। सूची संलग्न है। निर्णीत मामलों में वसूली की कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां। श्री जीवनलाल शर्मा पूर्व व्यवस्थापक पारोली के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है जिसका चालान होकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। धारा 74 में एक मामले में निर्णय हो गया है तथा दूसरा चल रहा है। श्री भैरूलाल, पूर्व व्यवस्थापक बिशनियां के विरुद्ध धारा 74 में निर्णय हो गया है। इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। दोनों ही मामलों में कुर्की वारण्ट जारी कर दिये गये हैं पर वसूली अभी तक नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष : बहुत माकूल जवाब आ गया, कोई प्रश्न रहा ही नहीं।

श्री शिवजीराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि श्री जीवन लाल के विरुद्ध कितने गबन के मामले सामने आये हैं एवं उनमें से कितने मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है और किस-किस समिति के मामले में न्यायालय में चालान पेश हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब उसकी सेवाएं समाप्त करदी और एफ. आई. आर. दर्ज करादी, अब क्या सवाल है ?

श्री शिवजीराम मीणा : इसमें तीन लाख का गबन किया है""

श्री अध्यक्ष : उसको नौकरी से हटा दिया गया, एफ. आई. आर. दर्ज करादी, मुकदमे चल रहे हैं, और कितना मारोगे ?

श्री शिवजीराम मीणा : इसमें एफ. आर. लगादी गई है अध्यक्ष महोदय""

श्री अध्यक्ष : हो गया। प्रश्न संख्या 161 श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री गोविन्दसिंह, श्री बुलाकी दास कल्ला (अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखें)

श्री रमाकान्त।

श्री शिवजीराम मीणा : वसूली का क्या हुआ अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : हर एक का जवाब डिटैल में है और पूर्ण संतुष्ट किया गया है। श्री रमाकान्त जी।

पाठ्य पुस्तकों में सारहीन कविताएं

162. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो किताबें भाषा के रूप में स्वीकृत की जाती हैं क्या उसमें छात्रों के लिए उपयोगी ज्ञान है ?

(श्री रमाकान्त शर्मा)

(2) क्या प्रथम कक्षा की हिन्दी विषय की पुस्तक में छपी कविता "बिल्ली ने मारा पंजा, ताऊ हो गया गंजा" से छात्र शिक्षा ग्रहण करता है ?

(3) ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने सारहीन कविताओं को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है, जांच कौन करता है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) :
(1) जी हां ।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित 1990 को हिन्दी पहली की पुस्तक में प्रश्न में वर्णित कविता की पंक्ति नहीं है । यदि किसी निजी प्रकाशन में उक्त पंक्तियां हों तो उसकी जानकारी नहीं है ।

(3) जानकारी नहीं होने से जांच सम्भव नहीं है ।

श्री रमाकांत शर्मा : प्रश्न एक यह है, अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी केवल मात्र जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है उन्हीं के लिए जिम्मेदार हैं या सारे के सारे जितने स्कूल राज्य में शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं ? सेंट्रल एकेडेमी, जिसमें राजस्थान के करीबन 30 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी किताब की मैं रसीद लाया हूं । इनकी यह प्रथम कक्षा की किताब में लिखा है :

"बन्दर ने दी मूंगफली,
बिल्ली लेकर उसे चली,
बन्दर बोला मैं खाऊं,
बिल्ली बोली म्याऊं,
बिल्ली ने मारा पंजा,
ताऊ हो गया गंजा ।"

श्री अध्यक्ष : कौन सी क्लास का है ?

श्री रमाकांत शर्मा : पहली क्लास का है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक ही तो है पहली क्लास में ।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्या पहली क्लास में यही होगा ? क्या हम नीति के दोहे नहीं पढ़ा सकते ?

श्री अध्यक्ष : बच्चों का आकर्षण पहले नीति के दोहों में नहीं होता ।

श्री रमाकान्त शर्मा : दूसरे देशों में पहली क्लास वाले बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है :

"Early to bed and early to rise,
Makes a man healthy, wealth,
and wise."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ताऊ में इंटरेस्टेड हैं या बिल्ली में ?

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं तो दोनों में ही इंटरेस्टेड हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि स्कूलों में शिक्षा दी जाती है उसके बारे में क्या शिक्षा विभाग पूरा जवाबदार है, तो जहां तक प्रश्न पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में था, जो सरकारी स्कूलों में पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वह पाठ्य पुस्तक, मण्डल द्वारा तैयार कराई जाती है इसके साथ-साथ जो मान्यता प्राप्त हमारी संस्थाएं हैं बोर्ड से, उनकी पुस्तकों के पाठ्यक्रम के बारे में हम देखते हैं। जो आपने प्रश्न किया है सेन्ट्रल एकेडेमी की पुस्तकों के बारे में, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप जानकारी देंगे तो उसकी जांच करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नित्य उपयोगी वस्तुओं का वितरण

163. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1991 से अगस्त, 1991 तक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुल कितना गेहूं, चीनी और खाद्य तेल का वितरण किया गया जिनमें से झुन्झुनू जिले को कितना कोटा आवंटित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिलाधीश के बार-बार निवेदन करने के बावजूद अभी तक वहां प्रति व्यक्ति के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गेहूं का पूरा कोटा नहीं मिला ?

(3) क्या यह सही है कि राशन के लिए आवंटित किये जाने वाले गेहूं, चीनी और तेल की कालाबाजारी होती है तथा वितरक लोग ऊंचे भावों में खुले बाजार में बेचते हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) जनवरी, 91 से अगस्त, 91 तक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निम्नानुसार गेहूं, चीनी और खाद्य तेल का वितरण हेतु आवंटन प्राप्त हुआ है :

नाम माह	गेहूं	चीनी	खाद्य तेल (मात्रा टनों में)
जनवरी, 91	90000	16989.5	–
फरवरी, 91	80000	17001.9	870
मार्च, 91	100000	16994.4	870
अप्रेल, 91	105000	16991.2	–
मई, 91	100000	16992.4	–
जून, 91	70000	16989.2	–
जुलाई, 91	70000	17013.7	–
अगस्त, 91	70000	16996.9	–

(श्री रामकिशोर मीणा)

इस आवंटन में से झुन्झुनू जिले को निम्नांकित कोटा आवंटन किया गया :

नाम माह	गेहूं	चीनी	खाद्य तेल (मात्रा टनों में)
जनवरी, 91	1700	597.0	–
फरवरी, 91	2000	597.0	30
मार्च, 91	3000	597.0	20
अप्रेल, 91	4300	597.0	–
मई, 91	2600	597.0	–
जून, 91	1300	597.0	–
जुलाई, 91	1000	597.0	–
अगस्त, 91	1000	597.0	–
सितम्बर, 91	1000	–	–

(2) राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों को 10 कि. ग्रा. गेहूं प्रति युनिट प्रति माह के निर्देश दिये थे परन्तु बाजार में गेहूं के भावों में वृद्धि के कारण केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन पर्याप्त नहीं होने से उपभोक्ताओं को 10 कि. ग्रा. गेहूं प्रति व्यक्ति माह उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाई के कारण मांग व आपूर्ति के आधार पर मात्रा कम करने के आदेश दिये गये हैं।

(3) राशन के लिए आवंटन किये गये गेहूं चीनी और खाद्य तेल की वितरकों द्वारा कालाबाजारी करने के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, रसद विभाग के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा विक्रेताओं के निरीक्षण में झुन्झुनू जिले में जनवरी, 91 से अगस्त, 91 तक 31 विक्रेताओं द्वारा अनियमितता करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें 6 मामलों में प्रतिभूति जप्त की गई, 8 मामले निराधार पाये गये और शेष मामले विचाराधीन हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जून, जुलाई और अगस्त में गेहूं का कोटा पूरे राजस्थान का था वह एक लाख से घट कर 70 हजार मैट्रिक टन हो गया, लेकिन झुन्झुनू में उसके अनुरूप कमी नहीं की गई है बल्कि फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई में जहां 2000 से 4300 मैट्रिक टन गेहूं मिला, तीन हजार मार्च में, अप्रेल में 4300, जून में 1300 और जुलाई में मात्र 1000 और अगस्त में भी मात्र एक हजार मेट्रिक टन कर दिया। कम आवंटित हुआ यह आपने कहा लेकिन यह बताइये कि झुन्झुनू में इसका कोटा खतम क्यों किया? कलक्टर साहब ने आपको तीन बार लिखा, मैंने आपको व्यक्तिगत पत्र लिखा और आपने कह दिया कि 10 कि. ग्रा. के हिसाब से व्यवहारिक नहीं है।

(डा. चन्द्रभान)

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जून, जुलाई और अगस्त महीनों में शहरों में कितना गेहूं बांटा और गांवों में कितना बांटा। दूसरा आप खाद्य तेल की बात करते हैं, तो जब आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की बात बता रहे थे, तो, अध्यक्ष महोदय, खाद्य तेल तो मार्च, 91 के बाद में बांटा ही नहीं।

आपने यह बताया कि 31 विक्रेता हैं जिनके खिलाफ अनियमितता बरतने का आरोप है। गांवों में कितने केस हैं और शहरों में कितने केस हैं ?

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपने टेलीविजन पर केन्द्र के खाद्य राज्य मंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर घोषणा की है कि यह जो राशन का गेहूं दे रहे हैं, यह टोकन है। यह पूरा सप्लाई नहीं किया है। केवल टोकन के रूप में हम दे रहे हैं। यह उनका कहना है।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी गेहूं का आवंटन 70,000 मैट्रिक टन राजस्थान को होता है और जब ज्यादा मांग होती है तो केन्द्र सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्यादा गेहूं का आवंटन कर देती है। लगातार हमने बहुत प्रयास किये तो जनवरी से मई तक हमको कभी एक लाख मेट्रिक टन दिया गया, कभी 90,000 मेट्रिक टन दिया गया, लेकिन मई जून के बाद में लगातार 70,000 मेट्रिक टन का आवंटन हो रहा है। अभी भी हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी इस महीने में 5,000 मेट्रिक टन एकस्ट्रा राजस्थान को गेहूं मिला है। उसमें कल अकाल राहत मंत्री जी ने विभिन्न जिलों को मांग के अनुसार इस महीने के लिए एकस्ट्रा आवंटन किया है, उसमें झुंझुनूं जिले के लिए 500 मैट्रिक टन इस महीने के आखिर तक हमने एकस्ट्रा अलाटमेंट किया है ताकि इसका उठाव होने के बाद में अगले महीने से जो भी आवंटन एक्स्ट्रा किया उसमें से हम अलाटमेंट करेंगे।

जहां तक गांवों और शहरों का मामला आपने बताया है, उसमें कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमको गेहूं का आवंटन नहीं हो रहा है। जहां तक मांग का सवाल है, हम मांग के हिसाब से सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का भी दृष्टिकोण यह है कि जहां गरीब तबका ज्यादा रहता है या ट्राइबल एरिया है या, रिमोट प्लेसेज हैं, जहां ये पहुंच नहीं पाते हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर होते हैं, वहां पर सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इन आवश्यक वस्तुओं की हम पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें आवंटन और बढ़ाया जाय।

जहां तक भाग (3) में गांवों और शहरों का पूछा है, 31 मामले जो बनाए हैं, इसमें गांवों में कितने हैं और शहरों में कितने हैं, इसका तो अलग से नहीं किया लेकिन आपकी अनुमति हो तो मैं एक-एक

(श्री रामकिशोर मीणा)

का बता सकता हूं। एक तो मलसीसर का है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : गांवों का आप बता दीजिये। मलसीसर गांव ही है।

श्री रामकिशोर मीणा : श्री ओम प्रकाश नाम का है, मलसीसर का है। का है। इसकी 7-1-91 को जांच की गई, उसकी प्रतिभूति जब्त की गई। मैसर्स दीपक ट्रेडर्स चिड़ावा का है, इसकी जांच 5-1-91 को की गई, प्रतिभूति राशि जब्त की गई। एक टपूरणा का डीलर है उसकी भी जांच 5-1-91 को की गई और इसका निर्णय होना है और यह निर्णीत किया जा चुका है और इसकी प्रतिभूति राशि जब्त की जा चुकी है। श्री आशाराम, बाडलवास, इसकी 17-1-91 को जांच की गई, कार्यवाही इसके अगेन्स्ट चल रही है। सांवरमल ज्वालाप्रसाद झुंझुनूं का है 21-2-91 को इसकी जांच की हुई....

श्री अध्यक्ष : बाकी लिस्ट आप इनको दे दीजिये।

डा चन्द्रभान : एक सवाल और है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं। आप बिराजिये। इनको पूरा करने दीजिये।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रेल 1991 से जो खाद्य तेल है, भारत सरकार उसका विदेशों से आयात करती है। उसका आयात बन्द होने की वजह से राजस्थान में भी और पूरे देश में भी कहीं भी खाद्य तेल का आयात नहीं हो रहा है, इस कारण से अलाटमेंट नहीं किया गया है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिला सेमी डेजर्ट में आता है। गरीबी की रेखा से नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं, इसके आंकड़े आपके पास होंगे। पहले इसका जितना आपको कोटा था, उसका 35 वां और 32 वां हिस्सा मिलता था, फिर यह 70वां हिस्सा कैसे हो गया और यह कटौती आपने झुंझुनूं में ही क्यों की और अभी भी आपने जो दिया है, वह केवल 500 मेट्रिक टन और वह भी केवल अकाल सहायता के कोटे में है। आप कृपया यह बता दीजिये कि लोगों की डिमाण्ड कितनी है, उस हिसाब से झुंझुनूं को कितना मिलना चाहिये....

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मेरा भी एक सवाल है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गोदामों से नियत स्थान पर जो यह माल जाता है गेहूं और चीनी इसके किराये की दरें बहुत पुरानी हैं और आज जो किराया है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे बहुत बड़ी कालाबाजारी होती है और जो भी डीलर्स लेकर जाते हैं वे इसमें बेईमानी करते हैं उस किराये की पूर्ति करने के लिए। इसलिए उस किराये को कब तक बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि ये कालाबाजारी रुक सके ?

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले को हमने जनवरी में

(श्री रामकिशोर मीणा)

आवंटन किया 1700 मैट्रिक टन, उठाव हुआ 1700 मैट्रिक टन। फरवरी में 2000 मैट्रिक टन हुआ, उठा उसके अगेन्स्ट 2000 मैट्रिक टन। इस तरह से जितना हमने आवंटन किया, उतना अलाटमेंट उठ गया लेकिन जून में 1300 मैट्रिक टन अलाटमेंट किया, 790 मैट्रिक टन ही उठाव हुआ और जुलाई में 1000 मैट्रिक टन का अलाटमेन्ट किया, 575 मैट्रिक टन उसका उठाव हुआ और अगस्त में पूरा उठाव हो गया था। उस समय खाद्य निगम के डिपो में गेहूं नहीं था। उस समय गेहूं का उठाव नहीं किया जा सका था लेकिन हमने खाद्य निगम से भी प्रयास कर वहां से पर्याप्त गेहूं कि व्यवस्था की है तथा आगे अलाटमेंट बढ़ाकर के हम व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामसिंह विश्नोई।

डा. चन्द्रभान : यह कहना सही नहीं है कि जब कलक्टर ने....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे को आपरेट कीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई।

मुझे लिस्ट पूरी करनी है।

डा. चन्द्रभान : मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि हमने गेहूं उठाया ही नहीं...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। जवाब काफी आ गया।

डा. चन्द्रभान : कलक्टर ने बाकायदा लिखकर दिया है। तीन डी. ओ. लैटर लिखे हैं। मैंने लैटर लिखा है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि गेहूं उठाया नहीं। जब हम मांग कर रहे हैं कि गेहूं नहीं उठाया है...

श्री फूलचन्द : आपने किराये वाली बात तो नहीं बताई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई। (व्यवधान)

राज्य का सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ

164. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या दुग्ध विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ अपने स्तर पर प्लान्टों में क्या-क्या दुग्ध पदार्थों का उत्पादन, कितनी-कितनी मात्रा में करता है और उसके विपणन की क्या व्यवस्था की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के पास सर्दियों के वक्त दुग्ध की आवक ज्यादा होने पर बचे हुए दुग्ध को अन्य पदार्थ जैसे घी, पाउडर, मक्खन आदि बनाने के काम में लेते हैं ? यदि हां, तो इन पदार्थों को कितने समय पर ठीक हालत में रखा जा सकता है ?

(3) इस वर्ष राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ ने कब-कब कितना-कितना घी किस-किस दर से किन-किन फर्मों को बेचा ? घी बेचने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(4) क्या यह सही है कि जिस दर पर फर्मों को घी बेचा, उस समय राजस्थान

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सहकारी दुग्ध संघ को खुदरा दर ज्यादा थी ? फिर भी कम दर पर घी बेचने के क्या कारण रहे और इसमें कितना घाटा संघ को उठाना पड़ा ?

(5) क्या यह सही है कि सस्ती दर पर घी नीलाम करने के पीछे संघ को घाटा पहुंचाने के अलावा और कोई कारण नहीं था ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों के समय में घी का टेण्डर किया और जिसके कारण संघ को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मन्त्री (श्री उम्मेद सिंह) : (1) वर्तमान में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन मे सम्बन्धित डेयरी संयंत्रों पर घी. एस. एम. पी., मक्खन, पनीर, रसगुल्ला, श्रीखण्ड, छाछ, लस्सी एवं फ्लेवर्ड दूध, दुग्ध उत्पादन बनाए जा रहे हैं गत दो वर्षों में डेयरी फैडरेशन द्वारा बनाये गये दुग्ध उत्पादनों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है । जिला स्तर पर वितरकों व बड़े शहरों में दुग्ध उत्पादनों का विपणन फैडरेशन के मिल्कबार (बूथ) सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है ।

(2) जी हां । सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(3) इस वर्ष 1991-92 में अधिकृत विक्रेताओं के अतिरिक्त अन्य किसी फर्म को घी का बेचान नहीं किया गया । अधिकृत विक्रेताओं की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है ।

(4) (i) जी नहीं । (ii) समस्त उत्पादित घी डेयरी के बूथ से, मिल्कबार एवं अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से बेचा गया । (iii) इस वर्ष खुदरा दर से कम दर पर घी नहीं बेचा गया एवं कोई घाटा नहीं हुआ ।

(5) जी नहीं । सस्ती दर पर घी का कोई बेचान नहीं किया गया ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रशंसा की बात है कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि कोई घाटा नहीं हुआ जबकि फैडरेशन में करोड़ों रूपये का घाटा है और तनख्वाह देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है । यह तो स्थति फैडरेशन की है । आपको जवाब देने से पहले कम से कम सोचना चाहिये कि पिछले वर्ष करोड़ों रूपयों का घाटा इसलिए हुआ कि घी आपको बाजार रेट से सस्ती रेट पर बेचना पड़ा और आप कहते हैं कि घाटा नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि घी, या दूध को अलग-अलग सोसाइटी में इकट्ठा किया जा रहा है और संयंत्रों को दे रहे हैं, उसके बाद में यह फैडरेशन में आता है तो दूध को डाइरेक्ट बेचने में फायदा है और दूध के पदार्थ घी, पनीर रसगुल्ला, मक्खन इत्यादि है, इनके बनाने से फायदा है । नम्बर दो आपने जो पिछले वर्ष घी बेचा, क्या यह सही है कि इसमें जो पुराना घी था उसमें नया ताजा घी मिलाया और

Page No. 14

(14)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

ताजा घी मिलाने के बाद उस घी का जो ठेकेदार था लेने वाला, उसके अधिकारी मिल गए थे, उन्होंने कहा कि इससे तो अपने को घाटा होगा। इसलिए उन्होंने इस घी को लिया नहीं और वह घी बेकार हो गया। इससे फैडरेशन को घाटा हुआ और ताजा घी खराब रेट पर देना पड़ा। इस प्रकार फैडरेशन को लाखों रूपये का घाटा हुआ ही, अलग-अलग संयंत्र काम करते हैं, उन्होंने आपके विश्वास पर घी यहां पर भेजा, उससे संयंत्रों को भी भारी घाटा हुआ।

हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान के अलावा दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई है, जहां कि आप समझते हैं घी या दूध की कमी है, वहां पर बेचने के आपने क्या-क्या उपाय किये हैं। घी, दूध और दूध से बने पदार्थ बेचने के लिए कोई एजेंसी तय की हुई है क्या या कोई एजेंसी है, घी को, ऐसे पदार्थों को बेचने की कोई दूसरी व्यवस्था है? कोई एजेण्डा तय किया हुआ है? राजस्थान के अलावा आपकी इन को लेने वाले हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोई साहब ने जो प्रश्न किया है कि दूध बेचने से फायदा है या दूध से बने आइटम जो आर. सी. डी. एफ. बनाता है उसे बेचने से फायदा है...

एक माननीय सदस्य : आप जवाब दे रहे हैं...

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, मैं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोई साहब ने पहला प्रश्न किया है कि दूध बेचने से आर. सी. डी. एफ. को फायदा है या दूध से उत्पादित जो भी आइटम बनते हैं, उससे फायदा है। माननीय विश्नोई साहब, यह तो समय-समय पर निर्भर करता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : मुख्यमंत्रीजी चाहें जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको जवाब से मतलब है, जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जोइण्ट रैसपोंसिबिलिटी है, कोई भी जवाब दे सकता है। आपको उत्तर मिलेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र सिंहजी को याद होगा जब आप राज्यमंत्री थे और जवाब नहीं दे पाते थे, तो दूसरे मन्त्री जवाब देते थे।

श्री नत्थीसिंह : उम्मेदसिंह जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यह कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सही है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसका मतलब मंत्रीजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम तो मानते हैं कि मन्त्रीजी जवाब देना चाहते हैं लेकिन यह इनको सेव कर रहे हैं।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आपने यह साबित कर दिया है कि आप का मंत्री जवाब देने के काबिल नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह साबित नहीं किया है, यह देवेन्द्र सिंहजी ने प्रश्न किया था तो मैंने उसका जवाब दिया है। हमारे राज्य मन्त्री बहुत काबिल हैं, जवाब दे देंगे। जो अभी जवाब दिया, आपको संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए तो फिर जिनसे आप संतुष्ट हो सकते हैं, उनसे जवाब ले लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विश्नोई साहब का पहला प्रश्न है कि आर. सी. डी. एफ. को दूध बेचने से फायदा है या दूध से उत्पादित वस्तुओं को बेचने से फायदा है। अध्यक्ष महोदय, यह समय पर निर्भर करता है। मार्केट में दूध के भाव अच्छे हो सकते हैं, घी के भाव कम हो सकते हैं। हमको हिन्दुस्तान की दूसरी डेयरियों के मुकाबले में भाव रखना पड़ता है। दूध के भाव अच्छे होते हैं तो दूध बेचने से फायदा होता है। दूध से उत्पादित पदार्थ हैं, मगर उनके भाव अच्छे हैं और दूध सस्ता है तो दूसरे पदार्थ बेचने से फायदा होता है। इसलिए आर.सी.डी.एफ. जब-जब उचित समझती है कि दूध बेचने से फायदा होता है तो बाहर दूध की सप्लाई करने का काम करती है और जब यह समझती है कि दूध का स्टोरेज करके इससे कोई चीज उत्पादित की जाये तो उत्पादित करके बेचती है।

दूसरा प्रश्न जो आपका आया, मुझे सदन में कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि ऐसी शंकाएं हैं। पिछली बार गोविन्दसिंह जी, जो इसके मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछा था कि क्या यह सही है कि अच्छे घी में खराब घी की मिलावट की गई। जब पिछली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था तो जांच के आदेश दे दिये गये थे और मैंने यह विश्वास माननीय गोविन्दसिंह जी को दिलाया था कि जिन अधिकारियों से आप संतुष्ट हों, उनसे जांच करा ली जायेगी, और हाउस के बाद में भी आप व्यक्तिगत रूप से मंत्रीजी से मिलकर बात कर लेना, इसकी जांच करा ली जायेगी। तो आपकी शंका निराधार नहीं है। ऐसी अगर स्थिति आई है तो उसकी जांच के आदेश पिछले बजट सत्र में दे दिये गये थे, वह जांच विचाराधीन है। आप इस बात का विश्वास रखें कि जो भी अधिकारी इस मामले में दोषी हैं, निश्चित रूप से उनको बख्शा नहीं जायेगा।

तीसरा सवाल आपने उठाया कि राजस्थान के अलावा, जहां घी के भाव ज्यादा बेहतर थे, हमने कोई ऐसे प्रयास नहीं किये कि अपने घी की सप्लाई वहां करते। तो यह बात सही है। इसमें भी शंकाएं थीं और मैंने पिछली बार ही जवाब दे दिया था कि मैं इनके जवाब से स्वयं भी संतुष्ट नहीं था। इसलिए मंत्री महोदय ने सारी पत्रावली मंगाकर देखी है। यह सही है कि दूसरे स्टेट्स में घी के भाव आर. सी. डी. एफ. के मुकाबले कुछ ज्यादा थे लेकिन आर. सी. डी. एफ. का यह कहना है कि अगर इस घी को हम नहीं बेचते तो स्टोरेज कैपेसिटी जहां 800 मेट्रिक टन थी और आर. सी. डी. एफ के पास घी का

(श्री जगमालसिंह यादव)

स्टोरेज हो गया 13 सौ मेट्रिक टन,, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। अगर हम उसको रखते तो निश्चित रूप से वह खराब हो जाता जो टके सेर भी नहीं बिकता। चूंकि देनदारियां चुकता करनी थी, दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध की कीमत चुकता करनी थी, इसलिए यह सोचकर आर. सी. डी. एफ. ने फैसला किया कि 500 मैट्रिक टन स्टोर कैपेसिटी से जो ज्यादा है, उसे बेच दिया जाये और बेचकर दुग्ध उत्पादकों को उनके मूल्य का भुगतान कर दिया जाये।

आपका अगला सप्लीमेण्टरी हो तो उसका मैं फिर उत्तर देता हूं कि यह भी सही है। मुझे इस मामले में भी शिकायत मिली कि घी छह महीने में खराब हो जाता है। छह माह तक घी स्टोर में रख सकते हैं। छह महीने बाद जब अवशीतन केन्द्र में जगह नहीं होती है तो निश्चित तौर पर उस घी के खराब होने की सम्भावनाएं होती हैं। इसमें हमने यह भी देखा है कि अगर इस तरह के मामले हैं, तो हमने पिछली बार ही आश्वासन दे दिया था कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ हुई है तो उसको भी हम देखेंगे। निश्चित तौर से किसी भी कीमत पर हम दुग्ध उत्पादकों के हितों की बलि नहीं चढ़ने देंगे और राज्य के खाने का एक पैसा भी हम बेकार नहीं जाने देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भी नहीं है। केवल आश्वासन दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं आप से भी जोर से बोल सकता हूं, महावीर जी।

बढावदापार आयुर्वेदिक चिकित्सालय, छबड़ा

165. **श्री नन्दकिशोर** (छबड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या बछड़ा के बढावदापार आयुर्वेद चिकित्सालय में वैद्य नहीं है? यदि हां, तो वहां वैद्य की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

(2) छबड़ा नगर के आयुर्वेद औषधालय को कब तक "अ" श्रेणी का औषधालय घोषित कर दिया जायेगा?

आयुर्वेद राज्य मंत्री (श्री जोगेश्वर गर्ग) : (1) बारां जिले के आयुर्वेद औषधालय बढावदापार में आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर श्री तेजनारायण आचार्य का पदस्थापन हुआ है।

(2) बारां जिले के छबड़ा में संचालित आयुर्वेद औषधालय वर्तमान में ही "अ" श्रेणी बिना शैय्या वाला औषधालय घोषित किया हुआ है।

श्री नन्दकिशोर : अध्यक्ष जी, जब मैंने प्रश्न किया था, बढावदापार और कडिया, दो जगह खाली थीं। अभी बढावदापार में नियुक्ति हो गई लेकिन झंझनी, अंजनावर, कडिया, तीनों पोस्ट खाली हैं और झंझनी में तो कम्पाउण्डर भी....

श्री अध्यक्ष : तो आप उनका भी पूछ

(श्री अध्यक्ष)

लेते। आपने एक का ही पूछा है। बढाव-दापार के सिवाय आपने पूछा नहीं है। आप उनका बता देते। हो गया आपका सवाल। यह "अ" श्रेणी का घोषित हो गया। बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी कमेटी के कार्यकलाप

166. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी कमेटी के कार्य कलापों की जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कमेटी के द्वारा श्री महावीर जी की आय का शहर में व्यावसायिक भवन बनाकर अच्छी पगड़ी लेकर व्यवसायियों को देकर दुरुपयोग किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या कमेटी के वार्षिक चुनाव होते हैं ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों की चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कमेटी के स्वामित्व के बारे में न्यायालय में कोई वाद है ? यदि हां, तो इस पर कोई रिसीवर नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) जी हां। जांच रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।

(2) इस प्रन्यास की जौहरी बाजार, जयपुर में स्थित पुरानी हवेली के स्थान पर नये "वर्धमान भवन" का निर्माण किया गया है। किन्तु इस नये भवन को व्यवसायियों को पगड़ी पर देने और प्रबन्ध समिति द्वारा धन का दुरुपयोग करने की कोई शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रन्यास की प्रबन्ध समिति के चुनाव त्रिवार्षिक होते हैं। विगत चुनाव 1990 को हुए। रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।

(4) कमेटी के स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला न्यायालय जयपुर में "नारायण लाल, पल्लोपाल बनाम प्रबन्ध कारिणी कमेटी दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी" नाम से वाद चल रहा है। रिसीवर नियुक्ति का मामला न्यायालय से सम्बन्धित है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जो जवाब दिया, मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। जहां तक इसकी प्रबन्धकारिणी का सवाल है, या इसके सभापति श्री एन. के. सेठी और सेक्रेटरी पाटनी जी का सवाल है, मैं उनके कार्य-कलापों से, उनकी भावना से संतुष्ट हूं लेकिन सवाल यह है कि व्यावसायिक भवन

(श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद)

में कितनी दुकानें निर्मित की गई और कितने रुपये प्रतिमाह के किराये पर किस प्रक्रिया के तहत दी गई।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या पगड़ी डोनेशन के रूप में ली गई है।

तीसरा, क्या श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की कमेटी द्वारा प्राप्त आय का कोई अंशदान देवस्थान विभाग को भी जाता है? यदि हां, तो कितना? मेरा अगला सवाल यह है कि क्या यह सही है कि 1942 से पूर्व उक्त स्थान दिगम्बर जैनों के बजाय श्वेताम्बरों के कब्जे में था, जिसका न्यायालय में मामला विचाराधीन है। धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 की यथा स्थिति कायम करने सम्बन्धी विधेयक के बाद अब इसकी क्या कानूनी स्थिति रहेगी?

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार उक्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थल के विकास के लिए भी अब तक कोई कार्य किया है। यदि हां, तो कितना, उसकी जानकारी चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तानों पर एक करोड़ से अधिक नाजायज कब्जे हैं, क्या उसकी नियमानुसार जांच आपने करवाई है? यदि जांच करवाई है तो कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये हैं?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि एम. एल. ए. क्वार्टर के पास सारी जायदाद पर नाजायज तरीके से लोगों ने कब्जा किया, क्या उसकी जांच हुई है और आपने उसके बारे में क्या एक्शन लिया?

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, देश के एक करोड़ से अधिक जैन धर्मावलम्बियों का यह धार्मिक स्थल है और व्यवस्थित रूप से चुनी हुई प्रबन्ध कार्यकारिणी इसकी व्यवस्था करती है।

मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि माहिर साहब इस प्रकार प्रश्न पूछ कर धार्मिक ट्रस्टों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। यदि इस प्रकार की बात है तो जयपुर शहर में वक्फ की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और मस्जिदों की जमीन ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। This is no question. यह सवाल नहीं है। आप भाषण दे रहे हैं। आप बिराजिये।

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भगवान महावीर में उतनी ही श्रद्धा है ....(व्यवधान)

मेरा कतई यह उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा कमेटी के लोग हैं....

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय कालीचरण जी, प्लीज।

(श्री अध्यक्ष)

हां, प्रद्युम्न सिंह जी बोलिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस कमेटी के कार्यकलापों का सवाल हैं, किसी को किसी किस्म की शिकायत नहीं है, न श्वेताम्बर को, न दिगम्बर को । तो मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध इतना ही है, और झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहूंगा, कृपया इस कन्ट्रोवर्सी को इस सदन में न उठायें । जो हो रहा है, तब लोग सन्तुष्ट हैं । एक आध आदमी किसी तरह असन्तुष्ट हो तो मैं कह नहीं सकता । हर समाज में एक आध दो आदमी बिगड़े हुये होते हैं जो इस किस्म की हरकत करते हैं । इसलिए आप इसे झगड़े में न डालें । जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब लोग सन्तुष्ट हैं इस कार्य से । इस मामले को यहां नहीं उठायें, भगवान के लिये, तो बड़ी मेहरवानी होगी ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं आपका कहना ठीक है । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा एक पर्सनल अनुभव देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : सारे जैनी सन्तुष्ट हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो सुनें, साहब, मुझे मेरी बात कहने का मौका दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये । यह प्रश्नकर्ता हैं । (व्यवधान) यह क्या बात कर रहे हैं ? हिन्दुस्तान में हरेक को बोलने का अधिकार है । आप बोलिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं....

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बाद में ये....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मेरी बात सुन लें । मंत्रीजी, यह कोई तरीका नहीं है आपका । पहले मेरी बात सुन लीजिये । आप मंत्रीजी होकर भी इस तरह का व्यवहार करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप व्यवस्था में सहयोग करिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : वह उनकी मदद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह खुद ही बहुत सक्षम हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन कर रहा हूं, भगवान महावीर के प्रति मेरी भी उतनी ही श्रद्धा है । मेरा इस प्रश्न के पीछे कतई (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लीजिये । यह क्या तरीका है ! बोलने ही नहीं देना चाहते हैं किसी को ।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी कतई लोगों की भावनाओं से खेलने का या इस तरह का कोई प्रश्न नहीं था। मेरे पास जैन समाज के कुछ लोग आये और उन्होंने मुझ से यह कहा कि यह जो दुकानें अलाट की हैं उसमें अनियमितताएं हुई हैं। मैंने इतना आपको शुरू में ही कह दिया था कि जहां तक इसके सभापति सेठीजी और कपूर चन्दजी पाटनी का सवाल है, मैं निजी तौर पर उनको पिछले कई वर्षों से जानता हूं। उनकी जो समाज सेवा की भावना है उस पर कतई डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं अगर कोई अनियमितता हुई है, तो जब वक्फ बोर्ड का सवाल पिछले सैशन में माननीय अर्जुनदास मदानजी ने उठाया था, तो सारे सदस्य सवाल उठा सकते हैं। इसको जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने एकदम गलत (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपने बात कह दी। बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मगर फिर भी इतना मैं कहना चाहता हूं कि अगर इससे किसी की भावना को मैंने ठेस पहुंचाई है, तो मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नवनीतलाल नीनामा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों को अनुदान

167. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान में छात्रावास चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां व कितने छात्रावासों को अनुदान दिया जा रहा है? नाम गांव तहसील व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुदानित छात्रावास व समाज कल्याण विभाग के छात्रावास घाटे में चल रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावासों में सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं है?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) जी हां। राज्य में 535 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है। इन 535 छात्रावासों में से 89 छात्रावासों को अनुदान दिया जा रहा है, उनका नाम, गांव तहसील व जिलावार सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) छात्रावासों का संचालन, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमक्कड़ जाति व अन्त्योदय परिवारों के छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने हेतु आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये किया जाता है न कि व्यवसायिक ईकाइ के बतौर अतः घाटे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) सफाई की व्यवस्था की हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री नवनीतलाल नीनामा : मान्यवर अध्यक्षजी, अभी सदन की जनजाति कल्याण समिति में हमें पूरे राजस्थान का दौरा करने का मौका मिला और जहां-जहां छात्रावास है वहां छात्रों से सम्पर्क हुआ और व्यवस्थापकों से भी जानकारी मिली। वहां यह पाया गया कि छात्रावास में अभी प्रति छात्र प्रति माह 170 रुपया ही दिया जाता है। तो क्या राज्य सरकार का इस महंगाई को देखते हुये इन आदिवासी छात्रावासों की रकम बढ़ाने की व्यवस्था करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

दूसरा यह है कि अनुदानित छात्रावास हैं। वे छात्रावास आज नहीं के बराबर हैं। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इन छात्रावासों को क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाने का विचार है ? इन छात्रावासों में हमें देखने का मौका मिला, एक अनुदानित छात्रावास झालाना, जहां पर 25 लड़कों का प्रवेश का स्थान है, वहां पर आज इन दिनों में सिर्फ 10 लड़के ही हैं। व्यवस्थापक भी वहां पर है लेकिन मौके पर इन दिनों नहीं हैं, वह अपने घर पर रहता है। वहां पर रसोई व्यवस्था के लिये लड़कों ने अपने निजी खर्चे से एक रसोइया रख छोड़ा है।

इसी तरह से एक आदिवासी छात्रावास दानपुर है जहां पर भवन नहीं है। मैंने बरसात के मौसम में जाकर के छात्रों से सम्पर्क किया तो छात्र अपने निजी खर्चे से प्राइवेट कमरे में रहते हैं। तो क्या राज्य सरकार इन छात्रावासों के भवनों का निर्माण करके छात्रों को सुविधा देने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी समय से इन छात्रावासों में रहन सहन के लिये 170 रुपया प्रति छात्र प्रति माह दिया जा रहा है। उसके लिये कई साथियों ने कहा है। वित्तीय सुविधा, वित्तीय संसाधन सरकार की तरफ से जिस वक्त भी उपलब्ध हो जायं, इसमें इस कार्यक्रम को फाइनेंस डिपार्टमेण्ट में रख दिया गया है, मैं जहां तक सोचता हूं, नवम्बर या दिसम्बर में 170 रुपये से बढ़ा करके बच्चों को सुविधा और उचित कर दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : कितने रुपये बढ़ायेंगे ?

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : 170 की बजाय 250 किये जायं, यह सरकार के विचाराधीन है।

इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अनुदानित छात्रावासों को सुविधा दी जा रही है कि नहीं। काफी अनुदानित छात्रावास हैं उसका निरीक्षण मेरे द्वारा और मेरे विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। जो सही रूप में चल रहे हैं उनको तो सहयोग दिया जायेगा और जो सही रूप में नहीं चल रहे हैं उनको बन्द किया गया है। उसके लिये भी यह सोचा जा रहा है कि उन बच्चों को कुछ अधिक सुविधा दी जाकर उसमें भी थोड़ा पैसा बढ़ाया जाय।

तीसरा, भवन के लिए पूछा गया है। यह वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है। बहुत से भवन तो बन गये हैं

(श्री कुन्दन लाल मिगलानी)

और काफी छात्रावास भी किराये के भवन में चल रहे हैं। इसमें बजट में जो पांच साल का हमारा प्लान है उसमें 30 छात्रावास प्रति वर्ष बनाने का सोचा गया है। एक पंच वर्षीय योजना में प्रायः 150 छात्रावास बनाये जायं यह हमारा प्रावधान है।

श्री प्रभुराम गरासिया : अध्यक्ष महोदय, आबू पिंडवाडा क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में जो छात्रावास चल रहा था वह दो महिने से बंद पड़ा है। उसको चालू करने की स्वीकृति कितने दिन में मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी आप नोट करते जाइए, एक एक का। कोई लोग पूछेंगे।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को 170 की बजाए 250 रुपए सरकार कर रही है इस विचार का तो सरकार, को बहुत-बहुत धन्यवाद और इसका स्वागत है। लेकिन जो स्टेशनरी और पुस्तकें हैं उसके लिए मात्र 60 और 40 रुपए दिए जा रहे हैं। मंत्री महोदय, यह बहुत कम है, इस राशि को बढ़ाने के लिए भी आप घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 170 रुपए से 250 रुपए करने जा रहे हैं, यह विचार किया है। इन्होंने दोनों ही बातें बता दी हैं कि अण्डर कंसीडरेशन है और करने जा रहे हैं। मतलब नहीं समझ पाए हम, इसलिए स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि 170 से 250 रुपए कर दिए हैं या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 170 से 250 करने जा रहे हैं, अभी विभाग से प्रस्ताव आए हैं, वह सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, 250 रुपए में कितनी कैलोरीज आप क्रिएट कर दोगे ? एक छात्र को जिन्दा रहने के लिए, बैलेन्सड डाइट को छोड़ दीजिए, जिन्दा रहने के लिए एक हजार कैलोरीज चाहिए। आप 250 रुपए तो देंगे पर मन्थ, पर छात्र को तो केवल 500 कैलोरीज जेनरेट करेगी, वह बहुत ही कम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 170 में जितनी कैलोरीज क्रिएट होती हैं, 250 में उससे ज्यादा होगी यह गारण्टी दे सकता हूं।

श्री नत्थी सिंह : जिन्दा नहीं रखोगे आप उन्हें कुपोषण का शिकार रखोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के अधिकांश छात्रावासों को मौके पर जा जाकर देखा है, जैसलमेर के रामगढ़ तक, अधिकांश छात्रावासों में कहीं दरी नहीं है, कहीं 4-5 साल से फटे हुए बिस्तर हैं।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

सामान की सीमा होती है, फर्नीचर की भी सीमा होती है बदलने की, तो क्या राज्य सरकार उस सामान को बदलकर के नया सामान परचेज करने की शीघ्र व्यवस्था कराएगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री अहारी ।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि अभी 170 से 250 करने का विचार है । लेकिन इसमें अनुदानित छात्रावासों का भी विवरण आया । अनुदानित छात्रावास और जो समाजकल्याण द्वारा छात्रावास चल रहे हैं उसमें जो अनुदान राशि दी जाती है, क्या बराबर है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी ।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा जालौर जिला पिछड़ा जिला घोषित है और वहां शिड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है । मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी छात्रावास अभी तक नहीं है । इसलिए एक छात्रावास प्रत्येक एम.एल.ए. के क्षेत्र में खुलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं समाज कल्याण मन्त्री जी से नहीं, मुख्य मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो 170 रुपया छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए देते हैं, आज के इस महंगाई के युग में क्या वो पर्याप्त हैं ? मेरी यह मांग है कि जिस प्रकार से अपने विधान सभा सदस्यों को दो हजार रुपए का सामान मिलता था, अब आप यह कहते हैं कि प्रत्येक को कितने-कितने आइटम चाहिए, उस आइटम के हिसाब से प्रत्येक एम. एल. ए. को दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार से छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को रुपए की बजाए उसको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, जितनी आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिए वह यूनिट कायम करें, मेरा यह निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम जी ।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कि छात्रावासों में अध्यापकों के कई पद लम्बे समय से खाली हैं, तो उनको कब तक भर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल यादव ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन छात्रावासों को जो अनुदान दिया जाता है वह वर्ष के समाप्त होने के दूसरे साल तक भी दिया जाता है । तो क्या सरकार इस बात का इरादा रखती है कि एडमिशन के जुलाई अगस्त में इस बात की कोई प्रक्रिया इस तरह की निर्धारित की जाए कि छात्रावासों को संख्या के आधार पर जितना अनुदान दिया जाए वह निश्चित तौर पर उस वर्ष के अन्दर ही टोटल पैमेण्ट होना चाहिए ताकि वह लाभ, जो राज्य सरकार देना चाहती है, वह उन छात्रों तक पहुंच सके । मेरा यह विनम्र निवेदन है कि गत साल का अनुदान आज

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

तक नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से जो छात्रावासों के वार्डन हैं वह उन लड़कों को एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं, एक तरह से उनके पैसे का मिसयूज करते हैं और जो राज्य सरकार का पैसा है वह वहां तक नहीं पहुंचता है। इसलिए इस तरह से आप व्यवस्था में परिवर्तन कीजिए कि उसी साल का जो अनुदान है उसी साल में वहां पहुंचे।

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि छात्रावासों में जितने छात्रों की संख्या, उपस्थिति, बताई जाती है, जितना सामान आता है, जितने छात्रों के लिए, वहां पचास छात्रों की संख्या के बजाए दस छात्र भी उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि उसकी हाजरी, उनका सारा सामान, पैसा पचास छात्रों का उठाया जाता है। इस प्रकार के केस क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में हैं ? यदि हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने छात्रावास हैं जहां बिना छात्रों के अनुदान राशि फर्जी रूप से उठाई जाती है। क्या यह शिकायत आपको समय-समय पर मिली है ? क्या आपने इनका कभी जाकर के निरीक्षण किया है ? एक और है....

श्री अध्यक्ष : सब एक ही पूछ रहे हैं, एक-एक ही पूछना है, अभी और बहुत से लोग हैं। बैठिए आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में समाज कल्याण का भवन करीब दो साल से अधूरा पड़ा है, करीब पांच लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। मन्त्री महोदय बताएं कि कब तक उसको पूरा करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल।

श्री शांतिलाल : अध्यक्ष महोदय, जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से रहते हैं, उनको जो वहां पर सुविधा दी जाती है, मेरा यह सुझाव है कि वह उनको पैसे में न दी जाकर यूनिट्स में दी जाए और यूनिट्स भी जिस तरह से जेल में प्रिजनर्स तय कर रखी है कि इनको 400 ग्राम आटा, 100 ग्राम दाल, 50 ग्राम मसाले, इसी तरह से कर दिया जाए, ताकि उनका कैरियर स्पाइल न हो। शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करने में उनको ज्यादा असुविधा नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि टोडाभीम के अन्दर शिड्यूल ट्राइब्स का जो छात्रावास है, उसमें आपने 16 लाख रुपए जो मन्जूर किए हैं भवन निर्माण के लिए, उसका भवन कब तक बन रहा है ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सपोटरा में जो छात्रावास चल रहा है

(श्री प्रभुलाल पटेल)

उसकी स्थिति ऐसी जीर्ण-शीर्ण है कि किसी भी समय वह गिर सकता है और कोई बात हो सकती है। उसके लिए भवन का निर्माण कराया जाय। वहां पर जो भोजन की व्यवस्था है वह ऐसी गयी-बीती है कि जिसको शायद पशु भी नहीं खा सकते। बच्चे तो रहते नहीं हैं वहां, जो भी राशन मिलता है उसको बेच दिया जाता है और पैसे का दुरुपयोग होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा।

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सैकण्ड राउण्ड हो गया इनका।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, हो गया क्या आपका ?

श्री हीरालाल इन्दोरा : अनुदानित छात्रावासों में प्रति छात्र पर मंथ कितना रुपया दिया जाता है ?

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि एडेड होस्टल जो राजस्थान में बन्द कर दिये गये हैं उनको कब तक चालू कर देंगे ? चालू करने से पहले उनके बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह भी जानना चाहूंगा ?

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि समाज कल्याण के छात्रावासों के सम्बन्ध में सदन में काफी चर्चा हुई। जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह कक्षा 6 से 8, 8 से 10 और बी. ए., एम. ए. तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। महंगाई के जमाने को देखते हुए यह रकम बहुत कम है। मन्त्री महोदय, क्या आप इस छात्रवृत्ति को बढ़ाने की नीयत रखते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुल मिलाकर छात्रावासों की स्थिति बहुत खराब है। इन पर समग्र रूप से विचार करके परिवर्तन किया जाना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जमवा-रामगढ़ और हीदा की मोरी, दोनों छात्रा-वासों के परिवर्तन के लिए, दूसरे मकान में, एक वर्ष से तय हो चुका। 25 बच्चों के रहने की जो जगह थी वहां 60-60 बच्चे हो गये। वहां जगह कम है, मन्त्री महोदय ध्यान दें। जो तयशुदा मकान हैं उनमें उनको शिफ्ट करने का तत्काल निर्णय करें, जिससे बच्चे ठीक तरह से पढ़ सकें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग पूरे समाज के लिए होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा समाज के दूसरे लोग भी हैं जो गरीबी की रेखा से बहुत नीचे हैं। उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ? जैसे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, दूसरे लोग हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में मालारोड छात्रावास जो है उसमें फर्जी नाम से पैमेण्ट उठाया जा रहा

(श्री मदन दिलावर)

है, पूरे परिवार वालों के नाम लिखकर उठाया जा रहा है। अधीक्षक ने अपने परिवार वालों का ही नाम लिख रखा है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आश्रम स्कूल छात्रावासों का क्या राज्य सरकार ने अनुदान बन्द कर दिया है। किशनगंज–शाहबाद में एक छात्रावास है....

श्री अध्यक्ष : हो गया सवाल आपका। माननीय मन्त्रीजी।

श्री हेमराज मीणा : उसका अनुदान चालू करने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कोई बाकी रह गया हो तो पुछवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : और कोई किसी को पूछना है ?

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रावास भवन जो बनाये जाते हैं वे ठेके में दिये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : अभी एक सवाल दसवां और लेना है मुझे।

श्री बहादुर सिंह : यह ठेके में दिया जाता है या समाज कल्याण विभाग खुद बनाता है ? जहां भी छात्रावास भवन थे, थोड़ा बहुत काम किया और बन्द पड़ा है। चार-चार साल हो जाने के बावजूद भवन नहीं बना कारण क्या है ? कब तक यह पूरा कर लिया जाएगा। जैसा माननीय सदस्य श्री नवनीतलाल जी ने कहा कि दानपुर छात्रावास का भवन नहीं होने से लड़के किराये पर रहकर पढ़ते हैं। कितने सालों में यह काम निपट जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका बारूपाल जी पूछेंगे। आप सवाल पूछेंगे, कविता सुनायेंगे ?

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : मैं थोड़ा-सा तो सवाल पूछूंगा और बाद में कविता सुना दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि समाज कल्याण मन्त्रीजी ने फर्माया था कि 250 रुपये हो जाएंगे और मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि विचाराधीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा कविता में क्या कहते हैं :—

"शेष नाम लेसी कदै अर्जुन पड्यो काम
बेरी आया ऊपरै एक बार भज राम।"

फिर करने से क्या होगा, बच्चे तो मर रहे हैं। अभी कर दीजिए आप।

"एक बार भज नाम शेष नामों के जोड़
गुपत बतायो थने कैरी ज्ये मत नाचोड़।
मारे तो वो ही ध्यान है अन्तर आठो याम
शेष नाम लेसी कदै अर्जुन पड्यो काम।"

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डौन क्षेत्र में चार वर्ष से राशि स्वीकृत पड़ी है और होस्टल आज तक नहीं बना है। मन्त्री महोदय उसको कब तक बनवाने का विचार रखते हैं ?

श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जो छात्रावास....

श्री अध्यक्ष : किसी के मन में नहीं रह जाय कि हमने सवाल नहीं पूछा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हमारे मन में रह जाएगी, हमारा सवाल रह जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, आप चिन्ता मत कीजिए सब आ जाएंगे।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : जो छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं क्या उनमें पर्याप्त मात्रा में रहने की सुविधा है ? यदि नहीं, तो उसके लिए सरकार क्या कह रही है ? क्या 20 लड़के एक कमरे में रह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी पूछेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि 40 साल में आपके राज में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपको बनाये दो साल हो गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो कुछ पूछूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या यह सही है कि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय समाज कल्याण मन्त्री महोदय से नाराज हैं इसलिए इतने प्रश्न पुछवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री निर्भयलाल (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सबको तो समय दे दिया, मैं भी इनको थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठो मंत्रीजी। हां पूछिये।

श्री निर्भयलाल : मैं वैसे ही विकलांग हूं, मुझे टाइम भी ज्यादा मिलना चाहिए। मैं विकलांग कोटे में आता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से आपके माध्यम से दो-तीन पाइंट कहना चाहता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : एक।

श्री निर्भयलाल : हमारे समाज कल्याण विभाग का पैसा बिल्डिगों के लिए जाता है। पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से किये जाते हैं ये काम। बिल्डिंग तैयार हो जाती है लेकिन उसके बाद समाज कल्याण विभाग के जितने छात्रावास हैं उनकी मेण्टिनेंस के लिए कभी नहीं सोचा गया। ऐसी-ऐसी बिल्डिगें मैंने जाकर देखी हैं कि जो गिरने के लिए तैयारी में हैं। क्या उनको मारने की कोई इच्छा है ? कभी उनकी पुताई नहीं हुई, कभी उनकी मेण्टिनेंस के लिए कोई पैसा नहीं दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र दसवीं ग्यारहवीं से लेकर बी. ए., एम. ए. तक पढ़ते हैं उनके लिए आपने कभी सोचा कि महंगाई के हिसाब से रेट की जाय ? माननीय मन्त्री महोदय, उनके प्रति आप सोचो।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

सदस्य श्री प्रद्युम्नसिंहजी को यह विश्वास दिला देता हूं कि यह माननीय अध्यक्षजी की मेहरबानी है कि वे मेरे को इतनी जानकारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं जानकारी रखूं। दूसरी बात, सभी माननीय सदस्यों ने मेरे को सुझाव दिये हैं, वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही होस्टल भवन का निर्माण करवाया जा सकता है। जहां तक मरम्मत की बात है, हमारे सरकारी भवनों की पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा ही मरम्मत करवायी जाती है। पी. डब्ल्यू डी. को लिख दिया गया है, वे उसकी मरम्मत करवा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां मरम्मत नहीं होती वहां आप पहुंच जाइये, अपने आप मरम्मत हो जाएगी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : जितनी कमियां आप लोगों द्वारा बतायी गयी हैं उनका निरीक्षण कर लिया गया है और बाकी निरीक्षण कर कार्यवाही कर ली जाएगी। यह सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैंने सभी माननीय सदस्यों से अपनी तरफ से सजेशन्स मांगे हैं, पत्र लिख चुका हूं कि उनके क्षेत्र में जहां-जहां होस्टल हैं, उनके बारे में सभी त्रुटियां मुझे लिख कर भिजवा दें। मैं उनको शीघ्र ठीक करवा दूंगा। यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हो रहा है लेकिन मैं एक प्रश्न और पुछवा रहा हूं–श्री रामनारायण वर्मा। मैं प्रश्न संख्या पूरी करना चाहता हूं।....(व्यवधान)।

श्री चन्दनमल बैद : माननीन अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि वह जो अनुदान राशि मिलती है विद्यार्थियों को रोज-मर्रा के कार्यों के लिए उसको वह बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह तो कह दिया उन्होंने।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : वह तो पहले ही दे दिया जवाब।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

सीसोला तथा धानुगांव (बूंदी) में राजस्व पटवारी का मुख्यालय

168. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी जिले के ग्राम सीसोला तथा धानुगांव (तहसील नैनवां) में राजस्व पटवारी का मुख्यालय कब कायम किया गया था ?

(2) क्या उक्त ग्रामों में पटवार भवन का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ करवाया गया था ? यदि हां तो किस योजना के तहत किस तारीख को ? यदि नहीं, तो दूरदराज के क्षेत्र में बसे इस गाव में पटवारी के रहने के लिए क्या व्यवस्था की हुई है तथा उसका मासिक किराया क्या है।

(3) क्या यह सही है कि धानुगांव एवं सीसोला में पटवार भवन का कार्य

Page No. 29

(29)

(श्री रामनारायण वर्मा)

अकाल राहत के तहत प्रारम्भ करवाया जाकर नीवें खादी गई थी ? यदि हां, तो क्या सभी मजदूरों को भुगतान किया जा चुका है ? कार्य करने वाले मजदूरों के नाम व पते तथा उनकी मजदूरी राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पटवार भवन का निर्माण किस तारीख तक पूर्ण करवा लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम सीसोला एवं धानुगांव (तहसील नैनवां) में पटवारी का मुख्यालय सन् 1960 से कायम है।

(2) जी हां, । निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजना तथा अकाल राहत के अन्तर्गत 1-6-1990 से प्रारम्भ किया गया था। निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से पटवारी किराये के मकान में रहते हैं। इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

(3) धानुगांव एवं सीसोला में पटवार भवन की स्वीकृति जवाहर रोजगार योजना तथा अकाल राहत के तहत जारी की गई थी। मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है। कार्य करने वाले मजदूरों के नाम, पते तथा मजदूरी की राशि का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(4) पटवार घर सीसोला का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जावेगा। पटवार घर धानुगांव का निर्माण कार्य स्वीकृत अवधि में मात्र नींव खोदने तक ही सीमित रहने के कारण बन्द कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि सीसोला पटवार क्वार्टर का निर्माण जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि 1-6-1990 को स्टार्ट किया गया और यदि नहीं किया गया हो और इसके पहले स्टार्ट किया गया हो तो गलत इन्फार्मेशन देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी और इस बाबत कब तक जांच करा ली जायेगी ?

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि गरीब मजदूर जिसके किसी के 78 रुपये, किसी के 100 रुपये उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और अब कब तक भुगतान करवा दिया जायेगा। तीसरा, धानुगांव बहुत इन्टीरियर का गांव है और मकान मिलने में बड़ी असुविधा रहती है और उसमें जब एक दफा नींव खोद दी गई तो क्या अब बून्दी जिले में कोई पटवार क्वार्टर बनाया जायेगा तो प्राथमिकता से उसको पूरा करवाया जायेगा ? चौथा, सीसोला पटवार क्वार्टर के बारे में जांच चल रही है वह कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीसोला के पटवार घर का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया इसकी तो सूचना

Page No. 30

(30)

(श्री गंगाराम चौधरी)

बराबर नहीं है लेकिन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है जिसमें दिक्कत यह रही है कि दो कर्मचारियों ने इसका निर्माण करवाया था। एक तो मि. जैन पटवारी ने और दूसरे मि. चतुर्वेदी ने, जिसके कारण इसका हिसाब-किताब बराबर नहीं हो सका। दूसरी दिक्कत यह रही कि इस पर जो व्यय हुआ है 74,883 रूपये का लेकिन जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इसका जे. ई. एन. ने दिया है 60,007 रुपये का दिया है और इसमें इस प्रकार से 9 हजार रूपये का कम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात है। इसके कारण से इसके निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जांच आरम्भ करनी पड़ी। नैनवा एस. डी. ओ. इसकी जांच कर रहे हैं और भुगतान इसी वजह से नहीं हो सका। कोशिश यह की जाएगी कि उप खण्ड अधिकारी को निर्देश दिये जाएँगे कि जांच कार्य जल्द से जल्द पूरा करवा दें। तीसरी बात यह है कि यह भुगतान एस. एस. ओ. और रिलीफ डिपार्टमेण्ट के मार्फत ही होगा। राजस्व विभाग अपनी ओर से प्रयत्न करेगा कि एस. एस. ओ. और रिलीफ डिपार्टमैण्ट से निवेदन करे कि इसके भुगतान की कार्यवाही जल्द से जल्द कर दी जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्न काल समाप्त हुआ। ज्यादा लेटिट्यूट लेने की कृपया कोशिश न करें। मैंने 15 मिनट का टाइम दिया, माफ करिये। प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट—4 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की आय के स्रोतों में वृद्धि

161. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद), एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 व 1991-92 के बजटों से राज्य के आय के स्रोतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1989-90 के बजट में इन्हीं मदों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2)

वर्ष 1988–89 की तुलना में वर्ष 1989–90, 1990–91, एवं 1991–92 के बजटों से राज्य के आय के स्रोत में निम्न प्रकार बढ़ोतरी हुई है :–

(राशि करोड़ रुपयों में)

बजट मद	वर्ष 1988-89 की वास्तविक आय	वर्ष 1989-90 की वास्तविक आय	वृद्धि (कालम) (2–3)	प्रतिशत	वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमान	वृद्धि (कालम) (2–6)	प्रतिशत	वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक अनुमान	वृद्धि (कालम (2–9)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I (राज्य की कर राजस्व	893.16	1072.51	+179.35	20.08	1208.36	+315.20	35.29	1374.45	+481.29	53.89
II (राज्य की कर भिन्न राजस्व	362.15	470.28	+108.13	29.86	480.23	+110.08	32.61	556.19	+194.04	53.58
योग–	1255.31	1542.79	+287.48	22.90	1688.59	+433.28	34.52	1930.64	+675.33	53.80

Page No. 32

(32)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चम्बल की नहरों की सफाई के लिए आवंटित बजट

260. **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) चम्बल परियोजना की दाई मुख्य नहर की पंचायत समिति सुल्तानपुर कोटा के अन्तर्गत आने वाले चम्बल की नहरों की सफाई के लिये वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में कितना-कितना बजट आवंटित हुआ ?

(2) दाई मुख्य नहर खण्ड प्रथम की कौन-कौन सी नहरों, माइनरों की सफाई करवाई गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में मुख्य नहर के लिए 19.00 लाख रु. व डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनरों के लिए 24.00 लाख रु. का बजट आवंटित किया गया तथा वर्ष 1991-92 में मुख्य नहर के लिए 15.00 लाख रु. तथा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माईनरों के लिए 24.00 लाख रु. का बजट आवंटित है।

(2) वर्ष 1990-91 की सूची संलग्न प्रपत्र "अ" (1 से 5) तथा वर्ष 1991-92 की सूची संलग्न प्रपत्र "ब" (1 से 3) पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि भूमि में कैचमेन्ट कार्य

261. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या रामकिशन आत्मज ग्यारसी लाल मीणा, निवासी बाजड़, जिला--बूंदी की खातेदारी की कृषि भूमि में कैचमेंट का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर के कितने रकबे में ? कैचमेंट के पूर्व तथा बाद के वर्ष की खाते की नकलें सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कैचमेंट हेतु लिया गया पूरा रकबा खातेदार कृषक को वापस सम्भला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अब कब तक सम्भला दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। इनके ख. न. 326, 625, 527, 371 की 50 बीघा एक (1) बिस्वा अलग-अलग कैचमेंट में ली गई थी। कैचमेंट के पूर्व तथा बाद की स्थिति की फर्द इस्तलाक की नकल संलग्न है।

(2) कैचमेंट हेतु खातेदार का कुल 50 बीघा 1 बिस्वा रकबा लिया गया था जिसमें से 2 बीघा 4-बिस्वा को सामान्य कटौती के बाद कैचमेंट 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि कैचमेंट कार्य समाप्ति के बाद (वर्ष 1977-79 व 81-82) सम्भला दी गई थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

Page No. 33

(33)

आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के मानदण्ड

262. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नये आयुर्वेद औषधालय खोलने के क्या आधार हैं ?

(2) बेगूं विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जहां आयुर्वेद औषधालय चालू हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे गांवों में जहां से 10–15 किलोमीटर की दूरी तक कोई स्वास्थ्य केन्द्र या औषधालय नहीं है वहां निकट भविष्य में आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलते समय स्थानों का चयन प्रायः निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है–

1. विभागीय बजट में नवीन औषधालय खोलने हेतु प्रावधान का होना।

2. निःशुल्क भवन व्यवस्था का उपलब्ध होना।

3. ग्राम में अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना।

4. ग्राम व उसके आस-पास की जनसंख्या लगभग 2000 होना।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं विधान सभा क्षेत्र में 14 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, जहां आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही ऐसे स्थानों पर भी आयुर्वेद औषधालय खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है।

चालू वित्तीय वर्ष में 25 नवीन औषधालय खोले जाने हैं, जिसमें से अब तक 9 स्थानों का चयन किया जा चुका हैं।

आयुर्वेद विभाग में स्थानान्तरण

263. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991 में विभाग के कितने अधिकारी, कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) एक ही स्थान पर कार्यरत कितने कर्मचारी व अधिकारी ऐसे हैं जिनको दो वर्ष से अधिक समय हो गया और जिनका स्थानान्तरण किया गया है ?

(3) स्थानान्तरण करने के बाद कितने कर्मचारी व अधिकारियों का स्थानान्तरण निरस्त किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। स्थानान्तरण निरस्त करने के क्या कारण थे तथा स्थानान्तरण से पूर्व क्या इन कारणों पर विचार नहीं किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में (अगस्त, 1991 तक) विभाग के 1307 अधिकारियों एवं 1248 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये, जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट–"क" पर सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) एक ही स्थान पर दो वर्ष से अधिक समय से कार्यरत 592 अधिकारियों एवं 796 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

(3) स्थानान्तरण करने के बाद 30 अधिकारियों व 53 कर्मचारियों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये। इनकी जिलेवार सूची भी परिशिष्ट–"क" पर सदन की मेज पर रख दी गई है। स्थानान्तरण निरस्त करने के निम्न कारण रहे :—

1. पारिवारिक परिस्थितियां,
2. बिमारी के कारण,
3. प्रशासनिक दृष्टिकोण से,
4. न्यायालयीय प्रकरण निस्तारण।

उक्त सभी कारण परिवर्तन के बाद ही जानकारी में आते हैं अथवा न्यायालयीय प्रकरण बनते हैं। अतः परिवर्तन के पूर्व इनकी जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-6 देखें)

निम्बाहेड़ा के आयुर्वेदिक औषधालय

264. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? सूची सदन की भेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस वर्ष नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 14 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। औषधालयों की सूची (परिशिष्ट–"क") सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 1991–92 में 25 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है, इनमें से 8 आयुर्वेदिक एवं एक होम्योपैथी औषधालय स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष 16 औषधालय चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्वीकृत कर दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला सवाई माधोपुर के आयुर्वेदिक औषधालय

265. **श्री प्रभूलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सवाई माधोपुर जिले में कितने औषधालय बिना वैद्य और कम्पाउण्डर के

(श्री प्रभुलाल पटेल)

चल रहे हैं ? सूची सदन की मैज पर रखें।

(3) सवाई माधोपुर जिले के हर औषधालय को विभाग की तरफ से कितनी-कितनी औषधियां मुहैया करायी जाती हैं तथा क्या उनका सदुपयोग हो रहा है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सवाईमाधोपुर जिले में 178 आयुर्वेदिक चिकित्सालय व औषधालय स्वीकृत है। इनका तहसीलवार विवरण परिशिष्ट–1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सवाई माधोपुर जिले में ऐसा कोई भी आयुर्वेद औषधालय नहीं है, जहां वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर का पदस्थापन किया हुआ नहीं है।

(3) विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों को रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधियां ही मुहैया करायी जाती है।

औषधालयों/चिकित्सालयों को प्रति वर्ष निम्न निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उसकी गत वर्ष की उपलब्ध रोगी संख्या को आधार मानकर औषध बजट सीमा निर्धारित की जाती है :—

बहिरंग विभाग हेतु—1.00 रु. प्रतिरोगी प्रतिदिन
अन्तरंग विभाग हेतु—3.00 रु. प्रतिरोगी प्रतिदिन

उक्त मापदण्ड के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के विरुद्ध, उपलब्ध औषधियां मुहैया करायी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर औषध बजट सीमा में वृद्धि भी की जाती है।

जी हां, औषधालयों/चिकित्सालयों में औषधियों का सदुपयोग ही हो रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

बेगूं में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

266. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने और कहां-कहां छात्रावास चलाये जा रहे हैं, इनमें व्यवस्थापकों के पद कब से रिक्त हैं और क्यों ?

(2) क्या निकट भविष्य में सरकार इनकी पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न छात्रावास चलाये जा रहे हैं :—

(1) राजकीय छात्रावास

1. राजकीय बालक छात्राबास, बेगूं

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

2. राजकीय बालक छात्रावास, रावतभाटा

(2) अनुदानित छात्रावास

1. अनुदानित छात्रावास, बोरावड़।

उपरोक्त राजकीय छात्रावासों में से बेगूं में सहायक छात्रावास अधीक्षक का पद दिनांक 3-1-91 से रिक्त है तथा रावतभाटा में सहायक छात्रावास अधीक्षक का पद दिनांक 5-7-89 से रिक्त हैं। रिक्त पदों का कारण यह है कि पूर्व में नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण सहायक छात्रावास अधीक्षक के पदों को नहीं भरा जा सका।

(2) जी हां। इन रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है। जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

धर्म परिवर्तित अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति

267. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार नव बौद्धों की भांति अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जिन्होंने ईसाई या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है, अनुसूचित जाति/जनजातियों की श्रेणी में लेने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करने का विचार रखती है?

उत्तर

यह एक नीतिगत प्रश्न है जो विचारणीय है?

विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति देने में विलम्ब

268. **श्री निर्भयलाल** (रूपवास): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकलांग छात्रों को सन् 1990 की छात्रवृत्ति अभी तक वितरित नहीं की गई? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि दैनिक वेतन भोगी/अंशकालीन कर्मचारियों को समय पर भत्ता नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या इन कर्मचारियों को भत्ते का पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) समाज कल्याण विभाग, जयपुर में कार्यरत सन् 1989-90 के दैनिक वेतन भोगी/अंशकालीन कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिकांश मामलों में भुगतान की व्यवस्था की गई है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रक्रिया सम्बन्धी है। जांच कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं।

पूरा भुगतान किया जाता है। विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

(3) सूची संकलित की जा रही है।

अलवर जिले में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास

269. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है ?

(3) इन छात्रावासों को खोलने का क्या आधार है एवं किस श्रेणी के छात्र-छात्राएं इनमें प्रवेश ले सकते हैं ?

(4) क्या विभाग अलवर के नौगावां एवं रामगढ़ कस्बों में छात्रावास खोलने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में कुल 16 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-"क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन छात्रावासों की स्वीकृत छात्र संख्या उपरोक्त सूची परिशिष्ट-"क" में अंकित कर दी गई है।

(3) छात्रावास खोलने के लिये सामान्यतः निम्न आधार अपनाये जाते हैं :—

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त एवम् धुमन्तु जाति/भंगी कष्ट मुक्ति की योजना के अन्तर्गत जिस योजना का छात्रावास हो, उस जाति का बाहुल्य हो।
2. छात्रावास के प्रस्तावित स्थान तक आने जाने का साधन उपलब्ध हो।
3. वहां भवन की उपलब्धता हो।
4. वहां सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्कूल हो।
5. वहां बिजली व पानी की सुविधा हो।

विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में निम्न श्रेणी के छात्र/छात्रायें प्रवेश ले सकते हैं :—

1. कक्षा 6 से 12 तक की कक्षा में अध्ययन करते हो।
2. अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्त्योदय परिवारों से सम्बन्धित हो या विमुक्त जाति या धुमन्तु जाति के छात्र/छात्रायें हो।
3. जिन छात्र/छात्राओं के माता-पिता आयकर दाता न हो।
4. किसी भी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में किसी भी पिछड़ी जाति के छात्र को जो छात्रावास से 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहता हो अर्थात् जिसके माता-पिता या संरक्षक 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर हों, छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाता है परन्तु यह नियम मेहतर जाति के छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होता है।

(4) यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर विचारणीय है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला नागौर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

270. श्री मोहन लाल (परबतसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 1990-91 में अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ? कक्षा 6 से 10 व 10 से 12 तक का विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी विद्यालयों में छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय का व कितने छात्रों का बकाया है ? अब कब तक उक्त भुगतान कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 90–91 में अनुसुचित जाति के छात्र व छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु पूर्व मेट्रिक (कक्षा 6 से 10) के 7742 आवेदन पत्र एवं उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12) के 650 आवेदन पत्र, इस प्रकार कुल 8392 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। (सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है)

(2) पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है। उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त 650 आवेदन पत्रों में से 525 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है। (सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है)

(3) जी हां। इन शेष रहे 125 छात्रों को भुगतान करने हेतु संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को तुरन्त भुगतान करने हेतु बजट उपलब्ध करा दिया गया है (विद्यालयवार छात्रों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला केन्द्रों पर अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

271. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार ने अनुसूचित जाति के युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान जिला केन्द्रों पर स्थापित किये जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो किन-किन जिलों में उक्त योजना लागू कर दी गई है और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक लागू कर दी आवेगी ?

उत्तर

जी हां। अनुसूचित जाति के युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान निम्न छः जिलों में स्थापित किये गये हैं :—

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(1) श्रीगंगानगर

(2) जयपुर

(3) कोटा

(4) सवाईमाधोपुर

(5) भरतपुर

(6) नागौर

उपरोक्त सभी जिलों में उक्त योजना इस वर्ष से लागू कर दी गई है।

राज्य के पशु चिकित्सालय

272. **श्री हेतराम बेनीवाल**(संगरिया): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या क्या है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में पशुओं की संख्या के हिसाब से प्रति पशु कितनी दवाई उपलब्ध करवायी जाती है ? इन दवाइयों के मूल्य का विवरण वर्षवार एवं चिकित्सालयवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह राशि रोगी पशुओं के इलाज के लिये पर्याप्त है ?

(4) क्या पशु चिकित्सालय में मुख्यालय एवं शिविरों के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो चिकित्सा का प्रबन्ध कैसे होता हैं एवं राज्य सरकार इसके बारे में क्या करने का विचार रखती है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में कुल 1338 पशु चिकित्सा संस्थायें कार्यरत हैं। इनमें से 1131 संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 207 संस्थायें शहरी क्षेत्रों में कार्यशील हैं।

पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

चिकित्सालय			औषधालय		
कुल संख्या	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल संख्या	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
912	200	712	426	7	419

(2) पशु चिकित्सा संस्थाओं पर दवाइयां उनकी श्रेणी एवं आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है न कि पशुओं की संख्या के हिसाब से। एक चिकित्सालय को औसतन 8–10 हजार रुपये एवं औषधालय को औसतन 4–5 हजार रुपये वार्षिक बजट दवाइयों हेतु आवंटित करवाया जाता है।

(पशुपालन राज्य मंत्री)

(3) जी, हां। विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे-अकाल, बाढ आदि के समय अतिरिक्त बजट का आवंटन किया जाता है।

(4) दवाइयों हेतु आवंटित बजट में से प्रत्येक चिकित्सालय को वर्ष में एक पशु चिकित्सा शिविर अवश्य आयोजित किये जाने के निर्देश हैं। इसके अलावा क्षेत्र की स्वेच्छिक संस्थाओं अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के सहयोग से शिविर आयोजित किये जाते हैं।

लूणकरणसर में फील्ड फायरिंग हेतु खाली कराई गई भूमि

273. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर): क्या उप निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या लूणकरण फील्ड फायरिंग के लिए बेदखल करवाये गये ग्रामवासियों को भूमि आवंटित करवा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

लूणकरणसर तहसील के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के 3543 विस्थापितों को भूमि का आवंटन उपनिवेशन क्षेत्र में कर दिया गया है। शेष 703 प्रार्थना-पत्र विभाग में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के आवंटनों में प्रतिबन्ध लगाने के कारण विचाराधीन है।

जमवारामगढ़ (उदयपुर) के कुछ ग्रामों का तहसील परिवर्तन प्रस्ताव

274. **श्री राम प्रसाद** (वैर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवारामगढ़ जिला-जयपुर के कुछ ग्राम-इन्द्रगढ़, नटाटा, काला का नांगल, मानपुर साईवाड़ इत्यादि को तहसील मुख्यालय से दूरी व विपरीत दिशा में पड़ने तथा आमेर कस्बे के निकट होने के कारण तहसील आमेर में शामिल करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उपरोक्त ग्रामों की तहसील कब तक बदल दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) तहसील जमवारामगढ़ के किन-किन ग्रामों को तहसील आमेर में शामिल किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(2) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 275

(स्थगित)

राजस्व मण्डल द्वारा आयोजित पटवार प्रशिक्षण परीक्षा के परिणाम में विलम्ब

276. **श्री अमृत लाल** (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष राजस्व मण्डल ने राज्य के विभिन्न जिलों से प्रत्याशियों का चयन कर 1 सितम्बर, 1990 से 5 जून, 1991 तक विभिन्न

(श्री अमृत लाल)

पटवार प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु भेजा है ? यदि हां, तो विभागीय परिक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात् उनका परिणाम अभी तक क्यों नहीं निकाला गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व मण्डल द्वारा 1025 पटवारियों की रिक्तियां निकाली गयी थी ?

(3) क्या राजस्व विभाग विभागीय परीक्षा का परिणाम निकाल कर प्रशिक्षित पटवारियों को रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति देने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

परीक्षकों से उक्त परिक्षा की उत्तर पुस्तिकाएें बाद जांच अभी हाल ही प्राप्त हुई हैं। परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों का मिलान करने के बाद कम्पाईलेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाकर परिणाम शीघ्र ही घोषित कर दिया जावेगा।

(2) जी हां।

(3) जी हां। पटवार परिक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद शीघ्र ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

रावतभाटा के भालर बावड़ा चारभुजा मन्दिर के समीप अतिक्रमण

277. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रावतभाटा के भालरबावड़ा चारभुजा मन्दिर के पास कितने व किन-किन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? क्या इनको हटाने की कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

रावतभाटा के भालरबावड़ा चारभुजा मन्दिर के पास कुल 42 व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जे किये गये हैं। (सूची संलग्न है) इन सभी के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की गई है। इनमें से 39 व्यक्तियों को अतिरिक्त तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार बाद सुनवाई बेदखल किया जा चुका है। 3 अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में भूमि आवंटन

278. **श्री श्रीचंद कृपलानी** (निम्बाहेडा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में 1989 से अब तक किन-किन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई ?

(2) आवटित भूमि के कब्जे जिन-जिन व्यक्तियों को दे दिये गये, उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(५२)

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में 1989 से अब तक 1510 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है । व्यक्ति-वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "क")

(2) आवंटित भूमि के कब्जे जिन-जिन व्यक्तियों को दे दिये गये हैं, उनकी जानकारी संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है । (परिशिष्ट "क")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले में पटवारियों के रिक्त पद

279. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या पाली जिले में पटवारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने पटवारी प्रशिक्षणशुदा हैं तथा कितनों की नियुक्ति कर दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) नियुक्ति के पश्चात् वर्तमान में कितने पद रिक्त रहेंगे और इनको कब तक भर दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली में वर्तमान में 53 पटवारियों के पद रिक्त है । जिनमें से 2 पद निलम्बन के कारण रिक्त है । स्पष्ट 51 पद पटवारियों के रिक्त हैं । राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 29-8-91 द्वारा 49 पटवारियों का स्थानान्तरण अन्य जिलों से जिला पाली में किया गया है । अन्तर-जिला स्थानान्तरित पटवारियों ने अभी जिला पाली में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । स्थानान्तरित पटवारियों के द्वारा कार्य-भार ग्रहण करने के पश्चात् केवल 4 पद ही रिक्त रहेंगे । जिनमें 2 पद निलम्बन के भी सम्मिलित हैं ।

जिला पाली में वर्तमान में पटवार परीक्षा उत्तीर्ण कोई उम्मीदवार नियुक्ति हेतु उपलब्ध नहीं है ।

(2) जिला पाली मे अन्य जिलों से स्थानान्तरित होकर आ रहे पटवारियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् इस जिले में 4 स्पष्ट पद रिक्त रहेंगे । इनमें से एक पद पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पटवारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने तथा पटवार प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् शेष रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी ।

कंवरपुरा (जयपुर) में विकास के नाम पर भूमि का आवण्टन

280. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कंवरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में गत वर्ष वन विकास के नाम पर कुछ भूमि का नियमन किया गया था ?

(श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर)

(2) क्या यह भी सही है कि आज तक इस भूमि में वन विकास नहीं हुआ और उसका नियमन निरस्त किया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम की 80 प्रतिशत भूमि का जयपुर के अधिकारियों के नाम नियमन किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को काश्त करने के लिए समतल बनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। नियमन नहीं किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अकृष्य बंजड़ भूमि का आवंटन नियम, 1986 के तहत निजी वन विकास परियोजनार्थ भूमि का आवंटन निम्न प्रकार किया गया था :—

क्र.सं.	नाम ग्राम	व्यक्तियों की संख्या	रकबा (बीघों में)
1.	अरनिया	68	412-00
2.	कंवरपुरा	18	77-19
3.	हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला	5	20-00
		91	509-19

(2) जी, हां। निरस्त करने की कार्यवाही जेरकार है।

(3) जी, नहीं। नियमन नहीं किया गया है।

(4) यह सही नहीं है कि सभी आवंटी भूमि को काश्त करने के लिए भूमि को समतल बना रहे हैं। एक-दो स्थानों पर आवंटियों ने भूमि को समतल कराने की नीयत से भूमि पर ट्रैक्टर चलाये थे जिन्हें तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बन्द करवा दिया गया।

उदयपुर की तहसीलों एवं पटवार मण्डलों का आकस्मिक निरीक्षण

281. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के राजस्व प्रशासन को संवेदनशील बनाने के तहत उदयपुर की तहसीलों एवं पटवार मण्डलों का जो आकस्मिक निरीक्षण किया गया, उसके तहत किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या किसी को निलम्बित भी किया गया ? यदि हां, तो उन अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर के आस-पास सुखेर अम्बेरी एवं भुवाणा की बहुमूल्य भूमि सस्ती दर पर मार्बल व्यवसायियों को दी गई ? इस सम्बन्ध में क्या राज्य प्रशासन द्वारा कोई जांच की गई ? यदि हां, तो कुल कितनी राजस्व हानि हुई और इस सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर की सलूम्बर व मावली तहसीलों में अनाधिकृत कब्जे के मामले आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सामने आये ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले थे और इस सम्बन्ध में तहसीलदार व पटवारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार एवम् उप-तहसीलदार गिरवा का कार्यालयों में कमी के लिये एवम् पटवारी भूवाणा का अतिक्रमण के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है, यदि आवश्यक हुआ तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। एक पटवारी ढिकली, श्री डूंगरसिंह को निलम्बित किया गया है।

(2) जी नहीं। राजस्व की हानि नहीं हुई है। अतः कोई जांच नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण के मामले सामने नहीं आये हैं। उदयपुर जिले की तहसील मावली का आकस्मिक निरीक्षण नहीं किया गया है।

जयपुर जिले में सीलिंग के तहत अवाप्त भूमि

282. **श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा** (फागी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने जयपुर जिले में सीलिंग के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में कितनी भूमि अवाप्त की है ?

(2) क्या अधिग्रहीत भूमि का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो तहसीलवार किस-किस को कितनी-कितनी भूमि किन शर्तों पर आवंटन की है ?

(3) क्या सभी आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

(4) कितने अनुसूचित जाति के काश्तकारों को भूमि आवंटन की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में गत 10 वर्षों में सीलिंग कानून के अन्तर्गत 665 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है।

(2) जी हां। भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत वर्णित शर्तों पर किया गया। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(3) जी हां।

(4) 34 अनुसूचित जाति के काश्तकारों को भूमि आवंटित की गई। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ख")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बंगला की ढाणी (सवाई माधोपुर) में कुओं के निर्माण हेतु ऋण

283. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के ईसरदा ग्राम के बंगला की ढाणी के खसरा नं. 2344, 2345 आदि की भूमि 1964 में बेची गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर बैंक से कुएं बनाने के लिये ऋण लिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(श्री रामकरण सिंह)

(3) क्या यह सही है कि उक्त कुएं का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। खसरा नम्बर, 2344 में कुआ खोलने हेतु श्योकरण पुत्र बजरंगा गुर्जर निवासी बंगला की ढाणी ने दिनांक 2-6-82 को बैंक आफ राजस्थान ईसरदा से 10,000/– का ऋण लिया था।

(3) जी हां। कुए का निर्माण सन् 1982 में पूर्ण हो गया था।

तहसीलों तथा जिलों का पुनर्सीमांकन

284. **श्री कुबेर खान** (रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार तहसीलों एवं जिलों के पुनर्सीमांकन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी तहसीलों एवं जिलों का ?

(2) पुनर्सीमांकन का मानदण्ड क्या रखा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय लोगों से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं लिये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वृहद तहसीलों का पुनर्गठन कर नई तहसीलें एवं उप तहसीलें बनाने का प्रस्ताव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति की रिपोर्ट अपेक्षित होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि कौन-कौनसी तहसीलें अथवा उप तहसीलें स्थापित की जावेंगी। सवाई माधोपुर की तहसील महुवा एवं टोडाभीम को नवगठित जिला दौसा में मिलाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति के विचाराधीन है जिसकी रिपोर्ट भी अभी अपेक्षित है।

(2) गठित समितियों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण पुनर्सीमांकन का मापदण्ड क्या रखा गया है, यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

(3) यह सही नहीं है। गठित समितियों ने जन-प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता से प्रस्ताव प्राप्त किये हैं।

टोंक जिले के तहसील मुख्यालय अलीगढ़ का उनियारा में स्थानान्तरण

285. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टोंक जिले के तहसील मुख्यालय–अलीगढ़ को उनियारा में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त तहसील क्षेत्र में कितने गांव हैं ? क्या उनमें से कुछ गांवों को सवाई माधोपुर जिले में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) तहसील उनियारा मुख्यालय अलीगढ़ में 211 गांव हैं। इनमें से किसी भी गांव को जिला सवाईमाधोपुर में मिलाये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सवाई माधोपुर में भूमि रूपान्तरण हेतु प्राप्त पत्रावलियां

286. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भूमि रूपान्तरण अधिकारी सवाई माधोपुर के यहां वर्ष 1980 से अगस्त, 1991 तक कितनी पत्रावलियां भूमि रूपान्तरण हेतु प्राप्त हुई, इनमें से कितनी पत्रावलियों में भूमि रूपान्तरण आदेश कर दिये गये हैं, एवं कितनी पत्रावलियां भूमि रूपान्तरण हेतु शेष हैं ? शेष पत्रावलियों में रूपान्तरण आदेश अब तक नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

सवाई माधोपुर के प्राधिकृत भूमि रूपान्तरण अधिकारी (उप जिला कलक्टर) के कार्यालय में वर्ष 1980 से माह अगस्त, 1991 तक 2008 पत्रालियां भूमि रूपान्तरण हेतु प्राप्त हुई। इनमें से 641 पत्रावलियों में भूमि रूपान्तरण आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं 1100 मामले खारिज किये जाने पर 267 मामले शेष हैं। शेष मामलों में आवेदकों का स्वत्व न होने, तहसील से मौका रिपोर्ट व नगर परिषद सवाई माधोपुर से राय प्राप्त न होने के अलावा कुछ मामलों में आवेदकों द्वारा रूपान्तरण शुल्क व फेराफेरी चार्जेज की पूर्ण राशि तथा नगर परिषद सवाई माधोपुर में विकास शुल्क जमा न कराने के कारण शेष हैं।

सांगोद (कोटा) में सहायक जिलाधीश न्यायालय की स्थापना

287. **श्री बृजराज मीणा (दीगोद)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा जिले में सांगोद तहसील मुख्यालय पर सहायक जिलाधीश का न्यायालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्षम विचाराधीन है ? यदि हां, तो न्यायालय कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। सांगोद में सहायक जिला कलक्टर एवं कार्यालय दण्डनायक कोटा का कैम्प कोर्ट लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उपनिवेशन तहसीलों में नर्सरी हेतु आरक्षित भूमि

288. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या उप-निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र तहसील पुगल, छतरगढ़ नम्बर 1 व छतरगढ़ नम्बर 2 व तहसील कोलायत की सभी उपनिवेशन तहसीलों के हर चक में से मुरब्बे नर्सरी के लिये रिजर्व रखे गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे मुरब्बों की चक की आबाद व पानी की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

डिग्गियों आदि के पास रिजर्व किये गये मुरब्बों का आवंटन नियम विरुद्ध किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त उपनिवेशन तहसीलों में किस-किस चक में किस-किस कार्य का आवंटन किया गया ? सूची आवंटन-पत्र की प्रति सहित सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नर्सरीज की निम्न भूमि आवंटन की गई है :-

1. चक नं. 6 एस. जे. एम. ए. मुरब्बा नं. 38/54=25 बीघा उपनि.
2. चक नं. 6/एस. जे. एम. मुरब्बा नं. 38/62=20 बीघा 8 बिस्वा
3. चक नं. 10 डीकेडी मुरब्बा नं. 103/12 व 103/4 की 33 बीघा
4. चक नं. 13 के. पी. डी. मुरब्बा नं. 140/58=15 बीघा भूमि उपरोक्त आवंटन पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

(आदेश की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 289 (स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 290 (स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 291 (स्थगित)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ) की वन श्रमिक सहकारी समितियां

292. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में कितनी वन श्रमिक सहकारी समितियां, कहां-कहां पर स्थित हैं ?

(2) सहकारी समितियों में कौन-कौन अध्यक्ष कितने-कितने समय रहा तथा किस-किस अध्यक्ष ने कितना-कितना गबन किया ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(3) उक्त समितियों को वर्तमान में किस रूप में कार्य प्रणाली चल रही है ?

(4) जिन अध्यक्षों के पास बकाया राशि है क्या सरकार उनसे वसूल करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त समितियों के कहां-कहां गोदाम हैं ? गोदामों की वर्तमान में क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में निम्न चार वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं :

1. करुन्दीखेड़ा वनश्रमिक सहकारी समिति लि.

(सहकारिता मंत्री)

2. चिवलाड वन श्रमिक सहकारी समिति लि.

3. उठेल वन श्रमिक सहकारी समिति लि.

4. बगड़ावद वनश्रमिक सहकारी समिति लि.

(2) उपलब्ध सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। समिति की उपलब्ध आडिट रिपोर्ट के आधार पर संस्थाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध किसी प्रकार के गबन का आरोप नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही विभाग के द्वारा नहीं की जानी है।

(3) इस जिले की चारों वन श्रमिक सहकारी समितियां वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में हैं।

(4) आडिट रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्षों पर राशि बकाया नहीं है। वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) केवल करुदीखेड़ा वन श्रमिक सहकारी समिति में गोदाम है, गोदाम काफी पुराना होने के कारण जीर्णशीर्ण अवस्था में है। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि समिति के पास इसको ठीक करवाने हेतु राशि नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 293 (स्थगित)

दी शिवा को-आपरेटिव सोसायटी लि. द्वारा आवंटित भू-खण्ड

294. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि "दी शिवा को-आपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर" ने अजमेर रोड जयपुर में गोविन्द नगर में भू-खण्डों का आवंटन किया है ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस को ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्ती में विभिन्न भू-खण्डधारियों ने अन्य व्यक्तियों को भू-खण्ड विक्रय किये हैं यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने किस-किस को? क्या उनके स्थानान्तरण आवंटन पत्र जारी कर दिये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि गोविन्द नगर के नजदीक मोतीनगर कालोनी भी है ? यदि हां, तो किस सोसायटी द्वारा किन-किन को कब-कब भू-खण्ड आवंटन किया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि दी शिवा को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि. जयपुर में गोविन्द नगर योजना में भूखण्डों का आवंटन किया गया है। समिति द्वारा योजना में आवंटित भूखण्डों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। आवंटन दिनांक की सूचना समिति के भूतपूर्व मंत्री श्री रमेश आजाद द्वारा रेकार्ड वर्तमान प्रबन्धकारिणी को नहीं सम्भालने के कारण दे पाना सम्भव नहीं है।

(2) हां, यह सही है। बस्ती के 49 भूखण्डधारियों ने अन्य व्यक्तियों को भूखण्ड विक्रय किये हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "ब"

(सहकारिता मंत्री)

पर उपलब्ध है। समिति से प्राप्त जवाब के अनुसार सभी स्थानान्तरण आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(3) प्रश्न अस्पष्ट होने से उत्तर देने में असमर्थता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छोटीसादड़ी (निम्बाहेड़ा) में उचित मूल्य की दुकानें

295. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे :—

(1) निम्बाहेड़ा छोटीसादड़ी विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां हैं तथा किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

(2) उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेन्स लेने का क्या प्रावधान है ? क्या निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में जितने भी लाइसेंसधारी हैं उनको इन प्रावधानों के अन्तर्गत ही दुकानें दी गई हैं ?

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में जहां-जहां, जिन-जिन व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेन्स (प्राधिकार-पत्र) दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेन्स (प्राधिकार पत्र) जिला कलक्टर द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित कर जारी किये जाते हैं। इसके लिये जारी निर्देशों की प्रति संलग्न है। इन्हीं निर्देशों के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में जितने भी लाइसेंसधारी हैं, उनको उचित मूल्य की दुकाने दी हुई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर नगर में रसोई गैस सिलेण्डर के मूल्य में अन्तर

296. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-8-1991 से जोधपुर नगर में रसोई गैस के भाव रुपये 71.80 एवं रुपये 73 80 क्रमशः प्रति सिलेण्डर निर्धारित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ने गोदाम पर प्राप्त करने के उक्त भाव, दो रुपये अधिक निर्धारित किये हैं जिस का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण में दिनांक 1-8-1991 के पृष्ठ तीन पर छपा है ? यदि हां, तो इस त्रुटि का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार आम उपभोक्ता को उपरोक्त भावों का अलग-अलग ज्ञान कराने हेतु प्रत्येक रसोई गैस के एजेंट की दुकान एवं गोदाम पर अलग-अलग उपरोक्त भावों को निर्धारित करने का गैस

(श्री केदारनाथ शर्मा)

एजेंटों के लिये विधिवत अनिवार्य करेगी जिससे भविष्य में उपभोक्ता का इस प्रकार से शोषण नहीं हो सके ?

(4) राज्य सरकार उक्त शोषण रोकने हेतु क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा जोधपुर नगर में दिनांक 1-8-91 से रसोई गैस का केवल एक भाव 73.80 पैसे निर्धारित किया गया था।

(2) यह सही नहीं है कि जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ने गोदाम पर गैस सिलेण्डर प्राप्त करने के लिए 2 रूपये की अधिक राशि निर्धारित की। राजस्थान पत्रिका में दिनांक 1-8-91 को छपी उक्त खबर के संबंध में जिलारसद अधिकारी, जोधपुर ने खण्डन किया था, जो समाचार-पत्रों में दिनांक 2-8-91 को प्रकाशित हुआ है।

(3) राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के अन्तर्गत गैस एजेन्सी अनुज्ञाप्तिधारी होती है और अनुज्ञा-पत्र की शर्तों में उसे स्टॉक एवं मूल्य और दुकान का कार्य समय सुपाठ्य रूप से हिन्दी में अपने कारबार के परिसर में सहज दृष्य स्थान पर संप्रदर्शित करने के कानूनी प्रावधान है।

(4) गैस वितरक द्वारा मूल्य प्रदर्शन नहीं किये जाने पर प्रश्न के भाग-3 में अंकित प्रावधानों का उल्लघंन मानते हुये उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता-सूची

297. श्री शम्भुदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देवस्थान विभाग में कार्यरत कार्यालय सहायकों, वरिष्ठ लिपिकों एवं कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग के वरिष्ठ लिपिकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निरीक्षक के रिक्त पदों को वरिष्ठ लिपिकों को पदोन्नति देकर भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या वरिष्ठ लिपिक एव प्रबन्धक प्रथम श्रेणी का केडर मन्त्रालयिक है और वेतन मान भी समान है ?

(5) विभाग में अब तक कितने प्रबन्धक प्रथम श्रेणी को, निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है सूची मय आदेशों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें।

(6) अब तक वरिष्ठ लिपिकों एवं प्रबन्धक प्रथम श्रेणी को निरीक्षक पद पर पदोन्नत करने की क्या प्रक्रिया रही है, इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग में कार्यरत कार्यालय सहायकों, वरिष्ठ लिपिकों एवं कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूचियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) विभाग के वरिष्ठ लिपिकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। निरीक्षक का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार का है, जिस पर सीधी भर्ती से नियुक्ति होती है। सीधी भर्ती के पदों में से 12½ प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत लिपिक वर्गीय केडर के लिये आरक्षित हैं।

(3) जी नहीं। नियमों में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। दोनों पद मन्त्रालयिक हैं किन्तु वेतनमान समान नहीं है।

(5) विभाग द्वारा दो प्रबंधक प्रथम श्रेणी को निरीक्षक के पद पर अस्थाई तदर्थ पदोन्नत किया हुआ है। आदेश की प्रतिलिति सदन के पटल पर रखदी गयी है।

(6) निरीक्षक का पद सीधी भर्ती का होने से इस पद हेतु चयन लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है किन्तु पूर्व में लम्बे समय तक लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने से विभाग द्वारा वरिष्ठ लिपिकों व प्रबंधकों को अस्थायी (एडहाक) रूप से पदोन्नत किया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में रसोई गैस एजेन्सी की स्थापना

298. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या छोटी सादड़ी क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ में उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में छोटी सादड़ी में गैस एजेन्सी खोलने के लिये केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार किया गया है ?

उत्तर

(1) रसोई गैस ऐजेन्सी खोलने के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा नीति निर्धारित है, जिसके अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बों में ही रसोई गैस ऐजेन्सी की व्यवस्था की जा सकती है। छोटी सादड़ी की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार भी 20,000 नहीं है। अतः वहां गैस ऐजेन्सी स्थापित करने का प्रश्न नहीं है।

(2) छोटी सादड़ी की जनसंख्या से कम होने के कारण वहां गैस ऐजेन्सी खोलने के लिए केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार नहीं किया गया है।

दैनिक उपभोग की वस्तुओं के भावों में वृद्धि

299. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर नगर में जुलाई, 1990 से जनवरी, 1991 तक दैनिक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, दालें, तेल, घी, वनस्पति घी, चाय, मिट्टी के तेल के मूल्यों में कितनी बढ़ौतरी हुई और उसका प्रतिशत कितना रहा ? वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये और इसमें कितनी सफलता मिली ?

(3) क्या उदयपुर के जिला रसद् अधिकारी द्वारा गत 6 माहों में उदयपुर के व्यापारियों के गोदाम इत्यादि का आकस्मिक निरीक्षण किया ? यदि हां, तो कितनी बार तथा किन व्यापारियों के गोदामों में अनियमितताएं पाई गई तथा उनके विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में जुलाई, 90 से जनवरी, 91 तक दैनिक उपभोग की वस्तुयें–गेहूं, चांवल, दालें, तेल, घी वनस्पति घी, चाय, मिट्टी का तेल के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी और उसका प्रतिशत वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए निम्न प्रयास किये गये:-

1. प्रचलित नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना कराई जा रही है ।
2. स्टॉक सीमा संबंधी प्रावधानों की अनुपालना कराई जाती है ।
3. मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शन संबंधी प्रावधानों की अनुपालना कराई जा रही है ।
4. व्यापारियों के यहां आकस्मिक छापे मारे जाते हैं ।
5. खाद्यान्न, चीनी आदि का अधिक आवंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं ।
6. उचित मूल्य दुकानों पर निगरानी के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है ।
7. उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में पिछले 6 माहों में 637 छापे मारे गये अनुमानित 1106380 मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई, 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । 124 प्रकरणों में अदालती कार्यवाही की गई । 846 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही की गई ।

(3) उदयपुर के जिला रसद अधिकारी द्वारा गत 6 माहों में उदयपुर शहर के व्यापारियों के 184 आकस्मिक निरी-

Page No. 53

(खाद्य एवं रसद मन्त्री)

क्षण किये गये, इनमें 53 व्यापारियों के विरूद्ध अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई है इनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12) देखें)

सराय फतह मेमोरियल, उदयपुर में आवासों का आवंटन

300. **श्री शम्भुदयाल बड़गूजर (केकड़ी) :** क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सराय फतह मेमोरियल, उदयपुर के कमरा नम्बर 40 एवं 49 विभागीय कर्मचारियों के आवास हेतु ईयर मार्क किया हुआ है, यदि हां, तो किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत 20 वर्षों से उक्त दोनो कमरों को प्रबन्धक ने अपने निजी आवास हेतु काम में लिया है, यदि हां, तो किसके आदेश से ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उक्त दोनों कमरों में गत 5 वर्षों में अब तक कौन-कौन कर्मचारी ठहरा है और कितना-कितना किराया जमा कराया है ? कर्मचारी का नाम, पद, निवास करने का दिनांक पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रबन्धक ने उक्त दोनों कमरों को अपने आवास हेतु काम में भी लिया है और वेतन के साथ मकान किराया भत्ता भी उठाया है ? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित प्रबन्धक से मकान किराया भत्ता या कमरों का किराया वसूल कर उसके विरुद्ध भवन दुरुपयोग एवं पद का दुरुपयोग करने का महाभियोग चलाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। यह कमरे सराय के स्टोर रूम के रूप में काम आ रहे हैं।

(3) जी नहीं।

राज्य में राशन की दुकानें

301. **श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही):** क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राशन की कितनी दुकानें कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में राशन की दुकानों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त है ?

(3) जयपुर शहर में राशन की नई दुकानों के आवंटन हेतु गत दो वर्षों में कितनी बार व कब-कब आवेदन मांगे गए, क्या सभी आवेदकों को दुकानें आवंटित कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 54

(54)

उत्तर

(1) राज्य में राशन की 15020 दुकानें कार्यरत है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के लिये 2000 यूनिट्स पर एक दुकान का मापदण्ड है। राज्य में यह औसत शहरी क्षेत्र में 2337 यूनिट्स पर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3309 यूनिट्स पर एक दुकान कार्यरत है।

(3) जयपुर शहर में राशन की नई दुकानों के आवंटन हेतु गत दो वर्षों में दो बार क्रमशः दिनांक 27-7-1990 व 10-12-1990 को आवेदन मांगे गये। दिनांक 27-7-90 को 67 व दिनांक 10-12-90 को 241 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 88 आवेदन-पत्रों पर दुकानें आवंटित की गई। शेष आवेदन-पत्र अपूर्ण होने से निरस्त किये गये। जिन आवेदन पत्रों पर दुकानें आवंटित की गई व जिन्हें निरस्त किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में नियन्त्रित वस्तुओं के आवंटन का मापदण्ड

302. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रदेश में राशन की दुकानों द्वारा गेहूं, चीनी एवं अन्य नियंत्रित वस्तुओं का आवंटन प्रति व्यक्ति किस मात्रा में, किस दर से, प्रति माह किया जाता है ?

(2) उक्त नियंत्रित वस्तुओं का आवंटन किस मापदण्ड से और किस वर्ष की जन-संख्या को आधार मानकर किया जाता है ?

(3) क्या उक्त नियंत्रित वस्तुओं की आपूर्ति आवश्यकतानुसार की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में मांग अधिक और आपूर्ति कम है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या राजस्थान प्रदेश में वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1990-91 में नियंत्रित वस्तुओं के आवंटन में अनियमिततायें, गड़बड़ी एवं घोटालों की शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्राप्त शिकायतों में से किन-किन का निपटारा किया जा चुका है, कौन से मामले अभी तक लम्बित हैं ? इसमें कब तक निर्णय कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रदेश में राशन की दुकानों के द्वारा गेहूं, चीनी एवं अन्य नियंत्रित वस्तुओं का वितरण प्रतिमाह निम्न प्रकार किया जाता है :—

(खाद्य एवं रसद मन्त्री)

क्र सं.	नाम वस्तु	मात्रा	दर (रुपये में)	
			अन्य क्षेत्रों में	आई. टी. डी. पी. क्षेत्रों में
1.	गेहूं	अधिकतम 10 किलो प्रति यूनिट	2.62	2.09 प्र. कि.
2.	चीनी	अधिकतम 425 ग्राम प्रति यूनिट	6.10	— प्र. कि.
3	केरोसीन तेल	5 से 15 ली. प्रति राशनकार्ड	2.74 से 3.05	— प्र. लि.

(2) उक्त नियन्त्रित वस्तुओं में चीनी वर्ष 1986 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं आवश्यकता एव उपलब्धी के आधार पर वितरण की जाती है।

(3) जी, नहीं। आवश्यक वस्तुओं का आवंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है, जो मांग के अनुरूप कम है, जबकि मांग अधिक रहती है।

(4) राजस्थान प्रदेश में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में नियंत्रित वस्तुओं के आवंटन (वितरण) में अनियमितताओं, गड़बड़ी एवं घोटालों की शिकायतें प्राप्त हुई है, उनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(5) उक्त प्राप्त शिकायतों में 521 का निपटारा किया जा चुका है। 128 मामले अभी लम्बित है। इनकी आवश्यक जांच पड़ताल पूरी होते ही शीघ्र निपटाया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

303. श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सेवागिरों की संभाग/जिले अनुसार वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्षों में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सेवागिरों को कनिष्ठ लिपिक पद

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

पर पदोन्नत किया गया ? सम्भाग/जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कनिष्ट लिपिकों के रिक्त पदों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सेवागिरों को पदोन्नति देकर भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 84

1. श्री बसन्त कुमार सेवागीर, देवस्थान जयपुर एवं

वर्ष 90

2. श्री गोवर्धनलाल शर्मा, सेवागीर, देवस्थान बून्दी को पदोन्नत किया गया।

(3) जी हां। रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को पदोन्नति दी जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले के सरपंचों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मुकदमें

304. **श्री लक्ष्मी नारायण दवे** (सोजत): **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) : क्या मुख्य (भ्रष्टाचार निरोधक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1981 से अब तक पाली जिले की पंचायत समितियों के किन-किन सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा किन-किन धाराओं के तहत कब-कब मुकदमें पंजीबद्ध किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीबद्ध प्रकरण में किन-किन व्यक्तियों की जांच पूर्ण की जा चुकी है एवं किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध अवलोकन अपराधों में अदालत में चालान पेश किये जा चुके हैं ? किस-किस मुकदमें की जांच लम्बित है ? जांच कब तक पूर्ण होगी ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रपत्र "क" में संलग्नानुसार ब्यूरो में वर्ष 1981 में एक, वर्ष 1989 में एक एवं वर्ष 1990 में एक, कुल तीन अपराध पंजीबद्ध हुए। जिनका विवरण परिशिष्ट–"क" में अंकित है।

(2) सम्पूर्ण सूचना परिशिष्ट–"क" में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

सीकर जिले के माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

305. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में जनगणना 1981 की जनसंख्या के

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

आधार पर 3000 (तीन हजार) की जनसंख्या वाले सभी गांवों में माध्यमिक विद्यालय हैं? यदि नहीं, तो क्यों और कितने गांवों में?

(2) क्या स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो किस आधार पर विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसे गांवों की संख्या-8 है जिसमें 1981 की जनगणना के आधार पर 3000 या अधिक जनसंख्या है और वहां पर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों के कारण ऐसे प्रत्येक गांव में स्कूल क्रमोन्नत करना सम्भव नहीं हुआ।

(2) जी हां। उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के आधार पर, विद्यालयों की क्षेत्र की जनसंख्या, छात्रों की संख्या, भवन की स्थिति, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, फीडर विद्यालयों की स्थिति तथा क्षेत्र की मांग आदि पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

अनुदानित विद्यालयों में छात्राओं की ट्यूशन फीस की माफी

306. श्री अमृतलाल परमार (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत छात्राओं की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस माफी के नियम के अन्तर्गत राजकीय अनुदानित विद्यालय आते हैं अथवा नहीं?

(2) क्या यह सही है कि फालना पार्श्वनाथ विद्यालय में छात्राओं से ट्यूशन फीस ली जाती है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में हर वर्ष छात्राओं से चन्दा लिया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा छात्राओं से ट्यूशन फीस वसूल न करने के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं पर लागू होते हैं।

(2) जी हां। राजस्थान शैक्षिक संस्थाएं अनुदान नियम 1963 में प्रावधान है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं अन्य शुल्क की दर सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित दर से कम न होगी।

(3) ऐसी कोई शिकायत विभाग की जानकारी में नहीं है।

शिक्षा विभाग के विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारी

307. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) राजस्थान में विभिन्न विद्यालयों एवं कार्यालयों में पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्या संख्या है तथा उनका वेतनमान क्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय नौकरी करते हुए करीब 8–10 वर्ष हो गये हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित वेतन शृंखला में नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में पार्ट-टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से कोई पद नहीं है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गंगानगर जिले में अध्यापकों की पदोन्नति

308. **श्री रामस्वरूप (रायसिंहनगर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1990 से अब तक गंगानगर जिले में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को पदोन्नति द्वितीय श्रेणी में की गयी, यदि हां, तो कितने अध्यापकों की? इनमें कितने सामान्य वर्ग के, कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों को पदोन्नति दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पदोन्नति में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, कुल 160 अध्यापक द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत किये गये जिनमें 144 सामान्य वर्ग एवं 16 अनुसूचित जाति के थे । अनुसूचित जन जाति का कोई नहीं था ।

(2) जी नहीं । पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची की विचारणीय परिधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के पर्याप्त अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सके ।

(3) कोटा पूर्ण नहीं होने के लिए किसी अधिकारी का दोष नहीं है ।

अलवर जिले में अध्यापकों के स्थानान्तरण

309. **श्री जीतमल जैन (अलवर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) संस्थाएं, अलवर जिले में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिकाएं/सहायक अध्यापक/

(श्री जीतमल जैन)

अध्यापिकाएं दिनांक 31–3–1991 को किस-किस स्थान पर पदस्थापित थे, उस स्थान की स्थिति दर्शाते हुए सूची विवरण सहित, सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) संस्थायें द्वारा माह जुलाई व अगस्त में किये गये स्थानान्तरणों के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आदेशों में सम्मिलित नीति के अधिलंघन में स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के नाम औचित्य सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार को उक्त नीति विरुद्ध स्थानान्तरणों की शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर, के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई अथवा प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जुलाई व अगस्त 1991 में किए गए स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध 51 अपीलें प्राप्त हुई थीं जिनमें 8 को स्वीकार किया गया है एवं शेष निरस्तनीय माने गये हैं।

(4) जी हां, जांच कराई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वरिष्ठ उच्च जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर को यात्रा भत्ते का भुगतान

310. **श्री जीतमल जैन** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती स्वर्णजीत कौर, व. उ. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर ने दिनांक 22-2-1991 को कार्यालय में उपस्थित रहते हुये बीकानेर की यात्रा का यात्रा भत्ता भुगतान प्राप्त किया?

(2) यदि हां, तो क्या इस गम्भीर अनियमितता के लिए राज्य सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, एक दिवस का अधिक उठाया गया दैनिक भत्ता रुपये 24/- मात्र उक्त अधिकारी से आडिट आक्षेप की पालना में वसूल कर राज्य कोष में जमा करवा दिये गये हैं।

अंजुमन मदरसा माध्यमिक विद्यालय मकराना को अनुदान

311. **श्री बिरदाराम चौधरी** (मकराना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री बिरदाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि मकराना कस्बे में अंजुमन मदरसा माध्यमिक विद्यालय नामक शिक्षण संस्थान हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यह संस्था अनुदानित है ? यदि हां, तो कब से एवं कितना सालाना अनुदान मिलता है ?

(3) इस संस्था में कितने छात्र हैं ? कक्षा एवं वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस संस्था को अनुदान छात्रों की संख्या के हिसाब से कम मिलता है ? क्या छात्रों की संख्या देखते हुए सरकार अनुदान बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह संस्था वर्ष 1986-87 से अनुदानित है। संस्था को विगत वर्षों में 60 प्रतिशत की दर से नियमानुसार निम्नांकित अनुदान स्वीकृत किया गया है :

वर्ष	राशि
1986–87	24562/-
1987–88	41284/-
1988–89	50974/-
1989–90	61393/-
1990–91	66200/-

(3) संस्था में वर्तमान में 165 छात्र अध्ययनरत है। वर्षवार छात्र संख्या का ब्यौरा निम्नांकित है :

वर्ष	कक्षा-9	कक्षा-10	कुल
1986–87	60	24	84
1987–88	74	38	112
1988–89	74	64	138
1989–90	78	58	136
1990–91	100	65	165

(4) जी नहीं। अनुदान की राशि की गणना राजस्थान शिक्षण संस्थायें अनुदान नियम 1963 के नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय व्यय का निश्चित प्रतिशत के आधार पर की जाती है। केवल मात्र छात्रों की संख्या ही अनुदान वृद्धि का निर्णयात्मक पहलू नहीं होता।

पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर द्वारा अनियमित स्थानान्तरण

312. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर श्री नियाज बेग मिर्जा द्वारा पदोन्नति पर जाते-जाते किए गए अनियमित स्थानान्तरणों को लेकर शिक्षकों व राजस्थान शिक्षक संघ ने इनके विरुद्ध रोष सहित जांच की मांग मुख्य मंत्री महोदय से उदयपुर प्रवास के समय की थी ? यदि हां, तो क्या तीन दिन में जांच करवाने के निर्देश पर श्री आर. एस. बूब, उपनिदेशक, एस. आई. ई. आर. टी.,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उदयपुर को जांच का कार्य सौंपा था ? यदि हां, तो उस जांच का परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो निर्देश की अवमानना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई ?

(2) जुलाई एवं अगस्त, 1991 में उदयपुर शहर से बाहर वरिष्ठ अध्यापकों, अध्यापक, द्वितीय श्रेणी, अध्यापक तृतीय श्रेणी के कुल कितने स्थानान्तरण निदेशक, उपनिदेशक छात्र व छात्रा, तथा जिला शिक्षा अधिकारी छात्र, छात्रा प्राथमिक शिक्षा द्वारा किये गये । सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उदयपुर शहर में शिक्षा विभाग के कितने विद्यालय व कार्यालय किराये के मकानों में चल रहे हैं तथा कब से हैं ? उनके मकान मालिकों के नाम मासिक किराये सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं, इस शिकायत की जांच का कार्य श्री बी. के. मेहरा, उप निदेशक (योजना) शिक्षा निदेशालय बीकानेर को सौंपा गया है । जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जुलाई-अगस्त, 1991 में उदयपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों एवं उपनिदेशकों द्वारा उदयपुर से बाहर किए गए स्थानान्तरणों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

शिक्षा अधिकारी	व्या.	व.अ.	अ.
उप निदेशक (पुरुष)	6	–	–
उप निदेशक (महिला)	–	–	–
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	–	30	3
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)	–	40	62
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	–	2	62
योग	6	72	127

(3) उदयपुर शहर में किराए के भवनों में चल रहे विद्यालयों एवं कार्यालयों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

शासन सचिवालय में विभिन्न श्रेणी के पदों पर पदोन्नतियां

313. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या मुख्य कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में विभिन्न श्रेणी की, कतिपय श्रेणियों में पदोन्नति, वरिष्ठता कम मैरिट एवं मैरिट में 50:50 के अनुपात में दी जाती है ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के पदों पर एवं किन नियमों के अन्तर्गत ?

(श्री मोहनलाल चौहान)

(2) जिस श्रेणी के पदों में योग्यता कम-मैरिट एवं मैरिट से पदोन्नति देने का प्रावधान है, उन श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति के आरक्षित बिंदुओं को वरिष्ठता कम मैरिट या मैरिट दोनों में किस आधार पर भरा जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पदोन्नति के समय वरिष्ठता कम मैरिट के आधार पर भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों को नियुक्ति कर्ता अधिकारी या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मैरिट के आधार पर पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया जा सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) सचिवालय सेवा के निम्नलिखित पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता कम मेरिट एवं मेरिट 50:50 के अनुपात में दी जाती है :

1. सहायक से अनुभागाधिकारी के पद पर राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 के नियम 11(4) के अन्तर्गत ।

2. वरिष्ठ निजी सहायक से निजी सचिव के पद पर राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 के नियम 11(4) के अन्तर्गत ।

3. सहायक शासन सचिव/निजी सचिव के पद से शासन उप सचिव के पद पर राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 के नियम 11-बी (7) (बी) (11) के अन्तर्गत ।

2. आरक्षण कुल रिक्तियों के आधार पर होता है—योग्यता तथा वरिष्ठता से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अलग-अलग नहीं ।

3. स्थिति मद संख्या-2 पर स्पष्ट कर दी गई ।

तेन्दू पत्ता व्यवसाय से होने वाले घाटे की उच्चस्तरीय जांच

315. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 में तेन्दू पत्ता व्यवसाय से राजकोष में कितना घाटा हुआ, क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई गई है ? यदि हां, तो किससे ? जांच परिणाम क्या रहे ? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस घोटाले में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस सम्पूर्ण प्रकरण में घाटे का उत्तरदायी किसे ठहराया गया है ? पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह कहना सम्भव नहीं है कि कितना घाटा हुआ, क्योंकि प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है । इस प्रकरण की जांच लोकायुक्त द्वारा की गई है । प्रकरण अभी अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है । अतः जांच का

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

परिणाम बताना सम्भव नहीं है। प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) श्री के. के. कोटिया, तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है।

(3) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। अतः घाटे के बारे में व इसके उत्तरदायित्व के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता

315. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी, जिला अजमेर को राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा कब से मान्यता दी गई ?

(2) टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी, जिला अजमेर को राज्य सरकार द्वारा अब तक किन-किन वर्षों में कितना अनुदान दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी में शिक्षार्थियों को प्रवेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत दिया जाता है ? क्या योग्यता सूची को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि, हां, तो सत्र 1986–87 में उक्त महाविद्यालय में प्रवेश में हुई धांधली व अनियमितताओं के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें क्यों चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी, जिला अजमेर को सत्र 1985-86 से महाविद्यालय प्रारम्भ करने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इस महाविद्यालय में सत्र 86–87 में प्रवेश में हुई अनियमितताओं के विरुद्ध प्रवेशार्थियों ने न्यायालय में मुकदमें दर्ज किये थे, जो सभी सत्र 87-88 में ही खारिज हो चुके हैं। सत्र 87-88 से पी. टी. ई. टी. परीक्षा की व्यवस्था हो जाने से संस्थाओं द्वारा की जाने वाली अनियमिततायें समाप्त हो गई।

बालोतरा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

316. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या मुख्य (तकनीकी शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या इसी सत्र से इस केन्द्र को प्रारम्भ किया जा रहा है ? यदि हां, तो अस्थायी प्रबन्ध कहां किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, भवन निर्माण हेतु 49 लाख रुपये राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। पदों के सृजन, मशीनरी एवं साज सामान क्रय की कार्यवाही विभागीय स्तर पर की जा रही है।

(2) जी हां, इसी सत्र में प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भवन की तलाश की जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना में मार्बल उद्योग पर यू. आर. डी. टैक्स लगाने व दोहरी रायल्टी समाप्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य को प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त एक अन्य प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी गई है। अतः इसे स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले के ग्राम देवीकोट की डिस्पैन्सरी के एक डाक्टर के काफी लम्बे समय से वहां पदस्थापित रहने तथाकथित तस्करी में लिप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य को एक अन्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दे दी गई है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं, असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की अधिकांश सड़कों की हालत खराब होने तथा धार्मिक स्थल मेंहन्दीपुर बालाजी पर बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सुमित्रासिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा इन्जीनियरिंग कालेज के कर्मचारियों के लम्बे समय से चल रहे आन्दोलन तथा उन पर पुलिस द्वारा की जा रही दमनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के प्रस्तावकों को उनके द्वारा दिये प्रस्ताव पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसमें मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका ही तो बोल रहा हूं। यह दुर्भाग्य है कि मैं बोल रहा हूं और आप उसका काग्निजेन्स ही नहीं ले रही हैं।

ऐसा है, माननीय सदस्य, आज मैंने लगभग 16-17 एडजोर्नमेण्ट मोशन्स पर बोलने की आपको अनुमति दी है। उनकी सूची तैयार हो रही है। दो का मैंने आपको बता दिया है और बाकी सब खारिज कर दिए गए हैं। और 17 की सूची आते ही

(श्री अध्यक्ष)

आपको बता दूंगा। उसके पहले 295 की व्यवस्था मैं आपको सुना रहा हूं। 17 की है, 2 के मैंने नाम बता दिए हैं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा व जोधपुर नगर परिषद् के क्षेत्रों में कब्रिस्तानों की भूमि को हड़पने से अल्पसंख्यकों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में बिजली की समस्या, विद्युत कनेक्शन व ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के रुपनगढ़ थाने में मुकदमा नम्बर 19/89 पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने तथा राज्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के तीन प्रशिक्षण विद्यालयों को मान्यता देते हुए संस्कृत प्रशिक्षण की वर्ष 1990-91 की स्थिति कायम रखने के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रकाश बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माउंट आबू सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय की नवीं कक्षा की छात्रा द्वारा वहां के अध्यापकों के जुल्म के कारण आत्म-हत्या किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिला मुख्यालय पर पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर भारी अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(8) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवन्तपुरा क्षेत्र के पांच बांध अतिवृष्टि से टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के पंचपहाड़ कस्बे के राममन्दिर में दिनांक 12 सितम्बर की रात्रि को हुई चोरी से वहां की जनता में व्याप्त असंतोष की स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के झांझरी बांध के अधूरे कार्य को पूरा नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा बाकी बचे हुए कई माननीय सदस्यों के दो-दो भी हैं या रिपीट हो गए हैं उनके बारे में व्यवस्था यह है:–

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में प्रधाना-चार्य व अध्यापकों की कमी तथा नये विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(12) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(13) श्री निर्भयलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से समाज कल्याण विभाग, जयपुर की जीप चोरी होने व श्री नारायण-सिंह, उपनिदेशक के कथित भ्रष्ट कारनामों के सम्बन्ध में।

(14) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुखाड़िया विश्व-विद्यालय, उदयपुर में सहायक प्रोफेसर (भूगोल) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर सामान्य वर्ग से की गई कथित गैर कानूनी नियुक्ति के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के कई गांवों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मौहल्लों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(16) श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नावां तहसील क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(17) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना विधान सभा क्षेत्र में पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़, कोटा जिले से गाय बछड़े खरीद कर वध करने हेतु ले जाने पर रोक के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेनाल के भव्य शिव मंदिर व इसके आस-पास अन्य दर्श-नीय स्थलों के विकास की योजना बनाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में।

(21) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में।

(22) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेरोजगार सिविल अभियन्ताओं द्वारा आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि नियम 295 के तहत उप-रोक्त प्रस्ताव पढ़े हुए माने जायेंगे।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

उनके उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। इसके पहले जब तक वह लिस्ट आये मैं श्री रामस्वरूप मीणा को पुकारता हूं। (व्यव-धान)

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री ईश्वरलाल सैनी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, एक प्रस्ताव है....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पाइंट ग्राफ इन्फोर्मेशन ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका ग्रा रहा है। उसमें दो मिनिट बोलने का प्रस्ताव है।

श्री गुलाबसिंह राज पुरोहित : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि जवाई बांध को ग्रौर हेमावास बांध में कम मात्रा में पानी ग्राने ग्रौर काश्तकारों को कम पानी दिये जाने से वहां के काश्तकार ग्रान्दोलन की तैयारी कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कल हो गया ग्रापका। एक-एक बोलेंगे तो सुन लूंगा। श्री रमाकान्तजी ग्राप बैठिए, माननीय सदस्य सहयोग करें। श्री रमाकान्त जी बोल रहे हैं। एक-एक बोलें। पहले श्री रमाकान्तजी बोल रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : ग्रध्यक्ष महोदय, 6-9-91 को मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ग्रापके सामने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था ग्रौर ग्रापके चेम्बर में प्रतिदिन निवेदन करता हूं। यह मामला ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जनजाति के लोगों की जमीन का है। जिस पर पहले ग्रलवर के महाराजा ने कब्जा कर लिया ग्रौर उसके बाद ग्राज वहां के प्रभावशाली लोग कब्जा कर रहे हैं। वहां तनाव की स्थिति है, प्रभावशाली लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं ग्रौर ग्रनुसूचित जातिजन जाति के लोग जमीन पर खड़े हुए हैं बहुत तनाव की स्थिति है उस पर मुझे बोलने का ग्रवसर दीजिए।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिना बोले हुए ही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप सदन के बाहर ग्रा जाय। जो भी व्यवस्था चाहते हैं मैं कर दूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास....(व्यवधान। एक-एक को बुला रहा हूं।....(व्यवधान)। इनके ऊपर बोलेंगे ? एक-एक को बुला रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा 119 का जो मोशन था। प्रदेश में कान्स्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो गयी। यह मोशन परसों दिया था, कल ग्रापने फरमाया था कि मैं इसको एग्जामिन करा रहा हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे नियमों से ग्रलग हटकर प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के ग्रध्यक्ष होने के नाते यह देखना ग्रापका कर्तव्य है कि गोया राजस्थान की सरकार संविधान के प्रावधानों ग्रौर भावनाग्रों के ग्रनुसार चल रही है या नहीं ग्रौर जिस प्रकार से परसों यहां पर पूरी चर्चा हुई, जवाब नहीं ग्राया। ग्राखिर यह स्थिति तो क्लियर नहीं होगी। ग्रध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं होता है कि मेरे क्षेत्र के हैं, मुझ से रंजिश रखते हैं। जवाब यह है कि होम मिनिस्टर ने ग्रपनी फाइल के फैक्ट्स....

श्री अध्यक्ष : अब आप इसमें नहीं कहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक निवेदन करूं। प्रश्न यह है कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कान्स्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो गयी है। चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों की जिम्मेदारी तय करें आप।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में मैंने आपको कल भी कहा था कि नियम संख्या 119 के परन्तुक को, प्रोविजन को देखिए। मैंने देखा है। उसी सेशन में जिस विषय पर वाद विवाद हो चुका है। उसी विषय पर 119 नहीं लाया जा सकता है। आप देख लीजिए। इसके सम्बन्ध में आप मेरे से डिसकस कर लीजिए। अभी जाते ही इसको मैं देखूंगा। मैंने इसको टेबल पर रखा है, अभी व्यवस्था कर दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन जिलेलाव पर तीन बार तीन दिन तक चर्चा हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप विषय की गम्भीरता को समझने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : मैं कर रहा हूं। परन्तुक के बारे में डिस्कशन करना है। टेबल पर रखा है। अभी समय कम था। रात को तीन बज गये थे। सुबह देर से आये हैं। समय नहीं मिला।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप फाइल मंगा लें। ...

श्री अध्यक्ष : मैं फाइल मंगा लूंगा। यह मान लेता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप फाइल मंगा ले, आप इस मामले की जांच कर लें। विधान सभा का सत्र अब फरवरी में होगा....

श्री अध्यक्ष : नहीं उससे, पहले होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह प्रश्न आपके पास रहेगा। इसका परिणाम आना चाहिए होम मिनिस्टर ने गलती की है या सी. एम. ने गलती की है तो वह आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने मान ली आपकी बात। फाइल मंगा लूंगा। जांच करा लूंगा सब करा लूंगा। श्री पारीक सहाब आप बोलिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, फाइल आपको दे दूंगा, मैं लाया हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री पारीक साहब बोल रहे हैं। पहले भी इनको बैठा दिया था।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : एक सेकेण्ड लूंगा उसी पाइंट पर है। वह दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए, पारीक साहब। नहीं बोल रहे? बिराजें। बोलिए, बोलिए आप, आप बोलिए, बोलिए।....(व्यवधान) वह मना नहीं करेंगे। अब मत बढ़ना। आप बोलिए। बोलिए आप आप बोलना नहीं चाहते। आप बोलिए। श्री हेतरामजी आप, बोलिए।

(श्री ग्रध्यक्ष)

यह बोलना नहीं चाहते हैं । मैं ग्रापको चार बार समय दे चुका हूं । ग्रब बैठिये ग्राप । यह कोई मतलब नहीं है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : पाइंट ग्राफ इन्फोर्मेशन है । मैं बोल रहा हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने ग्राज से दो दिन पहले गंगानगर जिले का सबसे बड़ा उद्योग बंद है, चार महीने से हड़ताल हो रही है । इस समस्या पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था । चार हजार मजदूर पिछले साढ़े तीन महीने से हड़ताल पर हैं । पूरी तरह से कामकाज ठप्प है । मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर न राज्य सरकार की ग्रोर से जवाब ग्राया है न ग्रापने सूचना दी है ग्रौर न ग्रापने व्यवस्था दी है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप व्यवस्था देख लेंगे तो शायद उसमें ग्रापका नाम है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हेतरामजी ने जिस बात को कहा है । उन्होंने परसों कहा था । परसों लेबर यूनियन के प्रतिनिधि ग्राये थे । किसी कारण से श्री हेतरामजी से सम्पर्क नहीं हो सका । मैंने कल भी निवेदन किया था कि विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होते ही मैं उनके साथ बैठकर ही समस्या का समाधान करना चाहूंगा । ग्राप जानते हैं कल तीन बजे यहां से गये हैं ग्रौर तीन बजे जाकर ग्रभी ग्राये हैं तो ग्राप यहां उठायें तो ग्रापकी मर्जी की बात है । मैं इसको रोकना नहीं चाहता लेकिन कल बैठ जायेंगे, चर्चा कर लेंगे ग्रौर इस पर निर्णय कर लेंगे ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह । एक एक को बुला रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पाइंट ग्राफ इन्फोर्मेशन ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप तो बोलना नहीं चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं बोल रहा हूं ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज से 33 साल पहले मेरे यहां नेशनल हाइवे में जमीन गयी थी । मैंने कई दफा सदन में प्रस्ताव दिया है, ग्रब के भी दिया है लेकिन 33 साल से उस नेशनल हाइवे की जमीन का....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका एक एडजोर्नमेंण्ट मोशन लगा है जिस पर बोलने की इजाजत दी गयी है । नाम सुन लीजिए । जिनको इजाजत दी गयी है, उनके नाम सुन लीजिए । एक से 12 तक हैं । दो के नाम पहले बता चुका हूं ।

(1) श्री कमलेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण से कर्मचारियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में । दो-दो मिनिट के लिए जिनको इजाजत दी है उनके नाम हैं ।

(2) श्री प्रभुदयाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सवाई माधोपुर

Page No. 70

(70)

(श्री ग्रध्यक्ष)

जिले के सर्पोटरा ग्रौर करोली तहसील में भेड़ व ऊंट की चराई के सम्बन्ध में परमीट दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ग्रमीन खां, सदस्य, विधान सभा से जैसलमेर जिले के ग्राम गजसिंह में ग्रनुसूचित जाति के लोगों पर ग्रसामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे ग्रत्याचार के सम्बन्ध में।

(4) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से गंगानगर के कपड़ा उद्योग के बंद होने ग्रौर मजदूरों के संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। इसी की बात ग्राप कह रहे थे।

(5) श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से प्रवासी राजस्थानिग्रों पर ग्रासाम में उल्फा उग्रवादियों द्वारा तथा महाराष्ट्र में गुण्डा तत्वों द्वारा उन्हें लूटे जाने व ग्रपहरण एवं हत्या किये जाने के संबंध में।

(6) श्री दलजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से सरमथुरा (धौलपुर) में 1-9-91 को कुएं पर नहाने गये एक महाजन श्री रोशनलाल की डकैतों द्वारा पीट-पीट कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से मीणा समाज के भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं उच्च श्रेणी के ग्रधिकारी कर्मचारियों द्वारा पूर्व विवाहित पत्नी को छोड़कर दूसरी शिक्षित महिलाग्रों से दूसरा विवाह कर लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोपालसिंह खण्डेला, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सीकर जिले के पुलिस थाना थोई के ग्रन्तर्गत झाड़ली गांव में गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे को लेकर 26-8-91 की श्री भूदाराम की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सदर थाना भीलवाड़ा में श्रीमती एजन की दिनांक 13-8-91 को मृत्यु की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से कोटपूतली उपखण्ड मुख्यालय पर ए. डी. जे. कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से नगर पालिका बूंदी के ग्रधिशाषी ग्रधिकारी श्री मूलचन्द शर्मा के विरुद्ध कथित ग्रनियमितताग्रों व भ्रष्टाचार के ग्रारोप होने के सम्बन्ध में।

तीन ग्रौर ग्राये हैं। एक श्री ईश्वर लाल सैनी, जिस पर ग्रापको बोलने के लिए कहा गया था, भूतपूर्व एम. एल. ए की मृत्यु के सम्बन्ध में। श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद, चिकित्सा के सम्बन्ध में। इनको दो-दो मिनट बोलने की इजाजत दी जाती है।

श्री जुबेर खां : वह है नहीं, आपको जिसके लिए मैंने कल कहा था उसके लिए इजाजत दी जाती है।

18 लोग हो गये। इसमें आप पाइन्ट-पाइन्ट करते रहेंगे और बोलेंगे तो टाइम नहीं रहेगा। देखिये आप अपना टाइम किल कर रहे हैं। It is your time now. जितना टाइम लोगे, आर. एस. ई. बी. पर बहस का समय कम हो जायेगा। इसलिए प्लीज मेरा निवेदन है। Please don't insist any Thing now.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय मैंने तिलम संघ के बारे में इस सदन में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह श्री रामस्वरूप जी को माइक नहीं दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तिलम संघ का मैंने प्रस्ताव दिया है। चर्चा के लिए श्री मीठालाल मेहता....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूप जी को माइक दिलवाओ नहीं तो चान्स खो देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप उस पर आज चर्चा क्यों नहीं चलाते हैं। आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को मुख्य मन्त्रीजी बहुत जोर शोर से सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी विचित्र परिस्थिति क्या है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह। (अनुपस्थित) श्री कमलेन्द्र सिंह (अनुपस्थित) श्री प्रभुदयाल पटेल। (व्यवधान) पंचम स्वर का प्रयोग करिये जो रोज करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सवाई माधोपुर, जहां पर चार हिन्दुस्तान के धार्मिक स्थान हैं....(व्यवधान)।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। हमने यहां दो-तीन मन्त्रियों के खिलाफ सैन्सर मोशन दे रखा है, तिलम संघ के बारे में दे रखा है।

1. आप उनकी जानकारी तो बताओ आपने क्या व्यवस्था दी है? आज विधान सभा का अन्तिम दिन है। अध्यक्ष महोदय, हमने सवाल उठाये हैं उनके बारे में आप व्यवस्था तो दें।

श्री अध्यक्ष : जिसको मैंने अलाऊ नहीं किया उसका नोट नहीं किया जाय। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 72

(72)

श्री रामस्वरूप मीणा : ....केला देवी हो जहां पर हिण्डौन से आने वाले यात्री और दूसरे जिलों से आने वाले यात्री, हिन्दुस्तान भर के यात्री जहां पर आते हैं लेकिन वहां सड़क की हालत यह हो गयी है कि दो वाहन निकल नहीं सकते, खड्डे हो रहे हैं उसके अन्दर। माननीय मंत्री महोदय आप इन सड़कों की हालत ठीक करें। ऐसे ही रणथम्भौर के लिए चाहे महुआ से जो सड़क जोड़ती है वहां तथा चाहे वह हिण्डौन से जाने वाली है, चाहे वह टोडाभीम से सवाई माधोपुर जाती है नादौती होती हुई उस सड़क की हालत बहुत खराब है।

2. सड़क पर वाहन नहीं चल सकते यह हालात हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हिन्दुस्तान का महा तीर्थस्थान, रणथम्भौर जहां देश के प्रधान मंत्री आकर ठहरते हैं, पर्यटक जहां पर आते हैं उसकी सड़कों की यह हालत हो आये दिन एक्सीडेन्ट हो।

3. जाने के लिये मन नहीं करता जहां सड़कों पर एक घंटा जाने के लिए लगना चाहिए वहां चार-चार घंटे लग जाते हैं, गाड़ियों को चलने में लग जाते हैं। उनका अमूल्य समय खराब होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे धार्मिक-स्थान जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, उन स्थानों की सड़कों की व्यवस्था ठीक की जाये। इसके साथ-साथ मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर जितनी लिंक रोड़ हैं काली मिट्टी डाल कर छोड़ दिया है चाहे वह खेतड़ी–सड़क हो, चाहे वह साकेडा सड़क हो, चाहे वह गुलाबपुरा सड़क हो।

4. दूसरी जितनी भी लिंक रोड है उन सब पर मिट्टी डाली हुई है, बड़े-बड़े पत्थर डले हुये हैं आप कृपया उनको पूरा करवा दें ताकि काम आ सके। एक महत्वपूर्ण बात मेंहदीपुर के बालाजी के बाईपास के बारे में मेरी विवेचना है। पिछली बार भी मैंने विधान सभा में रखा था अब बाई पास न होने की वजह से"" ।

श्री रामकरण सिंह : आॅन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि किसानों की जमीन 33 वर्ष से....

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन लगा दिया। एक दिन में दो नहीं लग सकते हैं।

श्री रामकरण सिंह : मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने इसके लिए बार-बार लिख कर दिया। केवल एक एडजोर्नमेंट मोशन लगाया मैं केवल सूचना दे रहा हूं। कोई बहस नहीं कर रहा हूं। इन्फार्मेशन दे रहा हूं कि या तो किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाया जाय वरना वह जमीन जो नेशनल हाईवे में है, नेशनल हाईवे को अस्ट. भस्त करेंगे। यह बात, 33 सालों से बराबर किसानों को""

श्री अध्यक्ष : चेतावनी भी दे दी, इनफार्मेशन भी दे दी दोनों बातें हो गई।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेंहदीपुर बालाजी के बाई पास के बारे में कहना चाहता हूं कि मन्दिर के आगे से रोड निकलती है। तीन-चार एक्सीडेन्ट हो गये, यात्रियों के बच्चे मर गये, पिछली बार भी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मैंने आपसे निवेदन किया था कि महान धार्मिक स्थान जो हिन्दुस्तान का है मेंहदीपुर के बालाजी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जुबेर खां। गोविन्दगढ़ में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 1987 में राज्य सरकार ने एक आर. आर. कालेज अलवर के वाइस प्रिंसीपल को नियुक्त किया था। जनता के मांग-पत्र के आधार पर देखें कि वहां महाविद्यालय खोला जा सकता है अथवा नहीं खोला जा सकता। जो पांच क्राइटेरिया राजस्थान सरकार ने फिक्स किये हैं कि अगल-बगल में कोई राजकीय महाविद्यालय या प्राइवेट महाविद्यालय भी 30 किलोमीटर तक की दूरी पर नहीं होना चाहिए एक समुचित भवन होना चाहिए, कम-से-कम क्षेत्र में चार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होने चाहिए और भौगोलिक दृष्टि से वह क्षेत्र उपयुक्त होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन्हें प्रभारी बनाया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने यह साफ कहा है कि सारी बातों का अध्ययन करके समस्त बातों को देखते हुए मैं यह अनुशंसा करता हूं कि गोविन्दगढ़ में महाविद्यालय खोला जाय और उसके बाद में भी दुबारा टीम गई है उसने भी सर्वे किया है। पिछली बार भी विधान सभा में मैंने मसला उठाया था। अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में 11 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल पड़ती हैं और 1100 से ऊपर लड़के 11वीं और 12वीं क्लासों में पढ़ते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उस क्षेत्र के विकास को देखते हुए, भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, तमाम कस्बों को मद्दे नजर रखते हुए, मुख्य मंत्रीजी जो 5 महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं।

(12.40 म.प.)

(श्री रमाकान्त, सभापति, पदासीन)

और मुख्य मंत्रीजी ने अपने रिप्लाई में एक बात कही थी कि कोई राजनैतिक आधार पर पक्षपात नहीं करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास हो, हर जिले का विकास हो। अगर यह महाविद्यालय तमाम शर्तों को पूरा करने के बाद भी नहीं खोला जाता है तो यह साफ लगेगा कि राजनीतिक आधार पर यहां कालेज नहीं खोला गया है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार 5 कालेज खोले जाने हैं और उनमें आवश्यक क्राइटेरिया पूरा करते हुए और एक सिफारिश यहां आई है, लेटेस्ट अभी आई है कि वहां महाविद्यालय खोलने के लिए पूरे मापदण्ड हैं? क्या मंत्री महोदय, इस साल 5 महाविद्यालय जो खोलने जा रहे हैं उसमें गोविन्दगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय खोलेंगे या नहीं? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : गोविन्दगढ़ का मामला विचाराधीन है और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि कालेज खोलने के मामले में राजनीति कहीं भी बीच में नहीं आयेगी।

श्री जुबेर खां : अगर आधार ठीक है तो मुख्य मंत्रीजी खोलेंगे ?

श्री सभापति : जवाब आ गया है, बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर क्राइटेरिया में आता हैं निश्चित रूप से खुलेगा।

श्री जुबेर खां : धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय सहित प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में हो रही अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और अनदेखी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी कृपया ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं झुंझुनूं के भगवानदास खेतान अस्पताल की चार दीवारी जो पिछले 18 वर्षों से नहीं थी उसको बनाने के लिए चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन मंत्री महोदय फायदा उसकी चार दीवारी बनाने से या आलीशान कमरे बनाने से नहीं मिलता। अन्दर रोगियों के निदान और उपचार की सुचारू व्यवस्था हो। आज भी वहां स्थिति यह है कि मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि कई डाक्टर अस्पताल में अपने कक्ष में रोगी को देखने की फीस लेते हैं। एक पैसे की दवाई अस्पताल से नहीं दी जाती। लाखों रुपये का बजट दवाओं की खरीद के लिए होता है लेकिन उसके बावजूद भी काटन और पट्टी तक भी वहां से वितरण करने की व्यवस्था नहीं है, उसको बाजार से खरीदकर लानी पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि अस्पतालों की अव्यवस्था के संबंध में यदि कोई भी पोस्ट कार्ड से सूचना देगा तो उसका तुरन्त इलाज किया जायेगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने कई बार चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा विभाग के सचिव को शिकायत की कि जैसलमेर के देवीकोट गांव में एक डाक्टर श्री वी. पी. सिंह पिछले काफी लम्बे अर्से से वहां है। सभापति महोदय, यह बात कहते हुए हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि उन डाक्टर साहब की स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बुढ़ी औरत या कोई बच्चा इलाज कराने आता है तो उसको दवाई पीने की, खाने की या गोली दे देते हैं। अगर कोई महिला आये और उसमें भी खास करके जवान महिला हो तो कहते हैं तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, तुम्हारा ऑपरेशन होगा और कई मामले ऐसे हैं जिनमें उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार किया है और सरकार को लिखित में माननीय सदस्य ने दे दिया कई-कई बार दे दिया उसके बावजूद भी उसको वहां से

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सस्पेंड करने या और कुछ करने की बजाय उसको वहां से हटाया तक नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आज से 2 महीने पहले सवाईमाधोपुर के सिविल हास्पिटल से एक नवजात शिशु को एक कुत्ता उठाकर ले गया। बड़ी मुश्किल से लोग उसका पीछा किया उसके बाद जाकर उसको छुड़ाया। जयपुर के अस्पताल में हमारे माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का आपने सुना होगा कि एक महिला जो उनके निर्वाचन क्षेत्र की थी वह दुर्घटना में घायल हो गई। उनको जब सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्वयं माननीय विधायक लेकर गए और आपातकालीन कक्ष में उन्होंने डाक्टर से कहा कि इसको स्ट्रेचर पर ले जाइये। डेढ़-घण्टे तक स्ट्रेचर सुलभ नहीं करा पाये और वो महिला वहां पर अटकती रही। आखिर यह हुआ कि उसको गोद में बिठाकर ले जा रहे थे तो वजन ज्यादा था गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि रवीन्द्र नाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर के प्रभारी एवं जनरल अस्पताल के नियंत्रक, बाल रोग विशेषज्ञ डा. बी. भण्डारी के विरुद्ध राजकीय अन्वेषण ब्यूरो, उदयपुर द्वारा पोस्ट ग्रेज्युएट एम. डी. (पेडिएट्रिक्स) में दवा तथा उपकरणों की खरीद के मामले में काफी अनियमितताओं की शिकायत की गई हैं लेकिन आज तक....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, एक-दो मिनट का समय और दें। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय सभापति महोदय, बेरोजगार नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया। 31. 8. 90 को....

श्री सभापति : आपका स्थगन प्रस्ताव केवल अस्पतालों के सम्बन्ध में है। कृपया यहीं तक सीमित रहे और जल्दी समाप्त करें। अभी 17 सदस्यों को बोलना है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर अस्पतालों में ही लगाए जाते हैं स्कूलों में तो लगाये नहीं जाते। चिकित्सा विभाग में हो रही अनियमितताओं की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, बेरोजगारों की बात बोल रहे थे आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री को जिनकी अनुपस्थिति में मैं इनको झुंझुनू के अस्पताल की चार दीवारी बनाने के लिए धन्यवाद दे चुका हूं। मैंने पहले भी कहा मुझे इनके कर्म, वाणी और आचरण पर काफी विश्वास और भरोसा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जून से जुलाई, 89 से 2 महीने के अंदर बिना कोई वेकेन्सी निकले गरीब बेरोजगार नौजवानों से 15-15, 20-20 हजार रुपये लेकर फोर्थ क्लास के एपॉइन्टमेंट किए गए। गुलाबसिंह राठौड़ जयपुर में सी. एम. एण्ड एच. ओ. थे। इन्होंने 6-6-89 से लेकर 7-7-90 के बीच में करीब 130 फोर्थ क्लास को

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

लगाया । माननीय सभापति महोदय, जबकि कोई वेकेन्सी नहीं थी। ये लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने स्टे दिया, उनको टर्मिनेट किया। एक दिन पहले उनको हटा रहे हैं ग्रौर दूसरे दिन 300 व्यक्तियों को पार्ट टाइम पुनः रख रहे हैं ग्रौर इसी तरह से 31. 8. 90 को 300 पार्ट टाइम को भी हटा दिया गया ग्रौर 14-11-90 को फिर 70 लोगों को डी. बी. के फैसले से हटाया ग्रौर 30-11-90 को 130 लोगों को पुनः रख लिया। इसी तरीके के करीब 40 लाख रुपये इन गरीब बेरोजगार लोगों से जो गांवों से ग्राते थे इनसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रधिकारी ने घूस के रूप में वसूल किए।

माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि चिकित्सा विभाग में व्यवस्था के सुधार के लिए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं जानता हूं 40 साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था है इसको बहुत कम समय में नहीं सुधारा जा सकता है लेकिन जितना सुधार ग्रौर ग्रपेक्षाएं ग्रापसे थीं, ग्राप ग्रधिक तीव्र गति से ग्राज ग्रस्पतालों में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, डाक्टर जाते ही नहीं हैं ड्यूटी पर। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्रौर जिले में भी कई ग्रस्पताल ऐसे हैं जिनमें महीने-महीने तक डाक्टर नहीं ग्राते।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यदि जाते भी हैं तो वहां दवाइयां नहीं है। जो उपकरण हैं वे उपकरण खराब पड़े हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे। मैंने ग्रापको यह कहा कि डाक्टर मरीजों के साथ बलात्कार करे, छेड़छाड़ करें....

श्री सभापति : ग्राप ग्रब रिपीट कर रहे हैं, सारी बातें ग्रा चुकी हैं ध्यान में।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं ग्रापको यही कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैंने कल भी एक बात कही थी कि एक तो जो योग्यता प्रमाण-पत्र जिनके पास नहीं हैं, जिनका पंजीयन नहीं है ग्रौर वह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्राप पूरे प्रदेश में सर्वे करवाएं ग्रौर सर्वे कराके जो ऐसे लोग हैं जिनके पास मेडिकल प्रेक्टिस का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही करें ग्रौर जिन डाक्टरों को पिछले एक वर्ष या डेढ़ वर्ष से वेतन नहीं मिला उनको वेतन दिलाने की व्यवस्था भी करायें ताकि डाक्टर सही काम करें। प्राइवेट प्रेक्टिस पर ग्राप पाबन्दी लगा सकते हैं तो लगायें। ग्राज तो स्थिति यह है कि ग्रस्पताल में ग्रपने कक्ष में बैठे हुए रिश्वत ली जा रही है। इसलिए इन सारी चीजों की तरफ मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित कराकर यह ग्रपेक्षा करता हूं कि इन व्यवस्थाग्रों में सुधार करें।

श्री सभापति : माननीय श्री ईश्वर लाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, रामधन जी मीणा जो पिछली विधान सभा में राजगढ़ (ग्रलवर) से सदस्य थे जिनका ग्रभी 10 तारीख को

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

विधान सभा में सदन की ओर से संवेदना व्यक्त की गई है उनकी मृत्यु डाक्टर की गलती से हुई। सभापति महोदय, 30-7-91 को उनको राजगढ़ से रेफर करके अलवर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी उचित देखभाल नहीं हुई, इन्टेंसिव केयर यूनिट में उनको रखा नहीं गया। उनका बड़ा लड़का जगदीश उनके साथ था।

यही नहीं, चूंकि आजकल अस्पतालों का समय बदल गया है, दो बजे छुट्टी होने के बाद जूनियर स्पेशलिस्ट श्री डा. दीक्षित दूसरे दिन आठ बजे देखने आया। इसका जवाब आया सरकार की ओर से, मैंने उस जवाब का अवलोकन किया है, वह जवाब बिल्कुल निराधार है।

मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि जब उनकी रात भर तबियत खराब होती रही, एक के बाद एक हार्ट अटैक होते रहे, सुबह डॉक्टर दीक्षित, जो जनरल अस्पताल, अलवर में जूनियर स्पेशलिस्ट हैं, वह आये और उनके लड़के को कहा कि यहां यह ठीक नहीं हो सकते इन्हें जयपुर ले जाइए, इनकी हालत खराब होती जा रही है। लड़का समझता नहीं था, बदस्तूर एक के बाद एक हार्ट अटैक हो रहे हैं तो ऐसे मरीज को उस वक्त क्या डाक्टर साहब का जयपुर अस्पताल में रेफर करना उचित था? यह एक बात।

दूसरा यह था कि क्या अपने सीनियर डॉक्टर्स जिनमें पी. एम. ओ. भी था और उनसे सीनियर भी थे, उनको कॉल पर बुलाकर उनसे बातचीत भी की जा सकती थी, वह भी नहीं की और रेफर कर दिया। लड़के ने समझा, ठीक है साहब, भेज दो; क्या पता उसको, वह क्या समझता था। वह कोई टेक्नीकल डाक्टर तो था नहीं। उन्होंने सीधे-सादे कह दिया कि हम गाड़ी ले आते हैं तो कहा कि नहीं, हम आपको एम्बुलेन्स यहां से उपलब्ध करायेंगे। सुबह आठ बजे की बात है और एक बजे उनको एम्बुलेन्स दी। हार्ट अटैक बदस्तूर हो रहे थे, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि जिस हालत में उनको जयपुर रेफर किया जाता। हुआ यह कि ज्योंहि वह शाहपुरा के पास आए, उनकी हालत खराब हो गई। डाक्टर आगे बैठा था, आगे की सीट पर, उसको इसलिए बुलाया था कि हालत खराब हो रही है, सुई जो उसको लगा रखी थी जिसकी भी, चाहे ब्लड की, कोई भी हो, वह बराबर निकल रही थी, आउट हो रही थी, उसके बाद डॉक्टर पीछे नहीं आया। यह सही बात उसके लड़के ने जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई उसमें दर्ज की हुई है। यही नहीं, ज्योंहि वह आमेर के पास आये, उनका निधन हो गया। वापस चले गये। उनके लड़के लेकर गांव चले गए। दाह संस्कार हो चुका, उसके बीच में यह आये थे, एक एप्लीकेशन लिखी। उनके बड़े लड़के को यह भी पता नहीं था कि एफ. आई. आर. किस प्रकार दर्ज होती है। यह घटना 31 की है, मैं दिल्ली था, दो तारीख को आया तो मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति दी और मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा। उन्होंने क्या कार्यवाही, की वह मैंने देखी जरूर है लेकिन जैसा उस कार्यवाही में लिखा है कि उन्होंने सस्पेंशन किया है।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बड़े लड़के बिजी हो गये थे और वहां से निवृतहोकर आवे तो उन्होंने तारीख 13.8 को, जगदीश प्रसाद जी ने कोतवाली में एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई। मजे की बात यह है कि डाक्टर को यह पता था कि ऐसी भयानक बीमारी पर हार्ट अटैक है, उसको जयपुर रेफर कर दिया। सीधी सी बात उनको पता थी कि रास्ते में उनकी मौत हो जायेगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब सस्पेंशन कर दिया है, इसका मतलब जांच होगी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सस्पेंशन नहीं किया, यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। अब एक बात सुन लें, सस्पेंशन नहीं किया है, ट्रांसफर किया है, सॉरी, मैं गलती से बोल गया उनका सस्पेंशन।

श्री सभापति : अच्छा!

श्री ईश्वरलाल सैनी : तो इसमें मेरा निवेदन है कि उसको यह पता था कि मेरे यहां से बला टल जाए इसलिए उनको जयपुर रेफर कर दिया और उनकी मौत हो गई। यह एफ. आई. आर. में लड़के ने दर्ज कराया है। लड़के ने ढाई पेज की एफ. आई. आर. दी है....

श्री सभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो मिनट का समय है, आप चार मिनट और भी ले चुके।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह ऐसा मामला है, एस. टी. के एम. एल. ए का मामला है, जो पिछली विधान सभा में ही थे इसलिए दो मिनट की बात नहीं है। अगर इसमें आधा मिनट ज्यादा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : कोई बात नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं इसमें यह बताना चाहता हूं उसको यह पता था कि रास्ते में इसकी निश्चित मृत्यु है ऐसी हालत में। मैंने दूसरे डाक्टर को बुलवाया, पूछा था तो कहा कि पता नहीं, इन्होंने कैसे रेफर कर दिया, हम होते तो कभी नहीं करते। एक दफा बाबू शोभारामजी बीमार हो गये थे, रेफरेंस बता रहा हूं, अलवर में, वह एम.एल.ए. थे....

श्री सभापति : सीमित रहिए। आप इसी प्रश्न पर सीमित रहिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं इसी रेफरेंस पर बोल रहा हूं....

श्री रामनारायण वर्मा : यह एक विधायक का मामला है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : विधायक का मामला है। उनको हार्ट अटैक हो रहे थे, उनके घर वाले चाहते थे कि हम जयपुर ले जाएं लेकिन डाक्टरों ने मना कर दिया कि इस हालत में इनको रेफर नहीं करेंगे। हालत यह थी कि मुख्य मंत्री, श्री माथुर साहब थे, उनसे वहीं मिलने गए। यह भी हो सकता था, अगर उनको पता था कि इनकी हालत खराब होती जा रही है तो जयपुर से भी डाक्टर बुलाये जा सकते थे स्पेशलिस्ट और उनका वहीं इलाज होता।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज कराई, वह एफ. आई. आर. भी धारा 304(ए) में दर्ज की है यानि एक्सीडेंट। क्या उनका रास्ते में किसी बस ट्रक से एक्सीडेंड हो गया था, उनकी एम्बुलेन्स का? नहीं। वह 304 में जो कल्पेबिल होमीसाइड नोट अमेन्टिंग मर्डर केस दर्ज होना चाहिए, यह मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको देखिए। जो एफ. आई. आर. इन्होंने दर्ज कराई है उसमें स्पष्ट डाक्टर को दोषी बताया है। मेरा स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस पर आप कार्यवाही करिए क्योंकि यह डाक्टर की भयंकर गलती है। मेरे से पहले माहिर साहब ने आपको जो यहां के अस्पतालों का विवरण दिया है वह सही बात है। डाक्टर साहब अगर चाहते तो अपने सीनियर्स से ओपिनियन ले सकते थे, यहां से डाक्टर बुला सकते थे लेकिन उन्होंने एक भूतपूर्व एम. एल. ए. की कोई कीमत नहीं समझी, वैसे भी भूतपूर्व एम. एल. ए. एस. टी. से सम्बन्धित थे। मेरा आपसे निवेदन है, उसमें स्थानान्तरण की बात नहीं है, यह उनकी भयंकर भूल है आप निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही करिए। इस सम्बन्ध में आप आश्वस्त जरूर करें कि आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तबादला करके जांच की जा रही है।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में इतना ही नहीं है....

श्री सभापति : कृपया विराजिए। मैंने माननीय श्री राजेन्द्र पारीक का नाम लिया है। मैं आपको बुला लूंगा। आप तशरीफ रखिए। सदन अच्छी तरह से चल रहा है उसको चलने दीजिए।

श्री कन्हैयालाल : एक मिनट, आधा किलोमीटर तक डेड बॉडी को अकेले उनके लड़के साथ छोड़ कर....

श्री सभापति जांच चल रही है। माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है कि जांच चल रही है उसके बाद....

श्री कन्हैयालाल : वहां चले गये थे जंगल में, यह शोभा की बात नहीं है, एक पूर्व विधायक का मामला है।

श्री सभापति : जांच से ज्यादा और क्या हो सकता है? जांच से आगे और क्या होगा अभी? माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, इससे गम्भीर मामला राजस्थान में क्या हो रहा है यह तो आपको पता है, लेकिन एक विधायक, जो डेढ़ साल पहले इस सदन के सदस्य रहे हों उसकी इस तरह से मृत्यु हो जाए, मेडिकल एड नहीं मिले टाइमली, डाक्टर्स नहीं करें....

श्री सभापति : जांच चल रही है,

(श्री सभापति)

एफ.आई.आर. दर्ज हो गई है, उससे आगे क्या हो सकता है।

श्री रामनारायण वर्मा : स्थानान्तरण कोई बात नहीं है। जांच क्या होती है उसको तुरन्त टर्मिनेट किया जाना चाहिए। आज गरीब आदमी की क्या दुर्दशा हो रही है? कल बूंदी के अस्पताल में पट्टियां तक नहीं बांध रहे थे।

श्री सभापति : अब आप बिराजिए। आपका नहीं था स्थगन प्रस्ताव, आप बिराजिए। बोल चुके हैं आप।

श्री रामनारायण वर्मा : एक विधायक का मामला है और आप इसको इतना लाइटली ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बात राजस्थान सरकार के लिए और क्या हो सकती है।

श्री सभापति : आप बिराजिए। मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं। मैं तो बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं। आप बिराजिए रामनारायणजी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने चार तारीख को इसकी विस्तृत कम्पलेन्ड भेज दी थी। मुझे 31 तारीख को जवाब मिलता है कि इसकी जांच की जा रही है। 25 दिन तो वह निकल गये और आज तारीख है 19, 19 दिन यह निकल गए। मैं समझता हूं कि ऐसी भयंकर भूल, ऐसे भयंकर कांड में क्या दस-पांच रोज ज्यादा नहीं थे जो आज डेढ़ महीना होने आया और अभी तक जांच जारी है।

श्री सभापति : कृपया बिराजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं, आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि इसकी आज ही जांच करके सस्पेंशन आदेश जारी करेंगे। डेढ़-डेढ़ महीना हो जाए, एक पूर्व विधायक....

श्री रामनारायण वर्मा : एक पूर्व एम. एल. ए. का मामला है....(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप बैठिए ना। इजाजत उनको दी गई है, आपको नहीं दी गई है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक पूर्व एम. एल. ए. का मामला है और पच्चीस रोज में तो आया है कि इसकी जानकारी ली जा रही है, पच्चीस रोज में जानकारी नहीं मिली और उन्नीस रोज यह निकल गये। कब तक जानकारी आयेगी? सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि....

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी ने कह दिया है, शीघ्र करवायेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस सम्बन्ध में डाक्टर के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है। अभी तक डाक्टर छुट्टी पर बैठा है। बोर्ड बनाकर बैठाइए छुट्टी के लिए, मेडिकल छुट्टी पर बैठा है।

श्री सभापति : ठीक है, आप बिराजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने ट्रांसफर कर दिया लेकिन वहीं घूम रहा है वह। आप यही करवा दीजिए, उसका मेडिकल बोर्ड बैठाकर सस्पेंशन करवा दीजिए।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

अभी तक अलवर से नहीं गया है वह और वहीं चक्कर लगा रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा। अभी तक छुट्टी पर बैठा है, पन्द्रह रोज हो गये ट्रान्सफर किए हुए। उसको अब भी भरोसा। वह तो इधर-उधर की बात करता है। मैं कहना नहीं चाहता यहां पर। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रीजी, उसके खिलाफ कार्यवाही करना आवश्यक है।

श्री सभापति : बिराजिए अब आप। माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापतिजी, बाहर. विधान सभा के बाहर कुछ महिला कांग्रेस के प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे ? अभी, सैंकड़ों प्रदर्शनकारी थे, मात्र तीन महिला पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद, उन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर जिस तरह से पुलिस वालों ने धक्का-मुक्की की है, आप स्वयं भी यदि उस दृश्य को देखें तो हकीकत में क्षोभ का विषय है। इस तरह के प्रदर्शन और धरने अक्सर विधान सभा के बाहर होते रहते हैं। कम से कम महिला पुलिस कर्मचारियों की आप यहां पर कुछ व्यवस्था करिए ताकि इस तरह के कोई प्रदर्शन यदि महिलाओं के हों....

श्री सभापति : ठीक है बिराजिए। माननीय श्री रामनारायण वर्मा। आपने इन्फोर्मेशन दे दी है, अब कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो प्रदर्शनकारी हैं बाहर, उनके डेलीगेशन से सरकार मिल ले, उनकी जो भी जायज बात है वह सुन ले सहानुभूतिपूर्वक और इस तरह की व्यवस्था करे।

श्री सभापति : बात आ गई ध्यान में, कर लेंगे वह। माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) **:** सभापति महोदय, मेरे दो प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे....

श्री सभापति : आप बिराजिए। माननीय श्री रामनारायण वर्मा। मेरा निवेदन सुनिए, यह व्यवस्था ऐसी नहीं है, इस पर डिबेट नहीं हो सकती।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हिण्डौन नगर पालिका के जे. ई. एन. की दिन दहाड़े जो हत्या हुई, नामजद रिपोर्ट है, उसके बारे में तीन दिन से मैं निवेदन कर रहा हूं। कल गृह मंत्रीजी नहीं थे, आज माननीय गृह मंत्रीजी मौजूद हैं....

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है। अब कृपया आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : नगरपालिका मंत्रीजी भी यहीं हैं, नगरपालिका कर्मचारियों की सौ दिन से हड़ताल चल रही है, आज तक काम पर क्यों नहीं लिया ?

श्री सभापति : कृपया बिराजिए। व्यवस्था रखिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : वेतन कब दे रहे हैं माननीय मंत्री महोदय ? ग्रौर कुछ नहीं पूछना चाहता ।

श्री सभापति : ग्रब बिराजिए ग्राप । ग्राप व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं । माननीय श्री रामनारायण वर्मा । ग्राप बोलिए, नहीं तो मैं दूसरे का नाम बोल रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को कब तक भर रहे हैं, एक यह बता दें ।....

श्री सभापति : ग्राप बोलना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, यह बोल रहे हैं....

श्री सभापति : बोलिए ना फिर । यह ग्रव्यवस्था फैला रहे हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : ग्राप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, मैं तो खड़ा हूं ।

(1.00 म.प.)

श्री सभापति : श्री रामनारायण बर्मा । (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) । माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है ग्रौर ग्रधिकांश सदस्य इस सदन के इस बात को मानते हैं कि राजस्थान सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है यह सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है । इतना भेदभावपूर्ण तरीका, इतना भाई भतीजावाद हो रहा है । स्वायत्त शासन विभाग की बात हो रही थी । ग्रखबारों में स्वास्थ्य मंत्रीजी छाये रहते हैं लेकिन क्या हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी को शायद पता नहीं है क्योंकि ग्रासपास उनके बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है । वे देखें तो पता चले कि क्या हो रहा है । खैर, मैं मूल बात पर ग्राता हूं....

श्री सभापति : राजकीय शिक्षण संस्थाग्रों को क्रमोन्नत किये जाने में कथित भेदभाव के बारे में ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं मूल बात पर ग्राता हूं । स्वायत्त शासन मंत्रीजी खुद समझदार हैं ग्राप इस बात को समझें.... (व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रापको केवल दो मिनट का समय है । ग्रपनी बात को थोड़े में कह दीजिए ।

श्री रामनारायण वर्मा : शिक्षण संस्थाग्रों के बारे में राजस्थान में क्या हो रहा है ? ये संस्थायें किस तरह से क्रमोन्नत की जा रही है ? जहां छात्र कम हैं वहां तो ये क्रमोन्नत की जा रही हैं ग्रौर जहां छात्र ज्यादा है वहां क्रमोन्नत नहीं की जा रही हैं । इस राजस्थान सरकार के मन्त्री लोग उलजलूल ग्राश्वासन देकर ग्राते हैं कि ग्राप 22 तारीख को ग्राना, ग्राप 10 तारीख को ग्राना, हम खोल देंगे । ग्राप वहां खोल दें । चैनू में कन्या माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकेण्डरी कर दें । मैं ग्रापको निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि यह सरकार ग्रादिवासियों ग्रौर हरिजनों के हितों के बिलकुल खिलाफ काम कर रही है । किसी भी ग्रादिवासी इलाके में, जहां उनकी ग्राबादी ज्यादा है एक भी स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया, एक

(श्री रामनारायण वर्मा)

स्कूल नयी नहीं खोली गयी है। जैसे खम्बीरा गांव है वहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन वहां की स्कूल को इसलिए क्रमोन्नत नहीं किया गया है, मिडिल स्कूल से माध्यमिक विद्यालय में कि वहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं ज्यादातर। सरकार सोचती है उसको इस बात का डर है कि अगर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, तो आगे आ जायेंगे। वैसे ही ये आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के हालात हैं, माननीय सभापति महोदय। सबसे ज्यादा हम इस बात को सीरियस मानते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी समय है, कोई इधर है कोई उधर है इसको हम परमानेन्ट मामला नहीं मानें। कोई अधिकार का मामला नहीं मानकर ईमानदारी से चलें। जब तक यह है, दो दिन, चार दिन, साल-6 महीने तब तक ईमानदारी बरतें। इस तरह के आचरण ये क्रमोन्नत करने के लिए करते हैं, आदिवासियों और हरिजनों के गांवों में स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं करते।

श्री सभापति : तशरीफ रखिये। बात हो गयी। श्री मोहनलाल बारूपाल.... (व्यवधान)

आप बिराजें। आर्डर प्लीज। श्री मोहन लाल बारूपाल। नहीं, बैठिये आप।

श्री मोहनलाल बारूपाल।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, जिन्होने साथ में दस्तखत करके दिया है उनको भी अवसर मिलेगा या नहीं ?

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय अभी थोड़ी देर में आ जायेंगे। मैं तो अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहा हूं। आप उनसे लीजिए यह व्यवस्था। माननीय श्री मोहनलाल बारूपाल।

डा. चन्द्रभान : माननीय बारूपाल जी के साथ में हमारा भी नाम है।

श्री सभापति : मेरे पास में सिर्फ मोहनलाल जी बारूपाल का नाम है। श्री मोहनलाल चौहान....

श्री मोहनलाल चौहान : बारूपाल जी बोल रहे हैं।

श्री सभापति : बोल रहे हैं तो बोलिये ना फिर। तीन दफा तो मैं बोल चुका हूं आपका नाम।

श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर परिषद क्षेत्र के मदासिया-पंजला क्षेत्र में सरकारी प्रदत्त जमीन खसरा नम्बर 58/2, 12 बीघा पर श्री ब्रह्मसिंह एवं मंगलसिंह व अन्य द्वारा अवैध कब्जा करने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : नाजायज कब्जा हुआ है उसके बारे में है। माननीय सभापति महोदय जी, जो जोधपुर में गलत काम हुआ है उसे आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। मैं एक कविता सुना देता हूं :

'गोकुल गाड़ी चल रही सीटी दे रही टेम
टिकट बाबू खटखट करे तू समझे क्या है

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

गाड़ी से सिंगल लग्यो बैठे तो झट बैठ
आ टेम चूक्या पछे कैसे पहुंचे ठैठ
टेम चूक्या टिकट नहीं मिले चाहे बाबू
राखो प्रेम
गोकुल गाड़ी चल रही सीटी दे रही टेम ।।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल चौहान-सिंचाई उपखण्ड जिला नागौर के अधूरे बंधों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अकाल राहत के अन्तर्गत कम से कम 50 बंधे बंधे थे । आज की तारीख में 15 बंधे अपूर्ण पड़े हैं । इन बंधों के नाम मैंने मेरे स्थगन प्रस्ताव में दे दिये हैं। इस साल की वर्षा से कवलांघ का बांध व रावड़ियात का बंध टूट गया है जिससे हमारे काश्तकारों के खेत वह गये हैं । काश्तकार दुखी हैं । उन बंधों की मरम्मत के लिए या पुनर्निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । माननीय मन्त्री महोदय, आप इन बंधों को कब तक पूर्ण करा देंगे? इसके अलावा 15 बंधों के नाम जो मैंने मेरे स्थगन प्रस्ताव में दिये हैं वह अधूरे पड़े हैं जिनके ऊपर सरकार की तरफ से 2–2।। लाख रूपये खर्च भी किये गये हैं । अगर इन बंधों को आप पूर्ण नहीं करायेंगे तो सरकार की धनराशि का भारी दुरुपयोग होगा और जितने बंधे अधूरे पड़े हैं उससे सरकार को या हमारे काश्तकारों को भारी नुकसान होगा । इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो 15 अधूरे बंधे हैं इस साल पूर्ण करा दें, नहीं तो सरकार को भारी नुकसान होगा और अधूरे बंधों से सरकार की धनराशि का दुरुपयोग होगा । इस संबंध में मन्त्री जी से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आप व्यवस्था करें ।

श्री सभापति : श्री कमलेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पटेल ।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र सपोटरा में भेड़ और ऊंट की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिए ये भेड़ें इतनी विकट समस्या हो गयी हैं जिसने सारे क्षेत्र को चौपट कर दिया है । ये भेड़ें बरसात के टाइम पर आती हैं और ये दो-तीन महीने बरसात–बरसात रहती हैं तो वहां जो चारा है, पानी है सारे को साफ कर देती हैं । उसके बाद में चारा पानी साफ हो जाने के बाद में ये भेड़े वहां से चली जाती हैं । वहां के स्थानीय लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन है और जो वहां के पशु हैं वे सारे भूखों मरते हैं । आज यह स्थिति बन गयी है कि वहां को जो पशुपालन का धंधा है वह 50 पर्सेन्ट खतम हो चुका है । वहां के जो मनुष्य हैं उनका मुख्य धंधा पशुपालन था वह खतम हो गया है । उनके भूखों मरने की नौबत आ चुकी है । सभापति महोदय, मैंने पहले भी

(श्री प्रभुलाल पटेल)

निवेदन किया था कि इस वर्ष 11 लाख भेड़ों के परमिट दिये गये, उसमें से अब तक 3 लाख भेड़ वहां जा चुकी है। वहां ऊंट के लिए परमिट सरकार ने नहीं दिये हैं उसके बावजूद 50 हजार ऊंट सपोटरा-करौली क्षेत्र में मौजूद हैं जो मनमानी से चर रहे हैं। मैंने जाकर मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया कि इस क्षेत्र के ऊपर थोड़ी कृपा करें, इस क्षेत्र में मुख्य धंधा पशुपालन है। तो मन्त्री महोदय ने कहा कि इनको कहां भेजा जाये, तुम्हारी मवेशी को भेज दो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के ऊपर दया की जावे। यदि इस क्षेत्र के अन्दर ऐसी स्थिति चलती रही तो यह क्षेत्र समूल नष्ट हो जायेगा, रह नहीं पायेगा।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री प्रभुलाल पटेल : सभापति महोदय, मेरे लिए थोड़ा टाइम दीजिए।

श्री सभापति : आपने कह दिया, क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं है, और इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री प्रभुलाल पटेल : मुझे और भी कहना है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि भेड़ वाले पांच-पांच सौ, हजार की टोलियों में जाते हैं। वहां किसानों की टोलियां हैं और गांव हैं बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस घर के। जो 2-2, 4-4 बीघे जोत है उसको जबरदस्ती सारी को साफ कर देते हैं। अब की स्थिति यह है कि 6-7 सितम्बर को मैं कैलादेवी जो अभियारण्य है उसमें गया था। मेरे साथ में रेन्जर थे, ए. सी. एफ. थे और 5-7 रेन्ज विभाग के अधिकारी थे। मैंने उनको बताया था। वहां कम से कम जो अभियारण्य है उसमें किसी भी मवेशी का जाना निषिद्ध है। उसमें कम से कम 8 किलोमीटर में 50 हजार भेड़ें और 10 हजार ऊंट चरते हुए मिले। मैंने बताया रेन्जर साहब और ए. सी. एफ. साहब को कि इसमें इन भेड़ों का क्या काम ? उसने कहा कि साहब, गांव वालों ने और कोई कृष्णा उनका मुखिया है उसने कहा था। कि हमने रेन्ज वालों को खुश कर दिया है, हम एक महीने तक इस अभयारण्य में हमारे मवेशी चरायेंगे। सभापति महोदय, पश्चिम में तो है रेगिस्तान और पत्थर स्थान पूरब में बनने वाला है यदि इस इस स्थिति को आप नहीं संभालते। जन-जन मर रहा है मैंने पार साल भी निवेदन किया था कि वहां पर भेड़ें भेज दी हैं, वहां पर ऊंट सरकार ने भेज दिये हैं और वहां पर डकैत सरकार ने भेज दिये हैं मेरा एक और निवेदन था कि वहां तो साहब जीवन सर्किट किया जाए। वहां डकैतों का ऐसा बेहाल है यदि कहीं उनकी मर्जी के हिसाब से रह सकते हैं तो कोई रह सकता है। यदि डकैतों की बिना मर्जी के....

श्री सभापति : आप भेड़ों से बात करते-करते डकैतों में कहां पहुंच गये ? धन्यवाद। माननीय श्री अमीन खां।

श्री प्रभुलाल पटेल : सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपकी बात तो गयी। आपने कह कह दिया है। बोल चुके हैं आप।

Page No. 86

(86)

श्री प्रभुलाल पटेल : मेरे दर्द की बात मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे इलाके में, जहां दूध और दही की नदियां बहती थीं वहां आज भूख मर रहे हैं आप इसको आसान तरीके से ले रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं फर्मा रहे हैं।

श्री सभापति : आपकी बात....

श्री प्रभुलाल पटेल : अब, सभापति महोदय उस क्षेत्र में जहां सरकार लाखों-करोड़ों रूपए वन सम्पदा के लिए खर्च कर रही है, वन विहार के लिए खर्च कर रही है उसको उजाड़ रहे हैं। आज यह सरकार उसको खुलेआम उजाड़ रही हैं। उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। जो कैलादेवी और सपोटरा, करौली क्षेत्र की, आज वहां की....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप चौथी बार यह बात कह रहे हैं। बात समझ में आ गयी....

श्री प्रभुलाल पटेल : आज ऐसा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, यह मेरी आत्मा बोल रही है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपकी आत्मा का पूरा प्रभाव पड़ रहा है....

श्री प्रभुलाल पटेल : आप सुनिये। और उसके लिए मन्त्री महोदय से मैं खुद मिला हूं। मन्त्री महोदय ने यह कहा, आपकी मवेशी को भेज दिया जाए। यह बदस्तूर जायेगी और जायेंगी, तो मेरे लिये कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं था। मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक मेरे क्षेत्र में आप समुचित व्यवस्था नहीं करवा देंगे तब तक मेरा अनशन खत्म नहीं होगा जब तक वहां की स्थिति सही नहीं होगी, मैं धरना दूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभापति महोदय, यह काफी गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य तो पीछे की पंक्ति में....

श्री सभापति : भेड़ों का मामला वास्तव में बहुत गम्भीर है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य तो पीछे की पंक्ति में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं। ये तो यदा-कदा ही बोलते हैं।

श्री सभापति : नहीं, यह बहुत गम्भीर मामला है परन्तु धरने पर बैठने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मन्त्रीजी से चेम्बर में मिल लीजिए।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मन्त्रीजी से जवाब आना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य केवल बोलने के लिए कभी नहीं बोलते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कुर्सी पर विराजिये। श्री पूनमचन्दजी, मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, मन्त्रीजी कुछ आश्वासन दे दें। माननीय सदस्य केवल बोलने के लिए कभी नहीं बोलते हैं। ये तो पीछे की पंक्ति में बैठने वाले हैं।

श्री सभापति : मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं। कुछ आश्वासन दे रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरकार ने बहुत मजबूर कर दिया है साहब,। कोई जवाब नहीं देते।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप बिराजिये। समस्या को सुलझाने दीजिए। आप प्रोवोकेशन मत कीजिए। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि आप जरा कुर्सी पर बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मन्त्रीजी आपको जवाब दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ये उठने वाले नहीं हैं जब तक माननीय मंत्रीजी....

श्री सभापति : जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी। आप क्या चाहते हैं? माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी (वन मन्त्री) : सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात कह दूं....

श्रीमती तारा भण्डारी : मान भी जाओ अब, भैया।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, जहां तक भेड़ों की, ऊंटों की चराई का (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं। अब शान्त हो जाइये। माननीय सदस्य, कुर्सी पर बिराजें। माननीय सदस्य को मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं। कार्यवाही में बहस मत कीजिए।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, जहां तक भेड़ों की और ऊंटों की चराई का सवाल है, माननीय सदस्य मुझ से मिले थे और मैंने इनको जैसी परिस्थिति थी, उस हालत से अवगत करवाया था। मैंने इनको यह कहा था कि इस साल अपने राजस्थान के उस एरिया के अन्दर....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : नहीं उठेंगे, साहब, ये।

श्री मोतीलाल : यह आपने फंसा दिया, साहब।

श्री सभापति : कृपया शान्ति रखिये। माननीय मन्त्रीजी।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, मैंने आपको यह कहा था कि इस साल जहां पशु पालन का एरिया है, जहां विशेष रूप से भेड़ों का, ऊंटों का मामला है। उस एरिये के अन्दर इस बार बारिश नहीं हुई है। भयंकर अकाल है। वहां के पशुओं के मरने की स्थिति पैदा हो गयी है। इस वास्ते उन पशुओं को भी कहीं न कहीं चरने के लिए हमें भेजना था। उन किसानों के उस पशुधन को बचाने की भी हमारी जिम्मेदारी है। इस हिसाब से मैंने इनसे कहा था कि हमने ज्यादा तो नहीं लेकिन हर साल जैसे हुआ करते हैं उस तरह से

(श्री लालचन्द डूडी)

करीब डेढ़ लाख भेड़ों की चराई का परमिट दिया है और उसके लिए सारी व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था की है। सब डिपार्टमेंट्स के लोगों की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई उन्होंने फैसला किया कि इतनी भेड़ें, इन-इन-एरिया के अन्दर, इन-इन लोगों के सुपरविजन में जायेंगी चराई के लिए। जहां तक ऊंटों का सवाल था, इनकी चराई पर हमने बिल्कुल पाबन्दी लगा दी। पिछले साल जरूर ऊंटों की चराई के लिए छूट दी गयी थी लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अगर ऊंट जंगल के अन्दर चरने लग गये तो पेड़ों की नव कोंपलों को नहीं छोड़ेंगे और हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। तो ऊंटों के लिए हमने मनाही की थी। उन ऊंटों की छूट थी जो लदाऊ ऊंट थे। उन भेड़ों के साथ उनकी छूट थी। बाकी छूट नहीं थी। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेरे साथ उपेक्षा की गयी, वह उपेक्षा की बात नहीं थी। मैं एक किसान होने के नाते विधायक महोदय के पास बैठकर मैं इनको एक बात कह रहा था कि आपके इस एरिया के अन्दर जिस तरह का पशु पालन किया जा रहा है वह पशु पालन कोई इकानामिकल नहीं है। एक-एक परिवार 50-50, 20-20, 30-30, गायें रखते हैं। उन गायों के ज्यादा से ज्यादा 10 किलो दूध होता है। मैंने आपको राय दी थी कि आप एम. एल. ए. भी हैं और पढ़े-लिखे हैं। उस एरिया को रिप्रजेण्ट करते। आप उन लोगों को राय दें कि इन घरों को नहीं रखें। एक-एक, दो-दो अच्छी किस्मों की जिनकी 15-15, 20-20 किलो दूध की क्षमता हो, ऐसी गायें रखों यह जो ज्यादा नम्बर कैटल का बढ़ रहा है उससे हमारी सैंक्चुरी को नुकसान हो रहा है और किसान के परिवार को भी उसकी तकलीफ हो रही है। सारा परिवार इन 30 पशुओं के पीछे घूमता है। शाम को जब वापस आते हैं, तो 30 पशु से दूध मिलता है पांच किलो। मैंने कहा, यह कहीं इकानामिकल नहीं है इसकी बजाए अच्छी नस्ल के आपको पशु रखने चाहिए। यह मैंने जरूर राय दी थी माननीय विधायक महोदय को। आपने उसको, मेरे ख्याल से, पसंद नहीं किया कि साहब, इतनी कीमती गायें कहां से लायें। मिलती नहीं हमें। मैंने कहा, सब मिलती हैं। आप जान-बूझकर बात करते हो। अदरवाइज मैंने किसी तरह की उपेक्षा विधायक महोदय को नहीं की। इस बात को अगर उन्होंने कहीं फील किया हो तो मुझे नहीं पता। यह मैंने जरूर कहा था कि यह हमारा फर्ज है कि केवल सपोटरा और सवाई माधोपुर के ही पशु नहीं, इस राजस्थान के अन्दर जैसलमेर के और किसान भी पशु पालते हैं। बीकानेर का किसान भी पालता है। अकाल भयंकर आया है। वहां चारा नहीं है। उनको अगर वहां मरने देंगे तो यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इस वास्ते मिलजुल के, झगड़ा भी न हो और उनके पशु भी बच जाएं, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। यह मैंने उनको जरूर राय दी थी। यह मुझे कहना है।

श्री प्रभुलाल पटेल : मन्त्री महोदय, ने बताया, हमने डेढ़ लाख भेड़ों के परमिट दिये हैं और ऊंटों के परमिट दिये ही नहीं,

(श्री प्रभुलाल पटेल)

तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज वहां जाकर चैक करा जाए तीन लाख भेड़ों से कम हो और 50 हजार ऊंटों से....

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, अगर कहीं फोरेस्ट के एरिया के अन्दर ज्यादा पशु चर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल पटेल : सभापति महोदय, मेरा। आब्जेक्शन है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुन लीजिए। मन्त्रीजी जो कह रहे है उनको सुन तो लीजिए आप....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अगर किसी एरिया के अन्दर पशु चर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। बाकी कई बाधाएं आपने कही हैं गांव के किसी चारागाह, किसी के खेत में अगर पशु चरा रहे हैं तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री प्रभुलाल पटेल : कोशिश की कोई जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने ऊंटों को परमिट नहीं दिये हैं। वहां ऊंट भेड़ों के-से निकलते हैं। वहां आज 50 हजार ऊंट हैं। जहां भेड़ के-से ऊंट निकलते हैं, आपने परमिट नहीं दिये।

श्री लालचन्द डूडी : हम जांच करवा के उसके अन्दर, अगर चर रहे हैं, वे बाहर निकाल देंगे। उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रभुलाल पटेल : मैं मेरे साथ रेंजर, कैलादेवी, ए. सी. एम; करौली को लेकर गया था। 20 अभ्यारण्य हैं कैलादेवी में। कम से कम 50 हजार भेड़ें और 10 हजार ऊंट तो वहां मिले हैं गेम सैन्चुरी में। वहां मवेशी पैर नहीं रखते हैं। वहां भेड़ वाले एक कृष्णा ने गांव वालों को बताया कि रेंज कैला देवी में एक महीने चराने के लिये 30 हजार का कुछ ऐसा किया। उसके बारे सही इस वक्त नहीं कह सकता, मेरे सामने की बात नहीं है। गांव वालों ने बताया। इस गेम सैन्चुरी एरिया में एक महीना चरायेंगे, उसके बाद हम यहां से ले जायेंगे। ऊंटों का तो इस लिहाज से, बच्चा-बच्ची धोने की वजह तो एक बहाना है सरकार का। सरकार से सम्बन्धित यह वन विभाग के कर्मचारियों को दबाया जा रहा है ऊंटों को भेजने के लिये वहां। आफिसरों से मैं मिला हूं तो वे कहते हैं कि साहब क्या करें, सरकार ऊपर बैठी हुई है ऐसी निर्दयी सरकार। वहां मर रहे हैं आदमी और उनका गम नहीं है सरकार को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपकी बात....

श्री प्रभुलाल पटेल : और भेज रहे हैं। जहां जरूरत है वहां साढ़े 6 हजार करोड़....

श्री सभापति : यह गम्भीर समस्या है। कई वर्षों से चल रही है। यह गम्भीर समस्या भाषण से समाप्त नहीं होगी।

(श्री सभापति)

यह समस्या आप बता दीजिये । यह तो कई वर्षों से चल रही है । 15 वर्ष से, 20 वर्ष से यह समस्या चल रही है। अपनी बात कह चुके मंत्रीजी कि जांच करवा लेंगे, दिखवा लेंगे । उसमें करा देंगे। मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया और क्या चाहिये आपको ? (व्यवधान) मैं जानता हूं। मैं खुद भुगत चुका हूं इस समस्या को।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, मैं एक मिनट के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : कई रूप में। सवाई माधोपुर कलक्टर के रूप में। भेड़ एवं ऊन डायरेक्टर के रूप में। इस समस्या को बहुत भुगत चुका हूं। मैं जानता हूं कि बहुत गम्भीर समस्या है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मैं पिछले 20 साल से यहां कहता आया हूं कि चारागाह के बारे में, घुमक्कड़ पशुपालकों के बारे में नीति दोषपूर्ण है, वन विभाग की जो नीति है वह भी दोषपूर्ण है। जितने भी पशु चारे के वृक्ष हैं मरूस्थल के उनको तो इनके विभाग ने प्रोत्साहन दिया नहीं। न खेजड़ी, न पाल, न केर, न बबूल, न मुराली, न अरणी, न पाला, जो श्रेष्ठ खाद्य हैं पशुओं के उनको लगाया नहीं, उन सब को काट दिया। नतीजा यह हो रहा है कि उधर के सब पशु-ऊंट, बकरी, भेड़ वगैरह इधर आ रहे हैं। पशुपालकों को एक बीघा जमीन अलाट नहीं की क्योंकि स्थानीय जो कलक्टर वगैरह थे, वे परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे। वे भूमिहीन थे। यह समस्या केवल तीन महीनों के चराने की होती है। उनके गांवों के अन्दर अगर 20-20 बीघा धरती उनको अलाट कर देते तो भी यह समस्या नहीं आती।

मैं चाहूंगा कि सरकार बहुत ही गहराई से इस पर विचार करे, वर्ना यह आगे जमाने में बहुत बडी समस्या होने वाली है। इसका कारण एक है कि चारागाह के बारे मे इनकी जो नीति है, विचारधारा है, वैस्टर्न यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के चारागाहों के आधार पर ये करना चाहते हैं। वह विचारधारा यहां चल नहीं सकती, लागू हो नहीं सकती। इसके कुपरिणाम सामने आ रहे हैं। ये विदेशी वृक्षों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो स्थानीय वृक्ष हैं, मरूस्थल का जो श्रेष्ठ पशु खाद्य है, उसको प्रोत्साहन देते नहीं है। यह इसका नतीजा हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई के प्रस्ताव के बारे में कुछ कह दूं। जैसा कि आपने कहा चारागाह की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया है, जो लोकल किस्म के पेड़ थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं कि हमने राजस्थान कैनाल के एरिया में चारागाह के लिये बहुत सारी जमीन एक किलोमीटर के करीब छोड़ रखी है जिसमें कुछ जगह

(श्री लालचन्द डूडी)

प्लांटेशन है और बाकी सब जगह चारागाह के लिये रिजर्व है। उसके अन्दर स्प्रिंकलिंग इर्रिगेशन से भी पानी लगाने की व्यवस्था कर दी है ताकि राजस्थान कैनाल का पानी उस से लग जाय और उसके अन्दर घास पैदा हो जाय। हमने इस तरह की व्यवस्था की है।

जहां तक इस तरह के पेड़ों का सवाल है, मैंने स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिये हैं। जहां हमने यह देखा है कि यहां पूरी तरह से अगर खेजड़ी वगैरह के पेड़ लगाने में दिक्कत पड़े तो एक एकड़ के अन्दर कम-से-कम 200 पेड़ खेजड़ी के जरूर लगे; हमने यह व्यवस्था उसमें की है। झाड़ू की भी ऐसी ही है। मैंने इस बात को महसूस किया है कि जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर सूरतगढ़ का सारा क्षेत्र पशुपालन के हिसाब का एरिया होता है। अगर खाद के हिसाब से ज्यादा इर्रिगेशन भी कर लें तो वह जमीन वाटर-लोगिंग होकर खराब हो जायेगी। इसकी इकोनोमी केवल पशुपालन से चल सकती है और उसके लिये चारागाह का डवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट चारागाह डवलप करने के लिये पूरी प्रयत्नशील है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह चारागाह की इनकी फिलोसाफी पाश्चात्य है। यह केवल चारा बैंक के काम आ सकती है। चारागाह के काम में आपकी फिलोसाफी नहीं आयेगी। आप ईमानदारी से बताइये कि क्या आपने स्थानीय वृक्षों का समूह वन विभाग द्वारा लगा हुआ देखा है?

श्री लालचन्द डूडी : लगा रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लगाया हुआ देखा है क्या? 20 साल से काम कर रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय विश्नोई साहब, इस कन्सेप्ट को मैंने आकर बदला है और अब वहां स्थानीय पेड़ लगाने की व्यवस्था की जा रही है। पुराना जो कन्सेप्ट चल रहा था जिसमें यूरोपियन और पाश्चात्य....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : और आप कजरी पर विश्वास करते हो। कजरी किंग्स केलर....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : Cazri is a white elephant. I can say. कजरी ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 20-30 साल से मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) वहां हमारी सरकार की नंगी सवारी निकालोगे।

श्री लालचन्द डूडी : हम तो केवल राजस्थान के कन्सेप्ट, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान का जो ओरिजिनल प्लांटेशन था जिसमें कैर भी था, जिसमें फोड़ भी था, यह बेरी भी थी, जिसमें खेजड़ी भी थी, इनको सारे रेगिस्तान के एरिया के अन्दर ज्यादा महत्व देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह ठीक भी है। बिल्कुल व्यावहारिक है।

श्री सभापति : अन्य प्रश्न भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था कि जैसलमेर जिले के गजसिंह गांव में 50 घर मेघवालों के हैं। सन् 1988 में एक मेघवाल ने सरपंच का चुनाव लड़ा उस चुनाव लड़ने के बाद अनवन्ति गांव में होकर 25 बकरियां एक ही दिन में चुराई गई। उन बकरियों की बरामदगी आज तक नहीं हुई। कहने गये तो पुलिस ने जाब्ता फौजदारी 299 में दो महीने में चालान बता दिया कि वहां पर मुलजिम लापता मिल रहा है। मुलजिम उनके गांव में घूमता है।

उसके बाद में डी. आर. डी. ए. के तहत एक सार्वजनिक नाड़ी खुदाई। उसमें दो लाख रूपये सरकार ने खर्च किये। वह बस्ती उजाड़ने की नीयत से असामाजिक तत्वों ने 5–7 दिन पहले ट्रेक्टरों द्वारा उस नाड़ी के आगोर तवी लगाकर के नष्ट कर दिया। अब उस गांव में कभी पानी नहीं आ सकता और उन लोगों को धमकी दी जा रही है कि तुम गांव छोड़कर के चले जाओ।

इसलिये मेरा इस सदन के मार्फत सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चेतावनी दी जाय। वे गरीब लोग गांव छोड़ने की नीयत बना चुके हैं इसलिये उनको सुरक्षा की दृष्टि से आश्वासन दिया जाय। इस तरह नाड़ियों के आगोरों को नष्ट करने वाले आदमियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर साहब, आप बोलना चाहेंगे। आपको आश्वासन तो मिल चुका है मुख्य मन्त्रीजी से।

श्री केदारनाथ शर्मा : मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दे दिया है और हम संतुष्ट हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रेमसिंहजी दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर आज बोलने जा रहा हूं, पिछले सत्र में उस पर चर्चा हो चुकी है और सदन के माननीय सभी सदस्यों की इस पर एक मत राय थी कि सरकार उस पर राहत की व्यवस्था करे।

मेरा मुख्य विषय है कि असम और महाराष्ट्र के बम्बई शहर के अन्दर हमारे जो प्रवासी राजस्थानी व्यवसाय के लिये जाते हैं, उनके साथ वहां काफी अत्याचार हो रहा है, काफी जोर-जबर्दस्ती होती है। असम के जो उल्फा उग्रवादी है, उन्होंने पिछले महीने 40 प्रवासी राजस्थानियों का अपहरण कर लिया। दुकान से उनको घसीटते हुए लेकर चले गये। किस जगह लेकर गये उनका पता नहीं चला। वे फिरौती की रकम मांगते रहे और लगातार दवाब डालते रहे प्रवासी राजस्थानियों पर कि वे पैसा उनको दें, उनको चंदा दें। राजस्थानी इस प्रकार की अपहरण की घटनाओं से भयभीत होकर उस क्षेत्र से चले गये। दो कस्बों के अन्दर यह घटना हुई। जोरहाट मरियानी, डबडबाड़ा टरियाली करके दो कस्बे हैं उनके अन्दर इस तरह

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

की घटना हुई। उसके कुछ समय बाद एक व्यापारी को दुकान के अन्दर जाकर गोली मार दी गई। उससे भयभीत होकर वहां के प्रवासी राजस्थानी अपना व्यवसाय छोड़ कर वापस अपने यहां राजस्थान आना चाहते हैं। उनको मजबूर किया जा रहा है कि वे वहां पर अपना व्यवसाय नहीं कर पायें। इसको लेकर अपने राजस्थान के अन्दर 8 सितम्बर को सरदारशहर में बंद का आह्वान भी किया गया था। सभापति महोदय, यह तो एक आसाम की समस्या हुई जिसके लिये सरकार को सभी माननीय सदस्यों की ओर से आग्रह था कि वह कोई व्यवस्था करे, परन्तु अब तो महाराष्ट्र प्रान्त के बम्बई में भी यही घटना घटने लग गयी। अभी पिछले महीने हमारे भीनमाल के एक व्यापारी को दिन दहाड़े बाजार में पांच गुण्डों ने ले जाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद वह खुली पिस्तौल लेकर मार्च-पास्ट करते हुए वहां से निकले। करीब एक किलोमीटर जाकर वे गाड़ी में बैठे। इस तरह से यह जो प्रवासी राजस्थानियों के साथ वहां घटना घट रही है उस पर वहां की सरकार का ध्यान अपन दिलाना चाहते हैं। वहां जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनकी दुकानों के अन्दर जाकर उनको जबर्दस्ती ले जाया जाता है और फिरौती की रकम मांगी जाती है उनसे बड़ी रकम लेने के बाद उनको छोड़ा जाता है। इसी तरह से जो भवन निर्माण में प्रवासी राजस्थानी वहां पर लगे हुए हैं उस भवन स्थल पर जाकर वे गुण्डागर्दी करते हैं। उनसे बहुत बड़ी रकम लेते हैं। कल की घटना है मुझे टेलीफोन पर इत्तला मिली कि एक दुकान के अन्दर फिर ये गुण्डा तत्व घुस आये और दो तीन लाख रुपये की रकम दुकान से उठा कर ले गये। अगर प्रवासी राजस्थानियों की व्यवस्था हमारी सरकार करने में अक्षम है, हमारे यहां के मन्त्री जब भी जरूरत होती है वहां के विकास के नाम पर और चुनाव के नाम पर चन्दा लेने तो सब चले जाते हैं। जब बंबई में जाते हैं तो ठहरते उनके वहां पर है और जब उनके ऊपर मजबूरी आती है....

श्री सम्पत सिंह : आप केन्द्र के मंत्रियों की कह रहे हैं या राजस्थान के?

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपकी, आपके मंत्रियों की बात कह रहा हूं इसमें। आपकी सेवा नहीं कर पाये होंगे तो, आपकी भी कर देंगे। आप चले जायेंगे तो आपकी भी वहां बम्बई के अन्दर व्यवस्था करेंगे। आप उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था करें।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपके मुख्य मन्त्रीजी कई बार गये बम्बई, उन्हीं व्यापारियों ने....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें, डिबेट नहीं बनायें।

श्री सम्पत सिंह : दिल्ली, बम्बई की डायरेक्ट फ्लाइट है।

श्री सभापति : कृपया डिबेट नहीं बनायें।

Page No. 94

(९४)

श्री प्रेमसिंह दहिया : अपने यहां से मुख्य मन्त्री गये । हास्पिटल के लिये, चिकित्सा व्यवस्था के सुधार के लिये अपन ने चंदा वहां से लिया है । जब अपन चन्दा लेने के लिये तैयार हो जाते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस विषय पर घंटों बोला जा सकता है। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया । घटनाएं बहुत हैं, सारी घटनाओं का थोड़ा ही जिक्र होगा यहां पर । आपने महाराष्ट्र और असम में जो परिस्थितियों हैं उस पर प्रकाश डाल दिया, अब आपका काम खतम हो गया । अब आप तशरीफ रखें, विराजें ।

माननीय श्री दलजीतसिंह (अनुपस्थित)

श्री टीकमचन्द कान्त : मन्त्रीजी, इस बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या ?

श्री सम्पत सिंह : मैंने तो न्यूयार्क और वाशिंगटन तक के ख्वाब देखे हैं, यह बम्बई पर ही कैसे फुल स्टाफ लगा रखा है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : विषय की गंभीरता को डाइल्यूट मत कीजिये । माननीय श्री दलजीत सिंह । अनुपस्थित । माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव कोटा इंजीनियरिंग कालेज में वहां के प्रिंसीपल द्वारा की जा रही धांधलियों के खिलाफ है । माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सोसायटी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत कोटा इंजीनियरिंग कालेज का रजिस्ट्रेशन हुआ था । वह सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक स्वायत्तशासी संस्थान है । वहां पर वहां के जो प्रिंसीपल हैं, वे कई प्रकार की अनियमितताएं और धांधलियां कर रहे हैं खरीद फरोख्त में क्वाटर्स के अलाटमेंट में, अपाइंटमेंट में । इस तरह के कई चार्जेज उनके खिलाफ हुए तो वहां के कर्मचारी संघ ने लिखकर उन्हें दिया कि आप इन सब बातों की जांच करवायें । आपको शायद यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि कोटा इंजीनियरिंग कालेज के जो चेयरमैन हैं वे मुख्य मन्त्रीजी हैं लेकिन मुख्य मन्त्रीजी अपनी व्यवस्था के कारण न तो कभी वहां गये हैं, न वहां की गतिविधियों और कार्यकलापों की मुख्य मन्त्रीजी को कोई जानकारी है कि वहां क्या होता है, क्या नहीं होता है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : दोनों ग्रुप मिल चुके है । मुख्य मन्त्रीजी की वार्ता चल रही है, मेरे चैम्बर में बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मिल रहे होंगे । यह बहुत अच्छी बात है मिलना चाहिये क्योंकि वे चेयरमैन हैं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, मुख्य मन्त्रीजी और माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, आपकी जानकारी में ये सब बातें हो रही हैं, मैं तो समझ रही थी आप अनभिज्ञ हैं। आप भिज्ञ हैं इन बातों से....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप बोल लीजिये, फिर बता दूंगा ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको इन सब बातों की जानकारी है फिर इस सम्बन्ध की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? कोई जांच क्यों नहीं बैठाई ? उस बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की ? आज वहां पर करीब एक महीने से ज्यादा, मैं तारीख बताती हूं, 5-8-91 को वहां कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश पचौरी को निलम्बित किया गया था। कर्मचारी संघ ने जब इस बारे में आन्दोलन किया तो 24-8-91 को पुलिस ने उनका बड़ा दमन किया। पुलिस की दमनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप उन्हें ट्रक में भर-भर कर किसी जगह छोड़ दिया गया, पीटा भी गया। वहां से दो मन्त्री आते हैं और दोनों बड़े ही इफेक्टिव हैं। यह बात भी नहीं है कि कोई उनको सुने नहीं। औरों की तरह से नहीं हैं वे। दो मन्त्री वहां से आते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कर्मचारियों का आन्दोलन हो। कोटा इंजीनियरिंग कालेज भी अपना बहुत महत्व रखता है। नया कालेज होने के नाते वहां पर सभी तरीके की चीजें, चाहे फर्नीचर की खरीद फरोख्त का सवाल हो, चाहे लेखा विशेषज्ञों के जो आडिट पैराज उनके खिलाफ दिये हैं। इतना ही नहीं है, माननीय सभापति महोदय, जो वहां के प्रिंसीपल हैं वे एक ही समय में दो मकानों का किराया उठा रहे हैं। जयपुर में जिस मकान में रहते हैं उसका भी किराया ले रहे हैं और रहते हैं वे गैस्ट हाउस में। गैस्ट हाउस का किराया तो वे ले नहीं सकते इसलिये वहां सुख सुविधाओं का सारा उपयोग कर रहे हैं और जयपुर में जो मकान इनका है उसका वे किराया चार्ज कर रहे हैं, उसका किराया ले रहे हैं। नयी दो दो कारें वहां पर हैं। नयी कार खरीदने में भी जो अनियमितता उन्होंने की है, डी. जी. एस. डी. रेट्स के ऊपर, अप्रूव्ड प्राइस के ऊपर कार नहीं खरीदी हैं बल्कि ऐसे ही उन्होंने अपनी कार जो थी, मनमाने तरीके से खरीद ली और उस पर आडिट पैराज भी उनके हुए हैं। टेलीफोन बिल्स के बारे में भी ऐसा ही है। जिस अधिकारी को उन्होंने चाहा, जैसे नियुक्ति दे दी। रजिस्ट्रार के सगे भतीजे वहां पर यू. डी. सी. थे। जब उनके खिलाफ अनियमितता की शिकायत आयी कि यह परचेजिंग में और सब में स्टोर में बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनको यू. डी. सी. से उठा कर परचेज अफसर बना दिया। इसी प्रकार से एक ए. ईएन. को जो इरिगेशन विभाग से ओन डेपुटेशन था, वहां पर एक्स. ईएन. बना दिया। उसके लिए चैयरमेन की अनुमति भी नहीं ली, जो कि लेनी आवश्यक है। मुख्य मन्त्री जो चैयरमेन हैं, या तो उनकी अनुमति लेते या जो मैनेजमैंट कमेटी बनी हुई है इंजीनियरिंग कालेज की, उसकी अनुमति लेते, उसकी सेंक्शन लेते। लेकिन किसी की भी नहीं ली। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार से एक तरफ तो इनको सरकार ने छूट दी है लीपापोती करने की और दूसरी ओर इन सभी अनियमितताओं को लेकर के जिन कर्मचारियों ने इस बात को उठाया है उनका पुलिस के द्वारा दमन किया जा रहा है। आवश्यकता तो इस बात की थी, डेमोक्रेसी का स्वस्थ तरीका तो यही है कि जब कभी कर्मचारी किसी बात को लेकर आन्दोलित हों तो उनसे पूछा जाय कि आन्दोलन करने के पीछे आपका क्या मकसद है। वे स्वयं की मांगों को लेकर आन्दोलन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं कर रहे थे बल्कि कालेजेज में होने वाली धांधलियों को लेकर कर रहे थे। इसलिए पहले मुख्य मंत्री जी को चाहिए था कि वे उन्हें पूछते। बजाय इसके वे जिस बात को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं उन्हीं का दमन किया जा रहा है। मैं समझती हूं कि यह बहुत गलत है। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, आज कोटा इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल यहां आये हुए हैं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : प्रिंसिपल के साथ जो दूसरा ग्रुप, पार्टी जो आन्दोलन कर रही है उनके छात्रों के और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी आये हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बड़ी खुशी की बात है। देर आये दुरूस्त आये। डेढ़ महीने बाद ही सही, आप इस बारे में सचेष्ट तो हुए। मैं समझती हूं कि जब वे आये हैं तो कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री गोपालसिंह खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्या ने बताया, सभापति महोदय, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। यह आन्दोलन पहले से चल रहा है और दो मर्तबा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप यह क्यों कह रहे हैं? यह तो मुख्य मंत्री जी कहें कि टेक्नीकल एज्यूकेशन के मिनिस्टर हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मुख्य मंत्री जी के कहने से ही मैं कह रहा हूं। वे किसी कार्य में व्यस्त हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, जोइंट रैस्पांसिबिलिटी है। कोई भी जवाब दे सकता है, आप जानती हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे जवाब नहीं दे रहे हैं, वे थोड़ी सूचना दे रहे हैं।

श्री सभापति : सूचना भी दे ही सकते हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपकी जानकारी एक तरफा है इसलिए कहना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि एक-दो माह हो गये, मुख्य मंत्री इस डिपार्टमेंट के इन्चार्ज हैं। मैं खुद सात तारीख को गया हूं। मैंने दोनों पक्षों को बुलाया है, उनसे बात की है। वे उसके बाद दो मर्तबा यहां आकर मुझसे मिल गये हैं। जो आरोप लगाये हैं, उनके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि स्वयं मुख्य मंत्री जी ने वहां के डिविजनल कमिश्नर डी. आर. वर्मा को इन आरोपों की जांच के लिए नियुक्त कर दिया है। उनकी जांच आने के बाद में जो भी दोषी होंगे। दूसरा, मैं जांच के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन वहां के प्रिंसिपल का आरोप है कि दूसरा ग्रुप जो कर्मचारी हैं उन्होंने दफ्तर में जाकर मेनहेंडलिंग किया है और उसके घूंसे मारे हैं। यह उसका चार्ज है। तो दोनों पक्ष अपने स्थान पर हैं। रहा सवाल पुलिस की ज्यादती का, पुलिस के द्वारा कोई ज्यादती जानबूझ कर नहीं की जाती। उनको समझाने का है। चूंकि मैन रोड

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

पर उनका कालेज है, आने-जाने वाले ट्रकों को नहीं रोकने के लिए समझाते हैं। नहीं समझने के बाद उनका जो तरीका है उनको हटाने का, वह तरीका ही किया है, जुल्म ज्यादती वाली कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने दो बार उनसे टेलीफोन से बात की और आज सुबह से मेरे पास आये हुए हैं। मैं उनको भी मुख्य मंत्री जी से मिलवाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय डा. चन्द्रभान।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री लक्ष्मीलाल एवं माननीय श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव एक महिला की हत्या और उसके सम्बन्ध में कानून और व्यवस्था के मामले के सम्बन्ध में है। श्रीमती एजल पिता परसराम जाट निवासी चोइला का दड़ा, पुलिस स्टेशन सदर थाना भीलवाड़ा की लाश दिनांक 14. 8. 91 को—

(1.45 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ग्राम माधोपुरा में उसके ससुराल के खुद के कुए में पाई गई थी। श्रीमती एजल का विवाह ग्राम माधोपुरा के श्री देबीलाल पिता भैरू जाट के साथ हुआ था और वह ससुराल आती-जाती थी। श्रीमती एजल के साथ कई दफे पहले भी मारपीट हुई। उसके पति, ससुर और सास के द्वारा उसको बार-बार प्रताड़ित किया जाता था। उसके साथ मारपीट होती रहती थी। वे दहेज के सम्बन्ध में उसे यातना देते थे। श्रीमती एजल जिसके साथ एक महीने पहले मार-पीट की गई थी, उसकी वजह से उसने अपने पीहर में शरण ली। लेकिन पीहर वालों ने उसे समझा बुझा कर एक महीने पहले उसके ससुराल माधोपुरा भेज दिया था। वहां जाने के बाद 13. 8. 91 को रात्रि में श्रीमती एजल के साथ उसके ससुर, पति और सास ने मारपीट की। दूसरे दिन 14. 8. 91 को उसकी लाश उनके स्वयं के कुए में पाई गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, इस सम्बन्ध में जो तथ्य हैं वे आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्रीमती एजल की लाश 14. 8. 91 को उसके स्वयं के कुए में पाई गई थी। उसके बाद 15. 8. 91 को पोस्टमार्टम हुआ जिसमें श्रीमती एजल के शरीर पर कई तरह की चोटें पाई गईं, जो मृत्यु पूर्व की थीं। उसके बाद में भी श्रीमती एजल के पिता परसराम जाट ने बार-बार पुलिस एस. पी. भीलवाड़ा और अन्य पुलिस अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में सारे तथ्य दिये हैं कि श्रीमती एजल की मृत्यु कुए में पानी में डूबने से नहीं हुई बल्कि उसको मारपीट कर जब वह समझा कि वह मर गई तो उसको कुए में डाल दिया। उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी तथ्यों का हवाला देते हुए उसने दो बार पुलिस एस. पी. भीलवाड़ा को 27. 8. 91 और 6. 9. 91 को प्रार्थना की कि इस सम्बन्ध में हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही

(श्री लक्ष्मीलाल)

की जाय। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में प्रभावशाली आदमी जो उसको बचाने लगे तो किसी प्रकार से इस सम्बन्ध में धारा 306, 498 (अ) आई. पी. सी. के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन आज दिन तक इस सम्बन्ध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और इस सम्बन्ध में जिस प्रकार कार्यवाही होनी चाहिए उस तरह से कार्यवाही नही हुई।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि श्रीमती एजल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें उसका पानी में डूबने का मामला बताया गया है। लेकिन उसके शरीर पर जो चोटें पाई गई हैं उसमें कई ऐसी चोटें हैं जो उसकी मृत्यु पूर्व की हैं और उसको इस तरह से बेहोश कर कुएं में डाल कर उसकी मृत्यु की गई है। उसके साथ उसके गांव वाले, उसके परिवार वाले और दूसरे लोग भी हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वह मुकदमा 306, 498-ए के अन्तर्गत दर्ज किया गया है जब कि यह मुकदमा सीधा 302 आई. पी. सी. का है। उसके अन्दर इन मुजलिमों को गिरफ्तार कर कानून के हवाले किये जाने का मामला है लेकिन 14. 8. 91 से आज दिन तक न तो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की गिरफ्तारी हुई न ठीक तरह से पूछताछ की गई और इसको रफादफा करने की कार्यवाही चल रही है। यह गम्भीर मामला है, महिला को दहेज सम्बन्ध में हत्या का और कानून और व्यवस्था का मामला है इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कृपया जो प्रभावशाली आदमी इस मुकदमे से मुलजिमों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको सफल नहीं होने दें। यह महिला की गम्भीर हत्या का मामला है, उसको कानून के हवाले करें। दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करवावें और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे कांस्टीट्युएन्सी में चोयलों का खेड़ा की लड़की एजल रहने वाली है। उसकी शादी माधोपुर में हुई। जिस दिन यह वाकया हुआ, उसके एक दिन पहले खेत में उसके पति ने उसकी पिटाई की। उसके पीछे कारण यह है कि खेत में काम करने की भावना को लेकर उसने यह कहा कि आप मेरे से ईर्ष्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। इस पर उसने जंगल में जो ढाक के पत्तों की लकड़ी होती है, उससे उसे पीटा। यह बात स्पष्ट है और उसके इंजरी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इंजरी आई है। इसका तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया 306 और 398 में। डीवाई. एस. पी. वहां पर गये और वे उसकी सारी इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिटने के बाद वह लड़की रात भर घर में रही। सास और हसबैण्ड दोनों घर में रहे। सुबह सास और हसबैण्ड जंगल में चले गये। पीछे से उस लड़की एजल ने यह किया कि वह गांव से अपने दोनों बच्चों को लेकर गई। पहले तो उसने कुएं में गिरने का प्रयत्न किया....

(श्री बंशीलाल पटवा)

(व्यवधान) सुन लीजिये। मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री बंशीलाल पटवा : फिर आप बोल लीजिये। मैं ऑन रिकार्ड बात कर रहा हूं। बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुनने में क्या परेशानी है आपको ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़े ही है जो आपने इनको बोलने की इजाजत दे दी ? आगे स्थगन प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : हेतराम जी, पहले मेरी बात तो कम्पलीट हो जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज लास्ट डे है। कोई परम्परा की बात नहीं है। कोई परम्परा नहीं डाली जा रही है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : यह परम्परा अच्छी नहीं है। एक सदस्य उत्तर दे और इसका स्पष्टीकरण न दे। यह बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

श्री घासीराम चौपड़ा : माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय सदस्य मुझे जवाब दे रहे हैं। आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लक्ष्मीलाल जी, बिराजिये। आर्डर प्लीज। आप संक्षेप में कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मंत्री जी से जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब, प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : आप सच्चाई को सुन लीजिये। उस औरत ने दोनों बच्चों को कुएं में डालने का प्रयत्न किया। चमार जाति की एक लड़की ने उन्हें रोका। दोनों बच्चों को घर में बंद किया। फिर ताला तोड़कर दोनों बच्चों को निकाला और गांव वालों के सामने गांव के सार्वजनिक कुएं में पहले दोनों बच्चों को डाला, फिर बाद में वह गिरी। दोनों बच्चों को निकाल लिया गया और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में उसकी लाश को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। सारा इन्वेस्टीगेशन, कार्यवाही नियमानुसार कर रहे हैं। मेरे पास में दोनो पार्टियां आई हैं। जो एजल मरी है उसका पति भी आया है और उसके पेरेन्ट्स भी आए हैं। उसमें पहल की है और कार्यवाही की जा रही है। ये सारे मिथ्या आरोप उन्होंने खड़े किए हैं।

(160)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्द सिंह जी। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में बहुत अफसोस है। माननीय सदस्य कोई वक्तव्य दे रहे हैं और दूसरे माननीय सदस्य की दिलचस्पी है किसी मामले में कोई उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी है और इसको स्वयं उठा रहे हैं। वे किस हैसियत से ऐसा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बेनीवाल साहब। माननीय गोविन्द सिंह जी। (व्यवधान)

आप कम्पलीट कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए और खड़े हो गए हैं। (व्यवधान) नहीं, बिराजिये आप।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरे क्षेत्र का मामला है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फेक्ट्स दिये हैं, ये जो गलत बता रहे हैं, मैं उस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, From the above post mortem examination findings, we are of the opinion that the case is of his drawning in water. (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : इंजरी है। दोनों बच्चों को डाला है, आपने बताया ही नहीं।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय सदस्य, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वह 13 तारीख की रात को कुए में पड़ी थी और उसमें ड्यूरेशन 24 से 36 घन्टे तक का बताया है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, आप गृह मंत्री नहीं हैं। गृह मंत्री जी जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीलाल : यह अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है जिसके अन्दर 34 घण्टे से 36 घन्टे तक का बताया है। आपने उसकी 14 तारीख बताई है जबकि 13 तारीख की रात को कुए में डाला है। ये कई तथ्य हैं जो आप गलत बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : मेनिपुलेट मत कीजिये, वकील साहब। मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय गोविन्द सिंह गुर्जर। माननीय पटवा साहब, बिराजिये आप। आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो आपको यह रिपोर्ट पेश हुई तो चोटें थीं और वह गिरकर या मारकर गिरी, वह एक अलग इन्वेस्टीगेशन की बात है। उसमें इस तरह से पाया गया है। यह अलग बात है कि कैसे गिरी, क्या गिरी, मारी गई या नहीं मारी गई। जैसे मांडल से

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि जो तथ्य एफ. आई. आर. में बताये गये, उसके अनुसार मामला 302 में दर्ज होना चाहिये। दूसरी बात है कि 458-ए इसमें लगाई है। 458-ए नोन बैलेबल आफेंस है और इतने दिन इस घटना को हो गये हैं, मुजरिम बड़े आराम से घूम रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसलिए संशय होता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच करा लें और 302 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दें दें ताकि जो हकीकत है वह सामने आ जाए। मारी है या नहीं मारी है, यह इन्वेस्टीगेशन का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरणजी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ऐसा गम्भीर मसला रखा है जिसमें चार महीने से कोटपूतली बार के करीब 40 सदस्य हड़ताल पर हैं। हड़ताल में उन्होंने मांग की है कि कोटपूतली को जिला बनाया जाय। मैंने उसमें बीच-बचाव करने की कोशिश की है। विश्वास है आपके माध्यम से कानून मंत्री जी इस सम्बन्ध में आज ही घोषणा कर देंगे तो मुझे इस हड़ताल को तुड़वाने में मदद मिलेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : आपकी जिले की बात थोड़े ही है, ए. डी. जे. कोर्ट की बात है।

श्री रामकरण सिंह : अभी मैं निवेदन कर रहा हूं। लेकिन मैंने जिक्र किया है....

श्री उपाध्यक्ष : जिले की मांग पर तो इनका समझौता करा दें। दूसरी मांग पर अब आ रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : मैं वकील तो नहीं हूं लेकिन आप जैसे वकीलों से बहुत कुछ सीख लिया है इसलिए उसमें जिक्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के पास रखी है, बिना उसके मैं, कोई बात नहीं बोल रहा हूं। 4 महीने से बार के मेम्बर्स ने हड़ताल कर रखी है। जितने केसेज-चाहे एक्सीडेन्ट के हों, हड़ताल के हों, फौजदारी के हों, चोरी के हों, कोर्ट में कोई भी वकील नहीं जाता। तो जनता के साथ में क्या परेशानी है, यह महसूस करने की बात है। मैंने इसमें लिखा है कि यदि जिला अभी नहीं खोल सकें और जिला खोलने के आदेश करने में देरी होती है तो ए. डी. जे. कोर्ट के आदेश कर दिये जायें ताकि मैं हड़ताल को तुड़वाने की कोशिश करूं। मैं आपके माध्यम से कानून मंत्रीजी और मुख्य मंत्री जी इतना चाहता हूं। मेरा तो ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण देने का मकसद नहीं था। अच्छा हो यदि इसके बारे में कुछ भी उत्तर फर्मा दें। आगे आपके टाइम की बचत कर दूंगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बारे में कुछ जवाब तो दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आगे बोलिये आप। आपकी बातें रिकार्ड हो रही हैं। सब सुन रहे हैं। आप बोलते जाइये।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, बोलने की जगह मेरे पास बहुत है लेकिन मैं चाह रहा

(श्री रामकरण सिंह)

हूं कि आप कर दें तो समय की बचत हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए बजट सेशन में मैंने आग्रह किया था, उस समय भी राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी उत्तर नहीं आया। अब भी मैंने बराबर दिया और अध्यक्ष महोदय से यह कहा कि अध्यक्ष महोदय, कम से कम मेरी यह चीज तो रखिये। मैंने शार्ट नोटिस क्वश्चन दिया उसका जवाब आया, वह नदारत हो गया। सचिवालय में भी मैंने केवल 8 क्वश्चन दिये थे उसमें से एक भी नहीं आया। इसी सिलसिले में तारांकित प्रश्न केवल दो दिये थे, वे भी नहीं आये। तो ऐसा लगता है कि उधर माननीय कांग्रेस के सदस्य हैं जो पार्टी के हैं....

और इधर बी. जे. पी के लोग हैं तो इनका तो समूह है। इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से डरते भी हैं और यह समझते हैं कि चने भाड़ को नहीं फोड़ते। मैं आपके माध्यम से आगाह कर दूं कि मैं भाड़ ही नहीं फोड़ सकता बल्कि उसको इतना कर दूंगा कि वह भाड़ किसी तरह से भी दुबारा भड़भूजे के पास आ नहीं सकती है। मैं + + + देता आया हूं, देता रहूंगा।

(2.00 प.म.)

श्री हरिकुमार औदिच्य : चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, + + +।

श्री रामकरण सिंह : आपको और सरकार को + + + देना चाहता हूं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करके मेरे यहां के कोई भी काम को चाहे वह + + + में आये तो वहां दबाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : + + +। जो शब्द बोला है, उसको डिलीट कर देना।

श्री रामकरण सिंह : मैं यह कह रहा हूं सरकार दबा देती है। अब आप तो क्या करें। आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। आपके लिए तो मैं सम्मानपूर्वक कह रहा हूं। लेकिन वह दबा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यहां ऐसा नहीं होता है।

श्री रामकरण सिंह : इसलिए मैं आग्रहपूर्वक आपके माध्यम से सरकार को कह रहा हूं। यही नहीं, मेरा यह विषय नहीं है और मुझे नहीं कहना चाहिए कि जो जलदाय मंत्री हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उनके कुछ नहीं करने से कोटपूतली का व्यक्ति प्यासा नहीं मरेगा। जिस तरह से झांसा देकर उन्होंने मेरे से कई प्रस्ताव लिये और एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो केवल उपाध्यक्षजी से कह रहा हूं कि यह हालत है। पक्षपात का एक उदाहरण मैंने दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, उपखंड कोटपूतली में तीन तहसीलें हैं, बहरोड़, शाहपुरा और कोटपूतली। उनमें इतने केसेज हैं कि जो

+ + + शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामकरण सिंह)

दूसरे जिले के किसी हिस्से में नहीं है। उपखंड सांभर और कोटपूतली में ही इतने केसेस हैं। जयपुर जिले के इतने केसेज जो 10-10, 15-15, 20-20 सालों से पेण्डिंग हैं, वहां जिस तरह से लोगों को आना पड़ता है, तो इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी इस चेयर की मार्फत सरकार ने दबाव माना है और वहां टेमप्रेरी ए. डी. जे. कोर्ट की तो पहले व्यवस्था कर दी। अब मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि किसी भी तरह से परमानेन्ट आदेश जारी करके वहां ए. डी. जे कोर्ट चालू कर दें, ताकि वहां चार महीने से चल रही वकीलों की हड़ताल समाप्त कराने में मुझे मदद मिले। आपकी और सरकार की तरफ से आम जनता को जो परेशानी हो रही है, अदालतों में जो अनाप-शनाप खर्च हो रहा है, वह बच सके और जितने पेण्डिंग केसेज हैं, उनका जल्दी से निपटारा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल जी मीणा। (अनुपस्थित)

श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर एस. आर. सुखाड़िया जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सा प्रभारी हुरनोदा में नियुक्त थे, अनुसूचित जाति के होनहार नवयुवक चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा का कार्य कर रहे थे। इनका 26-8-91 को गम्भीरी बांध में शव मिला। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और पुलिस उसे आत्म हत्या के रूप में बदलकर इस मामले को रफा-दफा करने में लग रही है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। डाक्टर एस. आर. सुखाड़िया हरनोदा में कार्यरत थे, उस समय श्रीमती पुष्पा चूंडावत प्रसाविका ने पुलिस थाना निम्बाहेड़ा में मुकदमा नम्बर दो, 323/498 आई. पी. सी. 11/1/91 दर्ज कर रखा था। इस वाकये से दस दिन पूर्व श्रीमती पुष्पा देवी और उसके वकील रामकुमार वर्मा, यह दोनों आये कि आप दोनों के बीच में जो मामला चल रहा है, तीस हजार रुपये में इस मामले को निपटा देते हैं, आप गम्भीरी बांध के पास आ जाइये। उस स्थान पर वह व्यक्ति गया और उसके बाद उसकी लाश मिली। मैं इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे पास तथ्य आये हैं, जिनको मैं सदन की मेज पर रखने वाला हूं, इस घटनाक्रम में जिस प्रसाविका का मैंने नाम लिया है, उसकी वहां कोई ड्यूटी नहीं थी और घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों के साथ वह वहां देखी गई थी। उसका वहां आने का मकसद क्या था? मकसद साफ था कि वह वहां इस मामले को पुलिस के साथ मिलकर दबाना चाहती थी। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है। पिछले एक, डेढ़ वर्ष में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर हो गई है। कहीं एम एल.ए. और कहीं डाक्टर पिट रहा है। हरिजन एट्रोसिटीज इतनी हो रही है, मैं समझता हूं कि पिछले सारे रिकार्ड टूट गये हैं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैं ज्यादा तथ्यों में नहीं जाकर आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले की गम्भीरता को देखिये। मुझे अफसोस है कि सत्ता पक्ष के लोग एक पढ़ा लिखा डाक्टर जो वर्षों से अपनी सेवाओं के माध्यम से चित्तौड़ के आदिवासी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाये और सत्ता पक्ष के लोग उपहास उड़ाये तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। मैं इन सारे तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इनको पूरा करने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो आप नियमों से उसको उठाइये। इसमें आपके बारे में थोड़े ही कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले को लेकर सारे बीकानेर में और राजस्थान के तमाम लोगों में रोष है। बीकानेर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन को लेकर हमारे कुछ मोहल्लों में आंशिक बंद का आह्वान भी किया गया। उस रैली में हमारे जिला अधिकारियों ने भी वहां की रिपोर्ट और अखबारों में जो समाचार छपे हैं, उनकी कटिंग, कुछ एफ. आई. आर. और जो पुराने मुकदमें चल रहे हैं उनकी सारी की फोटो स्टेट कापियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। मृतक की पत्नी राधा सुखाड़िया ने इस हत्याकाण्ड के पहले एक एस.डी.एम. कोर्ट को अपनी ओर से प्रार्थना-पत्र दिया था कि मेरे पति और मेरे परिवार को जान और माल का खतरा है, हमें सुरक्षा प्रदान की जावे। इन सब चीजों के बावजूद सारे तथ्यों की अनदेखी की गई। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारे दस्तावेज जो प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके आधार पर यह मामला यदि राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो कम से कम इसको सी. बी. आई. को देकर पूरे तथ्यों की जांच करके अभियुक्तों को और जो इसमें नामजद श्रीमती राधा देवी, पत्नी एस. आर. सुखाड़िया ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है, उन दस्तावेजों के आधार पर पूरी जांच सी. बी. आई. को सौंपकर प्रार्थी राधा देवी को न्याय दिलाया जावे। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में गृह मंत्री जी को गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए और हरिजन एट्रोसिटीज के बारे में धारा तीन का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। विधायक के साथ जो मार-पीट हुई है, उसमें भी आपने तथ्यों के बारे में स्वयं ने कहा है कि प्रवर्तन अधिकारी ने स्वयं ने यह बात कही है कि उनके साथ मार-पीट हुई है, उनको भला-बुरा कहा गया लेकिन आपने धारा तीन को हटा दिया। इसी तरीके से इस केस में भी इसको आत्म-हत्या के मामले में जो तब्दील किया जा रहा है। उसको नहीं किया जाये और सी. बी. आई. को मामला सौंपा जाये और यह कागज मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखने से कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। कल्ला साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आपने अनुमति ली नहीं कि सदन की मेज पर रख रहे हैं। सदन की मेज पर रखने लायक कागजात हैं क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, हैं।

श्री उपाध्यक्ष : होंगे, मैं इसको मना नहीं करता लेकिन आप चेयर से अनुमति भी नहीं ले रहे हैं और यहां रख रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपकी अनुमति से ही रख रहा हूं। यह कागजात सचिवालय के माध्यम से....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजे।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब इतना गम्भीर मामला उठाया तो माननीय कल्ला साहब इसको बिल्कुल गम्भीरता से ही लें और इन कागजों को अगर सही मायने के अन्दर सारी जांच करवाना चाहते हैं और एडीशनल फैक्ट्स ही कागजों के माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं तो आप मेरे को दे दीजिये। मार्फत से क्या होगा आप मेरे को ही दे दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको कापी दे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नाटक करते हैं केवल।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजे। महावीर जी आप बिराजें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : जो यह पेपर्स रखे गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पेपर्स का निपटारा हो गया, मिनिस्टर साहब ले रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वह तो कापी दे रहे हैं इनको तो।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना वह डाइरेक्ट उधर ही जा रहा है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : डाइरेक्ट दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां। माननीय श्री बिरदाराम चौधरी।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जो मार्बल के सम्बन्ध में है। मकराना मार्बल के लिहाज से एक विश्व विख्यात जगह है और मकराना में तो मार्बल निकलता ही है लेकिन बाहर से भी काफी जगहों से मार्बल आता है और जैसे राजनगर, अलवर, सिरोही और माउण्ट आबू। ऐसी कई जगहों से कच्चा माल मकराना में आकर मकराना में चिराई होती है और उसके बाद निकलता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि पहले भी इस सदन में एक चर्चा हुई थी कि बाहर से जो मार्बल आता है उसकी दोहरी रॉयल्टी लगती है। पहले जहां से मार्बल निकलता है। और मार्बल वहां से भरा जाता है वहां पर उसकी रॉयल्टी दी

(श्री बिरधाराम चौधरी)

जाती है ग्रौर फिर मकराना में ग्राकर ग्रौर उसकी चिराई होकर जब बाहर जाता हैं तो फिर उस पर ग्रौर रॉयल्टी ली जाती है। इस सम्बन्ध में यहां पर सदन में चर्चा हुई थी ग्रौर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह ग्राश्वासन भी दिया था सदन को कि दोहरी रॉयल्टी नहीं लगेगी ग्रौर उसी के ग्रनुसार ग्रादेश भी कर दिये बताते हैं। हालांकि मेरे को सूचित नहीं किया लेकिन इसकी दोहरी रॉयल्टी को समाप्त कर दिया बताते है। ग्राज भी मकराना में जो बाहर से मार्बल ग्राता है ग्रौर मकराना से जाता है उस पर दोहरी रॉलल्टी ली जाती है। पिछली बार काफी दिनों पहले माननीय खनिज मंत्री महोदय वहां मकराना पधारे थे तो उन्होंने भी सार्वजनिक घोषणा की थी कि ग्राज के बाद में इसकी दोहरी रॉयल्टी नहीं ली जायेगी लेकिन ग्राज भी उस पर दोहरी रायल्टी वसूल की जा रही है।....

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको कम्प्लीट करने दीजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक मिनट में बात हो जाती है। यहां सदन के ग्रन्दर ग्रखबार लेकर पढ़ना सदन के नियमों के ग्रनुकूल नहीं है। ग्रौर व्यासजी पढ़ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसने कह दिया ग्रनुकूल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्रनुकूल है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। जैसी व्यवस्था है उसके ग्रनुसार ग्रखबार यहां नहीं पढ़ा जा सकता।

श्री टीकमचन्द कान्त : बिल्कुल ऐसा है, पिछले सत्र में कई बार हो चुका है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह रुलिंग दी हुई है।

श्री दिग्विजय सिंह : ग्रगर ग्रखबार ग्राप यहां पढ़ने लग जायेंगे तो लाइब्रेरी बन्द हो जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रखबार से मोशन बनता है, रिजोल्युशन....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रखबार सदन में नहीं पढ़ा जाना चाहिये। (व्यवधान)

माननीय व्यासजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : समाचार पत्रों पर ग्रापका विश्वास है क्या?

श्री मदन दिलावर (ग्रटरू) : समाचार पत्रों को यहां पर पढ़ा नहीं जा सकता। ग्राप होम वर्क करके ग्राया करो।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस दोहरी रायल्टी की घोषणा माननीय खनिज मन्त्री महोदय ने मकराना के ग्रन्दर सार्वजनिक सभा में की थी कि ग्राज के बाद में दोहरी रायल्टी नहीं लगेगी ग्रौर उस बात को 7-8 महीने हो गये ग्राज भी वह दोहरी रॉयल्टी ली जा रही है ग्रौर इसकी वजह

(श्री बिरधाराम चौधरी)

से, दोहरी रॉयल्टी ली जाने की वजह से आज मकराना का जो मार्बल का उद्योग है वह चोपट होता जा रहा है। आज जहां पर दूसरी जगह मार्बल है वहां पर किशनगंज में आता है वहां पर चिराई होती है वहां पर रायल्टी नहीं ली जाती, वहां पर टैक्स कम लिया जा रहा है। तो उसकी वजह से मकराना जो मार्बल की मण्डी है इस दोहरी रॉयल्टी से खत्म होती जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि आज ही सदन में जो घोषणा मकराना में की थी और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि दोहरी रॉयल्टी समाप्त की जायेगी और समाप्त कर दी गयी है उसकी आज ही घोषणा करेंगे कि वास्तव में यह समाप्त कर दी गयी है और आज के बाद में दोहरी रॉयल्टी नहीं ली जायेगी।

दूसरी, बात इसके साथ साथ यह है कि पहले मकराना में दो तरफ के व्यापारी थे। एक तो छोटे व्यापारी जो अन–रजिस्टर्ड डीलर्स हैं और दूसरे रजिस्टर्ड डीलर्स हैं। दो तरह के व्यापारी थे और जो रजिस्टर्ड डीलर है उनके मार्बल पर टैक्स लिया जा रहा था और अन रजिस्टर्ड डीलर पर टैक्स नहीं लिया जा रहा था लेकिन अबकी बार सरकार ने जो अन रजिस्टर्ड है उन पर भी टैक्स लागू कर दिया है और उसकी वजह से मकराना का जो मार्बल का उद्योग है उसके ऊपर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ा है। आज स्थिति यह हो गयी कि कोई भी अन रजिस्टर्ड डीलर है और बाहर माल नहीं भेज रहा है वह माल देता है वहां के रजिस्टर्ड डीलर को जो बड़े व्यापारी है और बड़े व्यापारी यह कह कर उससे मार्बल नहीं लेते हैं कि हमारे पास माल आयेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार जो यू. आर. डी. टैक्स लगाया गया है जिसके लिये माननीय मन्त्री महोदय से हमारे मकराना के लोग, व्यापार मण्डल के व्यापारी वर्ग के लोग मिले थे और लिखा भी है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस संबंधों में व्यवस्था करने जा रहे हैं कि यू. आर. डी. टैक्स नहीं लगेगा लेकिन आज तक यह टैक्स लेने से मकराना का व्यापार करीब करीब आधा हो गया है और ऐसी स्थिति हो गयी है कि यदि यह टैक्स खत्म नहीं किया और डबल रायल्टी खत्म नहीं की गयी तो मैं यह समझता हूं कि यह जो विश्व विख्यात पत्थर का, मार्बल का उद्योग है वह खत्म हो जायेगी और वहां पर, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर वर्ग, 50 हजार आदमी रोज मजदूरी करते हैं और व्यापार करते हैं और आज अकाल की स्थिति है, उन मजदूरों पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे नागौर जिले में अकाल की स्थिति है। मकराना ऐसा इलाका है जहां पर खान है, मार्बल है यदि यह सुचारू रूप से चले तो वहां पर काफी मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है।

इसी प्रकार मेरा यह निवेदन है कि जो दोहरी रॉयल्टी है इसको तुरन्त समाप्त करने की यहां सदन में घोषणा की जाय और दूसरा जो यू. आर. डी. टैक्स है इसको समाप्त किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले 295·

श्री उपाध्यक्ष : 295 के बारे में यह व्यवस्था दी गयी है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज पढ़े जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़े जायेंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी गयी थी उस व्यवस्था को आप बदल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव । माननीय श्री मदन दिलावर ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

कोटा, जोधपुर में कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जे ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत कोटा, जोधपुर नगर परिषद् क्षेत्रों में कब्रिस्तान के नाम से भूमि हड़पने वाला बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है जिससे कब्रिस्तानों की भूमि हड़पने का अभियान चलाया है जिससे कब्रिस्तान छोटे होते जा रहे हैं जिससे अल्पसंख्यकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी तथा स्थानीय शहर काज़ी की मिलीभगत से कब्रिस्तान की जगह रोकी जा रही है । कोटा शहर में सोफिया स्कूल के पास कब्रिस्तान की भूमि पर पत्थर के पन्द्रह स्टाक हैं इन स्टाकों के अधिकतर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है । इसी प्रकार चम्बल गार्डन के सामसे वक्फ बोर्ड द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर 26 दुकानें अवैध निर्माण करके चम्बल गार्डन के सामने सारी सुन्दरता बिगाड़ दी है और सारे असामाजिक तत्व उन दुकानों में अवैध कार्य करते हैं । तो ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड भी जानबूझ कर कब्रिस्तान की जमीनों को व्यवसाय में काम ले रहा है । अतः जिन लोगों ने दुकान बनाने की अनुमति दी है या बनाने में सहयोग किया है उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करें तथा उनके नाम बताये जावें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नयापुरा के कालपुरा स्थित कब्रिस्तान में भी मकानों का अवैध निर्माण कर बेशकीमती जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर हड़प कर वहां के दूसरे समुदाय का मजाक बनाया जा रहा है । इसी प्रकार नगर परिषद् जोधपुर क्षेत्र में भी मेहती सिलावटों में कब्रिस्तान में जाकिर हुसैन कालोनी, नागौरी गेट सिलावटी के कब्रिस्तान में साकिया कालोनी तथा चांदशाह तकिया, सोजती गेट के पास कब्रिस्तान में व्यवसायिक दुकान बनाकर कब्रिस्तान के नाम पर अरबों रूपये हड़पने का षड्यंत्र है जो असहनीय है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अगर कब्रिस्तान की जमीन पर व्यावसायिक व आवासीय दृष्टि से अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण होता रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा जब कब्रिस्तानों में उनके मकान होंगे व जहां हिन्दू अभी

(श्री मदन दिलावर)

निवास करने हैं वहां सारी जगह कब्रिस्तान होंगे। इस प्रकार के कृत्य को रोकना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके वातावरण को ना बिगाड़ा जाय। "जहां हिन्दू निवास करते हैं वहां कब्रिस्तान होंगे" यह गलत है। इस तरह की भावनाएं ठीक नहीं है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन कब्रिस्तान के नाम से अलाट की जाती है और वहां पर रहने लग जायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला और तरह का है। यह मामला अलाटमेण्ट का नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी इस तरह का मामला उठा था। यह गलत है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे अल्पसंख्यक भी परेशान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप पढ़ लीजिए।

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार के कृत्य को रोककर कब्रिस्तानों के आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण को तुरन्त हटाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय तथा मैं यह भी चाहूंगा कि कब तक ऐसे अतिक्रमणों को हटा दिया जायेगा। निश्चित अवधि बताएं तथा इस प्रकार से बढ़ते हुए कब्रिस्तानों पर रोक लगायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

किसानों को बिजली कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

श्री रामस्वरूप मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की हालत बहुत खराब है। किसान परेशान हैं, किसानों ने पैसे जमा करा दिये इसके बावजूद भी उनको बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए इस महत्त्वपूर्ण विषय पर मन्त्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

जिन किसानों ने पैसे जमा करा दिये उनको तत्काल बिजली दी जाय और गांवों में जो ट्रान्सफारमर जले हुए पड़े हैं उनकी तुरन्त व्यवस्था करिये। क्योंकि अकाल के कारण किसानों को इस समय भी पानी की बहुत आवश्यकता है। इसलिए तुरन्त व्यवस्था करें। दूसरा निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : 295 में जो लिखित है उसके अदरवाइज पढ़ेंगे तो मैं रोक दूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में जो नियम बना रखे हैं उन नियमों और परम्पराओं की पालना करें।

Page No. 110

(110)

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई माधोपुर में बिजली से संबंधित जो मामला है उसमें भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। माननीय विद्युतमंत्रीजी और माननीय जलदाय मंत्रीजी आप भी विराजमान हैं। मेरा तो निवेदन यह है कि यह दोनों विभाग आपके पास ही होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब व्यवस्था से चलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है जिन कुओं और ट्यूब वेलों में पानी है तो उनका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। जिसके कारण डीजल से चलने वाले पम्प सफल नहीं हो रहे हैं और किसान चलाता भी है तो उससे इतना खर्चा आता है कि पैदावार करने का कोई लाभ नहीं है। अतः इस क्षेत्र में बिजली की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर रखा है बेचारा किसान जिस पर इस सरकार ने इतना बोझ डाल दिया है जो बिजली के खम्बे के लिए पैसा नहीं दे सकता है उस पर इतना बोझ लगा दिया है कि वह जमा नहीं करा सकता है। गरीब आदमी को कनेक्शन ही नहीं मिल सकता है और जिन लोगों ने सालभर से पैसे जमा करा रखे हैं, उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है और गांवों में ट्रान्सफारमर जले हुए पड़े हैं। ट्रान्सफारमर जल जाने के कारण जिन किसानों ने नियम से कनेक्शन ले रखे हैं उसको भी बिजली नहीं मिल रही है। इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बहुत से गांवों को इलेक्ट्रीफाई बता रखा है। ऐसे गांवों की लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। ग्राम मोहनपुरा, ग्राम सुजानपुरा ग्राम भोंटवाड़ा आदि ग्रामों के अन्दर जिनके अन्दर आज तक बिजली का एक बल्ब नहीं जला, ट्रान्सफारमर नहीं लगा लेकिन आपके रिकार्ड में बिजली देना बताया गया है। इसके साथ साथ दूसरा निवेदन है कि टोडाभीम के अन्दर तीन ए. एम. वी. ट्रान्सफारमर लगाया जाय क्योंकि वहां पर किसानों को रात में बिजली मिलती है दिन के अन्दर बिलजी नहीं मिल पाती है। अतः इस ट्रान्सफारमर को जल्दी से जल्दी लगाया जाय ताकि किसान को दिन में बिजली मिल सके इसकी मांग पूर्व में भी उठी थी। इसके बारे में किसानों ने बहुत बड़ा आन्दोलन भी किया था। हजारों किसानों ने जयपुर में प्रदर्शन भी किया था लेकिन आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों ने पैसे जमा करा दिये हैं उनको तुरन्त कनेक्शन दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब आप बार बार उसी का रीपिटीशन कर रहे हैं बार बार व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। बैठें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो लाइन रह गयी है। इसके साथ साथ जो ट्रान्सफरमर हैं उनको अगर किसानों को डायरेक्ट जिम्मेदारी दे दें और खुद ही खरीद कर लगाये तो विभाग का बहुत बड़ा खर्चा जो बार-बार होता है उससे बचा जा सकता है। दूसरा सुझाव है बिजली की जो लाइनें हैं उनको अण्डर ग्राउण्ड लगायें ताकि बिजली की चोरी रुके। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज चौधरी साहब, बिराजिए।

श्री बिरधाराम चौधरी।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल पुलिस की डिमाण्ड थी उस में सदन में, राजस्थान में हो रहे अत्याचार और पुलिस की निष्क्रियता के बारे में यहां पर काफी चर्चा हुई और उस संदर्भ में राजस्थान विधान सभा एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में इस समय हर रोज समाचार पत्रों में राजस्थान के कोने-कोने में महिलाओं पर अत्याचार के समाचार छपते रहते हैं। जिसमें बलात्कार व जला-कर मार डालने जैसी घटनायें मुख्य रूप होती हैं। इन घटनाओं पर सख्ती नहीं करने एवं मुलजीमान को गिरफ्तार नहीं करने से ज्यादा अपराध होते हैं। जैसे अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाने में मु. नं. 19/89 धारा 366, 376 आई. पी. सी. दर्ज किया गया यह मुकदमा राजू सांटिया ने रूपनगढ़ थाने में दर्ज कराकर निवेदन किया था मुस्तगिस की पत्नि चन्दरी, पुत्री व पुत्र वधु मुकरड़ी व अन्तर को मुलजीमान भंवरलाल राजपुरोहित बोरावड़, मदनलाल सोनी बोरावड़ अन्य मुल्जिमान से मिलाकर तीनों महिलाओं का अपहरण किया व बलात्कार किया। यह मामला सन् 89 में विधान सभा में भी तत्कालीन सदस्य श्री जगजीतसिंह हुजी, सदस्य सुश्री पुष्पा जैन विपक्षी नेता माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने उठाया था एवं मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की मांग करने व माननीय उपाध्यक्ष श्री किशन मोटवानी के निर्देश पर महिलाओं के बयान लिए गये थे जिससे महिलाओं ने बलात्कार होना बयान किये थे। यह बात माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय सुश्री पुष्पाजी, अकाल राहत मंत्री को मालूम है। लेकिन अनुसूचित जाति के इस सांटिया परिवार की महिलाओं के अपहरण-कर्त्ताओं एवं बलात्कारियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इनको गिरफ्तार करने व चालान करने की राजू ने पुलिस अधिकारियों को निवेदन के लिए दर दर-भटकना पड़ा है। वह अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अपहरण व बलात्कार का मामला है। जिससे मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्य-वाही नहीं होने से महिला समाज व अनु-सूचित जाति में भारी रोष है। इसकी अविलम्ब तफतीश की जावे। यदि तफतीश लम्बित नहीं है तो पुनः तफतीश करावें।

मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाकर चालान करवाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई।

Page No. 112

(112)

राजस्थान में संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव राजस्थान में संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में वर्ष 1990-91 की स्थिति को आगे भी बनाये रखने के सम्बन्ध में है।

वर्ष 1989-90 से पूर्व राज्य भर में उपाध्यक्ष एवं संस्कृत के साथ हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए केवल एक संस्कृत एस. टी. सी. विद्यालय महापुरा (जिला-जयपुर) में कार्यरत था, जिसकी प्रवेश क्षमता मात्र 100 सीटों की थी तथा स्नातक स्तर के लिए चार संस्कृत ट्रेनिंग कालेज संचालित थे जिनकी प्रवेश क्षमता 400 थी।

प्राथमिक एवं स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण में विद्यमान इस भारी असन्तुलन को दूर करने की दृष्टि से ही संस्कृत जगत की व्यापक मांग पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 में तीन संस्कृत एस. टी. सी. स्कूल और कायम किये गये और उनकी प्रवेश क्षमता 180 रखी गयी। इस प्रकार 280 छात्र संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण में जाने लगे। राज्य सरकार ने गत वर्ष इन संस्कृत प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रथम वर्ष के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया और वर्ष 1991-92 में इन्हें मान्यता न देकर बन्द करने की स्थिति में ला खड़ा किया है। दूसरी ओर 1991-92 में सामान्य शिक्षा के 27 डाइट व 34 एस. टी. सी. विद्यालय कार्यरत हैं और संस्कृत शिक्षा क्षेत्र में मात्र एक ही, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यह भी बताया गया है कि सरकार ने सामान्य शिक्षा के गत वर्ष बन्द किये विद्यालयों में से कुछ को इस वर्ष फिर स्वीकृति प्रदान कर दी है, किन्तु संस्कृत प्रशिक्षण विद्यालयों को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गयी है। राज्य सरकार की इस कार्यवाही से संस्कृत छात्रों में भयंकर आक्रोश है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि तत्काल संस्कृत शिक्षा क्षेत्र के तीनों प्रशिक्षण विद्यालयों को मान्यता देते हुए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण की वर्ष 1990-91 की स्थिति यथावत रखी जाय, ताकि संस्कृत छात्रों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अभिनव शिशु क्रिया निकेतन, साकुलपुर प्राइमरी से मिडल में अभी तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

माउन्ट आबू में स्कूली छात्रा की आत्महत्या

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत मैं सदन का ध्यान माउण्ट आबू में एक स्कूली छात्रा द्वारा नक्की झील में डूबकर की गयी आत्महत्या के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में माउण्ट आबू की सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय की एक छात्रा द्वारा जो कि नवीं कक्षा में पढ़ती थी आत्महत्या की गयी है। वह छात्रा मरने से पूर्व अपने परिवारजन के नाम एक चिट्ठी छोड़कर गयी है। उस चिट्ठी के अनुसार

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

उसके अपने ही विद्यालय के तीन अध्यापकों द्वारा उस पर ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर कुकृत्य करने के लिए बाध्य किया गया तथा अश्लील हरकतें कीं। इस हरकत को यह बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकी और नक्की झील में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह एक होनहार छात्रा थी। इसके आठवीं कक्षा में 76 प्रतिशत नम्बर थे। जब इस छात्रा ने उक्त विद्यालय की नवीं कक्षा में प्रवेश लिया तो योगेन्द्र सिंह व दो अन्य अध्यापकों द्वारा यह दवाब डाला गया कि तू हमसे ट्यूशन कर, नहीं तो हम तुझे फेल कर देंगे। इन्ही अध्यापकों के ग्रुप द्वारा एक अन्य छात्रा पर भी ट्यूशन के लिए दबाव डाला गया और तीसरे मामले में इन्होंने फिर एक लड़की पर ट्यूशन के लिए दबाव डालते हुए उसके साथ गलत हरकतें की हैं। अध्यापकों का यह ग्रुप अभी भी स्कूल में मौजूद है। इन अध्यापकों की यह कार्यवाही निश्चित रूप से शिक्षा जगत को बदनाम करने वाली है। उक्त घटना का ब्यौरा माउण्ट आबू की आम जनता ने अनुसूचित जाति कल्याण समिति के दौरे के दौरान दिनांक 29-8-1991 को दिया, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने क्षोभ व्यक्त किया। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही करने में असमर्थता जाहिर की। अतः सदन से मेरी मांग है कि उक्त घटना की जांच उच्च न्यायालय के जज से करवायी जाय तथा उक्त अध्यापकों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाय। अब तक कार्यवाही नहीं करने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी को निलम्बित किया जाय।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की दयनीय स्थिति

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय और चिन्ताजनक है। सरकारी अनुदान दिये जाने के बावजूद प्रबन्धकों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। कोर्ट में कोई सुनवाई पर्याप्त कानून के अभाव में नहीं होती। लेकिन प्रबन्धकों को कानूनी अधिकार है कि वे सरकारी आदेशों को चुनौती दे दें। अनुदानित संस्थाओं में भी अण्डर पेमेण्ट की प्रवृत्ति है। ऐसी संस्थाओं का दण्डस्वरूप अनुदान बन्द किया जाय तो कर्मचारियों का ही नुकसान है। प्रबन्धकों को इससे कोई नुकसान नहीं होता और कोई दण्ड नहीं मिलता। सरकार अनुदान नियम 4 (बी) के रहते हुए भी केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर ही अनुदान देती है। मकान किराया, चिकित्सा, नगरीय आवास, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर अनुदान नहीं दिया जाता है। जनहित याचिका के अन्तर्गत हाई कोर्ट एवं अब तो उच्चतम न्यायालय में भी प्रकाश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार के केस नम्बर 443 तथा 2027 एवं 5737 के मामले में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हो चुके हैं। 6 मई को राज्य सरकार की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सुप्रीम कोर्ट में हार हुई। 9 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भला यह कैसी सरकार है जो राम, रोटी और समानता का चुनावी नारा लगाती है किन्तु कर्मचारियों के समानता के अधिकार छीनकर राम रोटी से उन्हें मोहताज कर रही है।

अपने वैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षाकर्मियों पर शिक्षक दिवस पर सचिवालय के सामने इस सरकार ने लाठियां बरसायीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अश्रु गैस के गोले छोड़े गये। उस दिन तो यदि इनके सुरक्षाकर्मियों के पास स्टेनगन होती तो सैकड़ों लोग भून दिये जाते। राम मन्दिर निर्माण के लिए बलिदान की कसमें खाने वाले राम विहीन और खुदा विहीन हो चुके हैं। शिक्षक दिवस पर जिस बर्बरता का नंगा नाच शासन सचिवालय के सामने हुआ उसने तो अंग्रेजों के दमनात्मक कारनामों को भी लांघ दिया। इस शर्मनाक घटना पर न तो अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने और न ही गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों से माफी मांगी है और न ही कोई खेद प्रकट किया है।

9 सितम्बर को अनुदानित शिक्षाकर्मियों की संघर्ष समिति से मांगों के बारे में जो वायदे किये गये उनका कोई लिखित प्रमाव नहीं है। मुख्य मंत्रीजी सदन को बतावें कि शिक्षकों के साथ 9 सितम्बर को हुई वार्ता में क्या निर्णय लिये गये? कब तक उन निर्णयों को लागू करने का विचार रखते हैं? वर्ना उनका 9 सितम्बर का सारा घटनाक्रम क्या नाटक था? यहां यह भी उल्लेख कर रहा हूं कि जब वे विपक्ष में बैठा करते थे तो कहा करते थे कि हम होते तो कभी इनकी मांगे मान लेते। विपक्ष के नेता के रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत से वायदे किये थे। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में महंगा वकील कर केस लड़ा और फिर हारी। फिर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध एक अपील और की। कांग्रेस ने शिक्षा विधेयक पारित कराया, जिसमें शिक्षकों के शोषण को रोकने, उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करने और पूरा वेतन देने आदि के प्रावधान किये गये। किसी का शोषण होता हो, उसे रोकने के लिए उपाय किये गये। ये उसे अटकाए हुए हैं। शिक्षा विधेयक को आज तक भी ये राष्ट्रपति जी से स्वीकृत करवाकर नहीं ला सके, क्योंकि इनको डर है कि इनकी समर्थक भारतीय शिक्षा समिति द्वारा संचालित सैकड़ों स्कूल-कर्मचारी प्रबन्धकों के कब्जे से निकल जाएंगे। इसलिए ये उनको सुरक्षा देना नहीं चाहते। जन कल्याण गाय की खाल को ओढ़ लेने से नहीं होता। इसके लिए राम को अपने अन्दर जाग्रत करना पड़ता है। अपने अन्दर बैठे हुए मालिक और खुदा को पहचानना होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब तक का किया शिक्षक माफ भी कर सकते हैं, यदि सरकार के मुखिया शिक्षा विधेयक लागू कर दें। 9 सितम्बर के फैसले के प्रमुख निर्णयों से मुझे व सदन को अवगत कराया जाय और अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में मकान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

भत्ता और मेडिकल फैसिलिटी शीघ्र से शीघ्र दिलावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मेरा एक निवेदन है, यह बहुत गम्भीर मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : बैरवा साहब, बिराजिये आप।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : शिक्षा मंत्री जी सदन में नहीं थे। हम सदन में आश्वासन लेना चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं। सनाढ्य साहब, बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और यह शिक्षा मंत्री थे। उस समय आप लोग कर देते लेकिन मुकद्मों में इनके खिलाफ आप गए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैं नहीं गया। आपको मालूम ही नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री नहीं था उस वक्त।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उस समय आप लोग कर देते अगर उस समय तो यह स्थिति नहीं होती....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसका तो फैसला हो गया। आप दुबारा गए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसके बाद....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे वक्त में नहीं गए हैं। आपको जानकारी नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वह आपके जमाने में गए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको जानकारी नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मानियेगा आप मेरी बात।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री था।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस समय ये डिसीजन ले लेते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसका तो फैसला हो ही चुका है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं भी शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को तथ्यों की जानकारी नहीं है, इसका फैसला हो चुका है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं, फैसला हो गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधेयक तो आपके जमाने में पास नहीं हुआ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : विधेयक तो पास नहीं हुआ। विधेयक आपके जमाने में हुआ। विधेयक आपके जमाने में हुआ और इसीलिए उस पर दस्तखत नहीं हुए अगर उस समय करा लिए जाते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राष्ट्रपति जी के पास पेण्डिंग है और उसके बाद में हमारी सरकार नहीं रही....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सनाढ्य साहब और श्री कल्ला साहब बिराजें। शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जो हैं वह बात तो छेड़ देते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। जिस बिल की बात ये कर रहे हैं, यह बात सही है कि इनके टाइम में पास हुआ था और उसके बाद में हमने बराबर प्रयास किया कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षरों से बिल मंजूर होकर आये। अभी 9-9-1991 को जो बैठक हुई उसमें सारे प्रतिनिधि शामिल थे, मुख्य मंत्री जी के सामने, मैं खुद भी था उसमें, उन्होंने बात-चीत करके आपस में, कोई निर्णय लिया है और अगली बैठक 25 तारीख को होने वाली है जिसमें फाइनल निर्णय करेंगे। अब इनको पूरी जानकारी तो उन्होंने दी नहीं और पढ़ने के लिए लिखकर दे दिया लम्बा-चौड़ा कागज.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। बिराजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्री जी ने उनसे क्या वायदा किया था बतायें आप ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : उनसे बात-चीत चल रही है।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय कल्ला साहब, उनकी मांगें पूरी होने वाली हैं और आप केवल श्रेय लेना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके बस की बात नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : 9 तारीख की मीटिंग में मैं भी था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो आपकी पार्टी के जो सदस्य सलेक्ट कमेटी में थे उनसे पूछिए। हमने शिक्षा विधेयक पारित करवाया और आज तक आप उसको राष्ट्रपति जी से निकलवा नहीं सके। यह इनकी परफारमेंस है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय श्री कल्ला साहब।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जहां तक उन्होंने यह कहा....

श्री कालीचरण सराफ : श्री कल्ला साहब 9 तारीख की मीटिंग में मैं भी था और अब वह मांग पूरी होने वाली है। आप तो नहीं करा पाये लेकिन हमारी सरकार उनकी यह मांग पूरी करने वाली है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जहां तक माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया कि भारत शिक्षा समिति की कई ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो बिल पास होने के बाद प्रभावित होंगी और वह नहीं चाहती है कि बिल पास हो, लागू हो। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताऊं कि उस प्रतिनिधि मण्डल में निजी शिक्षण संस्थाओं के 2-3 लोग थे, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य भी थे और वह किसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने क्या वायदा किया था ? वह बता दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं कोई वायदा नहीं करता और न मेरी आदत है। भारत शिक्षा समिति के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और वह खुद इस बात को चाहते थे कि बिल पास हो।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद जी। (व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय श्री बैरवा साहब बिराजिये आप।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय श्री बैरवा साहब चाहते हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह कोई जवाब देने के लिए फार्म नहीं है।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात तो सुनें। इन्होंने जो 295 के उल्लेख के द्वारा नक्की झील वाला मामला रखा है। उसकी मैंने जानकारी ली है। इसके अन्दर उन्होंने 3 अध्यापकों के नाम लिया है। 13-9-1991 को मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी जांच करवाई। जांच कराने के बाद ट्यूशन का जहां तक सवाल है दो का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है और तीसरे व्यक्ति के सम्बन्ध में पता लगा है कि वह इसके अन्दर लिप्त नहीं पाया गया। इस मामले की पुलिस के अन्दर भी एफ. आई. आर. लाज हुई है। और मेरी जानकारी है कि उस एफ. आई. आर. में एफ. आर. लग गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन। ....माननीय श्री बैरवा साहब आप बिराजिए। आपका उत्तर मिल गया। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

इसको यहां कोई डिबेट बना रहे हैं क्या आप ?

श्री रामनारायण वर्मा । इसको आप अप्रासंगिक मान लीजिए शिक्षा विभाग में मालती गुप्ता ने आत्महत्या की इसलिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसके साथ ज्यादतियां की।....

श्री उपाध्यक्ष : क्या मतलब है उसका वह आलरेडी बोल चुके हैं। बिराजिए आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई भी बात कहीं भी बोलना है, बोलने से मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनियमिततायें

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, टौंक जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड पर भारी अनियमितताएं हैं जिनको देखते हुए ऐसा लगता है कि निगम जिन नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वही समाप्त होता लगता है।

यहां नागरिक सुविधा के नाम पर न केवल यात्रियों को बैठने अथवा खड़े रहने की जगह का अभाव है अपितु बसें भी ठीक प्रकार से खड़ी नहीं हो सकती हैं। यहां खुले आम सूअर, आवारा कुत्ते, नाकारा पशु, गायें आदि घूमती रहती हैं जो यात्रियों के सामान में मुंह देना, उठा ले जाना एवं उन्हें जख्मी कर देना ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही यहां शौचालय एवं पेशाब घर का भी अभाव है। टौंक में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से पर्दा-नशीन औरतों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहां कभी भी साम्प्रदायिक झगड़ा अथवा दुर्घटना हो सकती है, बहुत संवेदनशील स्थान है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृषि मण्डी टौंक के पास पड़े हुए कृषि भू-खण्ड को अधिग्रहित कर अथवा जहां पर राज्य सरकार को जन-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त भू-खण्ड मिले वहां पर बस स्टेण्ड का नवनिर्माण कर जनता को राहत पहुंचाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना का उद्देश्य यह था कि लोगों को जन-सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाकर, गाड़ियां ठीक प्रकार से खड़ी रहें, यात्रियों के बैठने के लिए विश्राम घर, मूत्रालय, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था आदि की व्यवस्था की जाये लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां तो बसों खड़ी रहने की व्यवस्था नहीं है, यात्री बैठ नहीं सकते हैं, बैठने की बात तो दूर रही खड़े नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं यातायात मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शीघ्र आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैण्ड निर्मित करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रतनाराम जी चौधरी।

रानीवाड़ा और जसवन्तपुरा में अतिवृष्टि से बन्धों के टूटने से हुआ नुकसान

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र को पंचायत समिति, रानीवाड़ा और जसवन्तपुरा में जो अतिवृष्टि हुई उसके कारण से 5 बांध टूट गए। रानीवाड़ा पंचायत समिति में सांथरु, बरवाड़ा, दांतवाड़ा, जासेरा खुर्द वगैरह तथा पंचायत समिति जसवंतपुरा में पुरणा वगैरह के

(श्री रतनाराम चौधरी)

कई बांध टूट गए थे जिनके कारण से काश्तकारों के कुएं और खेत नष्ट हो गए थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में पूर्व सत्र में इस मुद्दे को उठाया था और सिंचाई मंत्रीजी ने हमको आश्वासन दिया था कि हम अतिशीघ्र बजट स्वीकृत कर पांचों बान्धों का निर्माण करवायेंगे और काश्तकारों को होने वाले नुकसान से राहत दिलवायेंगे। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज करीब सालभर से ज्यादा का समय हो गया। इन पांचों बान्धों पर राज्य सरकार का जो लाखों रूपया खर्च हुआ है, काश्तकारों की कीमती जमीन में आपने बान्ध बना दिए और अतिवृष्टि से वह टूट गए। आप तुरन्त इनका निर्माण करवायें और उन बांधों को बांधकर इर्रिगेशन का काम लें। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक साल के बाद भी मरम्मत नहीं हुई है। इसलिए मेरा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है, कि कृपा कर जल्दी से जल्दी हमारी पंचायत समिति रानीवाड़ा और जसवन्तपुरा में टूटे हुए बांधों का निर्माण करवाकर के इन बांधों को ठीक हालत में तैयार करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

झालावाड़ के राममन्दिर में चोरी

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 295 के के तहत झालावाड़ जिले के पचपहाड़ कस्बे के राममंदिर में दिनांक 12 सितम्बर की रात्रि को चोरी हुई लेकिन आज दिन तक पुलिस की निष्क्रियता की वजह से बरामद नहीं हुई। रात्रि को करीब 1 बजे चोरी हुई और वहां सोए हुए श्री बद्रीलाल पाटीदार को चोरों ने भारी पत्थर सिर पर मारकर घायल कर दिया। अभी भी होश नहीं आया और सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है जिसके ब्रेन हेमरेज हो गया है। चोरी में पांच किलो चांदी के जेवरात, चार तोला सोना के जेवर भगवान को पहना रखे थे वह भी चोरी गए। पुलिस की निष्क्रियता से अभी तक चोरी बरामद नहीं होने से भवानी मंडी और पचपहाड़ बन्द रहा। धार्मिक जनता में भारी आक्रोश है।

मैं आपके माध्यम से इस गंभीर मसले पर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चोरों को गिरफ्तार किया जाए और चोरी में गए भगवान के जेवरात तुरन्त प्रभाव से बरामद किए जाएं। उनको हटाकर वहां पर दूसरे थानेदार और डी. वाई. एस. पी. को लगाया जाए क्योंकि उनकी निष्क्रियता की वजह से ही चोरियां बरामद नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम परमार।

झांझरी के आदिवासी क्षेत्र में झांझरी बान्ध का निर्माण

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र

(120)

(श्री दयाराम परमार)

खैरवाड़ा में भाभरी नामक गांव गुजरात की सीमा पर बसा हुआ है और उस गांव में शत प्रतिशत आदिवासी रहते हैं उनका मुख्य धंधा खेती हैं लेकिन सिचाई के साधन नहीं होने से खेती अच्छी नहीं हो पाती हैं। इसलिए वहां के अधिकतर निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इन लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए आज से 15 साल पहले भाभरी नामक बांध बनाने की योजना बनाई थी और इस 15 साल के दौरान जब जब भी अकाल पड़े हैं तब तक अकाल राहत में कार्य किया गया एवं नींव खोदकर भर दी गई है। वेस्ट वीयर बनकर तैयार हो गया हैं तथा कैनाल भी खोद दी गई है।

लेकिन बांध की नींव खोदकर भर देने के बाद आगे का कार्य अभी तक नहीं हुआ है और जब कभी भी सिंचाई विभाग के मंत्री या अन्य अधिकारियों से बांध को पूरा करवाने की बात की गई तो एक ही जवाब मिलता है कि धन उपलब्ध होने पर वहां कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा किन्तु 15 साल तक किसी भी सरकार को पचास लाख का धन उपलब्ध नहीं हो पाया और वहां सभी आदिवासी काश्तकार जो इस बांध से लाभान्वित होने वाले थे गरीबी रेखा से ऊपर उठने के सपने देखते रहे हैं।

इस बांध की एक मुख्य विशेषता यह है कि कोई भी परिवार डूब में नहीं जाता है और न ही किसी को एक पैसा मुआवजा देना है इसके बावजूद भी इस बांध को बनाने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही हैं इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आदिवासियों की बात को कोई नहीं सुनता है। फिर भी मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि भाभरी बांध को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक धन स्वीकृत किया जाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उर्दू विषय के वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी तो नहीं हैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उर्दू विषय के वरिष्ठ अध्यापकों को अभी तक नियुक्ति नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उर्दू के व्याख्याता जिनका पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन हो गया और उनकी पोस्टिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भ में 9 उर्दू के व्याख्याताओं के स्थान रिक्त थे जो पब्लिक सर्विस कमीशन से डिपार्टमेंट में आए थे, 6 को तो हमने नियुक्ति दे दी जो रिक्त पद हैं और दो पद ऐसे थे जो एस. टी., एस. सी. के कोटे में थे उस समय जनरल को नहीं ले सकते थे।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हाई कोर्ट में गए और वहां जाने के बाद वहां से जो आदेश हुआ इनकी मांग सहित ही अभी 1991-92 की बी. एफ. सी. में हमने नए पद सृजित कर लिए हैं और उनकी उस पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूं कि सूची में उसी साल जिनको चयनित किया गया था उन्हीं लोगों में से नियुक्ति देंगे ना जिनके लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं उन्हीं लोगों को नियुक्ति देंगे ना ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह तो स्वाभाविक है।

(2) **नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाऊस में व्याप्त कथित अनियमितताएं**

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान राजस्थान हाऊस में सदस्यों के साथ और पत्रकारों के लिए उसमें व्यवस्था नहीं होने के बारे में ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का इस पर ध्यान आकर्षित करें और वक्तव्य आ जाए और राजस्थान हाऊस का मसला इतना इम्पार्टेन्ट मसला है। मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ सुझाव देना चाहें दे दें, जवाब देना चाहें तो मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद ही उसके बारे में कुछ पूछना उचित रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं आपको बोलना है बोल लीजिए आप जो सुझाव देंगे उनको किस तरह से इनकारपोरेट किया जा सकता है वह भी कर लेंगे। यह कोई नीति सम्बन्धी मामला तो है नहीं, यह तो अपने घर का ही मामला है।

(3.00 म. प.)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी इस मामले को लेकर के समय समय पर चाहे पिछली विधान सभाएं रही हों चाहे यह विधानसभा है, राजस्थान हाऊस के अन्दर खास तौर से विधायकों को आवास की बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि इलेजिबिलिटी भी लोगों की बढ़ी है और कांग्रेस सरकार ने भी बढ़ाई। आपने भी बढ़ाई, अब श्रीमान् कमरे वहां पर कुल 70 के करीब हैं अब उसके दो ही उपाय हो सकते हैं या तो आप उसका एक्सटेन्शन करें जैसे और प्रान्तों के जो गैस्ट हाउसेट हैं उनमें कमरों की संख्या अधिक है लेकिन अभी तक जो पुराना भवन निर्माण हुआ है उसका ही रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है तो नए परमिशन किस प्रकार से मिलेगी यह भी अपने आपमें एक प्रश्न है सरकार के सामने क्योंकि राजस्थान के हाथ में है नहीं यह मामला दिल्ली प्रशासन का या दिल्ली नगरपालिका का है। अब सबसे बड़ी समस्या है विधायक वहां जाते हैं और जिन लोगों की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एलीजेबिलिटी है उनको रहने के लिए वहां जगह नहीं मिलती है। जो लोग एलीजेबल नहीं हैं वहां रहते हैं तो मेरे आपको तीन चार सुझाव हैं माननीय मुख्य मन्त्री जी। बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं हो सकते हैं यह मेरा व्यक्तिगत मामला है एक तो स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है। कभी कभी वहां के मेनेजर अपने आपको असहाय महसूस करते हैं और उनकी बड़ी एमबरसिंग पोजीशन हो जाती है और कभी कभी गर्मी गर्मी भी हो जाती है। इनटुवर्ड इनसीडेन्ट हो जाते हैं जिनको रोका जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने अपने अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए तो मुझे समझ में आती है कि आपने हाई कोर्ट के जजेज के लिए कर दिये कि उनको स्थान नहीं मिलता है, आपने उनको होटल्स की व्यवस्था कर दी है अब आप विधायकों के लिए क्या करने जा रहे हैं। अगर एन. ओ. सी. मिल जाती है तो रीइम्बरसमेंट कहां से होगा? आपने ढाई सौ रूपये, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फिक्स कर रखा है। एन. ओ. सी. मिलने के बाद वह कहीं भी रह जाये, बिल पेश कर दे तो आप ढाई सौ रूपया उनको दे देते हैं। आज एम. एल. एज के लिए प्राब्लम है यहां तो एन. ओ. सी. मिलने का सवाल नहीं है, कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। अगर आप एन. ओ. सी. सिस्टम कर दें तो आपको रूल्स में अमेन्डमेंट करना पड़ेगा। रिइम्बर्समेंट कहां से मिलेगा बिल पेश करने के बाद? उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। उसके लिए मेरा सुझाव है कि या तो आप राजस्थान हाऊस में मेनेजर के पास कुछ अरनेस्ट मनी इस प्रकार की डाल दें कि वह उनके लिए वहां व्यवस्था कर दें और अपने स्तर पर बिल का पेमेण्ट कर दें। एक समस्या सबसे मूल में है वहां पर स्थान नहीं मिलने की है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात जो आपके हाथ में है, कभी कभी नियमों के विरूद्ध हमारे मंत्रीगण वहां दो-दो, तीन-तीन कमरे ले लेते हैं उनमें तो गेस्ट, मित्र उनके वहां पर रूके, बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ एम. पीज. जिनको कि वहां पर आवास मिले हुये हैं जो कि वहां पहले से रह रहे हैं अब उनके गेस्ट वहां रहते हैं, नयों के बारे में समझ में आता है कि स्टेट से चुनकर आये हैं जब तक उनको आवास नहीं मिल जावे तब तक समझ में आता है लेकिन जो लोग पहले से वहां रह रहे हैं, उनके गेस्टों को आपने ठहरने की सुविधा दे दी आपके नोन गजेटेड आफिसर्स हैं जिनमें कोई इलीजिबेलिटी नहीं है उन लोगों को वहां जान पहचान के आधार पर वह रूकते हैं तो हमारा तो आपसे निवेदन है कि आप विधायकों के रहने का, 70 कमरों में कुछ कमरे तो आपने इयरमार्क कर दिये मन्त्रियों के लिए, 25 कमरे चले गये, एम. पीज के लिए, 33 मकरे उसमें चीफ जस्टिस के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए, स्पीकर साहब के लिए, चीफ सेकेट्री के लिए हैं। तो फिर एम. एल. एज का क्या होगा? आपने एक्स एम. पीज, एक्स मिनिस्टर्स, मैं तो उनके खिलाफ नहीं हूं, मिलने चाहिए निश्चित रूप से मिलने चाहिए उनके खिलाफ नहीं है एक तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपने जो इनलिमिटेड सीमा है जो लोगों के ठहरने की उसमें आपने लिमिट कर दीजिए एक्सेप्शनल केस में हारी हो, बीमारी हो, जी. ए. डी. से परमीशन मिल जाये तो वह समझ में आता है मेडिकल ग्राउण्ड के आधार पर लेकिन लोग दो-दो महीने टिके हुये हैं वहां पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लोग दो-दो, ढाई–ढाई महीने, आप ताज्जुब करेंगे एक मन्त्री महोदय के गेस्ट वहां पर रूक। 80-80 खाने वहां आ रहे हैं। 80 आदमी खाना खा रहे हैं, ढाबे से बदतर हालत हो गयी राजस्थान हाऊस की स्थिति क्या बन गयी है, वहां का स्टेण्डर्ड राजस्थान हाऊस का है। मंत्रीजी के गेस्ट 80 आदमी खाना खा रहे हैं। वहां पर इस तरह से काम चलेगा, यह तो आप ही करेंगे माननीय मुख्य मंत्रीजी एक छोटे से अधिकारी की कोई हैसियत नहीं है कि वह उसको रोक सके। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में जो भी निर्णय लेने हैं हमको वहां आवास की सुविधा मिले, आप इसके बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं इससे हमको अवगत करायें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों पर तो माननीय सदस्य जो राजाखेड़ा से आते हैं उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं तो कुछ बातें एक सदस्य होने के नाते, वहां भोगनी पड़ती है बताना चाहता हूं। वहां का जो प्रशासन है चाहे व्यवस्थापक हो चाहे प्रबन्धक है जो भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं कि कमरे होते हुये भी माननीय सदस्यों को चार-चार घंटे रिसेप्शन में बैठाये रखा जाता है और वहां के जो प्रबन्धक है पिछले सात-आठ साल से लगातार है, बीच में 11 महीने जरूर अलग किया था। चाबियां अपने घर रखते हैं, और वहां के स्टाफ को बोलकर रखते हैं जब तक मैं क्लियरेंस नहीं दूं तब तक किसी को रूम नहीं दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन रजिस्टर में तो किसी का भी नाम लिख दिया जाता है। मैं खुद कह रहा हूं और कुछ माननीय सदस्यों ने भी चैक किया है। रिजर्वेशन रजिस्टर में एन्ट्री चैक की तो कितने ही कमरे खाली पाये गये इस तरह का आचरण किया जाता है।

दूसरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि एक 50 आदमियों ने खाना बुक कराया। 50 आदमियों का खाना बन गया और उससे सब पर्चियां फाइनल कटती है तो 80–90 और 100 तक पहुंच जाती है। उसी 50 आदमियों के खाने को 80–90 को खिलाया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने और जी. ए. डी. ने यह निर्धारित कर रखा है कि पर डाइट कितने राइस, कितनी दाल होगी, कितना आटा होगा और भी है। अब उसके जो 100 खाने की पर्ची कट गयी तो रॉ मेटिरियल 100 का लगा कर चूना लगाते हैं, जी. ए. डी. को और माननीय सदस्य, अधिकारी या कर्मचारीगण जो भी रहते हैं उनको घटिया स्तर का खाना वहां खिलाया

(श्री जुबेर खां)

जाता हैं। एक तो मेरा यह निवेदन है। वहां का मीनू हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह की वहां अनियमिततायें होती है। अचार खाने के साथ-साथ देंगे। तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, आज तक बता दें किसी भी माननीय सदस्य को अचार दिया गया हो तो। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी है। अगर एक दिन का दो किलो अचार लगता है इसका हिसाब से पैसे लगाये जाते हैं जी.ए.डी. से और सरकार से तो जितने पैसे महीने के बनते हैं लेते हैं यह मैं नोटिस में लाना चाहता हूं। यही चाय का हाल है। उपाध्यक्ष महोदय, 50 ग्राम चीनी एक चाय में निर्धारित की गयी है। 1-2 चम्मच से ज्यादा नहीं डालते तो यह कहा जाता है। मेरा निवेदन है कि और कुछ ना कुछ ऐसे पाइन्ट है जिस तरह का कमरों में यह प्रावधान है कि अगर बत्ती रखी होगी, माचिस होगी, मोमबत्ती होगी, लिक्विड सोप होगा, टायलेट पेपर होंगे, कहीं नहीं मिलता है उच्च अधिकारी या मंत्री महोदय जाते हैं तो जरूर मुहैया करा देते हैं लेकिन साधारण लोग जाते हैं या माननीय सदस्य जाते हैं तो नहीं कराते। एक मेरा स्पेसिफिक मामला है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने यह नियम बनाये हुये हैं कि कुछ आथोराइज्ड दुकानें हैं। जहां से सामान खरीदा जाता है। वहां एम्बेसीज, और ऑफिसेज का कबाड़ का माल नीलामी में खरीदा जाता है और वहीं राजस्थान हाउस के नीचे एक कमरे में दर्जी बैठा रहता है, एक कमरे में बढ़ई बैठा रहता है, ठोका-पींटी करके फर्जी बिल बनवा लिए जाते हैं और जी. ए. डी. से पैसे उठाये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, केटरिंग का है, एक या दो साल से ज्यादा कोई कैटरिंग और केश का इन्चार्ज रह नहीं सकता है। आप मालूम करिये आज कल वहां जो प्रबन्धक महोदय है उनके दामाद के बड़े भाई पिछले कितने ही सालों से कैटरिंग और केश का चार्ज लिए बैठे हैं। यह क्या व्यवस्था है एक तरफ तो प्रबन्धक महोदय ने जी. ए. डी. के अधिकारियों को खुश कर रखा है इसका मतलब यह तो नहीं कि राज्य सरकार या जी. ए, डी. विभाग को मन चाहा चूना लगाते रहें ?

एक निवेदन है कि वहां की व्यवस्था के लिए मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक समिति बना दी जाये और फिर अनियमिततायें जो हो रही हैं उनकी जांच करें और जो उचित कार्यवाही उसके अन्दर की जाये। एक मेरा निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय, जो और भी दूसरे प्रान्तों में हैं कि माननीय सदस्यों के लिए वहां हाउस व्यवस्था नहीं उपलब्ध होती है तो वहां जो हाउस है वह उनके लिए कहीं न कहीं व्यवस्था करते हैं। आज स्थिति यह है कि बहुत से माननीय सदस्य कभ-कभी दिल्ली जाते हैं, जब उनको राजस्थान हाउस में कमरा नहीं मिलता है तो आटोरिक्शा वाले उनसे इतने पैसे ले लेते हैं और गलत जगह ले जाते हैं। एक यह भी कहते हैं कि आप बुकिंग करवा कर आइये। अधिकारी और मंत्रीगण तो सरकारी टेलीफोन करके चले जायेंगे, माननीय सदस्यों को एकदम

(श्री जुबेर खां)

जाना पड़ गया तो कहां से एक हफ्ते पहले बुकिंग करवायेंगे कि राजस्थान हाउस में हमें उस दिन आना है और एक मेरा निवेदन है कि जो आपने अधिकृत पत्रकार हैं, जिनको आपने राजस्थान सरकार की तरफ सुविधा दे रखी है, रोड्वेज में देते हैं और जगह देते हैं उनको भी राजस्थान हाउस में जी. ए. डी. की परमीशन से ठहरने की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इसको गम्भीरता से लीजिए अगर आपने इसके अन्दर कोई एक्शन नहीं लिया तो इससे शह मिलेगी। इस तरह के अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से ट्रान्सफर करिये जो वहां प्रबन्धक बैठे हैं और ट्रान्सफर नहीं करते हैं अगर आप उन्हें यह चिट देते हैं कि वे ईमानदार हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक इन्क्वायरी बैठा दीजिए उनके खिलाफ चाहे अधिकारियों से करा लीजिए, आज स्थिति यह है कि माननीय अधिकारीगण कम्पलेण्ट बुक में जो कम्पलेण्ट नोट करते हैं वह जी. ए. डी. जयपुर, यहां तक आती नहीं है वह कहां चली जाती हैं। वह रजिस्टर जिसमें शिकायत रजिस्टर की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय बहुत अन निवेदन है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये तुरन्त कोई न कोई कार्यवाही राजस्थान हाउस नई दिल्ली के लिए की जानी चाहिए। एक प्राइवेट जो बिल काटते हैं कहीं सर्किट हाउस में 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज लगाते हैं ठीक है लेकिन राजस्थान हाउस में लगाते हैं, सेल्स टेक्स लगाने लग गये खाने के ऊपर यह कहां का कानून है? क्या राजस्थान सरकार ने कोई तय कर रखा है कि बिलों पर 10 पर्सेन्ट टेक्स लगे। माननीय सदस्य जो दिल्ली के होटलों में खाते हैं उन पर टेक्स नहीं लगता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी कोई कदम उठायें। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि दिल्ली हमारी राजधानी है वहां पार्लियामेंट है तो एम. पीज्. को आप वहां एनटाइटलमेंट क्यों देते हैं? पार्लियामेंट का कर्त्तव्य है वो उनकी जिम्मेदारी ले। अगर एक्स एम. पीज. के लिए आप करना चाहें एक दिन 2 दिन तो वो सुविधा वहां दे सकते हैं। उनके मेहमान भी ठहरे हुए हैं और 12 माह से वहां ठहरे हुए हैं। दूसरा, यह कि जितने मेहमान ठहरें और उनके जो अटेंडेंट हैं एक या 2 उनका खाना सबसिडाइज रेट पर होना चाहिए लेकिन 80-80 खाना बन रहे हैं सबसिडाइज खाना। अगर वो ही खाना वहां दिल्ली में किसी रेस्तरां में खाते हैं तो उस स्तर का खाना 100 रूपए से कम में एक टाइम में नहीं मिलता। तो आप 80 खाना और 50 खाना किस कायदे से दे रहे हैं यह कतई नहीं होना चाहिए और सीमा बांध दीजिए कि सीमा से आगे कोई भी नहीं ठहरे यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाऊस का मामला सभी माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ है। मैं तो इस संबंध में, बाकी सारी चीजें जुबेर साहब ने बता दीं, मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने दूसरी सरकारो के वहां जो हाऊस है चाहे बिहार हाऊस हो, चाहे उत्तरप्रदेश भवन हो, वहां के सदस्यों से भी बातचीत होती है। वहां व्यवस्था यह है कि जब वहां के माननीय सदस्य आते हैं और उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए यदि रूम अवेलेबल नहीं है तो वहां जो रिसेप्शन पर है या मैनेजर है वहां उनको पर्ची लिखकर दे देते हैं आप जनपथ होटल में चले जाइये या आप लोधी होटल में चले जाइये वो वहां ठहरते हैं उनकी व्यवस्था होती है। और उसका भुगतान वहां की राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो आप भी राजस्थान के माननीय सदस्य वहां जाय और उनको जगह उपलब्ध नहीं है कोई रात को पहुंचता है. कोई सुबह भोर में पहुंचता है उनको 4–4, 5–5 घण्टे वहां बैठा ले, या तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करें जैसे माननीय सदस्य के लिए आपने 7 दिन का समय निर्धारित कर रखा है कि वो एक माह में 7 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता। वैसा ही क्या अधिकारियों के ऊपर यह अवधि लागू नहीं होती ? दूसरे, एम. पीज़. के बारे में तो इन्होंने कह दिया। एक बात मैं कहना चाहूंगा खाने का जहां तक सवाल है उसकी एक सीमा है अगर एक माननीय सदस्य, 5 से ज्यादा खाना लेता है तो उसको प्राइवेट रेट से काउन्ट किया जाता है। इसकी बजाय आप ऐसा कर दें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि एन्ट्री होती है उसमें कि आप एक आदमी है, 2 आदमी है या 5 आदमी है और इस तरीके से खाना 50 लिखाये गये। अगर कोई सदस्य ने 10 खाना लिखा दिया और उसमें से खाया 2 ही तो पैसा 10 के ही देता है। लेकिन उसके बाद 50 लिखाने के बाद और बढ़ाये जाते हैं तो उसी में से उनको डिवाइड करके दिया जाता है तो खाने का स्तर बहुत कम हुआ है, गिरा है, इसलिए राजस्थान हाऊस में सुधार होना चाहिए। एक दूसरा यह कि कई कमरों में इन्टरकॉम है वो खराब रहते हैं। कई बार रूम चेंज करना पड़ता है कि इसका फोन सही नहीं है कौन बार-बार कैंटीन में, रिसेप्शन पर या इन्क्वायरी जाकर फोन करेगा। उसके फोन सही नहीं रहते। वे कहते हैं कि इसका जो पी. बी. एक्स. है यह पहले कम क्षमता का था अब कमरे बढ़ गए लेकिन इसका बोर्ड बढ़ाया नहीं गया वहां पर कई जगह लाइट खराब मिलेगी। अक्सर सुबह हम जाते हैं और टाउल मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि 10 बजे धोबी आयेगा तब टाउल मिलेगा। अब केन्द्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से सुबह का अपाइन्टमेंट मिलता है 10 बजे पहले का और उस वक्त आदमी नहा-धोकर जाना चाहता है उसको वो चीज ही नहीं मिल पाती टायलेट और बाथरूम के लिए। इसलिए इन सारी व्यवस्थाओं को

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

पर कृपया ध्यान देकर सुधार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हबीबुर्रहमान। (अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्र पारीक। (अनुपस्थित)

माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : श्री सुरेन्द्र जी व्यास बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें निवेदन करना चाहता हूं यह एम. एल. एज्. के लिए फेवर शो करने वाली सिचुएशन नहीं है। यह सिर्फ रूल्स को इनफोर्स करवा दें तो मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं यह बात कह रहा हूं इसको आप पोलिटिकल पार्टीज से ऊपर उठकर देखना यह पहले भी था अभी भी है ऐसा नहीं है मैं पर्टीकुलर आपके लिए कह रहा हूं मैं यह सबके लिए कह रहा हूं। बहुत सारे मिनिस्टर हैं वो वहां मौजूद नहीं रहते हैं कमरे उनके बुक रहते हैं उसमें दूसरे लोग ठहरते हैं और गेस्ट रहते हैं। जब उपाध्यक्ष महोदय, असल आदमी मौजूद नहीं होगा गेस्ट कहां से रहेगा और एक मिनिस्टर के पास जो कोटा है, कोटा मैं ललित जी के लिए नहीं कह रहा हूं उल्टा मत समझ जाना, लेकिन मान लीजिए कोटा सर्किट हाउस में कमरा है दिल्ली उसके पास राजस्थान हाउस में कमरा है तीसरी जगह उसके पास और कमरा है ये सब ऐसे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी यह बड़ी अवैधानिक चीज है और यह आप समझ सकते हैं इसके क्या इम्पलीकेशन्स होते हैं मैं उसको एलोबोरेट नहीं करना चाहूंगा (व्यवधान) नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्रीजी सुन रहे हैं होम मिनिस्टर सुन रहे हैं ये समझ रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो दिल्ली जाता ही नहीं हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फर्जी एन्ट्री से क्या होता है होम मिनिस्टर ऐसा समझते हैं कि वो डिपार्टमेंट है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था। एक दूसरी बात यह है कि कहने में कटु लगती है लेकिन यह बात सही है कि विश्नोई साहब जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कहा कि एम. पीज. के अरेंजमेंट की लाइबिलिटी अपने को नहीं रखनी चाहिए उनका अलग से इंतजाम किया हुआ है।

तीसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट अफसर हैं दिल्ली उनकी पोस्टिंग हो जाती है आप महीने भर की बात कहते हैं वो दो-दो साल तक वहां रहते हैं। रूल्स में यह प्रावधान है, लिमिट है आप उनको एनफोर्स करा दें आप चैकिंग करवा दें मुख्यमंत्री जी इसमें यह कहीं नहीं है, यह गलती है और यह अवैधानिक काम अगर रूल्स का वायोलेशन आपके मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर सभी पेट भरकर करे

Page No. 128

(136)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रहे थे इसलिए यह उसका सवाल नहीं है उससे अलग हटकर है और यही ब्यूरोक्रेसी का हाल है और यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं 80 खानों की आप जांच तो कराओ, 80 खानें क्या हैं वहां बाकायदा एडजस्टमेंट होता है, 80 खाना वो डिवाइड करते हैं उसमें फिर होम मिनिस्टर साहब इसको अन्यथा मत लेना फर्जी एन्ट्री की आप जांच करवा लो । कि उस आदमी के नाम से 5 खाने, उस आदमी के नाम से 4 खाने इसकी आप जांच करवा लो, माननीय मुख्य मंत्रीजी आप तो इस बात से अवगत हैं सब बात जानते हैं । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की भाषा यहां बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बड़ा विरोध करना चाहते हैं लेकिन जो वर्तमान फेसेलिटी अवेलेबल है और एम. एल. ए. को इनकनवीयंस करने वाली है आप यह लागू करवा दें । ये अनियमितताएं आप बन्द करवायें, इस पर आप सख्ती बरतें ।

एक बात मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी यह मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के स्तर से वहां रूम मिलते हैं मुख्यमंत्री को विशेष प्रिविलेज मिलना चाहिए यह मैं मानता हूं विशेष हाऊस, जोधपुर हाऊस मर्जी आये जिसको वहां रख दें राजस्थान हाऊस में आप कमरों को फ्री रहने दें । एक नीचे की विंग आपने मिनिस्टर्स के लिए कर रखी है उसमें कमरे खाली हों तो मिनिस्टर ठहरें वरना मिनिस्टर्स को फाइव स्टार होटल की फैसेलिटी अवेलेबल है हम उन कमरों में कहीं एडजस्ट नहीं करें तो भी आपको उपलब्ध हो जायेगा । यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक निवेदन करना चाहता हूं । कोई भी एलिजिबल व्यक्ति जो दिल्ली छोड़ दे तो दिल्ली छोड़ने के 12 घण्टे के भीतर वो कमरा खाली समझा जाना चाहिए कोई गेस्ट वहां उसकी तरफ से नहीं ठहरे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या सजेशन है ?

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान सरकार ने 10 कमरे वहां मंत्रियों के लिए चाहे वे रहें या न रहें एक साथ एडजस्ट कर रखे हैं और कर रखे हैं तो गलत है । दूसरा मेरा निवेदन है कि जैसे जयपुर में एम. एल. ए. के लिए सर्किट हाउस की फेसेलिटी है वो ही दिल्ली में वहां सर्किट हाउस की फेसेलिटीज एम. पीज़. को हो, यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में माननीय विधायकों के आवास के सम्बन्ध में जिस प्रकार की व्यवस्था है मैं मानता हूं वो पर्याप्त नहीं है और इसी आधार पर माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि पहले मैंने अपने मुख्य मंत्री काल में इस बात की कोशिश की थी कि बीकानेर हाउस राजस्थान को वापस मिल जाय तो उसमें एडिशन आल्ट्रेशन, रिनोवेशन करवाकर उस भूमि का उपयोग और जो भवन बने हुए हैं उनका उपयोग राजस्थान सरकार के लिए सुरक्षित हो जाय, या आरक्षित हो जाय। उस समय लगभग खाली हो चुका था लेकिन किन्हीं कारणों से भारत सरकार ने पुनः उस पर कब्जा कर लिया। हाल ही में मैं एक वर्ष से लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि बीकानेर हाउस खाली हो। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी से मिलकर भी मैंने इस भवन को खाली कराने के लिए अटेम्प्ट किए जिसका नतीजा यह निकला कि नीचे का फ्लोर शायद उन्होंने पूरा खाली कर दिया। उसके बाद में फिर सरकार बदल गई तो नए प्रधान मंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया कि बीकानेर हाउस हमें दिया जाय। मैंने सारा हिसाब लगाकर उनको बताया कि आवास की कमी होने के कारण राजस्थान सरकार पर कितना अतिरिक्त भार आता है और हमारे प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए सुविधा सब प्रकार की उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्होंने सहानुभूति के साथ इस पर विचार किया। फिर मैंने एक लैटर एम. पीज् को भी दिया और मुझे खुशी है कि राजस्थान के कुछ एम. पीज इस विषय में प्रधान मंत्री जी से मिले हैं और उनको प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि नीचे का ब्लाक खाली हो गया उसमें दोबारा केन्द्रीय सरकार के दफ्तर घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको तो रोका है। मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों में बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार को मिल जाय, इस प्रकार की स्थिति बनेगी और उसके बाद किस प्रकार से रेनोवेशन किया जाय, उसके ऊपर विचार होगा। लेकिन जो तात्कालिक समस्या है, उस समस्या से मैं स्वयं अपरिचित नहीं हूं। माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की बातें कहीं हैं वह बातें आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं भी राजस्थान हाउस में ही रहता आया हूं। वहां किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से कमरों का अलाटमेंट होता है, यह चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। कौन आदमी किस प्रकार से उस सारी आवास व्यवस्था का दुरुपयोग करता है इसकी भी मुझे जानकारी है, कोई जानकारी का अभाव नहीं है। इसी दृष्टि से हमने कुछ विचार किया है। मैं समझता हूं, उन समस्याओं का समाधान इस बात से स्वतः हो जायेगा। यदि हाउस से एप्रूवल मिलती है तो मेरे हाथ और मजबूत होंगे कि जो नियम बने हैं उनको सख्ती से लागू किया जा सके। यहां दो समस्याएं माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने बताई कि लोक सभा के सदस्य वहां रह रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि जब भी लोक सभा का चुनाव होता है और जब तक लोक सभा के सदस्य को वहां पर सरकारी भवन का आवंटन नहीं होता, वह राजस्थान हाउस में रहते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने....

श्री परसराम मदेरणा : अलाट करवाना ही नहीं चाहते। सस्ता खाना

(श्री परसराम मदेरणा)

मिलेगा और कम किराया है। पांच-पांच साल रहे हैं ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कई नहीं करवाना चाहते। सस्ता खाना मिलेगा, सस्ती सर्विस मिलेगी, वह बिल्कुल सही है। मेहमान आते हैं उनके लिए सस्ती चाय, उनके लिए सस्ता नाश्ता और स्वयं के लिए सस्ता खाना, यह सारी व्यवस्था छोड़ कर कोई भी आदमी मकान में जाना नहीं चाहता। मैं कहना नहीं चाहता, कई व्यक्ति, माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि आवंटन कराने का प्रयत्न नहीं करते। लेकिन ऐसे भी मामले हैं कि आवंटन हो गया और जिस मकान का आवंटन हुआ है उस मकान के लिए लिख दिया कि मकान ठहरने के लिए उपयुक्त नहीं है। राजस्थान हाउस से इतना ज्यादा मोह हो गया कि वह राजस्थान हाउस को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाय, मैंने स्वयं ने भारत सरकार को लिखा है, लोक सभा के सचिवालय से भी मैंने बातचीत की है कि राजस्थान हाउस में आवास की व्यवस्था बहुत कम है, विधायक और मंत्री जाते हैं या सरकारी अधिकारी जाते हैं उनके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है इसलिए लोक सभा के सदस्य वहां जितने भी हैं उन को जल्दी से जल्दी सरकारी भवन आवंटित किया जाय। अब वह आवंटन होगा तभी उनके सम्बन्ध में....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह प्रश्न कहां उठता है? जब यह लोक सभा के सदस्य हो गये, मकान नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट के सर्किट हाउसेज हैं उनमें ठहरे। अपनी कहां जिम्मेदारी है उसमें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता रहा हूं ना।

डा. चन्द्रभान : बिहार के एम. पी. जनपथ होटल में रूके हुए हैं, लोक सभा ने स्वयं व्यवस्था की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिल्कुल सही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो लोक सभा को प्रबन्ध करने का सवाल है, आप बीच में कहां आते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बीच में नहीं आता, लेकिन मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। मैं बीच में नहीं आता। यह पहले की व्यवस्था है, कोई मैंने ही लोक सभा के सदस्यों को रूकवाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यह पहले से चल रही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं कह रहे हैं कोई।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह तो पहले से चली आ रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो कह रहा हूं कि वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आपने कहा, उस सम्बन्ध में मैं स्वयं ही यह कोशिश कर रहा हूं कि लोक सभा में चुने गये, राजस्थान सरकार पर किस बात का भार है? अब उस भार से हम भी मुक्त होना चाहते हैं। इस दृष्टि से मैंने कुछ सुझाव बनाये हैं, मैं चाहूंगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि माननीय सदस्यों को वह सुझाव पढ़ कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि वह एप्रूव करते हैं तो इनको तुरन्त प्रभाव से मैं लागू कर दूंगा।

1. किसी भी अतिथि को एक बार में पांच दिवस से अधिक आवास की अनुमति नहीं दी जाय। यदि इससे अधिक अवधि हेतु ठहरने की आवश्यकता है तो राज्य सरकार की विशेष अनुमति के बिना ठहरने पर अतिथि से प्राइवेट व्यक्ति हेतु लागू दरों से किराया वसूल किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सात की जगह पांच कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह आप शुरु एम. एल. ए. से ही करोगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब पांच की जगह सात करोगे, मैं आपकी समस्या देख कर सात दिन का करूंगा तो फिर असुविधा रहेगी। इसलिए मैं पांच दिन पर लाया हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सात का है। आप यह शुरू ही एम. एल. ए. से करोगे क्या ?

श्री नत्थी सिंह : आपने हमारी दिक्कत मिटाने के नाम पर दिक्कत बढ़ाई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। एक बार सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, एक बार सुन तो लीजिए। अगर सात-सात दिन की अवधि रखेंगे तो मकान खाली नहीं मिलेंगे।

2. जो व्यक्ति साधारण दर पर विश्राम भवनों में ठहरने के पात्र हैं यदि उनके मित्र इत्यादि व अन्य व्यक्ति कमरे में ठहरते हैं तो उनसे प्राइवेट व्यक्ति के लिए लागू दर से कमरे का किराया लिया जायेगा। मैं यह समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : होता क्या है.... इसके बाद यह राय दे दीजियेगा मुझे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले एक बार मेरी सब बातें सुन लें, फिर आप बोल लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कह दें, उसके बाद एक-दो बात आपको सुझाव देने के के लिए है....

श्री उपाध्यक्ष : हां कर लेंगे। बिराजिए आप। ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट सुन लें।

श्री परसराम मदेरणा : मेम्बर्स ऑफ फेमिली हैं तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : उसका क्लियरेन्स आ जायेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : परिवार के सदस्य अगर साथ में हों....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मदेरणा साहब, एक मिनट । मैं इसकी कॉपी आपको सरकुलेट करा दूंगा, उसमें जो भी आप संशोधन करें, सुझाव देना चाहें, उपयुक्त सुझाव होगा तो सब इनकोरपोरेट करूंगा । इसलिए कोई यह मान कर नहीं चले कि आज मैं घोषणा कर रहा हूं, इसको मैंने आज से ही लागू कर दिया । मैं केवल आपके विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने क्या बदल दिया ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी, सात दिन तो रहने दीजिए, और विचार करिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नत्थी सिंह : सुविधा घटे नहीं, सुविधा और बढ़नी चाहिए, आप तो इस बहाने से सुविधा और घटाने जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए-बिराजिए । व्यासजी, बिराजिए ।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, आप इसमें एक प्रोविजो जोड़ दीजिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बार सुनने के बाद में बताऊंगा....

श्री परसराम मदेरणा : कि विधान सभा या लोक सभा के जब चुनाव हों....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार सुनने के बाद में बताऊंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : उस वक्त में कोई भी अतिथि जाकर ठहरता है....

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य मंत्री जी, इस बात का ध्यान रख कर बनायें कि मामला इधर से उधर भी हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं इसकी चिंता नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार सुन लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन किधर हो सकता है, कौन किधर नहीं हो सकता लेकिन मैं इतना मानता हूं, आखिर हम सुविधापूर्वक जनता की कास्ट पर रहना चाहते हैं । मैं समझता हूं, इसका दर्द सब लोगों को है और यही दर्द आपने व्यक्त किया है । उसी को रेगुलेट करने के लिए मैंने कुछ सुझाव रखे हैं, मैं इसको लागू नहीं कर रहा हूं, आपके सुझाव के लिए बात रख रहा हूं, आप जिस तरह का भी इसमें कोई सुझाव देंगे, मैं निश्चित रूप से बात करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :

3. राजस्थान हाउस में ठहरने हेतु अधिकृत व्यक्तियों की सूची राजकीय सर्किट हाउस मैन्युअल के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पृष्ठ संख्या 52–56 पर उपलब्ध है। चर्चा के दौरान यह सहमति हुई कि निगम, बोर्ड, बैंक, बीमा कम्पनी के अधिकारियों को टी. ए. डी. ए. काफी अच्छा मिलता है इसलिए उन्हें राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में ठहरने हेतु अधिकृत नहीं रखा जाय। वर्तमान में यह अधिकारीगण दस दिन तक रियायती दर पर ठहरने के लिए अधिकृत थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो दस दिन के लिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थे। अब इनको बंद किया है।

4. कमरे में ठहरने के लिए जो व्यक्ति पात्र हैं उनके परिवार के सदस्यों के लिए ही सामान्यतः भोजन-चाय आदि का प्रबन्ध किया जाय। मंत्रीगण एवं अन्य अधिकारीगण यदि राजकीय प्रयोजनार्थ राजस्थान हाउस में चाय व भोजन की व्यवस्था अन्य व्यक्तियों हेतु करवाते हैं तो उसका बिल प्राइवेट दरों का बनाया जाकर सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार उसका भुगतान कराया जाय।

5. राजस्थान हाउस विश्राम भवन में ठहरने वाले व्यक्तियों को अपने स्तर पर प्रबन्धक द्वारा चाय-भोजन इत्यादि की सुविधा नहीं दी जाय।

6. प्राइवेट व्यक्तियों के निवेदन पर पार्टी के लिए भोजन व चाय इत्यादि की व्यवस्था बंद कर दी जाय। जिन अधिकारियों व व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व की बकाया राशि है तो उन्हें तब तक कमरा नहीं दिया जाय जब तक कि वह पूर्व की बकाया राशि का भुगतान न कर दें।

श्री चन्दनमल बैद : आपको तो कमरा मिलेगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो सड़क पर ठहरने वाला हूं। मुझे फाइव स्टार होटल की आवश्यकता नहीं है। ...अग्रिम आरक्षण करवा कर यदि कोई अधिकारी अथवा जन प्रतिनिधि पहुंचने के निश्चित समय के 12 घंटे बाद तक नहीं पहुंचता है तो आरक्षण स्वतः ही निरस्त मान लिया जाये। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक कमरा आवंटित नहीं किया जाये और विशेष परिस्थिति में ही सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति से ही कमरा आवंटित किया जाये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : सामान्य प्रशासन विभाग से ही तो टेलीफोन होता है। जी. ए. डी. से ही मिसयूज होता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह 5-6 बातें आपके सामने रखीं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एम. पीज. वाला बोलो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब कह रहा हूं। कि मैं यह सुझाव तो

Page No. 134

(126)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपके पास में आज सरकुलेट कर दूंगा....आप सब मानते हैं तो मै कर देता हूं....आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी समस्या यही हो रही है। मैं केवल यह कहना चाहता था कि यह मैंने सुझाव बनाये हैं इन सुझावों पर आप एक वीक में अगर अपने सुझाव देंगे तो राज्य सरकार उस पर विचार करके फाइनल निर्णय कर लेगी, नम्बर एक, और अगर आपको ज्यादा ताकीद हो कि इसको आज से ही लागू किया जाये तो आप सब मन्जूर कर लें में आज से ही लागू कर दूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसमें 5 दिन के बजाय 7 दिन कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो सुझाव दिये हैं उनमें कुछ माननीय सदस्यों को 7 दिन के बजाय 5 दिन पर आपति हैं वरना वह यों के यों मन्जूर हैं। इसको देख लें-नम्बर एक। नम्बर दो-आप इसकी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, मुख्य मन्त्री जी कि अगर मान लीजिए इनको एनफोर्स करने के बाद में भी विधायकों को वहां रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती हैं तो क्या आप अन्य अधिकारियों की भांति उनके लिए भी वहां रहने की 250 रूपये तक के कमरे की व्यवस्था जैसे अधिकारियों के लिए है वही व्यवस्था आप करेंगे क्या ? यह बता दें आप कृपा करके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि अगर 5 दिन की जगह 7 दिन कर दिया जाये इसको आप सब स्वीकार करते हैं ?

श्री नत्थीसिंह : उनके साथ जाने वालों के लिए क्या है ? इस पोरशन को आप जरा पढ़ दें क्या लिखा है। हमारे साथ एक आदमी जाता है उसका क्या चार्ज लगेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वही लगेगा तो मैंने पढ़कर सुनाया है....

श्री नत्थीसिंह : नहीं, नहीं बताओ। 5 की जगह 7 दिन कर देते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 5 दिन की जगह 7 दिन कर देता हूं इसको हाऊस स्वीकार करता है क्या। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हां कर लीजिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जो मैंने सुझाव रखे हैं उन सुझावों के प्रति सदन की सहमति प्राप्त है....

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो 7 की कोई प्राब्लम होगी ही नहीं....

श्री नत्थीसिंह : सबसे ज्यादा इनके साथ ही जाते हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : परिवार के अलावा दूसरे ठहरेंगे तो इनके चार्जेज क्या होंगे क्योंकि हालात ऐसे बिगड़ गये हैं कि सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है और एक टेलीफोन की क्या व्यवस्था है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करूंगा।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं तो सिक्योर्ड हूं। परन्तु वहां जो एम. एल. ए. होंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत । नहीं, नहीं जानबूझकर आपकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप अतिथियों को साथ ले जाते हैं क्या मालूम किस प्रकार के अतिथि को साथ ले जायें कि जिससे कोई खतरा पैदा हो सके।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भी जानता हूं आपके साथ कौन जाते हैं और आप भी जानते हैं मेरे साथ कौन जाते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जोधपुर हाऊस और राजस्थान हाऊस में जो लोग ठहरते हैं, जोधपुर हाऊस में तो खैर आप ही ठहरते हैं वहां एस. टी. डी. की आपको सुविधा है। राजस्थान हाऊस में भी आन पेमेन्ट जिस तरह से सारी दुकानों पर और दूसरी जगह सारी जगह एस. टी. डी. आई है यह जो सुविधा है अगर हम राजस्थान हाऊस में ठहरते हैं तो टेलीफोन बुक कराते हैं वह तो 6-6 घंटे मिलता नहीं है। अगर आन पेमेन्ट जैसे दूसरी जगह चेम्बर्स बने हुए हैं उसी तरह एस. टी. डी. और आई. एस डी. की आप व्यवस्था करा दें तो बड़ी सुविधा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि यह पाइन्ट वेलिड है। कई बार एस. टी. डी. के लिए 5-6 घंटे का समय लगता है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो साधारण एक्सचेन्ज का सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने पहले भी कहा था और अब इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिसके कारण से एस. टी. डी. वहां लगे और जो भी करना चाहे वह एस. टी. डी. करके अपने चार्जेज दे दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष जी, आपने एक मुद्दे के बारे में कुछ नहीं बताया। माननीय मुख्य मंत्री जी मान लीजिए कि आपने यह फोर्स कर दिया, आपको आज सहमयत मिल गयी उस सूरत में मैं आपसे कह रहा हूं कि जब वहां जगह नहीं मिलेगी....उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जहां एन. ओ. सी. की बात कही है कि सरकारी अधिकारियों को एन. ओ. सी. मिलती है लेकिन आपने देखा होगा कि एन. ओ. सी. में एक लिमिटेड अमाउन्ट है ऊसके ज्यादा कोई सरकारी अधिकारी खर्च करेगा तो उसमें हम अलाऊ नहीं करते है। वह पोकेट से देगा लेकिन यह सुविधा ही सुविधा है। फाईव स्टार होटल में ठहर जाये कोई तो राजस्थान हाऊस का पूरा खर्चा करने के बाद भी उससे ज्यादा खर्चा तो चाय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंगालें कई बार उसी में खर्च हो जाता हैं। अब रहा सकल एम. पी. का....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी एक मिनट मुझे भी दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जो एम. पी. वहां ठहरे हुए हैं उनको मैंने एक महिने के लिए अलाऊ किया हैं। एक महिने के बाद कोई एम. पी. ठहरेंगा तो साधारण दर जो लगनी चाहिए उन दरों के आधार पर उनसे चार्ज किया जायेगा। मैंने एम. पी. को रिक्वेस्ट भी की है कि वह खाली कर दें नहीं तो बिल इतने मोटे बनकर आयेंगे कि उनका भुगतान करने में बहुत परेशानी आयेगी। लोकसभा सदस्य और विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अवधि तक आवास करने पर भी पैरा 3 उपरोक्त की दरें लागू होंगी जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा आदेश न दे। इसलिए लोकसभा के सदस्यों को भी कह दिया और जो कहा है उसके कारण से कुछ बिल बनने लगे हैं। उससे लोक सभा के सदस्यों को चिन्ता होने लगी है। जल्दी से जल्दी भवनों को आप आवंटित कराकर राजस्थान हाऊस को खाली करवायें।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर यह भी शिकायत की गयी कि खाना अच्छा नहीं है। यह बात सही है कि खाना 50 आदमियों का बनाया जायें और खाने वाले 100 हो जायें तो जिस प्रकार का खाना आप चाहते हैं उस प्रकार का खाना मिलना सम्भव नहीं है। फिर तो वही होता है कि दाल में पानी डालो और 20 आदमियों की जगह 40 आदमियों की सर्विस करो। यह अनहोनी बात नहीं है। यह कई बार घरों में भी होता है कि घर में दो आदमियों का खाना बने और पांच आदमी खाना खाने के लिए आ जायें और कह दें कि एक बजे तक खाना मिलना चाहिए तो नयी सब्जी बनाने के बजाय गर्म पानी डालकर उस सब्जी को और दाल को ठीक कर लिया जाता है। वह स्थिति सब जगह चलती होगी और चलती भी है। इस कारण जो अच्छा खाना माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। और हम संख्या इस प्रकार की निर्धारित कर लें और यह पता लग जाये कि आज सुबह कितने आदमी लंच लेने वाले हैं और कितने ब्रेकफास्ट लेने वाले हैं और कितने डिनर पर खाने वाले हैं तो उस संख्या के अनुपात में जब भी खाना बनेगा तो वह अच्छा खाना बनेगा....

श्री जुबेर खां : आप जो असली पाइन्ट है उस पर तो जवाब देते ही नहीं हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता 1।। वर्ष से राजस्थान हाऊस में जाने लग गए और खाने का 40 वर्ष का अनुभव हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री जुबेर खां : मैं पैदा हुआ हूं तब से राजस्थान हाऊस में ठहरता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गैर कानूनी ढंग से ठहरते होंगे।

श्री सम्पत सिंह : यह क्या बड़ी बात है बहुत से रहते हैं पाइपों में दिल्ली में।

श्री जुबेर खां : आज वस्तु स्थिति यह है कि आप ठीक है 40 का 80 को खिलायें लेकिन सरकार से 80 के पैसे क्यों लिये जाते हैं ?....

श्री उपाध्यक्ष : यह वही बात कह रहे हैं जुबेर खा जी। आप बैठिये।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि सदन के नेता बोलें और बार-बार यह इन्टरप्ट करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि दूसरे जब एम. पी. यहां से चले जायेंगे तो कुछ कमरे खाली होंगे। उपाध्यक्ष मोदय, कई बार ऐसी भी समस्या खड़ी होती है कि हमारे यहां कई हाईकोर्ट के जजेज़ हैं वह सुप्रिम कोर्ट के जज बन गये या किसी कमिशन में अपाइन्ट हो गए अब उन जजेज़ को मकान नहीं मिलते वह राजस्थान हाऊस में ठहरते हैं। उसी प्रकार से कई सरकारी अधिकारी जिनको डेपुटेशन पर भारत सरकार में नियुक्त कर दिया गया उनको मकान नहीं मिलते तो कई दिनों तक वह भी ठहरते हैं। उस संबंध में भी मैंने समय सीमा निर्धारित की है कि उसके बाद उनको ठहरने के लिए अलाऊ नही किया जायेगा.. कोशिश यह कर रहे हैं कि इस सारी व्यवस्था से कमरे ज्यादा से ज्यादा खाली रहें, कोई आदमी उसका दुरुपयोग नहीं कर सके और दुरुपयोग नहीं करके वहां पर व्यवस्था ठीक प्रकार से चले, इस सम्बन्ध में ये सारी बातें आपके सामने रखी है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में और कोई भी सुझाव दें तो मैं सुझावों को लागू करने की चेष्टा करूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अभी लागू मत करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो कर दिया मैंने।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, मेरे को बहुत थोट आ रहे हैं। आपने कोई आइडिया फेंका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो पढ़कर सुनाया वह तो सदन की सहमति से लागू कर दिया।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैने एक सवाल किया था मुख्य मंत्रीजी से। मुख्य मंत्रीजी, सुनिये, जाइये मत। आज एक विधायक के साथ 5 खाने अलाउ हैं। आपने कहा अब केवल एक अलाउ होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनियमितताएं हुई हैं और यह कानून बनवाने के लिये थोड़े ही ध्यानाकर्षण था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये ध्यानाकर्षण। श्रीमती रमा पायलेट!

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण कानून बनाने के लिये नहीं था, मौजूदा स्थिति में जो अनियमितताएं हो रही है, उनके लिए था।

श्री उपाध्यक्ष : वह सारी चर्चा समाप्त हो गई। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : माननीय मंत्री महोदय, इसके लिये बताये जो मैंने स्पेसिफिक चार्जेज लगाये थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय जुबेर खां जी, आप बिराजिये। (व्यवधान)

सारी बात क्लीयर हो गई है। आप बिराजिए।

श्रीमती रमा पायलेट।

की जुबेर खां : जो स्पेसिफिक चार्जेज थे, उनके सम्बन्ध में क्यों नहीं बताया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां जी, बिराजिये। सारी बात क्लीयर हो गई।

श्री जुबेर खां : आप भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहते हो। (व्यवधान) कोई बात क्लीयर नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, आप सर्वोपरि है, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन यह मत कहिये। कौनसी बात क्लीयर हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, क्लीयर नहीं हुई है लेकिन आपने सुझाव मांगे हैं। आप सुझाव दीजिये। बिराजिये आप अब (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : कानून बनवाने के लिये हमने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : क्योंकि वह प्रबन्धक मुख्य मंत्री, उनके रिश्तेदार और अधिकारियों को देता है। इसलिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां जी, आपने जो सवाल उठाये हैं (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : उससे इस सरकार का कितना नुकसान हो रहा है। खाना बनाते हैं 20 का और खिलाते हैं। 80 को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कितनी बार कहेंगे इस बात को ?

श्री जुबेर खां : यह कैसे अन्याय की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : You have raised your point.

श्री जुबेर खां : मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जवाब नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सब बातों का जवाब आना जरूरी नहीं है।

श्री जुबेर खां : मेरा अधिकार है ध्यानाकर्षण के द्वारा पूछने का। क्या क्या अनियमितताएं हुई, उसके लिये मैंने स्पेसिफिक चार्जेज लगाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां जी, बिराजिये आप।

श्री जुबेर खां : क्यों नहीं जवाब दिलाते ? उस घोटाले को दबाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं।

वहां मंत्री महोदय और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। उससे खिलाफ मैं आज भी बोलने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती रमा पायलेट, प्रारम्भ कीजिये।

श्री सम्पत सिंह : कोई वर्णप्रिय आवाज सुनने दो, यह कर्कश आवाज बन्द करो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये कृषि मंत्रीजी।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य को दुःख हो रहा है। आपको तकलीफ नहीं हो रही है, इस वास्ते आप नहीं बोल रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की बात उठाई है, जो अनियमितताओं की बात उठाई है, उसका जवाब तो मुख्य मंत्रीजी ने दिया नहीं। लीपापोती करके चले गये।

श्री सम्पत सिंह : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। जवाब के बाद....(व्यवधान) श्री रामस्वरूप मीणा ने क्या गुनाह किया था जो मार्शल ने हटा दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय श्रीमती रमा पायलट।

(3) प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों को रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियां नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों की बेरोजगारी के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती रमा पायलेट एवं सर्वश्री राम स्वरूप मीणा, राम नारायण वर्मा व अन्य माननीय विधायकगण द्वारा कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम 191 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है।

(3.46 म. प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में स्वास्थ्य निरीक्षकों के कुल 1396 स्वीकृत पद हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध 753 पद रिक्त हैं। स्वीकृत पदों में से 34 पद खाद्य निरीक्षकों के हैं जिन में से 30 पद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय हेतु आवंटित हैं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मीटिंग शुरू हो गई है। वहां।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों के सृजन का नार्म प्रत्येक गांव पी. एच. सी. एवं नव गठित पी. एच. सी. एक पद का है । इसी प्रकार प्रत्येक मेडिकल कालेज में तथा मोबाइल सर्जीकल युनिट के लिये एक पद का नार्म है । इसके अनुसार 1392 स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों का आवंटन निम्न प्रकार से है ।

राज्य सरकार पर	2
जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर	2
मोबाइल सर्जीकल युनिट	1
मेडिकल महाविद्यालय	5
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	54
ब्लाक पी. एच. सी.	236
मिनी पी. एच. सी.	1062
योग	1362

स्वीकृत पदों के विरूद्ध 753 नियुक्तियां 1986-87 के बाद पद सृजन के फलस्वरूप हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

1987-88	47
1988-89	00
1986-90	450
1990-91	275
1991-92	52
योग	824

वर्ष 1989-90 में तत्कालीन सरकार ने राजेन्द्र जैन समिति की अभिशन्साओं के अनुसार 71 पद समाप्त कर दिये और अब कुल रिक्त पद 753 रह गये हैं ।

मल्टी पर्पज वर्कर्स एवं सीनियर मल्टी पर्पज वर्कर्स के द्वारा क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में तत्कालीन सरकार के सक्षम समय समय पर यह प्रश्न उठाया जाता था कि लगभग एक ही प्रकार के कार्य करने के लिये दो एजन्सीज, मल्टी पर्पज वर्कर्स एवं स्वास्थ्य निरीक्षक हो गये हैं, अतः स्वास्थ्य निरीक्षक की सेवाओं का ड्युप्लीकेशन हो रहा है । विभिन्न मन्चों से भी बार बार यह बात आई है कि स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों से विभाग को बहुत कम लाभ हो रहा है । उपरोक्त विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पदों की कटौतियां या पदों का भरना न भरना इसका प्रकरण तत्कालीन सरकार द्वारा गठित राजेन्द्र जैन कमेटी की अभिशन्साओं एवं तत्कालीन सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में चल रहा था तथा मेरी अध्यक्षता में गठित मित्त व्ययता समिति से कोई लेना देना नहीं है । वर्तमान सरकार के समक्ष यह मामला जैसे ही आया, हमने निर्णय किया कि इससे उठने वाले प्रश्नों पर स्पष्ट जानकारी ले कर ही निर्णय लिया जाये । इसी क्रम में दिनांक 6 जून 1990 को

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मेरे कक्ष में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण करके संदर्भित बिन्दुओं की जांच कराई जाये।

(1) स्वास्थ्य निरीक्षक का जाब चार्ट क्या है और उनके द्वारा जाब चार्ट में से कौन कौन से कार्य किस किस हद तक वर्तमान में किये जाते है। क्या स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले कार्य उनके पद को देखते हुए यथेष्ट हैं।

(2) स्वास्थ्य निरीक्षकों के कार्य की देखरेख के लिए क्या व्यवस्था है ? तथा क्या यह व्यवस्था समुचित है ?

(3) वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों को जारी रखे जाने की क्या कोई उपादेयता है, तथा यदि इन पदों को समाप्त कर दिया जाए तो किन कार्यों में, क्या रुकावट आयेगी, तथा उनको दूर करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

(4) क्या खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम. पी. ए. एस. ए. एक्ट की क्रियान्विति के लिए राज्य में वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था क्या समुचित है, यदि नहीं, तो क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना उचित होगा ?

एक्सपर्ट कमेटी के एक्सपर्ट सदस्य थे :-

डा बी. एन. शर्मा, निदेशक अध्यक्ष।

डा. रामेश्वर शर्मा, वर्तमान वाइस चांसलर, राजस्थान विश्वविद्यालय और तत्कालीन निदेशक आई. आई. एच. एम. आर.।

डा. चरनजीत सिंह आहलुवालिया, तत्कालीन सी. एम. एच. ओ. अलवर।

डा. के. बी. सक्सेना, संयुक्त निदेशक, सदस्य, सचिव।

उपरोक्त एक्सपर्ट कमेटी द्वारा गहन अध्ययन एवं विचार-विमर्श के पश्चात् अपना प्रतिवेदन दिनांक 10 जनवरी, 1991 को प्रस्तुत किया।

कमेटी की मुख्य शिफारिशें इस प्रकार है :-

1. वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद पर ब्लॉक एवं मिनी पी. एस. सी. पर उपादेयता नहीं रही है।

2. प्रत्येक उप जिला खण्ड स्तर पर महामारी नियंत्रण इकाई एपेडेमिक कण्ट्रोल यूनिट का गठन किया जाए जिसमें पांच सदस्य, निरीक्षकों पद सृजित हों।

3. "ए" श्रेणी अस्पताल, "बी" श्रेणी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज भ्रमण शल्य चिकित्सा इकाई एवं निदेशालय महामारी नियंत्रण कक्ष में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद रखे जायं।

4. रिक्त पड़े स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों के समाप्त किया जाए।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

एक्सपर्ट कमेटी की उपरोक्त सिफारिशों पर निर्णय राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है। राजस्थान नगर पालिका में सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 1984 में विभिन्न सेवाओं में लगभग कोई एक हजार पदों का विज्ञापन किया गया था जिसमें स्वास्थ्य निरीक्षकों के 100 पद भी शामिल थे आयोग भंग हो जाने एवं चयन प्रक्रिया में व्यवधान होने से प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। आवेदकों में से विभिन्न सेवाओं के 22 व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय पर रिट याचिकायें दायर की जिन्हें उच्च न्यायालय के निदेशानुसार विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दे दी गयी थीं। तत्पश्चात् 1990 में स्वास्थ्य निरीक्षक, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे जिसके विरुद्ध सहायक निरीक्षकों के लिए 874 और सहायक स्वास्थ्य निरीक्षकों के लिए 1348, कुल 2222 आवेदन पत्र दोनों पदों के लिए प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में अंकित किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा गठित मोहन मुकर्जी की कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रि-मण्डल द्वारा तत्कालीन सरकार द्वारा 1978 में विचार किया जाकर 85 नगर-पालिकाओं को ग्राम पंचायत में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इन नगर पालिकाओं के भंग होने से अनेक स्वास्थ्य निरीक्षक एवं सहायक स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद सरप्लस होने की सम्भावना के फलस्वरूप उपरोक्त रिक्त विज्ञापित पदों पर नई भर्ती किया जाना संभव नहीं है। यह सही नहीं है कि 50 सफाई कर्मचारियों पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त होता है। प्रावधानानुसार नगरपालिकाओं में 25 हजार की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड प्रथम अथवा....

श्रीमती रमा पायलेट : माननीय सभापति महोदय, पूरी योजना बता रहे हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरा हो जाने दीजिए....

श्रीमती रमा पायलेट : मेरे सवाल का जवाब तो आया था लेकिन मैंने योजना के लिए सवाल नहीं पूछा कि इससे स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सवाल तो बाद में करना। पहले....

श्री सभापति : वक्तव्य तो मंत्री महोदय दे ही सकते हैं। आप प्रश्न पूछिये। उनका जवाब भी आ जायेगा। प्रश्न आप बाद में पूछना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तथ्य सही नहीं है कि 50 सफाई कर्मचारियों पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त होता है। प्रावधानानुसार नगर परिषदों में 25 हजार की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड-प्रथम अथवा एक सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक तथा द्वितीय तृतीय श्रेणी की नगर पालिकाओं में एक-एक स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड–द्वितीय का 20 हजार की जनसंख्या पर करने का

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रावधान है। चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं में एक सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक रखने का प्रावधान है। बिना किसी परीक्षण प्राप्त किये हुए किसी व्यक्ति को.... नियुक्त करने की राज्य सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। नगर परिषद् जयपुर में वर्ष 1991–92 में 11 स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड–द्वितीय के पद सृजित किये हैं। इन 11 पदों को नगर पालिका में पदोन्नति द्वारा भर लिया गया है तथा वह चार पद सहायक सफाई निरीक्षक के पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं।

मैं, यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भर्ती का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन होकर सबज्यूडिस है।

प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षकों की उपलब्धि का जहां तक प्रश्न है, यह कहना असंगत होगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षकों को डिप्लोमा योग्यता हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। जयपुर में स्थित राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान द्वारा एसा प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। यह एक आटोनामस बाडी है जिस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अथवा स्वायत्त शासन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। न ही विभाग इसे निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने की अपनी मांग प्रस्तुत करता है इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए केवल राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के लोग भी प्रशिक्षा प्राप्त करने आते हैं। अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की भांति यह संस्थान छात्रों को अपने स्तर पर भर्ती करता है और प्रशिक्षित करता है। अतः इन डिप्लोमाधारियों को नियुक्ति देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग किसी भी प्रकार से प्रतिबद्ध नहीं है। जहां तक रिक्त पदों को दोनों विभागों द्वारा भरने का प्रश्न है, यह समस्त प्रकरण राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है।

श्री सभापति : कोई सप्लीमेंट्री नहीं छोड़ा है। श्रीमती रमा पायलेट।

श्री परसराम मदेरणा : सप्लीमेंट्री तो नहीं छोड़ा लेकिन माननीय मंत्रीजी इतनी धीमी गति से पढ़ते हैं कि प्रभात वाले जो समाचार वगैहरा या बी. बी. सी. की तरह पढ़ते हैं। यह पढ़ने में बड़ा आनन्द लेने हैं। अपनी मगन से सुनते हैं लेकिन थोड़ी गति बढ़ा दीजिए आप तो बिल्कुल जो है, अ आ, क ख ग घ ड़....(व्यवधान)

श्री सभापति : श्रीमती रमा पायलेट।

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) **:** इसी को तो प्रोढ़ शिक्षा कहते हैं।

श्रीमती रमा पायलेट : सभापति महोदय, मंत्री जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने खुद ने और अपने सारे अधिकारियों से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कराई और उसके तहत जो ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी, इस मामले में बहुत लम्बी-चौड़ी एक

Page No. 144

(१५५)

(श्रीमती रमा पायलेट)

योजना मेरे सामने रखी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन्होंने विभाग के बारे में जो योजना बनाई, मैं यह नहीं चाहती, मुझे लग तो ऐसा रहा था कि स्टेटमेण्ट दे रहे हैं लेकिन स्टेटमेण्ट शायद उसको मानते और मेरे पास भी आता उसका कोई पत्र-पत्रावली मेरे पास नहीं आया है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मंत्री जी स्टेटमेण्ट दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आज जो मेरा सवाल....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्या, मैंने तो ध्यान आकर्षण किया है, इसके बारे में अपना वर्णय किया है।

(4.00 म.प.)

श्रीमती रमा पायलेट : बहुत अच्छी तरीके से किया है और उसका तो मैं आपको धन्यवाद दे रही हूं। आप उस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं, प्रांतीय बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक को, जो पहले के ट्रेंड हैं, उन लोगों ने जब आवेदन पत्र मांगे, सरकार में उन्होंने आवेदन पत्र दिये लेकिन उनकी नियुक्ति आज तक नहीं हुई। क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है, उन प्रशिक्षित लोगों को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आज तक यह जवाब नहीं दिया गया कि आवेदन पत्र खारिज कर दिये गये हैं या सरकार ने नीति बदल दी है, यह नहीं बताया। उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद कोई सूची बाहर ऐसी लगा देती कि यह जो आवेदन पत्र हमने मांगे थे इनकी कोई वेल्यू नहीं रही, इसलिये खतम कर दिया गया है। दूसरी बात जब प्रान्त के सामने बेरोजगारी की समस्या है, और ऐसा प्रावधान है कि ट्रेनिग ले, इन पदों पर इनको नियुक्त किया जायगा। तो ऐसे बेरोजगार जो पहले से प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हैं, सरकार ने एकदम से उनकी रोजी का आने का रास्ता बंद कर दिया इसलिये कि उनके विभाग को अब यह पद नहीं चाहिये। तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे बेरोजगार गरीब लोग, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से घर से पैसे लगा कर ट्रेनिग ली है उनका वह कही एब्जोर्ब करे दूसरी जगह। एक विभाग में नहीं तो दूसरे विभाग में है। सफाई का तो ऐसा मसला है, माननीय मंत्री जी के शहर कोटा में मैंने यह देखा, यहां प्रश्न भी उठाया था और मैं खुद भी वहां अस्पताल में गई भी थी तो इन कर्मचारियों के ऊपर न कोई देखने-भालने वाला था और न वह कर्मचारी किसी काम के थे वहां पर। इतनी बदबू और गंदगी और ऐसी दयनीय हालत वहां थी, मैंने बताया था कि लोगों का रिप्रजेन्टेटिव होने के नाते मुझे वहां सांस लेनी पड़ी, नहीं तो मुझे नाक बंद करने की नौबत आ रही थी। जब इस तरह की गंदगी फैलती है तो जो इस विभाग के कर्मचारी हैं चाहे वह द्वितीय श्रेणी के हों, चाहे तृतीय श्रेणी के हों, चाहे प्रथम श्रेणी के हों, उनको ऐसी जगहों पर क्यों नहीं लगाया जाता है कि वहां पर हमारी सफाई हो।

जयपुर शहर को आप देख लें। मुझे तो एक मौका मिला था कहीं वी. आई. पी. जगह जाने का राजस्थान में,

(श्रीमती रमा पायलेट)

वहां मैंने देखा दोनों साइडों से जो सड़क निकल रही थी उनके आस-पास में नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कहीं यहां गड्ढे में भर रहा है, कहीं वहां गड्ढे में भर रहा है। इस तरह के सफाई कर्मचारी और इस तरह की प्रशिक्षित जो पब्लिक है या नौजवान हैं हमारे प्रान्त के अन्दर, वही इन चीजों का ख्याल रखेंगे, न कि मैं वहां जाऊंगी या माननीय मंत्री जी वहां जायेंगे और देखेंगे। हम तो अधिकारियों से कहेंगे और अधिकारी जो आफिस में काम करने वाले हैं वह फील्ड में नहीं जायेंगे क्योंकि हरेक की अपनी-अपनी सीमा है। तो ऐसे में जब कि इतनी कमी चल रही है प्रान्त के अन्दर सफाई की, हर जगह गंदगी भरपूर है, तो इन सफाई कर्मचारियों को या इन प्रशिक्षित सेनेटरी इन्स्पेक्टर्स के पदों को खतम किस बात से कर दिया गया? क्या इतने लोग काफी हैं प्रान्त के लिये कि हर जगह बहुत सफाई हुई है। अस्पताल में जाओ वहां गंदगी, सड़क पर जाओ–वहां गंदगी, बाजार में जाओ–वहां गंदगी। ऐसे कर्मचारी जो फोर्थ क्लास के हैं, जो सड़क पर सफाई करते हैं उनकी अटेण्डेन्स लेने के लिये सेनेटरी इंस्पेक्टर होता है उसके पास एक रजिस्टर, खाता होता है। इसको खतम करने के बाद क्या उनके उच्च अधिकारी जो दफ्तरों में काम करते हैं वह फील्ड में उनको देखने के लिये जाया करेंगे कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भारतीय व्यक्ति की आजकल ऐसी मेन्टीलिटी हो गयी है कि वह काम करना नहीं चाहता है। वह सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है। और ड्यूटी के बाद अपनी तनख्वाह लेना चाहता है। यह बहुत सही बात है क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिये आजकल भागदौड़ इसीलिये लगी हुई है कि वह टाइम को पूरा किया और तनख्वाह ली। इसलिये ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना, उनकी देखभाल करना इन सेनेटरी इंस्पेक्टर्स का काम है। उन सफाई कर्मचारियों से काम लेना उनका काम है। सफाई की या तो सरकार कोई ऐसी कम्प्यूटराइज मशीन लगा दें कि सारे अस्पताल बिल्कुल साफ मिलेंगे, सड़कें सारी साफ मिलेंगी, बाजार सारे साफ मिलेंगे तब तो बात समझ में आती है कि कम्प्यूटराइज होकर सारा मामला सब सफाई से हो जाय। लेकिन यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो इन लोगों की एक तो प्रान्त को आवश्यकता है, दूसरा बेरोजगारी को खतम करने की सरकार की जिम्मेदारी है। पहली बात इतना तो मुझे याद भी नहीं रहा, ना मैं इतना नोट कर सकती, आपने इतना लम्बा चौड़ा बता दिया कि दस पद यहां पर, चार पद यहां पर, इस विभाग में इतने विचाराधीन हैं, कितनों के आवेदन पत्र प्राप्त किये थे यह केन्सिल कर दिये। इतना सारा तो मेरे दिमाग में भी नहीं रहेगा, तो वह तो सब मैं भूल गयी। लेकिन मैन बात यह है कि....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसीलिये धीरे-धीरे बोल रहा था ताकि कुछ आप नोट कर लें।

श्रीमती रमा पायलेट : इतने धीरे तो कोई नोट नहीं कर सकता, जितनी

(श्रीमती रमा पायलेट)

गति आपकी है वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन कितना नोट करोगे आप। आपने यहां पर प्रावधान रखा था....(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न इन से है, जब कृषि पर आऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी।

श्री सम्पत सिंह : इनकी तो यह आदत है कि इसलिये धीरे-धीरे बोल रहे थे....

श्रीमती रमा पायलेट : मंत्री जी, कृषि के लिये बहुत सवाल हैं और मैं बोलूंगी तो फिर आपसे पूछ लूंगी।

श्री सम्पत सिंह : इसलिये धीरे-धीरे बोल रहे थे कि कोई सुन ना ले।

श्रीमती रमा पायलेट : माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो विधान सभा में प्रावधान रखा है वह सिर्फ तीन या चार कागज का रखा है उस पर यह नोट आ ही नहीं सकता था जितना माननीय मंत्री जी बोले। मैं घर से कोई खाली कागज लेकर नहीं आती कि मैं इनका सारा नोट करती जाती। एक-दो मैंने नोट किया और वह कापी भर गयी। मैंने नोट करना बंद कर दिया इसलिये, माननीय मंत्री जी, मैं मजबूर थी, नोट तो मैंने करा नहीं।

मैं सरकार से यह चाहूंगी कि इस तरह के जो नौजवान हैं, आये दिन मारे-मारे फिरते हैं....

श्री सभापति : यह बता चुकी हैं आप।

श्रीमती रमा पायलेट : यहां पर उन्होंने 20-3-91 को धरना दिया, अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल की, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये रात के साढ़े ग्यारह बजे, उन्होंने जूस पिलाया, उनका अनशन तुड़वाया, उनको आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही यह जो आपने मांग उठाई है उसकी पूर्ति कर दूंगा। या तो माननीय मुख्य मंत्री जी के शीघ्र शब्द की परिभाषा अलग से दे दें कि शीघ्र 6 महीने का है या शीघ्र एक साल का है। अगर एक साल का है तो मैं कुछ कहने की हकदार नहीं हूं लेकिन अगर शीघ्र का मतलब दो महीने या एक महीने का है तो मुझे अधिकार है यह पूछने का कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो बात कहते हैं वह भैरोंसिंह जी शेखावत बात नहीं कहते बल्कि राजस्थान के मुख्य मंत्री बात कहते हैं और उस बात का कुछ मतलब होता है, उस बात में कुछ वजन होता है। जब उन्होंने ऐसे बेरोजगारों से जाकर इस तरह की बात कही कि मैं शीघ्र ही इसको दिखवा लूंगा तो मैं उस से यह पूछना चाहती हूं कि उन्होंने इस बारे में क्या किया और अगर किये का जवाब यही है जो माननीय मंत्री जी ने अभी बताया तो वह बात मेरे समझ में आई नहीं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा। संक्षेप में, केवल प्रश्न।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बोला नहीं उसके पहले तो आपने कह दिया, संक्षेप में।

श्री सभापति : आपको राय दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : बोलना तो शुरू करने दें, साहब ।

माननीय सभापति महोदय, बड़ा ही महत्वपूर्ण मसला है, माननीय मन्त्रीजी मजाक कर रहे हैं, मजाक में बात को टाल रहे हैं । यह कोई मजाक में टालने वाली बात नहीं है । जो कर्मचारी हैं, जो बेरोजगार हैं उन्होंने सचिवालय पर धरना दिया और इतने महीने से वह धरना दिये हुए वहां पड़े हुए हैं । मैं खुद भी वहां धरने के वक्त गया था । आज उनकी हालत देखो तो आपको पता लगे क्या गुजर रही है उनके साथ । आप आराम से बैठे हुए हैं, बंगले मिल रहे हैं, कारें मिल रही हैं, लालबत्ती झंडी लहराती हैं तो आप उसमें मस्त हो रहे हैं । आपको क्या पता क्या गुजर रही है उन लोगों पर । आज यहां विधान सभा पर धरना लगाये हुए बैठे हैं । पहले उन्होंने इस तरह से हड़ताल की थी, 20-3-91 से 27-3-91 तक कर चुके हैं । उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उनको आश्वासन दिया, उनको जूस पिलाया और उनसे कहा था आपकी मांगों को मान लिया जायगा । दूसरी तरफ माननीय मन्त्री महोदय आज लम्बा चौड़ा चिट्ठा सुना रहे हैं हमको । हम, माननीय मन्त्री महोदय, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं । मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सम्पत सिंह : मैं अभी मिल कर आया हूं उनसे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं उनसे बात कर रहा हूं, माननीय मन्त्री महोदय । आप इसको गम्भीरता से लें, आप इसको मजाक नहीं बनायें । मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी से बात करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से । आखिर को यह बेरोजगार हैं, इन्होंने धरना दिया है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है । आपने लम्बा-चौड़ा चिट्ठा पढ़ कर हमको सुना दिया, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं । मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, आज आप आश्वासन दें, घोषणा करें सदन के अन्दर कि जिन लोगों को आश्वासन दिया गया है उनके पदों को भरा जायगा । एक मांग है मेरी तो सीधी ।

श्री सभापति : धन्यवाद । माननीय श्री रतनाराम चौधरी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर नगर परिषद में उनके रिक्त स्थान भरने के लिये जगह निकाली थी, उस जगह का क्या हुआ ? आज तक उन पदों को क्यों नहीं भरा गया ? न्यायालय ने आदेश दिया है कि इनके रिक्त पदों को निकाला जाय और इनको उन पर भरा जाय उसका क्या हुआ, आपने कुछ नहीं किया । आप यह बतायें । इसके साथ-साथ 884 पद जो खाली हैं इनके, उनको आपने क्यों नहीं भरा । उनके बारे में आप मुझे जवाब दें । इसी प्रकार नगर परिषद 18 पद स्वास्थ्य निरीक्षकों के सृजित करने जा रही है, उनका क्या हुआ ? यह माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें । माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यह ताकते हुए जो बेरोजगार हैं, इनके साथ

Page No. 148

(१४८)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आप न्याय करें और तुरन्त इनके रिक्त पदों को भर दें और आश्वासन दें इस सदन के अन्दर कि कितनी जल्दी आप इनके रिक्त पदों को भर देंगे। यही मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि रिक्त पद नहीं भर सकते तो इनको बी.जे.पी. का कार्यकर्ता ही बना लीजिए ताकि अपनी रोजी-रोटी का तो कहीं जुगाड़ कर लें।

श्री सम्पत सिंह : बी.जे.पी. के कार्यकर्ता भोजन करने नहीं आते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह माननीय महावीर प्रसाद जी का चार्ज आपको दे दिया क्या कृषि मन्त्री जी ? टौंक से आने वाले माननीय सदस्य का चार्ज आपने ले लिया क्या।

श्री सम्पत सिंह : भले आदमी, चार्ज कोई देता है, चार्ज तो लिये जाते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने ले लिया क्या, यह कह रहा हूं मैं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें, आप बैठें, व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, गम्भीरता से लें इसको। बार-बार मजाक हो रहा है, यह गलत हो रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक ओर तो जहां आपने व्यवस्था दी कि इन पदों की भर्ती का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आपने मल्टीपरपज वर्कर्स की स्कीम लागू कर दी, दूसरी तरफ कभी आप नगर परिषदों में, नगरपालिकाओं में और कभी अस्पतालों में बार-बार वेकेंसी निकालते हैं और उनमें जो आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं तो तीस रुपये के पोस्टल आर्डर लिए जाते हैं। तो जब आपको भर्ती नहीं करनी है तो इस तरह से प्रति फार्म तीस रुपये का पोस्टल आर्डर लेना बार-बार उनको भर्ती के लिए आमन्त्रित करना, इतनी सादी फारमेलिटीज पूरी करना, इससे सभापति महोदय एक बात जाहिर होती है कि लोगो को आप किस प्रकार से मुगालते में रखते हैं। चीज बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। जिन पदों के सृजन की आपने प्रक्रिया समाप्त कर दी, उन पदों को बार-बार सृजित करना, उनके लिए फार्म आमन्त्रित करना, पोस्टल आर्डर लेना, आखिर उस पैसे का क्या होता है। सवाल तीस रुपये का नहीं है, सवाल आपके विश्वास का है। आपने जिस पद के लिए 30 रुपये के लिये हैं पोस्टल आर्डर, या तो उन पर आप नियुक्ति आदेश जारी करते। आपने कोई उनका इन्टरव्यू काल नहीं किया और किया है तो क्या रिजल्ट निकला, वह सुना दीजिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 30 रुपये प्रति फार्म लिये गये, यह किस निमित्त लिये गये, मन्त्री महोदय इसका जवाब दें। दूसरा, सभापति महोदय, इस संस्था का संचालक कौन है। यह एल.एस.जी.डी. जो संस्था है,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इसके संचालक कौन है? प्रति वर्ष यह संस्था कितने योग्यताधारक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर अपने संस्थान से विदा करती है। माननीय मन्त्री महोदय ने अभी जानकारी दी कि इसमें न केवल राजस्थान के बल्कि राजस्थान से बाहर के लोग भी यहां पर शिक्षण लेने आते हैं। जब यह इतनी महत्वपूर्ण संस्था है तो इसकी उपादेयता क्या है? यदि इसको कोई उपादेयता है तो जो लोग एल. एस. जी. डी. से कोर्स करके निकलते हैं उनको कहीं नियुक्ति दीजिए। यदि उपयोगिता नहीं है तो कम से कम सरकार एक बात का एलान कर दे कि इस संस्था की कोई उपयोगिता नहीं है। इस संस्था में जो भी आदमी भर्ती होकर इसकी योग्यता को धारण करता है उसको सरकार में रोजगार या इस तरह की कोई नियुक्ति के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है। आज जहां कहीं भी कोई संस्था किसी भी तरह का प्रशिक्षण देती है तो एक बात निश्चित होती है कि यह प्रशिक्षण लेने के बाद व्यक्ति को यह योग्यता मिल जाएगी, जिसके बदले में सरकार से यह रोजगार पा सकेगा। आपने एक तरफ मल्टीपरपज वर्कर्स की स्कीम लागू कर दी। सभापति महोदय, पेट की भूख सबसे विकट है। जिन लोगों ने योग्यता ली है उनको उस दिन यह कतई पता नहीं था कि सरकार इन पदों की उपयोगिता समाप्त करने जा रही है। उन्होंने तो यह सोच कर प्रशिक्षण लिया था कि शायद सरकार स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों पर नगर पालिकाओं और अस्पतालों में नियुक्ति देगी। तो सरकार को कम से कम अब तो इस बात का सबक लेना चाहिए कि जब आपको उपयोगिता नजर नहीं आ रही है तो आपको ऐसे संस्थान पर बैन लगा देना चाहिए, भले ही ओटोनोमस बाडी हो।

श्री जगतसिंह दायमा : यह बैट्री डाउन कैसे है?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके लेवल के ऊपर की बात है। सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि आज भी बहुत से ऐसे गरीब मां बाप हैं जो महज यह सोच कर कि इस योग्यता के बाद मेरे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, अपने बच्चों पर हजारों रुपया खर्च करके यहां पर प्रशिक्षण दिलाते हैं तो सरकार को चाहिए कि ऐसे शिक्षण संस्थान पर इमिजिएटली रोक लगाये ताकि लोग मुगालते में आकर उनमें भर्ती न हों और जिन लोगों ने प्रशिक्षण ले लिया है उनके प्रति संवेदना रखते हुए, सहानुभूति रखते हुए मल्टीपरपज वर्कर्स की जो आपने स्कीम लागू की है, यह स्वास्थ्य निरीक्षक भी आपको इस बात के लिए कतई मना नहीं करेंगे कि हम आपका यही काम करेंगे या यह नहीं करेंगे, इनको भी क्लेरिकल जोब दिया जा सकता है। आखिर यह मेट्रिक, बी.ए. पास है आप उनसे क्लेरिकल काम भी लेंगे तो एक तो उनको रोजगार मिलेगा। दूसरे उनको डिग्री है उसकी उपयोगिता निश्चित रूप से कहीं न कहीं है, सभापति महोदय, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी यहां पर बिराजे हुए हैं, आज जयपुर की जो हालत है, मैं पर्टिकुलर जयपुर का निवेदन इसलिए कर रहा हूं, मैं कोई आलोचना की तरह से नहीं कह रहा हूं बल्कि यह व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी हुई है....

श्री हरि कुमार औदिच्य : सभापति महोदय, आप बताइये, यह सवाल क्या पूछ रहे हैं, कोई समझे क्या ?

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में सवाल कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतना स्पष्ट पूछने के बाद भी यदि सवाल नहीं समझे जाते हैं तो इसका तो सिर्फ एक ही अर्थ है कि यह सरकार सवाल सुनना ही पसन्द नहीं करती।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैंने स्पष्ट पूछा है कि इस संस्था के संचालक कौन है....

श्री सभापति : किसी भी बात को दो बार कहने से उसकी गम्भीरता समाप्त हो जाती है आप संक्षेप में सवाल पूछें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैंने स्पष्ट पूछा है कि आपने जब इनकी उपयोगिता समाप्त कर दी तो यह पद आपने क्यों सृजित किये ?

श्री सभापति : यह आप कह चुके हैं, दुबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी बची हुई बात कह दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, जिस प्रकार की यह संवेदना और सहानुभूति दिखा रहे हैं, मैं तो केवल एक ही बात कह सकता हूं कि इसको आप बी. जे. पी. का वर्कर बना लीजिए ताकि किसी भी जिले में जाकर अपनी रोजी-रोटी का साधन कर लें।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री हबीबुर्रहमान (अनुपस्थित), माननीय श्री अमीनखां (अनुपस्थित), श्री रामनारायण वर्मा, कृपया रिपीट न करें। आपका ही समय है। आप बोलिए।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, मेरा नाम किस विषय पर बोलने के लिए पुकारा गया है ?

श्री सभापति : स्वास्थ्य निरीक्षकों के जो पद खाली है जिनके ऊपर आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, आपको बोलना है ? नहीं बोलना। माननीय रामनारायण वर्मा।

श्री हरि कुमार औदिच्य : सभापति महोदय, इसमें इनका नाम तो नहीं है ?

श्री सभापति : इनका अलग से स्थगन प्रस्ताव आया था इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस मामले पर इनको भी बोलने की इजाजत दे दी है, इसी सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने 27 मार्च, 1991 को स्वास्थ्य निरीक्षकों को आश्वासन दिया था कि आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी और यदि उन्होंने आश्वासन दिया था उनका अनशन तुड़वाया गया था तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? और कार्यवाही नहीं की गई है तो....

श्री सभापति : यह पूछा जा चुका है। जो बच गये हों वह पूछ लीजिए, नहीं तो आपका ही समय बरबाद होगा।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या यह सही है कि 854 के करीब जो पद हैं उन पदों पर नियुक्ति दे दी जायेगी और दे दी जायेगी तो कब तक? कोई स्पैसिफिक डेट दें। क्योंकि सरकार जिस तरह से चल रही है वैसा यह गोलमाल उत्तर है। पूछा तो राजस्थान हाउस में मंत्रियों के दस कमरे एक साथ क्यों खाली रहते हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कमाल कर दिया....

श्री रामनारायण वर्मा : खैर, जो भी है। यह सरकार मंत्रियों का नाम लेने से चमकती है। मेरा सवाल है, क्या उन स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद जो 854 या जो भी खाली बताये गये हैं उन पर किस तारीख तक नियुक्ति दे दी जाएगी? दूसरी बात, क्या सरकार इन स्वास्थ्य निरीक्षकों को पिछली 27 मार्च की तरह ही झांसा देगी या इन पर कितने लोगों को लिया जाएगा, यह स्पेसिफिक उत्तर दिया जाय। चौथा, सभापति महोदय, मैं किसी का कोई अपमान नहीं करना चाहता, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सरकार में बैठने वाले मन्त्री महोदय से कि एक महीने के बाद कोई बाल-बच्चों के लिए भूखा प्यासा नौकरी ढूंढ़ कर वापिस जाय और बच्चों को दूध व खाना नहीं खिला सके, उन बेरोजगारों की यह हालत है। सरकार और कोई साइड में रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही है....

श्री सभापति : यह सब बातें आ चुकी हैं बहुत विस्तार में। आप तो प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण वर्मा : यह नहीं आया है सभापति महोदय, जब से सरकार बनी है लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते।

श्री सभापति : यह सब बातें आपके स्थगन प्रस्ताव में आ चुकी है। यहां पर भाषण में भी आ चुकी है।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि माननीय ललित किशोर जी ने कमेटी की अध्यक्षता करके सबको ब्लाक कर दिया। कोई नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता, यह तो सर्वविदित है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई स्पेसिफिक डेट दी जाए।

श्री सभापति : ठीक है बिराजिये। श्री ईश्वर लाल सैनी, कोई प्रश्न हो तो? नहीं है। श्री बिरदा राम चौधरी। कोई प्रश्न नहीं बचा। माननीय मन्त्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैंने सारा वक्तव्य बहुत विस्तार से इसीलिये दिया कि माननीय सदस्य महोदय ने अपने स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिन मुद्दों को उठाया था, उसका एक-एक करके उत्तर दे दिया है, फिर भी दुबारा वहीं प्रश्न किये गये हैं इसीलिए मैं उन प्रश्नों को दोहरा रहा हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस बात को कहने से पहले एक निवेदन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां दो प्रकार की वाइसेज आयी हैं। जोधपुर जिले आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने इतनी धीमी गति से सारा वक्तव्य पढ़ा कि उसको वे पिकअप नहीं कर सके और दूसरी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

और बूंदी जिले से आनी वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि वक्तव्य ऐसा लम्बा हो गया है कि वो नहीं लिख सकी। मुझे समझ नहीं आया कि इन दोनों में कौनसी बात सही थी? धीरे-धीरे बोलने के पीछे यही प्रयोजन था कि एक-एक बात को नोट करके उसमें से प्रश्न निकाल लिये जाय। तो भी माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या ने जिस सफाई की चर्चा की है, दो विभाग हैं जिनमें सेनेटरी इन्सपेक्टर्स लगाये जाते हैं। एक चिकित्सा विभाग और दूसरा स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग में मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 20 वेकेन्सीज रहेगी और 20 रहेंगी तो इसलिए उनको तो 20 लोग लगाने हैं। इस कारण से रिक्तियों की संख्या केवल 20 हो गई। जहां तक मेरा विभाग का सवाल है, मैंने विस्तार से चर्चा की, 700 से भी अधिक रिक्त पद रहने के बाद भी मैंने नहीं, तत्कालीन सरकार ने विभिन्न प्रकार के इश्यूज उठा कर यह निश्चय किया कि इस प्रकार के पद को समाप्त कर दिया जाय और कारण भी प्रस्तुत किये हैं। उन कारणों पर विचार करके अभी की सरकार ने एक कमेटी बनाई उन बिन्दुओं पर विचार करने के लिए। अभी वह विचार-विमर्श चल रहा है। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि मेरे विभाग में, जिसमें 700 से अधिक पद रिक्त हैं, उसमें जो जोब चार्ट है, वह सफाई का कहीं नहीं है। उनके लिए डिप्टी कन्ट्रोलर और हॉस्पिटल केयर टेकर हमने पहले से ही लगा रखे है। कुछ रिक्त पद हैं जिनको लगाया जा रहा है इसलिए सेनेटरी इंसपेक्टर्स का सफाई के माध्यम से, उन्होंने कोटा के अस्पताल का उदाहरण कोट किया, उन्होंने जयपुर के अस्पताल का उदाहरण कोट किया। जो जोब चार्ट है स्वास्थ्य निरीक्षकों का, वह जोब चार्ट मैं आपके सामने इसीलिए दोहराना चाहता हूं और आज पूरा जोब चार्ट मल्टी परपज वर्कर और सीनियर मल्टी परपज वर्कर कर रहे हैं। डुप्लीकेशन हो रहा है और इसी कारण से इस प्रकार की कठिनाइयां तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत की थी। कि अगर ये डुप्लीकेशन हो रहा है तो इनके पदों की जरूरत क्या है और इन इश्यूज पर हमारी सरकार ने उन विषयों पर कमेटी नियुक्त की थी। जोब चार्ट है (1) टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन और देख रेख (2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सभी प्रकार की वैक्सीन, दवाइयों, को फील्ड में रखने की व्यवस्था करना, देखरेख करना (3) महामारियों की रोकथाम करना जैसे हैजा, आंत्रशोथ मस्तिष्क ज्वर, पीलिया, टाइफाइड, खसरा आदि (4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सम्बन्धी और महामारी सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन करना और राज्य सरकार को निर्देशानुसार सूचना भेजना (5) सभी जल स्त्रोतों का गांव-गांव में भ्रमण कर शुद्धिकरण करना (6) नारू रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग करना एवं देखदेख एवं घर-घर जाकर रोगियों का मालूम करना (7) वातावरण स्वच्छता के अन्तर्गत

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गांव-गांव के पास मल-मूत्र न रहे, सोकपिट्स बने, अस्थाई शौचालय, मूत्रालय बने (8) शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन करवाना (9) मेले में शुद्धिकरण के द्वारा बीमारियों की रोकथाम करना (10) स्वास्थ्य शिक्षा देना। ये सारे काम मल्टी परपज वर्कर और सीनियर मल्टी परपज वर्कर के भी हैं। इस डुप्लीकेशन को तत्कालीन सरकार ने देखा। तत्कालीन सरकार ने इन विषयों को देखने के पश्चात् विभिन्न मंचों से इस प्रकार से जब बात आई तब वर्तमान सरकार ने उन्हीं मुद्दों का विचार लेकर जिसका मैंने वक्तव्य में जिक्र किया है, एक कमेटी का निर्माण कराया। कमेटी ने अपना निर्णय दिया कि इस प्रकार के पदों की कोई आवश्यकता नहीं है, पद समाप्त किये जाने चाहिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में और मिनी स्वास्थ्य केन्द्र में। किन्तु फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर रिक्त पद हैं केवल 20, मेरे विभाग में 700 से अधिक रिक्त पद हैं। पुरानी सरकार, तत्कालीन सरकार का इसमें एंगल, व्यू आया। हमने उस पर एक कमेटी बिठाई। कमेटी ने स्पष्ट रूप से निर्णय ले लिया। फिर भी समाज में जितनी बेकारी की भयंकर समस्या है, वर्तमान सरकार इसके बारे में संवेदनशील है। काम की तो आवश्यकता नहीं है किन्तु काम डुप्लीकेशन होकर भी चलेगा और इसीलिए राज्य सरकार इसका परीक्षण कर रही है। राज्य सरकार में वर्तमान पक्ष विचाराधीन है और मैं आपके माध्यम से सदन को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो संवेदनशीलता के विचार चिकित्सा मंत्री का, स्वायत्तशासन मंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री का है, हम तीनों का डिस्कशन कम नहीं हो जाने के पश्चात् भी ट्रेंड लोग आकर रहे और रिक्त पद है तो निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिये किन्तु सब स्तर पर उसका क्लियरेंस लेना आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी परीक्षणाधीन है। माननीय सदस्यों ने कहा कब तक नियुक्ति कर देंगे। नियुक्ति कैसे करूंगा। एक तरफ इस प्रकार की डिफरेंस आफ ओपिनियन है। उस डिफरेंस आफ ओपिनियन पर सब प्रकार की बातों को सेटिसफेक्शन करने के बाद में इस बात का विचार किया जायेगा। इसलिए इसमें इतना समय लगना वाजिब है। यह भी हो सकता है कि यह हो जाय कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं दे सकते, दूसरी तरफ हो भी सकता है, संवेदनशीलता के आधार पर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत परिमाण में है, उसका विचार कर उनको नियुक्त करने का विचार हो सकता है। इसलिए आज मैं क्लियर कट कहने की स्थिति में नहीं हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इन विस्तृत बातों को मैंने रखा है। एक विषय आया कि संस्थान क्यों चल रहा है। संस्थान को बंद करना हमारे अधिकार की बात नही है। हम नहीं चला रहे हैं, Freedom of speech, freedom of occupation, freedom of tranning.

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पहले आप बैठ जाइये। मेरी बात सुनें।

श्री सभापति : आप विराजिये। बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंटेड क्वेश्चन है।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : आप एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते।

श्री सभापति : आप बाद में पूछ लीजिये। बीच मे व्यवधान नहीं डाले।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने पाइन्टेड प्रश्न किया है (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले एक बार बैठजाइये।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा :....कमेटी बनाये हुए डेढ़ साल हो गये....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। आपके यदि सवाल का जवाब नहीं आये तो पूछ लीजिये। (व्यवधान)
कृपया बिराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : हम तो पाइंटेड प्रश्न का जवाब चाहते है....

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप गाइड नहीं कर सकते... व्यवस्था बनाएं। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं एक-एक बात का स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं और दे चुका हूं किन्तु शायद उन्होंने नहीं सुना है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आया संस्थान का सवाल, मूल रूप में संस्थान को बंद करना हमारे अधिकार में नहीं है। वह संस्थान एक आटोनोमस बाडी है। हिन्दुस्तान भर से उस संस्थान में एप्लीकेशन इन्वाइट की गई थी। अब हिन्दुस्तान भर के लोग आते हैं तो उसको कैसे बन्द कर देंगे। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि राजस्थान में अगर पद की रिक्तियां नहीं है और यहां पर ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहिये। यह बात आज इस विधान सभा से भी जाएगी, तो लोगों को निश्चित रूप से एंगिल मिलेगा। पुराने जो लोग हैं, जिसके बारे में मैंने निश्चित रूप से कहा है कि राजस्थान सरकार संवेदनशील होकर उस नाते निश्चित रूप से विचार कर रही है। मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। पाइन्टेड क्वेश्चन आया है न्यायालय का। न्यायालय ने आदेश दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं,

न्यायालय ने जिन 22 लोगों के आदेश दिये थे, जिसमें सेनेटरी इंसपैक्टर नहीं थे, उनकी नियुक्ति स्वायत्त शासन विभाग ने पूर्व में कर ली है। सब-ज्युडिस केस है। अगर न्यायालय निर्णय दे तो हम नहीं करेंगे उनको। फिर दूसरी बात और यहां कही है मुख्यमंत्रीजी का हवाला देकर। मैंने सारी फाईल्स देखी हैं, दोनों विभागों की फाइल देखी हैं। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्रीजी से बात की है, मुख्यमंत्रीजी ने यह कहा है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मैं वहां गया था और जाने के बाद मैंने उनको यह कहा कि आप हड़ताल कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। जो रिक्त पद हैं, उनके ऊपर अभी भी मार्क आफ इंटेरोगेशन है। राज्य सरकार आपके बारे में संवेदनशील होकर विचार करेगी। किन्तु यह केटेगरीकली मुंह से कह देना कि उन्होंने कहा है कि सबको नियुक्ति दी जायेगी, ऐसा मुख्यमंत्रीजी ने कभी किसी को नहीं कहा है, यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एप्लीकेशन का सवाल आकर खड़ा हो गया....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। ठीक है, आप बाद में पूछ लेना। यह तरीका ठीक नहीं हैं आपका। मंत्रीजी बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिये। आप कहते हो, वही सही है ? सुन लीजिए ना उनकी बात। प्रश्नों को बाद में पूछ लेना।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, स्वायत्त शासन विभाग ने पहले 1984 में एप्लीकेशन मांगी थीं, दस रूपये का पोस्टल आर्डर उनके साथ था। 90-91 में एप्लीकेशन मांगी हैं। 20 स्थानों के रिक्त पद हैं। उनमें उन्हीं एप्लीकेशन्स को कंसीडर कर भर्ती की जायेगी। प्रश्न यह आकर खड़ा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक बार जितनी पोस्ट क्रियेटेड हैं, उसमें अगर 85 नगर पालिकाएं टूट गई तो पद 20 ही रहेंगे, उन्हीं को भरना होगा। इसलिए यह कहा कि बार-बार एप्लीकेशन मंगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो एप्लीकेशन मंगाई गई हैं, उनमें से ही निश्चित रूप से स्वायत्त शासन विभाग में रिक्त पदों को भरा जायेगा। सभापति महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की भयंकर समस्या है, इस पर काबू पाना आवश्यक है. इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है, वह ट्रेनिंग उस परिणाम में चलकर प्रशिक्षित लोग तैयार हों। आज जो स्कूल चल रहे हैं, क्या उस पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, आदेश दे सकती है, क्या यह हमारे हिस्से की बात है। जो ऑटोनोमस होकर, खड़े होकर इस प्रकार की बॉडी चलायेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको ट्रेनिंग देने का अधिकार है, किन्तु कितनी रिक्तियां हैं, इसका विचार निश्चित रूप से प्रशिक्षणार्थी को करना होगा और उसी के अनुसार ट्रेनिंग लेने के लिए संस्था में जाना चाहिये। जो सवाल उठाये हैं मैंने आपके माध्यम से सबका स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय मदन लाल सैनी शिक्षा अधिकारियों के वेतनमानों में कथित विसंगतियों की ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : जब नौकरी नहीं दे सकती तो क्या सरकार एल. एस. जी. डी. दफ्तर के सामने लिखा देगी कि इतने बेरोजगार आलरेडी हैं, ताकि आइन्दा से कोई ट्रेनिंग न ले।

श्री सभापति : आवश्यकता नहीं है। श्री मदन लाल सैनी। (व्यवधान) बिराज जाइये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : सभापति महोदय, पोइण्ट आफ इनफॉर्मेशन है।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी, बिराज जाइये। हां, क्या पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : कल दिनांक 18/9/91 को 12 बजे व्यवस्थापकों की जो रैली इधर आ रही थी। अपैक्स बैंक के एम. डी. श्री मांगीलाल परिहार को....

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवधान नहीं डालिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। माननीय बैरवा जी, बिराज जाइये। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मेरी सरकार से मांग है कि तुरन्त उनको....

श्री सभापति : आप कृपया बैठ जाइये। कृपया व्यवधान न डालें। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनें। सूचनार्थ बात सुन ली गई है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आगे लगा हुआ है यह इसके आगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। बिराजिये आप। माननीय मंत्रीजी।

शिक्षा अधिकारी का वेतनमान संबंधी

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य तथा अन्य 9 सदस्यों ने शिक्षा अधिकारियों के वेतनमानों को तथा अन्य और मांगों को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव दिया है। उसके बारे में मैं बिन्दुवार निम्न प्रकार से उठाना चाहूंगा।

केन्द्र सरकार के अधीन विद्यालयों के अध्यापक वर्ग के प्रत्येक पद के लिए साधारण, वरिष्ठ एवं चयनित, तीन वेतनमान हैं। राज्य के अधीन विद्यालयों के लिए तीन प्रकार के अध्यापकों के पद इसी प्रकार हैं। अध्यापक ग्रेड थर्ड, अध्यापक ग्रेड सेकिण्ड और व्याख्याता-स्कूल शिक्षा। अध्यापक ग्रेड तीन और दो के लिए लिए साधारण के अतिरिक्त चयन ग्रेड भी है, जबकि व्याख्याता स्कूल शिक्षा के लिए कोई चयन ग्रेड नहीं है क्योंकि यह पद स्टेट सर्विसेज में आता है और स्टेट सर्विसेज के किसी पद के लिए चयन ग्रेड नहीं है। अतः राज्य के अध्यापक ग्रेड तीन एवं अध्यापक ग्रेड दो के लिए साधारण वेतनमान वही निर्धारित किया गया है जो कि केन्द्र सरकार के अधीन समान पद का साधारण वेतनमान हैं। परन्तु व्याख्याता स्कूल शिक्षा को केन्द्र के समान पद का बीच वाला वरिष्ठ (वेतनमान दिया गया है क्योंकि बाद में उन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया जा सकेगा। पूर्व में प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय तथा व्याख्याता, स्कूल शिक्षा के वेतनमान में एक वेतनमान संख्या का अन्तर था। अर्थात् प्रधानाध्यापक को वेतनमान संख्या 18 देय थी तथा व्याख्याता को वेतनमान संख्या 17। उस समय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं तक कक्षाएं थीं। जब

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया गया तो उनमें 12वीं कक्षा भी सम्मिलित हो गई, जो पूर्व में कालेज शिक्षा का एक भाग हुआ करती थी। अतः व्याख्याता, स्कूल शिक्षा को वेतनमान संख्या 17 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया। यद्यपि माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने पर व्याख्याता, स्कूल शिक्षा का वेतनमान प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के समान हो गया। परन्तु इससे कोई विसंगति पैदा नहीं हुई है क्योंकि प्रधानाध्यापक का पद व्याख्याता, स्कूल शिक्षा के लिए पदोन्नति का पद नहीं है। व्याख्याता, स्कूल शिक्षा पदोन्नत होने पर सीधे ही वाइस प्रिंसीपल, उच्च माध्यमिक विद्यालय बनते हैं। प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय अध्यापक ग्रेड थर्ड के लिए पदोन्नति का पद है जिसका वेतनमान 1400 से 2600 है। प्रशासनिक पद एवं व्याख्याता के पद का वेतनमान समान होना भी कोई विसंगति नहीं है। अध्यापक ग्रेड सेकिण्ड, व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक, दोनों ही पदों पर पदोन्नत होते है। अतः यदि दोनों पदों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किये गये तो विसंगति अवश्य पैदा हो जायेगी। राज्य के जिन प्रशासनिक पदों एवं अध्यापक वर्ग के पदों के लिए केन्द्र सरकार के अधीन समान पदों के वेतनमानों के समकक्ष वेतनमान निर्धारित किये गये हैं। केन्द्र सरकार की नीति अनुसार अध्यापक वर्ग के वेतनमान प्रशासनिक पदों के वेतनमानों से उच्चतर होने चाहिए। जिससे इनमें सुयोग्य व्यक्तियों के लिए आकर्षण हो सके। प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय स्टेट सर्विस का पद है। राज्य के अधीन स्टेट सर्विसेज के पद के किसी भी पद के लिए चयन वेतनमान निर्धारित नहीं किया हुआ है। अतः प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के लिए ही चयन वेतनमान निर्धारित करना सम्भव नहीं है। व्याख्याता, स्कूल शिक्षा को पदोन्नत कर वह प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय नहीं बनाया जाता। वह सीधे ही प्रधानाध्यापकों की तरह वाइस प्रिंसीपल, उच्च माध्यमिक विद्यालय बनते हैं। प्रधानाध्यापक का पद अध्यापक-ग्रेड सेकिण्ड के लिए पदोन्नति का पद है। राज्य के अधीन पदों के लिए केन्द्र सरकार के अधीन समान पदों के लिए निर्धारित वेतनमानों के समकक्ष वेतनमान निर्धारित किये गये हैं। परन्तु ऐसा करते समय राज्य के अधीन पदों हेतु निर्धारित वेतनमानों में वर्तमान समकक्षता को भी ध्यान में रखा गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने से पूर्व ही कुछ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु प्रधानाचार्य के पद थे, जबकि शेष हायर सैकेण्डरी विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक के पद ही होते थे। उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए वही वेतनमान निर्धारित किया गया है, जैसा कि हायर सेकेण्डरी के पूर्व प्रधानाध्यापक का था। दूसरे, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत होते हैं जिसका वेतनमान 3000 से 4500 है। यह वेतनमान अन्य प्रशासनिक पदों के

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

वेतनमानों के समकक्ष हैं। उच्च एवं पदोंन्नति पद के वेतनमानों के समकक्ष प्रधानाचार्यो के वेतनमान निर्धारित करना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा करने पर अवश्य विसंगति पैदा हो जावेगी। राज्य के अधीन किसी पद के धारक को कोई अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि तभी दी जाती है, जबकि ऐसी अतिरिक्त योग्यता से उसके कर्तव्य सम्पादन में कोई सुधार हो सकता हो। प्रधानाध्यापक का पद मूलतः प्रशासकीय है और एम.एड. की डिग्री प्राप्त करने पर उसके प्रशासकीय कार्य में किसी प्रकार के सुधार की सम्भावना कम ही है। अतः प्रधानाध्यापकों द्वारा एम. एड. डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त प्रकार से दी हुई बिन्दुवार टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् की मांगों का औचित्य नहीं है। कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिये मांगें उठायी गयी हैं। मांगों के माने जाने पर कई विसंगतियां पैदा होंगी जो अन्य पद धारकों की मांगों को जन्म देगी। मांगों के उठाये गये मुद्दों में कोई व्यापक जनहित नहीं है। शिक्षा विभाग में शिक्षा सेवा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध अन्य सेवा के कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है। शिक्षा विभाग में केवल एक अतिरिक्त निदेशक आर. ए. एस. है जिसका पद अलग से आर. ए. एस. कैडर में शिक्षा सेवा के पदों पर अतिरिक्त सृजित करके किया गया है।

पाठ्य पुस्तक मण्डल में एक आर. ए. एस. अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है। यह पद भी प्रतिनियुक्ति का ही पद है। निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा पर आई. ए. एस. आफिसर कार्यरत है क्योंकि यह पद भी अतिरिक्त निदेशक के पद से क्रमोन्नत होकर उच्च वेतन शृंखला में सृजित हुआ है जो शिक्षा सेवा में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार अन्य सेवा के कोई अधिकारी शिक्षा सेवा के पदों पर कार्यरत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, माननीय मंत्री महोदय ने तो अपना तर्क प्रस्तुत करके यह साबित करने की कोशिश की है....

श्री सभापति : कृपया प्रश्न पूछें। आपके प्रस्ताव का जवाब आ गया उससे आउट ऑफ डेट, सीधे-सीधे प्रश्न पूछें।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह कह तो दिया लेकिन एक प्रधानाध्यापक के जिम्मे कार्यालय का काम, कार्यालय का वह अध्यक्ष भी है, वह स्थानीय परीक्षाओं को कण्डक्ट भी करता है, बोर्ड की परीक्षाओं को कण्डक्ट करने की भी जिम्मेदारी है, अन्य शैक्षणिक कार्यों को भी वह निभाता है, खेल की भी व्यवस्था करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी जिम्मेदारी है, अध्यापकों का चार्ट बनाने की, सारी पढ़ाई कैसे होगी-यह व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी भी है, संस्था में अनुशासन रहे, यह जिम्मेदारी भी वह देखता है। कर्मचारी ठीक तरह से काम

(श्री मदनलाल सैनी)

करें, यह भी वह काम देखता है। इन सारे काम को देखने के बाद यदि कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी उसकी आती है, उस स्कूल व्याख्याता की जिम्मेदारी नहीं आती।

पढ़ाई का जहां तक सवाल है। प्रधानाध्यापक भी पढ़ाता है, वह फालतू वहां पर बैठा नहीं रहता और विद्यालय का अध्यापक भी पढ़ाता है। तो पढ़ाई तो दोनों की बराबर है लेकिन इसको बहुत सारी जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ती है। यदि समान तरह के लोग होंगे तो जो एक उत्सुकता हैं, एक प्रोमोशन है या एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि है या ज्यादा वेतन मिलने की जो भावना है, नौकरी में केवल वेतन वृद्धि और प्रामोशन यह दो ही चार्म होते हैं व्यक्ति को। यदि समान तरह का काम करने वाले लोगों का समान वेतन होता तो बात समझ में आती है लेकिन आपने जिस पर इतनी जिम्मेदारी दी है, इतनी जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति के साथ क्या आप इसको यह वेतन वृद्धि देना न्याय नहीं समझते हैं?

दूसरा प्रश्न मेरा है कि हिन्दुस्तान में अन्य राज्यों में जहां-जहां प्रधानाध्यापक और स्कूल व्याख्याता हैं वहां भी वेतन विसंगतियां हैं क्या?

तीसरा प्रश्न, माननीय सभापति महोदय, आज जिन लोगों को आप प्रधानाध्यापक स्कूल में बनाकर भेजने के लिये स्थानान्तरित करते हैं, राजस्थान में ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि हैड मास्टर की पोस्ट पर कोई भी स्कूल व्याख्याता जाने को तैयार नहीं होता है, इस कारण से हैड मास्टर के पद राजस्थान में बहुत खाली है।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो, उसको पूछें। रिपीट नहीं करें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : रिपीट नहीं करूंगा, माननीय सभापति महोदय। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं।....

श्री सभापति : कृपया भाषण नहीं दें, प्रश्न पूछें।

श्री हीरालाल आर्य : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जिस महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षक लगा है, क्या यह सही है कि उसको तनाव से मुक्त करना आवश्यक है। क्या यह भी सही है कि शिक्षक आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत सम्मान को लेकर घरेलू समस्याओं से भी तनाव में बन्धा हुआ है और तनाव में रह कर कोई भी शिक्षक राष्ट्र निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है आज वह पिछले कई दिनों से धरने पर बैठा है। उनकी मांगें हैं। आप कहते हैं कि कोई विसंगति नहीं हुई है। जो व्याख्याता, स्कूल शिक्षक है उनमें और प्रधानाध्यापक के काम में वैसे भी समाज में सम्मान को लेकर, काम को लेकर बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। व्याख्याता को केवल पढ़ाई का काम करना पड़ता है, उसको कोई चिन्ता ही नहीं है। लेकिन एक प्रधानाध्यापक को स्कूल किस तरह से चले, अध्यापकों को, अभिभावकों को, छात्रों को, इन सबको सम्भालना पड़ता है,

(श्री हीरालाल आर्य)

उनसे बात करनी पड़ती है। कई प्रकार की बातें स्कूलों में होती है। शिक्षा ठीक तरह से चले, रीति-नीति से चले। यह सारा उसका दायित्व है। इसलिये आज कोई भी जो व्याख्याता है वह प्रधानाध्यापक बनने को तैयार नहीं है और यही कारण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें प्रधानाध्यापक नहीं हैं। सारे माध्यमिक विद्यालयों के पद प्रधानाध्यापक के अभाव में रिक्त पड़े हैं। इसलिये वहां पर पढ़ाई का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो विसंगतियां हैं, किसी भी प्रान्त में इस प्रकार की विसंगतियां नहीं हैं जहां व्याख्याता और प्रधानाध्यापक को केवल एक तरह का वेतन मिलता हो। क्या यह सही है कि आपके जो शिक्षा निदेशक हैं, विशेष शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव ने, इन सब ने उनकी बात मानी है और यह स्वीकार करते हैं कि वास्तव में यह विसंगति है और इस विसंगति को दूर करना अत्यन्त ही आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षक तनाव मुक्त होकर कार्य करें इसके लिये उनकी मांगों को माना जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। इसलिये मेरी आपसे पुरजोर मांग है कि यह जो विसंगति है इसको दूर करें और प्रधानाध्यापक और व्याख्याता का जो वेतनमान है, प्रधानाध्यापक को उसके समान अनुरूप वेतन वृद्धि देना अत्यन्त आवश्यक है।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है।

माननीय श्री जीतमल जैन। (अनुपस्थित)

माननीय श्री जितेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित)

माननीय श्री शांतिलाल। (अनुपस्थित)

माननीय श्री कृष्ण गोपाल कोगटा। (अनुपस्थित)

डाक्टर उजला अरोड़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

शिक्षा अधिकारियों के वेतनमान सम्बन्धी

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : यह बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय मंत्री जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इसमें नाम है।

श्री सभापति : आपने प्रस्ताव क्यों नहीं दिया पहले।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा जोड़ा गया है नाम। मैंने प्रस्ताव दिया था परन्तु उसमें रह गया और उसके बाद मैंने निवेदन किया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपका नाम जोड़ा जायेगा।

श्री सभापति : अच्छा, बोलिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे स्थान पर इनको समय दे दीजिये।

श्री सभापति : ऐसा कोई स्थान नहीं होता। आपके स्थान पर तो आप ही रहेंगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, बहुत थोड़े समय में मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने जो स्टेटमेण्ट यहां पढ़ा है, यह पिछली सरकार की गलतियां जो हुई हैं और जो इसमें विसंगतियां पैदा कर दी गयी, 86 और 89 के जो कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ था उस आन्दोलन के समय जो समझौते हुए, माननीय हरिदेवजी जोशी के साथ में और उसके बाद शिवचरणजी माथुर के साथ में, उस समय जो समझौता हुआ था उसके बाद में यह जो अन्तर पैदा किया गया है, इसकी वजह से विसंगतियां हुई हैं। उस समय नहीं हुई थी, 89 में नहीं हुई, उसके बाद में विसंगति पैदा की गयी और किन्हीं प्रभावशाली लोगों की वजह से यह पैदा हुई। मैं यह चाहता हूं कि इस तथ्य को सदन से छुपाना नहीं चाहिए, इस सदन में इस तथ्य को भी प्रकट करना चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, आपने अपने स्टेटमेण्ट में यह कहा है कि जो प्रमोशन होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, यह फर्स्ट ग्रेड जो कहलाती थी, यह व्याख्याता है और प्रमोशन होता था हैड मास्टर का चूंकि प्रधानाध्यापक की जो पोस्ट है वह कैडर की पोस्ट थी और केडर की पोस्ट पर जो इनका प्रमोशन होता था वह सेकण्ड ग्रेड से व्याख्याता से होता था और उसमें आर.एस.आर. के नियम 26-ए के अनुसार उनको लोअर और अपर ग्रेड का एक एक-एक इन्क्रीमेण्ट मिलता था। एक व्याख्याता में से लेते थे और तीन सेकेण्ड ग्रेड से लेते थे। आपने कहा कि उसका प्रमोशन नहीं होता, यह गलत है। प्रमोशन होता था सेकेण्ड ग्रेड और व्याख्याता, व्याख्याता एक और सेकेण्ड ग्रेड के तीन। उपरोक्त तरीके से प्रधानाध्यापक पर प्रमोशन होता था उसका। आज माननीय सैनीजी और हीरालालजी ने कहा कि प्रधानाध्यापक कोई नहीं बनना चाहता है क्योंकि व्याख्याता और हैड मास्टर का ग्रेड एक है। चूंकि वह प्रशासनिक पद है और साथ ही वह शैक्षणिक पद भी है। आपने कहा कि एम. एड. करने पर इन्क्रीमेण्ट नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसकी योग्यता का कोई लाभ नहीं होता है प्रशासन में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सीनियर उच्च माध्यमिक स्कूल का जो प्रधानाचार्य है, वह पढ़ाता भी है हैड मास्टर भी पढ़ाता है, उप प्रधानाचार्य भी पढ़ाता है। यदि वह पढ़ाते नहीं हैं तो प्रधानाध्यापक नहीं हो सकते। उन्हें पढ़ाना तो जरूरी है। अन्य प्रशासनिक जोब के साथ में। इसलिए यह कहना कि उस जोब में उसकी योग्यता का लाभ नहीं होता है, गलत है।

दूसरा, एक निवेदन और कर रहा था कि हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का और हैड मास्टर का ग्रेड समान हो। चूंकि हैड मास्टर का पद प्रशासनिक पद है इसलिए अन्तर रहता है हमने नीति तय की है कि केन्द्र के समान वेतनमान करेंगे। उसके समान करते हैं तो भी यह विसंगति के रूप में आयेगी। दिल्ली का वेतनमान देख लें–केन्द्रीय सरकार के स्कूलों के वेतनमान देख लें। उसमें हैड मास्टर का वेतनमान अन्यथा है, जहां तक सलेक्शन ग्रेड की हायर ग्रेड की तीन स्टेज है वह तीन स्टेज वहां पर भी प्रत्येक वेतनमान के साथ हैं।

अगर पिछली सरकार ने कोई गलती की है तो मैं समझता हूं कि उस बात को छुपाना उचित नहीं होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो विसंगतियां पे स्केल में बड़ी हो गयी हैं, जो 1600-2900 के पद थे उनको 2000-3500 कर दिया तो आपको हैड मास्टर को भी 2200-4000 के ऊपर का वेतनमान देना चाहिए। क्योंकि व्याख्याता 17 नम्बर स्केल में था और हैड मास्टर 18 नम्बर की पे स्केल में था। आज भी वह अन्तर करना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ है। उनका वेतनमान भी इस हिसाब से 3000 से 4500 के बीच करना चाहिये। यह केन्द्र के समान तभी होगा। अर्थात् अगर आप केन्द्र की बात लेते हैं और विसंगतियां रहती हैं तो टीचर्स के अन्दर जो फर्स्टेशन है वह सदैव रहने वाला है। इस फर्स्ट्रेशन को मिटाने के लिए शिक्षा विभाग को पहल करनी चाहिए। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गम्भीरता से इस मसले को लें। जिन अधिकारियों ने ऊपर से गलती की है, किसी राजनैतिक दबाव में आकर गलती की है, आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से बता सकता हूं मैं यहां पर कहना नहीं चाहता, हूं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं इस विवाद में, आप दबाव में आये बिना जिन अधिकारियों ने गलती की है उस गलती को सुधारने के लिए यह विसंगति ठीक करनी चाहिए। आपके माध्यम से अधिकारी सदन को गुमराह करना चाहते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा अधिकारियों की मांगों का प्रश्न था, मेरा स्टेटमेण्ट काफी स्पष्ट है। फिर भी माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें कही हैं। माननीय मदनलाल जी सैनी ने कहा–हैड मास्टर का क्या कर्तव्य है, जितना भी कर्तव्य है स्कूल में जाने, हाजरी करने से लेकर

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

पढ़ाने तक का सारा वर्णन कर दिया। कर्तव्य बताने से क्या मतलब, इसको तनख्वाह मिलती है तो काम करता है। चार्ट भी तैयार करेगा और परीक्षा भी लेगा। उसका अगर बखान करें तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है। हैड मास्टर को जो तनख्वाह दी जाती है वह उसके तहत काम करता है, कोई एक्सट्रा काम नहीं करता है।

पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वह पारिवारिक झगड़े के कारण तनाव में रहता है, वह तो आप भी रहते हैं, लेकिन ग्रेड का तनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्रेड बढ़ने से तनाव खत्म हो जायेगा क्या ?

श्री सभापति : टैंशन का तनख्वाह से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : मन्त्री महोदय तो कुंवारे हैं उनको तो टेंशन रहता होगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इनसे तो मैंने कभी कहा नहीं। जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनकी बातों में काफी सत्यता है। दिक्कत यह है कि जैसा सैनीजी बता रहे थे, सन् 1988 में इन अध्यापकों के संगठनों के साथ सरकार का समझौता हुआ। उससे दोनों का वेतनमान एक हो गया। जो लेक्चरार ग्रेड नं. 17 में थे वह ग्रेड नं. 18 में आ गये और दोनों की ग्रेड एक हो गयी। प्रमोशन होता है तो सैकण्ड ग्रेड का अध्यापक हैड मास्टर बन सकता है या वह चाहे तो लेक्चरार बन सकता है। अब विसंगति तो आप पैदा करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि हैड मास्टर की ग्रेड ज्यादा दे दी तो सैकेण्ड ग्रेड का मास्टर हैड मास्टर बनेगा, वह लेक्चरार नहीं बनेगा। यह विसंगति वास्तव में जो समझौता हुआ उससे आयी है। मैं पिछली सरकार की आलोचना नहीं करता पर यह सही है कि शिक्षा अधिकारियों की दृष्टि से बहुत विसंगतिपूर्ण समझौता किया है। अब हमारे सामने दिक्कत यह है कि हम एक को प्रमोशन दे दें, एक की ग्रेड बढ़ा दें तो वही बंदरबांट वाली बात हो जायेगी। एक का टुकड़ा ज्यादा हो गया तो दूसरा मांग करेगा। फिर लेक्चरार कहेंगे कि हमारा समझौता हुआ था 21-10-88 को, हमारे को सब को बराबर रखा जायेगा तो हमें बराबर करो। शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मेरी और मुख्य मन्त्री जी की भी बात हुई थी, शिक्षा सचिव से भी बात हुई थी और निदेशक से भी बात हुई थी।

हम खुद इस बात से चिंतित हैं कि जो विसंगति पैदा हुई है उससे हैड मास्टर बनने को कोई तैयार नहीं होता है। वह सोचता है कि कौन जिम्मेदारी ले जाकर पढ़ा लेंगे, चले जायेंगे, वह लेक्चरर बनना चाहता है। मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह तो जो शिक्षा अधिकारियों का ज्ञापन है, उस पर उनका भाषण है। उस ज्ञापन पर हम वित्त विभाग से चर्चा कर रहे हैं। वहां से कितनी स्वीकृति मिलती है, आखिर शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक के कहने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक यह फाइनेन्स से क्लियर नहीं होता है उस पर न तो मैं कमिटमेण्ट कर सकता

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हूं, न और कोई कर सकता है। यह बात जरूर है कि जो विसंगति पहले पैदा हुई उससे हैड मास्टर की पोस्ट भरने में बहुत बड़ा अन्तर आया है। मैं विश्वास दिला दूं कि इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पांच-सात दिन बाद शिक्षाधिकारियों से फिर हमारी बैठक है, आज से चार दिन पहले भी काफी खुलकर बैठक हुई थी। इस विसंगति को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया। सैकेण्ड ग्रेड और व्याख्याता से प्रधानाध्यापक की पदोन्नति होती थी या नहीं?

श्री हरिकुमार औदिच्य : पहले होती थी अब तो स्टेट सर्विस में ले लिया है। मगर आपका यह समझौता बाद में हुआ है न।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह समझौता होने के बाद व्याख्याता का प्रमोशन सीधा कहां होगा? अगर यह प्रमोशन होगा तो हैड मास्टर की जगह होगा न? ग्रेड एक ही हो गया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : व्याख्याता तो जिला शिक्षा अधिकारी में जायेगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कैसे जायेगा साहब? यह जा ही नहीं सकता।

श्री सभापति : मन्त्रीजी बता रहे हैं इस तरह से जायेगा और कैसे जायेगा। व्याख्याता यदि हैड मास्टर बनना चाहे, प्रशासनिक पद लेना चाहे तो वहां चला जायेगा और वहां पर उसका अलाउंस मिल जायेगा। और यदि उसमें वह आगे जाना चाहे तो वहां चला जायेगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं कहना चाहता हूं कि व्याख्याता तो उसी ग्रेड का है, उसका प्रमोशन कहां होगा, प्रमोशन हो ही नहीं सकता उसका....

श्री सभापति : यह डिटेल्स की चीज है, देख लेंगे। माननीय कौशल जी कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय मन्त्रीजी ने अपने स्टेटमेन्ट में कहा कि कोई विसंगति नहीं है। जबकि अपने उत्तर में कहा है विसंगति है जिसको हम दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह जरा स्पष्ट कर दें माननीय मन्त्रीजी।

श्री सभापति : माननीय बंशीलाल जी पटवा। (व्यवधान)

आपको जब पूछा तो आपने बोलने से मना कर दिया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब बोलने में कोई आपत्ति है क्या?

मैं कहना चाहती हूं कि जो विसंगति पैदा हुई है उसको तय करें। टाइमबाउण्ड प्रोग्राम दे दें कि इसकी कमेटी बनाकर या खुद समझकर उसको दूर करेंगे। इस सम्बन्ध में सनाढ्य साहब जितनी बात कर सकते हैं उतनी वास्तव में मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैंने कहा था कि वे बोल-

Page No. 165

(165)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लें, जो बात रह गयी उसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि इसको अवाइड नहीं करें और तात्कालिक रूप से निर्णय लें। एक पूरा संगठन है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि पहले तो आपने कहा कि कोई विसंगति नहीं है और अब आप यह कह रहे हैं कि विसंगति है। पहले मैंने बात कही थी, अभी जो व्यवस्था चल रही है आज की तारीख में, उसको देखते हुए कोई विसंगति नहीं है। लेकिन जो दिक्कत सामने आयी है, जिस प्रकार पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हैड मास्टर्स के पद खाली हैं, लोग जाते नहीं हैं। उसको दूर करने के लिए हम निश्चित रूप से इस पर विचार कर रहे हैं कि हैड मास्टर और उनमें कोई अन्तर आये। लेकिन 1988 में जो एग्रीमैण्ट किया वह गयी सरकार ने किया है, वह बीच में आड़े आता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : जनरल डिबेट नहीं है। कृपया बिराजें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिनका लगा है उन्होंने बोल लिया।

श्री कालीचरण सराफ : दोनों बातें कह रहे हैं, बात तो क्लीयर करिये।

श्री सभापति : पूछ चुके। फिर बात आ गयी, माननीय कौशल जी ने पूछ ली बात हो गयी खत्म।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो वर्तमान स्थिति बनी है उसको देखते हुए हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारियों ने तो इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन फाइनेन्स से जब तक क्लेम नहीं होगा, हम निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि यह तो यथार्थ है कि विसंगति पिछली सरकार ने की है, लेकिन आर.पी.एस.सी से सलेक्ट होकर प्रधानाध्यापक बनता है। उसकी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और पढ़ाने की भी है। यह जो विसंगति हुई है, केन्द्रीय वेतनमान, राजस्थान के वेतनमान और कैडर की एक बार समीक्षा करवा लें। फाइनेन्स डिपार्टमैण्ट में गया था यह मैटर और वहां से रिफ्यूज हुआ है। मेरा आपसे इतना-सा निवेदन है कि रिजिडिटी में नहीं पड़ें। एक बार थोड़ा क्लीयरली और व्यक्तिशः इण्ट्रैस्ट लेकर इस मैटर को देख लीजिए, नहीं तो यह बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैंने पूर्व में यही निवेदन किया है कि शिक्षा अधिकारियों का प्रतिनिधिमण्डल मुझ से और मुख्य मंत्री जी को मिला है। उन्होंने जितनी भी मांगें रखी हैं उन मांगों पर हम विचार कर रहे हैं। वे सन्तुष्ट होकर गये थे। अब फि 5–7 दिन में बैठक होने वाली है, उस इसके ऊपर निर्णय ले लेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : फाइनेन्स वालों ने पहले विसंगति क्यों की ?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

(श्री सभापति)

माननीय श्री नत्थी सिंह ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल से किसानों को हो रही परेशानियों की ओर सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल....

श्री परसराम मदेरणा : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। सभापति महोदय, यह कि हमने एडजार्नमैण्ट मोशन दिया था इस पर। व्यवस्था अभी हुई नहीं है। पूर्व में सदन में इस प्रकार की परम्परा थी कि कालिंग अटेंशन मोशन अगर कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है और एडजार्नमैण्ट मोशन भी दिया है, तो एडजार्नमैण्ट मोशन एक्स्ट्रा आर्डिनरी प्रोसिजर है....

श्री सभापति : यदि आप मुझे एक मिनट का समय दें। जो स्थगन वाले हैं उनका भी नाम है यहां पर, वे भी बोलेंगे इसमें।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा नाम तो है नहीं।

श्री सभापति : आपका नाम भी है। माननीय श्री नत्थी सिंह जी।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर एवं उससे किसानों को हो रही परेशानियों की ओर सहकारिता मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय नत्थी सिंह जी ने अभी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है व्यवस्थापकों की हड़ताल से जो स्थिति प्रकट हुई उस बारे में। उत्तर यह है, कि राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल के फलस्वरूप किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों से खाद और बीज के लिए ऋण न मिलने सम्बन्धी तथ्य सही नहीं है। वर्ष 1990-91 में.....

श्री रामसिंह बिश्नोई : आवाज तो खोलो इनकी।

श्री सभापति : कृपया थोड़ा जोर से बोलें, माइक के पास में बोलें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : जुलाई 1990-91 में नगद और खाद, बीज, दवाइयों हेतु 101 करोड़ 54 लाख रुपया ऋण वितरण हुआ है, जिसकी जिलेवाइज सूची संलग्न है परिशिष्ट "क" पर। तीन माह में अल्पकालीन ऋण के लक्ष्य 22 करोड़ के थे,

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

जिसके विपरीत 17 करोड़ का ऋण वितरण कर दिया गया है।

व्यवस्थापकों की यूनियन द्वारा उन्हें बैंक का कर्मचारी घोषित करने की मांग आती रही है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा राजा निरंजन सिंहजी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के द्वारा कैडर आथोरिटी समाप्त कर व्यवस्थापकों को सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति का कर्मचारी बनाने की सिफारिश की गयी है, जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसी मध्य माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा कैडर आथोरिटी के गठन एवं व्यवस्थापक चयन और नित्य सेवा नियम, 1977 को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप सहकारी विभाग के आदेश दिनांक 22-8-1991 द्वारा कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के लिए लागू सेवा नियम 1969 पुनः प्रभावशील कर दिये गये तथा आदेश में यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि व्यवस्थापकों को वेतन भुगतान 1969 के अपैक्स वेतन कोष नियम, 1969 के अनुसार करने से सम्बन्धित आदेश जारी कर दिये गये हैं। आदेशों की प्रति संलग्न है परिशिष्ट "ख"।

इसी के प्रसंग में झुन्झुनू और सीकर जिलों में वेतन भुगतान की समस्या ध्यान में लाये जाने पर वेतन भुगतान की कठिनाई के निवारण हेतु आदेश दिनांक 13-9-1991 द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को वेतन भुगतान करने सम्बन्धी निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। प्रतिलिपि संलग्न है परिशिष्ट "ग" पर। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अपैक्स मैनेजर की सेवा नियमों के बारे में निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने परिशिष्टों का उल्लेख किया है, परिशिष्ट हमें तो जवाब मिलता नहीं। उन्हें बताना चाहिए क्या परिशिष्ट है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपने एक बात कही। जो मैंने ध्यानाकर्षण किया है उसके दो भाग हैं। एक भाग तो है हड़ताल के कारण सहकारी समिति के सदस्यों को जो दिक्कत हो रही हो और दूसरा है सहकारी समिति के व्यवस्थापक जो विपत्ति में पड़ गये हैं उसका निराकरण। पहले विषय में तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, खूब खाद-बीज बंट रहा हैं, खूब किसानों को ऋण मिल रहा है। मन्त्री महोदय, आप यह तो जानते ही हैं, ऋण की आपने जो लिस्ट दी है, यह ठीक है कि 30 जून तक बंटता है। आप भी सहकारिता के है, अच्छी तरह जानते हैं। खाद, बीज और उसके साथ रबी के ऋण वितरण के अब तो मांग पत्र तैयार होंगे सितम्बर के महीने में और एक अक्टूबर से वह ऋण बितरण चालू होगा। इतनी देर से बरसात हुई है। सब तो हड़ताल पर हैं, कौन तो उनके मांग पत्र बनाएगा? इसलिए समस्या को सुलझाना चाहिए, समस्या को टालना नहीं चाहिए। मेरी साफ बात है कि न तो उनको सुविधा मिल रही है खाद और ऋण की और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कल यहां सदन में भी बहस हुई है। चीनी मिले, असेंशल कमोडिटी मिले इसका माध्यम गांवों में आपने बना रखा है ग्राम

(श्री नत्थी सिंह)

सेवा सहकारी समितियों को। उनके व्यवस्थापक कार्यरत हैं ही नहीं तो जनता को यह सुविधा कहां से मिलेगी। यह जैनुइन कठिनाई है, इसके प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और टालने से काम नहीं चलेगा। इसलिए यह समस्या तो ज्यों की त्यों विद्यमान है।

दूसरी बात आपने कही कि 1977 के सेवा नियम अवैध घोषित कर दिये गये और जो कैडर आथोरिटी थी उसका रजिस्ट्रेशन अवैध घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहते हैं कि 1972 के रूल्स हमने लागू कर दिये और उनके तहत उनको वेतन मिलेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के एक प्रश्न के जवाब में आपने खुद ने ही आज कहा कि जून तक का वेतन मिला है केवल। जुलाई, अगस्त और सितम्बर चल रहा है, 3 महीने हो गए, इन तीन महीनों का वेतन तो मिला ही नहीं किसी व्यवस्थापक को, आप खुद मानते हैं और इस महंगाई के जमाने में ऐसी स्थिती होगी तो कैसे गुजारा होगा? बैंक कह रहे हैं कि हम कहां से देंगे, सोसाइटी को वह कर दिया। एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1972 के रूल्स से समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता और इसलिए नहीं हो सकता कि उनको तो इन-एफिशियेन्ट पाया गया था और इसीलिए आपने 1977 के रूल्स बनाये और उनको एक वेतनमान दे दिया गया। उसी के तहत उनको 1200–1350 रुपये तनख्वाह मिलती है। समितियां दे नहीं सकती, उनकी इतनी ताकत नहीं है, उनकी उतनी हैसियत नहीं है। बैंक के कर्मचारी बनाने की वह मांग करते रहे हैं, कैडर आफ अथारिटी को क्यों अवैध घोषित किया गया था, रूल्स को क्यों अवैध घोषित किया गया था, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हाईकोर्ट ने यह माना कि जो कैडर अथोरिटी आपने बनाई उसका एक मैम्बर स्टेट को-आपरेटिव बैंक, उसका दूसरा मैम्बर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक और उसका तीसरा मैम्बर सरकार। ग्राम सेवा सहकारी समिति तो उसकी मैम्बर ही नहीं है। ग्राम सेवा सहकारी समिति मैम्बर नहीं और उनके लिए आपने बना दी अथोरिटी। उनका लेना-देना नहीं इसलिए उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दिया और गैर कानूनी बनी हुई है और रूल 41 के तहत यह उन्होंने होल्ड किया है....

(5.00 सायं)

श्री सभापति : जो अथोरिटी मृत हो गई उसके बारे में क्यों पोस्ट मार्टम कर रहे हैं? आगे बात कीजिए।

श्री नत्थी सिंह : आप क्यों घबराते हैं? आपने उसमें योगदान दिया था उस वक्त में और वह मर गई। यह गलत काम हो गया आपके जमाने में और दुःख पा रहे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसका कोई न कोई विकल्प निकालना जरूरी है और वह विकल्प 1969 के रूल को छोड़ देने से नहीं निकलेगा। दो ही विकल्प हैं आपके सामने, पहला विकल्प तो

(श्री नत्थी सिंह)

यह है, माननीय सभापति महोदय, आपने एक कानून में संशोधन किया है। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, रूल मेकिंग पावर को अवैध माना है लेकिन इन्होंने अब तो कानून में यह कर दिया कि हम तो दूसरी बड़ी सहकारी समितियां हैं उनमें भी और सब में वह कानून कि चीफ एग्जीक्यूटिव सरकार का, 2 लाख का हमारा इन्वाल्वमैंट है वहां चीफ एग्जीक्यूटिव सरकार बनायेगी। और आप अगर ग्राम सेवा सहकारी समिति का जिम्मा लेते हैं तो इनके व्यवस्थापक सरकार देवे और उनका वेतन सरकार खुद उठाये। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि हम तो सब तरह से सहकारी आंदोलन को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं और फिर यह कहें कि हमारे ऊपर भार बढ़ जायेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका एक मात्र समाधान तो यह है।

दूसरा, जो आप कहते हैं कि कोष बना देंगे। आप गवाह हैं माननीय सभापति महोदय इस बात के कि यह जो काडर आथोरिटी ने किसी भी बैंक को, किसी भी सहकारी समिति के व्यवस्थापक की तनख्वाह में कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। सारा का सारा ओवर ड्राफ्ट बैंकों में पड़ा है। इसमें सरकार को अपना कन्ट्रीब्यूशन देना था, स्टेट को-ओपरेटिव बैंक को देना था, सोसाइटीज को देना था लेकिन सरकार ने कभी कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। ऐसे काम कैसे चलेगा? सरकार को यह लेना पड़ेगा, यह समस्या बड़ी विकट है। आज जब हम सोचते हैं कि हम ग्राम सचिवालय बनायें, बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का सचिव हो, आप कहते हैं कि पटवारी हो रेवेन्यू का और सहकारी समितियों के व्यवस्थापक आप बनाते हैं लेकिन सहकारी समिति के व्यवस्थापक का कोई भार आप उठाना नहीं चाहते हैं इसलिए इसके बिना समस्या का समाधान नहीं होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि 20 तारीख को मैं उनसे बात करूंगा, 20 तारीख को बात करके, 20 तारीख को इस समस्या का समाधान करिये। कहिए कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को चलाना है तो उनके व्यवस्थापक का वेतनमान, कैडर बना दीजिए आप जिस तरह से पटवारियों और ग्राम सेवक और दूसरों का है। सरकार उनका खर्चा वहन करे और उनके प्रमोशन के ऐवेन्यूज को खोले और उनके इस कष्ट से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति के व्यवस्थापकों और सदस्यों को, दोनों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करे। बस, मेरा इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ शर्मा।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : माननीय सभापतिजी, 3 माह से हड़ताल है। कितनी बार तो समझौता वार्ता हुई आपके लेवल पर? कौनसे पाइन्ट्स उनकी मांग के आपने एग्री कर दिए और कहां आपके डिफरेन्सेज हैं? नम्बर एक। आपने मुख्य मन्त्री को रेफर की, कौनसी मांग आपने मुख्य मन्त्री को रेफर की है? मुझे जानकारी मिली है अपने इलाके में कि 3 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली और जो भी चीजें, चीनी का और अन्य वस्तुओं

(श्री केदारनाथ शर्मा)

का वितरण होता है गांवों में उनकी मार्फत, एक ही सोल ऐजेन्सी है गांवों में और वह खाद भी नहीं मिल रही गांवों में लोगों को। लोन भी अक्टूबर तक नहीं मिलेगा लोगों को यदि हड़ताल कन्टीन्यू रही तो। मुझे बताइये आप कि इनका काडर इन प्रिन्सिपल मान गए हो। एक ऐजेन्सी काम कर रही है गांवों में, सोल ऐजेन्सी के रूप में गांवों में। इनका काडर, इनका वेतन और इनका स्टेट्स क्या होगा? और जब प्रिन्सिपली आप यह मान जाते हो तब तो समझौता वार्तालाप आपकी हो गई। आप यदि नहीं मानेंगे इन-प्रिन्सिपली और कमेटी को रेफर कर देंगे तो हड़ताल चलती रहेगी और राज्य के सारे इलाकों में नुकसान हुआ है और होगा। उसकी कल्पना करके आप हमें यह बता दीजिए कि कौनसा पाइन्ट रेफर किया है मुख्य मन्त्रीजी को, फाइनेन्शियल मैटर कौनसा, वेतन का? अगर प्रिन्सिपली आपने मान लिया कि काडर होना चाहिए, अलग इनकी सेवा होनी

(5.16 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

चाहिए और सरकार उनका वेतन तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आपका समझौता हो जायेगा। बस इतनी ही बात आपसे निवेदन करनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसरामजी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष जी, मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया कम से कम वह मेरे लिए अस्पष्ट है। आपने एक आदेश का उल्लेख किया। आदेश का उल्लेख आपने 1969 के जो रूल्स बने हुए हैं शायद उसके अन्तर्गत यह बात कह रहे हैं क्या? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि आपके मैनेजर्स काडर अथारिटि के एम्प्लाई थे। राजस्थान क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स काडर अथारिटी लिमिटेड, जयपुर हाई कोर्ट द्वारा अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर की जा चुकी है सैक्शन 4 और उसके डिसीप्लीन के लिए 41 के अन्तर्गत। को-आपरेटिव बैंक के रूल 41 के अन्तर्गत उनकी डिसीप्लीन के और सर्विस के रूल्स बनाये हुए थे। वह आटोमेटिकली अल्ट्रावायर्स हो गए। आज ये एम्प्लाई किसके है? जब ये एम्प्लाई एपेक्स के नहीं है। एपेक्स काडर आथिरिटी में मेम्बर भी नहीं थी, न ए क्लास में, न बी क्लास में न सी क्लास में, डी क्लास में थी और काडर आथिरिटी बन नहीं सकती। इन्होंने कहा कि कोई भी आथिरिटी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि उनके आब्जेक्टिव ऐसे हैं जिनका को-आपरेटिव एक्ट में कहीं उल्लेख भी नहीं है। और इसका परिणाम यह हुआ कि ये किसी के एम्प्लाई नहीं हैं। किसी बैंक के एम्प्लाई नहीं, एपेक्स बैंक के एम्प्लाई नहीं और आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के मेम्बर नहीं है और आप किसे सैलेरी दिलवा रहे हैं, कैसे दिलवा रहे हैं, कौन देगा? गैर कानूनी आदेश दे रहे हैं आप।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने एक फण्ड क्रिएट किया था, इस काडर आथिरिटी के बाई लाज के अन्दर मैनेजर्स सैलेरी एण्ड फण्ड अकाउण्ट। उसमें कुछ पैसे आज सी.सी. बैंक ने जमा

(श्री परसराम मदेरणा)

किए हैं और उसमें कुछ पैसा उपेक्स से भी ले रहे थे। ले तो इल्लीगल रहे थे लेकिन वह बना हुआ था उसके बाई लाज के अन्दर था लेना। इसलिए जब तक आप बेसिकली कानून में परिवर्तन नहीं करते हैं या तो सैक्शन 4 में परिवर्तन दीजिए और काडर आथिरिटी के रीवेलिडेट और रेगुलराइज कीजिए। एक या इनको आप को-आपरेटिव एक्ट के अन्दर, क्योंकि यह काडर आथिरिटी मैनेजर्स पर ही नहीं थी। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, दांते कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा हैं। यह काडर आथिरिटी एम. डी. से लेकर जी. एस. एल. के मैनेजर्स तक थी लेकिन इन्होंने किया क्या कि जी एस. एस. के मैनेजर्स का चयन कर लिया और चयन करने के अन्दर प्रक्रिया बहुत दूसरी रख दी। और इनको एम्प्लाई बना दिया काडर आथिरिटी का, डिसीप्लीन दे दिया आपने एग्जीक्यूटिव आफिसर के हाथ में और काम कर रहे हैं एपेक्स के गांव के अन्दर और एपेक्स से कोई लेना-देना नहीं इनका।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि आप इस सम्बन्ध में जो आदेश दिये हैं इनको सैलेरी के पेमेण्ट्स के वह सैलेरी के पेमेण्ट्स के आदेश इल्लीगल हैं, ला में नहीं आते। को-आपरेटिव एक्ट में, एक।

दूसरा प्रश्न मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अभी यह कह रहे हैं कि लोन का वितरण हो गया है। ऋण फाइनली वही तैयार करता है आपकी को-आपरेटिव बैंक्स और कार्यकारिणी नहीं जानती हैं प्रोफार्मा में तैयार करना। लोन को वितरण करने के बाद में वह हड़ताल में गए हैं। और अब जो आगे स्थिति आने वाली है वह विषम स्थिति आने वाली है पूरा का पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसकी प्रेसक्राइब्ड शाप्स आपकी जी. एस. एस. के माध्यम से है टोटल डिसऐरे में आ गई है। राज्य सरकार को इमिडियेटली सभी पहलूओं से इसको लीगली एग्जामिन करके इनको किसी न किसी संस्था का एम्प्लाई, मुकर्रर कार्य, इनकी ग्रेड और डिसीप्लीन के सम्बन्ध में नये रुल और कानून बनाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल यादव (अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

मैं समझता हूं अब वह बहस शुरू करवाएं बिजली वाली यह इम्पार्टेन्ट है। आप पूछ लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष जी, सभापति जी बैठने चाहिए इस आसन पर इस काडर आथोरिटी के सम्बन्ध में जितनी जानकारी शायद उनको है यह मैटर उनके वक्त में आ गया था, वह एडमिनिस्ट्रेटर थे इस आथोरिटी के और एडमिनिस्ट्रेटर कोतो आपने रिलेस कर दिया इसलिए अगर आप उनसे यह सलाह लेते तो वह आपको सब इसके बारे में बता देते कि....वह भाग रहे थे खुद ही इसको लिक्विडेट करके और मैंने पूंछ पकड़कर रोका था कि ऐसा कर नहीं सकते आप।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मन्त्री जी

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

से जानना चाहता हूं कि आप तो को-आपरेटिव में शुरू से रहे हैं और कुछ समय पहले जब व्यवस्थापकों की व्यवस्था नहीं थी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में उस वक्त कोआपरेटिव सोसाइटीज में जितने गबन, घोटाले थे और कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो आफिस मैनेजमेंट के पास जेब में रहता था मन्त्री या अध्यक्ष के पास उस सारी व्यवस्था को समाप्त करके व्यवस्थापक आने के बाद यह सोसाइटीज रेगुलेट होना जो चालू हुआ था नियमानुसार यह वापिस इनको सोसाइटीज का कर्मचारी मानकर के हम वापिस इन सोसाइटीज को डिस आर्डर में लाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब व्यवस्थापक चाहे आप बैंक का कर्मचारी घोषित करें चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित करें और चाहे उसको किसी संस्था का कर्मचारी घोषित करें और उतना वेतनमान निर्धारण करके उस सोसाइटी से उसका पेमेण्ट उठाने का उसको अधिकार दें लेकिन आपने यह कर दिया कि सहकारी समिति का ही वह कर्मचारी है तो सहकारी मंत्री महोदय आप यह निश्चित मानकर चलिए कि जब मैनेजमेंट आएगा तो व्यवस्थापक उसके साथ आएगा और जब मैनेजमेंट जाएगा तो जाएगा उसके साथ। जब मैनेजमेंट और व्यवस्थापक साथ-साथ आएगें और साथ-साथ जाएगें तो सोसाइटी का रिकार्ड भी साथ आएगा और साथ जाएगा इससे आप अन्दाज लगाइये कि जो दस-पन्द्रह साल पहले सोसाइटीज....

श्री अध्यक्ष : सवाल करिये आप, बहुत इम्पार्टेन्ट है वो भी समझ गये। दूसरा सवाल करिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अगर आपने इसमें इस तरह से कोई नियमानुसार व्यवस्था नहीं की तो यह माना जाएगा कि सरकार की मशा जो सहकारिता आन्दोलन राजस्थान में चल पड़ा है जिसका लाभ गांवों के गरीब किसान तक पहुंचता है। केन्द्र सरकार की इस वक्त नीति है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण अधिकतम हम ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे और वह ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ही किया जाना वांछित है और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, इस समय अगर हम व्यवस्थापकों को जहां तीन महीने से स्ट्राइक चल रही है उनको आज तीन महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन के 200 माननीय सदस्य हैं अगर हमें तीन महीने तक खुद को ही वेतन नहीं मिले, माफ करना आप, आपकी और हमारी बाकी सभी माननीय सदस्यों की क्या हालत होगी ? व्यवस्थापक जिसको सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, हजार, बारह सौ रुपया मिलता है तीन महीने से उसको वेतन नहीं मिल रहा है और कोई निश्चित नहीं है कि किस दिन मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि व्यवस्थापक का जो काम है आप निश्चित मानिए किसी पटवारी से कम काम नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारी से कम नहीं है ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक का इसलिए आप उसको वेतनमान

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

निर्धारण करके चाहे बैंक का कर्मचारी घोषित करें चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित करें और तनख्वाह उठाने के अधिकार आप भले ही सहकारी समिति के जिम्मे ठहराएं लेकिन आपने अगर सहकारी समिति में छोड़ दिया राजस्थान में यह सहकारी आन्दोलन समाप्त हो जाएगा और आपकी जो मौजूदा सरकार है उस पर एक कलंक लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे तो पूर्णतः इसमें सहकारिता विभाग दोषी है। एडवोकेट जनरल को काफी समय दिया है पहले पैरे में ही है देख लीजिए एडवोकेट जनरल को जज महोदय ने काफी समय दिया है कि आप अपना इसमें जवाब पेश करो और जब फैसला आप पढ़ेंगे तो फैसले में क्लियर-कट यह दिया है कि बगैर जवाब के फैसले के एक तरह से एक तरफा, यह काडर आथोरिटी समाप्त की जाती है। इसलिए सबसे पहला मेरा एलीगेशन इस सरकार पर है कि सरकार अगर ढंग से केस लड़ती तो आज व्यवस्थापकों की यह हालत नहीं होती। निश्चित तौर से हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है वह उनके पक्ष में होता।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इसमें लोन सुपरवाइजर को बैंक का कर्मचारी मान लिया गया है केवल उनकी यही मांग है। अगर हमारी काडर आथोरिटी समाप्त कर दी है हाईकोर्ट ने तो इनको बैंक का कर्मचारी मान लिया जाए। अब पिछले कई महीने से हड़ताल पर हैं लेकिन सरकार ने अभी तक इनसे बात करने की, समझौता करने की परवाह ही नहीं की है अभी असेम्बली में आप जरूर जवाब दे रहे हैं। हम आते ही स्थगन प्रस्ताव लाए, आज ही मेरा इसमें जवाब आया है वह जवाब भी आपने बिल्कुल गलत दिया है कि हमने यह तो समाप्त कर दी। तनख्वाह तो बन्द कर दी और हमने बैंक को यह आदेश दे दिए हैं कि इनकी तनख्वाह दे दो। कौनसे नियम से देंगे तनख्वाह, 69 के उससे 69 के वह तो लोनिंग के ऊपर है दें तो दें नहीं दें। उनको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं 80 प्रतिशत व्यवस्थापकों को आज का तारीख में कोई भी भुगतान या किसी प्रकार का उनको वेतन नहीं मिला है। इनका जवाब दिलवाइए साहब।

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं फिर जवाब देंगे। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जो व्यवस्थापकों का मामला अभी महीने दो महीने के अन्दर अधरझूल में है। दो मेरे सुझाव हैं एक तो मान लीजिए आप कि राजस्थान के अन्दर जो पांच-छः हजार सोसाइटीज हैं क्या उन सोसाइटीज की आर्थिक हालत प्रतिमाह इनको तनख्वाह देने की है या नहीं है अगर नहीं है तो इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

दूसरा, मानलो सहकारी समिति के आप इनको कर्मचारी मान लेते हैं तो क्या

(श्री रामसिंह विश्नोई)

यह व्यवस्थापक पूरी सर्विस तक उसी गांव में टिके रहेंगे ? क्या वह उस सोसाइटी के हित में है अगर इनको हटाना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा तो इनकी क्या स्थिति बनेगी ? दो बातें आप स्पष्ट करें।

डा. हरीसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह काडर आथोरिटी जो है वह राजस्थान में ही है या सारी स्टेट्स में है क्योंकि इसके इम्पलीकेशन्स में हाई कोर्ट का फैसला है वह इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक प्रशिक्षण केन्द्र है जहां इन व्यवस्थापकों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद व्यवस्थापक लगाए जाते हैं। अगर यह सिस्टम खतम हो गया तो क्या प्रशिक्षण केन्द्र को भी बन्द कर दिया नहीं तो फालतू में ट्रेनिंग उनको मिलती रहेगी और एम्पलायमेंट मिलेगा नहीं। जगह-जगह अध्यक्ष जी, आपने देखा है कि ट्रेनिंग सैण्टर तो खुल गए और एम्पलायमेंट नहीं मिलता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है कि माननीय कोआपरेटिव मिनिस्टर सहकारी क्षेत्र के जाने-माने कार्यकर्ता हैं वह स्वयं अनुभव कर रहे होंगे आज कि व्यवस्थापकों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। जैसा माननीय यादव साहब ने कहा यदि सोसाइटी का कर्मचारी रहा तो जिम्मेदारी उस मैनेजमेंट के साथ आएगी और उसके साथ जाएगी। सोसाइटी ठीक ढंग से नहीं चल सकती, कोआपरेटिव मूवमेंट के इन्ट्रेस्ट में मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी आपसे व्यक्तिगत रूप से विधायक के नाते और एक मानवीय दृष्टिकोण से अपील करता करता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक हैं....

श्री अध्यक्ष : तो आप गम्भीर क्यों हैं ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं गम्भीर नहीं हूं। गम्भीर तो यूं हो रहा हूं मैं, मैं यह सोच रहा था मेरी बुद्धि अभी इतनी काम नहीं कर रही है। पूर्व मंत्री जी, बड़े-बड़े चेयरमेन साहब बोले केवल प्रश्न करते रहे लेकिन सुझाव कोई नहीं आया यह आपको....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सुझाव आया है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आपका सुझाव आया है, रामसिंह जी का भी है। डॉक्टर साहब का तो पालिटिकल प्रश्न आता है और उनका उत्तर देना असम्भव है इस समय। जहां तक प्रश्न आता है चाहे उपभोक्ता वस्तुयें हो, नियन्त्रित वस्तुयें हो, कैसी भी हो। चाहे खाद बीज का मामला हो, चाहे ऋण देने का मामला हो। जब रबी की फसल हमारी। अक्टूबर से आना प्रारम्भ करेगी, खाद बीज देना मैं आपको वादा करता हूं माननीय नत्थीसिंह जी इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे चाहे कोई भी

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

व्यवस्था करनी पड़े। पूर्ण व्यवस्था हम करेंगे सारे आंकड़े बता सकता हूं 1987, 1988, 1989 से आज की तारीख में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सवाल यह आता है कि क्या 20–6–90 तक हमारे 4 करोड़, 75 हजार सालाना घाटा होता जा रहा है। केडर आथोरिटी मैंने नहीं बनायी, आपने नहीं बनायी यह जाने वाली सरकार ने नियमों के ऊपर क्यों नहीं विचार किया, क्या संगति आ सकती है क्या विसंमति आ सकती है उसके ऊपर विचार नहीं किया इसलिए आज ऐसी स्थिति आ रही है। ग्राम सेवक व्यवस्थापकों के साथ चार बैठकें मैं खुद कर चुका हूं 21 तारीख को साढ़े पांच बजे वित्त मंत्री के साथ बैठने का निश्चय किया क्योंकि कह सवाल वित्त से सम्बन्ध रखता है। 4 करोड़ रुपये का घाटा आज की तारीख में छटे महीने तक है तो कौन ऐसा कहां से हम देंगे. मैं जानता हूं समिति का व्यवस्थापक बनने के बाद उनकी हालत गम्भीर हो जायेगी क्योंकि व्यवस्थापक की वही हालत होगी न कानून चेलेन्ज कर सकेगा और जैसा माननीय रघुवीर जी ने कहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, आयेंगे, कार्यकारिणी के अध्यक्ष आयेंगे। मैं यह निवेदन करता हूं कि आज भी मुझे दो तीन घंटे का टाइम है आपके पास जितनी बुद्धि का भण्डार है उससे मुझे प्रकाशमान करे ताकि न तो राज्य सरकार के ऊपर बाधा पड़े क्योंकि समिति की हालत मैं जानता हूं कि आज पांच हजार सहकारी समितियों में से मैं वादे से कहता हूं कि डेढ़ हजार समितियां, थोड़ी बहुत मजबूत होगी तीन लाख से ऊपर। बाकी एक लाख से नीचे सारे व्यापार कर रहे हैं। इसमें व्यवस्थापकों की तनख्वाह नहीं निकल सकती। हमने निश्चय किया कि तीन साल के अन्दर सम्पूर्ण ग्राम सेवा सहकारी समिति को इतना मजबूत बना देंगे बहुउद्देश्य कार्यक्रम में जाने के बाद 2 शर्तें उन्होंने हमारी मानी है। मैं उनके बीच में बैठा, बात की मैंने उनसे कहा कि सारी स्थिति को-आपरेटिव मूवमेन्ट की आप देख लो। हमारे भरतपुर के मूवमेंट की हालत देख लो। समिति डिफाल्टर हो गयी, बैंक डिफाल्टर हो गयी। तनख्वाह कौन देगा वहां तो आप भाषण देंगे कि सरकार को अपने वेतनमान बढ़ाने चाहिए। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सरकार से कहना तो बड़ा आसान होता है। बैंक नहीं उठा रहा है, समिति नहीं उठा रही है अगर इसके सात हजार कर्मचारियों को राज्य सरकार खर्चा देने के लिए तैयार है तो कितना बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा यह काम तो सम्भव नहीं है लेकिन एक निवेदन करता हूं लोग तो तैयार हो गये। मैंने कहा था 50 प्रतिशत तक की वसूली करोगे वहां तक आपको उसी तनख्वाह में काम करना पड़ेगा पचास प्रतिशत वसूली करने के बाद आपको आधा प्रतिशत मार्जिन हम देंगे। वह सहर्ष इसके लिए तैयार हो गये कि हम दो लाख की वसूली करेंगे, तीन लाख की वसूली करेंगे चार लाख की वसूली करेंगे। आधा प्रतिशत हम लेने के लिए तैयार हैं। जो तनख्वाह है उससे एक्स्ट्रा। एक रुपया पर बोरी, एक रुपया पर थैले के ऊपर उनको एक्सट्रा दिया जायेगा इस प्रकार एक हजार रुपये, तो सवाल आता है कि इसके ऊपर सहमति नहीं है। ग्राम

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के सेवा नियमों में लागू नहीं होती। यह एक विसंगति आ रही है तो इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा कोई आपके पास फार्मूला हो तो मुझे लिखित में दे सकते हैं 21 तारीख को मुख्य मंत्री जी के साथ हमारी जो बैठक होगी उसमें यह अन्तिम फैसला होगा। 30 तारीख के पहले-पहले चाहे कुछ भी हो। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ग्राम जनता के हित में फैसला करके चाहे कुछ भी वजन उठाना पड़ेगा फैसला करके मैं आपके सामने ला दूंगा। मैं आज की तारीख में आपके बीच में यह वायदा कर रहा हूं। लेकिन दुख की की बात है कि कुछ हमारे ग्राम सेवक व्यवस्थापक शान्ति-पूर्वक आन्दोलन कर रहे थे। राजनीति की घुसपैठ से हमारे एम. डी. जो अपेक्स बैंक के थे मि. परिहार उसके साथ खून-खराबा कर आये 5–7 आदमी जाकर। व्यवस्थापक की हड़ताल सफल रहे, हड़ताल नहीं टूटनी चाहिए गवर्नमेंट समझौता नहीं होना चाहिए यह विसंगति पैदा की जा रही है इसलिए उनके प्रति ग्राम जनता को और व्यवस्थापकों को सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है असामाजिक तत्वों के द्वारा भड़क कर उनकी सारी मेहनत और प्रयास के ऊपर पानी फिर जाये यह मेरा निवेदन है।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन
राजकीय उपक्रम समिति

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री रघुवीर सिंह कौशल। राजकीय उपक्रम....

श्रीमती विद्या पाठक : इस बिजनस लिस्ट में एक और लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय पांच के बाद अगर इसको नहीं ले रहे हैं तो मैं कागज पत्र समेटूं।

श्री अध्यक्ष : विथड्रा कर लिया वह। श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

1. राजस्थान राज्य होटल निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1972-73 के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् सत्रहवां प्रतिवेद :

2. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक् अट्ठारहवां प्रतिवेदन।

3. राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975–76) से सम्बन्धित उन्नीसवां प्रतिवेदन :

4. गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975–76) से सम्बन्धित बीसवां प्रतिवेदन :

5. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

1979–80) से सम्बन्धित इक्कीसवां प्रतिवेदन :

6. राजस्थान पर्यटन विकास निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1981–82) से सम्बन्धित बाईसवां प्रतिवेदन: एवं

7. दी गंगानगर शुगर मिल्स (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974–75) से सम्बन्धित तेइसवां प्रतिवेदन ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले की तहसील जमवारामगढ़ की पंचायत रूपवास के ग्राम मूण्डला के क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण कराने विषयक् एक याचिका उपस्थापित करती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राथमिक पाठशाला बटावदी (तहसील नैनवां, जिला बूंदी) को उच्च प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने विषयक् एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्री हबीबुर्र रहमान ।

श्री हबीबुर्र रहमान (मूण्डवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नागौर जिले के मूंण्डवा विधान सभा क्षेत्र के रूण राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने विषयक् एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां ।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकायें उपस्थापित करता हूं :

(क) जिला बाड़मेर के गंगारिया रेल्वे स्टेशन से पांधीकापार तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सड़क बनवाये जाने विषयक्: एवं

(ख) बाड़मेर जिले की शिव तहसील में एक और नई तहसील व पंचायत समिति बनाने विषयक् ।

श्री अध्यक्ष : लोकायुक्त प्रतिवेदन, श्री शान्तिलाल चपलोत ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन

श्री शांतिलाल चपलोत (गृह राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप. लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या–9) के अधीन न्यायमूर्ति श्री एम. एल. श्रीमाल, लोकायुक्त, राजस्थान की उक्त अधिनियम की धारा 12(4) की अपेक्षानुसार उक्त कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1988 से 30 जून, 1989 तक तथा 1 जुलाई, 1989 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की कालावधि का ग्यारहवां तथा बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष : राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पर विचार। कितना समय चाहिए आपको ? एक घण्टा ? 2 घण्टा ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : बिजली बोर्ड का मामला है विद्युत की समस्याओं के बारे में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : 3 घण्टे ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, 3 घण्टे का समय होगा : श्री देवेन्द्र सिंह। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : वो रिपोर्ट रखी जा चुकी है। रिपोर्ट पहले ही आपके उप मंत्री ने रख दी।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिजली की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है मैं उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं आज बिजली....

श्री अध्यक्ष : समय 10 मिनट और 7 मिनट का होगा। अब किसको 10 मिनट देना है यह मेरी मर्जी है और किसको 7 मिनट देना है यह मेरे पर छोड़ दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : कल यदि सदन 3 बजे तक बैठ सकता है तो आज क्यों नहीं बैठ सकता ?

श्री अध्यक्ष : आप जब तक बैठेंगे, चिन्ता मत करिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हम पावर मिनिस्टर व विद्युत मण्डल का ज्ञानवर्द्धन करेंगे इससे उनको लाभ होगा।

डा. चन्द्रभान . पूर्व ऊर्जा मंत्रियों को 15-15 मिनट।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : बिजली के बगैर आज के दिन इन्सान जिंदा नहीं रह सकता। हर चीज में आज बिजली की आवश्यकता होती है। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में बिजली की जो बदतर हालत हुई है उसका वर्णन करना मैं समझता हूं इसलिए आवश्यक नहीं है कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि देर आयद, दुरूस्त आयद" उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और आई. ए. एस. अधिकारी को हटाकर एक टेक्नीकल आदमी को वापस चेयरमैन बना दिया है। मैं यह समझता हूं कि यदि यह काम नहीं होता तो आज जो बिजली की नई नीति वापस निकली है सम्भवतः नहीं वो बनती। इसके बावजूद भी इस बोर्ड की हालत को सुधारने में बहुत ही हरक्यूलस इफर्ट्स की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि इसमें सब लोग मिल-जुलकर इस बोर्ड की हालत को सुधारने में अपना सहयोग देंगे। कल मुख्यमंत्रीजी ने बिजली की चर्चा के दौरान

(श्री देवेन्द्र सिंह)

यह कहा था कि उन्होंने बिजली बोर्ड को इक्विटी पार्टिसिपेशन की दृष्टि से 761 करोड़ रूपया दिया, 148 करोड़ रूपये का ब्याज माफ किया और वो इसलिए किया कि वो चाहते हैं कि राजस्थान का बिजली बोर्ड ठीक से फंक्शन करे । हम आशा करते हैं कि इनके इन इफर्ट्स से बिजली बोर्ड आगे बढ़ेगा और काश्तकारों की जो बिजली की सबसे बड़ी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में यह अपने आपको सक्षम पायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी एक प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने जो बिजली के कनेक्शन देने की नीति अपनाई थी 2 साल बाद वापस इस सरकार ने उसी नीति पर आकर काश्तकारों को बिजली कनेक्शन देन तय किया है । लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि शार्ट फॉल बहुत हैं, आज जो 25 हजार कनेक्शन बिजली बोर्ड ने काश्तकारों को देने हेतु रिलीज किए हैं उससे हम दिसम्बर, 1984 तक की जो एप्लीकेशंस हैं संभवतः उनको हम मीट कर पायेंगे । अध्यक्ष महोदय, 7 साल का शार्ट फॉल है और 1991 तक करीब लाखों एप्लीकेशंस आज काश्तकारों की विभिन्न दफ्तरों में पेण्डिग हैं लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले 2 साल में पावर जनरेशन की दृष्टि से एक मेगावाट पावर भी जनरेट नहीं किया गया । हमारा कोटा का थर्मल प्लांट चल रहा था वो लड़खड़ा गया और उसको भी वापस ठीक करने में समय लगेगा । अभी एक पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रधान मंत्री जी को लिखा है और मैं समझता हूं बहुत विस्तार से उसमें बिजली की राजस्थान की स्थिति है । उसमें इन्होंने दर्शाया है और उसमें इन्होंने जो शार्ट फॉल के लिए बताया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि 1990-91 में 25.2 पर्सेन्ट डेफिसिट रहेगा, सन् 1991-92 में 31.4 पर्सेन्ट डेफिसिट रहेगा, 93 से 36.8 पर्सेन्ट डेफिसिट रहेगा, 94 में 41.7 डेफिसिट रहेगा और 1995 तक हम 44.9 पर्सेन्ट डेफिसिट कर पायेंगे । आप इससे अंदाजा लगा सकते । हैं कि आने वाले वर्षों में बिजली की क्या स्थिति होने वाली है और बिजली की स्थिति के लिए हमने अब तक इन्टर-स्टेट जो पावर स्टेशंस हैं उन पर हमने विश्वास किया, भरोसा किया और उन पर हमने रिलाई किया है और उन पर रिलाई करने की स्थिति यह हुई कि आज जो हमारे इन्टर स्टेट पावर स्टेशंस हैं उनसे बिजली मिलना मुश्किल हो गया और आज हमको जो सेल्फ सफिसेंट हो जाना चाहिए था वह नहीं हो पाये । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक राजस्थान में हम लोग सेल्फ सफिसेंट नहीं होंगे पावर की दृष्टि से और खुद के सब स्टेशंस नहीं लगेंगे पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे तब तक राजस्थान की बिजली की समस्या हल नहीं हो सकती ।

जिस तरह मैं काश्तकारों के लिए निवेदन कर रहा हूं ठीक उसी तरह से इन्डस्ट्रीज में भी बिजली की बहुत आवश्यकता है । राजस्थान सरकार ने इण्डस्ट्रीज की नई पालिसी डिक्लेयर की है और देश

Page No. 180

(180)

(श्री देवेन्द्र सिंह)

में जिस तरह की हालत है उसमें मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि राजस्थान के बाहर के या राजस्थान के रहने वाले भाई और दूसरे लोग राजस्थान में आकर इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा है वह बिजली की है और जब तक बिजली था हम उनको एश्योरेंस नहीं देंगे तब तक आप उनको और कुछ औद्योगिक दृष्टि से सबसिडी की बात कह दें और लोन फ्रीज करने की बात कह दें, सेल्स टेक्स फ्रीज करने की बात कह दे लेकिद जब तक उनको इंट्रोस्पेक्ट नहीं होगा तब तक वे यहां इण्डस्ट्रीज नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम बिजली का स्वयं का जनरेशन नहीं बनायेंगे और उसमें जो भी रिसोर्सेज पोसिबल हैं उसमें भी आप अपनी शक्ति नहीं लगायेंगे तो यह सब संभव नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पत्र जो राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को लिखा है उसमें इन्होंने कुछ थर्मल पावर प्रोजेक्टस का जिक्र किया है। हमारे धौलपुर के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कहा है, माण्डलगढ़ के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कहा है, चित्तौड़गढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कहा है, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कहा है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट का तो मैं समझता हूं कार्यवाही बहुत आगे पढ़ चुकी थी लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार में पिछले 2 प्रधानमंत्री रहे उनको काफी निवेदन करने के बाद में भी वो सफल नहीं हो सके लेकिन सौभाग्य से आज भारत सरकार कांग्रेस की सरकार है और वहां पर ऐसे व्यक्ति प्रधान मंत्री बैठे हैं जिनके मन में काश्तकार और गरीबों के प्रति पीड़ा है। (व्यवधान) और में निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह पत्र तो लिख दिया और बहुत विस्तार से इसमें उन्होंने धौलपुर के संबंध में अनेक चिट्ठियां और अनेक उदाहरण देकर लिखा है लेकिन मैं समझता हूं कि चिट्ठी से काम चलने वाला नहीं है हमको अपने प्रदेश की एक महती आवश्यकता समझ करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस विधान सभा के माननीय वरिष्ठ सदस्यों का एक डेलिगेशन ले करके प्रधानमंत्री जी से मिले चाहे वो किसी दल का हो सब लोग मिल करके इसमें सहयोग करें और जो पावर प्रोजेक्टस हमारे प्रदेश के भारत सरकार के पास पेण्डिग हैं उनको निकालने में सब लोग योगदान प्रदान करें मैं समझता हूं हमारे प्रधानमन्त्री जी निश्चित रूप से जो पावर प्रोजेक्ट हमारे पेण्डिग हैं उनके लिए कार्यवाही करके उनको स्वीकृत कराने में अपना योगदान देंगे। जहां तक मैंने आपसे धौलपुर व कोटा थर्मल की बात कही, मैंने निवेदन किया कि जितने भी आपके इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको आज पावर लेने में बाधा आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने लिखा है- As a major beneficiary of Ravi & Beas waters, Rajasthan had claimed shares in hydro power projects, namely, Thien Dam project, Anandpur Sahib project, Kukerion Dam project;

(श्री देवेन्द्र सिंह)

और यह प्रोजेक्ट्स, जिनसे हमको बिजली मिलनी चाहिए थी वह बिजली नहीं मिली और स्टेज यहां तक पहुंच गई, पंजाब ने यह प्रोजेक्ट्स पूरे करके बिजली लेना शुरू कर दिया और राजस्थान महरूम रह गया। इसमें स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है- Owing to reluctant attitude of Punjab towards legitimate share of prower to Rajasthan and Hariana, of these hydro projects, a dispute has arisen. और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने की इजाजत चाही, वह इजाजत भी आज तक राजस्थान सरकार को नहीं मिली। ठीक इसी तरह से सन् 1984 में हमने हरियाणा सरकार से एक कोल प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट किया था, हिमाचल प्रदेश से, उस कोल प्रोजेक्ट में स्थिति अब यह आ गई कि उन्होंने हमसे पूछा नहीं और यह कह दिया कि यदि आपको यह प्रोजेक्ट लेना है तो 75 प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार का होगा और 25 प्रतिशत हरियाणा सरकार का होगा। नाथपा झाकड़ी के जो लोग हैं उनसे इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हमने जो 1.68 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार को इसके लिए दिये थे वह ड्रेन में चले गये। यह सब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब समय आ गया है, आप जानते हैं कि चाहे किसी प्रदेश का पानी हो, चाहे किसी प्रदेश की बिजली हो, चाहे किसी प्रदेश की और कोई चीज हो, आज एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमें अपने प्रयत्न करने पड़ेंगे। जितनी देर हम करेंगे उतनी ही एस्केलेशन कास्ट बढ़ेगी, वह राजस्थान सरकार मीट नहीं कर पायेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, धौलपुर का प्रोजेक्ट जब बना था तो 574 करोड़ रुपये का था और आज वह 1600 करोड़ रुपये का हो गया। उसके बाद भी आज स्वीकृति नहीं है, जब तक स्वीकृति आयेगी, पता नहीं, इसमें कितना एस्केलेशन और हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन बातों पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सरकार ने जो नई बिजली की नीति बनाई है उसकी खामियों की तरफ अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने, बोर्ड ने यह कहा कि हम एस. सी., एस.टी. के 17 प्रतिशत लोगों को, जो डिस्ट्रिक्ट में टारगेट देते हैं, उसका 17 प्रतिशत उनको देंगे, बाकी हम फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायर्टी से देंगे। पिछली सरकार ने कुछ ट्यूब वैल्स वालों को प्रायर्टी दी थी, वह स्कीम में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज सरफेस वाटर बहुत कम है, आज गांव-गांव में लोग ट्यूब वैल खोद रहे हैं और ट्यूब वैल खोद कर अपने खेत में पानी लाना चाहते हैं। आप जानते हैं, एक ट्यूब वैल का खर्चा तीस, चालीस, पचास हजार रुपये होता है, उसके बाद मोटर लगानी पड़ती है। जिन बहुत से लोगों ने ट्यूब वैल खुदवा लिए, उनको आज कनेक्शन्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि वह प्रायर्टी में नहीं आते। उनको यह पता नहीं था कि यह प्रायर्टी, जो सरकार ने अभी लागू की थी, समाप्त हो जायेगी

(श्री देवेन्द्र सिंह)

और इस तरह की प्रायटी हो जायेगी। अतः बिजली बोर्ड ने जो प्रायटी तय की है उसमें इन ट्यूब वैल्स को भी प्राथमिकता के तौर पर कनेक्शन्स दिए जाने चाहिए। इसी तरह से कुछ कुओं के कनेक्शन्स ऐसे हैं जिनमें सर्विस लाईन लगाने से कनेक्शन मिल सकता है, एक पोल लगाने से कनेक्शन मिल सकता है। जो लोग तुरन्त बिजली लेकर अपने खेत में पानी पहुंचा कर इस देश का, प्रदेश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को भी बिजली दी जानी चाहिए।

इसी तरह से मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं, अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, हमने हमेशा स्टेट एन्टरप्राइजेज को बढ़ावा दिया है लेकिन जैसी स्टेट एन्टरप्राइजेज की हालत है उससे ऐसा लगता है कि हम स्टेट एन्टरप्राइजेज के भरोसे बहुत ज्यादा नहीं रह सकते, अब कम्पीटीशन का जमाना आ गया है। इसलिए यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमको इस बिजली के उत्पादन के लिए पब्लिक एन्टरप्राइजेज को भी अन्दर लाना चाहिए और स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स उनको देने चाहिए ताकि बोर्ड और इनमें कम्पीटीशन होकर यह पता लगाया जा सके कि एफिसियेन्सी कहां है, यह लोग एफिसियेन्सी में कहां स्टैण्ड करते हैं और इसमें किसको प्राथमिकता मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें मैंने आपसे निवेदन की है, मैं आशा करता हूं कि सरकार इन पर गम्भीरता से विचार करके इस बिजली की हालत को सुधारेंगी और काश्तकारों को समय पर बिजली उपलब्ध करायेगी। डिमाण्ड नोटिस के लिए भी अब स्थिति यह आ गई है कि आप डिमाण्ड नोटिस काश्तकारों को दो, चार-चार, पांच-पांच, छह-छह महीने कनेक्शन नहीं मिलता। इसकी भी एक समयावधि होनी चाहिए। जिस रोज काश्तकार डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा करता है, उस डिमाण्ड नोटिस में आपको लिखना चाहिए कि इस तारीख को आपको बिजली मिल जायेगी और वह समय एक महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बंशीलाल पटवा।

(समय 5.55 म.प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, 1988-89 की बिजली बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ी गई। उसके सारे आंकड़ों को देखने से जाहिर होता है कि बिजली की हालत राजस्थान में बड़ी खराब है। यह दयनीय स्थिति पैदा क्यों हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। पिछली गलतियों के कारण आज दिन तक राजस्थान में जितनी बिजली का उत्पादन करना चाहिए या जितने और कोई साधन मुहैया कराने चाहिए थे, वह नहीं करा पाये। राजस्थान में बिजली उत्पादन किया जाता है लेकिन उसमें भी खराबी के कारण कमी आई है। जो नई परियोजनाएं हाथ में ली जा रही हैं, उसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं और राज्य सरकार ने जो नई नीति

(श्री बंशीलाल पटवा)

घोषित की है उसमें कई सुधार के कदम उठाये हैं जिनका तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु बिजली घरेलू काम की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से, विशेष रूप से कृषकों के लिए बहुत आवश्यक है। किसानों का सम्बन्ध बिजली के साथ जीवन-मरण से जुड़ा हुआ है क्योंकि किसानों के लिए पानी आवश्यक है, बिजली आवश्यक है। पानी और बिजली का मेल नहीं जोड़ा जायेगा तब तक इस देश का किसान आगे नहीं बढ़ सकता, न उत्पादन ही बढ़ सकता है। आज हालत यह है कि उद्योगों को तो कनेक्शन मिल जाता है लेकिन किसानों को नहीं मिल पाता। जो नई नीति घोषित की गई है उसमें 25 हजार कनेक्शन्स में से बीस प्रतिशत कनेक्शन्स दिये जायेंगे, एक्जीक्यूट किये जायेंगे, यह स्थिति विषम है। मैं यह जरूर मानता हूं कि यदि कटोरदान में रोटियां नहीं होगी तो पुरोसकारी कहां से करेंगे, कितने आदमियों को खिलायेंगे? जो हालात हैं उसी में से बेहतर हालात किस तरह से बना सकते हैं उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। उसके अतिरिक्त कुछ काम जैसे मिनिमम चार्जेज उन्होंने समाप्त किया, यदि कुआ सुख जाय, बिजली का कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाय तो उनसे मिनिमम चार्जेज नहीं लिया जायेगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज राजस्थान में पानी का जो वाटर लेवल है, नीचे जा रहा है, कुएं सूख जाते हैं, कनेक्शन विच्छेद करा लिया जाता है फिर भी पिछले दिनों में, पिछले काल में चार्ज होता रहा जिससे किसानों की कमर टूट गई थी। राज्य सरकार ने इस दिशा में फिर से ध्यान दिया, यह एक बहुत अच्छा कदम है। आखिर बिजली उत्पादन की दृष्टि से कोई न कोई कारगर कदम तो उठाने पड़ेंगे और प्रयत्न भी किये जा रहे हैं लेकिन इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां किसानों की आबादी ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में लोग उद्योग लगाते हैं, किसानों का हमको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लिफ्ट इर्रिगेशन के नाम पर, सामुदायिक इर्रिगेशन के नाम पर कनेक्शन्स में प्रायर्टी दी गई है, यह भी एक अच्छा कदम है। इसके साथ-साथ जैसे ट्यूब वैल को प्राथमिकता की बात कही गई, मैं जहां तक सोचता हूं, पॉलिसी यदि कोई निर्धारित की जाती है तो उसमें एक ही सिद्धान्त के आधार पर सब को डील किया जा सके उसमें भेदभाव नहीं किया जा सके, इस दृष्टि से भी इस बारे में कहीं न कहीं यदि विचार कर सकें तो करिये। क्योंकि आज के युग में किसान बिजली चाहता है।

पानी चाहते हैं लेकिन पिछले 40 वर्षों का इतिहास देखें तो पानी की दृष्टि से भी अवरोध पैदा किये गये। काम अच्छे किये गये हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि उन लोगों ने अच्छे काम किये होंगे लेकिन हमने बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिये उसमें आब्सट्रक्शन्स पैदा किये हैं, बधे बना दिये। उसी तरह से बिजली के बारे में भी इस तरह की स्थितियां बनीं कि आज दिन तक हमने बिजली की दृष्टि से कोई एफर्ट्स नहीं किये, बिजली जनरेट नहीं कर सके और इसके अतिरिक्त बिजली बोर्ड की इस तरह की स्थिति खराब कर दी गयी कि जिसके कारण आज यदि कोई कनेक्शन लेना चाहता है तो वहां पर तार नहीं मिलेंगे, खम्बे नहीं मिलेंगे। खम्बे

Page No. 184

(184)

(श्री बंशीलाल पटवा)

पहुंचाने की बातें आयेंगी तो वहां पर मजदूर नहीं मिलेंगे। बड़े आफिसर्स तो हमारे बिजली विभाग ने पैदा किये हैं लेकिन छोटे कर्मचारियों को पिछले 40 वर्ष में किस तरह से पैदा किया जाये, किस तरह से उनका उपयोग लिया जाये, किस तरह से उनको लगाया जाये इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बड़े आफिसर्स पैदा करने के साथ ही साथ नीचे के आदमी जो वर्कचार्ज की दृष्टि से काम करते हैं उनका और उनका कहीं न कहीं कोआर्डीनेशन होना चाहिए लेकिन आज किसान को यदि कनेक्शन लेना है या घरेलू कनेक्शन लेना है तो उसको खम्बे भी स्वयं को पहुंचाने पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त आज किसी भी आफिसर को आप बैठा दो बिजली बोर्ड में दवे साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। पिछले भण्डारी साहब थे वह भी एक काम्पीटेन्ट आफिसर थे। हम चाहे राजनैतिक दृष्टि से किसी की आलोचना करें लेकिन दवे साहब एक टेक्नीकल हैण्ड हैं, उनको अनुभव है, पुराने आदमी हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जो भी आफिसर बैठा है जिसको भी लगाया है वह काम्पीटेन्ट है। यह जरूर हो सकता है सूझबूझ में फर्क हो सकता है। आदमी हाड़मांस का होता है, डिग्री का फर्क बुद्धि से हो सकता है, काम करने की क्षमता में हो सकता है लेकिन मंशा साफ थी कि किसी भी तरह से बोर्ड आगे बढ़े और यह घाटे की जो व्यवस्था कायम हुई है, बिजली बोर्ड को जो नुकसान हुआ है और ब्याज भी राइट आफ करना पड़ा राज्य सरकार को जो पिछली सरकार ने किया था, जो भी हालात बने हैं उनको हम भुगत रहे हैं स्थिति वह हुई और राजस्थान का किसान भुगत रहा है। बिजली नहीं मिल पा रही है। तो यह हालत किस ने खराब किये हैं ? तो मेरा तो इस सम्बन्ध में निवेदन है कि बिजली उत्पादन की दृष्टि से और परियोजनाओं के लिए मुख्य मन्त्री महोदय प्रयत्न कर रहे हैं उनके साथ ही साथ यदि प्राइवेट सेक्टर में भी बिजली उत्पादन के लिए हम यदि प्रयत्न कर सकें और इसके लिए कोई ज्वाइन्ट रेस्पान्सीबिलिटी से कारगर प्रयत्न कर सकें तो हम इससे उभर सकेंगे अन्यथा हालात खराब हैं, किसान को बिजली चाहिए और जब तक इस देश के किसान को हम मुख्य रूप से बिजली नहीं देंगे, उसके बारे में विचार नहीं करेंगे तो हालात नहीं सुधरेंगे और किसान को राहत मिलनी चाहिए और यदि किसान को राहत नहीं मिली, बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला तो उत्पादन पर असर पड़ेगा और उत्पादन पर असर होगा तो सारे देश की जनता और राजस्थान की जनता प्रभावित होगी। तो कुल मिलाकर बिजली बोर्ड की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आंकड़े तो काफी हैं लेकिन जो कमियां नजर आई उनको हम किस तरह से सुधार सकते हैं और किस तरह से हम प्रगति की दिशा में ले जा सकते हैं, किस तरह से इसकी माली हालत सुधार सकते हैं इसके लिए एक बार पूरे रूप से पिछले काल से लेकर आज दिन तक की जो स्थितियां बनी हैं उन सब की हम समीक्षा करें और एक बार समीक्षा करने के बाद जो नये प्राजेक्ट्स हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए कारगर प्रयत्न करते हुए निजी सेक्टर में भी यदि हम बिजली उत्पादन की दृष्टि से कारगर प्रयत्न कर सकें तो करने चाहिए क्योंकि आखिर में हम

(श्री बंशीलाल पटवा)

पराधीन थोड़े रहेंगे। हम अपने आधार पर खड़ा होने चाहते हैं और जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक हम राजस्थान को बिजली मुहैय्या नहीं करा सकते और इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। आज हालात यह है कि भाखरा से बिजली लें तो वहां पर चाबी दूसरे के हाथ में है, ताला दूसरे के हाथ में है। दूसरा कोई हमको दे और हम लें और रोजमर्रा की लड़ाई लड़ते रहें और यह इस तरह के हालात हैं और यह तो अपने अधिकारी काम्पीटेन्ट हैं जिनके कारण किसी तरह से वह बिजली मुहैय्या करा रहे हैं नहीं तो दूसरे स्टेट्स जहां से हम बिजली लेते हैं भाखरा से लेते हैं, सतपुड़ा से लेते हैं, दीगर प्रान्त से लेते हैं क्योंकि हमारे यहां बिजली पैदा होती नहीं। यह इस तरह के हालात बन चुके हैं तो इन हालात में पिछली गलतियों को किस तरह से सुधार सकते हैं इसके लिए ज्वाइन्ट रेस्पान्सीबिलिटी से कारगर प्रयत्न करने की दृष्टि से, सरकार तो लगी हुई है लेकिन इसके साथ ही साथ हम मान्यवर सदस्य इस सदन के हैं हम सब लोग इस दिशा में कुछ सोचें, विचारें और राजस्थान को बिजली की दृष्टि से उभारना चाहते हैं और यदि कारगर प्रत्यन किये गये तो मैं सोचता हूं कि इस विकट परिस्थिति से भी हम निकल सकेंगे और किसानों को बिजली मुहैय्या कराने में, इण्डस्ट्रीज के लिए नये उद्योग लाने में हम प्रयत्न कर सकेंगे अन्यथा घरेलू कनेक्शन देने में भी बड़ी तकलीफ आयेगी। आज हालात इस तरह के हैं यह हालात यदि बने रहे....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : एक मिनट में। यदि यह हालात बने रहे तो मैं सोचता हूं कि यह बिजली के खम्बे हैं और जो तार खिचे हुए हैं कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह कपड़े सुखाने के लिए काम आयेंगे या यह खम्बे कहीं घरों में पलीता लगाने के काम आयेंगे। तो इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि हम गम्भीरता से सोचें और राजस्थान को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए कारगर प्रयत्न करें और जितनी सुविधायें हम दे सकते हैं और इसमें काम्पीटेंसी ला सकते हैं लाने का प्रयत्न करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : समय सीमा का ध्यान रखें माननीय सदस्य। 35 माननीय सदस्यों को बोलना है। तो गागर में सागर भरें। श्री रामकरण चौधरी।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान विद्युत मण्डल के वर्ष 1988-89 के प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है। यह हमारे इस पूरे सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय, मैं मानता हूं। आज बिजली एक ऐसा कारोबार है जिससे सारे इन्सानों का जीवन जुड़ा है। अगर बिजली नहीं मिले तो इन्सान को पीने का पानी नहीं मिले, आटा नहीं मिले, कारखाने नहीं चले और देश का सारा प्रोडक्शन फेल हो जाये। मेरे पूर्व के दो वक्ताओं ने इसके ऊपर राजस्थान के विद्युत मण्डल की जो आज की पोजीशन है इसके बारे में जो भी हालत बताई है उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। आज इस राजस्थान विद्युत मण्डल की आर्थिक हालत खराब है और केवल इसके लिए पूर्व सरकार को दोष देने मात्र से किसी प्रकार की कोई

(श्री रामकरण चौधरी)

नयी प्रगति नहीं की जा सकती। हमारे जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं यह पूर्व में भी इसी मण्डल के अनुभवी अध्यक्ष रहे हैं। इनका भी उसमें कितना योगदान है, केवल यह ही दोषी नहीं हैं। मैं मानता हूं बातों से काम नहीं होता है। नया जनरेशन करना, नयी स्कीम्स बनाना, करोड़ों की योजना होती है यह सारी लम्बी बातें हैं मैं उन बातों को दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं कुछ मेरे सुझाव देना चाहता हूं।

राजस्थान में जो हमारा मुख्य धंधा लोगों का है वह खेती है और राजस्थान के सामने करीब-करीब यह स्पष्ट पोजीशन आ चुकी है कि राजस्थान का अधिकांश भाग देरी से बरसात के कारण, कुछ इलाकों में बरसात नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति में आ रहा है और पूरे राजस्थान का जो नागरिक है वह इससे पूरी तरह से चिंतित है। ऐसी हालत में राजस्थान विद्युत मंडल का दायित्व ज्यादा बढ़ता है, राजस्थान सरकार का दायित्व और ज्यादा बढ़ता है कि अगर हम इस विषम परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, लोगों को राहत देना चाहते हैं, चारे और अनाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो सब परिस्थितियों का सामना करते हुए जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें खेती को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहता कि कारखानों को बिजली नहीं दी जाये मगर माननीय सभापति महोदय....

अगर आप काश्तकार को बिजली टाइम पर नहीं देंगे, नये कनेक्शन नहीं देंगे तो हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती, हम अकाल का मुकाबला नहीं कर सकते। कल अकाल के समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि हम अकाल से निपटाना चाहते हैं स्थाई रूप से। स्थाई रूप से निपटने का एक यह पहला कदम है कि हमारे राजस्थान में जो जमीन के अन्दर पानी का स्तर बहुत गहरा हो गया है। हमारे कुछ इलाकों में आज पानी करीब 500-600 फीट के आस-पास गहराई में है। मैं मेरे क्षेत्र नागौर में मेड़ता क्षेत्र की बता रहा हूं, 400-450-500 फीट के ऊपर पानी है। उस पानी को निकालने के लिये कम से कम 30-35-40 हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है। बिजली का बहुत कंजम्पशन है। यह परमात्मा की कृपा है कि कुछ इलाकों में अच्छा पानी है और कुछ इलाकों में नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो हमारे बिजली बोर्ड की पोजीशन है, जनरेशन कम हो रहा है, ट्रांसमिशन की सारी पोजीशन खराब है तथा बिजली का रखरखाव भी खराब है। इसके लिये विद्युत मण्डल के अधिकारी दोषी भी हैं क्योंकि उन्होंने गलत लाइन लगाई है। लीकेज भयंकर हो रहा है। लीकेज को कण्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चोरी हो रही, उसको ये कण्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी बातें हैं।

इन्होने जो आपकी नई नीति निकाली है, उसके सन्दर्भ में सबसे पहला निवेदन यह करना चाहता हूं, हमारे चेयरमैन साहब विराजमान हैं, आपने गत वर्ष तुरन्त प्राथमिकता योजना लागू की थी और उस योजना को विरोध के बावजूद लागू किया गया। लोगों ने मजबूरन उसको स्वीकार

(श्री रामकरण चौधरी)

किया और स्वीकार करने के बाद हजारों की तादाद में लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश किये। 31 मार्च, 1991 तक जिन लोगों के डिमाण्ड नोटिस इश्यू किये गये, और जिन्होंने पैसा जमा करा दिया, उनके लिये यह प्रावधान रखा है कि हम उनको कनेक्शन देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी, सरकार के विश्वास पर इस बोर्ड के विश्वास पर एक ट्यूबवैल खुदाने के लिये लोगों ने, मेरे क्षेत्र में ढाई-तीन लाख रुपये खर्च होते हैं, इस विश्वास पर कि हमको यह बोर्ड बिजली देगा तथा हमारी यह राजस्थान सरकार हमको बिजली मुहय्या करायेगी, हजारों की तादाद में लोगों ने अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर दिये 1,025 रुपये के साथ। आज तीन लाख-ढाई लाख रुपये का खर्चा किया लेकिन आपने अगर यह पहले कह दिया होता कि हम 31 मार्च के बाद इस योजना को खत्म कर देंगे, कोई नया फार्म नहीं भरेगा। जिन लोगों ने ढाई-तीन लाख रुपये का ऋण लेकर के, अपनी जायदाद-जमीन गिरवी रखकर के खुदाये हैं, उनके भाग्य का क्या फैसला होगा ? इस नई नीति के तहत उनको 10 वर्ष तक बिजली मिलने की कोई आशा नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उन लोगों ने जिन लोगों ने एप्लीकेशन पेश कर दी है सरकार के ऊपर विश्वास करके, इस बोर्ड के ऊपर विश्वास करके, उन लोगों को बिजली देने की, तत्काल कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लाखों-हजारों किसान राजस्थान के बर्बाद हो जायेंगे। तथा देश की खेती पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा।

दूसरा मेरा सुझाव यह है, आज मै जानता हूं कि धनाभाव है और इसके लिये व्यवस्था अपने बोर्ड को, सरकार को किसी तरह से करनी पड़ेगी। आज जितने भी आपके ग्रिड-स्टेशन्स हैं, सारे ओवर-लोडेड चल रहे हैं। जितनी भी आपकी 132, 220 की जो योजनाएं हैं, कई वर्षों से सैंक्शंड है, वे कोई भी इम्पलीमेंट नहीं हो रही है। यह सब बातें सही है। आपके टांसफार्मर जो पावर वाले हैं, आज अगर आर्डर दे दें, यह भी मानता हूं, साल-डेढ़ साल के बाद कम्पनी इश्यू करती है। यह सब मैं जानता हूं, इसके बावजूद भी आपने

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

में 5 मिनट का टाइम तो इसमें लूंगा।

इसके अन्दर मेरा एक सुझाव यह है कि आज छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर 25, 63, 100, ये बहुत जलते रहते हैं। लाइनिंग की डिफेक्ट से जलते हैं, इनके स्टाफ की कैयरलैसनेस की वजह से जलते हैं जलते रहते हैं। पिछले वर्षों के अन्दर केवल नागौर जिले में करीब 2,000 के आसपास ट्रांसफार्मर बोर्ड ने इश्यू किये। आखिर बोर्ड की भी एक सीमा होती है, हम भी जानते हैं। इसके लिये पिछले वर्ष एक सुझाव आया था, इम्पलीमेंट नहीं हुआ था। जो ट्रांसफार्मर जलते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर जो जलते हैं, आपके डी जी सैट्स पर लगाते हैं, अगर यह ट्रांसफार्मर काश्तकार खरीद कर लगा दे तो सफल के टाइम में काश्त-

(श्री रामकरण चौधरी)

कार को बोर्ड के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक तो यह है। और उसकी जो कीमत है, वह बोर्ड उसके बिजली के बिल के अन्दर एडजस्ट कर ले। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो तत्काल काश्तकार अपनी फसल को बचा लेगा और दूसरा, जो बिजली बोर्ड में आज मैं जनरली देख रहा हूं, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, यह ट्रांसफार्मर की वजह से हो रहा है। गरीब काश्तकार अधिकारी के पीछे फिरता है, और वह कुछ बहाने करते रहते हैं। इससे क्या होगा कि काश्तकार अपनी फसल बचा लेगा तथा इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिल जायेगी। तत्काल काश्तकार पैसा देकर जो आप जिस तरह से यह खरीदवाना चाहते हैं, जिस कम्पनी के मार्फत करना चाहते हैं, जिस एजेंसी के मार्फत चाहते हैं, यह सारी व्यवस्था कर दी जाय तो दो-एक फायदे हो सकते हैं।

तीसरा मेरा इसमें सुझाव यह है कि अभी जो जनरल प्रायोरिटी के अन्दर 25 हजार कनेक्शन रिलीज किये हैं, यह वास्तव में किसानों के साथ धोखे की बात हैं। जैसा मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया था यह 1984-85 की जनरल प्रायोरिटी की बात कही है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि पिछली सरकार ने कम किये थे, मैंने 25 हजार कर दिये, यह केवल धोखा है। किसानों को इससे कोई लम्बी-चौड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। 31 मार्च, 1991 की यह कहते हैं कि तुरन्त प्राथमिकता योजना में कनेक्शन

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

देंगे। पहले वालों को देंगे और पहले आओ-पहले पाओ योजना में देते हैं। आप सामुदायिक वालों को देते हैं तो जनरल कोटे के अन्दर बहुत कम हो जाते हैं। उसके अन्दर भी मेरा सुझाव है बोर्ड के चेयरमैन को कि मेड़ता डिविजन के अन्दर अगर आपने 100 कनेक्शन इश्यू किये जनरल में....(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, अगर आप इस डिविजन में 100 कनेक्शन इश्यू करते हैं। जो वितरण करने की व्यवस्था है, वह यह है कि अगर डिविजन में दो हजार फाइल पेंडिंग है, उन दो हजार फाइलों में से 100 का भाग देते है तो 20 फाइल के पीछे एक कनेक्शन होता है। उसमें क्या गड़बड़ होती है कि लोग फर्जी फाइल बनवाते हैं। मैं मेरा कनेक्शन लेने के लिये 5 हजार रुपये में फर्जी फाइल बनवा देता हूं। किसी गांव में अगर वह दो फाइल है, उस उस क्राइटेरिया में उसका नम्बर नहीं आता है चाहे वह 5 साल पहले से बैठा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जनरल कनेक्शन देने में जो सबसे पुरानी फाइल है सबसे पहले उसको दिया जाय। उसके बाद जैसे भी सीरियल नम्बर से हो उसी हिसाब से कनेक्शन लोगों को दिये जाने चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामकरण चौधरी : मेरे नागौर जिले में 220 केवी की ब्यावर की लाइन

(श्री रामकरण चौधरी)

काफी लम्बे समय से करीब—करीब सेंक्शंड है। अगर इस लाइन को जोर देकर नहीं किया गया तो पूरा जिला बिजली के संकट से घिर जायेगा। मेड़ता से कुचेरा एक 132 केवी की लाइन सेंक्शंड है, अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है।

एक मेरा सुझाव यह है, मंत्री महोदय, वहां के अधिकारियों को कहा भी है, चेयरमैन साहब को भी इस बात को समझाऊंगा, मेड़ता से गोटन एक लाइन जाती है, वह बीच में एक लाम्बा गांव में से होकर जाती है। अगर वहां पर 132 केवी का नया ग्रिड बना दिया जाय तो लाइन का सारा खर्चा मिल जाता है और जितना लोड है, वह लोड अलग-अलग बंट जाता है तो उससे भी लोगों को बिजली अच्छी तरह से मिल सकती है।

इसमें कहनी तो कई बातें हैं मगर आपने मुझे बार-बार कह दिया। मेरा इतना ही निवेदन है। कृपया मैंने जो सुझाव दिये हैं, उस पर विशेष ध्यान दिलावें।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : सभापति महोदय, आज वर्ष 1988-89 विद्युत मण्डल पर विशेष चर्चा हो रही है। उसके ऊपर मैं हिस्सा लेते हुए कुछ अपने क्षेत्र की समस्या रखूंगा और कुछ सुझाव भी रखूंगा। सभापति महोदय, वैसे तो राजस्थान में विद्युत की बहुत कमी है। हमारे यहां पर अणु बिजली घर से 534 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसी तरह से थर्मल पावर से 430 मेगावाट और हाइड्रो से 104 मेगावाट बिजली पैदा होती है। कुल 1168 मेगावाट बिजली का हम उत्पादन करते हैं। यह आंकड़े 1988-89 के हैं। केवल इतनी बिजली से राजस्थान का गुजारा नहीं चलता है और हम बाहर के प्रान्तों से बिजली लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान में, बिजली का उत्पादन हम किस तरह से करें। हमारे यहां पर इस बार काफी सारी कई जगह गैस निकली है उससे हम इस बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सभापति महोदय, अभी जो गैस के स्टेशन बनाने की बात जहां तक है? उसमें अन्ता के अन्दर गैस पर आधारित बिजली घर का निर्माण हो रहा है और वह प्रगति के पथ पर है। इसी तरह जैसलमेर में रामगढ़ के अन्दर यह गैस पर आधारित बिजली घर बनाये जाने की प्रस्तावना है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस तरह से जैसलमेर के रामगढ़ को आपने गैस आधारित बिजली घर बनाने के लिए चयन किया है उसी तरह से हमारे जालौर जिले के अन्दर बागोड़ा का भी आप इसी तरह चयन करलें क्योंकि यह भी राजस्थान के टेल एण्ड के ऊपर है। हमारे जालौर जिले की बिजली कोटा से बिलवाड़ा और सिरोही होते हुए जालौर और भीनमाल पहुंचती है। सिरोही में 220 किलो वाट का बिजली घर है। भीनमाल, जालौर के अन्दर 132 किलो वाट का बिजली घर है परन्तु जालौर जिले के भीनमाल के बिजली घर, दोनों ही इतने ओवर लोडेड हैं कि जब तक उसमें और 132 किलो

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

वाट की बिजली की लाइनें नहीं खींची जायेगी तो उससे किसानों को आज और बिजली देने की स्थिति में यह बिजली घर नहीं हैं। जबकि बहुत सारी फाइलें हमारे यहां पेंडिंग हैं। काफी पैसा जमा हुआ वा है परन्तु अभी तक बिजली नहीं दी गयी हैं। भीनमाल और जालौर के अलावा जो प्रस्तावित बिजली घर हैं, 132 किलो वाट के, उसमें सनीवाड़ा, सांचौर उमेदपुर और साइला 132 किलो वाट बिजली घर प्रस्तावित हैं। परन्तु यह जो 1988-89 की जो, यह वार्षिक प्रतिवेदन की किताब दी गयी है उसमें जो नक्शा बनाया गया हैं उसमें साइला का 132 किलो वाट का बिजली घर का या तो नक्शे के अन्दर भूल से छूट गया है, आज की क्या स्थिति है, उसकी मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह इसका जवाब दें क्योंकि साइला बिजली घर का वहां पर उद्घाटन भी हो चुका, जमीन का चयन भी हो चुका और नक्शे के अन्दर नहीं है इससे मुझे...

श्री टीकमचन्द कान्त : डर लगता है....

श्री प्रेमसिंह दहिया : इससे मैं यह सोचता हूं कि शायद मंत्रीजी उसको बनायेंगे या उनका क्या विचार हैं ? मंत्रीजी जरूर दवाब देंगे। मंत्री महोदय जहां तक हमारे जालौर और भीनमाल की बिजली का सवाल है, हम तो राजस्थान के टेल एण्ड के ऊपर आये हुए हैं....

श्री टीकमचन्द कान्त : भीनमाल कोई जिला है क्या ? बार-बार जालौर और भीनमाल कर रहे हो ?

श्री सभापति : आप विराज जाइये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सारे जिले की बात है। 132 किलो वाट के स्टेशन जालौर और भीनमाल के अन्दर जो 2 बिजली घर के स्टेशन लगे हुए हैं, हम उस टेल एण्ड के ऊपर आये हुए हैं। हमारी स्थिति तो यह है कि एक रेलगाड़ी हो। बड़ी रेल गाड़ी हो और उसमें गार्ड का डिब्बा हो और उसके पीछे डिब्बे और जोड़ दिये जाय। मंत्री महोदय, आप तो वहां गार्ड तक का ही ध्यान रखते हैं कि यहां तक बिजली पहुंची है। उसके नीचे जो बिजली पहुंच रही है, हमारी स्थिति क्या है ? हमारे वहां पर एक छोटा-सा फाल्ट होता है तो हमारे गांव की बिजली चली जाती हैं इसलिए हमारे यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए हमारे 33 किलो वाट के दो लाइनों की सेंक्शन होये हुवे दो-तीन साल हो गये मैं इस सम्बन्ध में अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा। एक तो मोदरा स्टेशन के ऊपर हमारा 33 किलो वाट का बिजली घर लगाना था। मंत्रीजी ने पिछले साल आये थे, उस समय गांव वालों ने और वहां के नागरिकों ने उनसे मांग की थी इसके लिए। इसी तरह से बिलोड़ के एक 33 किलो वाट का बिजली घर लगाया जाना था। सभापति महोदय, यह दोनों बिजली घर लगाये जाने के लिए पहले तो विभाग ने टेण्डर निकाल दिया। टेण्डर निकाल कर के ठेकेदार आमंत्रित किये। उनसे नोगेशियेशन किया उसके बाद, सभापति महोदय, सरकार ने चाहा कि नहीं यह ठेकेदार से काम नहीं होंगे। जवाहर रोजगार योजना से होंगे। उन्होंने यह काम जवाहर रोजगार

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

योजना के अन्तर्गत बिजली के लाइन इर्रेक्शंस का काम लगा दिया फिर उसके लिए एक साल बीत गया। जवाहर रोजगार योजना से यह काम हुआ नहीं। अब यह सरकार के वहां पर वापस यह काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने अधिकारियों से मालूम किया। विधान सभा में मैंने क्वेश्चन भी किये परन्तु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सभापति महोदय, कुछ और समस्यायें भी हैं। जैसे डोमेट्स की समस्यायें हैं।

(6.25 सांय)

(श्री हीरसिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन) उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समस्यायें और भी हैं। कल मंत्रीजी ने यहां पर, हाउस में बताया था कि डोमेस्टिक कनेक्शन हैं वह तो हमने बाकी रखे ही नहीं हैं। मैंने एक प्रश्न लगाया था। उसमें सरकार ने जवाब दिया कि 141 डोमेस्टिक कनेक्शन अभी तक मेरे दो साल से पेंडिंग हैं। तो मैं मंत्रीजी से यह अपेक्षा रखता हूं कि हमारी पिछड़े हुए जिले हैं, जो टेल एण्ड के ऊपर आये हुए हैं, इसकी ओर विशेष ध्यान देकर हमारे जालौर जिले में जो बिजली की समस्या हैं उसका निदान करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर जो हमारी आर्थिक नीतियां रही हैं, उनके अन्दर एक बहुत बड़ी खामी रही है कि बिजली जैसी महत्वपूर्ण चीज को हमने बहुत ही कैजवली लिया है। सारा का सारा उत्पादन का, आर्थिक विकास का यदि दुनिया के अन्दर कहीं पर भी केन्द्र बिन्दु है तो वह आज के इस आधुनिक युग में बिजली है परन्तु हमने अपने विकास के, अपने प्लांस के मामले के अन्दर इतनी ध्यान, जितना बिजली की ओर देना चाहिए था, उसके उत्पादन की ओर देना चाहिए था, वह नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बड़े ताज्जुब की बात है कि देश के अन्दर बहुत सारे ऐसी उद्योग हैं, चाहे वह कास्टिक सोडा हो, चाहे नाइलोन हो, टेरीलीन हो, केलिसयम कार्बाइड हो, सैंकड़ों गिना सकता हूं जिनका मैन रा-मैटीरियल बिजली है और उन्होंने अपने घर से चार लाख रुपए नहीं लगाये और उन लोगों के आज 2 हजार करोड़ की सम्पत्ति पैदा करली। आज अम्बानी है। आज दो हजार करोड़ रुपए की पार्टी है। उसका मैन रा–मैटीरियल बिजली है। हम अपना बिजली उत्पादन नहीं कर सके, किसानों को दे नहीं सके और उस बिजली के दूसरों को रा–मैटीरियल देने के आधार पर देश के अन्दर कई अरबपति बन गये। हमारे यहां राजस्थान में बहुत–से आपको उदाहरण दे सकता हूं। जिन्होंने 10 वर्ष पहले कोई कारखाना चालू किया और उस कारखाने के अन्दर बिजली उनका रा-मैटीरियल है। वह तो दो करोड़ से लेकर के आज सौ करोड़ की बन गयी है और मंत्री महोदय, बिजली के मामले में

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ सके। मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं, दोषपूर्ण नीतियों के बारे में जब-जब भी पावर मिनिस्टर कांफ्रेंस हर वर्ष होती है और हर वर्ष पावर मिनिस्टर कांफ्रेंस के अन्दर एक बात बहुत जोरों से बोली जाती है कि हमारे हिन्दुस्तान के जितने भी बिजली बोर्ड हैं वह ढंग से नहीं चल रहे हैं। जो आदमी सक्षम है, पावर मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, वहां पर अध्यक्ष बोल रहे होते हैं, किसको बता रहे होते हैं कि यह फंक्शनिंग वैल नहीं चल रही है। या तो उनको कहना चाहिए कि इस प्रकार चलेगी और यह वह कहदे हैं। बराबर 40 वर्ष से कहते आ रहे हैं कि यह फंक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं तो ठीक कौन करेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जापान के अन्दर न तो कोयला होता है न वहां पर कोई पैट्रोलियम पदार्थ है और वह दुनिया के अन्दर सबसे सस्ती बिजली पैदा करते हैं। आखिर जापानी आदमी क्या चीज है? जो हिन्दुस्तानी आदमी नहीं है। हिन्दुस्तानी आदमी भी जापान में काम करते हैं, अमेरीका में काम करता है तो उन आदमियों से ज्यादा बढ़िया काम करता है, मेरा दुनिया के प्रत्येक मुल्क का अनुभव है यह।

यह हमारी नीतियां दोषपूर्ण है जिनके आधार पर हम यह देख पाते हैं कि जो दूसरा मुल्क है, वह बहुत-कुछ काम कर जाते हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग आज भी आशा कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड केवल मात्र 3% लाभ दे दें 3% कमाकर दें जिसके अन्दर ब्याज शामिल नहीं है। तो उसके बाद में वह 3% भी नहीं कमा पाते हैं। हमारे 30 हजार करोड़ रुपया बिजली के अन्दर लगा हुआ है। देश के अन्दर यदि वह बिजली दूसरों को दें या नहीं दें, परन्तु वह 3% भी लाभ स्वयं में भी नहीं कमा सकता। तो आखिरकार दोष कहां है? किसी-न-किसी को देखना होगा। मैं आपको दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा, आज देश के अन्दर बहुत ज्यादा बेरोजगारी की बात है। बड़ी-बड़ी स्कीम बनाने की बात कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी कैसे दूर करें? कोई दो हजार करोड़ रुपये लगाना चाहते हैं और जवाहर रोजगार योजना के द्वारा हर वर्ष के अन्दर दो हजार से तीन हजार, पांच हजार का प्रावधान हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय प्रत्येक आदमी को, जिसको बिजली की आवश्यकता है, आप बिजली दे दीजिए। बेरोजगारी की प्राब्लम उसी वक्त में समाप्त हो जाएगी। तो हम जिस चीज से बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं उस समाधान की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं और दूसरी दूसरी तरह की बातें करने लग जाते हैं।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। जब से बिजली उत्पादन हुआ बिजली बोर्ड के द्वारा तब से लोड शैडिंग का मामला चल रहा है। उस उत्पादन केन्द्र को चार घंटे बिजली मिलेगी, उस उद्योग को तीन घंटे मिलेगी, किसान को रात को मिलेगी, किसी को 6 घंटे मिलेगी। एक आदमी उद्योग लगाता है जिसमें हजार करोड़ रुपया लगाता है, अपनी सारी इका-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

नामी तो आप सोचिये यदि उसने एक शिफ्ट ही चलायी तो दो शिफ्ट में जो उत्पादन होने वाला था, देश का आर्थिक विकास उससे हो नहीं सकता। साधारण किसान ने 10 हार्स पावर की मोटर लगायी और उसके कुएं के अन्दर 24 घंटे पानी चलाने को है, उसमें आपने 6 घंटे बिजली दी, आप यदि 24 घंटे देते हैं तो वह अपने खेत में दे सकता है, पड़ोसी के खेत में भी दे सकता है उसके पास पानी है परन्तु जो उसने पांच हजार रुपया या 20 हजार रुपया लोन लेकर लगा दिया वह ब्लाक केपीटल हो गयी और जो उससे 24 घंटे तक उत्पादन ले सकता है वह उत्पादन ले नहीं पा रहा है। तो सारी की सारी जो आर्थिक विकास के अन्दर गड़बड़ है यदि यह लोड शैडिंग हमारा बराबर चलता रहेगा, प्लानिंग कमीशन ने कहा था सेवेन्थ प्लान के एण्ड तक अपने सारे देश के अन्दर किसी भी राज्य में लोड शैडिंग नहीं होगा परन्तु अभी सामने जो पिक्चर आयी है वह यह आयी है कि 91 में जो कमी है वह 94 के अन्दर और भी ज्यादा हो जायेगी। हमारी आवश्यकता है। तो आवश्यकता और पूर्ति के अन्दर गैप और भी ज्यादा हो जायेगा। दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे की तरफ किक मार रहे हैं।

हमारे बिजली बोर्ड सारे के सारे नुकसान में चल रहे हैं उसका एक मुख्य कारण जो है वह हमारे ट्रांसमिशन लासेज का है। यह बात मैं पहले भी यहां कह चुका। दुनिया के देशों के अन्दर केवल 6 और 7 पर्सेन्ट का नुकसान होता है, किसी भी देश को देख लीजियेगा आ परन्तु हमारे यहां पर राजस्थान के अन्दर 26 पर्सेन्ट होता है। आखिर क्या बात है ? वही टरबाइन, वही तार, वही लाइन, वही खम्भे दूसरे देशों के अन्दर है, कोई हमारे यहां पर दूसरी तरह के खम्भे नहीं, दूसरी तरह के टरबाइन नहीं, दूसरी तरह के ट्रांसफार्मर नहीं, उसी चीज के ट्रांसफार्मर हमारे यहां बनते है तो यह 26 पर्सेन्ट क्यों है यदि 26 पर्सेन्ट हमारे यहां पर नुकसान होगा, हमारे ही देश के अन्दर दूसरे प्रान्तों में 15 और 16 पर्सेन्ट होता है, आखिरकार बिजली बोर्ड से कब पैदा करके कब गांव के लोगों को बिजली दे पा सकेंगे, क्यों नहीं इस बारे में ख्याल किया जाता है।

हमारे प्रान्त की पालिसी के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। बिजली पहुंचा दी किसी गांव के अन्दर। अव्वल तो एक यह देखने की बात है, शहर के अन्दर बिजली हर आदमी के घर के सामने पहुंच जाती है, किसी को भी बिजली के खम्भे या पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। कमाल की बात है, आज भी देश के अन्दर यह बात चल रही है, कहते हैं गांवों के बारे में ध्यान देंगे परन्तु पालिसी यह है कि शहर के अन्दर मेरे घर के सामने बिजली आ जाती है और गांवों के अन्दर हम बात करते हैं तो गांव के पास एक कोने पर ले जाकर बिजली के दो खम्भे खड़े कर दिये जाते हैं, अब बोले, बिजली आपको चाहिए तो दो हजार रुपया प्रति व्यक्ति प्रति घर चाहिये और सारी की सारी लाइन ले जाने की बात होगी तो गांव वाले देवें। फिर गांव वालों की बात कहें तो साहब, चालीस आदमी लाइये जब जाकर आपके

(श्री रमाकान्त शर्मा)

300–400 रुपये प्रति व्यक्ति आयेगा। चालीस आदमियों को आप घरेलू कनेक्शन देना चाहते हैं। घरेलू कनेक्शन दीजिये, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि घरेलू कनेक्शन जितने हैं बिजली के वह अनुत्पादक इन्वेस्टमेंट है। इससे उत्पादन नहीं होता बिल्कुल भी, यह तो लगजरी है केवल मात्र। आप यदि इस सारी की सारी बिजली को चक्की के लिये देवें, छोटे उद्योग के लिये देवें, कुओं में पानी के लिये देवें तो उस बिजली का सही उपयोग है। उस पर फिर यह है कि गांव का आदमी सोचता है, कुएं को मिल नहीं रही है, बिजली हमारे छोटे उद्योगों को मिल नहीं रही है, चक्की चलायें तो मिल नहीं रही है, चलो तो घर में ही ले लें। अभी तो मैंने शुरू ही किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घड़ी की तरफ क्या देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री रमाकान्त शर्मा : दो मिनट में खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्मा साहब, There are still 35 persons.

श्री रमाकान्त शर्मा : आप मेरा समय ले रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब 3–4 आदमी लेना चाहते हैं वहां 40 आदमियों को जबर्दस्ती करके अनुत्पादक बिजली का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर इससे बड़ी बुरी बात एक हो रही है कि रेवेन्यू विलेज को बिजली का कनेक्शन दे दिया, उस रेवेन्यू विलेज के आसपास में ढाणियां हैं कोई एक किलोमीटर पर है, कोई दो किलोमीटर पर है, दस-दस वर्ष हो गये रेवेन्यू विलेज को इलेक्ट्रिफाइड हुए परन्तु उस ढाणी के अन्दर बिजली यूं नहीं जा सकती है कि ढाणियों के अन्दर बहुत कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं और वह वहां से बिजली यदि लें जायं तो 20 खम्भे लगते हैं तो प्रति व्यक्ति को दो हजार रुपया आता है। अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब आदमी ढाणी में रहते हैं, ढाणियों में सबसे गरीब आदमी रहते हैं, उससे मालदार आदमी गांव में रहते हैं और उससे मालदार शहर में रहते हैं उस आदमी के जब तक वह बिजली के खम्भों के पैसे ना दे तब तक लग नहीं सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न था, लूणी के अन्दर सिर्फ 6 गांव बचे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में 60 गांव बचे हुए हैं अब बिजली लगने के लिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अलवर का क्षेत्र सबसे ज्यादा जमीन में उत्पादन करने वाला है। किसकी पालिसी इस तरह की रही है कि जो नहीं देखता है जहां पर सबसे ज्यादा खेत के अन्दर उत्पादन हो सकता उस क्षेत्र के 60–60 गांव आज तक बिना बिजली के रह रहे हो, यह बहुत ही शोचनीय विषय है।

एक मिनट के अन्दर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप जब तक भारत सरकार पर मुनस्सर करते रहेंगे, पहले जो सरकार थी उसमें मुख्य मंत्री थे भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोल ही नहीं सकते थे, वह तो उनके सामने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जुबान भी नहीं उठा सकते थे। आज हमारे मुख्य मंत्री बहुत ताकतवर और शक्तिशाली हैं तो आज वहां पर लंगड़ी लूली सरकार है, भारत सरकार कभी सुनने वाली नहीं। यह प्रश्न ऐसा है, भूल जाइये भारत सरकार को और प्लानिंग कमीशन को। बाहर के लोग, दूसरे देशों के लोग जितना रुपया चाहिए, बिजली के लिये देने के लिये तैयार हैं आपको। आप कभी कहते हैं धौलपुर के अन्दर मगरमच्छ हैं....(व्यवधान)

बैठिये, आपके समझ की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : न धौलपुर की बात आ रही है, न भरतपुर की बात आ रही है। यह सब जितने भी मामले हैं इन मामलों में राजस्थान सरकार को अपनी पहल लेनी चाहिये और यदि यह बात कहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पूरे सदन को एक मत होकर यूनानी मसली संकल्प पारित करना चाहिये कि हमारे जितने पैंडिग बिजली हैं उसे हम चालू कर देंगे और पंजाब की तरह करना चाहिये कि पंजाब ने किसी भारत सरकार से या प्लानिंग कमीशन से नहीं पूछा, उन्होंने जो अपना पावर हाउस चलाना था आनन्दपुर का वह चला दिया, आपसे पानी के लिये नहीं पूछा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह। (अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल यादव।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान राज्य विद्युत मंडल पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने विचार रख रहा हूं वह रिपीटिशन न करके संक्षेप में रखूंगा लेकिन साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह थोड़ा समय दें सकें तो आप दे दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : बिजली के एक्सपर्ट हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आप समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुन्दर विचार हों तो सबको सुनने चाहिंये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो चर्चा हो रही है निश्चित तौर से राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने उपलब्धि हासिल की है और उपलब्धि काहे में हासिल की है? देश भर के जितने विद्युत मंडल हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट चार्जेज हैं तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में हैं। यह भी एक उपलब्धि है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने इस बात में भी उपलब्धि हासिल की है कि लाइन लासेज....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पूरे जयपुर जिले की तरफ से बोल जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे पर बोल जायेंगे यह।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि निर्वाचित होने के

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

बाद किसी क्षेत्र, विशेष से उनका विशेष ताल्लुक नहीं रहता, पूरे- राजस्थान से ताल्लुक रहता है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो और जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप पूरे जयपुर का ही बोल जाइये ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कम से कम मेरा प्रतिनिधित्व करो ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपका जरूर करूंगा मैं । राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में जो लाइन लासेज हैं उसमें भी राजस्थान देश के अन्य: प्रान्तों में अग्रणी रहा है । राजस्थान के अन्दर जो विद्युत की दर है, जो उपभोक्ताओं से वसूल की जाती है, अगर राजस्थान के इर्द गिर्द के प्रान्तों से हम मुकाबला करें तो वह दर भी हम सबसे ऊपर चार्ज कर रहे हैं । यह बात सही है कि पावर जनरेशन के ऊपर जो प्रति यूनिट खर्चा हो रहा है वह निश्चित तौर से ज्यादा हो रहा है । वह सभी जगह है । अगर हम उसमें कोई अनुदान, कोई सबसीडी देते हैं तो यह किसी उद्योग या कृषि के लिए नहीं दे रहे हैं । यह हम देश के लिए दे रहे हैं । जैसा आज कल हम देख रहे हैं कि अन्न के मामले में हमारा देश आत्म निर्भर है । इसका प्रमुख कारण देश के किसान और देश में जो विद्युत कनेक्शन है उसका एक मुख्य कारण है । उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत कनेक्शन के ऊपर मैं सीधा आना चाहूंगा । पुरानी नीति के अनुसार जो कनेक्शन हो रहे थे और कल विद्युत मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान में वर्ष 1991-92 के लिए एक नई निर्देशिका तैयार की है और उसकी एक एक प्रति माननीय सदस्यों को भी भेजी है । तो यह दो साल में दो नीति निर्धारण जो हुए उससे विद्युत मण्डल उपभोक्ताओं को क्या लाभ, हानि हुई इसकी ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जो तुरन्त योजना, इमिजिएट पार्टी स्कीम है उसमें भले ही चार चांद लगाने के लिए सदन में और लोगों के सामने यह बात कहें कि हमने किसान को तुरन्त योजना में एप्लाई करने के दो तीन महीने के अन्दर कनेक्शन दिया है लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि तुरन्त योजना में हमने कुछ बड़े और धनी किसानों को लाभ देकर उस गरीब किसान का नुकसान किया है जो 10-12 साल से इस लाइन में बैठा है । इस योजना से राजस्थान में जितना पैसा वसूल हुआ अगर हम उसको केलकुलेट करें और जो पैसा खर्च हुआ उसको केलकुलेट करें तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह योजना विद्युत मण्डल के लिए लाभदायक नहीं रही । मैं चौमूं डिवीजन में स्पेसिफिक कह सकता हूं कि तुरन्त योजना लागू करने के बाद राजस्थान विद्युत मण्डल को करीब 60 लाख का चूना लगा है । जितना पैसा वसूल हुआ उसके मुकाबले में खर्चा ज्यादा हुआ । अब जो नई नीति निर्धारण की है उसमें यहां यह चीज आ रही है कि जो आपको लिटरेचर दे रहे हैं उसमें आई. जी. एस. स्कीम को बन्द कर रहे हैं । विद्युत मंत्री जी ने कहा कि बन्द नहीं कर रहे हैं । तो निश्चित रूप से हमें उसके ऊपर भी कोई निर्णय करना पड़ेगा ।

जहां तक बकाया वसूली का प्रश्न है । इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा । जब

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

विधान सभा में प्रश्न आता है तो एक ट्रैण्ड बन गया है, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का या सरकार का या अधिकारियों का कि वह यह कह कर आते हैं कि जो कुछ बकाया है वह किसानों में बकाया है बिजली की चोरी करते हैं तो किसान करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान विद्युत मण्डल का पैसा सबसे ज्यादा उद्यमियों में बकाया है। कृषकों में बकाया तो बहुत माइनर है और कुछ है भी तो पोकेट्स में हो सकता है। मैं समझता हूं अगर जन प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लें, कुछ सहयोग करें तो वह भी वसूल हो सकता है लेकिन साथ ही विद्युत मण्डल की जो प्रणाली चल रही है उसमें भी हमें निश्चित रूप से सुधार करना पड़ेगा। मैं इसके लिए कुछ सुझाव माननीय विद्युत मंत्री जी को देना चाहूंगा जिनके तहत वह कुछ सुधार की बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान में जो अकाल की स्थिति बनी हुई है विद्युत मंत्री जी, आप राजस्थान में जितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनकी तुरन्त सप्लाई करने की व्यवस्था कीजिए और मैं इसलिए कह रहा हूं जैसे चौमूं डिवीजन की आज सुबह तक की मुझे जानकारी है। यहां 20 ट्रांसफार्मर पिछले तीन सप्ताह से जले हुए पड़े हैं। आपका जो वहां पावर हाउस आफिस है वह किसी डिवीजन में ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं दे रहा है, वर्षा हो नहीं रही है और उनके जलने की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो जले हुए ट्रांसफार्मर्स को री-प्लेस करिये और मेरी यह भी सलाह है कि जितने ट्रांसफार्मर 100, 63, 25 के. वी के हैं आप उसका एक प्रतिशत, आधा प्रतिशत डिवीजन लेवल पर स्टोर कायम कीजिए ताकि कोई ट्रांसफार्मर जलता है तो उसका री-प्लेसमेंट जल्दी से जल्दी हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा इन ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग का जो काम है वह प्राईवेट कंपनियों या पर्सन्स को दे रहे हैं उसको समाप्त कीजिए। डिवीजन लेवल पर जिस प्रकार की व्यवस्था पहले थी वैसी कायम कीजिए। ट्रांसफार्मर पर रिपेयरिंग का वार्षिक खर्चा होता है हजार या पांच सौ का और उसका चार्जेज का बिल निश्चित रूप से दो हजार से दस हजार तक आता है। मैं कहना चाहूंगा जो प्राईवेट फर्में हैं उनमें ट्रांसफार्मर कितने आते हैं इस बात का भी कमीशन विद्युत अभियन्ताओं को दिया जाता है कि किस डिवीजन से कितने ट्रांसफार्मर हम लाते हैं इसका भी कमीशन मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान विद्युत मण्डल में जो अभियन्ता, इंजीनियर, एक्सपर्ट हैं, अच्छे अनुभवी हैं और वहां पहले भी इस तरह की रिपेयरिंग हुआ करती थी। एक्स. ई. एल. लेवल पर इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि यह ट्रांसफार्मर हमारे लेवल से रिपेयर नहीं हो सकता। वह ट्रांसफार्मर प्राईवेट कंपनी में या प्राईवेट ट्रैडर्स के पास जाना चाहिए बाकी डिवीजन लेवल पर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

कनेक्शन जारी करने में जो भ्रष्टाचार होता है। उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जब पी. यू. सी. के चेयरमैन थे, हम भी

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

उसके मेम्बर थे। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कनेक्शन के बारे में चर्चा हुई, आपने निर्देशिका में प्रकाशित किया है कुछ सुझाव हमने दिये, उनके अनुसार अगर आप उनकी क्रियान्विति करते तो मैं समझता हूं कि जो कनेक्शन जारी करने में भ्रष्टाचार की बू आती है वह समाप्त हो सकती थी उसी सन्दर्भ में कहूंगा कि जे ई. एन. के द्वारा जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है उसकी तीन प्रतियां बनाई जाय और एक प्रति उपभोक्ता को निश्चित रूप से एट दी टाइम आफ मेकिंग दी एस्टीमेट दी जानी चाहिए और सामान्य प्रार्थना पत्र जो 10–12 साल से लम्बित हैं आज उस किसान के कुंए पर पानी खतम हो गया, वह किसान खतम हो गया उसके लड़के के नाम कनेक्शन देना है या वह अपनी जमीन किसी दूसरे किसान के नाम ट्रांसफर कर देता है ऐसे लम्बित जो प्रार्थना पत्र हैं उनमें राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर जो चैंजिंग आफ नेम है उसकी एक निश्चित अवधि तय कीजिए कि एप्लीकेशन आने के 2–3 महीने में उसका नाम परिवर्तन कर देंगे। कनेक्शन के जो ट्रान्सफर होते हैं उनकी भी अवधि तय कीजिए ताकि भ्रष्टाचार की आम किसान के सामने जो दीवार खड़ी होती है उससे उसको मुकाबला नहीं करना पड़े।

"एल" फार्म का आपका प्रारुप है उसको बदलने की जरूरत है। जो अंग्रेजी में "एल" फार्म देते हैं, मेरा सुझाव है उसको हटा दीजिए एक छोटा शार्ट एण्ड स्वीट हिन्दी में छपवाइये और उसका पार्ट आफ दी "एल" फार्म एक रसीद रखिये ताकि वह रसीद की प्रति फाड़ कर उपभोक्ता को दे दी जाय। यह इसलिए कह रहा हूं कि कनेक्शन जो जारी करते हैं उनकी प्रायोरिटी "एल" फार्म से भी तय होती है और उसमें निश्चित रूप से उपभोक्ता को भ्रष्टाचार का मुकाबला करना पड़ता है, भ्रष्टाचार में फंसना पड़ता है। ए. ई. एन. और जे. ई. एन. यहां तक करते हैं कि किसी का "एल" फार्म आये, किसी का नहीं आये उसको उठा कर फेंक सकते हैं, फाड़ कर एक टोकरी में डाल सकते हैं। बाद में दिये हुए "एल" फार्म को पहले ले सकते हैं, दूसरा मैं यह भी कहूंगा कि "एल" फार्म के अन्दर ही.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 10 मिनट हो रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो डी. एन. जारी होता है उसमें भी एक चीज अंकित हो जानी चाहिए वह यह कि उपभोक्ता की फिटिंग फलां तारीख को चैक की जाएगी। अगर डी. एन. में यह कालम दे दिया जाय तो उपभोक्ता बिजली बोर्ड के किसी जे. ई. एन. के चक्कर नहीं काटेगा और न कोई पैसा देने की बात करेगा। साथ ही उसमें कर दिया जाना चाहिए कि फिटिंग सही पाई गई तो तीन दिन में जोब आर्डर जारी हो जाएगा। जोब आर्डर जारी करने के लिए, "एल" फार्म चैक करने के लिए, एस्टीमेट बनाने के लिए अगर हम निश्चितता कायम कर देंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जो बू आती है वह समाप्त हो जाएगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लाइन

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

कम्पलीट होने के 7 दिन के अन्दर, 10 दिन के अन्दर, 15 दिन के अन्दर, आप एक निश्चित अवधि तय कीजिये कि लाइन कम्पलीट होने के इतने दिन में कनेक्शन इश्यु कर देंगे ताकि उपभोक्ताओं को भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लेना पड़े। साथ ही वर्ष 90-91 के पेंडिग या बकाया कनेक्शन को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाना चाहिये। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप आई. पी. एस. स्कीम के बारे में कह रहे हैं। मैंने मेरी सलाह पहले ही दे दी है कि आप आई. पी. एस. स्कीम को समाप्त कर दीजिये लेकिन जो पैसा जिनका जमा है, आई. पी. एस. स्कीम के एक पार्ट में जो पैसा जमा हो गया, दूसरा पार्ट अब वसूल होना है, जिसमें सिक्योरिटी के नाम से पैसा जमा हो गया, उन कनेक्शन को तो आप चालू वित्तीय वर्ष में कनेक्शन दीजिये।...

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : और जिनका कोई डिमान्ड नोटिस जारी होकर के पैसा जमा नहीं हुआ या इस आई.पी.एस. स्कीम के उन प्रार्थना पत्र को साधारण में कन्वर्ट करें, उनके 1000 रुपये जमा है, उसको रिफण्ड करे तो 10–12 साल से जो किसान बैठे हुए हैं, उनके साथ न्याय होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मार्च 82 के पूर्व के जो लम्बित प्रार्थना पत्र है, जिनमें बोर्ड ने यह कहा कि इंजीनियर्स ने टेम्परेरी पेंडिंग एप्लीकेशन का किया है इसका लागत मूल्य 50,000 रुपया आता है टेम्परेरी इसको पेंडिग किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रार्थना पत्रों को निश्चित तौर से इस चालू वित्तीय वर्ष में कनेक्शन दिये जाय और कनेक्शन की संख्या के आधार पर आप सब डिवीजन, डिवीजन और सर्किल्स का पुनर्गठन कीजिये। माननीय विद्युत मंत्री जी, राजस्थान विद्युत बोर्ड में पिछले 20 साल में आपने चीफ इंजीनियर्स की कितनी पोस्ट क्रिएट की है। बस आप देखेंगे और उसके मुकाबले आपने कितने सर्किल्स बनाये हैं, कितने डिवीजन और कितने सब डिवीजन बनाए है तो उस साइड में आएगा निल और जहां एक ही चीफ इंजीनियर हुआ करता था, आज 12-12, 13-13 चीफ इंजीनियर्स हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां 3000-4000 कनेक्शन पर एक सब डिवीजन हुआ करता था, आज वही 30,000 तक हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आमेर विधान सभा क्षेत्र के विधायक जब बोलेंगे तो कहेंगे कि एक विधायक को अपने एरिये में कनेक्शन के मामले में 6 ए. ई. एन. आफिर्स से सम्पर्क करना पड़ता है। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें सुधार कीजिये। नए सर्किल, डिवीजन और सब डिवीजन कायम कीजिये ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

लाइन लोसेज जहां है, 20 सालों में आपने लाइन खींची थी, उसको दुबारा आज तक चैक नहीं किया। लाइन लोसेज नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए आप इस अभियान चलाइये और अभियान के जरिये उन लाइनों को वापस चैक कीजिये ताकि लाइन लोसेज का आपका परसेन्टेज नीचे आये। इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तीन कोआपरेटिव सोसाइटीज को डेट्स के बतौर दिया है। अगर कोई दूसरी सोसाइटीज के एरियाज में चाहे वैसे तो तीनों का कार्य इतना असफल रहा है और इसमें सरकार को नुकसान भी है इसलिए मेहरबानी से को-आपरेटिव सोसाइटी को भंग करके और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर जिले की कोटपूतली में जो कोआपरेटिव सोसायटी है उसको निश्चित तौर से भंग करके वापस राजस्थान विद्युत बोर्ड को उसका वितरण कार्य और सारी व्यवस्था को दिया जाय ताकि वहां के उपभोक्ता और किसानों को उससे लाभ मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ यह उम्मीद करूंगा कि इस 91–92 के वर्ष के लिए जो मामले पेंडिंग हैं, आपका प्लान है, उनको आप पूरा करें और इसमें प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तफा खान।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारा है....

श्री उपाध्यक्ष : 2-3 बोल चुके हैं। नेकस्ट आपका आ रहा है। जस्ट आपका ही आ रहा है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 44 वर्षों में पहली बार 25,000 ट्यूब वैल्स को कनेक्शन दिये, ऐसा कीर्तिमान पहली बार बना है। मंत्री जी 33,000 बता रहे हैं। खास तौर से नागौर जिले के अन्दर पिछली बार 2000 कनेक्शन दिये गये और नागौर जिले का आधा जिला तो सबसब्ज हो गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन पिछली साल जो कनेक्शन नागौर जिले में दिये गये, उनमें अव्यवस्था और भ्रष्टाचार भी रहा जिसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

व्यवस्था इतनी खराब है कि ट्रांसफार्मर्स आज भी किसानों के और दूसरे लोगों के घरों में पड़े हुए हैं। राजस्थान में ऐसा कोई डिपार्टमेन्ट नहीं होगा जहां पर इस तरह की व्यवस्था हो। एक छोटी सी चीज भी अगर किसी डिपार्टमेंट से जाती है तो उसका इन्द्राज होता है लेकिन ट्रांसफार्मर, बिजली के खम्भे और दूसरे ऐसे आर्टिकल्स अनगिनत पड़े हैं। विभाग को पता भी नहीं है कि उनका सामान कहां पड़ा है। इस तरह से जो सामान बेकार पड़ा है और वह मिसयूज हो रहा है, उसकी तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। अव्यवस्था और भ्रष्टाचार दूर करने का एक तरीका यह है कि हर जिले में एक ऐसी समिति बनाई जाय जो एग्रीकल्चर कनेक्शन और उद्योग

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

कनेक्शन के लिए जिसमें तीन तो विधायक हो, एक एस. ई. हो और दो एक्स. ई. एन. हो और ये 6 व्यक्ति बैठकर प्रायोरिटी तय करें। हर गांव की प्रायोरिटी हो, उसके बाद में कनेक्शन दिये जाय। इससे भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि डिमान्ड नोटिस, एप्लीकेशन, एल फार्म की जो व्यवस्था है वह बहुत खराब है। उसको जब तक सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, एप्लीकेशन देने के बाद में डिमाण्ड नोटिस के लिए समय निश्चित कीजिये। पिछले साल भर में मैंने देखा कि डिमाण्ड नाटिस विभाग से तो निकल जाता है लेकिन कृषक या उपभोक्ता को पहुंच नहीं पाता है। झूठी एण्ट्री उसकी हो जाती है तो व्यवस्था यह करनी चाहिये कि कम से कम रजिस्टर्ड लैटर से डिमान्ड नोटिस भेजा जाय। इसके अलावा जब "एल" फार्म के लिए उसको लिखा जावे तो भी रजिस्टर्ड लैटर से नोटिस भेजा जाये और निश्चित रूप से "एल" फार्म की रसीद दी जाये। इससे भी भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा "एल" फार्म लेने की एक तारीख निश्चित कर दी जावे कि इसके बाद में आपको कनेक्शन दे दिया जावेगा। एक निवेदन मेरा यह है कि आर. एफ. सी. के लोग उद्योगों में होते हैं तो वह तो मिल जाता है काफी समय पहले, इण्डस्ट्रीज बिल्कुल तैयार हो जाती है लेकिन उद्योगपति बिजलीघर के चक्कर लगाकर परेशान हो जाता है। उसको जितना भी लोन लेना रहता है और उसको जब किश्त जमा कराना शुरू करना पड़ता है और पैसा इतना खर्च करना पड़ता है, फिर भी उसको कनेक्शन नहीं मिलता है जिससे इण्डस्ट्रीज फैल हो जाती है तो ऐसी कोई व्यवस्था की जाय कि लोन आर. एफ. सी. से उसे मिले, उसकी इण्डस्ट्री तैयार हो, उससे पहले उसे कनेक्शन मिल जाय।

मैं कुछ समस्या मेरे नागौर क्षेत्र की कहना चाहता हूं। नागौर के अन्दर करणूता में इतनी बड़ी लम्बी लाइन है, मेरे ख्याल से पूर हिन्दुस्तान भर में ऐसी लाइन नहीं है। 150 के. बी. की लाइन है। बीक में कोई भी फीडर लगा हुआ नहीं है। पता नहीं किस इंजीनियर ने ऐसी लाइन बनाई है तो उससे अव्यवस्था यह रहती है कि एक जगह डिफाल्ट होने से 50-60 गांवों में पूरी जगह की लाइन बन्द करनी पड़ती है। बीच में कोई भी जी. एस. एस. नहीं है। पिछले चार-पांच सालों से लोग मांग कर रहे हैं डेड और देउ दो ऐसे स्थान है जहां पर 33 के. बी. का जी. एस. एस. लगाया जाय। राजस्थान सरकार ने भी कई बार घोषणा की कि यहां पर जी. एस. एस. बनाये जायेंगे लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। दोनों मंजूर है लेकिन उन पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। माननीय मंत्री महोदय को मैंने मौके पर ले जाकर दिखाया। माननीय मंत्रीजी खुद आए और एक छोटे से फाल्ट की वजह से 3 घण्टे तक लाइन बंद रही। उससे पी. एच. ई. डी. की सारी स्कीमस बन्द हो जाती हैं। गांवों के अन्दर 2–2 दिन तक, 3–3 दिन तक, 4–4 दिन तक पानी नहीं मिलता है। तो मेरा निवेदन यह है कि

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

जब तक जी. एस. एस. नहीं बनाया जायेगा, पूरे नागौर क्षेत्र को हमेशा बिजली के अभाव में रहना पड़ेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि उन दोनों को पूरा किया जाय। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि बरसिंगसर की लाइन आ रही है 220 के. वी. की। नागौर जिले में 220 के. वी. की लाइन नहीं है। बरसिंगसर की स्कीम बनाई गई है जो मेड़ता लाइन जा रही है वह नागौर के बिल्कुल पास से निकाली जा रही है तो मेरा निवेदन है कि नागौर से 2-4 किमी. पास से निकाली जाती है तो 220 के. वी. का जी. एस. एस. नागौर में बनाया जाय। फिर उस लाइन को मेड़ता ले जाई जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नक्शा जो पेश किया गया है, इससे ऐसा लगता है कि जैसलमेर और बाड़मेर इन दोनों क्षेत्रों के अन्दर एक भी लाइन नहीं खींची गई है। न लाल, न रही, न आसमानी, मतलब इन क्षेत्रों को बिलकुल इग्नोर कर दिया गया है। जो पोजीशन है वह 1947 की जैसी लगती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह का नक्शा तो कम से कम नहीं रखें। समानता तो होनी चाहिये और वहां पर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप माननीय सदस्य। श्री ईश्वर लाल जी सैनी।

(7.00 रात्रि)

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज 1991-92 की विद्युत बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन और सुझाव है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। राजस्थान में कृषि होती है लेकिन उसका काफी हिस्सा पशुपालन पर निर्भर करता है। किसान की रीढ़ की हड्डी विद्युत है। बिना विद्युत के हमारा किसान आज की तारीख में कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात तो यह है कि कुछ हिस्सों में अगर हमारे किसान को बिजली उपलब्ध हो जाये तो कृषि का प्रोडेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आज अगर किसानों को कुएं पर बिजली फ्री कर दें तो हर किसान बिजली लेने को तैयार है। हमारी बदकिस्मती है कि राजस्थान में एक, दो जिलों को छोड़कर पानी की कोई सुविधा नहीं है। हम केवल कुओं पर निर्भर करते हैं। पूर्वी राजस्थान में तो कहीं से भी कोई पानी नहीं आता, ना ही वहां कोई बड़ा बांध है। हमारे सारे किसान कुओं पर निर्भर करते हैं। आज हमारे लिए सोचने की बात यह है कि हमारे किसान पैसा खर्च करते हैं, बिजली लेने के लिए भी तैयार हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। वह इंजन लगाते हैं। इंजन और बिजली की मोटर की कीमत में बहुत अन्तर है, वह बहुत खर्चे में बैठता है। उसके बाद भी हमारे गांवों में अधिकतर लोग आज भी डीजल इंजन से पानी निकालकर अपने खेतों को पानी देते हैं। आज अगर हमारे किसानों को यह राहत मिल जाये कि बिजली उपलब्ध हो जायेगी तो निश्चित तौर पर किसान, उसकी खेती और प्रोडेक्शन, कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 1990-91 में जब सदन में बजट मीटिंग हुई थी, हमने बहुत

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

हल्ला किया था। मैंने निवेदन किया था कि पुरानी नीति किसान विरोधी नीति है। पूर्व में कुंओं के कनेक्शन लेने के प्रार्थना पत्र पर जो 25 रुपये थे, उसको एक हजार कर दिया। प्राथमिक योजना और कुओं की तात्कालिक योजना निकाल दी। जिसमें मैं केवल मात्र अलवर की बात करता हूं, मेरे क्षेत्र की ही नहीं, सारे अलवर की बात करता हूं। पिछली बार हमारे जो गरीब किसान थे, वह इस बिजली से महरूम रह गये। बड़े-बड़े किसान, और आजकल बड़े किसान कौन हैं? जो दिल्ली, जयपुर, बम्बई, आगरा में कई सेठ बैठे हैं, उन्होंने 20-20, 40-40, 50-50 बीघा जमीन खरीद ली है, उनको सबको बिजली उपलब्ध करा दी गई। किसानों को बिजली मुहैया नहीं हुई। आज किसानों की हालत यह है कि वह कुंओं की बिजली के लिए तड़फ रहे हैं, पानी निकालने से महरूम हैं। आपको पता है कि इस वर्ष बारिश आई लेकिन बहुत देरी से आई। अब बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। पिछली बारिश में जो थोड़ी सी फसल बोई गई थी, वह भी सूख रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस साल 25 हजार कनेक्शन की आपने बात कही है। अगर आपने 25 हजार से अधिक कनेक्शन नहीं दिये तो हमारा किसान वर्ग बहुत परेशान हो जायेगा। इस सन्दर्भ में यही कहना चाहूंगा कि जो पिछली नीति थी, पिछली दफा हमने सदन में कुछ बात रखी थी। एक तो यह रखी थी कि ऐसे अधिकारी को चेयरमैन बना दिया जो आई. ए. एस. था, उसको कुछ पता नहीं था और मजे की बात तो यह है कि उस आई. ए. एस. को और उसके साथ पी. डी. माथुर, जो चीफ इंजीनियर था। उसको विदेश की सैर करा दी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपके द्वारा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आज वह दोनों अधिकारी, एक तो डेढ़ साल में रिटायर होने वाला है। मैंने मुख्यमंत्रीजी को पत्र भी लिखा था कि इनको आप विदेश किस लिए भेज रहे हो। पी. डी. माथुर जो चीफ इन्जीनियर है, वह एक, डेढ़ साल में रिटायर होने वाला है। इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसकी सेवा का लाभ मिल सके। दूसरे एक आई. ए. एस. को भेज रहे हो, जिसको आप कभी भी बदल सकते हो, लेकिन फिर भी भेज दिया और लाखों रुपया जिस वक्त हमारी फोरेन करेन्सी की हालत खराब थी, अपने परिवार के साथ वह खर्च करके आ गये। उस समय तो सुमित्रासिंह जी मंत्री थीं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज उनकी क्या उपलब्धता है, उस आई. ए. एस. अधिकारी की भी और जो रिटायर हो गये उनकी? उनसे हमको आज क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा होता कि अगर हम कोई टेक्निकल अधिकारी को, जिनकी उम्र कम होती, भेजते तो वह दस, पन्द्रह, बीस साल तक टेक्निकल योग्यता जो वहां प्राप्त करते जिससे हमको लाभ होता। इसी सदन में पिछली दफा बहस हुई थी, हमने निवेदन किया था कि इस अधिकारी को बदलो, बहुत से टेक्निकल अधिकारी हैं, उनको बनाइये। जो विद्युत योजना है, तुरन्त योजना है, वह किसान विरोधी योजना है। इसमें और भी पाइण्ट थे। उस आई. ए. एस. ने खुद ने भी आदेश निकाले थे। एक

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

के बाद एक आदेश बदल गये। जब एक समझ में नहीं आया तो दूसरा और सबसे पहले वह जो आदेश निकालते थे, उनको अपनी पब्लिसिटी के लिए पेपरों में पब्लिश करवाते थे। यह तो आपने देखे होंगे, पेपर वही हैं। जिनमें हमारे तत्कालीन विद्युत मंत्री से उनकी बनती नहीं थी, उनका हुक्म नहीं मानते थे। आखिर उनको सार्वजनिक रूप से प्रेस में एक स्टेटमैण्ट देना पड़ा कि मेरा चेयरमैन मेरी बात ही नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है। तो यह हालत थी, इसलिए हमने इसका विरोध किया। मुझे खुशी है हमारे पिछले अधिवेशन में विरोध के बाद आपने उस अधिकारी को बदला, टेक्निकल आदमी को चेयरमैन बनाया और जो सारी किसान विरोधी नीति है, उसको बदल कर आपने जो नीति दी है, जो किसानों के पक्ष में है, मैं उसकी सराहना करता हूं। मुझे उसमें भी कुछ कहना है कि वैसे तो आपने तात्कालिक....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा शार्ट कीजिए आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : पैरा 9 में दिया है कि अविद्युतीकृत गांवों में तुरन्त प्राथमिक योजना के अन्तर्गत कनेक्शन देने की योजना समाप्त की जाती है, इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है। चूंकि यह मांग कल भी उठी थी और हमारे मंत्रीजी ने सदन को आश्वस्त किया था कि यह योजना हमने बंद नहीं की है, लेकिन इसके पैरा 9 में यह है कि हमने बंद कर दी है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि मैं तात्कालिक योजना का घोर विरोधी हूं, लेकिन चूंकि लोगों ने पैसा जमा करा रखा है इसलिए उन्होंने यह आश्वासन दिया है। इनको आप कनेक्शन दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन उसमें हमारे किसानों के लिए कमी नहीं करें। जितने विद्युत कनेक्शन हमारे किसानों को दिये जायेंगे, उनमें से एक भी कम नहीं होगा और इस अकाल की स्थिति में, मैं तुरन्त योजना चालू करने के बहुत खिलाफ हूं। यह किसान विरोधी योजना है, इससे गरीबों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए विद्युत मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में किसानों को जो बिजली दी जा रही है, इस वर्ष, उसको आप नहीं काटें। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में जो अकाल की स्थिति है, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में तो बुवाई ही नहीं है और जो थोड़ी सी बुवाई हुई थी, वह जल चुकी है, इसलिए आप वहां पर अधिक कुओं के कनेक्शन देंगे। मेरा मतलब है कि जो 25 हजार का टारगेट आपने रखा है, उसको आगे बढ़ायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक मेरा पाइण्ट और रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, संक्षेप में बता दीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : 1990–91 में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

कि ई. एच. वी. एक्सट्रा हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर थे, वह क्यों नहीं खरीदे गये ? एक बात। अगर ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे गये तो फिर छोटे ट्रांसफार्मर चाहे वह 25, 63 या 100 के हों, उनके खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह छोटे ट्रांसफार्मर कई गांवों में खरीदे गये हैं। जिसने भी सप्लाई कर दिया है, उसी से खरीद लिये गये हैं और आज वह सारे ट्रांसफार्मर जल गये हैं। मैं इसका जवाब चाहूंगा। अगर आपने ई. एच. बी. के ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे हैं तो उसकी क्या वजह थी, उसका जिम्मेवार कौन था और उसके जिम्मेवार को आप क्या सजा दे रहे हैं। जब वह ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे गये, तो छोटे ट्रांसफार्मर की राजस्थान में कोई भी आवश्यकता नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप। माननीय महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम विद्युत की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले बजट भाषण में चिन्ता प्रकट की गई थी और हम जानते हैं कि हर वर्ष बिजली की मद में बजट का सबसे ज्यादा आवंटन होता है। इस बार भी बजट का 27.23 परसेंण्ट 317.91 करोड़ हमने इस मद में रखा है। बिजली बोर्ड की हालत इस प्रकार की क्यों हुई ? कुछ कारण तो यह है कि हम कम रेट पर बिजली बेचते हैं और ज्यादा रेट पर खरीदते हैं।

मेरा दूसरा यह भी कहना है कि हमने कोई उत्तरदायित्व किसी अधिकारी पर नहीं रखा। जैसे रेल्वे डिपार्टमेण्ट में उत्तरदायित्व हर व्यक्ति का निश्चित है कि कौन आदमी क्या काम करेगा और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिये उसको दण्ड, सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन आर. एस. ई. बी. में उत्तरदायित्व नाम की कोई चीज हमने नहीं रखी और इसलिये वहां पर उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी कोई है ही नहीं। इसलिये आज बिजली की चोरी होती है। हम किसी को गाली निकाल कर चले जाते हैं। हमारा एक सिस्टम है। जहां से हमारा विद्युत वितरण होता है। कितना वितरण हो रहा है, कितने बिल बन रहे हैं, कितना कन्जम्प्शन हो रहा है, कितना लोसेज हो रहा है, यदि उस सिस्टम पर ध्यान दिया जाय तो मैं समझता हूं चोरी उसमें रुक सकती है। लेकिन जहां लोसेज हो रहे हैं वहां पर किसी प्रकार की हम चिन्ता नहीं करते। जहां चोरी हो रही है, 40–40 और 50–50 पर्सेण्ट जहां पर लोसेज हो रहे हैं वहां पर हम किसी प्रकार की कोई रैड नहीं डालते, किसी प्रकार की कोई चैकिंग नहीं करते और हम केवल चर्चा करते हैं कि चोर फलां ही है। हम तो चोर हो नहीं सकते, मैं नहीं कहता हूं कि कौन चोर है, कौन चोर नहीं है। चाहे वह इण्डस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे किसान हो। छोटा किसान चोर नहीं है। चोर यदि है तो बड़ा आदमी है। चाहे वह व्यापारी हो, इण्डस्ट्रियलिस्ट हो, किसान हो। मैंने एक सवाल पूछा और कल उसका जवाब आया और उस जवाब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि 1750 उपभोक्ताओं का लगभग 5 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। उसमें इण्डस्ट्रियलिस्ट

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

भी है और उसमें किसान भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह जवाब दिया गया कि कनेक्शन नहीं काटे गये है उसका कारण अदालत में विचाराधीन है। विद्युत मंत्रीजी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1750 उपभोक्ता हैं जिनमें बकाया चल रहा है उनमें केवल 39 में ही कोर्ट केस है। बाकी केस कोर्ट में नहीं है। आपने यह भी सूचना दी है कि 1984 से, 1985 से, 1986 से, 1987 से उनकी बकाया चल रही है। मैं आपकी सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि जब से उन्होंने कनेक्शन ले रखा है तब से उनकी बकाया चल रही है। किसी की 1962 से चल रही है, किसी 1965 से चल रही है तो किसी 1975 से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बिजली बोर्ड घाटे में जाता रहेगा। सारे के सारे लोसेज हो रहे हैं, वहां मीटर भी नहीं लगा हुआ है और घर बैठ कर रीडिंग नोट की जाती है और घर में ही उनको बिल पहुंच जाता है और उसको चुकाना ही नहीं पड़ता है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय सदस्य आपने जो कनेक्शन काटने की बात कही है। विद्युत मण्डल ने तो यह तय कर दिया कि बकाया पैसा वसूल करने के लिये कम्प्रोमाइज कमेटी गठित कर रहे हैं इसलिये काटने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप काटे नहीं काटे विद्युत बोर्ड यह कह दे कि हम तो उनको....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आप कृषि की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं, उद्योगों के अन्दर पैसा बकाया है। पांच करोड़ रुपये एक जिले में नहीं एक एक उद्योग के अन्दर पांच करोड़ से ज्यादा बकाया होगा। लेकिन उनके कनेक्शन नहीं काट कर उनके लिये कम्प्रोमाइज कमेटी तक कर ली है और यह राजस्थान विद्युत मण्डल का सबसे बड़ा घाटा साबित होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने किसानों की बात कब कही है। मैंने कहा चाहे इण्डस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे किसान में हो और यदि चोरी कर रहे हैं तो राजनैतिक प्रभाव को.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जो पैसा बकाया है, कम्प्रोमाइज कमेटी तक की है, गवर्नमेण्ट उसको क्यों नहीं निरस्त करती।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कम्प्रोमाइज करें लेकिन चोरी कोई भी करे इस बात को बर्दास्त नहीं किया जा सकता। चोरी यदि इण्डस्ट्रियलिस्ट करे तो मिलकर इण्डस्ट्रियलिस्ट से यह कह दें कि आपका कम्प्रोमाइज करवा दूं। यह अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता। आप भले ही कितने प्रभावशाली होंगे, एल. एल. ए. होंगे, एम. पी. होंगे, मिनिस्टर होंगे लेकिन चोरी करने की परमिशन और प्रोत्साहित करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। और जिनकी इस तरह की प्रवृत्ति है वह छोटा किसान और छोटा आदमी नहीं है वह बड़ा आदमी ही है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सदस्य यह हमने नहीं किया है, यह

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

राजस्थान विद्युत मण्डल ने व्यवस्था की है, विधायकों ने तो इसका विरोध किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादव साहब ठीक कह रहे हैं, वह गलत नहीं कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने यदि विरोध किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तो यही कहना चाहता हूं। विरोध किस बात का है। यदि आपने यह बात कही है और विद्युत मण्डल ने गलत निर्णय लिया है, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। विरोध किस बात का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड में चेयरमैन आर. सी. दवे साहब आये हैं। मुझे याद है कि जब मैं 1980 से 85 तक पिछली बार विधायक था। टौंक में बहुत कम इलैक्ट्रिफाइड था और जी. एस. एस. भी नहीं था। जब हम उनसे मिले और हमने कहा तो उन्होंने तुरन्त हमसे यह वायदा किया कि एक महीने के अन्दर आमरा लाइन का काम होने के बाद आपके यहां काम करवा दिया जायेगा और उन्होंने 132 जी. एस. एस. एक महीने के अन्दर लगवा दिया। जबकि सारे अधिकारी मना कर रहे थे। तो उनको तकनीकी ज्ञान है, उनमें एफिसियेन्सी हैं उसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन आपको उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा। मैं इतना सा निवेदन करते हुये टौंक के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। टौंक जिला राजस्थान में सब से कम इलैक्ट्रिफाइड है। अभी श्री परसराम मदेरणा साहब कह रहे थे कि वहां पर केवल 7-8 गांव ही विद्युतीकृत हुये हैं। आप क्योंकि प्रभावशाली मंत्री रहे हैं, आपने अपने क्षेत्र में पूरा इलेक्ट्रिफाइड कर लिया लेकिन यह जो बैलेन्स बिगड़ गया, विकास की गति को रोक दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां सारे राजस्थान में 100 पर्सेण्ट इलैक्ट्रिफाइड हो गया वहां पर टौंक में केवल 40 से 50 पर्सेण्ट इलैक्ट्रिफाइड है। तो इलैक्ट्रिफाइड को तुरन्त बेलेन्स किया जाय। आज 4, 4-5, 5 गांव ही विद्युतीकृत करने की योजना बना रहे हैं। मैं समझता हूं, हमारे कृषि मंत्रीजी यहां बैठे है, हमारे टोडारायसिंह के विधायक भी यहां बैठे हैं, उनियारा, टौंक में सब जगह हालत इस प्रकार की है कि किसी प्रकार का इलैक्ट्रिफाइड नहीं है और यदि है तो वहां पर 33 के. वी. लाइन खींच कर सब डिवीजन बनाना चाहिये, स्टेशन बनाना चाहिये लेकिन वहां पर है नहीं उसके कारण से वोल्टेज नहीं मिलते। 33 के. वी. का सब स्टेशन बनना चाहिये वह बन नहीं रहा है। 1982-83 की योजना स्वीकृत है आज तक उस योजना के गांव विद्युतीकृत नहीं हुये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो तीन साल के लिये स्कीम बनी है जिसका ऋण, जिसका पैसा आपने लिया है वह पैसा गया कहां ? उस योजना के अनुसार क्यों नहीं काम हुआ। 33 के. वी. का स्टेशन 1984 में बन जाना चाहिये था आज तक नहीं बनने का क्या कारण रहा ? आज देवली में, आज नगर में हमारे होम मिनिस्टर यहां यहां पर बैठे हैं, इनके सारे क्षेत्र में लोसेज है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप केबिनेट में बिराजते हैं। आप अपने प्रभाव का उपयोग करिये और टौंक पीछे रह गया है उसको आगे लाइये।

Page No. 208

(208)

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : मैं तो आपके प्रभाव से ही प्रभावित हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह कहना चाहता हू कि टौंक में पानी है, पानी की कमी नहीं है बिजली के उपभोग की कमी नहीं है। लेकिन कमी इस बात की है कि हमारी इच्छा शक्ति कम है और हम अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी तत्काल जहां-जहां 33 के. वी के सब स्टेशन बनाने हैं, जो स्कीम के अनुसार आवश्यक हैं। उनकी तुरन्त व्यवस्था करायें और जो इलेक्ट्रीफिकेशन एज पर स्कीम होना चाहिए वह होना चाहिए। अन्यथा वहां की जनता आन्दोलन करेगी और हम-आपको संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं एक जो घाटा हो रहा है उसके बारे में बता दूं। मैं आडिट रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1987-88 की रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें 15.24 करोड़ रूपया किससे लेना है यह बोर्ड को पता ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यापारिक संस्था है। जो व्यापार करता है, उसको पता नहीं है, कि 16 करोड़ रुपया हम को किससे लेने है। एक हम ने 84 में ट्रान्सफारमर्स ठीक करने के लिए एक कम्पनी को सारे राजस्थान के के उठाकर दे दिये उससे कोई समझौता नहीं हुआ और सारे ट्रान्सफारमर्स वहां फंसे पड़े हैं। विद्युत बोर्ड उनको नहीं ला पा रहा है। आप यह बतायें कि घाटे में नहीं जायेंगे तो क्या होगा। राजस्थान की जनता की जो कमाई है, पसीने की कमाई है वह किस प्रकार से बरबाद हो रही है और उसको हम किस प्रकार से बर्दाश्त कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि इस प्रकार से देख रहे हैं कि चोरियां हो रही हैं। और हम कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए कन्वर्ट कर दीजिए। राजस्थान की जनता के साथ इस प्रकार का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं चाहता हूं यह व्यवस्थाएं ठीक हों। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे यहां की को-आपरेटिव की स्कीम को रीकाग्नाइज किया और को-आपरेटिव मिनिस्टर के बजाय कल उन्होंने जवाब दिया था।

मैं तीन चार मुद्दों पर अपनी बात प्रकट करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था हम समान रूप से विकास में भागीदार बनाना चाहते हैं और हमारे यहां पर कांग्रेस, भाजपा, जनता दल के लोगों में फर्क नहीं समझते हैं। मैं इसका एक नमूना उपाध्यक्ष महोदय, यहां पेश करना चाहता हूं। मेरे अपने गांव महुआ तहसील के खेड़ला में 33 के. वी. का सब स्टेशन बनने वाला था, मंजूर हो गया, योजना वहां तक ही थी। हिण्डोन से जो लाइन डाली थी, 33 के. वी का सब स्टेशन बनने वाला था वहां से ही उसको टेप करके कनेक्शन देना था और जिस जगह

(श्री हरिसिंह)

जो जमीन तय की थी वह पांच बीघा और 13 बिस्वा चक। खेड़ला सरपंच ने बोर्ड को लिखकर दे दिया कि वहां पर बना दो लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण 72 पोल खड़े। करके उसको दूसरे गांव में ले गये और बोर्ड को आठ लाख रुपये के नेट लोस में डाल दिया। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि वहां 33 के. वी. का सब स्टेशन ऐसी जगह है जहां रिकार्ड में लिखा हुआ है कि गैर मुमकिन सिवाय चक जमीन है और लो लेवल एरिया है। वहां पर बना दिया। मैं चीफ इंजीनियर से मिला और कहा यह तो तकनीकी रूप से भी सही नहीं है। आप यहां पर कैसे बना रहे हैं। इस जमीन में तो पानी निकलेगा। कहने लगे तकनीकी बात तो हम लेंगे लेकिन जो तकनीक के ऊपर पोलिटिकल सवाल है उसका हम क्या करें? यह न्याय है आपका? सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष में कैसे आप फर्क डालते हैं।

मैं एक निवेदन और कर दूं यहां पर ट्रान्सफारमर लगा दिया गया पर दुर्भाग्य से 15 दिन बाद ही वह फुक गया। मैंने अनुरोध किया आपके अधिकारियों से। एक्स. ईएन., हिण्डोन से निवेदन किया तो उन्होंने कहा जमीन में दलदल है, हमारा ट्रक नहीं जा सकता इसलिए ट्रान्सफर नहीं उठा सकते हैं। मैंने कहा, मैंने यह पहले ही निवेदन किया था। यहां लो लेवल वाटर है यहां तलाई है और आप फिर भी बना रहे थे। ऐसा राजनैतिक न्याय है? जनता के साथ यह अन्याय है और बोर्ड को इसने 8 लाख का चूना लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रकरण की जांच करायें और दोषी अधिकारियों और जो स्थानीय लोगों ने उनको गुमराह किया है, उस पर एक्शन लें। खेडली के ग्राम पंचायत के सरपंच ने जमीन देने की गारण्टी दी थी कलक्टर ने कन्वरजन करने का यस कर दिया है, उस फाइल को ही गायब कर दिया और लिखकर दे दिया कि खेड़ली में जमीन उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ साथ मेरे यहां पर को-आपरेटिव सोसायटी में जो दुरावस्था चल रही है। उसके सम्बन्ध में तारीख 16 को आपका ध्यान आकर्षित किया था और उसमें बहुत सारे मुद्दों पर निदेदन किया था उन पर जिन पर मैं बोल चुका हूं ज्यादा अनुरोध नहीं करूंगा लेकिन एक अनुरोध जरूर करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कुछ स्कीम्स के नाम बता रहा हूं जिनमें पी, एच. ई. डी. ने विद्युत विभाग में पैसे जमा कर करा दिये और पोल, कण्डक्टर, इंसुलेटर, लेबर चार्जेज, ट्रान्सफामर के पूरे पैसे ले लिये और पैसे लिये हुए एक साल से लेकर 15 महीने तक हो गये लेकिन आज तक पी. एच. ई. डी. की स्कीमों को कनेक्शन नहीं दिया है। जिसकी कीमत जमा करा चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं यह स्कीम हैं ताचड़ी-जिसमें 1 लाख 32 हजार 338 रुपये जमा हो गये हैं पावटा में 55 हजार 232 रुपये जमा हो गये, कालोड़ी मीना में 1 लाख 10 हजार 574 रुपये जमा हो

(श्री हरिसिंह)

गये, सांचा में 72 हजार 399 जमा हो गये, गढ़ हिम्मतसिंह में 59 हजार 705 रुपये जमा हो गये, रोप में 1 लाख 2 हजार 08 रुपये जमा हो गये, गोपोली में 58 हजार 924 रुपये जमा हो गये। इस प्रकार पी. एच. ई. डी. ने 9 लाख रुपया जमा करा दिया पर वहां की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री महोदय, आप मेहरबानी करें, दया करें और तुरन्त कनेक्शन दिलायें। यह तब ही मिलेंगे जब रजिस्ट्रार के यहां जो लोन एप्लीकेशन आर. ई. की है और जिसमें 25 लाख रुपए सोसायटी को मिलने हैं वह रजिस्ट्रार जब तक एप्लीकेशन को रिकमण्ड नहीं करके भेजेंगे, पैसा उनको नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा।

एक नया नमूना जो इजाद हुआ है भ्रष्टाचार का, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अब बोर्ड ने व्यवस्था कर दी है कि बड़े ट्रान्सफारमर की बजाय छोटे ट्रान्सफारमर लगाये जांय। हिण्डोन एक्स. ईएन. के यहां एक गांव है बावड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, 100 के. वी. का ट्रान्सफारमर था वह निष्क्रिय हो गया। उन्होंने एक नया तरीका निकाला जिन किसानों को कनेक्शन देना था वह जो नयी स्कीम आयी है उसमें 3000 रुपए प्रति पोल के हिसाब से उन को 15–20 हजार का बिल बनाकर भेज दिया। उस पर किसानों ने मना किया तो एक्स. ईएन. ने एक नया तरीका इजाद किया और कहा हम ट्रान्सफारमर आपके कुएं पर लगा देंगे। 10 हजार रुपये दे दो। 10 हजार रुपये दे दिये और कुएं पर ट्रान्सफारमर लेकर रख दिया और उसको एक कनेक्शन दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा एक नहीं हुआ, 33 के. वी. के चार कुओं पर 10–10 हजार रुपए लेकर वहां ट्रान्सफारमर रख दिये और उससे अतिरिक्त एक भी कनेक्शन नहीं दिया। एक भी किसान को लाभान्वित नहीं किया गया। क्या तरीका निकाला है पैसे कमाने का?

आप देखिए बोर्ड को लोसेज जा रहे हैं, उनको नहीं रोकते हैं और नये नये तरीके इजाद हुए हैं। मंत्री महोदय आपको इनकी तरफ ध्यान देना होगा। किसानों का शोषण हो रहा है। बिना पैसे लिये कोई काम नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, अन्त में एक अंतिम वाक्य आपकी इजाजत लेकर अनुरोध करूंगा। ऊर्जा मंत्री महोदय, मेरे यहां पर 17 लाख यूनिट बिजली की खपत है और सप्लाई दो लाख यूनिट की होती है। मेरे यहां पर जो सोसायटी है वह विद्युत विभाग से 17 लाख यूनिट बिजली लेती है और 2 लाख यूनिट बिजली सप्लाई करती है। कितना मिस-मेनेजमेण्ट है। आप देखें। यह लोसेज हो रहे है और अगर पूरे राजस्थान में इस प्रकार से चोरी और लोसेज हैं तो बोर्ड कभी मुनाफे में नहीं आ सकता है। इसलिए इसके मेनेजमेण्ट को सम्भालिए, बोर्ड का स्टाफ है उसको कसकर रखिए भ्रष्टाचार से किसानों को मुक्ति दिलायें। मैं यही अनुरोध करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर सदन में विचार विमर्श चल रहा है वह काफी गम्भीर विषय है। देश की आजादी के बाद दो व्यवस्थाएं चलीं। एक निजी पूंजी की और दूसरी सार्वजनिक पूंजी की। निजी पूंजी से जितने धन्धे चले सारे के सारे कमाते रहे, लेकिन खेद है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी लगे सब घाटे में रहे, चाहे हम आर. एस. ई. बी. को देखें, चाहे रोडवेज को देखें या किसी होटल उद्योग को देखें। सदन को इस बात के लिए, मैं समझता हूं, चिन्तन और मंथन करना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो सार्वजनिक उद्योग दिन पर दिन घाटे में चलते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ निजी उद्योग दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। टाटा, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, पोद्दार, इण्डस्ट्रियलिस्ट की मैं बात कहता हूं। मैं यह मानता हूं कि देश की आजादी के बाद उनके उद्योग दिन पर दिन बढ़े, उनकी संख्या में भी विस्तार हुआ। किन्तु हमने सार्वजनिक क्षेत्र में जो अपने धन्धे लगाये थे वे प्रतिदिन घाटे में होते चले गये। इसका केवल मात्र कारण यही है, आज मैं आपको आर. एस. ई. बी. के घाटे की एक परिकल्पना दे रहा हूं। यह घाटा 1990 तक 556 करोड़ रुपए का था। 1991 में यह घाटा 188 करोड़ रुपए और जुड़ गया और 1992 मार्च तक अनुमानित है कि 153 करोड़ हो जाएगा। आप सोचेंगे कि 1990–91 में जहां 188 करोड़ रुपए था वहीं 1992 में 153 करोड़ कैसे हो जाएगा। उसका कारण मात्र यही है, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता अपने विचार प्रकट कर रहे थे, कि आज 61 करोड़ की राशि, जो लोन के हैड में राज्य सरकार की थी, इक्विटी शेयर में डाल दी। दायीं जेब का पैसा बायीं जेब में करता हूं और मैं यह समझ लेता हूं। हैड की बदली आपने की है और उस पर ब्याज दर के कारण जो राशि कम हुई थी वह इसमें कम हो जाएगी। इस कारण, मान्यवर, 188 के स्थान पर 153 करोड़ हो गया। अब आप कल्पना कर लीजिए कि राजस्थान स्टेट ईलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर अभी तक 2088 करोड़ का कर्जा है और इसमें सरकार का 1328 करोड़ है। इसमें से अगर आप 600 कम कर दें तो साढ़े सात सौ के लगभग और बचता है। इसमें लगभग 760 करोड़ का निजी निवेश लगा है, जैसे आपने दिया, मैंने दिया, एल. आई. सी. ने दिया है और किसी और ने। कितना बड़ा घाटा है ? उस घाटे की पूर्ति हमने मात्र उधार ले लेकर की और धन्धे को चलाने, आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया। मैं इसके अलावा आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज केवल मात्र कैश लाइबिलिटी राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर 236 करोड़ रुपए की है। इसमें 176 करोड़ तो हमें उन लोगों का देना है जहां से हम बिजली लेते हैं। आज टोटल उत्पादन की 60 प्रतिशत राजस्थान अपने उद्योगों से प्राप्त करता है और 40 प्रतिशत के लिए हमें दूसरों की ओर निहारना पड़ता है। इसके लिए

(श्री अर्जुनदास मदान)

केवल विचार और मंथन होता है प्रयास नहीं। माननीय बिजली मन्त्री महोदय, आपसे मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि लौकिक जगत की बात छोड़ दीजिए। पर लौकिक जगत में भी विचार और मंथन यदि हम करें, आदमी हाय राम हाय राम करके आराम की तलाश में यदि भटकता है तो संसार में तो मैंने किसी को राम से बात करते हुए देखा और न कभी आराम से सोते हुए देखा है। अगर आराधना करनी है तो उसके साथ साधना में भी जुटना पड़ेगा। साधना यदि हमारे क्षेत्र में नहीं है तो, मेरी ऐसी मान्यता है कि हम जिस गति से प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रश्न-वाचक चिन्ह लग जाएगा। आप कल्पना कीजिए कहां कहां से हम लेते हैं। दिल्ली से हम लेते हैं, हरियाणा से हम बिजली लेते हैं, आर. ए. पी. पी. से लेते हैं। ये लोग हमारी बिजली काट देते हैं। जैसे-किसी आदमी को बाजार में पैसा देना हो तो वह दूसरी दुकान पकड़ लेता है, कि मैं जाऊंगा उस दुकान पर तो वह पहले वाले पैसे मांगेगा। आज राजस्थान स्टेट की स्थिति यह हो गयी। हम 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन के लिए दूसरों की ओर देखते हैं। वे हमें बिजली देते नहीं। हमारी जितनी रिक्वायरमैण्ट है हम उसका केवल 60 प्रतिशत का उत्पादन करने में सक्षम और समर्थ हैं। प्रश्न यह आता है कि यह घाटा बढ़ा क्यों? आज राजस्थान की बिजली धीरे धीरे चलते-चलते मकान पर दस्तक देती हुई अपना मस्तक झुकाती है तो हम उसके ऊपर, मान्यवर, एक रुपए तेरह पैसे खर्च कर चुके होते हैं। एक रुपए तेहर पैसे के स्थान पर हमें प्राप्त होते हैं केवल 97 पैसे। इसमें मैं केवल उद्योग धन्धो की बिजली का ही नहीं निवेदन कर रहा हूं, बल्कि आप चाहे मकान की बिजली ले लीजिए, चाहे सड़क की बिजली ले लें या चाहें कृषक की बिजली ले लें। सारी बिजली हमको एक रुपए तेरह पैसे में घर पड़ती है और 97 पैसे हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात् 16 पैसे प्रति यूनिट का घाटा राजस्थान सरकार या राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को भुगतना पड़ रहा है। यह घाटा धीरे धीरे बढ़ते हुए कुल जो था 1990–91 में वह 1058 करोड़ था। उसके ऊपर गवर्नमैण्ट ने मात्र 156 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। वह भी नकद नहीं दी बल्कि ब्याज की जो राशि थी उसका एडजैस्टमैण्ट कर दिया और यह कह दिया कि आप हमारी सब्सिडी के खाते में इसको एडजैस्ट कर लीजिए। 901 करोड़ रुपया आज भी राजस्थान सरकार के ऊपर राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का ड्यू हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें काहे का व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : वह यह कि सदन में आज तक आसन तक चाहे सचेतक हो या मुख्य सचेतक हो, साइड से या सामने से या सामने से पहुंचकर सीधे बात करने की आज तक व्यवस्था

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

नहीं रही। वे चाहे हमारे दल के हों, इस दल के हों या उस दल के हों, सदन की यह परम्परा रही है इस गरिमा को निभाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : थैंक्यू।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सम्बन्ध में मेरा भी कहना है कि पिछले कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि माननीय मुख्य सचेतक जी यहां आकर टेबल पर ऐसे हाथ रखकर बात करते हैं। यह परम्पराओं का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। पता नहीं क्या करते हैं, आप से क्या बात करते हैं, क्या दिशा निर्देश देते हैं। मैं समझता हूं कि उनको आप प्रताड़ित कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में ये नहीं आयें यहां पर।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, कल्ला साहब के पास अब यही बातें रह गयीं। इनके पास और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, कोई और महत्वपूर्ण विषय नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप चैम्बर में बात कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा आपकी बात का।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, नियम और परम्पराओं का सवाल है, मुख्य सचेतक जी को खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मदान साहब।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे बोलने में जो व्यवधान हुआ है उसका समाधान आप ढूंढें और मेरे समय का थोड़ा ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : पांच मिनट और दो, साहब।

श्री अर्जुनदास मदान : नहीं, पांच मिनट नहीं कहता, केवल उतना ही चाहता हूं जितना मुझे बोलना है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, मान्यवर कि आप इण्डस्ट्री टैरिफ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं चाहे घर की बिजली हो, सड़क की बिजली हो, सारी की सारी घाटे में चलती है केवल मात्र 83 करोड़ हमें इण्डस्ट्री से मिलते हैं, बाकी सारी की सारी बिजली सप्लाई घाटे में चलती है। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, आज गवर्नमैण्ट के ऊपर 901 करोड़ रुपए बाकी हैं। वह क्यों है, यह निवेदन कर दूं। 1975 का मुझे स्मरण है, जब तत्कालीन सैक्रेटरी थे जगन्नाथ सिंह जी मेहता। तब राज्य सरकार और राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ था कि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के ऊपर सरकार

(श्री अर्जुनदास मदान)

जितना खर्च करेगी, राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड खर्च करेगा और उसमें जो कुछ भी घाटा होगा उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी। यदि उसके ऊपर हम यह सोचते हैं कि वचनबद्धता है सरकार की तो जो 901 करोड़ रुपए बाकी हैं राज्य सरकार के ऊपर के आज राज्य सरकार को देने चाहिए क्योंकि आज लाइबिलिटी इसके ऊपर बढ़ती चली जा रही है, ब्याज की राशि बढ़ती चली जा रही है। ओवर हैड को तो मान्यवर, हम कम कर नहीं सकते। जो पैसा मैंने उधार लिया है उसका ब्याज तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। डेप्रीसिएशन फैक्ट्री में, इन उद्योग धन्धों में या बिजली के किसी भी इक्विपमैण्ट को खरीदने में चाहे 10 प्रतिशत भी मान लीजिए, उसकी पूर्ति तो हमें करनी पड़ेगी। जब तक कैपिटल नहं बढ़ेगी तब तक यह पूर्ति हो नहीं सकती। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि जो कुछ भी देय राशि है राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर उसे जल्दी से जल्दी देना चाहिए।

मैं अगला निवेदन कर रहा हूं, मान्यवर, कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट, 1948 यह कल्पना करता है, यह मान्यता लेता है कि जो कुछ टोटल राज्य सरकार ने इसके ऊपर खर्च किया है फिक्स्ड असैट्स के ऊपर उसका प्लस तीन प्रतिशत होना चाहिए, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता अभी कह रहे थे। किन्तु मुझे खेद है, मान्यवर, कि बजाय इसके कि प्लस तीन प्रतिशत से हर वर्ष धीरे धीरे बढ़ता चला जाय, माइनस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 1990-91 में यह बढ़कर 10.71 प्रतिशत हो गया। यानी बजाय प्लस के हम धीरे धीरे अपनी पूंजी को खाते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, मान्यवर, जब पूरे सदन को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि धीरे धीरे यदि हम अपनी पूंजी को खाते चले गये तो उद्योग धन्धों में बढ़ोतरी होगी कैसे। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि आज इसके लिए सदन के प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कैसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, इस घाटे की पूर्ति करने या इसमें कमी करने के हमारे पास क्या क्या साधन हैं।

मैं इसके लिए निवेदन करूं जैसे कोटा थर्मल स्टेशन है, जहां से मैं आता हूं। आप मानें या न मानें, कोटा थर्मल स्टेशन 217 करोड़ रुपए का कोयला खपाता है। कोयला हम लेते हैं बी. सी. सी. एल. से, जो कम से कम 1500 किलोमीटर पड़ता है कोटा से। क्या राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी यह नहीं सोचते कि कोयला हम कलकत्ता से मंगाने की अपेक्षा एन. सी. सी. एल. से ले लें या एच. सी. सी. एल. से ले लें। उसकी दूरी बजाय 1500 किलोमीटर के 750 किलोमीटर पड़ती है। 700 किलोमीटर का फ्रेट तो हम बचाएंगे। 700 किलोमीटर यातायात के साधनों में जो हमें खर्च करना पड़ता है, 60 करोड़ 70 करोड़ कम से कम इसी हैड से हम बचा सकते हैं। यदि हम बी. सी. सी. एल. की अपेक्षा अगर सिगरौली यानी एन. सी. सी. एल. से या एच. सी. सी. एल. से कोयला खरीदें

(श्री अर्जुनदास मदान)

दूसरा, मैं यह निवेदन करता हूं, मान्यवर, आज कितनी लाइबिलिटीज हैं। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, सारे लोग आये थे देनदारियां हैं, जितनी भी लेन-दारियां-देनदारियां हैं, उद्योग धंधे वाले भी देनदार हैं उसके लिए हमको केवल मात्र चार्ज करना पड़ेगा। यह धीरे-धीरे निश्चित रूप से कम होती चली जा रही है लेकिन यह भी 1990–91 में 18.34 प्रतिशत थी, यानी टोटल बिल के ऊपर जो हमारी रिकवरी ड्यूज रह जाती है वह 18.34 अभी और शेष है। केवल मात्र मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इसके लिए रिकवरी के कुछ सैल्स बनाये जाने चाहिए स्थान स्थान पर और सैटलमेण्ट कमेटी बनानी चाहिए। जैसा श्री यादव साहब ने अभी कहा था, मैं इसके पक्ष में हूं, मान्यवर, क्योंकि प्रजातंत्र का युग है। अब मेरा अगर तांगा नहीं चल रहा है तो घोड़े का कत्ल करने से उसका कोई समाधान नहीं होने वाला है। उसके लिए तो मुझे साधन करना पड़ेगा कि घोड़ा क्यों नहीं चल रहा है, कहीं पहिए में तो खराबी नहीं हैं, घोड़ा कमजोर पड़ गया है या चाबुक वाले के हाथ में इतनी ताकत नहीं रही कि वह घोड़े नहीं चला सके।

तीसरा निवेदन मेरा यह है कि जो रिकवरी बनती है उसमें हम इन्सेंटिव्ज स्कीम दे सकें उन कर्मचारियों को जो रिकवरीज ला ला कर हमको दें तो उससे भी कुछ समाधान हो सकता है।

चौथा संजेशन्स मेरा इस मामले, मान्यवर, यह है कि आज चोरी भी होती है, निश्चित रूप से चोरी होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि राजस्थान इसमें सर्वोपरि है। झुन्झुनू का इलाका, सीकर का इलाका, सवाईमाधोपुर और भरतपुर तो न जाने कितने प्रतिशत में जाता है। आज 40-42 पर्सेन्ट लाइन लीकेज है और टोटल मिलाकर 26–27 पर्सेन्ट पड़ता है। आप हम अगर इसको भी कम करते चले जायं, धीरे-धीरे कम करते चले जायं, आज बिजली, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि 1 रुपये 13 पैसे पड़ती है और किसान को आज हम 32 पैसे में देते हैं। देना चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि क्यों दी जा रही है, किन्तु 32 पैसे में देने के उपरान्त लाइन लीकेज 27 पर्सेन्ट पड़ता चला जायेगा तो उसकी पूर्ति होगी कैसे, उसका समाधान भी अविलम्ब निश्चित रूप से ढूंढना पड़ेगा कि इस लाइन लीकेज को हम किस तरह से कम करें।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

आखिर अन्त में, मान्यवर, केवल मात्र यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने आपको दिये हैं, मैंने आपको थर्मल के बारे में, रिकवरी के बारे में आपको सजेशन्स दिए हैं और ओवर् हैड को कम करने के बारे में। यदि इन मुद्दों पर हम विचार करें तो मैं मानता हूं कि हम किसी कल्याणकारी योजना की ओर अग्रसर हो जायेंगे। नहीं तो केवल मात्र घाणी के बैल की तरह हम चलते रहेंगे, किन्तु हमारा रास्ता कुछ लम्बातय नहीं हो पायेगा और हम केवल मात्र खूंटे पर ही स्थित रह जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महीपालजी यादव।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी आयेगा। आप तो एक्सपर्ट हैं, थोड़ी देर से आयेगा।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इनको पहले बुलवा लें साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ये बोल रहे हैं। इनका नम्बर आ रहा है। इनकी कई बातों का उत्तर दे देंगे ये। (व्यवधान) इनका काफी देर से है।

श्री महीपाल यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस विद्युत मण्डल की चर्चा में कुछ सुझाव अपनी तरफ से रखकर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूं कि अगर उन सुझावों को मान लिया जाय तो कम से कम जो भ्रष्टाचार इस विभाग में हो रहा है और किसानों से हर साल करोड़ों रुपये इस बिजली कनेक्शन लेने के नाम पर लूटे जाते हैं। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिये हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : आपके भी चौमूं का असर हो गया क्या ? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : अब आप मंत्री हैं, अपने शिष्टाचार को भी ध्यान में रखें। शिष्टाचार को क्यों तोड़ रहे हैं।

श्री हैतराम बेनीवाल : इनकी तो स्थिति ही ऐसी हो गई है।

श्री महीपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डेढ़ साल के अरसे में मैंने मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में 2–3 लाख रुपये बिजली कर्मचारियों से जे. ई. एन लाइनमैन, हैल्पर से लेकर ए. ई. एन. तक जो किसानों से कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते थे उन्होंने 2–3 लाख रुपये किसानों के वापस लौटाये हैं। मैंने किसानों से एक ही बात कही थी कि जो भी अधिकारी रिश्वत लेते हैं आप उनके खिलाफ लिखकर दीजिए। इस एक ही बात को सुनकर उन अधिकारियों ने 3 लाख रुपये किसानों के वापस लौटाये हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में करोड़ रुपया किसानों से बिजली कनेक्शन के नाम पर लूटे जाते हैं.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : क्या आपके पास सूची है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी एक भी किसान को वापस लौटाने की सूची है क्या माननीय सदस्य के पास ? एक की भी नहीं है।

श्री महीपाल यादव : वह भी हम दे देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : जो देना चाहते हैं रिश्वत का पैसा उनको नहीं देने देंगे ?

श्री महीपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है और किसान के साथ इस 44 साल की आजादी के बाद भी उसके साथ भेद-भाव किया जा रहा है। आज अगर कोई उद्योगपति कनेक्शन के लिए दरखास्त देता है तो

(श्री महीपाल यादव)

उसको विदिन ए मन्थ कनेक्शन मिल जाता है और किसान 10-10 साल से फाइल लगाये बैठे हैं, उसने 10 साल से इन्वेस्टमैण्ट करके, अपनी पूंजी, अपने गहने तक बेच दिए लेकिन आज तक उसको कनेक्शन नहीं दिया गया। सन् 1982 में जिसकी फाइल थी आज भी वह बैठे हुए है। हरियाणा के अन्दर एक साल के अन्दर किसान को कनेक्शन दे दिया जाता है। वहां किसानों की हमदर्द सरकार है, जो भी सरकार वहां रहती है किसान को एक साल से डेढ़ साल के अन्दर वहां पर कनेक्शन दे दिया जाता है और हमारे यहां 10-10 साल से किसानों को कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। देश की खुशहाली का रास्ता स्वर्गीय श्री चौधरी चरणसिंहजी ने एक बात कही थी कि अगर खुशहाली का रास्ता चाहते हो तो उसका रास्ता गांव, खेत और खलिहान से होकर गुजरता है और जब तक हिन्दुस्तान के किसान, गांव खुशहाल नहीं होंगे हम कभी भी खुशहाल नहीं होंगे। चाहे आप कितनी भी नीतियां बनाकर रख लीजिए।

पूर्व सरकार में जो 10 रुपये में फाइल भरी जाती थी आज हमसे ढ़ाई सौ रुपये लिये जाते हैं और जो सरकार 900 रुपये मिनियम चार्ज के हमसे लेती थी आज हमको ढ़ाई हजार रुपये देने पड़ते हैं।

श्री सम्पतसिंह : माननीय सदस्य नवम्बर के पहले की बात बोल रहे हैं या नवम्बर के बाद की बोल रहे हैं ?

श्री महीपाल यादव : आप समझते हैं कि कब से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बोलने दीजिए।

श्री महीपाल यादव : जो कनेक्शन वन पोल के नाम पर 4000 हजार रुपये से ज्यादा कोई भी किसान को नहीं देने पड़ते थे आज तुरन्त प्राथमिकता के नाम पर किसान से 40–40 हजार रुपये ले लिए गए और आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिए गए। मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में 100 किसान ऐसे हैं जिन्होंने 30-30 हजार रुपये जमा करा दिए और उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिये गए हैं। यह किसानों के साथ भेद-भावपूर्ण नीति बनाई गई है।

एक काश्तकार का 100–500 रुपये पर उसके विद्युत का कनेक्शन काट दिया जाता है और एक उद्योगपति जिसने करोड़ों रुपये, अलवर के अन्दर मोदी और राठी फैक्टरीज हैं जिन पर डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपया बकाया है उनका कोई कनेक्शन आज तक नहीं काटा गया। पता नहीं कितने ऐसे कारखाने राजस्थान के अन्दर होंगे जिन पर करोड़ों रुपया बकाया है लेकिन उनके कोई कनेक्शन नहीं काटे जाते हैं। मगर जो किसान राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी लेते हैं उनके 100–500 रुपये के नाम पर कनेक्शन काट दिये जाते हैं। तो यह किसान आज भी गुलाम हैं, क्योंकि यह सरकार आज किसान विरोधी सरकार है, इसने किसानों को लूटने का काम किया है।

मैं आपके माध्यम से एक सुझाव और देना चाहता हूं जो किसान.

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको पता नहीं है कि काश्तकारों को किसने लूटा है खाद के भाव बढ़ाकर।....(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : एक उद्योगपति अगर कनेक्शन लेता है तो विद्युत विभाग की गाड़ियां उस स्थान तक जहां पर उद्योगपति को कनेक्शन दिया जाना है सामान को पहुंचाती हैं और काश्तकार जो भी चाहे खम्भा ले जाय, तार ले जाय और जो भी सामान ले जायेगा, अपने साधन से ले जाता है। वह सामान उठाता है और अपने गांव चाहे उसका 40 किलोमीटर में गांव है वह उसका किराया-भाड़ा भरता है। आज किसान के साथ दोहरी मार की जा रही है। इसलिए किसान जो सामान ले जाय विद्युत विभाग की गाड़ी दें यह व्यवस्था ऊर्जा मंत्रीजी आपको करनी चाहिए। आज किसानों को काफी रुपये भाड़े में देने पड़ जाते हैं। आज किसान को चारों तरफ से लुट रहे हैं इसलिए में आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में सुधार करें आज भी पूरे राजस्थान की मैं नहीं कहता मेरे बहरोड़ क्षेत्र में तीस-चालीस ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और ट्रांसफार्मर जमीनों में रखे जाते हैं। बीस ट्रांसफार्मर आज भी जमीनों में पड़े हुए हैं और उसके करेण्ट से कोई भी पशु या आदमी आकर के मर सकता है। आज यह व्यवस्था है उनको खम्बों पर भी नहीं रखा गया है। इसलिए सबसे पहले राजस्थान में इस अकाल की स्थिति में जितने भी ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, मैं उर्जा मन्त्री जी को विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि उन ट्रांसफार्मरों को तुरन्त खम्बों पर लगाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और हैं मेरे क्षेत्र में बहरोड़ और शाहजहापुर दो औद्योगिक क्षेत्र है। बहरोड़, बानसूर, मुंडावर यह तीन ऐसे क्षेत्र हैं जितना इसमें किसानों को और उद्योगों को कनेक्शन दिया गया है उतना पूरे जिले में नहीं है। इसलिए मैं माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि बहरोड़ में एक्स. ईएन. आफिस की स्थापना की जाए। शाहजहापुर में ए. ईएन. आफिस होना चाहिए जो कि औद्योगिक एरिया है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह अलवर जिले का सबसे प्रोडेक्टिव इलाका है उस इलाके के काश्तकारों को और कारखाने वालों को सुविधा हो सके। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह।

श्री गोपाल सिंह (आहौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली हमारे जीवन का मुख्य अंग बन गई है, बिजली के बिना हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा जीवन पैरालाइज हो जाता है। आज जो चीज हमारे लिए इतनी जरूरी हो गई है तो उसमें कुछ सुधार करने की व्यवस्था मैं चाहता हूं की जाए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो जो गलतियां डिपार्टमेंट में, जो काम करने का तरीका है, सप्लाई देने का तरीका है, कनेक्शन देने की जो गलतियां हैं वह गलतियां तो काफी बताई गई।

पहले तो हम कन्जूमर बिजली का क्या मिसयूज करते हैं उतना हिस्सा हमारे प्रोडक्टिव काम में आ सकता था उस हिस्से को हम कैसे बचा सकते है। ऐसे कन्जूमर प्रोडक्टिव काम में ले सकें उसके

(श्री गोपाल सिंह)

बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा जिससे कि इस कमी का कुछ हिस्सा हम कन्जूमर्स पूरा कर सकें उसके बाद में राज्य सरकार से हम मांगने के अधिकारी हैं कि अब आप हमारे बाकी के जो असेट्स हैं उनको बढ़ाकर के हमारी बिजली को पूरा करिए। घर में हमको कनेक्शन दिया जाता है तो सबसे पहले यह देखते हैं कि किस तरह से जो मीटर लगा हुआ है उसको बाइपास करके हम डाइरेक्ट बिजली ले लें। वह बिजली जो हमारे ऊपर लगनी चाहिए थी या जो बिल हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए था वह बिल आपके बोर्ड पर जाता है और उसका पैसा हम पर नहीं लगता है और हम इसको बड़ी तारीफ समझते हैं या बड़ा अच्छा समझते हैं कि हमने कैसा छकाया। कुएं से जब हम बिजली लेते हैं तो उस वक्त भी हमारी यही कोशिश रहती है कि बिल किसी तरह से कम आए। वह आगे की नहीं देखते हैं कि वह बिल फाइनली अपने ऊपर ही पड़ने वाला है जो बोर्ड के ऊपर जाता है। आखिर बोर्ड को वह पैसा कहीं न कहीं से तो लेना ही है। वह आता है कन्जूमर के ऊपर ही। इसमें दो तरीके तो यह हो गए।

तीसरा इण्डस्ट्रीज हैं इस तरह से मुख्य तीन कन्जूमर्स हैं। डोमेस्टिक हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं, इन तीनों में हमें सबसे पहले तो यह देखना है कि हम अपने आप को सुधार लें। उसके अलावा गवर्नमेंट को मैं यह सुझाव दूंगा कि इसमें हमको सुधारने में आप मदद करें। मदद करने का मेरा मतलब यह था कि आप हमको इन्सेन्टिव्ज दीजिए हम किस तरह से बिजली कम यूज करें। मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया और मैंने फेन आन रख दिया। फेन की जरूरत नहीं है उस वक्त लेकिन हमने देखा कि वापस जाकर के स्विच आन आफ कौन करेगा। उसका हम ध्यान नहीं रखते और वो दस पन्द्रह मिनिट तक चलता रहता है वह बिजली बिल्कुल व्यर्थ गई है चाहे पैसे भी हमने दे दिए है लेकिन वह बिजली कहीं न कहीं प्रोडक्टिव रूप में काम आ सकती थी उसका हमरे देश के निर्माण में फायदा हो सकता था। हमारे जीवन को सफल बनाने में फायदा हो सकता था। तो मैं बिजली बिभाग को यह सुझाव दूंगा कि आप इसमें हमको इन्सेन्टिव यह दीजिए कि आप हमारी कुछ ग्रेड्स बना दीजिए। कि कन्जूमर के पास में जो बिल आता है उसमें कम बिल जो कन्जूमर लाने की कोशिश करता है या जिसका बिल जिस हिसाब से आता है उसको आप थोड़ा रिबेट देने की कोशिश करें। पहले तो आपको स्ट्रिकनैस रखनी पड़ेगी अगर कोई इस तरह के कन्जूमर पाए जांए तो उनको आप जो ठीक समझे उस तरह की सजा दे सकते हैं। यह आप तय करें कि उनको क्या सजा दी जाए, किस तरह की सजा दी जाए जिससे कि वो ऐसा काम नहीं करें। उसके अलावा आप कन्जूमर को इन्सेन्टिव्ज दीजिए कि आपके घर का बिजली का बिल कम आएगा, गड़बड़ करने की वजह से नहीं लेकिन बिजली आन और आफ का ध्यान रखने की वजह से तो उसके अन्दर इन्सेन्टिव्ज दीजिए रिबेट के रूप में कि आपका अगर 200 रुपए का बिल आता है तो आपके

(श्री गोपाल सिंह)

20 रुपए या 50 रुपए कम लेंगे, आपको रिबेट मिलेगी। तो उसमें हर कन्जूमर कम से कम यह ध्यान रखेगा कि हम कमरे में से निकलते वक्त लाइट को आफ कर दें, पंखे को आफ कर दें अगर कूलर या ए. सी. चल रहा है तो उसको आप आफ कर दें। जब जरूरत नहीं होती है और चलते रहते हैं तो इस तरह से नुकसान होता है। हालांकि मैं सोचता हूं कि कि मेरी जेब में पैसा है मैं चुका दूंगा लेकिन वह चुकाना ही काफी नहीं होता है क्योंकि वह बिजली किसी के भी काम नहीं आई। तो इस तरह से हमको यह देखना पड़ेगा।

इसके अलावा पेपर्स के अन्दर एडवरटाइजमेंट के द्वारा रेडियो, टेलीविजन पर एडवरटाइजमेंट के द्वारा हमको यह समझाना पड़ेगा, हमको यह जताना पड़ेगा, हमको यह दिखाना पड़ेगा कि यह बिजली कहां पर किस तरह से हमारे काम आ सकती थी। यह शायद टेलीविजन पर तो शुरू हो गया है।

तो मैं यह कहूंगा कि हमको, कन्जूमर्स को अपने आपको संभालना चाहिए और कन्जूमर्स के रूप में कहूंगा कि यहां से शुरू हो, विधायक अपने आप को संभाले, मैं अपने आपको संभालूं मेरे घर में बिजली जल रही है। मैं तो कहता हूं रात को तीन बजे तक सैशन क्यों चले। यहां की लाइट बगैरह बंद करके बाहर बड़ा प्लेजेंट था, बाहर बैठकर के हम विधान सभा चला सकते थे और कितना सुन्दर होता कि हम बाहर खुली हवा में बैठकर के विधान सभा चलाते और लुत्फ लेते और यह ए. सी. बगैरह जो आर्टिफिशल हैं इनको बंद करते यह बिजली कहीं और काम आ जाती। यह सम्भव न हो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन... (व्यवधान) कोई हर्ज नहीं है, लाउड स्पीकर लगा दीजिए, जो माननीय सदस्य बोलना चाहे जहां जाकर के बोल जाएं, आपने जितनी बचत की है उस बचत को कहीं और काम में तो ले ही सकते है।

अब इसके बाद में मैं यह निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, हमें बिजली के स्रोत तो बढ़ाने ही पड़ेंगे इस बिजली से हमारा काम नहीं चलने वाला है। एक तरफ तो हम डवलप होना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं और हमारे पास बिजली है नहीं और बिजली के बिना, पावर के बिना या ऊर्जा के बिना डबलपमेंट होना सम्भव नहीं है। उर्जा के लिए हमें जो जितनी बारहमासीक रिवर्स हैं जैसे कालीसिंध है, जैसे चम्बल पर ही और कोई हाइड्रोलिक प्लाण्ट लगाकर के बना सकें तो जो रिवर्स हैं तो उसके ऊपर आप एक-दो-तीन क्यों नहीं ज्यादा आप करके ऊपर लेते है हालांकि इसके ऊपर खर्चा तो आएगा हमारा गवर्नमेंट का लेकिन यह खर्चा एक तरह से इनवेस्टमेंट है। एक तरह से यह आपके लिए काम का खर्चा है यह काम का खर्चा व्यर्थ नहीं जाएगा और यह खर्चा तो आपको किसी न किसी दिन री-पे करेगा। इसके साथ में जैसे कालीसिंध रिवर है वह भी बारह महीने चलती है और शायद

(श्री गोपाल सिंह)

बनास भी बारह महीनें बहती है। इस तरह की कुछ नदियां है जिनके ऊपर भी ऐसे ही प्लाण्ट्स लगाकर के आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करें।

एक जिओ थर्मल का सिस्टम है, विदेशों में भी कई जगह ऐसा है और अपने यहां भी एक दो माननीय सदस्यों ने सजेस्ट किया था। जमीन में काफी गैस है और वह गैस हमारे और कोई काम नहीं आने वाली है। उस गैस को क्यों नहीं हम टरबाइन्स को घुमाने के लिए काम में लें जहां-जहां पर भी सम्भव हो इसका आप सर्वे कराकर के जिस तरह से कि दो तीन जगह जिओ थर्मल के प्रोजेक्ट्स को आप लाने वाले हैं। इस तरह के और भी ज्यादा अगर आप प्रोजेक्ट ला सकें और इसके ऊपर ध्यान दे सकें तो ज्यादा लाभ रहेगा इसके साथ में सौर उर्जा है जो सोलर एनर्जी है उसको भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। और सोलर एनर्जी को इस तरह से यूज करिये जिससे कि हम सोलर एनर्जी दूसरी एनर्जी को बचा सके और सोलर एनर्जी से अपना काफी सारा काम कर लें। इण्डस्ट्रिलाइज रूप में या जनरलाइज के हिसाब से सोलर एनर्जी नहीं हो पाई। कहीं कहीं देखा है लेकिन हर घर में, हर जगह हर मकान में हर बिल्डिंग के ऊपर उर्जा की व्यवस्था हो तो उसकी वजह से काफी बिजली की बचत हमारी उस रूप में हो सकती है।

राजस्थान के अन्दर हमारे विंड मिल्स चलती है। विंड मिल्स के द्वारा इसका काफी बचाव कर सकते हैं। विंड मिल्स में काफी पानी निकालने के लिए, आप कुओं में से और इसकी वजह से आप चक्की चला सकते हैं या बिजली से काम लिया जा सकता था उस बिजली को आप बचा सकते हैं और विंडमिल्स वगैरह का प्रयोग करके वेस्टर्न राजस्थानों में तो खास तौर से आप इन रिमोट एरियाज में विंड मिल लगवाइये। कुछ भी नहीं चाहिए आपको और इतनी हवायें चलती है। कुओं में पानी है, चक्की चलाना है, छोटे मोटे ऐसे काम करना है मेरे ख्याल से विन्ड मिल्स ही आपको काम करके दे सकती हैं।

(8.00 रात्रि)

तीन पाइन्ट मेरे इलाके के लिए बोलना चाहता हूं। एक तो मेरे क्षेत्र में 132 के. वी. का सबस्टेशन लगाने का तय हो चुका है लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। उम्मेदपुरा एक जगह है जहां कि इसका 132 के. वी. के लगाने का है लेकिन इसमें काम शुरू होने में देरी की जा रही है। मैं चाहता हूं जितना जल्दी काम शुरू होगा काश्तकारों को फायदा होगा और इसका फायदा रेवेन्यू के रूप में सरकार को भी मिलेगा इससे अलावा करीब करीब मेरे क्षेत्र का हर गांव इलेक्ट्रीफाइड है। लेकिन दुर्भाग्य से करीब 50 गांव ऐसे रह गये जहां पर गांव तो इलेक्ट्रीफाई है लेकिन एस. टी. और एस. सी. की जो बस्तियां हैं उनको बिजली

(श्री गोपाल सिंह)

नहीं दी गयी हैं तो गांवों में तो अंधेरा नहीं है उजाला है लेकिन वहां अंधेरा है तो इसके लिए सरकार को थोड़ा सा ही खर्चा करने से कहीं 10 पोल, कहीं पांच पोल, कहीं तीन तोल से वह इलेक्ट्रीफाई हो जायें तो मैं समझता हूं राज्य सरकार को उसके ऊपर बहुत ध्यान देकर उन एस. टी., एस सी. को आप अगर बिजली दे देंगे तो वह उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जायेगी और वह भी अपना छोटा-मोटा काम कर सकेंगे। आज कल आये दिन आप सुनते हैं कि आग लग गयी, गांव जल गया। आधा कारण तो यही है कि जहां पर बिजली नहीं है और जहां पर कच्चे मकान है वहां पर लालटेन या किसी तरह से चिमनी यूज करते हैं उसकी वजह से आग लग जाती है और पूरा गांव जल जाता है तो उसकी जगह आप एस. सी. और एस टी. की बस्तियों में जहां-जहां गांव इलेक्ट्रीफाइड नहीं है और उनको आप प्रमुखता दें और इलेक्ट्रीफाइड करें। मैं इसी बात को निवेदन करना चाहता हूं कृपया इसका आप ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आमेर विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब से मानसून ने विदाई ली है लगातार ट्रांसफार्मर्स के जलने का सिलसिला जारी है और क्षेत्र में जो बरसात के समय में मूंगफली जैसी नाजुक फसल इतनी अच्छी फसल है कि आज 20-25 दिन से करीब 40 ट्रान्सफार्मर पूरे क्षेत्र में जले हुये हैं। काश्तकार परेशान हैं और लाखों रुपयें की उनकी फसल बरबाद हो रही है। इस विषय में मैंने अधिकारियों से भी सम्पर्क किया था लेकिन यह कर करके असमर्थता जाहिर की कि पिछले डेढ़ महीने से ट्रान्सफार्मर्स की चैकिंग चल रही है। ट्रान्सफार्मर्स के अन्दर ट्रान्सफार्मर आइल नकली डाला गया। तो इस तरह का अन्वेषण यदि चलता रहा तो काश्तकारों की फसल एकदम चौपट हो जायेगी। अतः मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी काश्तकारों को ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इसी के साथ आमेर विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एक विचित्र स्थिति है। यहां पर 6 ए. ईएन आफिस लगते हैं और किसानों की समस्याओं के लिए 6 ए. ईएन आफिसों में सम्पर्क करना बहुत ही मुश्किल है अत. मेरा आग्रह है कि पंचायत समिति वाइज दो अलग सब डिवीजन बना कर अलग-अलग ए ईएन ऑफिस बनाये जायें। ऐसा मेरा आग्रह है। इसी के साथ जो आई. पी. एस. योजना में कनेक्शन 8-9 महीने से बाकी पड़े हुये हैं। काश्तकारों ने काफी पैसे वहां जमा भी करा दिये हैं उनको तुरन्त कनेक्शन दिये जायें ऐसा मेरा निवेदन है।

इसी के साथ, जयपुर जिले में शाहपुरा बहुत बड़ा कस्बा है। 4-5 तहसीलों का सेन्टर है। मेरा आग्रह है सरकार से और मंत्री महोदय से कि वहां पर एक एक्स ईएन आफिस खोला जाये जिससे उस क्षेत्र के काश्तकारों को अपनी समस्याओं के निपटारे में काफी सुविधा होगी। इसी के साथ, एक प्रमुख समस्या मेरे क्षेत्र की है,

(श्री गोपीराम जाट)

माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत भली भांति परिचित है बांडी बेसिन योजना से। हालांकि मैं इस बात के लिए मना नहीं करता कि जयपुर की जनता के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जाय लेकिन इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि बांडी बेसिन के साथ में जो बांडी नदी है। उसके जल अधिग्रहण क्षेत्र में जो बांध बनाकर उसका पानी रोका गया है। जिस तरह से रामगढ़ बांध के एनीकट्स के मोरे लगाये मेरा आग्रह है कि उस बांध में भी मोरे लगाये जाने चाहिए। जिससे कालक बांध में पानी आयेगा, नदी में पानी आयेगा जिससे कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा। क्योंकि इस योजना को जब बनाया 1980 में....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : विद्युत मण्डल की चर्चा हो रही है, सिंचाई विभाग की नहीं।

श्री गोपीराम जाट : उसी से सम्बन्धित है। पानी के बिना बिजली क्या करेगी। मेरा आग्रह है कि बांडी नदी का जो अधिग्रहण क्षेत्र है उसको खोला जाय। इसी के साथ किसानों की एक और समस्या है।

श्री सम्पतसिंह : चोमू वालों की समझ में कुछ देर से ही आयेगा।

श्री गोपीराम जाट : जयपुर तहसील के निवारू ग्राम में करीब एक हजार बीघा जमीन किसानों की मिलिट्री फायरिंग रेंज के लिए एक्वायर की गयी थी और पूर्व सरकार ने 1983 के अन्दर एक हजार रुपये से लेकर 15 सौ रुपये पर बीघा मुआवजा तय किया था जबकि वर्तमान में वहां पर जमीनों की रेट 2 लाख रुपये बीघा के करीब है तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इन किसानों को या तो भूमि के बदले भूमि दिलवायी जाय या उसके लिए समुचित मुआवजे की व्यवस्था करें। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर सदन में बहस हो रही है। उपाध्यक्षजी, मुझे इस बात की खुशी है खास तौर से कि मुख्य मंत्री जी ने विद्युत विभाग जो है, पश्चिम राजस्थान के जो मंत्री हैं उनको सौंपा है और मैं उसी के सम्बन्ध में बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र जहां अनाप-शनाप पानी है और पानी से बिजली पैदा की जा सकती है और आपने सूरतगढ़ के पास और डंडी गांव के पास दो पावर हाउस भी बहुत बड़े बनाये और वह चालू होने की स्थिति में बिजली पैदा करने के लिए है। पानी से बिजली पैदा, माननीय सदस्य आप सुनकर अचम्भा करोगे कि वहां आप देखिये कितनी उस पानी की हाइट है तो दो जगह तो मंत्री महोदय आपने शुरू किया है उसके लिये मेरा एक सुझाव है कि सत्तासर गांव है जहां मेन कैनाल का बहुत बड़ा 620 का हैड है 65 फुट की ऊंचाई से वहां पूगल निकलती है थोड़ी दूर जाने के बाद 65 फुट पर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

इतनी ऊंचाई से पानी गिरेगा तो बहुत बड़ी बिजली पैदा होगी। उसके बाद अमरपुरा हैड जहां बहुत ऊंचाई से पानी गिरेगा वहां भी बिजली पैदा होगी। उपाध्यक्ष जी, सूरतगढ़ और डंडी गांव, चालू होने की स्थिति में है चालू....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इन मंत्रियों को यह तो निर्देश दें कि सदन में किस तरह बैठा करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कह रहे हैं चौमू की संगति का असर है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसी तरह मंत्री महोदय बॉसिगसर जब चालू हो जायेगा तो लगभग 5 या 6 साल लगेंगे और उससे भी पश्चिम राजस्थान और खास तौर से राजस्थान का विकास होगा और गरीबी को हम समाप्त कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कुओं से खेती, कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अकाल को समाप्त करने के लिए आप सुझाव दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम राजस्थान में खास तौर से कुछ भागों को छोड़ कर और जैसलमेर के लाठी गांव के आस-पास और पाकिस्तान बोर्डर पर, जैसलमेर में इतना पानी है कृषि मंत्री जी आप दौरा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि धरती के अन्दर कितना पानी पड़ा है। कृषि मंत्री जी खासतौर से आपको जैसलमेर जाना है जो पाकिस्तान बोर्डर है उसके आस-पास पहाड़ी टाइप पेरेलल है बोर्डर के सहारे-सहारे टीबा टाइप पहाड़ी बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, उस पहाड़ी के बैक साइड में और दोनों तरफ 20—25 फुट नीचे इतना पानी है कि आप कितना ही बड़ा ट्यूब वैल चलाइये, नहर बनाकर चलाइये बहुत बड़ी खेती हो सकती है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, खेद है कि 40—45 साल ऐसे लोगों के हाथ में राजस्थान की सत्ता रही है जिनके दिमाग में अकाल को समाप्त करने का कोई इरादा ही नहीं था। राज करने वाले लोग चाहते हैं कि राजस्थान का आदमी कमजोर हो, हमारी बराबर हैसियत का नहीं हो ताकि हम उस पर शासन करें। चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों। बनिए की हमेशा नीयत रहती है कि पड़ौस का आदमी कमजोर ताकि उसका घर खरीद लूंगा, उसके जेवर ले लूंगा। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, राज करने वाले आदमी की मंशा रहती है। जब वह विधायक चुनकर आता है तो वह एक विधायक है लेकिन ज्यों ही मंत्री बना वह हमसे गया। बेटी घर में है तो बेटी का नाम बेटी है लेकिन ससुराल रवाना कर दी और अगले घर में जाते ही वह बहू-बीनणी बन जाती है। तो मंत्रियों का जो हमारा सम्बन्ध है उपाध्यक्ष महोदय, ये चाहे बीनणी बन जाओ मंत्री बनकर, हम मर्द रहेंगे और शोषण के खिलाफ, अकाल के खिलाफ, बिगड़ी हुई राज की व्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, राजस्थान के विकास में हम पूरा समय लगायेंगे। मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहता उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्री जी से एक बात कहूंगा कि जो मैंने मुद्दे उठाये ये मुद्दे छोटे नहीं हैं ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं यदि इसमें आप कामयाब हो गये तो मैं गारन्टी देता हूं कि राजस्थान का अकाल समाप्त हो जायेगा।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा लेकिन विद्युत मंत्री जी से एक बात कहूंगा कि राजस्थान में जितने उद्योगपति हैं और भूतपूर्व राजा-महाराजा हैं उन लोगों में कितना बकाया है आप नोट करिए। सुमित्रा जी, आप थोड़ा इनको नोट करा दीजिए इनको याद नहीं रहता। तो राजा और महाराजाओं और राजस्थान के उद्योगपति चाहे टाटा हो, बिड़ला हो, पिलानिया हो, चाहे टांटिया हो, उपाध्यक्ष महोदय, यदि उनके बकाया की वसूली कर लेंगे तो राजस्थान की गरीबी दूर होगी, मैं आपको गारन्टी के साथ कहता हूं कि बिजली पर कोई खर्चा नहीं होगा और राजस्थान के कुओं से हम पानी ऊपर ला हरियाली पैदा करेंगे, अकाल को समाप्त करेंगे, अकाल के वक्त चारा लेने की कोई जरूरत नहीं होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अकाल को समाप्त करने में आप भी उपाध्यक्ष महोदय, अपनी राय, टिप्पणी भेजना क्योंकि जब मैंने उदाहरण दे दिया कि ये लोग हमसे गये। इसलिए आप बीनणी न बनें और मर्द बन करके राजस्थान के अकाल को समाप्त करने में सहयोग देंगे और कृषि मंत्री जी मुझे आपसे बहुत आशा है आप निश्चित रूप से....

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : जल्दी ही बहस समाप्त करो, कहीं घर की बीनणी न चली जाय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : घर वाली कहीं नहीं जायेगी आपको खतरा होगा, आप जल्दी चले जाना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीया सुमित्रा सिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो मैं अध्यक्ष जी को और सरकार दोनों को बधाई देना चाहूंगी कि करीब 10 साल बाद उन्होंने विद्युत मण्डल के ऊपर बहस करने पर यहां माननीय सदस्यों को मौका दिया। लेकिन जिस गम्भीरता से यहां पर माननीय सदस्यों को अपने-अपने विचारों से माननीय मंत्री जी को और सरकार के जो मंत्री यहां बैठे हुए है उन्हें अपनी कठिनाइयों के बारे में, समस्याओं के बारे में और इस विद्युत मण्डल को हम कैसे हानि और कर्जे से छुटकारा दिला सकें इसके बारे में अपने विचार पेश करने चाहिए थे और गम्भीरता से यह बहस होनी चाहिए थी नहीं हुई, मैं समझती हूं मुझे उसमें कुछ कमी लगी।

यह बात सही है उपाध्यक्ष महोदय, कि लगातार विद्युत मण्डल घाटे में जा रहा है उसके कई कारण हैं। ट्रांसमिशन लाइन का सबसे अधिक लोसेज राजस्थान में हैं उसका भी कारण है। ट्रांसमिशन लाइन जितनी लम्बी होगी लोसेज भी उतने ही ज्यादा होंगे। चूंकि राजस्थान में हम पूरी बिजली आवश्यकता के अनुरूप जनरेट नहीं कर पाते हैं और जितनी आवश्यकता है, जितनी जनरेट करते हैं उससे ज्यादा बिजली हम बाहर से मंगाते हैं इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के लोसेज होना स्वाभाविक है। कोटा तापीय परियोजना है उसका भी जो जनरेशन की पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यूनिट कोस्ट है उसका भी अधिक होना स्वाभाविक है और वह इसलिए स्वाभाविक है कि 3 लाख मैट्रिक टन कोयले की जो आवश्यकता है अब तक वो कोयला हमको बी. सी. सी. एल. से मिल रहा था जो हमसे करीब 1600 किलोमीटर दूर है और जहां का रेल का भाड़ा भी काफी लग जाता है इसलिए पर यूनिट कोस्ट जनरेशन की ज्यादा आती है। पिछली बार कुछ हमने प्रयत्न किए कुछ हमसे बाद वाले लोगों ने भी प्रयत्न किए और इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी, उस धन्यवाद में चाहे मैं भी भागीदार रही हूं लेकिन मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, मैंने भी बहुत प्रयत्न किए थे और इसलिए कि उस समय ऊर्जा के मंत्री आरिफ साहब थे और ऊर्जा मंत्रियों की कांफ्रेंस में मैंने ही जोर-शोर से इस चीज को उठाया था और उससे उन्होंने इस बात से एग्री किया था आदेश तो बाद में हुए थे कि उन्होंने 3 लाख मैट्रिक टन कोयला जो बी. सी. सी. एल. से मिलता था उस 3 लाख की बजाय इस बार 2 लाख ही मिला लेकिन उसमें से एक लाख मैट्रिक टन हमको बी. सी. सी. एल. से न मिल करके सी. सी. एल. व एन. ई. सी. एल., मध्यप्रदेश से मिला था और यू. पी. की कोल फील्ड से जो मिलना चाहिए था उससे हमारी कीमत भी कम लगी और कोयले की भी अच्छी किस्म हमें प्राप्त हुई जिसकी वजह से हमारा पर यूनिट कोस्ट थोड़ा कम आया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी शॉर्ट कमिंग्स पर आपका बस नहीं है इसलिए इन सब चीजों को हम मान लेते हैं कि ये सब चीजें हैं। हमारे पास पूरा जनरेशन नहीं है, जनरेशन यों नहीं है पिछले 10 साल के अंदर उसकी जिम्मेदार चाहे यह सरकार हो चाहे इधर बैठे लोग डेढ साल के भीतर आपकी सरकार को दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े जोर-शोरसे सिंह गर्जना करके कहा करते थे कि शिवचरण माथुर अपनी माण्डलगढ़ की योजना तो स्वीकार करा नहीं सकते ये क्या बिजली का उत्पादन यहां बढ़ायेंगे? और क्या सुपर पावर थर्मल स्टेशन यहां पर लगायेंगे? ये अपने खुद के माण्डलगढ़ की योजना को ही स्वीकार नहीं करवा सके? मैं कहती हूं ये शिवचरण जी माथुर नहीं करवा सके तो डेढ साल हो गए माननीय मुख्य मंत्री जी को नाक रगड़ते भारत सरकार के सामने उन्होंने कौनसा धौलपुर के लिए मंजूर करा लिया? यदि इसके लिए शिवचरण जी माथुर दोषी हैं कि वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौनसी 3 से 13 कर दी, क्या किया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : शिवचरण जी के समय में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन भैरोंसिंह जी बने तो केन्द्र में बी. जे. पी. की सरकार नहीं है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : ये नाक नहीं रगड़ते, ये नाक नहीं रगड़ते, ये एग्जर्ट करते हैं, अवर चीफ मिनिस्टर एग्जर्टस। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके चीफ मिनिस्टर तो शेर हैं। हेव दी पेसियन्स इतना उत्तेजित न हुआ करे माननीय सदस्य, छोटी सी बात से। मैं निवेदन कर रही थी कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के तो वी. पी. सिंह जी के साथ भी बहुत अच्छे तालुकात थे क्योंकि सरकार में दोनों पार्टी एक साथ ही थे इसलिए यह जो आप एक्सक्यूज ले रहे हैं यह बिलकुल गलत है। वहां पर मिली-जुली सरकार थी इसलिए आप यह एक्सक्यूज नही ले सकते हैं। (व्यवधान) आप बोलने दीजिए ना, क्यों बीच-बीच में आप गुन-गुन करते हैं? माननीय उपाध्यक्षजी, सरकारी मुख्य सचेतक को तो कम से कम, डूज एण्ड डोंट डूज, क्या इस हाउस में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो पुस्तिका मिली है, नियमावली, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। खैर, छोड़िए इन बातों को, मैं निवेदन कर रही थी कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के तो वी. पी. सिंह साहब के साथ बहुत मधुर सम्बन्ध थे, फिर चन्द्रशेखरजी के साथ भी उससे भी अधिक मधुर सम्बन्ध थे।

श्री शांतिलाल चपलोत : अभी भी अच्छे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने कब कहा कि सम्बन्ध तोड़ लिये? मैंने तो कहा नहीं है कि सम्बन्ध विच्छेद हो गया। मैं तो केवल मधुर सम्बन्ध की चर्चा कर रही हूं, मैंने सम्बन्ध विच्छेद की बात नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, आप सत्ता पक्ष के सदस्यों को कहिये कि यह इस प्रकार से बीच में मुझे टोका-टोकी नहीं करें, नहीं तो फिर मैं समय अधिक लूंगी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : फिर रात के ग्यारह बजेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रही हूं कि खैर धौलपुर परियोजना को तो यह कह कर नामंजूर कर दिया कि उससे ताजमहल के ऊपर दूषित पर्यावरण का असर पड़ेगा, प्रदूषण का असर पड़ेगा और इसलिए वह इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन प्रदूषण का सवाल तो केवल धौलपुर के साथ है। मैं पूछना चाहती हूं, चित्तौड़गढ़ के लिए कई बार मुख्य मंत्रीजी यहां पर कह चुके हैं कि चित्तौड़गढ़ की परियोजना की क्लियरेंस सब तरह से मिल गई, सेंचुरी मिल के बिड़लाज को उसका लाइसेंस भी दे दिया गया, यह 88 में हुआ, तीन साल बीत गये 88 के अन्दर जो लाइसेंस दिया गया था, क्या हुआ उसका तीन साल बीतने के बाद भी? अभी तक तो उन्होंने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दी है। न एग्रीमेंट किया है, न उस बारे में उन्होंने आगे और किसी भी तरह से प्रोसीड किया हैं, किसी तरह की प्रोग्रेस उस मामले में नहीं हुई है। मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं, हालांकि उस बात के लिए मैं भारत सरकार को भी दोष देती हूं। भारत सरकार को दोष इसलिए देती हूं कि भारत सरकार ने अभी रिसेन्टली सार्वजनिक क्षेत्र को पनपाने की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जवाहर लाल नेहरू एवं इन्दिरा गांधी की पूर्व की नीतियों से डिविएट करके पावर जनरेशन को भी प्राइवेट सेक्टर में देने का नया कानून बनाया है, यह बहुत खतरनाक है और इसके परिणाम बड़े खतरनाक होंगे। यहां पर भी मुख्य मंत्रीजी जिस तरीके से....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्षजी, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए-बोलिए आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो फिर घंटी बजाने का क्या मतलब है ? फिर आप घंटी क्यों बजाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो टाईम का सूचक है, बोलिए आप, कन्टीन्यू रखिए।

श्री बुलाकिदास कल्ला : ऊर्जा मंत्री रही हुई हैं इनको विशेषाधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : बुला रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रही थी कि यह सुपर थर्मल पावर के जो स्टेशन्स हैं और जिन चार सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स के ऊपर सारे राजस्थान का भविष्य निर्भर करता है, आप इस बात को जानते हैं कि आज के जमाने में बिना विद्युत के तो कुछ भी सम्भव नहीं है। मनुष्य के ऐशोआराम के साधन, सुख-सुविधा के लिए भी विद्युत चाहिए, कृषि उत्पादन के लिए भी बिजली चाहिए, वह भी बिना विद्युत नहीं हो सकता औद्योगिक उत्पादन के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि समाज की प्रगति के लिए विद्युत मुख्य धुरी है। इसलिए यदि इसके ऊपर सरकार अपने बजट का 26 प्रतिशत खर्च करती है तो बिल्कुल उचित करती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आज से राजस्थान के भविष्य पर हमारी जो आशायें टिकी हुई हैं, जो हमारे चार बड़े-बड़े सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं–सूरतगढ़, बरसिंहसर, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर, इनमें से केवल एक की क्लियरेंस मिली है और अभी तक हमने उस बारे में भी कोई प्रोग्रेस नहीं की है। बरसिंहसर को हमने नेवेली लिग्नाइट को दे अवश्य दिया है, उसका एम. ओ. यू. भी हो गया है लेकिन उसके बाद भी अभी तक जमीन भी एक्वायर नहीं हो सकी है। 101 लोगों की जमीन एक्वायर करनी है उसमें से केवल 35 लोगों को किसी प्रकार से राजी करके हम जमीन ले पाये हैं, बाकी अभी तक जमीन भी एक्वायर नहीं हो पाई है। यदि हमारे काम की यही रफ्तार रही तो मैं समझती हूं जैसे बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, 1955 के अन्दर इस राजस्थान के अन्दर हम बिजली में चालीस प्रतिशत के डेफिसिट में पहुंच जायेंगे। आज यह उन्तीस प्रतिशत है लेकिन अगले चार सालों के अन्दर चालीस प्रतिशत की शार्टेज हो जायेगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे ? आज सब लोग कहते हैं कि किसान को खेती के लिए आप बिजली दीजिए, आठ घंटे से

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ज्यादा दीजिए। मैं कहती हूं कि पिछले दो साल के अन्दर सारा प्रोग्राम इन पूर्व सरकारों ने गड़बड़ा दिया। कैसे गड़बड़ा दिया? चुनाव होने लगे, उस साल हमारा 17 हजार कुओं के विद्युतीकरण करने का टारगेट था और 1300 गांवों का विद्युतीकरण करना था। लेकिन वह 17 हजार के 30 हजार हुए, फिर फरवरी के महीने में 50 हजार का लक्ष्य हुआ और इस प्रकार कुल मिला कर 29 हजार कुल कुए हो गये जिनका विद्युतीकरण हो गया। पिछले साल भी तुरन्त कनेक्शन योजना के तहत भी करीब 34-35 हजार नये कनेक्शन हो गये। दो सालों भीतर-भीतर करीब 65 हजार कनेक्शन्स हो गये, 25 हजार कनेक्शन देने का टारगेट हमारा इस साल का है कुल मिलाकर तीन सालों के भीतर-भीतर एक लाख के आस पास हम पहुंच जायेंगे लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए किया क्या है हम ने? कितनी हाई टेंशन लाईनें हमने बनाई? एक इंच भी नहीं। कितने 33 के. वी. ग्रिड स्टेशन हमने बनाये? कितने 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन बनाये? जब तक आगमेंटेशन नहीं होगा तब तक केवल विद्युतीकृत करने से काम नहीं चलेगा आपने एक इंच हाईटेंशन लाइन नहीं नया ग्रिड स्टेशन नहीं बनाया यह तो आप उन लोगों को एक तरीके का मीठा लालच दे रहे हैं, मन में झूठा संतोष करवा रहे हैं कि आपको बिजली मिल गई और दो साल बाद उसकी हालत यह होगी कि आप बिजली दोगे तीन घंटे और तीन घंटे बिजली से काश्तकार चिल्लायेंगे, रोयेंगे। आप कटौती लागू करोगे उद्योगों पर, आप कटौती लागू करोगे डोमेस्टिक कन्जप्शन के ऊपर। मैं एक बात बड़े खेद के साथ कहना चाहती हूं कि यह सरकार बार-बार कहती है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर आज भी 481 करोड़ रूपया राजस्थान सरकार को विद्युत बोर्ड को देना है। यह अन्डर-टेकिंग है किसी भी गवर्नमेंट की, जो ग्रामीण विद्युतीकरण का पैसा, होता है वह पैसा सरकार देगी, उसकी सारी हानि का पैसा और वह लोसेज का पैसा, सरकार देगी। वह होते-होते इतना इकट्ठा हो गया है कि विद्युत मण्डल बराबर घाटे में चले जा रहे हैं लेकिन आप क्या करोगे? जब आपने आगमेंटेशन नहीं किया, जब आपने नई लाईनें नहीं खींची, जब आप ग्रिड स्टेशन नहीं बना रहे, जब आप सिस्टम को आगमेंट का unprove कर नहीं कर रहे, केवल बिजली देकर आप किसी को बेवकूफ बनाओ, मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल उचित नहीं है और इस प्रवृत्ति को आपको खत्म करना होगा वरना यह कनेक्शन लेने वाले लोग बुरी तरह से मर जायेंगे, पिट जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पूरा करिये आपका कथन।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कर रही हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कम्पलीट कर रही हैं यह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि इतना सब होने के बाद भी आप जिस घाटे की बात करते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, मैं कहना चाहती हूं कि आज

Page No. 230

(230)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में एग्रीकल्चर का जो टैरिफ है वह पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर हरियाणा को छोड़ कर सबसे ज्यादा है। हां सबसे ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहती हूं, किस स्टेट में कितना-कितना है। हरियाणा में जरूर हमसे ज्यादा है हरियाणा में 39 पैसा है, राजस्थान में 33 पैसा है, गुजरात में 29.39 पैसा है, उत्तर प्रदेश में 26.98 पैसा है, पंजाब में 24.67 पैसा है, डेसू में 21 पैसा है।....महाराष्ट्र में 20.40 पैसा और मध्यप्रदेश में 15 पैसा। यह हालत है हमारी जहां बिजली बोर्ड का सारा का सारा घाटा माननीय मंत्री महोदय आप किसानों से लेना चाहते हैं जो आपको अन्न पैदा करके देता हैं, जो आपका अन्नदाता है जो सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किये बिना....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों बिराजूं। मैं बोल रही हूं क्यों बैठूं, और मैं कनक्लुड तो करूंगी। आपको बुरी लगी बात मेरी.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज वह कम्पलीट कर रही हैं। बिराजें आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी महावीर प्रसाद जी।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लुड कर रही हूं। दो मिनट के अन्दर अन्दर अपनी सारी बात कहकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आखिर जो एग्री-कल्चर सेन्टर का टेरिफ है वह सबसे ज्यादा है राजस्थान के अन्दर हरियाणा के बाद में। एक निवेदन और कर देना चाहती हूं। मैं उस बात को दोहराना तो नहीं चाहती थी लेकिन कई बातें दोहराना ही आवश्यक होती हैं क्योंकि बार बार कहने से असर पड़ता है। हाई टेन्शन वाले उद्योगपतियों के ऊपर आज 100 करोड़ के आसपास ऐसा पैसा है कि जिसकी आप रिकवरी नहीं कर पायेंगे क्योंकि वह सारे कोर्ट्स में चले गये हैं और काश्तकार कोर्ट में जा नहीं सकता है। उसके ऊपर तो जैसे ही दो हजार रुपया हुए कि फौरन कनेक्शन काटने के लिए पहुंच जाओगे। 100 रुपया पर तो नहीं काटते लेकिन हजार रुपया होते ही आप कनेक्शन काट देते हैं। इस बारे में आप सोचिये और इस इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 के अन्दर आप अमेन्डमेन्ट करिये ताकि वह कोर्ट्स में जाने के पहले पैसा जमा करायें और उसके बाद कोर्ट में जाना है तो जायें। कुछ इस प्रकार का प्रावीजन करने के लिए यहां से लिखकर देंगे तो सेन्टर जाकर करेगा। इसलिए इस बारे में इस मामले को परश्यू कीजिए। इस मामले को परश्यू करेंगे तभी आपके ड्युज जो बकाया हैं वह आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो एक्युमुलेशन उनको होता चला जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहती हूं....

श्रीमती तारा भण्डारी : जब आपके पास यह विभाग था तो आपने कोशिश की होती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विभाग मेरे पास था तो आपको क्या पता कि मैंने कोशिश नहीं की। यदि मैं नहीं होती तो किसानों को और बुरी तरह से लूटते आप। जैसे लूटा है उससे ज्यादा लूटते आप। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन कर देना चाहती हूं कि आपने विद्युत बोर्ड को एक कमर्शियल कन्सर्न माना है। विद्युत बोर्ड कमर्शियल नहीं है। शिक्षा के मद पर आप जितना खर्च करते हो यह सोशियल सर्विस है। मेडिकल के ऊपर खर्च करते हो, समाज कल्याण के ऊपर खर्च करते हो, यह इस तरह की सोशियल सर्विस है। विद्युत बोर्ड को भी इकानामिक सर्विसेस में मत लीजिए। यह सोशियल सर्विसेस में है और सोशियल सर्विस के दृष्टिकोण से इसको कमर्शियल करके मत मानिये। आप इसको इस तरीके से लीजिए।

अन्त में मैं यही निवेदन करती हूं कि आपकी जो नयी विद्युत नीति निकली है यह नीति बड़ी एम्बीगुअस है। उसमें आपने स्पष्ट नहीं किया है। आपने जो हमको कल 1988-89 के प्रतिवेदन के साथ नयी नीति दी है इसमें और सब बातें स्पष्ट कर दीं लेकिन यह 7 नम्बर के ऊपर जो आपने लिख दिया—शेष लक्ष्यों मद संख्या 2 से 6 उपरोक्त में वर्णित को छोड़कर आप मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विभिन्न जिलों में लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या के अनुमान में निर्धारण करेंगे। यह आपने इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि आप इस स्पेशल केटेगरी स्कीम को लागू रखेंगे। पैसा देने वाली प्राथमिकता के आधार पर लागू करेंगे क्योंकि आपने यहां पर कहा कि लागू रहेगी और पीछे से आपने इसको स्पष्ट नहीं किया तो आप अपने जवाब में स्पष्ट कीजिए इस बात को क्योंकि जिलों के अन्दर तो आपके आदेश पहुंच गये हैं कि अब नया पैसा जमा नहीं किया जायेगा। वहां तो पहुंच गये हैं और आप स्वयं इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बात पूरी तो कर दूं अपनी। इसलिए आप कृपया जवाब में भी इस बात को भी स्पष्ट करेंगे कि विद्युत बोर्ड के अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो चोरियां होती हैं यदि इन चोरियों को ठीक ढंग से और कारगर ढंग से आप रोक लें और आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज तो हालात यह हो गये हैं कि पुलिस और सब डिपार्टमेण्ट्स को इस डिपार्टमेण्ट ने सरपास कर दिया है इसलिए इसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि विद्युत मण्डल में जो भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर पनप रहा है उसको सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भंडारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली विभाग पर चर्चा चल रही है। मेरे बहुत सारे साथी सदस्यों ने आर. एस. ई. बी. के सम्बन्ध में काफी सुझाव दिये, शिकायतें भी कीं परन्तु आर. एस. ई. बी. के अलावा भी हमारा एक एनर्जी विभाग है इसकी ओर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

किसी की निगाह नहीं गयी। मेरी समझ में इतना महत्वपूर्ण यह विभाग है और इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम है परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि....

श्री हेतराम बेनीवाल : हम चर्चा आर. एस.ई.बी. पर कर रहे हैं, इस पर नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : चलिये आपको जो समझ आये वही समझ लेना। इतना महत्वपूर्ण विभाग है उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह विभाग आज तक अपने आपको राजस्थान में आइडेन्टीफाई नहीं करा पाया, सारी मिलीजुली ही समझ रह गयी है हमारी। इस विभाग का पहला जो कार्य है कि दुर्घटनायें कम से कम हों और उसके लिए एतिहात बरती जायें आज इसके लिए जो भी जरूरी महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए वह किये जायें। परन्तु आज यह नहीं हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय। इसीलिए मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ा। इस विभाग का काम है कि जब तक एन.ओ.सी. नहीं मिले किसी भी ट्रान्सफार्मर में विद्युत प्रवाहित नहीं की जाती। यह एक प्रमुख काम है परन्तु आज 'एल' फार्म की क्या दशा है मेरे सभी साथी जानते होंगे। किसी भी काम्पीटेन्ट व्यक्ति को 'एल' फार्म की एजेन्सी नहीं दी जाती है 'एल' फार्म बाजारों में बिकते हैं। जनता का शोषण होता है और कोई भी हर केटेगरी का मजदूर जाकर फिटिंग कर देता है और 'एल' फार्म मिलते ही बिजली प्रवाहित कर दी जाती है और इससे अनेकानेक घटनायें राजस्थान में हो रही हैं। इसको रोकने के जो उपाय करने चाहिए वे वह भी नहीं कर रहे हैं तो कितनी घटनायें हो रही हैं उनका कोई सही रूप से वितरण मुआवजा भी नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी आज इस सदन के माध्यम से कि इस विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है चीफ इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले इसी सदन में, इसी हाउस में चीफ इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर महोदय के विषय में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था और माननीय सदस्या पूर्व मंत्री महोदया ने बड़े जोश के साथ यह घोषणा की थी कि इन्हें मैं निलम्बित कर दूंगी। उनका जो काम था, उनका जो कार्यक्रम था वह कारीगरी वाला था कहना चाहिए कि वह बड़े करामाती आफिसर थे और जिन्होंने अपना तीन-तीन बार प्रमोशन किया उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं ने प्रमोशन किया और कार्मिक विभाग ने उनको तीन-तीन बार रिवर्ट किया। मेरी समझ में नहीं आता उपाध्यक्ष महोदय कि उन चीफ इन्जीनियर महोदय को किस का संरक्षण प्राप्त है या उनके पास ऐसी क्या करामात है कि हाउस में वादा करने के बाद भी निलम्बित नहीं किया जा सका....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री तारा भण्डारी : ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें निलम्बित नहीं किया जा सका जबकि कार्मिक विभाग ने डिसिजन ले लिया। हाउस में माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने वायदा कर लिया, उसके बाद क्या तकलीफ आई ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ओथ आफ़ सीक्रेसी ली हुई है इसलिये मैं उन सब बातों को यहां नहीं बता सकती ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात इस पुस्तिका के विषय में कहना चाहूंगी । बड़े सुन्दर कवर की भारी-भरकम पुस्तिका, वज़नदार पुस्तिका कल हमें यहां सदन में करीब इसी समय मिली । इसको पढ़ पाना तो मेरे लिये संभव नहीं था लेकिन कुछ सरसरी निगाह से मैंने इसको जरूर देखा । देखा तो पाया कि सिरोही जिला पूर्णतया विद्युतीकृत घोषित किया गया है । सारे जिले के 433 जो आबाद गांव है और 13 गैर-आबाद गांव है, सब को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत मान लिया गया है । (व्यवधान)

हां, गैर आबाद को भी शत प्रतिशत विद्युतीकृत । आप देखिये, आंकड़े देखिये ।

(8.40 रात्रि)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

हां, यह पूछना चाहती हूं लेकिन बीच में बोलोगे तो कैसे पूछूंगी ?

मैं यह पूछना चाहती हूं । मेरे इलाके की बात मैं जानती हूं, करीब 60 से अधिक गांव और मजरे इलेक्ट्रिफाइड नहीं है । सिरोही जिले के ऐसे गुमराह करके गलत आंकड़े किसने प्रस्तुत किये, यही मैं पूछना चाहती हूं । सभापति महोदय, करीब-करीब 60 से भी अधिक गांव जिसमें से ट्राइबल क्षेत्र के पिंडवाड़ा में 30 गांव, मेरे साथी विधायक महोदय यहां बिराजे हैं, इनके खुद का गांव जो अपने आप में ग्राम पंचायत है, मोन्स में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं । यह गवाह है इसके । 30 गांव पिंडवाड़ा के, 19 गांव आबू रोड के, 4 गांव शिवगंज के और 8 गांव रेवदर के । पूरे जिले के 60 से अधिक गांव और मजरे इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुए । मैं, सभापति महोदय, कहना चाहूंगी कि हमारे ऊर्जा मंत्रीजी बिराजे हैं, इन गलत आंकड़ों को आप सही करें और जो गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुए है, उनको इलेक्ट्रिफाई किया जाय और जो मजरे अपने आप में एक गांव की स्थिति में बैठे हुए हैं, उनको भी इलेक्ट्रिफाई किया जाय ।

सभापति महोदय, रेवदर की 132 केवी की लाइन इसमें भी दिखाई गई है, प्रस्तावित है और वहां खम्बे भी खड़े हो गये है और सम्भवतया वायरिंग भी हो रही होगी । लेकिन, सभापति महोदय, वहां जी.एस.एस. की चौकी तो बनाई ही नहीं । जब वे लोग जी.एस.एस. की चौकी का निर्माण करेंगे तब तक इसमें वर्ष-डेढ वर्ष और लग जायेगा । तो यह समय काफी इससे पिछड़ जायेगा । जो भी विद्युत विभाग ने यह लाइन लगाने पर, योजना बनाने पर खर्च किया है, उसका भी साल-डेढ साल का समय व्यर्थ चला जायेगा । मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि इस वायरिंग और खम्बे लगाने के साथ-साथ जी.एस.एस. की चौकी भी साथ की साथ बनाई जाय तभी इसका उपयोग है । मेरे जिले में एक छोटी-सी आबू पर्वत की लघु जल परियोजना प्रस्तावित है । ठीक इसी प्रकार से पाली जिले में भी जवाई लघु पन परियोजना प्रस्तावित है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन

(श्रीमती तारा भण्डारी)

करना चाहूंगी कि छोटी-छोटी योजनाएं बड़ी लाभान्वित हो सकती हैं। इससे छोटे-छोटे उद्योग धंधे पनपेंगे, छोटे-छोटे काश्तकार लाभान्वित होंगे। इसलिये इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय और....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

, समापति महोदय, बहुत इन्तजार के बाद मेरी बारी आई है।

श्री समापति : मगर आपने समय काफी ले लिया। 10 मिनट से ज्यादा ले लिया। अब आप बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि सिरोही और पाली जिले में पिछले दिनों ट्रांसफार्मर की बहुत चोरी हुई थी। तो मैं, मंत्री महोदय, से पूछना चाहूंगी कि भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर ग्रोइल की जो चोरी हुई थी, उसमें कोई जांच की है क्या और जांच की तो उसके क्या परिणाम रहे। इसके साथ ही इस वर्ष में भारी मात्रा में हमारे ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। मैं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमें अधिक से अधिक ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये। सिरोही और शिवगंज तहसील में इस बार जो विद्युत कनेक्शन देने का जो कोटा अलाट किया है, वह बहुत ही थोड़ा है। शिवगंज तहसील में मात्र 24 कनेक्शन हैं और सिरोही तहसील के लिये मात्र 48 कनेक्शन है। मैं मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में सिरोही की जनता की ओर से निवेदन करना चाहूंगी कि इन कनेक्शन्स का कोटा बढ़ाये। इन 24 कनेक्शन्स से मैं 5 गांवों के बीच एक कनेक्शन भी नहीं दे सकती। कृपया इसे बढ़ाने की कोशिश करें।

अब, समापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं कि मेरे इलाके में कम से कम जिले भर में 7–8 जे.ईएन. की पोस्ट खाली हैं। चेयरमैन साहब बिराजमान हैं। पिंडवाड़ा में भी ए.ईएन. की पोस्ट खाली है, कृपया इन पोस्टों को शीघ्रताशीघ्र भरें तो बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद।

श्री समापति : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) **:** माननीय समापति महोदय, प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय बहुत से माननीय सदस्यों ने दोनों ओर से उत्पादन किस तरह से हो, उत्पादन में खर्चा किस तरह से किया जाय और हमारे राजस्थान में बिजली के उत्पादन के नये साधन किस तरह से लाये जायं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की है। माननीय समापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्या ने सत्ता पक्ष की तरह से यहां सूचना दी थी कि हमने 25 हजार कनेक्शन अलाट करने का एक कीर्तिमान किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रतिवेदन पर हम बहस कर रहे हैं, उस प्रतिवेदन के अनुसार 1988-89 में कांग्रेस की सरकार ने 30 हजार कनेक्शन दिये थे। कनेक्शन देना कुओं की संख्या बढ़ाना कोई कीर्तिमान नहीं है। वास्तव में कीर्तिमान यह है कि कितनी ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, कितनी बिजली

(श्री हेतराम बेनीवाल)

अपने प्रदेश में पैदा कर सकते हैं। यह 30 हजार कनेक्शन देने के बाद जो कनेक्शन हुआ पार्लियामेण्ट का, सारी की सारी कांग्रेस राजस्थान से साफ हो गई। पैर टिकाने की जगह तक नहीं मिली। यह साबित करता है कि यह कोई किसानों के लाभ के लिए या उनको फायदा पहुंचाने की स्कीम होती, निश्चित तौर से किसान राजी होता। इसलिये आप जो योजना बना रहे हैं कि हम 25 हजार कनेक्शन दे देंगे, हम उसको कनेक्शन बढ़ा देंगे। इसके बजाय आम जनता की जो मुश्किल है वह यह है कि क्या हाउस में आप यह गारण्टी दे सकते हैं कि किसानों को कितनी बिजली मिलेगी। आज एक लाख रुपये ट्यूबवैल पर खर्च करने के बाद, आज सारी व्यवस्था करने के बाद किसानों को अगर आप बिजली नहीं दी गई। घण्टे-डेढ घण्टे बिजली मिले और हफ्ते-हफ्ते बिजली गायब रहे, निश्चित तौर से किसानों को जिस तरह आपने कनेक्शन्स दिये हैं, वह किसान आपके खिलाफ और आपकी इस बात के खिलाफ खड़ा होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले व्यवस्था इस बात की जाय कि आप बिजली की व्यवस्था कैसे करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा जो राजस्थान में इम्बलैंस है, वह यह है कि आज शहरों के अन्दर आज उद्योगपतियों के लिये जिस तरह बिजली की व्यवस्था है, सब के सब जो नेता हैं, सब के सब बोर्ड के चेयरमैन और उनके अधिकारी बैठे हैं, अन-आफिशियल कट, बिना बोर्ड में तय किये हुए, बिना उसकी इन्स्ट्रक्शन जारी किये हुए कट लागू होता है। एक तरफ गांव के गांव हैं जिनमें तीन-तीन दिन बिजली नहीं जाती, छोटे शहर जिनमें 24 घण्टों में 12-12 घण्टे बिजली गुल रहती है और दूसरी तरफ वे सेठ और बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं यहां शहरों में, मुझे माफ करें, जयपुर और जोधपुर ऐसे शहर हैं जहां बिजली पूरी रहती है। इस बात को ध्यान रखें कि 3 करोड़ की जनता को कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाना है, निश्चित तौर से हमको फैसला करना पड़ेगा उन छोटी-छोटी जगहों के बारे में जहां हमारे सब-स्टेशन नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं गंगानगर जिले की बिजली व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। गंगानगर जिले में पंजाब से बिजली आती है। हमारा जिला ऐसी स्थिति पर है कि हम पंजाब से जो बिजली लेते हैं उसकी दो ट्रांसमिशन लाइन हैं। एक पंजाब की लाइन जो मुक्तसर से जोड़ती है गंगानगर को और दूसरी मुक्तसर से जोड़ती है हिसार के थ्रू जयपुर से। होता यह है कि बोर्ड की इन्स्ट्रक्शन ने बिजली का ज्यादा खर्चा जयपुर की लाइन पर खर्च होता है। जयपुर के इण्डस्ट्रियलिस्ट उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम बिजली लेने के लिये वहां पर अपनी लाइन स्विच-ओन करते हैं तो हमको कट मिलता है। गंगानगर जिले में 3-3 दिन तक बिजली सप्लाई नहीं होती। वहां जवाब एक ही, आपकी बिजली का कोटा उधर से पूरा हो गया इसलिये गंगानगर को बिजली नहीं मिलेगी। आज जो राजियासर लाइन, जिसको हमने कोटा की पावर से जोड़ा हुआ है उसका वोल्टेज कभी पूरा गंगानगर में रह नहीं सकता। इसलिये कोई भी इण्डस्ट्री, कोई भी ट्यूबवैल, कोई भी ऐसा काम जिससे इण्डस्ट्री चलती हो या ट्यूबवैल चलता हो, चल नहीं सकता। इस इम्बलैंस

(श्री हेतराम बेनीवाल)

को जब तक हम दूर नहीं करेंगे निश्चित तौर से राजस्थान की जनता में बोर्ड के प्रति यह भावना पैदा नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली लाइनें जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों के अन्दर 13 हजार गांवों को, लोकलिटीज को कनेक्शंस दिये हैं। डेढ़ लाख। तीन-चार साल के अन्दर, एक-डेढ़ लाख ट्यूबवैल को हमने कनेक्शन दिये हैं। कितनी इंडस्ट्रीज को कनेक्शन दिये हैं? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से कि आप नीचे का स्टॉफ, जो टेक्नीकल स्टॉफ है, जूनियर इन्जीनियर्स से नीचे, वह कितने लोगों को बढ़ाया आपने? कितने वर्कर बढ़ाये नीचे के? एक भी संख्या नहीं बढ़ी है। वहां का वह स्टॉफ, जो आज से 10 साल पहले थे नीचे का वही स्टॉफ है। एक-एक लाइन को संभालने के लिए 30-30 किलोमीटर की लाइन को एक ही लाइनमैन संभालता है।

माननीय सभापति महोदय, आज गांवों के अन्दर यह स्थिति है कि वहां अगर लाइन टूट जाए तो तीन दिन तक कोई नहीं जाता। अगर पानी बंद हो जाए 4–4, 5–5 दिन चक्की बंद रहती है और पानी पहुंचता नहीं। निश्चित रूप से हमको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। इन्जीनियर्स, बोर्ड के चेयरमेन और अधिकारी बढ़ाते रहें और नीचे का स्टॉफ नहीं बढ़ायेंगे। बिजली की व्यवस्था राजस्थान में नहीं रहेगी और उसका असर जनता पर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ा एक मेल हुआ है, यह पक्ष भी कहता है, बोर्ड के बहुत बढ़िया है, वह पक्ष भी कहता है। मैं इसमें खिलाफ नहीं हूं चेयरमेन साहब के। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो भ्रष्टाचार, अगर 30 हजार कनेक्शन देने के बाद कांग्रेस को गांवों में पैर रखने की जगह नहीं मिली, इसकी सबसे ज्यादा कारण यह था कि यह जो आपने योजना तय की है, जिनकी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं। क्यों तारीफ कर रहे हैं? इस योजना के कारण ही भट्टा बैठा था। इसमें जो प्रायोरिटी तोड़कर बिजली देने की व्यवस्था है अगर उसमें ईमानदारी नहीं रही, अगर उसमें बैठे इन्जीनियर्स और आपकी बिजलेंस नहीं रही, निश्चित तौर से राजस्थान उसी भ्रष्टाचार के गड्ढे में डूब जाएगा जो आज से तीन और चार साल पहले डूबा हुआ था। आज से तीन और चार साल पहले जितने बिजली के कनेक्शंस हैं, ट्यूबवैल के कनेक्शंस, यह जो दो कनेक्शन की स्कीम बनाई है कि हम दो कनेक्शंस प्रायोरिटी पर देंगे, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे हाऊस में कहना चाहूंगा, राजस्थान में यह जो दो कनेक्शन प्रायोरिटी के मिले हैं उसमें से शायद ही कोई ऐसा कनेक्शन हो जो बिना पैसे मिला हो। मेरे क्षेत्र में 20-20, 30-30 हजार रुपए एक-एक ट्यूबवैल कनेक्शन के जिसको फर्स्ट प्रायर्टी पर दिये उसके पैसे लिये हैं। माननीय सभापति महोदय, जो हरिजनों के नाम से कनेक्शन लिये हैं, जो इसमें चार कैटेगरीज दी हैं उसमें एक है डी. आ. डी के थ्रू कनेक्शन लेने का तरीका और एक उसमें है जल धारा के अन्तर्गत तय तरीका। यह सारे जो प्रायोरिटीज तोड़कर कनेक्शन देने के तरीके हैं उसमें एक ही बात कि आवश्यकता है वह है ईमानदारी की। इस मामले

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

में हमारे ऊर्जा मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि अगर उनकी किट मजबूत होगी, अगर हम इन बोर्ड के कर्मचारियों को और बोर्ड के इन्जीनियर्स को ठीक कर सकें, निश्चित तौर से राजस्थान की जनता और राजस्थान का किसान आपके इस प्रोग्राम की तारीफ करेगा नहीं तो वही स्थिति होगी जो कांग्रेस ने इस प्रायोरिटी को बनाया था। सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है, वह यह कि जो कुछ भी बोर्ड के अन्दर ट्रांसफारमर्स थे और उनकी सम्भाल में और उनको ठीक करने में राजस्थान में भ्रष्टाचार पनपा हुआ है और जिस तरह से उसमें पक्षपात होता है, एक ऐसी जगह जहां शहर के अन्दर ट्रांसफारमर लगे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के ट्रांसफारमर लगे हैं, मैं आज हाऊस के अन्दर कहना चाहूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यह तय करें कि जिस गांव के अन्दर ट्रांसफारमर खराब हो वह कितने दिनों के अन्दर चैन्ज कर दिया जाएगा। एक गारण्टी पीरियड तय हो जाए कि खराब होने के बाद इतने दिन के अन्दर हर हालत में बोर्ड को उस ट्रांसफारमर को चैन्ज करना होगा। आज यह हालत है 3–3, 4–4 महीने तक वाटर वर्क्स के ट्रांसफारमर चैन्ज नहीं होते। पानी के बिना उस गांव की पूरी योजना पड़ी रहती है। पी. एच. ई. डी. का जो आफिसर है, इन्जीनियर है वह चिट्ठियां, मेमोरेण्डम लिखते हैं उसके बाद भी इलेक्ट्रीसिटी डिपार्टमेण्ट, क्योंकि उस योजना के अन्दर पैसे नहीं मिलते। जिस चक्की वाले या इन्डस्ट्रियलिस्ट उस ट्रांसफारमर के लिए सेवा करता है इसलिए ट्रांसफारमर 24 घण्टे के अन्दर पहुंचता है और ट्रांसफारमर गांवों के अन्दर एक-एक हफ्ते में पहुंचता है।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अन्त में मुझे यही कहना है कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी इस बात की व्यवस्था करायें कि किसानों को कम-से-कम कितनी बिजली ट्यूबवैल पर मिलेगी। जिनकी 30–30 किलोमीटर की लाइन हैं, जहां डिफेक्ट हो गयी है, लाइन, 30 किलोमीटर की लाइन, जिसको ले जाने का मतलब डिफेक्ट है वह कोई वोल्टेज नहीं जाती। वहां आप सब-स्टेशन कब तक बना देंगे और गांव के अन्दर जो ट्रांसफारमर खराब होंगे उसके लिए आप कैसे गारण्टी देंगे कि कितने दिनों में उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा? यह मुझे बताइये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय....

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर। जनता दल की सुमित्रा सिंहजी बोली थीं, उसके बाद हमारा कोई माननीय सदस्य नहीं बोला है....

श्री सभापति : इसके बाद बुलवा लूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, फिर दो बुलवायें कंटिन्यू।

श्री सभापति : इसके बाद बुलवा दूंगा। आप बिराजिये न। क्यों समय जाया कर रहे हैं। इसमें आगे-पीछे में क्या फर्क पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : सभापति महोदय, वैसे तो राजस्थान प्रदेश अभावों का प्रदेश है और यहां की जो सरकार है उसके पास भी इच्छा शक्ति का अभाव है और जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली का अभाव राजस्थान में जरूरत से ज्यादा है। यह आज हकीकत है और इसके लिए वर्तमान सरकार को अकेली को दोष नहीं दिया जा सकता। पूर्व की सरकारें भी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। राजस्थान में जितनी बिजली की आवश्यकता है या आने वाले समय में, 5 और 10 साल में डिमाण्ड बढ़ेगी। राजस्थान में उत्पादन कम है।

पूर्व में सभी माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की उसमें यह दर्शाया कि पर यूनिट हम जो बिजली पास के राज्यों से खरीदते हैं वह महंगी है और किसान को जो हम सप्लाई करते हैं वह सस्ती है। यह बात ठीक है लेकिन राजस्थान में तो हमने उत्पादन के केन्द्र बढ़ाये नहीं। कोटा का एक हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लाण्ट है वह आधी बार तो बीमार पड़ा रहता है और जिस सुपर थर्मल पावर प्लाण्ट की बात माननीय सुमित्रा सिंहजी ने यहां पर की, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं मुख्यमंत्रीजी की नीयत पर कोई शंका भी नहीं करता। उन्होंने प्रयास भी किये होंगे लेकिन हकिकत में अभी तक सफलता नहीं मिली है और आगे भी संभावनायें कोई अच्छी नहीं हैं। जहां तक बरसिंगसर का सवाल है, वहां ज्वाइण्ट सेक्टर में हम उस प्रोजेक्ट को तैयार करा रहे हैं और वहां पर काम भी शुरू होने वाला है। बरसिंगसर के किसान आन्दोलन कर रहे हैं। सभापति महोदय, उनको उनकी जमीन का मुआवजा जल्दी दिलाया जाना चाहिए और वहां पर इसकी जो योजना है उनका काम शुरू होना चाहिए। जहां तक चित्तौड़ का सवाल है, मैं इस सम्बन्ध में सैद्धान्तिक रूप से मतभेद रखना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में बिजली को दिया जा रहा है और खुली अर्थ-व्यवस्था और जिस तरह का पूरे देश में एक माहौल बनता जा रहा है। यह जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिनकी चर्चा अभी की गयी है, तीन साल पहले इनसे बात हो गयी थी अभी तक उस योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया। चूंकि यह जो प्राइवेट सेकटर के लोग हैं यह भी प्राफिट की गारण्टी चाहते हैं इसलिए यदि आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो इस काम को आप शुरू नहीं कर पायेंगे। खैर, बिजली का उत्पादन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। अभाव की स्थिति है लेकिन सभापति महोदय, इस अभाव को भी अकेला को किसान क्यों भुगतेगा। राजस्थान प्रदेश के सभी वर्गों के लोग, चाहे अमीर हों या गरीब हों,कटौती सब के यहां होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा बिजली की आवश्यकता दो तरह की है। एक ही जरूरत है इसकी,चाहे वह कृषि की क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो और आपका विलासिता का जो इसके क्षेत्र में बिजली खर्च हो रही है उसमें कमी की जानी चाहिए। जो बिजली की फिजूलखर्ची हो रही है उसको रोका जाना चाहिए और यह भी कहना चाहूंगा कि जब उद्योग के लिए कोई भी कारखाना खोलता है तो उसको बिजली तो मिलती है फिर एक गांव का किसान, जो अपने खेत में कुआ खोदता है, यह बिजली की मांग करता है उनको

(डा. चन्द्रभान)

10-10, 12-12 साल तक बिजली क्यों नहीं मिलती ? और आजकल जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसके घाटे की चर्चा है। आर एस ई बी. के घाटे की चर्चा हुई। माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर में घाटा है। घाटा है उसकी कोई वजह सकती है लेकिन इसका भार सीधा जनता पर नहीं पड़ता चाहिये। उस कारपोरेशन में या बोर्ड में काम करने वाले लोगों की रेस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिये। आर. एस ई. बी. में जो लोग बैठे हैं, चूरमा तो वह खाते रहें और कह रहे कि अब इसका भार डाल दो किसानों पर, गरीब लोगों पर इसका भार डाल दो। चाहे रोडवेज हो, वहां पर गड़बड़ी कोई करता है और किराया बढ़ा कर जनता पर उसका भार डाल दिया जाय ?

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : आपके टाइम में भी बहुत बढ़ा था।

(9.00 रात्रि)

डा. चन्द्रभान : मेरे टाइम में कोई किराया नहीं बढ़ा था। आप मुख्य मंत्रीजी से बात करलें चाहे मेरे से करलें, हमने हमेशा विरोध किया है। साढ़े आठ महीने तक कोई किराया नहीं बढ़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जितनी भी बिजली है उसकी प्रायोरिटी निश्चित हो जानी चाहिये। सबसे पहले प्रायोरिटी किसान को मिलनी चाहिये क्योंकि वह उत्पादन बढ़ायेगा। उसके बाद कारखानों और लघु उद्योग और छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं उनको मिलनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो तीन मिनट और लेऊंगा। इसी के साथ में यह शहरों के अन्दर 24 घंटे बिजली देने की जो परम्परा बन गयी है इसके बारे में विचार होना चाहिये। जब गांवों को 24 घंटे बिजली नहीं दी जाती है तो यहां क्यों ? मैं यह नहीं कहता कि आप दिन भर बिजली ना रखो। चार घंटे, पांच घंटे, 6 घंटे की तो कटौती की जा सकती है और उसका उपयोग कृषि उत्पादन को बढ़ाने में होना चाहिये। तुरन्त प्राथमिकता योजना की जहां तक चर्चा है, हम इसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। मैं, माननीय मंत्रीजी, यह कहना चाहूंगा, आप आर. एस. ई. बी. को ट्रेडिंग कम्पनी मत बनाइये कि जिस किसान के पास या जिसके पास ज्यादा पैसा हो वह तो बिजली ले सकता है और गरीब आदमी नहीं ले सकता। एक प्रायोरिटी और फिक्स कर दी। एक हजार रुपया जमा करा दो एक साल की प्रायोरिटी है, दो हजार रूपया जमा करा दो, दो साल की प्रायोरिटी है। इस तरह की प्रायोरिटीज को आप बन्द कीजिये। यह कहना चाहूंगा। अकाल है, आपने अब तक केवल तीन हजार कनेक्शन दिये हैं जब कि 25 हजार की घोषणा आपने बजट सैशन में की थी। अकाल के समय इसकी संख्या बढ़ायें और जल्दी कनेक्शन देने का काम कीजिये।

इसके साथ-साथ मैं आर. एस. ई. बी. के बारे में केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा पहले भंडारी साहब इसके चेयरमैन थे लेकिन

(डा. चन्द्रभान)

भंडारी साहब की ईमानदारी और इंटेग्रिटी पर किसी को संदेह नहीं हो सकता। दबे साहब की यहां पर बड़ी प्रशंसा की गई। मैं दबे साहब को नहीं जानता व्यक्तिगत स्तर पर··· (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। कृपया समाप्त कीजिये जल्दी।

डा. चन्द्रभान : लेकिन, सभापति महोदय, सदन में जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं इन्होंने इन्हीं दबे साहब के खिलाफ चार्ज लगाये, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच हुई, उसकी प्राइमरी रिपोर्ट आयी और उसके आधार पर अगस्त, 1989 में तत्कालीन सरकार ने इन्हें हटाया। अब भी कहना चाहूंगा कि दो अप्रैल को दुबारा इन्हें सेवा में लिया गया, रिटायर्ड आदमी हैं, मानसिक, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उम्र भी ज्यादा हैं, इनको आराम करना चाहिये। लेकिन मुझे लगता है··· (व्यवधान) देखिये, मैं इस बात के पक्ष में हूं, मैं किसी आई. ए. एस. को आर. एस. ई. बी. में लगाने के पक्ष में नहीं हूं टेक्नोक्रेट होना चाहिये लेकिन राजस्थान में कोई अच्छा इंजीनियर नहीं मिला सरकार को ? 2 अप्रैल, 91 को यह आये, इन्होंने एक महीने में दो करोड़ की गाड़ियां खरीदीं जिनमें से कई गाड़ियां पांच हजार किलोमीटर चली हुई थीं। उन्हें नयी की कीमत पर खरीदा गया। हिन्दुस्तान मोटर्स टैंकर 1980 में ही मंडल ने जिसे रिजेक्ट कर दिया था, पड़ौसी सांघी से दुबारा खरीद ली गई। जिसको रिजेक्ट कर दिया 1980 में उनको दुबारा खरीदने की क्या जरूरत थी ? एक सोलंकी साहब हैं। उनके ही समय में दुबारा वही अधिकारी प्रमोशन पा रहा है। यह सोलंकी साहब के खिलाफ तो चार्ज लगा था और आपकी पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी ने इनके खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की थी। अब उनका फिर प्रमोशन हो गया। वह भी राजनैतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं। तो इनके खिलाफ दुबारा जांच होनी चाहिये। इनके जाने से आर. एस. ई बी. की स्थिति में सुधार नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के घाटे की बात की जाती है, फिजूलखर्ची की बात की जाती है, इतना गरीब हो गया आर. एस. ई. बी., उस पर कर्जा है यह घाटे का कहा है तो यह राजस्थान भर में और दिल्ली में इनके जो रेस्ट हाउस चलते हैं जिन पर लाखों करोड़ों रूपया सालाना खर्चा होता है, जो करोड़ों रूपये की पूंजी है, जो करोड़ों रूपये की प्रापर्टी है इनको क्यों नहीं बेच देना चाहिये। दबे साहब जायेंगे तो राजस्थान हाउस में इनको जगह मिलेगी, इनके इंजीनियर लोगों के लिये भी जगह मिलेगी, पी. डब्ल्यू डी. के डाक बंगले, सर्किट हाउस बने हुए हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। महत्वपूर्ण बात आप कह चुके हैं। अब समाप्त कीजिये।

डा. चन्द्रभान : यह आर. एस. ई. बी. के रेस्ट हाउस खतम कर देने चाहिये। अन्त में एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मैं झूंझुनूं और सीकर के बारे में कहना चाहता

(डा. चन्द्रभान)

हूं । सभापति महोदय, वहां सिंचाई केवल बिजली के द्वारा होती है। अकाल की स्थिति है । वहां पर बिजली का ज्यादा इन्तजाम करना चाहिये, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को। दस और बारह घंटे बिजली देनी चाहिये । और आर. एस. ई. बी. के घाटे के नाम पर, बिजली की कमी के नाम पर यदि सरकार ने किसानों के ऊपर एग्रीकल्चर टेरिफ बढ़ाने का कोई दुस्साहस किया तो मैं यहां पर चुनौती देना चाहता हूं, इस सरकार के जाने के दिन आ गये हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां। (अनुपस्थित)

माननीय श्री नंदकिशोर शर्मा । (अनुपस्थित)

माननीय श्री दिलसुख राय ।

श्री नंदकिशोर शर्मा : मैं बोल रहा हूं, साहब ।

श्री सभापति : बोलिये । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे दल का बुलवाइये ।

श्री सभापति : साहब, मैं देख कर इसमें से नम्बरवाइज ले रहा हूं । अभी आपका ले लेंगे । (व्यवधान) इनके बाद ले लेंगे। मुझे नाम दिखाई नहीं दिया आपका । नाम बोल चुका हूं मैं । इनके बाद ले लेंगे ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : हमारे दल की सूची है, हमें आपत्ति है । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : साहब, ऐसे नहीं है ।

श्री सभापति : मैंने अमीन खां का बोला ना अभी । अभी बोला ना मैंने ।

एक माननीय सदस्य : क्यों काय-काय मचाई है, बैठ जाओ नी । (व्यवधान)

श्री सभापति : तो बोले क्यों नहीं आप, जब मैंने बोला तब ।

श्री परसादीलाल मीणा : तो दूसरे का नाम है, आप हमारे दल के दूसरे माननीय सदस्य को बुलाओ ।

श्री सभापति : मैंने आपकी तरफ से माननीय अमीन खां का बोला। वह हैं नहीं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : वह नहीं हैं तो दूसरे को बुलाओ । तैयार हैं हमारे दल के।

श्री सभापति : अभी आप विराजें । क्या हो जायगा पहले और पीछे ।(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : नहीं नहीं, पहले आप बुलवाइये, साहब हमारा चांस चला जायगा । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें, अभी बुलवा लेंगे । अच्छा आप विराजें । कौन बोलना चाहते हैं । माननीय श्री रतनाराम । चलिते छोटी सी बात पर क्या झगड़ा कर रहे हैं।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, इनको पुकार कर इनको बोलने दे रहे हैं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं । क्या फर्क पड़ गया । छोटी सी बात है ।

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, आपने मुझे बात कहने के लिये समय दिया। सर्वप्रथम मैं हमारे विधान सभा क्षेत्र की जो समस्या है उनके बारे में सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, रानीवाड़ा, जिला जालौर में। 132 के वी का ग्रिड स्टेशन बनने जा रहा है। फाउण्डेशन हो गया, सारा काम कम्पलीट हो गया परन्तु अभी तक वहां पर कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। करीब तीन साल से 132 के वी की लाइन खींच दी गई है। फाउण्डेशन वगैरह कम्पलीट हो गया परन्तु एक भी ट्रांसफार्मर वहां अभी तक नहीं पहुंचा है। बिजली बोर्ड के चेयरमैन और चीफ इंजीनियर साहब बहुत अच्छे टेक्नीकल और अनुभवी व्यक्ति विराजमान हैं, मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। दूसरी, रानीवाड़ा में बड़गांव में 33 के वी का ग्रिड स्टेशन बने करीब दो साल हो गये वहां ट्रांसफार्मर भी लग गया परन्तु उसको चालू अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए कृपा करके 132 का रानीवाड़ा में, 33 के. वी. का बरजांग में और 33 के. वी. का मालवाड़ा में सब स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन है उनको अविलम्ब चालू करवाने की कृपा करें। दूसरी बात हमारे सत्ता पक्ष के लोग जो मन्दिर के नाम से सत्ता में आये हैं इसलिए पहले आपको मैं यही बात कहता हूं (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त : आप, रतनाराम जी, बन्दरों के नाम से आओ।

श्री सभापति : कृपया विराजिए, आर्डर प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी : मंदिरों की फाइल है बिजली के कनेक्शन के लिए, इस कारण कह रहा हूं। बिजली की लाइन मंदिरों के पास से गुजर रही है।

श्री सभापति : आप मतलब की बात कहिये। समय जाया हो रहा है, बोलिए जल्दी।

श्री रतनाराम चौधरी : जो जो मंदिरों के पास में विद्युत विभाग की लाइन गुजरी है और काफी समय से फाइल मंदिरों का संचालन करने वालों ने आर. एस. ई. बी. आफिस में जमा करा दी है विद्युत कनेक्शन के लिए लेकिन एक भी कनेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए प्राथमिकता सबसे पहले मंदिरों में कनेक्शन को दी जाय, यही कह रहा हूं और हमारे जसवंतपुरा, रानीवाड़ा में आज 15 ट्रांसफार्मर जले हुए एक महीने से पड़े हैं और रामसिन मे करीब 10 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जो कोई 25 के, कोई 63 के और कोई 100 के. वी. के हैं। अब रबी की फसल होने का समय आ गया है। आप कृपया करके जल्दी से जल्दी वहां ट्रांसफार्मर लगवाने की व्यवस्था करावें और जो ट्रांसफार्मर हमारे रानीवाड़ा से जोधपुर जाकर रिपेयर होते हैं वहां एक्स. ई. एन. आफिस में कोई टेक्नीकल आदमी को बैठा दिया जाय ताकि समय पर इनकी रिपेयरिंग हो जाय। जहां जहां ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और किसान स्वयं अपने ट्रेक्टर, बैलगाड़ी में लेकर जाते हैं बिजली बोर्ड आफिस तक लाते हैं तो कनेक्शन में भी शोषण होता है उनका और ट्रांसफार्मर बदलाने में भी शोषण होता है उनका इसलिए कृपा करके इस पर अंकुश लगवाइये, अधिकारियों को पाबन्द कीजिए। कंज्यूमर को "एल" फार्म देने के बाद 6–6 महीने, 8–8 महीने तक कोई कनेक्शन नहीं जोड़े जाते कृपा करके

(श्री रतनाराम चौधरी)

"एल" फार्म जमा होने के बाद उनका समय निर्धारित कीजिए। एक महीने की अवधि में कनेक्शन कर दिया जाना चाहिए, यही मैं सुझाव देना चाहता हूं।

एक, बिजली विभाग की गलती के कारण जो कई लोगों की मृत्यु तार टूटने से हो जाती है। किसानों के मूल्यवान मवेशी, एक भैंस 10 हजार की होती है, बिजली विभाग की टेक्नीकल गलती के कारण किसानों के पशु मर जाते हैं बिजली का तार टूटने से या अन्य गड़बड़ी के कारण, उसके लिए विभाग को जिम्मेवार बनाया जाय कि किस प्रकार से किसान का नुकसान उनकी टेक्नीकल गलती के कारण हुआ है और उसके लिए विभाग को भुगतान करना पड़ेगा। एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। गुजरात हमारे पड़ौस में है। वहां कोई भी बिजली का फाल्ट होता है और बिजली अगर उनको नहीं मिले तो कंज्यूमर को समय पर सूचना दी जाती है कि इस कारण से आपको बिजली नहीं मिलेगी परन्तु हमारे राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं है कंज्यूमर को सूचना देने की।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए, आपने कहा था कि आखिरी बात है।

श्री रतनाराम चौधरी : गुजरात में पोल पर साइड में तार खींचते हैं और राजस्थान में पोल के ऊपर तीनों तार लगाते हैं गुजरात में साइड में तार लगाने से हवा में फाल्ट कम होता है परन्तु राजस्थान में ऊपर पोल के तार लगाने से हवा में फाल्ट होता है जिसके कारण वह तार टूट जाते हैं जिससे ज्यादा फाल्ट होता है और कंजूमर को नुकसान होता है और मोटरें जलती हैं और मवेशियों का नुकसान होता है इसलिए कृपा करके इसमें तो खर्चा भी नहीं है। उल्टे खर्चा बचता है जैसे पोल पर लगाने पर आपको एंगल लगानी पड़ती है तो ऐंगल का आपको फायदा होगा और साइड में सिर्फ इंसुलेटर लगाने से ही आपका तार खिंच जाता है तो क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था की जाय। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय नन्दकिशोर शर्मा।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : सभापति महोदय, आज बिजली देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गई है और राजस्थान के लिए, तो, क्योंकि यहां बार बार अकाल पड़ता है इसलिए सबसे आवश्यक बिजली है। बिजली का जितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारा विकास केवल बिजली पर ही निर्भर है और राजस्थान में कभी पानी कम बरसता है, कभी ज्यादा। अगर किसान को बिजली देंगे तो हमारे उद्योग भी पनपेंगे, व्यापार भी पनपेंगे और किसान की पैदावार भी बढ़ेगी। किसान एक पेड़ की तरह है, इसमें जितना पानी दोगे, पूरा पेड़ हरा भरा होगा। इस साल सरकार ने जो अभी नई बिजली नीति घोतिषत की है, मैं उसका पूरा

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

समर्थन करता हूं। उसकी 2-3 बातें इतनी बढ़िया हैं, सामुदायिक लिफ्ट योजना बनाते तो उन पर कनेक्शन देने में बड़ी मुश्किल होती। इस योजना में लिफ्ट को प्राथमिकता देकर किसान का कल्याण किया है। दूसरी बात, गांवों में दो कनेक्शन देंगे। जलधारा के जो कूवे खुदे हैं उनमें यदि कनेक्शन मिलेगा तो इस गरीब किसान को, जिसको हमने अत्योदयी और गरीब माना है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। माननीय चैयरमेन साहब ने इस बात को अपने दीर्घ अनुभव से लागू किया है इसलिए सरकार और वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, कई माननीय सदस्यों ने अनुभव की कई बातें बताई हैं मैं अपने क्षेत्र की 2–3 बातें बताना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र बहुत दूर पड़ता है, लम्बी लम्बी लाइनें हैं बिजली जाने में कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे क्षेत्र में 132 के. वी. स्टेशन का, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, कि इसको जल्दी पूरा करें ताकि हमारी लाइन अच्छी तरह से चल सके साथ ही 33 के. वी. के जी. एस. एस. की जो स्वीकृति घुराड़ी, गलियाचोर और मोखमपुरा इन तीनों पर काम भी शुरू हुआ था लेकिन अब लाइन के खम्भे जल्दी पूरे होंगे तो लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। किसान को बिजली 5 महीने, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जितनी ज्यादा दे सकते हैं देनी चाहिए, चाहे किसी की भी काट कर, क्योंकि अगर किसान की खेती नहीं होगी तो हम सभी तरह से पीछे रहेंगे। अकाल की स्थिति का सामना केवल किसान को बिजली देकर कर सकते हैं। किसान को बिजली के कनेक्शन में देरी होती है, उसके किसी प्रकार से पैसा जमा कराने में देरी होती है तब भी उसका कनेक्शन काटा नहीं जावे।

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र छबड़ा में वर्ष 1977 में मुख्यमंत्री जी गये थे तो वहां गांवों में बिजली लगनी शुरू हुई थी। आज 12 साल हो गये उसके बाद भी 10, 15, 20 गांव अभी बाकी हैं। मेरा निवेदन है कि जो गांव बाकी रहे हैं उनमें बिजली जल्दी लगाई जावे। वहां छीपा बड़ौद के गांवों में जितना बिजली का विकास कर सकें, खास तौर से किसानों को बिजली के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जावे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री मदनलाल सैनी।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, यहां 5–6 माननीय सदस्यों ने सम्बोधन में, माननीय चैयरमैन विराजे हैं, उनसे मेरा कहना है, अधिकारी विराजे हैं, उनसे मेरा कहना है। सदन में बोलते समय एक तो चैयर को और ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी को कह सकते हैं या अन्दर बैठे हुए सदन को सम्बोधित कर सकते हैं, एक बात किसी उदाहरण के तौर पर या सन्दर्भ देकर कही जा सकती है कि चैयरमेन को देखना चाहिए, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति : सही बात है, समझ में आ गई बात, बिराजिए।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिजली का एक अपना महत्व बनता जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बड़ी राग अलापी जा रही थी सामने वाले हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा कि विशेष ओ. वाई टी. स्कीम चालू करके जनरल काश्तकारों की प्रायोरिटी की व्यवस्था को तोड़ा गया, वास्तव में जो कनेक्शन्स हुए 33995, उन कनेक्शन को देखा जाए। ओ. वाई. टी. स्कीम्स में जो कनेक्शन दिये गये, उसके कारण से प्रायोरिटी की स्कीम के काश्तकारों को दिये जाने वाले कनेक्शन में कमी नहीं आई। वास्तव में राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिये था, बधाई देनी चाहिये थी लेकिन हमारे माननीय सदस्य द्वारा शायद कोई अच्छी बात को सराहना, उनके स्वभाव में नहीं है। मैं राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के वो क्षेत्र जहां कुआ गहरा है, पानी पूरा आता नहीं, कई बार बिजली भी समय पर नहीं आती थी और रोकी एरिया में जो कुए हैं, उसके कारण से भी पानी पूरे समय नहीं मिल पाता। काश्तकार आठ घन्टे बिजली का उपयोग नहीं ले सकता था लेकिन मीटर रीडिंग के कारण से मिनिमम चार्जेज उसको देना पड़ता था। राजस्थान सरकार सरकार ने सत्ता सम्भालते ही, फरवरी 90 से यह नियम लागू कर दिया कि राजस्थान का किसान, उसका जितना मीटर चार्जेज होगा उतना उसका पैसा लगेगा। मीटर का मिनिमम चार्जेज राजस्थान से हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वास्तव में ये इस प्रकार की बातें थीं जिन पर हमारे माननीय सदस्यों को राजस्थान सरकार की तारीफ करनी चाहिये थी। आज इस प्रकार की चर्चा हुई, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में जिन लोगों के ओ. वाई. टी. स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। आज 57 कनेक्शन ऐसे हैं जिनके डिमान्ड नोटिस के पैसे जमा हो गये, उनको कनेक्शन मिलना चाहिये था लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। फिजिबिलिटी का सवाल लगा दिया गया। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी उन किसानों को कनेक्शन दिये जाने चाहिये। उदयपुरवाटी तहसील के ओ वाई. टी. के स्कीम के कनेक्शन यदि किसानों को अक्टूबर से पहले नहीं मिलते है तो उन कनेक्शन का उपयोग नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि सारी बुआई होगी, गेहूं की बुआई होगी वह अक्टूबर नवम्बर के बीच में होती है। यदि कनेक्शन दिसम्बर में दिया जाता है तो उन कनेक्शन का उतना उपयोग काश्तकारों को नहीं मिलता है, उसे कर्जे के पैसे का भी लाभ नहीं मिलता इसलिए हर प्रकार से व्यवस्था करके, चाहे इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े, कुछ अतिरिक्त लेबर भी लगानी पड़े तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों को इस बात के लिए आगाह किया जाना चाहिये कि अक्टूबर में सारे कनेक्शन रिलीज हो जाय। यह फरवरी में बातचीत

(श्री मदन लाल सैनी)

की गई। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि फरवरी में कनेक्शन दिये जायेंगे। एक साल पीछे हो जाएगा, राजस्थान का काश्तकार एक फसल पीछे हो जायेगा। फरवरी में बिजली देने की जो व्यवस्था की जा रही है उसको बदलना चाहिये। अतिरिक्त व्यवस्था करके इसकी अक्टूबर में व्यवस्था करनी चाहिये।

बिजली बोर्ड ने एक नियम बना लिया कि लाइन तो खींच दी, उसके बाद बिजली बोर्ड ने अपना कर्त्तव्य यह नहीं समझा कि इस लाइन को चैक करना चाहिये। 2, 4, 5 वर्ष बाद में तार कहीं ढीले हो रहे हैं या नहीं, यह चैक नहीं किया जाता है। काश्तकार 10 बार दरख्वास्त देकर जाता है लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी वहां जाकर तार को नहीं खींचता है। राजस्थान के उस शेखावाटी के क्षेत्र में आंधियां चलती है, तार भिड़ते हैं और इस कारण से फाल्ट होते हैं। कई बार तार टूटते हैं, आने-जाने वाले जानवर मर जाते हैं। बिजली की मोटरें जल जाती हैं इसलिए मेरा यह भी कहना है कि बिजली बोर्ड इस प्रकार की व्यवस्था करे, एक नियम बनाए जिसके अनुसार 2 वर्ष, 4 वर्ष बाद में बिजली बोर्ड की जितनी भी लाइनें हैं जो काश्तकारों के कुएं में से जाती है, उन लाइनों को चैक करेंगे। तार ढीले हुए है, खम्भे टेढ़े हुए हैं, उन खम्भों को भी ठीक करेंगे, तार को भी ठीक करेंगे। यह एक बड़ी विडम्बना है, माननीय सभापति महोदय, काश्तकार दरख्वास्त देकर जाता है कि मेरा मीटर जल गया है, उस मीटर को बिजली बोर्ड के कर्मचारी बांध नहीं सकते, उसको टाइमली रिपेयर नहीं कर सकते और काश्तकार को पीछे का एवरेज चार्जेज लगाकर देते हैं चाहे वह बरसात का समय था या नहीं था, उसने पूरे सीजन फसल कर रखी थी या नहीं कर रखी थी लेकिन जिस समय उसका मीटर जला, उस समय उसके कुए में अधिकतम जमीन की सिंचाई हुई थी, उसका एवरेज लगा करके एवरेज चार्जेज बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगा देते हैं। यह काश्तकार के साथ अन्याय है। उसका जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिये। मीटर जलने की रिपोर्ट करने के तुरन्त बाद नया मीटर बदल देना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था बिजली बोर्ड को करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गुढ़ा जी. एस. एस. काश्तकारों को बिजली देने का लम्बे समय से इन्तजार कर रहा है। लाइन पड़ गई है, ट्रांसफार्मर्स आ गए लेकिन ट्रांसफार्मर्स दूसरी योजना में लग गए और वे ट्रांसफार्मर्स जल गए। बंगलौर से रिपेयर होकर नहीं आ रहा। इस प्रकार की जो अव्यवस्था है, इसमें जहां कहीं चेंज करने की बात हो सकती है लेकिन पिछले 10 वर्ष से वहां के काश्तकारों को बिजली का एक कनेक्शन नहीं हुआ, माननीय सभापति महोदय, इस ओ. वाई. टी. स्कीम में कुछ कनेक्शन हुए, उनको छोड़कर गुढा ओ. एम. के अन्तर्गत एक भी कनेक्शन पिछले 10 वर्ष में नहीं हुआ। बिजली बोर्ड के अधिकारी और

(श्री मदनलाल सैनी)

पिछली सरकारों ने वहां के काश्तकारों के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध किया है इसको क्षमा नहीं किया जा सकता । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छाडश्री की जो लाइन है. उस लाइन को पूरा नहीं किया जा रहा, उसको बीच में अटकाकर लटकाया हुआ है और उदयपुरवाटी की दूसरी जी. एस. एस. की जो स्कीम है उसको भी अभी ठंडे बस्ते में डाल रखा है । ये जो स्कीमें हैं इन स्कीमों को पूरा करना चाहिये ।

लीकेज के मामले का सवाल आया, मैंने कई मीटिंगों में भी इस बात को उठाया कि बिजली बोर्ड में लीकेज हो रही है, यह सबकी जिम्मेदारी है । केवल बिजली बोर्ड के अधिकारियों की नहीं, जनता, जन प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है । मैंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को लिस्ट दी थी । इस प्रकार की कुछ जगह है जहां डाइरेक्ट कनेक्शन हो रहे हैं । इण्डस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर के कुए हैं लेकिन छापा मारने की हिम्मत नहीं होती । बिजली बोर्ड में हमने सफेद हाथी बांध रखा है, वो फ्लाइंग स्क्वाड के नाम पर, पुलिस के लोगों को, डी.वाई.एस.पी. रैंक के आदमी को हमने जिम्मेदारी दे रखी है लेकिन न जाने क्यों बिजली बोर्ड में आने के बाद वो स्मार्टनेस, वो सुस्ती, वो तरक्की, सब गायब हो जाती है और छापा मारने की हिम्मत नहीं होती है अन्यथा यदि आप रिकार्ड देखेंगे कि जितनी रिपोर्ट आती है, उससे ज्यादा छापे नहीं मारे जा रहे हैं । यदि असेसमेन्ट किया गया कि उनके द्वारा छापे मारने से आने वाले पैसे की तुलना में उन पर जो खर्चा होता है, वह बहुत अधिक होता है । इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको देखना चाहिए कि वहां गड़बड़ कहां है । फिर वितरण की बात आई । बिजली बोर्ड के कर्मचारी जिसको मीटर रीडिंग लेकर आना है, वह 4-6 महीने में मीटर रीडिंग लेकर जाता है । बिजली बोर्ड के मंत्री महोदय, आप अधिकारियों को पूछिये कि कितने कंज्यमर्स हैं और मीटर रीडर कितने हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं ? एक आदमी के जिम्मे खाते कितने आते हैं ? क्या एक आदमी 5000 खातों की रीडिंग ले सकता है, समय पर बिल वितरण कर सकता है ? यह नहीं होगा तो उसका परिणाम यही होने वाला है कि आदमी अंदाज से रीडिंग करके लिखेगा और 5–10 हजार

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

रुपये बिल आ जायगा । ये नित नई घटनाएं, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की कमी के कारण से यह अव्यवस्था हो रही है । कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिये । इंजीनियर्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही । यह इस प्रकार की अव्यवस्था है इसको दूर किया जाना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है और राजस्थान की सरकार को व बिजली बोर्ड को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांवों के किसानों का एप्लीकेशन का पैसा जो 1000 रुपये किया हुआ था, गांव की जनता और किसानों के हित के

(श्री मदनलाल सैनी)

लिए उसको 250 रुपये किया, इसके लिए भी मैं राजस्थान की सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, कुछ इस प्रकार की बिजली बोर्ड में और भी कार्यवाहियां है, जो कार्यवाहियां घाटे का कारण बनती जा रही हैं। बिजली बोर्ड की एक सम्पत्ति है, जिस पर वहां की इंटक की यूनियन ने, दामोदर मौर्य ने कब्जा किया। कब्जा किया, यूनियन के काम आता रहा। चलिये कोई बात नहीं लेकिन लम्बी चौड़ी दुकानें बनाई गई और बिजली बोर्ड की जमीन पर दुकान बनाकर किराये दी जा रही है, और किराये का पैसा कौन खा रहा है, यह बिजली बोर्ड की सम्पत्ति है या नहीं? बिजली बोर्ड को इस पर पैसा वसूल करना चाहिये या नहीं चाहिये, यह बिजली बोर्ड के लोग देखें....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री मदन लाल सैनी : लेकिन मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ई. एस. आई. की स्कीम बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर कहीं-कहीं लागू है, उसका लाभ बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ई. एस. आई से मुक्ति देनी चाहिये और बिजली बोर्ड को उनकी रिएम्बर्समेन्ट की जिम्मेदारी डालनी चाहिये यह व्यवस्था इनको करनी चाहिए। बिजली बोर्ड का गठन हुआ तब पहले मजदूरों का रिप्रजेंटेटिव हुआ करता था। यह 1973 से 78 तक चलता रहा और एक अधिकारियों का रिप्रजेंटेटिव था लेकिन आज अधिकारियों के तीन रिप्रजेंटेटिव हो गये और मजदूरों के रिप्रजेंटेटिव गायब हो गये। आप चाहते हैं मजदूरों का सहयोग मिले, मजदूरों की भागीदारी की बात खड़ी हो, लेकिन आज बिजली बोर्ड में मजदूरों का रिप्रजेंटेटिव नहीं है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि मजदूरों के रिप्रजेंटेटिव हर बोर्ड में होने चाहिये। आज मृतक के आश्रितों की लम्बी लाइन लगी है, लोग बिजली के खम्भों पर चढ़ कर मर गये लेकिन उनकी विधवा को आज नौकरी नहीं, उसका जवान लड़का आज नौकरी के इन्तजार में है। वह बिजली बोर्ड में चक्कर काटता है। यह किसकी जिम्मेदारी है?

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मदन लाल सैनी : कर्मचारियों के ऋण आवेदन पत्र पड़े हैं, वह समय पर नहीं निपटाये जाते। आज श्रमिकों की भरती की आवश्यकता है, लेकिन कोई विचार नहीं किया जाता। श्रमिक संगठनों और राइवल यूनियन को समाप्त करने के लिए चुनाव नहीं करवाये जा रहे। यूनियन के मांग पत्र लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं, लेकिन मैनेजमैण्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों, जंगली क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था रही कि प्रत्येक विभाग का 12 प्रतिशत पैसा वहां पर लगेगा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वह पैसा कहां लगा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मदन लाल सैनी : घर-घर में हम

(श्री मदनलाल सैनी)

बिजली ले जायेंगे लेकिन घरों में बिजली का बल्ब नहीं लग पाता। ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं, गलत जगह बंधवाये जा रहे हैं, घटिया क्वालिटी के खरीदे जा रहे हैं। अनबेलेंसड हो रहा है। कहीं तो पूरी बिजली जा रही है, गांवों में ढाणियां रह गई....

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था का ध्यान रखें।

श्री मदनलाल सैनी : रेवेन्यू विलेज में जो स्थिति बनती जा रही है, रेवेन्यू विलेजेज के साथ-साथ ढाणियों का भी रोइलैक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। आपने जो समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय दिलसुख राय। सभी बोल चुके, सभी बातें आ चुकीं। माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ऐसा है साहब....

श्री सभापति : आपने तो नाम दिया ही नहीं था। पहले आपने खुद ने लिस्ट दी है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बिजली कामामला है, ज्यादा बोलने वाले नहीं है। कई दिनों से चर्चा हो रही है, आप भी सुनना चाहते हैं।

श्री सभापति : आपने जो लिस्ट दी, उसमें आपका नाम नहीं है। आपने सप्लीमेण्टरी दी है, पर ओरिजनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हां दी है। अभी-अभी दी है पांच मिनिट पहले। अच्छा-अच्छा माननीय परसादीलाल जी बोलिये। नाम तो मेरे पास 7, 8 आये, पर इसमें सभी बोलेंगे। वैसे मुख्य-मुख्य बातें सब आ चुकी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नौ बजे का आपने समय निश्चित किया है यहां पर। 12 बजे तक कैसे चलेगी ?

श्री सभापति : मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपसे कि यह उचित नहीं है। समय निश्चित हो गया। आपने पहले अपना नाम नहीं दिया। अब आप सप्लीमेण्टरी लिस्ट में नाम दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं रात को हम तीन बजे तक बैठे....

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष जी ने यह भी व्यवस्था दी थी, 9 बजे का टाइम दिया था। अब साढ़े 9 बज चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है। कृपया कोआपरेट कीजिए। यदि आप परसादीलाल जी बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिएगा। (व्यवधान) मेरे पास जनतादल और बी.जे.पी. के दस आदमियों की लिस्ट अभी मौजूद है। बिराजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, आपने दिलसुख जी को बोलने के लिए कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति जी, दो इनके और दो इनके, चार बैठे हैं।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय परसादीलाल जी (व्यवधान) आप बिराजिये ना। मैंने परसादीलाल जी को बोलने के लिए कह दिया है।

श्री दिलसुख राय : सभापति महोदय, पहले मेरे को मौका दीजिए ।

श्री सभापति : अच्छा परसादीलाल जी थोड़ी देर बिराजिये । इनका नाम पहले बोल चुका हूं । 2, 3 मिनिट में जल्दी ही समाप्त कीजिएगा । मेन बात कहिये ।

श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : सभापति महोदय, बिजली के बारे में काफी चर्चा हो गई, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को 2, 4 सुझाव देना चाहता हूं । इधर और उधर बैठने वाले किसानों की बात करते हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहता हूं कि आप मेरे साथ चलिये, गांवों में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, कैरोसिन तेल मिलता नहीं है, परीक्षा के टाइम बच्चों की हालत खराब हो जाती है । इसलिए बड़ी इण्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात तो दूर रही, पहले गांवों में बच्चों के पढ़ने के लिए तो व्यवस्था कीजिए । गांवों की हालत यह है कि सिंगल फेस लाइट भी शाम को 6 से 10 तक नहीं देते हैं । इसलिए मंत्री महोदय अपने विभाग को निर्देश दें कि सिंगल फेस लाइट 6 से 10 तक मिलनी चाहिए । जब यहां बैठने वाले लोग फ्रीज, कूलर, टी. वी. का उपयोग करते हैं तो क्या गांव के लोग इससे वंचित ही रहेंगे । गांव का किसान अपनी मेहमत से टी. वी. लाता है, वह भी मनोरंजन करना चाहता है, उसकी चिन्ता किसी को नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे शहरों में 24 घण्टे लाइट रहती है और गांव के अन्दर 4 घण्टे, 8 घण्टे एग्रीकल्चर के लिए लाइट देते हैं वह तो देते ही रहो, सिंगल फेस लाइट 24 घण्टे गांव में देनी चाहिए । हमारे जिले सीकर में फुहारों से सिंचाई होती है, 10 हार्स पावर के कनेक्शन हैं । पावर एक्सटेन्शन के लिए ढाई, तीन हार्स पावर के फार्म भरे 12–12 महीने, 2–2 साल हो गये हैं और उनका विजिलेंस वाले जाकर केस बनाते हैं, दो-दो साल तक कनेक्शन नहीं देते हैं तो किसान को मजबूरी में काम चलाना पड़ता है । बैंक से लोन लेकर फुहारे ले लेते हैं । उसकी किश्त नहीं दी जाती तो, वह मजबूरी में क्या करे । डोमेस्टिक लाइट के कनेक्शन की यह हालत है कि फार्म भरे चार-चार, पांच-पांच साल हो गये लेकिन उनको घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं । अब जो बिजली बोर्ड की नयी स्कीम है, पहले मीटर था, फ्लेट रेट भी थी, लेकिन अब मीटर किसी के नहीं लगाते हैं । कहते हैं मीटर लगाना बन्द कर दिया, तो एक काश्तकार है जिसके पास दस बीघा जमीन है, उसके भी वही फ्लेट रेट और एक काश्तकार जिसके पास 60 बीघा जमीन है उसकी भी वही फ्लेट रेट । काश्तकार के कम जमीन होती थी तो दूसरे काश्तकार को मीटर से पानी दे सकता था, अब फ्लेट रेट में दूसरे को पानी नहीं दे सकता । अगर वह दूसरे के खेत में पानी देगा तो वह केस बना देते हैं । तो मै तो दो, चार छोटी-छोटी बातें, एक तो लाइनों में लीकेज हो रहा है बीस-बीस साल से ।

श्री सभापति : समय समाप्त । यह बात रिपीट हो चुकी । धन्यवाद ।

श्री परसादीलाल जी ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, आज जो विद्युत मण्डल के ऊपर चर्चा रखी है, उसमें मै विशेषकर

(श्री परसादीलाल मीणा)

मुख्यमंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि विद्युत मण्डल के द्वारा समय-समय पर जो नीतियां बनाई जाती हैं, इसमें या तो सरकार को विश्वास में नहीं लिया जाता, या विद्युत मण्डल स्वयं अपनी नीति बनाता है, अपनी सुविधा के अनुसार।

श्री सम्पत सिंह : क्यों खामखाह नाराज कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्यमंत्रीजी आप याद करिये, आप अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि 1982 तक के सामान्य श्रेणी के जितने भी कृषि कनेक्शन के आवेदन हैं, उनको कनेक्शन देंगे। 1985 के जितने भी एस. टी., एस सी. के जितने भी कृषि कनेक्शन के लिए आवेदक हैं, उन सबको कनेक्शन देंगे और इसकी एक नीति विद्युत मण्डल ने बनाई और उसके अन्तर्गत गत सत्र में हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, माननीय विद्युत मंत्रीजी ने कहा था और चतुर्वेदी जी भी बैठे हैं, उन्होंने यह कहा था कि 82 और 85 की नीति के अन्तर्गत जो आते हैं, ऐसे लोगों के डिमाण्ड नोटिस और उनके कनेक्शन की कार्यवाही हम मई, जून तक करा देंगे। चतुर्वेद जी अपने बयान को याद करें और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मण्डल के अध्यक्ष बदले, उन्होंने उस नीति को बंद कर दिया। मुख्यमंत्रीजी आपने अपने गत बजट भाषण में जो कहा था, उस नीति का मण्डल ने किस प्रकार मखौल उड़ाया है। इस बात का मुझे और राजस्थान की जनता को आश्चर्य है कि विद्युत मण्डल ने किस प्रकार 1985 के एस. टी., एस. सी. और 1982 तक के सामान्य वर्ग के किसानों को बंद कह कर, अपनी नीति में अंकित कर दिया कि नये डिमाण्ड नोटिस किसी भी तरह के नहीं निकाले जायेंगे। केवल उन गांवों के निकाले जायेंगे, जहां पर गांवों को इलेक्ट्रिफाईड कर दिया और उनको कनेक्शन नहीं दिये, वहां भी दो-दो कनेक्शन। मुख्यमंत्रीजी आप यहां बजट भाषण में कहें, राजस्थान की जनता उसको पढ़े और आज 82, 85 के आवेदक डिमाण्ड नोटिस के लिए बैठे रहें, कनेक्शन के लिए बैठे रहें और विद्युत मण्डल के अधिकारी अपनी मोनोपॉली चलाकर, तरह-तरह की नीतियां बनाकर राजस्थान की जनता का शोषण करना चाहते हैं। मुख्यमंत्रीजी मैंने पहले भी कहा था, मैं तुरन्त योजना का पक्षधर हूं कि जो लोग स्वेच्छा से, अपनी निजी सम्पत्ति से, अपनी निजी राशि से अगर कनेक्शन लेना चाहे प्रायोरिटी तोड़कर, उन लोगों को आप कनेक्शन दीजिए, इसमें कहां ऐतराज है। मण्डल ने एक आदेश निकाला कि एक गांव के यदि पांच किसान कनेक्शन लेंगे तो उस गांव को हम इलेक्ट्रिफाइड कर देंगे, चाहे वह अविद्युतीकृत हो, या कैसा ही गांव हो और उसका सारा खर्चा वहां के किसान देंगे। मुख्यमंत्रीजी मैं आपको कहना चाहूंगा, विद्युत मण्डल के इस सरक्यूलर के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र और राजस्थान के कई गांव के लोगों ने, एक एक गांव से 50-50 एप्लीकेशन आयी है, 20 से लेकर 50 तक, आप आज उनको यह कह रहें हैं, विद्युत मण्डल ने जो नीति बनाई है कि अविद्युतीकृत गांव में

(श्री परसादीलाल मीणा)

हम तुरन्त योजना में कोई कनेक्शन नहीं देंगे, यह कहां का मखौल है। आपने जब एप्लीकेशन ले ली, लोगों के पैसे जमा कर लिये, आपने उनको आश्वासन दे दिया है कि कनेक्शन मिल जायेगा चाहे जितनी राशि लगे और आज उल्टी बात हो रही है। आज उनको कनेक्शन नहीं देने की बात विद्युत मंत्रीजी ने एक, दो दिन पहले मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में कही कि अविद्युतीकृत गांव में तुरन्त योजना में हम कोई भी कनेक्शन नहीं देंगे। मैं फिर आपको और मण्डल को कहना चाहता हूं कि आप इस योजना को चालू रखिये, आपको इस योजना से फायदा है, जो लोग स्वेच्छा से, प्रायोरिटी तोड़कर कनेक्शन लें, उनको आप कनेक्शन दीजिए। बाकी जो रह जायेंगे ? वह प्रायोरिटी से आयेंगे। जो गरीब रह जायेंगे वह प्रायोरिटी में आयेंगे। तुरन्त योजना में लोगों ने पैसे जमा करा दिये, एप्लीकेशन ले ली और बोर्ड कहता है कि हम कनेक्शन नहीं देंगे। रामेश्वरजी को पता नहीं क्या एतराज है ?

श्री सभापति : हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप उनके विचार सुन लीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : गरीब के खिलाफ, गरीब किसानों के खिलाफ कोई बोलेगा, कोई नीति निर्धारित की जायेगी तो हम उसका विरोध करेंगे।

श्री सभापति : माननीय रामेश्वरजी बिराजिए। आप बात भी नहीं सुन सकते हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हम सुनते हैं।

श्री सभापति : कौन से यह करने वाले हैं। अपनी बात ही तो कह रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको क्या एतराज है ? मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं आसन को इंगित करके कह रहा हूं। गरीब के खिलाफ कोई नीति निर्धारित होती तो हम निश्चय तौर पर विरोध करेंगे।

श्री सभापति : आप अपने भाषण में विरोध कर चुके हैं। अब उनको अपनी बात कहने दें।

(9.44 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसादीलाल मीणा : तुरन्त कनेक्शन देने की योजना बनायी, जिन लोगों से एप्लीकेशन ले ली, जिनके पैसे जमा कर लिये, कम से कम उनको कनेक्शन देने की बात तो मुख्यमंत्रीजी कहिए। लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, गांवों में चर्चा हो गयी कि हमारे गांव में 50 लोग कनेक्शन ले रहे हैं। हमारे गाव में बिजली आ जायेगी। आज कुछ लोग कहते हैं कि गांव को विद्युतीकृत नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपको तुरन्त कनेक्शन योजना को चालू रखना चाहिए। कोई सरकार का, मण्डल का दबाव नहीं है। किसी के ऊपर प्रेशर

(श्री परसादीलाल मीणा)

नहीं है कि कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो सरकार सामान्य श्रेणी के लोगों लोगों को कनेक्शन देगी। उसमें कोई अड़चन आती है तो वह मेरी समझ में नहीं आती कि इस तुरन्त कनेक्शन योजना को क्यों बंद किया है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन-जिन गांवों को विद्युतीकृत किया जाता है वहां पांच-पांच, दस-दस सालों तक, एक भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है। विद्युतमंत्रीजी को पहले भी बता चुका हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कनेक्शन के, कम से कम 400-500 लोग हैं जिन्होंने एक साल से भी अधिक समय से "एल" फार्म और पैसे जमा करा रखे हैं। आप उनको कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने ध्यानाकर्षण के जरिये आपको कहा था पर आपने मंजूर किया था कि 132 सब ग्रिड स्टेशन और 33 के.वी. की सब चौकियां नहीं बनेगी तब तक हम कनेक्शन नहीं देंगे। फिर आपने डिमाण्ड नोटिस क्यों निकाले? एल फार्म क्यों जमा करवाये। आज कहते है कि कनेक्शन नहीं मिलेगा। पहले क्यों नहीं इम्प्रूवमेण्ट किया। मेरा निवेदन है कि 132 का सब स्टेशन हमारा दो साल से मंजूर है। उसको मण्डल पैसा नहीं दे रहा है और किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।

मेरा दूसरा निवेदन है कि विद्युत मंडल में जो सलाहकार समितियां गठित करने की बात आपने पिछले सत्र में कही थी वह आज तक कहीं भी जिला स्तर पर गठित नहीं हुई है। अधिकारी जैसे चाहें प्रायोरिटी बना लेते हैं, कनेक्शन देते है, नहीं देते हैं यह उनकी मर्जी पर है। आपको जल्दी से जल्दी जिला लेवल पर विद्युत मण्डल सलाहकार समितियां गठित करनी चाहिए।

मैं विद्युत मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पांच साल के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम बनाते है और उसमें आप सारे गांवों को कनेक्शन नहीं करते हैं और स्कीम को पांच साल के बाद बंद कर देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी स्कीम को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारे सुझाव आ चुके है।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिन पंचायत समितियों का कम विद्युतीकरण हो पाया है, 50 से 60 प्रतिशत ही जिनका विद्युतीकरण हुआ है वहां पर आज आप दो-दो तीन-तीन गांवों को कनेक्शन देते हैं। तीन गांवों का विद्युतीकरण करते हैं। आप उन पंचायत समितियों को जो पिछड़ी हुई है, उनको यदि दूसरी पंचायत समितियों के बराबर लाना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता से विद्युतीकरण कीजिए। मेरी पंचायत समिति में अभी 50 प्रतिशत के लगभग गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। मैंने मण्डल में पता किया तो इस साल केवल दो गांवों को विद्युतीकरण के लिए रखा है। माननीय विद्युतमंत्रीजी यह कहां का न्याय है? जिन गांवों का 100 प्रतिशत हो गया है। उन पंचायत समितियों में तो आठ दस गांव दिये लेकिन जहां पर कम विद्युतीकरण हुआ है वहां दो गांव ही दिये है। जो पिछड़ी हुई पंचायत समितियां हैं जहां कम विद्युतीकरण हुआ है, उनको ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने की बात करे।

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलालजी, कृपया समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक बात और कहना चाहता हूं। जो मण्डल का ढांचा है उसमें विद्युत मंत्रीजी की क्या भूमिका है? सरकार का इसमें दखल नहीं है। विद्युत मण्डल ने अपनी नीति बना ली जब चाहे उसे बदल दो। मेरा निवेदन है कि पुरानी नीति में जो बात कही थी उसको नये अध्यक्ष आये तो निरस्त कर दिया। चाहे 82, 87 की बात हो चाहे विद्युतीकृत गांवों की बात हो। नये साल में मण्डल ने एक आदेश निकाला जो किसान ट्रान्सफारमर के पैसे पूरे जमा करायेगा उसको हम 10 दिन में कनेक्शन दे देंगे। माननीय विद्युत मंत्रीजी आपसे कहना चाहता हूं। मेरे इलाके के 15 किसानों ने 21–21 हजार जमा कराये आज 10 महीने के बाद भी एक किसान को कनेक्शन नहीं दिया है। कई बार जिला कमेटियों में शिकायत की पर आज तक कनेक्शन नहीं देने का क्या कारण है? क्यों पैसे जमा किये? आपके विद्युत मण्डल को इस तरह से कनेक्शन रोकने का, इस तरह से पैसे जमा करने के बाद कनेक्शन नहीं देने का क्या औचित्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विद्युत-मंत्रीजी।.... जवाब दीजिए.... (व्यवधान) सारे सुझाव आ चुके है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुख्य-मंत्रीजी का प्रस्ताव था कि दो इधर से दो उधर से और दो उधर से....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा आर्य : माननीय उपाध्यक्षजी, एक बहुत जरूरी बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सी बात रह गयी? (व्यवधान) इतने माननीय सदस्य बोल चुके है। माननीय मंत्री महोदय, जवाब दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो पहले ही दी जा चुकी है।

(9.30 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रा आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाएं बहुत कम बोलती है और जब बोलती है तो आप बोलने नहीं देते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से व्यवस्था शुरू-शुरू में यह थी कि इस पर तीन घण्टे की चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : अभी तो जवाब होगा, उसके बाद आधे घण्टे की चर्चा होगी। आप आधे घण्टे की चर्चा तक बैठेंगे? कोई नहीं जायेगा?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जब तक आप नहीं जायेंगे, तब तक नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कौन रह गया? (व्यवधान) एक एक बोलें। साथ-साथ बोल रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठने की बात कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कल रात को तीन बजे तक बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुकी, आपका भाषण हो गया क्या?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहां हुआ ? मेरे को बोलने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। मैंने सुन लिया।

श्री कालीचरण सराफ : इनके दो हो गये हैं अब हमारा नम्बर है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, अब मैं बैठूंगी नहीं बोलूंगी।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी कि कोई भी सदन से जायेगा नहीं निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन होगा लेकिन भोजन व्यवस्था होगी तब ही।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैं विराजूंगी नहीं। आप पांच मिनिट भी नहीं देना चाहते हैं ? कितनी चिन्ता का विषय है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की तरफ से महिला सदस्या बोल लेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई, मैं बोलूंगी, मेरा नम्बर क्यों काट रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा महिलायें-महिलायें बोल लेगी।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : पहले मैं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : आज जितनी महिलायें बोलना चाहे बोलेगी।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : पहले मैं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये। लेकिन 5–5 मिनट का टाइम है उसने ज्यादा नहीं होगा।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से नोहर के अन्दर विद्युत उप खण्ड कार्यालय खोलने के बारे में कहना चाहती हूं कि पांच साल से नोहर में उप खण्ड कार्यालय के लिये प्रस्तावित है उसके बावजूद भी वहां आज तक नहीं खुला है। मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था, मैंने मंत्रीजी से भी निवेदन किया था और जब सुमित्रा जी खुद मिनिस्टर थी तब तो उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि अभी तो बजट नहीं है और उसके बाद रामनारायणजी जब मिनिस्टर बने तो उन्होंने मेरे से बड़े प्रेमपूर्वक शब्दों में कहा कि मेरी तो चलती नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर आपकी चलती नहीं है तो आप इस्तीफा देकर बाहर क्यों नहीं आ जाते। मैं आको कुछ इस तरह के टेक्निकल बिन्दु बताना चाहती हूं।....

श्री अध्यक्ष : आप किस बात से प्रभावित हुई।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : प्रभावित की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी बात से प्रभावित हुई। चलती नहीं है उससे हुई कि प्रेमपूर्वक कहा उससे हुई। किस बात से प्रभावित हुई।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : प्रेमपूर्वक कार्य हो जाता तो कोई बात नहीं थी। मुख्यमंत्रीजी ने खुद ने आश्वासन दिया था और मंत्रीजी को बुलाया था, उन्होंने चेयरमैन साहब को भी बुलाया था परन्तु उसके बावजूद भी मेरे वहां ए ईएन. आफिस नहीं खुला है। उन्होंने अपने यहां तीन आफिस खोल दिये लेकिन राजनैतिक भेदभाव के कारण से आज तक मेरे यहां ए ईएन. आफिस नहीं खोला है। आज ही मैंने मुख्य मंत्रीजी से जब बात की तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है। तो आपको जब इस तरह की बात याद नहीं है तो फिर आपको क्या बात याद रहेगी। आप मेरे नोहर क्षेत्र के अन्दर उप खण्ड कार्यालय खोल दीजिये वरना मैं आज धरने पर बैठती हूं, चाहे आपकी असेम्बली भंग हो जाय, मैं यहां बैठी रहूंगी आप क्या कर लेंगे मेरा।

मैं टेक्निकल आपको बताना चाहती हूं कि भादरा के अन्दर ए.ईएन. आफिस है और वह 50 किलोमीटर दूर है। भादरा में 33 के.वी. की लाइन है जबकि नोहर में न ए.ईएन. आफिस है और न लाइन। भादरा के अन्दर विद्युतीकृत गांव 70 हैं और वहां 85 और भादरा के अन्दर उपभोक्ता 10 हजार और नोहर के अन्दर 15 हजार है, बड़े उद्योग और छोटे उद्योग भादरा के अन्दर 12 है और नोहर में 20 है। भादरा में एक जी.एस.एस. स्कीम है जबकि नोहर में दो हैं। उसके बावजूद मेरे नोहर के अन्दर ए.ईएन. आफिस नहीं खुला है और वह राजनैतिक कारण से नहीं खुला है। मैं आज धरने पर बैठती हूं उससे पूर्व घोषणा करें नहीं तो मैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरे को....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। आप पांच मिनट बोल लीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यह 1988 और 1989 की रिपोर्ट हमारे सामने है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं जबकि वर्ष 1990 और 1991 की रिपोर्ट हमारे सामने होनी चाहिये थी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, मैं कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दिलाना चाहती हूं।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण के सम्बन्ध में समयबद्ध सीमा दी जाती है कि आठ घण्टे बिजली मिलेगी, चार घण्टे बिजली मिलेगी, छह घण्टे बिजली मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर भी लोग रात को बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो टी वी. की बीमारी पहुंच गयी सब जगह तो वे भी सूचना और समाचार से जुड़ना चाहते हैं। आज गांवों में थ्री फेस की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि गांवों में, घरों में रोशनी रहे और बच्चे पढ़ सके और टी.वी. के कार्यक्रम को देख सके। मैं समझती हूं मंत्री महोदय इस बारे में चर्चा करेंगे। यह मेरा तर्क इसलिये देती हूं कि शहर में मर्करी जलती है और गांवों में आवश्यकतानुसार बिजली नहीं मिलती। इस व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारा विजिलेंस सैल है उससे मेरा वास्ता पड़ा....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप शांत तो करें, मेरे को बोलने में व्यवधान हो रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो विजिलेंस सैल है उससे मेरा वास्ता पड़ा। एक चोरी मैंने पकड़वाई नायला में, नायला में चोरी पकड़ी गयी। सामान पहचाना गया और बिजिलेंस ने उसको सीज कर दिया और अन्त में विजिलेंस ने प्रभावित होकर हनुमान शर्मा के केस में अपना फैसला बदल दिया। कितने आश्चर्य की बात है कि जो चोरी साक्षात चोरी थी उसको उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे चोरी नहीं थी और गांव वालों ने जो कहा वह असत्य कहा है। मैं समझती हूं विजिलेंस के इस फैसले से मेरे मन को बहुत दुखाया है। मंत्री महोदय विजिलेंस के लोग भविष्य में इस तरह की बात नहीं करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के करेण्ट लगने से कई बार भैंसें मर जाती हैं या किसी झोंपड़े में आग लग जाती है। विद्युत विभाग कहता है कि समय पर सूचना दें या पुलिस थाने में रिपोर्ट करें लेकिन कोई न कोई अड़चन डाल कर जो खामियाजा है वह नहीं देते हैं। जितनी गलती विद्युत विभाग से होती है उसको तो कम से कम भुगतना चाहिये, उनको खामियाजा देना चाहिये। गांव वाले मालदार नहीं है। एक भैंस मर गयी तो पूरा घर बरबाद हो जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी विद्युत मंत्रीजी कि अपना उत्तर देते समय वह बतायेंगे कि वह इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने वाले हैं। मैंने गांव में भी अनुभव किया, शहर में भी अनुभव किया है, इतना बिजली की लीकेज है, 27 पर्सेण्ट आपकी बिजली चोरी चली जाती है। गांव विद्युतीकृत है, एक लाइन जा रही है उस पर तार डाल कर पूरा गांव बिजली ले रहा है लेकिन विद्युत मंत्रीजी और उनके विभाग के लोग सो रहे हैं बल्कि कुछ पैसे वसूल करके वह बिजली देते हैं। मैं समझती हूं इस लीकेज को रोका जाना चाहिये और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की होनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आप बिराजे। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं केवल एक बात और कहूंगी। अध्यक्षजी आप मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू करिये मंत्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरे को बात कहने दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू करिये मंत्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि आपके यहां किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को नौकरी देने का नियम है। मैंने एक ऐसा मामला आपके यहां दिया उसको सर्विस नहीं दी। कर्मचारी खुद मर गया, उसकी पत्नी मर गयी और उसके दो छोटे बच्चे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप बैठ जायेंगे तो वह बोलती रहेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : माननीया उजलाजी प्लीज सिट डाउन। उजलाजी बैठ जाइये। मंत्रीजी आप बोलिये, आप शुरू कर दीजिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने आज बिजली विभाग के प्रति काफी गम्भीर और जो रोजमर्रा के मुद्दे हमारे सामने रहे थे उन पर अपने विचार बहुत ही विस्तारपूर्वक रखें और इन विचारों की वजह से मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान के विद्युत मण्डल की व्यवस्था के अन्दर सुधार लाने की पूरी कोशिश की जायेगी। मैं सदस्यों से अध्यक्षजी की मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान बनने के समय सन् 1950 में केवल 13 मेगावाट बिजली हमारे यहां उपलब्ध थी और बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस वक्त केवल 16 गांव विद्युतीकृत थे और 26 कस्बों के अन्दर बिजली थी....

श्री यदुनाथ सिंह : आदमी पहले बन्दर था, पृथ्वी आग का गोला थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ तो अब भी हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों आप 1952, 1950 की बात कह रहे हो? 1988–89 पर आओ न।

श्री रामनारायण विश्नोई : राजस्थान में धीरे-धीरे प्रगति हुई। मुख्य रूप से विकास के लिए राजस्थान की सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन देने की व्यवस्था काफी सुधरी। मुझे हर्ष है कहते हुए कि आज की तारीख में करीब 3,85, 593 कृषि विद्युत कनेक्शन राजस्थान में दिये गये।

डा. चन्द्रभान : आपने कितने दिये? आपने तीन हजार दिये हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : अगर राजस्थान में इतने विद्युत कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाते तो आज जो हम राजस्थान के अन्दर अन्न के मामले में अपने पैरों पर खड़े हैं इस स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते थे।

जहां तक मौजूदा सरकार का सवाल है, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1990–91 में यह घोषणा की गयी थी कि हम राजस्थान में 25 हजार कृषि कनेक्शन जारी करेंगे। उन 25 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन की बजाय 34 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन राजस्थान में दिये गये। उस वक्त राजस्थान में सामान्य योजना के साथ-साथ एक तुरन्त प्राथमिकता योजना भी शुरू की गयी। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात का एतराज किया कि यह तुरन्त प्राथमिकता योजना गरीब किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी और बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किये हैं कि तुरन्त प्राथमिकता योजना की वजह से गरीब काश्तकारों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आपने यह देखा कि 25 हजार सामान्य श्रेणी के काश्तकारों को कनेक्शन देने के बाद अगर 12 हजार दूसरे कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता योजना में दिये गये तो किसी भी काश्तकार के हितों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कुठाराघात इस योजना के तहत नहीं हुआ।

डा चन्द्रभान : वह उनकी मजबूरी थी।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह ऐसी व्यवस्था थी कि जो उपभोक्ता 10–10, 12–12 साल से इन्तजार कर रहे थे, माननीय सदस्यों के पीछे घूम रहे थे, जो बार-बार विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास जाकर पैसे देकर कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली और उन्होंने तुरन्त प्राथमिकता योजना के मुताबिक पैसे जमा कराकर अपने कनेक्शन प्राप्त किये। वे लोग बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि तुरन्त प्राथमिकता योजना राजस्थान में बन्द नहीं होनी चाहिए।

डा. चन्द्रभान : कितने आवेदन हैं आपके पास ?

श्री रामनारायण विश्नोई : कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मैंने यह कहा कि तुरन्त प्राथमिकता योजना बन्द नहीं होगी। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि तुरन्त प्राथमिकता योजना राजस्थान में आज की तारीख तक बन्द नहीं हुई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह प्रदेश के सिर्फ मालदार किसान चाहते हैं कि बिजली मिले।

डा. चन्द्रभान : आपके पास कोई जादू-टोना है क्या ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 12 हजार किसानों को दिये। ये 12 हजार गरीब किसानों की लाइन को पीछे धकेलकर पैसे वालों को कनेक्शन दिये हैं। गरीब किसानों की कास्ट पर दिये, अमीर किसानों को दिये।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये, बैठ जाइये आप।

डा. चन्द्रभान : यह तुरन्त प्राथमिकता योजना सरकार के नाम पर कलंक है, इसे खत्म करना चाहिए तत्काल। और आप इसकी पैरवी कर रहे हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप यह भी बतायें कि इस तुरन्त प्राथमिकता योजना में कुल कितने पैसे आये और कितना कुल खर्चा हुआ ? अमीर किसान की कास्ट पर आप गरीब का कैसे नुकसान कर सकते हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने 12 हजार कनेक्शन दे दिये, लेकिन....

डा. चन्द्रभान : जो पैसा खर्च किया वह किसका था, 40 करोड़ रुपया ?

राजस्थान में करीब 40 करोड़ इकट्ठा कर रखा है (व्यवधान) आपको इस योजना को खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। आप इस योजना की पैरवी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं ? आप उत्तर सुनना नहीं चाहते है तो मैं आगे कार्यवाही लेता हूं। आधा घण्टे की चर्चा।

डा. चन्द्रभान : अगर गरीबों के खिलाफ कोई है तो इस सम्बन्ध में चर्चा हो नहीं सकती। हम विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं अब आगे ले रहा हूं। आधा घण्टे की चर्चा।

डा. चन्द्रभान : गरीबों के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते हैं न ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये फिर।

डा. चन्द्रभान : तुरन्त प्राथमिकता योजना को समाप्त करिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : तुरन्त योजना की बात आयी है बीच में, इसलिए बोलना जरूरी है। इसको क्लेरिफाई तो कर लें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा निवेदन यह है....

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि आप सुनना चाहते हैं तो मंत्रीजी को बुलाऊं और नहीं सुनना चाहते हैं तो आगे जाऊं मैं।

श्री परसादीलाल मीणा : तुरन्त प्राथमिकता योजना में जो एप्लीकेशन आयी हैं उनको कनेक्शन मिलना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि ये तुरन्त प्राथमिकता योजना की पैरवी करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे इनको। तुरन्त प्राथमिकता योजना की पैरवी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम नहीं सुनेंगे इस तरह का। यह गरीब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : ये उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं।

डा. चन्द्रभान : यह किस बात की वैलफेयर स्टेट है ? ट्रेडिंग कम्पनी है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये वैलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ये किसानों में हीन भावना पैदा करते हैं। गरीब किसान बिना पैसे के बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता। इससे इन किसानों का कोटा खत्म होगा। पिछली बार नौ हजार कनेक्शन दिये गये, वे 25 हजार में से दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलिये। (व्यवधान) बिराजिये, अब आप।

श्री परसादीलाल मीणा : तुरन्त प्राथमिकता योजना में कनेक्शन लेने के बाद किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। उन्होंने स्वेच्छा से कनेक्शन लिये हैं। आपको क्या एतराज है ? (व्यवधान)

स्वेच्छा से कनेक्शन लिये हैं। एक भी किसान ने अगर शिकायत की हो तो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : दो लाख पन्द्रह हजार कुएं वाले कनेक्शन मांग रहे हैं। (व्यवधान) आपकी जिम्मेदारी है कि ढाई लाख किसान जो कनेक्शन मांग रहे हैं उनको कनेक्शन दें पहले। उनको कनेक्शन दिलवाइये आप। कोई रिकार्ड नहीं बनाया।

श्री अध्यक्ष : माननीय देवपुरा साहब, अब मैं इनका अंकित करना बन्द कर दूं ? आपने आपत्ति की थी कि यह बहुत एक्सेप्शनल केस में होना चाहिए। यह एक्सेप्शनल केस है कि इनका कोई अंकित नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद : देवपुरा जी ने नहीं किया था मैंने किया था।

श्री अध्यक्ष : अब यदि बोलेंगे तो I will expunge everything which you have stated. आप बिल्कुल मेरे अनुशासन की परवाह नहीं कर रहे हैं। यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं बता दीजिए, मैं आगे चलता हूं। सुनना चाहते हैं तो please sit-down & hear him patiently. बाद में आपको कोई बात कहनी हो तो खड़े होकर एक-आध बात कह सकते हैं। आप सुनना नहीं चाहेंगे, आपमें से एक भी बीच में बोले तो मैं बन्द कर दूंगा, आगे जाऊंगा। कुछ तो डेकोरम रखिये आप।

माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता था कि जहां तक तुरन्त प्राथमिकता योजना का सवाल था जैसाकि माननीय सदस्य परसादी लालजी ने कहा, आज तक किसी भी काश्तकार ने हमें आकर यह नहीं कहा कि तुरन्त प्राथमिकता योजना से हमको यह नुकसान हुआ है। आज हजारों काश्तकार राजस्थान में यह कह रहे हैं कि तुरन्त प्राथमिकता योजना बराबर चालू रहनी चाहिए। पर हम मजबूर हैं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि तुरन्त प्राथमिकता योजना आज की तारीख तक हमने बन्द नहीं की है, पर हम इस स्थिति के अन्दर नहीं हैं कि हम तुरन्त प्राथमिकता योजना को चालू रख सकें। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। जब हमारे पास उत्पादन में बिजली नहीं है तो हम तुरन्त प्राथमिकता योजना में बिलकुल खुल्ली छूट नहीं दे सकते कि जो भी आदमी जब कभी आएगा उसको हम बिजली देंगे। इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, अगर बिजली उत्पादन की हमारे पास उपलब्धता होगी तो हम तुरन्त प्राथमिकता योजना को किस रूप में आगे चालू रखें। फिर भी एक बात का आश्वासन मैं देना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की बराबर इस बात की चिन्ता बिलकुल सही है कि जिन लोगों ने तुरन्त प्राथमिकता योजना में अपने प्रार्थना पत्र दिये थे, जिनसे एक हजार रुपए लिये गये थे, जिन लोगों ने डिमाण्ड नोटिस जारी होने के बाद पैसा जमा कराया था, कुछ लोगों ने आधा पैसा जमा कराया कुछ लोगों ने पूरा पैसा जमा कराया, उसके लिए हम बाउण्ड हैं, उन लोगों को हम कनेक्शन देंगे। इस बात में जरूर हमारी मजबूरी थी, कुछ माननीय सदस्यों की यह शिकायत बिलकुल सही है कि जिन लोगों ने छः महीने में पैसे जमा कराये डिमाण्ड नोटिस देने के बाद, डिमाण्ड नोटिस जब विद्युत मण्डल की तरफ से दिया गया, उस डिमाण्ड नोटिस का एक्सैप्टैंस हो गया तो कोई भी विद्युत मण्डल या लाइसेंसी अपनी उस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हम उसको कनैक्शन नहीं दे सकते। पर मजबूरी जो विद्युत मण्डल की तरफ से जतायी गयी है और अब भी बतायी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

जा रही है वह यह है कि हमको यह दिक्कत उन स्थानों पर आ रही है जहां पर वोल्टेज रैगुलेशन बिलकुल सही नहीं है, ऐसे स्थान पर जहां विद्युत मण्डल दसर कनैक्शन देकर एक्जिस्टिंग कनैक्शन जिन लोगों को दिये हैं उनकी सप्लाई को बराबर मेण्टेन नहीं कर सकता, ऐसे स्थानों पर हमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। उन स्थानों पर हमने यह निर्णय लिया है कि जल्दी से जल्दी 33 के. वी. के नये सब स्टशन बनाकर उन जगहों पर बिजली उपलब्ध करायी जाय।

इसी तरह से जैसा कि सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा संख्या में देना, यह अहम बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि हम बिजली का उत्पादन किस प्रकार से ज्यादा कर सकते हैं और उत्पादन अगर हमारे पास नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देकर के जो स्थिति आज हुई है कि हमने हमने पिछले 2–3–4 सालों के अन्दर काफी संख्या के अन्दर हमने कनेक्शन्स दिए। ट्रांसमिशन लाइन्स और जो ट्रांसमिशन स्टेशन बनने चाहिए थे उनके ऊपर ज्यादा पैसा हम आर्थिक कमजोरी की बजह से खर्च नहीं कर सके जिसके कारण आज हमको जगह जगह यह दिक्कत उठानी पड़ रही है कि किसान को 8 घण्टे की बजाय उसे हम रेगुलर 4 घण्टे और 6 घण्टे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ज्यादा संख्या में कनेक्शन रीलिज हो गए और ट्रांसमिशन लाइन्स, जी. एस. एस. स्टेशन्स जहां बनने चाहिए थे, वहां नहीं बने। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है हमारी आर्थिक व्यवस्था। आज बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था बिलकुल जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। नौ सौ हजार करोड़ रुपये की देनदारी बोर्ड के ऊपर है। सबसे बड़ी समस्या यह आती है।

राजस्थान सरकार ने अपने प्लान के अन्दर से 313 करोड़ रुपये देकर के भी यह कोशिश की है। 26-27 पर्सेन्ट बजट का हिस्सा देने के बावजूद बोर्ड की स्थिति हम सुधारने की हालत में नहीं हैं। उसके लिए अभी अभी 6 सितम्बर को दिल्ली के अन्दर पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स हुई और उसमें बिलकुल यह साफ तौर पर कह दिया गया कि कोई भी असिस्टेंस किसी भी प्रकार की विद्युत मण्डल को या राज्य सरकारों को इसके लिए नहीं दी जायेगी जब तक कि विद्युत मण्डल अपनी बचत 3 पर्सेन्ट तक अपना सुधार करके नहीं बता देते हैं। इस स्थिति के अन्दर स्पष्ट तौर पर चाहे आप टैरिफ बढ़ायें, चाहे आप ट्रांसमिशन लासेज कम करो, चाहे आप किसी भी तरह से एस्टैब्लिशमैण्ट का खर्चा कम करें, मितव्ययता लायें और 3 पर्सेन्ट का लाभ बताकर बोर्ड अपनी स्थिति सुधार के नहीं दे देता तो हम किसी भी प्रकार से असिस्टेंस नहीं दे सकेंगे।

इस प्रकार यह भी नोटिस दे दिया गया कि आइन्दा किसी भी प्रकार से उधार के ऊपर न तो कोल की सप्लाई

(श्री रामनारायण विश्नोई)

होगी, न हमें कोई दूसरी प्रकार से असिस्टेंस दी जायेगी। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार बराबर इस बात के लिए चिन्तित है कि बिजली का उत्पादन राजस्थान के अन्दर किस प्रकार से बढ़ाया जाय। उसके लिए जो स्कीम्स हैं, उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से धौलपुर के बारे में आपने प्रश्न उठाये, जिस प्रकार से चित्तौड़ और सूरतगढ़ के थर्मल प्लान्ट्स के बारे में आपने प्रश्न उठाये, उसके लिए धौलपुर का जहां तक सवाल है, मुख्य मंत्रीजी इस पर प्रकाश डालेगे। पर जहां पर दूसरी योजनाएं हैं बरसिघसर लिगनाइट प्रोजेक्ट योजना, उसके ऊपर अप्रेल, 1991 के अन्दर स्वीकृति हो चुकी है और वहां पर हमने काश्तकारों की 11 हजार बीघा जमीन एक्वायर करके उनके लिए करीब 11 करोड़ रुपये कम्पनेसशन के लिए फिक्स कर दिए हैं, अवार्ड जारी हो चुका है। उसके अन्दर 2–3 करोड़ रुपये काश्तकारों ने ले लिए हैं। बाकी कोलोनाइजेशन विभाग और राजस्व विभाग के पास नोट बनाकर भेज दिया है कि उनके लिए तुरन्त 24–25 हजार बीघा जमीन रिजर्व की जाय ताकि हम उनकी डबल प्राइस के ऊपर या जो भी प्राइस फिक्स होंगी उस पर उनको मुआवजे के अन्दर जमीन दे सकें। हमें यह पूरा विश्वास है कि 2×1×120 मेगावाट का बरसिघसर लिगनाइट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जायेगा। निवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि 1993-94 के अन्दर उत्पादन करने की स्थिति में आ जायेंगे।

दूसरा प्रोजेक्ट जो स्वीकृत हुआ है उसकी करीब करीब स्वीकृति मिल चुकी है वह है सूरतगढ का थर्मल प्लान्ट। सूरतगढ़ के थर्मल प्लान्ट के अन्दर भी हमें 2×120 मेगावट के अन्दर बिजली उपलब्ध होगी। उसके अन्दर राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों के हिसाब से कोशिश कर रही है। कुछ पैसा दे दिया गया है और जिस प्रकार से अभी सैन्ट्रल गवर्नमैण्ट के अन्दर अमैण्डमैण्ट आकर यह प्रावधान कर दिया गया है कि निजी क्षेत्र के अन्दर कम्पनी को इसके अन्दर दिया जा सकता है।

माननीय अध्यक्षजी के मार्फत् मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज तक निजी कम्पनियां इसके अन्दर आने से झिझकती थीं। यह एक स्थिति बनी हुई थी चित्तौड़गढ़ प्लान्ट की। कम्पनियों को यह विश्वास था नहीं कि हम किस प्रकार से इसमें पैसा लगायेंगे, विद्युत उत्पादन होने के बाद सैन्ट्रल गवर्नमैण्ट से हमारी क्लियरेन्स होगी या नहीं होगी, उसमें जो बिजली उत्पादन हम करेंगे; उस पूरे बिजली उत्पातन को स्टेट गवर्नमैण्ट खरीद सकेगी या नहीं खरीद सकेगी, क्या टैरीफ होगा, उसके अन्दर हमको कितना पैसा दिया जायेगा, इस प्रकार की कठिनाइयां थीं। हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अब इस प्रकार के निजी क्षेत्र के अन्दर, जो केन्द्रीय सरकार ने अभी अपनी नीतियों के अन्दर तब्दीली की है, उसी

(श्री रामनारायण बिश्नोई)

नीति के अनुरूप राजस्थान के अन्दर भी कुछ योजनाओं को निजी क्षेत्र के अन्दर देकर जल्दी ही बिजली के उत्पादन की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक धौलपुर का प्रश्न है, काफी स्टैज तक यह बात तय हो चुकी थी, कई एक्सपर्ट्स आए थे और उन्होंने कह दिया था कि इससे किसी प्रकार की एन्वायरमेण्टल गड़बड़ी नहीं होगी। इसके बावजूद भी थोड़ा आब्जेक्शन किया गया है। इसमें कोशिश यह की जा रही है कि एन्वायरमेण्टल मिनिस्टरी की तरफ से जो टैक्निकल आब्जेक्शन्स किए गए हैं, उनका समाधान कर दिया जायेगा और हमें यह उम्मीद है कि धौलपुर में भी जल्दी से जल्दी मन्जूरी मिल जाएगी।

माननीय अध्यक्षजी, दूसरी बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता था। कि हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां सौर ऊर्जा की सम्भावनाएं हैं। बाकी ऐसा कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। सौर उर्जा के क्षेत्र के अन्दर भी हमने 30 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाकर सैन्ट्रल गवर्नमैण्ट के पास स्वीकृति के लिए भेज रखा है। सौर ऊर्जा के अन्दर अभी जो कोस्ट आ रही है प्रोडक्शन की, वह शायद 2 रुपये या 3 रुपये प्रति यूनिट तक आने की सम्भावना है, जिसकी वजह से सौर ऊर्जा डिपार्टमैण्ट फण्ड्स की कमी के कारण जल्दी से काम करने का विचार नहीं कर रहा है। मगर एन. टी. पी. सी. ने यह कह दिया है कि वह इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हमें यह गारन्टी दी जाय कि राजस्थान सरकार बिजली उत्पादन करने के बाद में जो भी हमारी कोस्ट आयेगी, उस कोस्ट के ऊपर बिजली खरीदने के लिए तैयार होगी।

राज्य सरकार ने अपनी तरफ से यह आश्वासन दे दिया है, 500 बीघा जमीन अलाट करवा दी है और राजस्थान सरकार उस बिजली को खरीदेगी। रिसर्च एण्ड डवलपमैण्ट के तौर पर इस सौर उर्जा का प्लान्ट एक्सपेरीमैण्टल राजस्थान के अन्दर स्थापित किया जायेगा ताकि राजस्थान के अन्दर सौर उर्जा के नये आयाम पैदा हो सकें।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता कि यहां पर जो हमें बिजली के उत्पादन में या बिजली के उत्पादन के अन्दर किस प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं या महंगी बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें कोयले का जो हमको लिकेज था, उस लिकेज के अन्दर, जैसा माननीय श्रीमती सुमित्रासिंहजी ने बताया, उन्होंने भी इसके लिए बहुत कोशिश की है, मुख्य मंत्रीजी ने अभी जब 19 फरवरी, 1991 के अन्दर पहली पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स हुई थी उसके अन्दर इस बात को राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत मजबूती के साथ उठाया गया था कि हमें जो कोयले का लिकेज, बिहार से दिया जा रहा है इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। हमें 1 लाख टन कोयले का ज्यादा अलाटमैण्ट भी किया गया, लिकेज की

(श्री रामनारायण विश्नोई)

जगह बदली भी गई पर जिस प्रकार की कोल की क्वालिटी हमको सप्लाई की गई है, जो लासेज हुए हैं उनकी वजह से हमारे कोटा थर्मल के अन्दर उत्पादन में कुछ कमी आई है। पर कोटा के आर. ए. पी. पी. की थर्ड स्टेज के अन्दर हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं और उसके अन्दर जल्दी उत्पादन शुरू हो जायेगा। इस प्रकार से बराबर राज्य सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है। आज जो डिमाण्ड बढ़ रही है, उस डिमाण्ड को पूरी करने के लिए हमें उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और इसके अन्दर हम लगे हुए हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज 2 लाख से ज्यादा एग्रीकल्चर कनेक्शन लेने के लिए एप्लिकेशन्स पेंडिंग्स हैं, जैसा डाक्टर साहब ने कहा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर साहब यह तो एग्रीकल्चर के कनेक्शन की बात है पर आज जयपुर के अन्दर मेरे मिलने वाले किसी आदमी को रसोई के गैस का कनेक्शन दिलवा दीजिए, 5–5 साल से लोग इन्तजार में बैठे है। जवाब यह मिलता है कि गैस उपलब्ध नहीं है इसकी वजह से हम आपको गैस का कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। एक सिलैण्डर की कीमत देकर के हम लेना चाहते हैं उसके अन्दर भी 5-5, 6-6 साल तक हमको इन्तजार करना पड़ता है। राजस्थान के अन्दर बिजली का उत्पादन नहीं है और आप यह कह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बिजली के कनेक्शन्स दिये जायं। इन परिस्थितियों के अन्दर कैसे दिये जा सकते हैं, 2 लाख कन्जूमर्स हमारे लाइन के अन्दर लगे हुए हैं और हम हमारे टार्गेट्स के मुताबिक बड़ी मुश्किल से 20-25 हजार कनेक्शन्स साल भर में रिलीज कर पा रहे हैं। इन परिस्थितियों के अन्दर हम बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि बिजली उत्पादन को बढ़ाकर के एग्रीकल्चर की जो डिमाण्ड है उसको किसी तरह से मीट-आउट किया जाय।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि अन्ता गैस के अन्दर भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसके अन्दर ज्यादा हिस्सा मिले। जैसलमेर के अन्दर भी गैस उपलब्ध है। वहां पर भी रामगढ़ और तरनोट के अन्दर जहां गैस उपलब्ध हो रही है, वहां पर भी हम हमारा नया प्रोजेक्ट बनाकर के उस गैस की कीमत पैट्रोलियम मिनिस्टरी की ओर से तय हो जायेगी, राजस्थान सरकार को बराबर यह उम्मीद है कि गैस की वजह से बिजली जो उत्पादित करेंगे। अन्ता गैस और जैसलमेर गैस के अन्दर वहां भी हम काफी कुछ कामयाब हो सकेंगे।

मैं, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों को इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली विभाग की आलोचना काफी सदस्यों ने कई मुद्दों पर की है। मैं इस बात के लिए स्वीकार करता हूं कि बिजली विभाग की जो कार्यप्रणाली है, जो व्यवस्था है, गए सालों के अन्दर जिस प्रकार से बिगड़ी है और लोगों को और उपभोक्ताओं को जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, हम बराबर महसूस कर रहे हैं कि इस व्यवस्था के अन्दर सुधार किया जाना चाहिए।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। छोटे-छोटे काम, जिस तरह से चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य रामेश्वर दयाल जी ने कहा कि अगर किसी काश्तकार की डेथ हो जाती है उसका लड़का अगर नाम चेन्ज करवाने की कोशिश करता है या किसी ने कोई जमीन ट्रांसफर कर दी और उसके साथ में कुएं का ट्रांसफर कर दिया या लोड एक्सटेन्शन के मामले हैं या शिफ्टिंग के मामले हैं, इन मामलों के अन्दर जान-बूझकर के जिन सम्भागों के अन्दर शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों की हम जांच करवा रहे हैं और हमें यह पूरी उम्मीद है कि इस व्यवस्था के अन्दर आइन्दा सुधार किया जा सकेगा। यह ऐसे मामले हैं जहां बराबर हम यह कोशिश करेंगे कि एक समय निश्चित कर दिया जाए कि इस प्रकार के मामलों के अन्दर प्रार्थना-पत्र जिन लोगों के आएं, उन प्रार्थना-पत्रों का एक निश्चित अवधि के अन्दर निर्णय कर दिया जाएगा। यह आप लोगों के साथ में बैठकर जो माननीय सदस्य इसके बारे में सुझाव देंगे, उन्हीं सुझावों के अनुसार यह नीति भी निर्धारित कर दी जाएगी कि किस केटेगरी की किस प्रकार की एप्लीकेशन का कितने दिनों के अन्दर फैसला हो जाना चाहिए, जब तक इसके अन्दर कोई नहीं होने वाली बात हो।

मौजूदा जो आजकल की शिकायतें आ रही हैं, जगह-जगह पर ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें पिछले महीने दो महीने के अन्दर वास्तव में काफी ज्यादा आई हैं। मैंने इसके कारण जानने की कोशिश की तो एक कारण जो हमारे नोटिस में आया है, वह यह आया कि पिछले दिनों ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली जो कम्पनियां राजस्थान के अन्दर हैं, उन कम्पनियों ने ट्रांसफार्मर के अन्दर ऑयल घटिया क्वालिटी का डाल दिया और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल्दी जलने शुरू हो गए। उनकी चैकिंग शुरू हुई है और उन तमाम कम्पनियों को नोटिस दे दिए गए हैं। बोर्ड ने यह निर्णय लिया है अभी कि आइन्दा हम आइल खुद सप्लाई करेंगे। उन ट्रांसफार्मर्स में अच्छा आइल डालकर के वापिस सर्विस करवाकर के उन लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। पिछले दस-पांच दिन के अन्दर बराबर यह स्थिति सुधरी है, अब हर सब-डिवीजन के अन्दर किसी जगह दस, किसी जगह बीस, किसी जगह तीस ट्रांसफार्मर भेजे जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सब डिवीजनस के अन्दर जो शिकायत की है कि इतने ट्रांसफार्मर हमारे एरिया के अन्दर जले हुए हैं और आज दिन इतनी आवश्यकता है, माननीय सदस्य मुझे यह लिखकर के दे देवें। मैंने कल ही इस बात की जांच की थी। आज करीब साढ़े तीन सौ, चार सौ ट्रांसफार्मर मरम्मत हालत के अन्दर बोर्ड के टेक्निकल मैम्बर के पास उपलब्ध हैं। वह आपके जिस-जिस जगह, जिन-जिन जिलों के अन्दर जरूरत है, वहां उनको भेजने की कोशिश की जाएगी।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता था कि नई नीति जो 26 अप्रेल, 1991 के बाद में बनाई गई, उस नई नीति का जहां तक सम्बन्ध है, करीब-करीब माननीय सदस्यों ने उस नई नीति के प्रति संतोष व्यक्त किया है। नई नीति की वजह से कुछ पैसा जो पहले सामान्य श्रेणी के काश्तकारों

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पर ज्यादा लगता था, उस पैसे को हमने सामान्य श्रेणी के काश्तकारों पर जो पहले पैसा लगता था, उसी बराबर लाकर के निश्चित कर दिया। जो अलग-अलग केटेगरीज बनी हुई थी, वह तो पुरानी नीति के अन्दर भी 1990-91 की नीति में खतम कर दी थी पर नई नीति के अन्दर हमने वापिस इस नीति को ला दिया है कि जिन गांवों के अन्दर विद्युतीकरण हुआ है पहले उनमें दो कनेक्शन्स हर गांव के अन्दर कम्पलसरी दिए जाएंगे। यह नई नीति के अन्दर हमने 25 हजार जो कनेक्शन दिए हैं उसके अन्दर 20 परसेंट कनेक्शन शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को देने के लिए निर्धारित किया है। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य परसादीलाल जी के एरिया में विचित्र परिस्थिति होने की वजह से कि वहां पर सिस्टम इतना ज्यादा बैठ चुका था कि किसी भी सूरत में कोई नए कनेक्शन वहां जारी करने की परमिशन दी ही नहीं जा सकती थी। राजस्थान के अन्दर लालसोट ही ऐसा एरिया है जहां हजारों की तादाद के अन्दर शिड्यूल ट्राइब्स के लोग बिना कनेक्शन के बैठे हैं जबकि कोई भी राजस्थान का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां मार्च 1991 तक का किसी भी शिड्यूल कास्ट के उपभोक्ता की कोई विद्युत कनेक्शन देने के लिए, कृषि कनेक्शन देने के लिए सब एप्लीकेशन्स हमने स्वीकार नहीं की हो। राजस्थान के अन्दर यह एक सबसे पहले अहम् बात है कि आज कोई शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के आदमी की मार्च, 1991 तक किसी की भी एप्लीकेशन पैण्डिग नहीं बची है और मार्च, 1992 तक सबको कनेक्शन दे दिये जाएंगे। जहां तक शिड्यूलकास्ट और शिड्यूलट्राइब का सवाल है, किसी की भी कोई एप्लीकेशन पैण्डिग नहीं रखी जाएगी।

इसी तरह से जैसा मैंने निवेदन किया कि दूसरे परिवर्तन भी किए गए हैं और माननीय सदस्यों की तरफ से जो भी सुझाव इस बारे में आएंगे कि राजस्थान के अन्दर यह कृषि नीति इस प्रकार से होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए उनके मुताबिक सदस्यों की भावनाओं का, सदस्यों के जो सुझाव हैं, इसके आधार के ऊपर नई नीतियों का भी निर्धारण किया जा सकेगा। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके मुताबिक तब्दीली भी करेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने यह शिकायत भी की है कि जहां-जहां भी बिजली के उपखण्ड हैं, उन उपखण्डों के अन्दर किसी जगह व्हीकल्स उपलब्ध नहीं हैं, किसी जगह नए उपखण्ड खुलने चाहिए। नोहर से आने वाली श्रीमती सुचित्राजी ने अभी यह कहा कि हमारे नोहर में सब-डिवीजन सहायक अभियन्ता का आफिस खुलना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं, सुचित्राजी ने ही नहीं, टीबी के जो विधायक हैं और जो उप-मन्त्री हैं, डूंगररामजी पंवार, भादरा से आए जो वन मन्त्री हैं, यह तीनों ही बराबर इस कोशिश में लगे रहे हैं कि नोहर के अन्दर सब-डिवीजन खुलना चाहिए.... (व्यवधान) यह सारे ही प्रतिनिधि हैं। हमने सुचित्राजी को वहां की जो परिस्थिति थी, जितने कन्जूमर थे, जितनी दूरी है, उसके लिए बराबर विश्वास दिलाया था और मुख्य मन्त्रीजी ने मुझे कहा था कि सुचित्रा जी की एप्लीकेशन और उनका अनुरोध है

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कि हमारे वहां पर सब-डिविजन है, सहायक अभियन्ता का एक नया आफिस खुलना चाहिए, उसका जल्दी ही हम बैठकर के निर्णय करने जा रहे हैं। कई दूसरी जगह के भी इस तरह के प्रार्थना-पत्र आए हुए हैं और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय लेकर के इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि नोहर के अन्दर सहायक अभियन्ता का आफिस खोला जाए।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान विद्युत मण्डल का प्रश्न है, राजस्थान विद्युत मण्डल के अन्दर चाहे कोई भी चैयरमैन आया हो, पहले चैयरमैन मिनिस्टर बी. एन. भण्डारी थे, राजस्थान के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे और काम उन्होंने इतनी ईमानदारी से किया कि वे भी बोर्ड के अन्दर अपनी एक छाप छोड़ कर के गए हैं। उनके बाद में टेक्निकल हैड की वजह से माननीय श्री आर. सी. दवे को वहां पर चैयरमेन बनाया गया। माननीय आर. सी. दवे का भी एक्सपीरियंस बहुत लम्बा है, He is a very efficient man so far as technical aspect is concerned. कुछ सदस्यों ने एतराज भी किया कि उनके खिलाफ एलीगेशन्स थे। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के कोई एलीगेशन, इण्टीग्रिटी के, हमने आज तक नहीं सुने। Mr. Dave is at present, President of the Central Board of Irrigation and Power. Rajasthan is proud of having such an officer. He has been working very hard to improve the position, so far as the working position of the Board is concerned. तो इस प्रकार से इन बातों के अन्दर कुछ नहीं रखा है। बोर्ड के तमाम कर्मचारी, हाई आफिसर्स जो भी हैं, वे बराबर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो शिकायतें आ रही हैं, वह शिकायतें खास तौर से जो नीचे का लोअर स्टाफ है उनकी आ रही हैं कि जूनियर इंजीनियर्स लोगों को परेशान कर रहे हैं, दूसरे आदमी परेशान कर रहे हैं। आफिसर्स के खिलाफ शिकायतों का परसण्टेज बहुत कम है। मैं आपको यह सूचित करना चाहूंगा कि जिस किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जल्दी से जल्दी इनक्वायरी करवाऊंगा। करीब सौ विजिलेन्स इनक्वायरी ऐसे आफिसर्स के खिलाफ चल रही है और उनका ज्योंही निर्णय प्राप्त होगा प्राइमाफेसाइ प्राप्त होते ही, We will be taking action by suspending them or by taking disciplinary action against them. कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार का, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके साथ रियायत किसी प्रकार की नहीं की जायेगी हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार दूसरे कन्जूमर्स के अन्दर फैला हुआ है, उसको बोर्ड के अन्दर मिटाने की बराबर कोशिश की जायेगी।

माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा इस बारे में कि जो भी सुझाव आपके आपके आयेंगे, आपके साथ बैठ करके उन सुझावों के मुताबिक हमारी कार्य प्रणाली बदली जायेगी, नीति बदली जायेगी। जहां कहीं भी कोई दिक्कत होगी, उस दिक्कत को दूर करके हम यह चाहते

(श्री रामनारायण विश्नोई)

हैं कि राजस्थान के अन्दर विद्युत उत्पादन और हमारी जो मांग है, उसको किसी तरह से मीट आऊट करके आगे बढ़ा सकें। राजस्थान के काश्तकारों को बिजली सस्ते रेट पर दे करके ऐसा काम किया है, उत्पादन बढ़ा करके राजस्थान को अपने पैरों पर खड़ा किया है। राजस्थान के अन्दर ही नहीं, पूरे देश के अन्दर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, देश और प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आधार ऊर्जा है।

मैं अन्त में, माननीय अध्यक्षजी, आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा कि माननीय गोपाल सिहजी जो आहोर से आते हैं, उन्होंने बहुत ही मार्मिक बात कही है। उन्होंने सबसे पहले शुरूआत इस बात पर की कि आप कनेक्शन्स मांग रहे हैं और बिजली बोर्ड की आलोचना कर रहे हैं, आपने कभी अपने कर्त्तव्य का पालन किया किसी भी आदमी ने। चाहे वह उपभोक्ता एग्रीकल्चर का हो, चाहे इण्डस्ट्रीयल हो, किसी आदमी ने कभी यह कोशिश की कि मेरे ऊपर कोई चोरी का लांछन नहीं आये। आज राजस्थान के अन्दर आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं; कितने चोरी के केसेज पकड़े जा रहे हैं। हर आदमी की जुबान पर यह है। हम अधिकारियों की आलोचना करते हैं। अधिकारी साफ कहते हैं कि उपभोक्ता भी चोर है। उपभोक्ता रात को सीधा तार से अपने वायरिंग लगा करके कनेक्शन्स ले रहे हैं। उसके अन्दर कुछ कर्मचारी हमारे विभाग के भी उनसे मिले हुये हो सकते हैं। माननीय गोपाल सिहजी ने कहा कि हमको सबसे पहले यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हम बिजली का कनेक्शन लिये हुये हैं, हम कोई चोरी नहीं करेंगे। हमने मिनिमम चार्जेज को समाप्त करके यह सुविधा दी कि मीटर के अन्दर जितनी बिजली जो आदमी जलायेगा चाहे वह पांच रुपये की जलाये, दस रुपये की जलाये हम उतना ही चार्ज करेंगे। पर हमारे पास वापस यह दुविधा शुरू हो गयी है कि आज जिन लोगों को हमने मीटर्स दे दिया है आप्शन दे दिया है कि फ्लेट रेट की बजाय आप मीटर ले लो वह लोग जिनको मिनिमम चार्जेज के अन्दर दो हजार रुपये सालाना देने पड़ते थे आज वह दो सौ रुपये बता रहे थे, मीटर के अन्दर रीडिंग कर लो दो सौ रुपये ही आये हैं। मीटर को काम में ही नहीं लेते हैं रात को सीधी बिजली ले लेते हैं। मीटर को घुमा देते हैं ऐसी परिस्थिति में हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम भी कम से कम यह कोशिश करें कि कोई भी उपभोक्ता चोरी नहीं करें, थेफ्ट नहीं करें बिजली जलाये, उसका ईमानदारी से पेमेण्ट तो करें।

दूसरी बात माननीय गोपाल सिहजी ने यह कही कि कन्जर्वेशन आफ एनर्जी की भी हर आदमी की आदत होनी चाहिए। आज वास्तव में चाहे कोई एम. एल. ए. है चाहे कोई मिनिस्टर है, किसी को फ्री बिजली मिल रही है तो उनके घरों के अन्दर बीस-बीस ट्यूब लाइटें जल रही हैं। न रात को कोई बन्द करता है। इतना वेस्टेज हो रहा है। माननीय गोपाल सिह जी ने एक बात कही कि हमको यह आदत डवलप करनी पड़ेगी कि ज्योंही आप कमरे से बाहर आओ, आप उसकी बत्ती को बुझा करके बाहर निकलो। यदि दो सैकण्ड में आप वापस आते हो, वापस आकर आप बत्ती को जलाओ इससे आप बहुत बड़ी बिजली की बचत कर सकोगे। इससे यह

(श्री रामनारायण विश्नोई)

समझो कि सैकड़ों मेगावाट बिजली बच गयी। ये छोटी-छोटी बातें जो हम महसूस नहीं कर रहे हैं इसमें बराबर कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट यह कोशिश कर रहा है। कन्जर्वेशन ग्राफ एनर्जी बहुत जरूरी है और कन्जर्वेशन ग्राफ एनर्जी की ग्रादत को हमने नहीं अपनाया तो किसी भी तरह से हम पूरी बिजली सप्लाई नहीं कर सकेंगे।

तो यह मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने बहुत ही अमूल्य सुझाव रखे हैं, उन सुझावों के ऊपर बराबर गौर करके निर्णय लिये जायेंगे।

आधे घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : दर्ज नहीं हो, केवल महावीरजी का दर्ज होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : मैं दिनांक 16-9-91 प्रश्न संख्या 112 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ग्राज विधान सभा में और विधान सभा से बाहर जब यह सवाल और ग्राधा घण्टे की चर्चा ग्राई तो चारों तरफ ठेकेदारों के और कुछ ग्राबकारी विभाग के कर्मचारी इस प्रभाव को बनाये हुये हैं कि यह चर्चा नहीं उठनी चाहिए। मैं इसको प्रेस नहीं करता, मैं जानता हूं कि सदन का समय काफी अमूल्य है और यह ऐसा गन्दा विषय है जिसकी बात करना भी धर्म नहीं है। सारे राजस्थान में एक प्रकार की दादागिरी और एक प्रकार का साम्राज्य इन्होंने कर रखा है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया है। मैं माननीय ग्राबकारी मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि....

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे पता है कि ग्राप ठेकेदारों से मिले हुये हैं लेकिन मैं इन बातों में दबने वाला नहीं हूं। इसलिए जानबूझ कर इस बात को उठा रहा हूं।

इन ग्राबकारी विभाग के और ठेकेदारों के चारों तरफ वह ग्रादमी घूम रहे हैं, जो दबाव बनाये हुये हैं। मैं उसकी चर्चा नहीं करता मैं केवल यह बात कहता हूं कि मैं किसी ठेकेदार की चर्चा नहीं करता हूं, मैं केवल यह चर्चा करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय, क्या यह सही है कि आपके नियमों के अनुसार जो चैकिंग होनी चाहिए वह आपका इन्सपेक्टर करता है? (व्यवधान) यदि किसी ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार अपराधी बना कर किसी भी रास्ते चलते ग्रादमी को रोक कर, वह शराब के ठेकेदारों की लड़ाई है

× × × माननीय अध्यक्ष के ग्रादेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मैं उस बीच में नहीं पड़ना चाहता लेकिन यदि इण्डिविजुअल आदमी को और रास्ते चलते हुये आदमी का रोक कर, किसी की गाड़ी रोकी जाती है। क्या आप किसी को यह अधिकार देने जा रहे हैं ? किसने रोकी यह गाड़ी ? यह गाड़ी आपके लाइन में आई। लाइन में कौन व्यक्ति इस गाड़ी को लेकर आया था ? और जिस इंसपैक्टर ने उसको सीज किया है, क्या वह ड्यूटी पर था ? और क्या आपके जो विभाग के नियम है और जिस प्रकार के डायरेक्शन जारी कर रखे हैं कि यदि आप किसी के रेड डालेंगे तो वहां पर इंसपैक्टर के साथ ठेकेदार का आदमी भी नहीं जायेगा और ठेकेदार भी नहीं जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। किसी का दर्ज नहीं करें।
मन्त्रीजी बोलिये।

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। प्लीज सिट डाउन। आपकी सीमा ही नहीं है। कोई सीमा नहीं है आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 16 तारीख को एक प्रश्न रखा था और उसका जो जवाब दिया गया है वह इनको भिजवा दिया गया था। इस प्रश्न का सेक्शन नम्बर एक और दो होम डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है। यह बात सही है, माननीय गृह मन्त्रीजी को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि केस न. 56/91 दिनांक 2-7-91 को मंगवाकर देखें। इसमें जोबनेर थाने में एक केस दर्ज हुआ है और वह केस मारपीट का दर्ज हुआ है। उस मारपीट के केस की मेडिकल रिपोर्ट भी कराई गई है। फिर उसमें एफ. आर. किस आधार पर दे दी गई ? तो ये दोनों सेक्शन माननीय गृह मन्त्री महोदय से सम्बन्धित हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी, वे इसको दिखवा लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न जो आता है, वह आबकारी विभाग से सम्बन्धित है, यह सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य से पूछा कि यह फुलेरा के आबकारी निरीक्षक हैं। यह फुलेरा के नहीं हैं, जयपुर दक्षिण के हैं, अधिकृत नहीं हैं....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कैसे दिया जाय ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस केस को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, कार्यसूची का भाग है, मुझे तो पूरा करना है। (व्यवधान) बोलिए, बोलिए। ऐसे ही चलता है। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : मुझे यह फाइल देखने से यह सही प्रतीत होता है कि यह केस फर्जी बनाया गया। (व्यवधान) गाड़ी को लेकर ई. पी. एफ. की लाइन में गये और इंसपैक्टर ने जानते-बूझते वह केस

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

दर्ज भी किया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ठेकेदारों के रिश्तेदारों और व्यक्तियों का उनको मालूम न हो। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि 2 ठेकेदारों की लड़ाई क्या होती है, मैंने तो सिर्फ प्रशासनिक पक्ष देखना चाहा है और इस फाइल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अनधिकृत रूप से सर्किल इंसपेक्टर ने और पेट्रोलिंग आफिसर ने केस बनाया। इसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सी. आई. श्री मनीराम, जो जयपुर दक्षिण वृत्त के हैं, पेट्रोलिंग आफिसर श्री नेनूराम, जयपुर को निलम्बन करने का और इस प्रकरण की जांच कराये जाने का, जयपुर कलक्टर द्वारा जांच कराये जाने का, 3 महीने में जांच कराये जाने का और उसके पश्चात् निलम्बन आदेश पर पुनर्विचार किये जाने का आदेश देती हूं। आदेशों की एक प्रति आपको फर्स्ट वर्किंग डे को दे दी जाय और उसकी प्रति तभी मुझे पहुंचायी जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.42 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक जिनकी सेवाएं समाप्त की गई	क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक जिनकी सेवाएं समाप्त की गई
1.	श्री बंशीलाल	19.	श्री जीवणलाल शर्मा
2.	,, हजारी लाल गुर्जर	20.	,, भैरूलाल शर्मा
3.	,, मेवाराम गुर्जर	21.	,, जगदीश चन्द्र
4.	,, रजाक मोहम्मद	22.	,, लादुलाल जाट
5.	,, लादुलाल	23.	,, नरपत सिंह
6.	,, रूप लाल	24.	,, सत्य नारायण
7.	,, कैलाश चन्द्र	25.	,, रतन लाल
8.	,, नन्दलाल	26.	,, नाथुलाल
9.	,, धनराज	27.	,, गोपाल लाल
10.	,, सुगन लाल	28.	,, शफी मोहम्मद
11.	,, श्याम सिह	29.	,, हरि सिंह
12.	,, जगन्नाथ धाकड़	30.	,, रामेश्वरलाल
13.	,, लक्ष्मण सिह	31.	,, गिरधरलाल
14.	,, राम कुमार	32.	,, रिद्धकरण
15.	,, गिरधर सिंह	33.	,, सांवर मल
16.	,, रिद्धकरण	34.	,, रामचन्द्र
17.	,, लादु लाल	35.	,, रोशन लाल
18.	,, हीरालाल धाकड़	36.	,, शांती लाल

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक जो दोषमुक्त पाये गये	क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक जो दोषमुक्त पाये गये
37.	श्री अशोक कुमार	39.	श्री सत्य नारायण
38.	,, लादुलाल सुथार	40.	,, कैलाश चन्द्र

274

क्र.सं.	व्यवस्थापक जिनकी अपील संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर के यहां विचाराधीन	क्र.सं.	व्यवस्थापक जिनकी अपील संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर के यहां विचाराधीन
41.	श्री गोपाल लखारा	43.	श्री सांवर मल
42.	,, रूप लाल	44.	,, राम चन्द्र

क्र.सं.	व्यवस्थापक जिनकी मृत्यु हो गई
45.	श्रीराम कुमार

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची

गत दो वर्षों में डेयरी फैडरेशन द्वारा बनाये गये दुग्ध उत्पादों का विवरण :

क्र.सं.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	(उत्पादन की मात्रा) वर्ष 89–90	वर्ष 90–91
	पदार्थ उत्पादन	(मै. टन)	(मै. टन)
1.	घी	2,316	1,877
2.	एस.एम.पी.	2,779	1,581
3.	डब्यू एम.पी.	958	239
4.	पनीर	62	84
5.	मक्खन	41	68
6.	रसगुल्ला	38	25
7.	छाछ	30	139
8.	फ्लेवर्ड दूध	9	89
9.	टेट्रा पैक दूध	1,673	1,668
		(प्रति दिवस लाख लीटर)	
	राजस्थान शहरों में दूध वितरण	1.26	1.35
	दिल्ली दूध भेजा गया	1.67	1.59

परिशिष्ट "ख"

दुग्ध उत्पादों के निश्चित समय अवधि तक सुरक्षित रहने का विवरण :

क्र.सं.	दुग्ध उत्पाद का नाम	भण्डारण का तापमान	दुग्ध उत्पाद की गुणवता की समय अवधि
1.	एस. एम. पी.	सामान्य तापमान	एक वर्ष
2.	मक्खन	(–) 10 से (–) 15 सेन्टीग्रेड	एक से दो माह
		(–) 20 से (–) 25 डिग्री सेन्टीग्रेड	दो से 6 माह
3.	घी	सामान्य तापमान	6 माह

परिशिष्ट "ग"

अधिकृत वितरकों की सूची :

1. मैं. पूजा एन्टरप्राइजेज, 12/267/कोठारी भवन, न्यू मार्केट, अजमेर
2. मै. भगवान एण्ड कम्पनी, डिग्गी चौक, अजमेर
3. मै. टाक एन्टरप्राईजेज, केयर ऑफ दुर्गा प्रसाद टाक, अपो. वर्मा शैल, तोपदड़ा अजमेर।
4. मै. गंगा सहाय गिरिराज प्रसाद, वेडल गंज, अलवर।
5. मै. चौधरी एन्टरप्राईजेज, 22, शोपिंग सेन्टर, स्कीम नम्बे. 2, अलवर-302001
6. मैसर्स महेन्द्र जनरल स्टोर्स, बाजार नम्बर 2, भीलवाड़ा।
7. मै अप्पू प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, आजाद चौक, भीलवाड़ा।
8. मैं. विद्या रतन व्यास, काला पत्थर के जैन मंदिर के पास, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
9. अनिल ऐजेन्सी, केयर ऑफ राम चरन मावाराम, शंकर फ्लोर मिल, भोला आसा राम रोड़, भीलवाड़ा।

10, मै. अग्रवाल किराना भण्डार, नियर नोरदन रेल्वे मेनस, बीकानेर।

11. आशीस ऐजेन्सी, बस स्टेण्ड, जायल-341023 जिला नागौर।

12. मै. शाह दिनेश कुमार एण्ड कम्पनी, जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन ऐजेन्ट, गणेश चौक, भीनमाल, जिला जालौर।

13. मै. कैलाश तिवाड़ी, वार्ड नम्बर 11, सीतला का बास, सीकर।

14. मैं. सोम ऐजेन्सीज, 1565, रास्ता जड़ियों का, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

15. मै. भगवान दास रावल दास, रामलाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

16. मैसर्स मानक चन्द लक्ष्मी चन्द, लक्ष्मी भवन, सदर बाजार, सिरोही।

17. मै. द्वारकेश ट्रेडर्स, मोली छावतरा भण्डरों की हवेली, शोप नम्बर 2, उदयपुर।

18. मै. फ्रेन्डस एन्टरप्राईजेज, 50 जनरल मार्केट, न्यू मण्डी, हनुमानगढ़ (टाउन) 335513

19. मै. शुभम सैल्स, 14, व्यास मार्केट, आपेजिट आनन्द सिनेमा, जोधपुर।

20. मै. ओम प्रकाश एश्वर्य कुमार, कुन्ड की गली, पुरानी धान मण्डी, कोटा।

21. मैसर्स नाकोड़ा एजेन्सी, फोर्थ देहली गेट, बापू बाजार, उदयपुर।

22. मै. भोजराज प्रेमजानी, पांच बत्ती, टौंक।

23. मै. श्री कृष्ण घृत भण्डार, अग्रसेन बाजार, कोटा।

24. मै. नरेन्द्रसिह राठौड़, शिव कॉलोनीं, नागौर रोड़, डीडवाना।

25. मै. ओंकारमल महावीर प्रसाद, सरदार शहर (चूरू)

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 168 की सूची

पटवार घर सीसोला पर निर्माण कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की सूची, पता, मजदूरी की राशि एवं भुगतान से शेष रही राशि की तालिका

क्रसं.	श्रमिक का नाम एवं पता	मजदूरी व भुगतान नहीं की गई राशि (रुपयों में)	क्रसं.	श्रमिक का नाम एवं पता	मजदूरी व भुगतान नहीं की गई राशि (रुपयों में)
1	2	3	1	2	3
1.	पुष्पा पत्नि मंगला कीर सीसोला	182	20.	रमेश/कल्याण नाथ	154
2.	सुरेश भ्रा. कल्याण नाथ सीसोला	182	21.	गोपाल/रामपाल प्रजापत	440
3.	दुर्गालाल/मोटा धाकड़ सीसोला	112	22.	देवराजसिंह/देवीसिंह राजपूत	440
4.	महावीर/हरपाल धाकड़	112	23	हरनाथ/देवीलाल माली	154
5.	हजारी/श्रीकिशन गुर्जर	182	24.	सत्यनारायण/देवीशंकर दरोगा	440
6.	प्रभु/माधो नाई	112	25.	मोहन/रामनाथ मीणा	440
7.	विमला/घासी रेगर	112	26.	रामलाल/मंगला कीर	112
8.	लाडबाई/गोकुल गुर्जर	112	27.	देवकरण/भंवरलाल माली	112
9.	सरवणी/बरधा माली, सुवांसड़ा	112	28.	गोपी/नारायण गुर्जर	112
10.	सन्तोष/किशनलाल दरोगा	112	29.	किशन/लादू गुर्जर	112
11.	धूला/गंगाराम बैरवा	112	30.	शांति बाई/मंगला कीर	70
12.	शान्ति/जगदीश बैरवा	112	31.	मीरा/रामलाल कीर	70
13.	भंवरलाल/सुन्दरा गुर्जर	98	32.	भैरू/जगन्नाथ कीर	70
14.	मड़िया/हरनाथ धाकड़	98	33.	निहाली बाई/रामलाल गुर्जर	70
15.	कल्याण/भंवरलाल माली	126	34.	केसर/रामेश्वर गुर्जर	70
16.	बृजमोहन/भंवरलाल मीणा	520	35	काली बाई/देवकरण माली	70
17.	गोकुल/नारायण गुर्जर	182	36.	रामकंवरी/नाथू दरोगा	70
18.	भंवरलाल/हरनाथ धाकड़	182	37.	मंचूरी/धन्ना धाकड़	42
19.	देवीशंकर/धूला मीणा	182	38.	दुर्गालाल/कजोड़ लुहार	90
			39.	किशन बिहारी/रामनाथ बैरागी	70

Page No. 278

(278)

1	2	3	1	2	3
40.	बृजमोहन/दुर्गालाल धाकड़	28	71.	रामकिशन/प्रभुलाल नाई	112
41.	पुष्पा/मंगला कीर	112	72.	पुष्पा/हरपाल धाकड़	98
42.	सुरेश/कल्याण नाम	154	73.	दुर्गाबाई/गोपाल गुर्जर	98
43.	बृजमोहन/भंवरलाल मीणा	440	74.	भूरी/रामकरण कुम्हार	56
44.	गोकुल/नारायण गुर्जर	140	75.	रामेश्वर/सत्यनारायण ब्रा.	56
45.	भंवरलाल/हरनाथ धाकड़	140	76.	बद्री/धूला मीणा	42
46.	देवी शंकर/धूला मीणा	140	77.	बजरंगा/चुन्नीलाल रैगर	70
47.	रमेश/कल्याणनाथ	42	78.	भंवरलाल/गुलाब चन्द	154
48.	गोपाल/रामपाल	520	79.	दुर्गालाल/धन्नालाल	154
49.	देवराज सिंह/देवी सिंह राजपूत	480	80.	गोपीलाल/नारायण	385
50.	हरनाथ/देवीलाल माली	98	81.	गोकुल/नारायण	154
51.	सत्यनारायण/देवी शंकर दरोगा	520	82.	मडिया/हरनाथ	154
52.	मोहन/रामनाथ मीणा	520	83.	रामलाल/खना गुर्जर	154
53.	रामलाल/मंगला कीर	154	84.	महावीर/रंगलाल	385
54.	देवकरण/भंवरलाल माली	154	85.	बाबूराम/कंवरा	154
55.	गोपी/नारायण गुर्जर	112	86.	मोहिनी/बालू	154
56.	किशनलाल/लादू गुर्जर	98	87.	मुवाना/कंवरा	154
57.	शान्ति बाई/मंगला कीर	182	88.	प्रभुलाल/खाना	154
58.	मीरा/रामलाल कीर	182	89.	जगन्नाथ/कंवरा	154
59.	भैरू/जगन्नाथ कीर	42	90.	उच्छबबाई/गुलाबचन्द	154
60.	निहाली बाई/रामलाल	168	91.	गिराजीबाई/सत्यनारायण	154
61.	केशर/रामेश्वर गुर्जर	182	92.	शंकरलाल/घासीलाल	315
62.	काली बाई/देवकरण माली	182	93.	नन्दा/गोपाल	315
63.	रामकंवरी/नाथू दरोगा	182	94.	पीरू/गोपाल	315
64.	मन्दोरी/धन्ना धाकड़	182	95.	बरजी/खना	154
65.	दुर्गालाल/कजोड़ लुहार	585	96.	सोहनी/कल्याण	154
66.	किशन बिहारी/रामनाथ	455	97.	सोहनी/रामस्वरूप	154
67.	बृजमोहन/दुर्गालाल धाकड़	42	98.	सत्यनारायण/देवीशंकर दरोगा	80
68.	भंवरलाल/गुलाबचन्द गुर्जर	70	99.	मोहन/रामनाथ मीणा	80
69.	लादू/देवीलाल रेगर	350	100.	रामलाल/मंगला कीर	84
70.	देव/प्रह्लाद गुर्जर	112	101.	शांति बाई/मंगला कीर	84
			102.	मीरा/रामलाल कीर	84

Page No. 279

(279)

1	2	3
103.	निहाली बाई/रामलाल गुर्जर	84
104.	केशर/रामेश्वर गुर्जर	84
105.	काली बाई/देवराज माली	84
106.	रामकंवरी/नाथू दरोगा	84
107.	मदोरी/धन्ना धाकड़	84
108.	दुर्गालाल/कजोड़ लुहार	270
109.	किशन बिहारी/रामनाथ बैरागी	210
110.	लादू/देवीलाल रेगर	210
111.	बजरंगा/चुन्नीलाल रेगर	210
112.	रामकिशन/प्रभु नाई	84
113.	दुर्गाबाई/गोपाल गुर्जर	84
114.	रामेश्वर/सत्यनारायण ब्रा.	84
115.	बद्रीलाल/धूला मीणा	84
116.	भूली/नाथू कुम्हार	84
117.	केशर/रामेश्वर	266
118.	मीरा/भंवरलाल	294
119.	मन्दोरी/धन्ना	280
120.	काली/देवलाल	294
121.	भूरी/रामकरण	266
122.	गोपाल/रामलाल	174
123.	रामलाल/मंगला मेठ	462
124.	दुर्गालाल/कजोड़ कारीगर	810
125.	किशनबिहारी/रामनाथ	680
126.	लादू/देवीलाल कारीगर	280
127.	बजरंगा/चुन्नीलाल कारीगर	760
128.	रामकिशन/प्रभुलाल बेलदार	280
129.	सुरेश/कल्याण नाथ	294
130.	सत्यनारायण/मंगला बेलदार	280
131.	भंवरलाल/गुलाब चन्द बेलदार	280
132.	शांति/मंगला कुली	308
133.	रामलाल/मंगला	252
134.	दुर्गालाल/कजोड़	540
135.	किशनबिहारी/रामनाथ	440
136.	बजरंगा/चुन्नीलाल	400
137.	भंवरलाल/गुलाबचन्द	154
138.	सुरेश/कल्याणनाथ	168
139.	दुर्गालाल/धन्ना	140
140.	शांति/मंगला	168
141.	काली/देवकरण	162
142.	प्रेम/नाथूलाल	168
143.	सोहनी/रामस्वरूप	140
144.	सोहनी/कल्याण	154
145.	मीरा/रामलाल	168

पटवार घर धानुगांव पर निर्माण कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की सूची, पता, मजदूरी की राशि एवं भुगतान से शेष रही राशि की तालिका

1.	बच्चा/जंगा मीणा	42
2.	बच्चा/श्रीनारायण	42
3.	लडडू/कल्याण नाथ	42
4.	मूल्या/श्रीनारायण मीणा	42

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

इन्दिरा गांधी व चम्बल नहरों के केचमेन्ट एरिया में किसानों पर खालों का कर्ज

169. **श्री हजारी लाल** (खेतड़ी), **श्री गोबिन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर व चम्बल नहर के केचमेन्ट एरिया का जितना भी कर्ज खालों का वहां के किसानों पर है क्या उसे माफ करने का विचार राज्य सरकार का है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई गाइड लाइन प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो तद्नुसार खालों के कर्जे माफ कराने के क्या प्रयास किये। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि कैचमेन्ट के कार्यों के लिए व्यय की गई धनराशि की वसूली नहीं होगी। भारत सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करने हेतु पत्राचार चल रहा है।

(2) जी, हां। भारत सरकार से जो गाईड लाईन प्राप्त हुई है उसमें व्यावसायिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों को माफ करने का उल्लेख है लेकिन राजस्थान भूमि विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध कराये ऋणों को उनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। राज्य सरकार भारत सरकार से इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

रायसिंह नगर (श्री गंगानगर) की सहकारी समितियों में चोरी

170 **श्री रामस्वरूप** (रायसिंहनगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर में कौन-कौनसी सहकारी समितियों व ग्राम सहकारी समितियों में चोरियां हुई ?

(2) क्या उपरोक्त सहकारी समिति व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हुई चोरियों की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज की गई है ?

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति सतजन्द्र भोमपुरा चक 5 के.एस.डी. जैतसर (रायसिंहनगर) में चोरी किस तारीख को हुई, क्या-क्या वस्तुएं व कितनी-कितनी और कुल कितनी कीमत की चोरी हुई ? क्या पुलिस थाना रायसिंहनगर में चोरी रिपोर्ट दर्ज की गई ? यदि हां, तो पुलिस ने चोरी में क्या बरामद किया ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर जिला गंगानगर की तीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों—सतजंडा, 5 के. एस. डी. एवं भोमपुरा में चोरियां हुई है।

(2) जी हां।

(3) सतजंडा एवं भोमपुरा समिति में दिनांक 15 व 16-7-90 की रात्रि में एवं के.एस.डी. में दिनांक 14 व 15-9-90 की रात्रिमें चोरी हुई। समितिवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

समिति का नाम	चोरी होने की तारीख	एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की तारीख व थाने का नाम	एफ.आई.आई. किसके द्वारा दर्ज करवाई गई	चोरी गया सामान का विवरण	चोरी गया सामान की कीमत	एफ.आर. नं. व दिनांक	पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सतजण्डा	15 व 16-7-90 की रात्रि को	16-7-90 थाना रायसिंहनगर	श्री ओम प्रकाश सहा. व्यवस्थापक साकिन 5 केएसडी	यूरिया खाद 48 थैले डीएपी खाद 21 थैले लेवी चीनी 2.30 क्वि.	15151.00	104 दि. 31-8-90	माल मुलजमान का कोई पता नहीं चल सका व निकट भविष्य में पता चलने की सम्भावना भी नहीं है। एफ. आर. लगादी गई है।
2. 5 केएसडी	14 व 15-7-90 रात्रि को	15-9-90 थाना रायसिंहनगर	श्री मुंशी राम व्यवस्थापक 5 केएसडी	रोगोर दवाईयां 4 गैलेन, मोनोसिल दवाई 4	16009.00	113 दि. 30-9-90	माल मुलजमान का कोई पता नहीं चल सका

1	2	3	4	5	6	7	8
				गेलन, मोनो-सिल दवाई 20 लीटर, सीम्ब्रेश दवाई. 10 लीटर लाइफबाइय 108 टिकिया			व निकट भविष्य में पता चलने की संभावना भी नहीं है। एफ आर. 22-11-90 को लगादी गई है।
3. मं मथुरा	15 व 16-7-90 रात्रि को	16-7-90 थाना रायसिह-नगर	श्री लेम्बरसिंह व्यवस्थापक साकिन 31 पीएस	यूरिया खाद 125 थैले, डीएपी खाद 56 थैले	24903.00	103 दि. 31-8-90	माल मुलजमान का कोई पता नहीं चल सका व निकट भविष्य में पता चलने की सम्भावना भी नहीं है। एफ आर. 22-11-90 को लगादी गई है।

जिला परिषद् पाली के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनियमितता

171. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)** : क्या भ्रष्टाचार निरोधक (मुख्य) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को श्री शंकरलाल वर्मा तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् पाली के विरुद्ध प्रश्न-पत्रों की छपाई, बच्चों की पोशाकों की खरीद में अनियमितताएं एवं गलत भत्ता बिल उठाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में उक्त अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर परिवाद सं. 1586/91 दिनांक 7-8-91 पंजीबद्ध कर परिवाद का सत्यापन राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, चौकी पाली से करवाया जा रहा है। सत्यापन प्रगति पर है।

संस्कृत निदेशालय में एकाधिक पदों पर कार्यरत अधिकारी

172. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय संस्कृत विभाग ने एक ही व्यक्ति को तीन-तीन पदों पर नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है और उसे किस-किस स्थान पर किस-किस पद पर नियुक्त कर रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि एक ही अधिकारी, संयुक्त निदेशक के पद पर एवं एस. टी. सी. के प्राचार्य पद पर एवं कालेज के प्राचार्य पद पर कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या यह सम्भव है कि एक अधिकारी एक दिन में तीन-तीन पदों के कार्य को एक साथ सम्भाल सकता है जबकि उसका जयपुर मुख्यालय के बाहर भी पदस्थापन है ?

(3) क्या सरकार तीनों के विभिन्न पदों पर पृथक-पृथक अधिकारी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। संस्कृत विभाग ने एक ही व्यक्ति को 3 पदों पर नियुक्ति नहीं दी है अपितु रिक्त पदों पर नियुक्ति के अभाव में राजकार्य चलाने की दृष्टि से एक ही व्यक्ति को उसके स्वयं के पद के साथ-साथ अन्य पदों का कार्यभार दिलाया गया है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी, नहीं। वर्तमान में एक अधिकारी जो संयुक्त निदेशक पद के विरुद्ध कार्य-

(शिक्षा मंत्री)

रत है, प्राचार्य एस. टी. सी. पद का कार्यभार अपने पद के कार्यभार के अतिरिक्त संपादन कर रहे है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, हां। उपरोक्त दोनों पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर मियमानुसार भरा जावेगा :

परिशिष्ट (अ)

क्र. सं.	अधिकारी	पदों का नाम व स्थान
1	2	3
1–	श्री सत्येदव मिश्र	श्री सत्यदेव मिश्र, प्राचार्य, जो संयुक्त निदेशक के विरुद्ध दिनांक 3-8-91 से पदस्थापित है वह संयुक्त निदेशक पद के कार्यभार के अतिरिक्त प्राचार्य राज. शि. प्रशिक्षण संस्कृत विद्यालय, महापुरा के पद का भी कार्य संपादन कर रहे। (दिनांक 3-8-91 से)
2–	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर, राजकीय दरबार संस्कृत कालेज, जोधपुर में अपने पद के कार्यभार के अतिरिक्त निम्नांकित पदों का कार्यभार संपदान कर रहे है :— 1. प्राचार्य, राजकीय दरबार संस्कृत कालेज- जोधपुर (दिनांक 9-8-91 से)। 2. उप निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा जोधपुर (दिनांक 6-9-91 से)।

1	2	3
	3–श्री अशोक कुमार तिवाड़ी	श्री तिवाडी, प्रोफेसर, आचार्य संस्कृत कालेज, बीकानेर अपने पद के कार्यभार के अतिरिक्त निम्नांकित पदों का कार्य-भार संपादन कर रहे है :— 1. आचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत कालेज, बीकानेर (दिनांक 31-8-91 से)। 2. उप निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा, बीकानेर (दिनांक 31-8-91 से)।

पशु मेलों में वाणिज्य विभाग द्वारा कर वसूली

173. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में पशु मेलों में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर वसूल करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्या ?

(1) क्या सरकार इसे दूर करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पशु मेलों में वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर वसूली से मेला आयोजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उक्त विभाग द्वारा राज्य से बाहर विक्रय किये जाने वाले पशुओं पर ही कर वसूली की जाती है।

(2) कर वसूली से कोई प्रतिकूल प्रभाव मेलों के आयोजन पर नहीं पड़ रहा है, अतः इसे दूर करने का प्रश्न ही नहीं है।

अजमेर जिले में नियन्त्रित मूल्य के गेहूं का आवण्टन

174. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में वर्तमान में प्रति-माह कितना नियन्त्रित गेहूं का आवंटन किया जा रहा है ?

286

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

(2) क्या यह सही है कि इस समय जिले में गेहूं का आवंटन मांग की अपेक्षा कम हो रहा है ?

(3) यदि हां, तो इनके सामाधान हेतु क्या उपाय किये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि रसद विभाग द्वारा सरकार से अतिरिक्त गेहूं आवंटन की मांग की गई है ?

(5) यदि हां, तो उक्त मांग की पूर्ति क्यों नहीं का गई ? विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले को वर्तमान में 7000 मै. टन गेहूं प्रति माह आवंटन किया जा रहा है।

(2) जी, हां।

(3) राज्य को गेहूं का अधिक आवंटन किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

(4) जी, हां। अगस्त, 91 से अजमेर जिले के लिए अतिरिक्त मांग प्राप्त हुई है।

(5) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से की गई मांग के अनुरूप गेहूं का आवंटन प्राप्त नहीं होने से जिलों द्वारा की गई मांग की पूर्ति संभव नहीं हो रही है।

झालावाड़ जिले में वृद्ध, अपाहिज तथा विधवाओं को पेन्शन

175. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) झालावाड़ जिले में वृद्धावस्था, अपाहिज-विधवा महिलाओं एवं विकलांगों को किन-किन तिथियों से कितनी-कितनी पेंशन दी जा रही है ? गत दो वर्षों के विवरण सहित, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में पेंशन समय पर नहीं मिल पाती है ? क्या राज्य सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) झालावाड़ जिले में किन-किन व्यक्तियों एवं महिलाओं के पेंशन के कितने केसेज कितने समय से लम्बित पड़े हुए है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में गत दो वर्षों में कुल 1536 वृद्ध, विधवा महिलाओं एवं विकलांगों को निम्न प्रकार पेंशन स्वीकृत कर भुगतान आदेश जारी किये गये है :–

वृद्धावस्था	488
विधवा महिलाऐं	861
अपाहिज/विकलांग	187
योग	1536

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

उक्त पेंशन को नवम्बर 89 तक एकल पेंशनर को रूपये 60/– प्रतिमाह एवं संयुक्त पेंशनर को 100/ प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया गया। माह दिसम्बर से एकल पेंशनर को 100/– रूपये तथा संयुक्त पेन्शनर को 150/– रूपये प्रतिमाह की दर से पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है।

तिथि एवं दर सहित वृद्ध, विधवा महिला एवं अपाहिज/विकलांग पेन्शर की गत दो वर्षों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) राज्य में सरकार पेंशन को समय पर भुगतान की व्यवस्था की हुई है लेकिन वर्ष 90–91 एवं 91–92 में केवल 6 पेंशनरों से पेंशन के नियमित भुगतान न मिलने की शिकायत विभाग में प्राप्त हुई थी। जिनके संबंध में जांच कर तुरन्त भुगतान हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर पाबन्द कर दिया गया है।

(3) झालावाड़ जिले में कोष कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश (पी. पी. ओ.) जारी होने का कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

जमवारामगढ़ (जयपुर) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

176. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील जमवारामगढ़ क्षेत्र में कितनी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई? कहां-कहां, कितनी भूमि पर अतिक्रमण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि पर से अवैध कब्जे हटाने के लिए हो रही देरी के क्या कारण है? ये अवैध कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़ क्षेत्र में सं. 2048 फसल खरीफ के सम्बन्ध में आम जनता की ओर से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की 10 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 603 हैक्टियर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हुआ। विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) अतिक्रमण भूमि पर से अवैध कब्जे हटाने में कोई देरी नहीं की जा रही है। अतिक्रमणों की रिपोर्ट माह अगस्त, 1991 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी तथा दिनांक 8-9-91 तक 75 अतिक्रमियों को 90 हैक्टियर भूमि से बेदखल किया जा चुका है। शेष अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही जेरकार है और उन्हे दिनांक 30-9-91 तक बेदखल कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीमल्या से परवन तक सड़क निर्माण

177. **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1991-92 में सिंचाई विभाग द्वारा चम्बल दाईं मुख्य नहर को रोड 'सामल्या' से परवन तक सड़क की मरम्मत के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है ?

(2) क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्मित की गई सम्पर्क सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में सरकार धन राशि आवंटित कर रही है ?

(3) क्या सरकार जनहित में सीमल्या से परवन तक बनी सड़क को सार्वजनिक घोषित करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(2) जी, नहीं।

(3) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नवकल्याण वस्तु उत्पादक समिति, प्रतापनगर, उदयपुर

178. **श्री भरोसी लाल** (हिन्डौन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नवकल्याण वस्तु उत्पादक समिति, प्रतापनगर, उदयपुर वर्तमान में किस वस्तु का उत्पादन कर रही है ?

(2) उपरोक्त समिति में किसी भी प्रकार का उत्पादन न होने के क्या कारण हैं ?

(3) उपरोक्त समिति का कितने वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है और वर्तमान में कौन-कौन पदाधिकारी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि समिति, सहकारिता विभाग को अंधेरे में रखकर जनता से धन बटोर रही है ? यदि हां, तो ये कौन-कौन अधिकारी समिति के साथ रह कर इस प्रकार के कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

(5) उपरोक्त समिति के क्रियाकलापों पर अनेक आक्षेपों के बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में किसी भी वस्तु का नहीं।

(2) समिति में उत्पादन नहीं होने का कारण समिति को मशीनरी एवं भूमि राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 88–89 में बेच दिया जाना है।

(3) समिति मे 14/2/79 के बाद निर्वाचन नहीं हुआ। समिति के अध्यक्ष श्री तोलाराम एवं मंत्री श्री रामलाल चौधरी है।

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(सहकारिता मंत्री)

(5) समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। जहां तक कार्यकलापों में ऐतराजों का प्रश्न है उनके लिए सहकारी अधिनियम के अनुसार धारा 74 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बयाना में महाविद्यालय की स्थापना

179. **श्री रामप्रसाद** (वैर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार भरतपुर जिले की तहसील बयाना में कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो बयाना में कालेज खोलने की विधिवत घोषणा कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार कालेज बयाना में न खोलकर बाड़ी जिला धौलपुर में खोलने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 में राज्य में नये महाविद्यालय खोलने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। नया महाविद्यालय खोलते समय गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। जिसमें बयाना पर भी विचार किया जावेगा।

(2) स्थान का चुनाव निर्धारित मापदण्डों एवं गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र अटरू के विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

180. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र के छात्र व छात्राओं के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और किस-किस विद्यालय में कितने पद भरे हुये हैं और कितने-कितने पद रिक्त हैं ? श्रेणी सहित सूची सदन की मेज पर रखें। विद्यालयों में ये जो रिक्त पद हैं क्या सरकार उन्हें भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

Page No. 290

290

अटरू विधान सभा क्षेत्र के छात्र व छात्राओं के सीनियर उच्च माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची

विद्यालय का नाम	व्याख्याता			व. अध्यापक			अध्यापक		
	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1. सी.उ.मा.वि. अटरू	13	13	–	6	6	–	1	1	–
2. मा.वि. चरडाना	–	–	–	5	4	1	1	–	1
3. ,, अडन्दि.	–	–	–	5	5	–	1	1	–
4. ,, पटना	–	–	–	5	4	1	1	–	1
5. ,, रिछन्दा	–	–	–	5	3	2	1	1	–
6. ,, बराना	–	–	–	6	6	–	1	4	–
7. ,, हाथीदोलोद	–	–	–	5	5	–	1	1	–
8. ,, बडोरा	–	–	–	6	6	–	4	3	1
9. ,, आटोन	–	–	–	5	2	3	4	4	–
10. ,, वटावदा	–	–	–	6	6	–	4	4	–
11. ,, रटावत	–	–	–	6	6	–	4	3	1
12. ,, बामला	–	–	–	6	6	–	4	4	–
13. ,, मोईकला	–	–	–	6	6	–	5	5	–
14. ,, कमरेलर	–	–	–	6	6	–	8	8	–
15. ,, ब्यावर	–	–	–	6	5	1	9	9	–
16. ,, अटरू				6	3	1	2	2	–
17. बा.उ.प्रा.वि. वडोरा				1	–	1	3	–	3
18. ,, मोठपुर				1	1	–	6	5	1
19. ,, बवाई				1	1	–	8	8	–
20. उ.प्रा.वि. गंजअटरू				1	1	–	16	16	–
21. ,, नवीन अटरू				1	1	–	3	3	–
22. ,, अन्ताना				1	1	–	9	9	-
23. ,, मेसड़ा				1	–	–	5	3	2
24. ,, दिवाली				1	1	–	6	6	–
25. ,, कटावर				1	1	–	8	8	–
26. ,, कुण्डी				1	1	–	7	7	–
27. ,, मेरमाचाह				1	1	–	6	6	–
28. ,, मुण्टला बिसोती				1	1	–	7	7	–
29. ,, ननावता				1	1	–	8	5	3
30. ,, सपथपुरा				1	1	–	13	9	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. उ.प्रा.वि.	सहरोद				1	1	–	8	5	3
32. ,,	मुण्डला				1	1	–	2	2	–
33 ,,	खरगड़ा				1	1	–	2	2	–
34. ,,	बोरीनाकलां				1	1	–	7	7	–
35. ,,	अमृतकुआ				1	1	–	7	7	–
36. ,,	हिंगों				1	1	–	7	7	–
37. ,,	दीगोद				1	1	–	6	6	–
38. ,,	खड़िया				1	1	–	6	5	1
39. ,,	मण्डोला				1	1	–	9	0	–
40. ,,	नारेड़ा				1	1	–	8	8	–
41. ,,	पटेट्ड़ा				1	1	–	7	7	–
42. ,,	इकलरा				1	1	–	6	6	–
43. ,,	कलमण्डा				1	1	–	7	7	–
44. ,,	पसरा				1	1	–	6	6	–
45. ,,	खैराली				1	1	–	6	6	–
46. ,,	बेंगना				1	1	–	6	6	–
47. ,,	तुलछा				1	1	–	6	6	–
48. ,,	भावपुरा				1	1	–	4	4	–
49. ,,	अरडाद				1	1	–	8	3	5
50. ,,	पटया				1	1	–	7	3	4
51. ,,	विछन्दा				1	1	–	5	4	1
52. ,,	चरड़ाना				1	1	–	7	4	3

जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

181. डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में पिछले कई वर्षों से पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बिना उपचार के कई पशु मर रहे हैं ?

(2) क्या सरकार जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सकों के पदों को भरने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के 8 प

(पशुपालन राज्य मंत्री)

औसतन गत 6-8 माह से रिक्त है। बिना उपचार के पशुओं के मरने की कोई सूचना नहीं है।

(2) जी हां। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित डॉक्टर उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 182

(स्थगित)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति

183. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक माह मई, 1991 से हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो किन-किन जिलों के व क्यों ? राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के वेतन भत्तों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है ? व्यवस्थापकों को कब से वेतन भुगतान नहीं किया गया है और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के हड़ताल पर होने के कारण किसानों को खाद बीज एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को वस्तुयें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं जिसके फलस्वरूप अलवर जिले में 33 प्रतिशत कृषि की बुवाई खरीफ फसल पर नहीं हुई है ?

(4) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का चयन किस नियम के तहत किया जाता है ? व्यवस्थापकों के वेतन भुगतान, स्थानान्तरण आदि के लिये विभाग द्वारा किये अधिकृत किया हुआ है कब से ? व्यवस्थापकों को विभाग का कर्मचारी माना गया है या नहीं ? नहीं, तो इन्हें किस का कर्मचारी माना हुआ है।

उत्तर

(1) कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक मई 91 से हड़ताल पर थे, जून 91 में अधिकांश ने कार्य किया पर जुलाई 91 से 16 जिलों में अगस्त 91 से 2 अतिरिक्त जिलों में, और सितम्बर 91 से एक और जिले में इस प्रकार कुल 19 जिलों में, व्यवस्थापक हड़ताल पर है। श्रीगंगानगर एवं जालौर में आंशिक हड़ताल है। जयपुर एवं कोटा में पैन डाउन हड़ताल है। बाड़मेर एवं भीलवाड़ा में कोई हड़ताल नहीं है। हड़ताल पर जाने का कारण उनकी मुख्य मांग उन्हें बैंक कर्मचारी बनाकर बैंक के लिपिक के सामान वेतन भत्ते, व अन्य सुविधाऐं देने की है। वित्तीय कारणों से यह मांग नहीं मानी जा सकती। राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थापकों की सेवा के बारे में नये नियम जारी किये जा रहे है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। कुछ बैंको में व्यवस्थापकों की हड़ताल, बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब होने व वेतन कोष में अत्यधिक घाटे के कारण एवं केडर अथोरिटी का गठन अवैध घोषित होने के कारण वेतन भुगतान नहीं हुआ है। वेतन भुगतान हेतु बैंकों को समुचित आदेश दिए जा चुके है। अधिकतर जिलों में जून 91 तक का भुगतान सामान्यतया किया जा चुका है। (उन व्यवस्थापकों को छोड़कर जो मई 91 में हड़ताल पर रहे थे।)

(3) जी नहीं। अलवर जिले में वर्ष 90-91 में रू. 1200.00 लाख के अल्पकालीन ऋण, खाद, बीज एवं दवाईयों आदि हेतु वितरण का लक्ष्य था, जिसके विपरीत 1197 84 लाख का ऋण वितरित हुआ है। इस वर्ष 91-92 में जुलाई 91 से सितम्बर 91 तक 150.00 लाख का ऋण वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध 150.00 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। ग्रामीण उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण अलवर जिले में अप्रेल 91 से जून 91 तक 36 लाख का किया गया जो तिमाही के लक्ष्य का 105 प्रतिशत है। बुआई में कमी वर्षा का कम व समय पर नहीं होना है।

(4) ग्राम सेवा सहकारी समितियों व्यवस्थापकों का चयन, व्यवस्थापक चयन नियुक्ति सेवा नियम 1967, 1969, 1977 अथवा 1979 यथा संशोधन समय के अन्तर्गत किया हुआ है। व्यवस्थापक को वेतन, भुगतान, स्थानान्तरण आदि के लिये व्यवस्थापकीय सेवा नियम 1977 के अन्तर्गत केडर अथोरिटी एवं बैंक को अधिकृत किया हुआ था, जो नियम 1977 मे प्रसारित किये गये थे। इन व्यवस्थापक सेवा नियमों के अन्तर्गत विभाग अथवा बैंक के कर्मचारी माने जाकर केडर आथोरिटी के कर्मचारी माने गये। अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केडर अथोरिटी के गठन को अवैधानिक घोषित कर देने तथा व्यवस्थापक सेवा नियम 1977 को निरस्त कर देने के कारण व्यवस्थापक सेवा नियम 1969 पुनः प्रभावशील हो गये है। जिनके अन्तर्गत ये व्यवस्थापक संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के ही कर्मचारी माने गये है।

तारांकित प्रश्न संख्या 184

(स्थगित)

पाठ्य पुस्तक मण्डल की पुस्तकों की उपलब्धता

185. **श्री अमृत लाल परमार** (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकें सत्र प्रारम्भ होने के दो माह बाद भी बाजार में उपलब्ध नहीं होती जिसके फलस्वरूप छात्रों को अध्ययन में नुकसान उठाना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाजार में पुस्तकें इस शर्त पर विक्रय की जाती है कि उसके साथ कुंजी (पास बुक) भी क्रय करनी पड़ती हैं ?

(श्री अमृत लाल परमार)

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाना चाहती है जिससे सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही पुस्तकें उपलब्ध हो सकें और पास बुक भी नहीं खरीदनी पड़े ? यदि हां, तो कब तक तथा क्या कदम उठाना चाहती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा अविकृत पुस्तकों के प्रकाशन में इस बार विलम्ब हुआ है। अवश्य राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल जयपुर द्वारा प्रकाशित कक्षा-1 से 8 तक की पुस्तकें सत्रारम्भ से ही बाजार में उपलब्ध है एवं इसमें किसी प्रकार का विलम्बन नहीं हुआ है जिससे छात्रों को अध्ययन में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सर्वप्रथम तो माध्यमिक शिक्षा शिक्षा, बोर्ड कुंजी व पासबुक नहीं बेचे जाने के संबंध में पुस्तक विक्रेताओं से इकरारनामा भरवाता है। इसके साथ–2 पुस्तक प्रकाशन को समयबद्ध कर आगामी सत्र (1992–93) में पुस्तके उपलब्ध कराने की योजना भी तैयार करली है।

इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक मण्डल भी पुस्तक विक्रेताओं से कुंजी व पासबुक आदि नहीं बेचे जाने का इकरारनामा भरवाता है और आगामी वर्ष के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मुद्रण कराने का प्रबन्ध करता है।

"इराडी आयोग" के एवार्ड प्रकरण

186. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या रावी व्यास सिस्टम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रावी व्यास नदियों से सम्बन्धित "इराडी आयोग" के ऐवार्ड को हरियाणा तथा पंजाब सरकारों ने मानने से मना कर दिया है ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है ?

(2) रिम के नीचे 1.11 मी. ए. फीट अतिरिक्त उपलब्ध पानी में राजस्थान की हिस्सेदारी को लेने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम रहे।

उत्तर

(1) "इराडी आयोग" मुख्य रूप से रावी व्यास नदियों के पानी में उनका क्या हिस्सा हो इस बारे में गठित किया गया था। जहां तक राजस्थास का प्रश्न है, हमारा यह कथन रहा है कि राजस्थान का हिस्सा यथावत रहना चाहिए तथा इस पर आयोग द्वारा किसी प्रकार पुनर्विचार नहीं करना है। इस कथन को इराडी आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है। अन्य विवाद जो मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के बीच में हैं, उन राज्यों का इराडी आयोग के बारे में क्या

(शांवो व्यास सिस्टम मंत्री)

मानस हैं, इसकी राज्य सरकार को विशेष जानकारी नहीं है।

(2) राजस्थान ने रिम स्टेशन के नीचे उपलब्ध पानी जिसका उपयोग किया जा सकता है उसमें हिस्सा मांगने के लिये इराडी आयोग के समक्ष नियमानुसार इण्टरस्टेट डिस्प्यूट एक्ट की धारा 5 (3) के अन्तर्गत दावा पेश कर दिया है। मामला ट्राइब्यूनल के विचाराधीन है।

तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा भू-आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच

187. **श्री सांवरमल (मिनाव) एवं श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1985 से 1987 तक उप-खण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पद पर कौन कौन अधिकारी कार्यरत रहे हैं ?

(2) क्या उक्त अवधि में उपखण्ड श्री गंगानगर में भू-आवंटन भी हुआ था ? यदि हां, तो क्या कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा भू-आवंटन में हुई अनियमितताओं के कारण पत्रावलियां, जांच हेतु राजस्व विभाग को भेजी गई हैं ? पत्रावलियों के साथ जिला कलक्टर द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त पत्रावलियों के सम्बन्ध में जांच कब तक पूरी करली जावेगी ? पत्रावली वार विवरण सदन की मेज पर पत्रावली संख्या सहित रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1985 से 1987 के दौरान उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के पद पर निम्नांकित अधिकारी कार्यरत रहे :–

1. श्री आसुतोष भार्गव, आई. ए. एस. 30-10-83 से 21-6-85
2. श्री एच. पी. बरूड, आर. ए. एस. 11-7-85 से 22-7-86
3. श्री आनंदीलाल माथुर, आर. ए. एस. 5-8-86 से 23-6-87
4. श्री गिरिजा कुमार तिवाड़ी, आर. ए. एस. 13-7-87 से 13-10-87

(2) वर्ष 1985 से 1987 तक उपखण्ड गंगानगर (तहसील गंगानगर) में कुल 28 व्यक्तियों को भू-आवंटन किया गया था। भू-आवंटन अधिकांशतः स्मालपेच' में है। आवंटन में कोई अनियमितता होनी नहीं पाई गई है तथा न ही कोई मामला कलक्टर, श्री गंगानगर द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

टोडारायसिंह व देवली क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

188. **श्री घासी लाल (टोडारायसिंह)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 296

(296)

(श्री घासी लाल)

(1) तहसील क्षेत्र टोडारायसिंह व तहसील क्षेत्र देवली में कितनी राजकीय उच्च प्राथमिक शालायें व कितनी राजकीय माध्यमिक शालायें एवं कितनी राजकीय उच्चतर माध्यमिक शालायें छात्र-छात्राओं की है।

(2) इनमें किस-किस शाला में अध्यापकों/अध्यापिकाओं के पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) तहसील टोडारायसिंह में छात्रों के 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 10 माध्यमिक एवं 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं एव छात्रों के 1 माध्यमिक विद्यालय एवं 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तहसील देवली में छात्रों के 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 11 माध्यमिक एवं 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं एवं छात्राओं के 4 उच्च प्राथमिक, 5 माध्यमिक तथा 1 उच्च माध्यमिक बिद्यालय हैं।

(2) इन विद्यालयों में निम्नानुसार अध्यापक/अध्यापिकों के पद रिक्त हैं :–

विद्यालय का नाम	रिक्त पद		
	व्या.	द्वि. वे. श्रृ.	तृ वे श्रृ.
1	2	3	4
टोडाराय सिंह तहसील			
राउप्रावि, गेंदिया	–	–	1
राउप्रावि, इन्दोलिया	–	–	1
राउप्रावि, गोंपती	–	–	1
राउप्रावि, कुहाड़ा खुर्द	–	–	1
राउप्रावि, रामपुरा	–	–	1
राउप्रावि, बनेडियाफाखान	–	–	1
राबाउप्रावि पंवालियां	–	1	6
रासीउप्रावि, टोडारायसिंह	1	–	–
रामावि, खेरड़ा	–	2	–
रासीउमावि, उक्तोब	1	1	–
रासीउमाबि, बरवास	–	2	–
देवली तहसील			
राउप्रावि, बड़ोली	–	–	1
राउप्रावि, राजकोट	–	–	2
राउप्रावि, सतवाड़ा	–	–	3

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4
राउप्रावि, कवरावास	–	–	4
राउप्रावि, चारनेट	–	–	1
राउप्रावि, बालन्दा	–	–	1
राउप्रावि, चांन्देली	–	–	1
राउप्रावि, सीतापुरा	–	–	1
राउप्रावि, टोकारावास	–	–	1
राउप्रावि, देवीखेड़ा	–	–	1
राबासीउमामि, देवली	2	1	–
राबाउप्रावि, गुराई	–	1	1
रासीउमावि, देवली	6	–	1
रासीउमावि, दूनी	5	–	–
रामावि, नगरकोट	–	1	–
रामावि, राजमहल	–	1	–
रामावि, धुवा	–	2	–
रामावि, पनवाड़	–	1	–
रामावि, गुराई	–	1	–
रामावि, देवेड़ावास	–	1	–
	15	15	30

शीघ्र रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।

इटावा (कोटा) में सहायक जिलाधीश कार्यालय

189. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के इटावा कस्बे में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की मांग वहां की जनता एवं जन प्रतिनिधि समय-समय पर करते रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोला जाना सभी दृष्टि से उपयुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इटावा में शीघ्र सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 190 स्थगित)

बेगूं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

191. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से मिडिल स्कूल ऐसे हैं, जिनमें चार से भी कम अध्यापक हैं तथा इनमें कितने-कितने समय से पद रिक्त चले आ रहे हैं ?

(2) ऐसे स्कूलों में सरकार अध्यापकों की पूर्ति कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में निम्न 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 4 से कम शिक्षक हैं :—

क. सं.	विद्यालय का नाम
1.	राउप्रावि, खेड़ा
2.	राउप्रावि, मेघनिवास
3.	राउप्रावि, दुगार
4.	राउप्रावि, सदी
5.	राउप्रावि, गोपालपुरा
6.	राउप्रावि, धनेरा
7.	राउप्रावि, धामन्ता
8.	राउप्रावि, डोराई
9.	राउप्रावि, श्रीपुरा

इनमें कोई पद रिक्त नहीं है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि भूमि रूपान्तरण की दरें

192. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित कृषि भूमि रूपान्तरण फीस वाजिब है ?

(2) क्या बड़े शहरों और छोटे कस्बों में भूमि रूपान्तरण की फीस समान है ? यदि हां, तो क्या भूमि की दरें भी समान हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शहरों व कस्बों की भूमि की अन्तर दरों के हिसाब से रूपान्तरित फीस निर्धारित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । रूपान्तरण शुल्क की दरों में परिवर्तन में कोई विचार नहीं है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 193 स्थगित)

सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय कल्याणपुरा में विज्ञान विषय के व्याख्याता

194. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कल्याणपुरा में विज्ञान विषय खोला गया था ? यदि

(श्री दयाराम परमार)

हां, तो किस वर्ष खोला गया और कब बंद किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि विज्ञान विषयों के व्याख्याता नहीं होने से इसे बन्द करना पड़ा ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कल्याणपुरा में विज्ञान संकाय शिक्षा सत्र 1982–83 में खोला गया था। छात्रों की कम संख्या होने से विज्ञान संकाय अनार्थिक पाये जाने के कारण सुव्यवस्थीकरण योजनान्तर्गत इसी सत्र में विज्ञान संकाय के व्याख्याताओं के पद प्राव्याहृरित किये गये है।

(2) जी नहीं।

1990-91 की वार्षिक योजनाएं

195. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या मुख्य (आयोजना) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1990–91 में किस किस विभाग को कितनी-कितनी राशि की योजना स्वीकृत की गई ? उसमें से किस-किस विभाग को कितनी-कितनी राशि उक्त योजनाओं पर व्यय की गई, कितनी राशि का बजट लैप्स हुआ ? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया था तथा उसमें से कितनी राशि का बजट लैप्स हुआ ? इससे प्रदेश को केन्द्र से मिलने वाली सहायता का कितना नुकसान हुआ ?

(3) उक्त अवधि में अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं में व्यय नहीं की जा सकी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 90-91 का कुल आकार 956 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। उसके विरुद्ध 973.22 करोड़ रुपये का सम्भावित व्यय हुआ। प्रावधान से व्यय की राशि अधिक रही है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित मद/स्कीमवार प्रावधान एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 90–91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 132.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उस प्रावधान में से कोई राशि लैप्स नहीं हुई अतः प्रदेश को केन्द्र से मिलने वाली सहायता का कोई नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत जितनी राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाती है उसके आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध हो जाती है। किन्हीं योजनाओं में यदि प्रावधान के अनुसार व्यय नहीं हो पाता है तो केन्द्र सरकार की अनुमति से उसे अग्रिम वर्ष में खर्च किया जा सकता है। केन्द्र प्रवर्तित

(मुख्य (आयोजना) मन्त्री)

योजनाओं को वर्ष 90–91 में प्रावधान एवं व्यय परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु गणित विषय के अध्यापकों की योग्यता

196. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) एवं

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु कितनी शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों को गणित विषय के अध्यापन कार्य के लिये नियुक्ति योग्य माना जाता है ?

(2) क्या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम स्पष्टीकरण क्रमांक: शिविरा/संस्था/एफ. 4/(महासंघ)/80 (11) दि. 20-2-1981, बी. ए. (गणित) एवं बी. एस सी (गणित) की योग्यता रखने वालों को द्वितीय श्रेणी के गणित अध्यापकों के पद पर नियुक्ति देने में समान अवसर के क्रम में, जारी किया गया था ? यदि हां, तो शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) कोटा परिक्षेत्र, कोटा द्वारा दिनांक 17-11-1990 को लिखे पत्र क्रमांक शिउनि/को/संस्था . ब–1/90/3289 का क्या औचित्य है ?

(3) दिनांक 17-11-1990 को शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) कोटा परिक्षेत्र कोटा द्वारा लिखे गए पत्र को सरकार द्वारा निरस्त करने एवं सम्बन्धित अध्यापक को द्वितीय वेतन श्रृंखला में नियुक्ति देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कारण सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित विषय का शिक्षण करने के लिए गणित विषय में अधिस्नातक एवं शिक्षा में राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमाधारी व्यक्ति को नियुक्ति योग्य माना गया है।

(2) जी हां, किन्तु निदेशक के उक्त पत्र से यह भी स्पष्ट है कि यदि शिक्षक से केवल गणित विषय का शिक्षण कराया जाना हो तो समान अवसर दिया जायेगा। इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा उप निदेशक (पुरुष) कोटा का उक्त पत्र उचित है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता। उप निदेशक शिक्षा (पुरुष) कोटा का पत्र दिनांक 17-11-90 निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, के पत्र दिनांक 20-2-81 की भावना के अनुरूप है।

नगर पालिका नीमकाथाना की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

197. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नीमकाथाना नगरपालिका क्षेत्र के ख. नं. 288/1 की

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

चारागाह भूमि (पास्चर लैंड) का पट्टा किन्हीं व्यक्तियों के नाम से जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन के नाम जारी कर दिया गया ? क्या इनके विरुद्ध की गई शिकायत पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त पट्टे को निरस्त कर उक्त भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त खसरे की बाकी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो उसे कब तक हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त पट्टा जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्व सीमा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित ख. नं. 288/1 चारागाह भूमि पर 2 व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है जो क्रमशः निम्न प्रकार है :–

(I) श्री नेतराम पुत्र रामनिवास एवं दौलत राम पुत्र नेतराम गोयल नीमकाथाना को 281.66 वर्गगज भूमि का आवासीय पट्टा दिनांक 28-9-1989 को जारी किया गया है।

(II) श्री महेशकुमार पुत्र श्री विश्वेवर प्रसाद मेमोलिया निवासी नीमकाथाना को 401 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा दिनांक 30-4-1990 को जारी किया गया है।

(2) इन पट्टों के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को श्री फूलचन्द गुर्जर विधायक की शिकायत प्राप्त होने पर श्री नेतराम पुत्र रामनिवास एवं दौलतराम पुत्र नेतराम गोयल के मामले में संबंधितों को नोटिस देकर रिव्यू की कार्यवाही की गई परन्तु पट्टेधारी के सबूत सही पाये जाने पर उसे दिया गया नोटिस निरस्त कर दिया गया।

(3) जी नहीं। उक्त दोनों पट्टों को निरस्त नहीं किया गया है, जिन्हें निरस्त करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जी, हां। उपरोक्त दोनों पट्टा जारी करने के अलावा भूमि ख. न. 288/1 पर 4 व्यक्तियों का और कब्जा है। अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया जा चुका है। अतिक्रमण शीघ्र हटाया जा रहा है।

(4) पट्टा जारी करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 198 स्थगित)

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को भूमि का आवंटन

199. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मनीराम सियाग)

(1) बीकानेर उपनिवेशन आयुक्त ने महाजन फील्ड रेंज के 33 गांवों के विस्थापितों को भूमि आवंटन एवं दुरूस्ती का कार्य करना किस तारीख से बन्द किया है और यह किस तारीख तक बन्द रखा जायेगा ?

(2) उपनिवेशन आयुक्त ने किन-किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि आवंटन की ? क्या आवंटन के वक्त प्रार्थना-पत्रों की वरीयता का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों की भू-आवंटन एवं दुरूस्ती का कार्य दिनांक 29-8-91 से बन्द किया गया है। वर्तमान में आवंटन कार्य पर प्रतिबन्ध है।

(2) आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा 148 विस्थापितों को भूमि आवंटन की गई है जिनकी नामवार आवंटित भूमि के विवरण सहित परिशिष्ट "क" संलग्न है। आवंटन की यह कार्यवाही राज्यादेश सं. प. 3(8) राज/उप/84 दि. 23-11-85 सहपठित आदेश सं. एफ 4/7/राज/उप/87 दिनांक 23-1-88 की अनुपालना में की गई है। जिनके अन्तर्गत आवेदकों के संबंध में कोई वरियता अर्थात प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 261 की नकल

आंशिक नकल पुनः आवंटन सूची ब्लॉक विनायका II–C वर्ष 1977–78 ग्राम बाजड़

क्र. सं.	नाम आसामी	विकास से पूर्व		कटौती	आवंटन योग्य	आवंटन किया		वि. वि.
		ख. नं.	रकबा			ख. नं.	रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9–	रामकिशन वल्द ग्यारसीराम मीणा सा. देह खातेदार	527	16॥)4	।)4	16)	1015	16)	

आंशिक नकल रि. आवंटन सूची ब्लॉक विनायका II–D वर्ष 1977–78 ग्राम बाजड़

क्र. सं.	नाम आसामी	विकास से पूर्व		कटौती घोरा ड्रेन	आवंटन योग्य	विकास के बाद		वि. वि.
		ख. नं.	रकबा		रकबा	ख. नं.	रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	रामकिशन वल्द ग्यारसीराम मीणा सा. देह	326 625	26॥)4 3॥)3	1।)	29।)2	771 780	25॥।)2 3॥)	
			30॥)2	1।)	29।)2		29।)2	

आंशिक नकल पुनः आवंटन सूची कैचमेंट ब्लॉक बड़ूण्डा I ग्राम बाजड़ वर्ष 1981–82

क्र. सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत तथा सकूनत	भूमि विकास से पूर्व की स्थिति		कटौती ड्रेन/धोरा	पुनः आवंटन योग्य शेष	पुनः आवंटन की स्थिति		विशेष
		ख. नं.	रकबा		रकबा	ख. नं.	रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	रामकिशन वल्द ग्यारसीराम मीणा सा. देह खातेदार	371	2।।।)	।)	2।।)	1160	2।।)	

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची

परिशिष्ट-"क"

वर्ष 1991 (अगस्त, 91 तक) में आयुर्वेद विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरण एवं निरस्त स्थानान्तरणों की जिलेवार सूची-

क्र. सं.	जिला	स्थानान्तरणों की कुल संख्या		निरस्त किये गये स्थानान्तरणों की संख्या	
		अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	68	74	5	5
2.	अलवर	66	62	–	3
3.	बीकानेर	32	28	5	1
4.	बांसवाडा	30	35	2	1
5.	भीलवाड़ा	42	44	1	2
6.	भरतपुर	67	84	1	2
7.	बून्दी	32	11	1	–
8.	बाडमेर	17	32	1	1
9.	चुरू	40	60	–	2
10.	चित्तौड़	29	38	–	–
11.	गंगानगर	58	57	1	2
12.	डूंगरपुर	21	46	–	1
13.	जयपुर (दौसा सहित)	202	129	1	12
14.	जोधपुर	37	44	–	3
15.	झालावाड़	28	14	1	–
16.	जैसलमेर	3	7	1	–
17.	नागौर	31	42	1	–
18.	कोटा (बारां सहित)	36	38	1	–
19.	पाली	61	48	–	4
20.	झुन्झुनू	49	44	3	–
21.	जालौर	27	30	–	1
22.	सिरोही	36	32	1	1
23.	स. माधोपुर	92	80	–	5
24.	सीकर	63	41	1	2

(306)

1	2	3	4	5	6
25.	टौंक	29	30	–	2
26.	उदयपुर (राजसमन्द सहित)	92	73	3	3
27.	धौलपुर	19	25	–	–
		1307	1248	30	53

नोट :–अधिनस्थ कार्यालय स्तर से किये गये चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों के परिवर्तन की सूचना सम्मिलित नहीं है ।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूची

चित्तौडगढ़ जिले के निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र. सं.	नाम औषधालय
1.	कनेरा
2.	बिनोता
3.	निम्बाहेड़ा
4.	केसुन्दा
5.	करजू
6.	घोलापानी
7.	जलोदिया केलूखेड़ा
8.	जलोदिया जागीर
9.	बम्बोरी
10.	फलवा
11.	लसड़ावन
12.	सतखण्डा
13.	गादोला
14.	मांगरोल

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 265 का विवरण

परिशिष्ट-1

सवाई माधोपुर जिले के आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों की तहसीलवार सूची

क्र. सं.	तहसील	आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय
1.	महुवा	20
2.	टोडामीम	16
3.	हिण्डोन	14
4.	नादौती	16
5.	बोंली	16
6.	बामनवास	12
7.	गंगापुर	20
8.	करौली	19
9.	सवाईमाधोपुर	22
10.	सपोटरा	10
11.	खण्डार	13
	योग :-	178

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 269 की सूची

परिशिष्ट-क

अलवर जिले में संचालित छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	छात्रावास का नाम मय योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र सं.
1.	2	3	4
1.	राजकीय अनु. जाति छात्रावास	अलवर	70
2.	अनुसूचित जाति छात्रावास	तिजारा	25
3.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	राजगढ़	55

1	2	3	4
4.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	अलवर	45
5.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	रैणी	35
6.	अनु. जन जाति छात्रावास	गढ़ी सवाईराम	30
7.	अनुसूचित जाति छात्रावास	कठूमर	25
8.	भंगी कष्ट मुक्ति छात्रावास	अलवर	25
9.	भंगी कष्ट मुक्ति छात्रावास	अलवर	25
10.	अनुसूचित जाति छात्रावास	खैरथल	25
11.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	सकट	25
12.	अनुसूचित जाति छात्रावास	खेड़ली	25
13.	भंगी कष्ट मुक्ति छात्रावास	लक्ष्मणगढ़	25
14.	अनुसूचित जाति छात्रावास	बहरोड़	25
15.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	नारायणपुर	25
16.	अनुसूचित जाति छात्रावास	थानागाजी	25

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 की सूची

क. सं.	नाम पटवार हल्का	नाम ग्राम	अतिक्रमी का नाम	अतिक्रमित रकबा	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रावतभाटा	झालरबावड़ी	श्री माधुपितावीरम गुजर	0.02हे0	बेदखल
2.	,,	,,	छोटू पिता रोडा	0.03	,,
3.	,,	,,	मेवा पिता लाला	0.03	,,
4.	,,	,,	सरदारा पिता सूवा	0.02	,,
5.	,,	,,	रामलाल पप्पूपिता जीवन	0.02	,,
6.	,,	,,	वीरम पिता मन्नागुजर	0.03	,,
7.	,,	,,	नाथपिता भागू गुजर	0.03	,,
8.	,,	,,	तेजा, हेमा, लक्ष्मण पिता वीरम गूजर	0.07	,,

Page No. 309

	2	3	4	5	6
9.	रावतभाटा	झालरबावड़ी	छगना पिता छीतर गूजर	0.03हे.	बेदखल
10.	,,	,,	गोरधन पिता छगया जाट	0.03	,,
11.	,,	,,	मेवा पिता छोगागूजर	0.03	,,
12.	,,	,,	कन्हैयालाल पिता भवर लाल राठोड़	0.22	,,
13.	,,	,,	श्रीमवंति कान्ताकेरवाल	0.002	,,
14.	,,	,,	मोहनदास पिता-	1.73	,,
15.	,,	,,	चोकी वन विभाग	0.43	,,
16	,,	,,	मोसम विभाग	0.43	,,
17.	,,	,,	नीमा पिता गोदूगूजर	0.33	,,
18.	,,	,,	नरेन्द्र पि. मोतीलाल ब्रा.	0.16	,,
19.	,,	,,	राजकीरण पि. बी आर. गोवर,	1.08	,,
20.	,,	,,	लालचन्द पि. गोदाराम	1.08	,,
21.	,,	,,	रामगोपाल पि. जगनाथ	1.08	,,
22.	,,	,,	अध्यक्ष चर्च गिरजाघर	5000 वर्गफीट	,,
23.	,,	,,	सुशिलकुमार पिता.आर.डी. गुप्ता	180 वर्गफीट	,,
24.	,,	,,	भासरकर पि.रामनाथसाडू	300 वर्गफीट	,,
25.	,,	,,	सब्बीरमो.पि.यासीनमोहम्मद	300 वर्गफीट	,,
26.	,,	,,	नाहरसिंह फोरमेन आर. ए.पीपी.	300 वर्गफीट	,,
27.	,,	,,	नारायण पि. शकरलालधोबी	180 वर्गफीट	,,
28.	,,	,,	रघुबीरसिंह पि.रामसन्हेही	300 वर्गफीट	,,
29.	,,	,,	मनोहरलालपि.रामनारायण	300 वर्गफीट	,,
30.	,,	,,	शान्ता बाई पत्नि माधुराम	200 वर्गफीट	,,
31.	,,	,,	रमेशचन्द्र पि. रामनारायण महाजन	150 वर्गफीट	,,
32.	,,	,,	ललीतकुमार पिता मेघराज छाबड़ी	300 वर्गफीट	,,
33.	,,	,,	डा. खलिलजी आर.ए.पी.पी,	0.05	,,
34,	,,	,,	कन्हैयालाल पिता मोती- लाल गोड	0.02	,,

1	2	3	4	5	6
35.	रावतभाटा	झालरबावड़ी	शंतरलाल पिता–धाकड़	0.01है.	बेदखल
36.	,,	,,	लक्ष्मीनारायण पि. चतरभुज ब्राहम्ण	0.02	,,
37.	,,	,,	मुन्नालाल तीवाड़ी	0.01	,,
38.	,,	,,	घनश्याम पि.घन्नलालगुप्ता	0.01	,,
39.	,,	,,	मोहनदास महन्त	0.86	,,
40.	,,	,,	जे. जे. सिंह फोरमेन	0.03	कार्यवाही जारी
41.	,,	,,	चोथमल पि.रामकिशनगुप्ता	0.21	,, ,,
42.	,,	,,	मधुकान्त शर्मा आर.ए.पी.पी.	0.02	,, ,,

ग्राम झालरबावड़ी में उपरोक्तानुसार कुल 42 अतिक्रमण के मामले सम्बत् 2047 के अनुसार थे जिसमें से 39 की कार्यवाही कर बेदखल कर दिए गए तथा अतिक्रमी क्र. सं. 40, 41, 42 कार्यवाही जेरकार होकर तारीख पेश 18-9-91 रखी गई है।

अतिरिक्त तहसीलदार
रावतभाटा

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची

परिशिष्ट–"अ"

क्र. संख्या	नाम समिति	निर्वाचन दिनांक	नाम अध्ययन
1.	करुन्दी खेड़ा	7-1-73	श्री हेमा मीणा
2.	चिकलाड़	27-5-89	श्री रामा पिता पोचा
3.	उठेल	30-12-72	श्री बालजी
4.	बगड़ावद	20-1-73	श्री बाबरु मीणा

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची

नाम वस्तु	इकाई	जुलाई, 90 13/9	अगस्त, 90 31.8	सितम्बर, 90 28.9	अक्टूम्बर, 90 28.10	नवम्बर, 90 30.11	दिसम्बर, 90 28.12	जनवरी, 90 25.1.91	वृद्धि कमी प्रति किलो रु में
1. गेहूं	प्रति किलो	2.70	2.70	2.90	3.25	3.25	3.40	4.00	+1.30
2. चांवल (शैला)	,,	4.25	4.50	5.00	5.50	5.50	6.00	6.00	+1.75
3. दालें–1. मूंगदाल	,,	12.00	10.50	10.50	11.00	11.00	11.00	12.50	+0.50
2. चनादाल	,,	10.50	10.00	9.50	10.00	10.00	10.00	10.00	(–) 0.50
3. उड़ददाल	,,	12.00	11.00	10.50	11.00	11.00	11.50	14.00	+2.00
4. तेल-1. सरसों तेल	,,	28.00	29.00	29.00	30.00	30.00	31.00	36.00	+2.00
2. मूंगफली तेल	,,	35.00	35.00	35.00	36.00	34.00	36.00	42.00	+7.00
3. तिल तेल	,,	32.50	33.00	33.00	35.00	34.00	35.00	38 00	+6.00
5. घी देशी	,,			भाव एकत्रित नहीं किये जाते हैं					
6. वनस्पति घी	,,	34.00	36.00	36.00	39.00	39.00	38.00	41.00	+7.00
7. चाय (50 ग्रा.) पैकेट	,,	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	–
8. मिट्टी का तेल प्रतिलीटर					उचित मूल्य पर				

क्र.सं. 1	प्रकरण संख्या 2	फर्म का नाम 3	विशेष विवरण 4
जनवरी, 1991			
1.	2/91	मैं मंवरलाल/उदयलालजैन, केरोसीन विक्रेता, उदयपुर।	विचाराधीन
2.	3/91	मैं. लक्ष्मणगिरी केरोसीन विक्रेता चांदपोल, उदयपुर।	170 लीटर केरोसीन सीज किया गया।
3.	4/91	मैं एफ. पी. एस. चांदपोल वार्ड नं. 6 श्री उदयलाल।	विचाराधीन
4.	21/91	मैं एफ. पी. एस. भेड़ तहसील कोटड़ा	विचाराधीन
5.	22/91	श्री मुख्तियार मोहम्मद पिता मोहम्मद हुसैन मंसूरी ग्राटोमोबाईल्स, भिण्डर	एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज कराई गई।
6.	23/91	मैं. मदनलाल सम्पतलाल, 23 कृषि मण्डी, उदयपुर।	589,500 चांवल सीज किया गया।
7.	24/91	मैं. जय हनुमान एण्ड कम्पनी, 25-बी, कृषि उपजमण्डी	2 क्वि. गेहूं सीज किया गया।
8.	25/91	मैं. नाथ ट्रेडर्स कृषि उपज मण्डी, उदयपुर।	विचाराधीन
9.	26/91	मैं. उंकारलाल रोशनलाल भगड़ावत, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर।	विचाराधीन
10.	27/91	मैं. भीमराज थावरचन्द बापना, ला. नं. कृषि उपज मण्डी, उदयपुर।	12 क्वि. गेहूं 630 कि.ग्रा. जो सीज किया गया।
11.	37/91	मैं पुष्करलाल/रामप्रताप उ.मू.दु.नं. 45	विचाराधीन
12.	39/91	गणेश उपभोक्ता भण्डार, दुकान नं. 47	,,
13.	40/91	गणेश उपभोक्ता भण्डार, दुकान नं. 48	,,
14.	41/91	मैं. चम्पालाल/पूनम चन्द उ.मू.दु. नं. 93	,,
15.	52/91	उपभोक्ता थोक भण्डार, 107 श्री गणेशलाल	,,
16.	53/91	,, ,,	,,
फरवरी, 1991			
17.	54/91	मैं. रोशनलाल एफ.पी.एस. 16, मिलावटवाड़ी, उदयपुर।	15 क्वि. गेहूं सीज एफ. ग्राई. ग्रार.

1	2	3	4
18.	57/91	मैं. शांतिलाल/बरदी चन्द धनावत फलासिया	47 क्वि. तुग्रर सीज किया गया ।
19.	58/91	मैं श्री कनक मल/नेमीचन्द जैन, कोल्यारी	33 क्वि. तुग्रर सीज किया गया ।
20.	63/91	मैं. कालूलाल मोहनलाल थोक, 60 कृषि मण्डी, उदयपुर	विचाराधीन
21.	68/91	मैं. गणेशलाल/शांतिलाल जैन, मबराना, सलुम्बर ।	323 क्वि. 41 कि. खाद्यान्न सीज किया ।
22.	70/91	एफ.पी.एस. देलवाड़ा श्री गणेश लाल	794 कि.ग्रा. गेहूं सीज किया गया ।
23.	73/91	श्री गोतम मीणा एफ.पी.एस. धामणिया तहसील–धरियावद ।	10 क्वि. गेहूं सीज किया गया ।
24.	83/91	मैं. शांतिलाल/राजेन्द्र कुमार मबराना, सलुम्बर ।	13 क्वि. 88 कि. गेहूं सीज किया गया ।
25.	84/91	मैं. हरकमाल/कालूलाल बोमानी उ मु.दु. सलुम्बर	2 क्वि. 90 कि.ग्रा. गेहूं सीज किया गया ।
मार्च, 1991			
26.	91/91	मैं. मून्दड़ा इण्टरप्राइजेज	33 क्वि. 53 कि.ग्राम गेहूं सीज किया गया ।
अप्रेल, 1991			
27.	109/91	मैं. जनता केरोसीन	विचाराधीन
28.	113/91	,, दिनेश ऐजेन्सी	,,
29.	114/91	,, एफ.पी.एस. नं. 105, उदयपुर ।	,,
30.	115/91	,, एफ.पी.एस. नोहरा नया खेड़ा ।	,,
31.	121/91	,, एफ.पी.एस. खरका-बी	,,
32.	142/91	,, जावर माईन्स एम्पाईज का सोसायटी लि.,	70 गैस सिलेण्डर सीज किया गया ।

(314)

1	2	3	4
जुलाई, 1991			
33.	169/91	मैं. संतोषी देवी रांका एफ.पी.एस. 86	56 किलो ग्राम 250 ग्राम शक्कर सीज की गई।
34.	171/91	,, पटेल ट्रेडिंग कम्पनी	विचाराधीन
35.	172/91	,, भंवरलाल/रामचन्द्र	,,
36.	173/91	,, केलाश चन्द्र मगनीराम	,,
37.	174/91	,, टांक केरोसीन गोगावतवाड़ी	,,
38.	186/91	,, मेवाड़ ट्रेडिंग कोरपोरेशन	,,
39.	188/91	,, लाल जी एण्ड कम्पनी	,,
40.	194/91	,, मगनलाल/रंगलाल	,,
41.	196/91	,, राजस्थानी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पो. उदयपुर	,,
अगस्त, 1991			
42.	212/21	मैं. विमल ऐजेन्सी	,,
43.	213/91	,, शंकर फिलिंग स्टेशन, उदयपुर	,,
44.	214/91	,, गुरू कृपा पैट्रोलियम	,,
45.	215/91	,, नवीन चन्द एण्ड कम्पनी	,,
46.	216/91	,, हिन्दुस्तान एग्रो केमीकल्स	,,
47.	223/91	,, सिंघवी ग्रायल इण्डस्ट्रीज	,,
48.	225/91	,, मार्डन सर्विस स्टेशन होस्पीटल रोड़	,,
49.	226/91	,, धनराज/मगनलाल	,,
50.	229/91	,, अग्रवाल ग्रायल मिल्स, उदयपुर।	,,
51.	230/91	,, सिंघवी ग्रायल इण्डस्ट्रीज	,,
52.	239/91	,, एफ. पी. एस. नं. 107 सवीना उदयपुर	,,
53.	241/91	,, लक्ष्मीलाल मोगरावाड़ी	,,

Page No. 315

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 320 की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में प्राप्त शिकायतो की संख्या	निर्णित शिकायतें	शेष शिकायतें
1.	अजमेर	0	0	0
2.	अलवर	0	0	0
3.	बाड़मेर	17	10	7
4.	बून्दी	13	3	10
5.	बांसवाड़ा	11	11	–
6.	भरतपुर	61	60	1
7.	भीलवाड़ा	129	126	3
8.	बीकानेर	32	30	2
9.	चूरू	25	13	12
10.	चित्तौड़गढ़	0	0	0
11.	डूंगरपुर	93	83	10
12.	श्री गंगानगर	4	–	4
13.	जयपुर	6	1	5
14.	जोधपुर	0	0	0
15.	जैसलमेर	0	0	0
16.	जालौर	21	8	13
17.	झुन्झुनूं	57	52	5
18.	झालावाड़	73	57	16
19.	कोटा	0	0	0
20.	नागौर	0	0	0
21.	पाली	0	3	0
22.	सीकर	0	0	0
23.	सवाई माधोपुर	43	43	–
24.	सिरोही	8	4	4
25.	टौंक	12	8	4
26.	उदयपुर	0	1	0
27.	धौलपुर	20	12	8
28.	दौसा	24	–	24
29.	बारां	0	0	0
30.	राजसमन्द	0	0	0

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 304 का विवरण

परिशिष्ट "क"

क्र सं.	अपराध सं.	तारीख कायमी मुकदमा	विरुद्ध	अन्तर्गतधारा	नतीजा अनुसंधान	अनुसंधान कब तक पूर्ण होगा ।
1	2	3	4	5	6	7
1.	42/81	29.8.81	1. श्री नवरतनलाल शर्मा सरपंच ग्रा. पं. बलाडा, पं. स. जैतारण, 2. श्री मूलसिंह सरपंच ग्रा. पं. रावडियावास, प. स. जैतारण व अन्य,	5(2) सपठित 5(1)(डी) पीसी एक्ट् 1947 व 420, 468, 161, 120 बी, भा. द. स.,	अनुसंधान पूर्ण किया जाकर चालन का निर्णय लिया जाकर सर्वश्री दामोदरलाल तहसीलदार अभयसिंह पटवारी व सुमेर सिंह पटवारी की अभियोजन स्वीकृति का प्रारूप राजस्व मण्डल, अजमेर, श्री नवरतनलाल व मूलसिंह सरपंचों की अभियोजन स्वीकृति का प्रारूप अवरसचिव (जांच) ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग श्री ब्रजरत्न आचार्य ग्रामसेवक की अभियोजन स्वीकृति का प्रारूप निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, तथा श्री सीताराम शर्मा, ग्रामसेवक का अभियोजन स्वीकृति का प्रारूप निदेशक, कृषि विभाग को दिनांक 16/10/87	अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होते ही चालान न्यायालय में पेश किया जावेगा ।

1	2	3	4	5	6	7
					को भेजे गये। दोनों सरपंचों की अभियोजन स्वीकृति विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, से 21/12/87 को प्राप्त हो चुकी है. बाकी अभियुक्तों की अभियोजन स्वीकृति अभी तक सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं हुई है जो प्राप्त होने पर चालान पेश किया जावेगा।	
2.	129/89	29.12.89	श्री सूजाराम, सरपंच, ग्राम पं. बिलावास, पं.स.–सोजत,	409, भादस व 13(1)(सी) (डी)(2) पीसी. एक्ट 1988,	अनुसंधानाधीन	अनुसंधान करीब-करीब पूर्ण हो चुका है जल्दी ही निर्णय लिया जावेगा
3.	132/90	20.11.90	श्री करणसिंह सरपंच, ग्राम पं.–चाणोद व अन्य	384, 420, 161 भादस, व 13(1) (डी) संपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988,	,,	,,

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 312 का विवरण

उदयपुर शहर में बालिका विद्यालयों एवं कार्यालयों जो कि किराये के भवन में चल रहे हैं, उनकी सूची :—

क्रसं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम	मासिक किराया	कब से	भवन मालिक का नाम
1	2	3	4	5
1.	जिशिग्र (छात्रा) उदयपुर	2155/–	1-1-88	अरुण शर्मा
2.	वरि. उजिशिग्र (छात्रा) उदयपुर	3300/–	1-8-88	भवरे ल ल जैन
3.	राबामावि आयड	483/–	8-10-77	श्री मोहम्मद हुसैन
4.	राबामावि सुन्दरवास	290/–	7-68	रोशनलाल मेहता
5.	राबामावि अम्बामाता	1597/–	20-4-84	भैरूलाल सुखवाल
6.	राबामाविसैक्टर II उदयपुर	174/–	8-80	केशव वल्लभ जोशी
7.	राबामावि कस्तुरबा	318/–	15-8-84	रांमलाल/सोहनलाल तेजसिंह श्रीमाल शांतीलाल श्रीमाल/ ओंकारलाल देवराज
8.	राबाउप्रावि खेरादीवाडा	1655/–	10-1-85	श्री सुखलाल पुर्बिया
9.	राबाउप्रावि सूरजपोल	99/–	4-64	अग्रवाल समाज
10.	राबाउप्रावि पंचवटी	1705/–	8-84	प्रमोद कुवर
11.	राबाउप्रावि नानीगली	किराया निर्धारित नहीं।	7-9-88	पालीवाल ब्राह्मण समाज
12.	राबाउप्रावि हाथी पोल	325/–	24-7-75	सुन्दरबेबी
13.	राबाउप्रावि बोहरवाडी	602/–	3-83	अशफुर अहमद
14.	राबाउप्रावि देवाली	422/–	10-80	मातीलाल सोलंकी
15.	राबाउप्रावि हि. से. 3, 4, 5	384/–	10-80	पारसमल मेहता

1	2	3	4	5
16.	राबाप्रावि बि. कालोनी	79/–	1-7-64	सनातन मन्दिर उदयपुर
17.	राबाप्रावि किशनपोल–I	1090/–	1-3-81	विश्वकर्मा मन्दिर
18.	राबाप्रावि पानेरियों की मादड़ी	1500/–	8-1-81	मेनारिया समाज
19.	राप्रावि अशोक नगर	375/–	1992	विश्वेश्वरनाथ महादेव
20.	राबाप्रावि शबरी कालोनी	1087/–	1-5-64	राजेन्द्र शर्मा
21.	राप्रावि सिन्धी विद्यापीठ उदयपुर	सनिवि विभाग से किराया का मूल्यांकन नहीं हुआ है ।		
22.	रामावि देवाली	260/–	दिसम्बर 60	श्री उत्तमसिंह
23.	रामावि प्रतापनगर	450/–	अगस्त 62	श्रीमती सिरोमणी माथुर
24.	रामावि भूपालपुरा	190/–	दिसम्बर 79	नगरपालिका उदयपुर
25.	रामावि गणेश घाटी	709/–	22-1-74	योगेश चन्द शर्मा
26.	रामावि बिलोचिस्थान कालोनी	201/–	1-1-61	सनातन धर्म
27.	राउप्रावि पुराना स्टेशन	93/–	1962	रेलवे विभाग
28.	राउप्रावि रावजी का हाटा	171/–	30-6-80	औदिच्य समाज
29.	राउप्रावि सूरजपोल टरोही	45/–	3-7-81	हीरालाल
30.	राउप्रावि नागानगरोह	750/–	1-7-63	जयन्तराय नागर
31.	राउप्रावि हिरनमगरी सै. II	697/–	31-1-80	गोपीनाथ शर्मा
32.	राउप्रावि सुन्दरवास	122/–	15-3-63	किशनलाल
33.	राउप्रावि आयड	784/–	11-8-62	दुर्गाशंकर
34.	राउप्रावि	90/–	1-1-62	नन्दलाल माथुर
35.	सैक्टर नं. 5	125/–	20-6-72	मेहरीलाल माथुर
36.	पुरोहितों की मादडी	433/–	31-1-73	श्रीमती मोहनीदेवी
37.	राउप्रावि नाथघाट	137/–	1-7-80	सुमार्षसिंह
38.	राउप्रावि रेलवे	185/–	1969	रेलवे विभाग
39.	प्रावि हिरण मगरी सै. II	697/–	1-3-85	अर्जुनलाल
40.	वार्ड नं. 37 उदयपुर	677/–	31-3-82	मैनारिया समाज
41.	,, सिम्म विद्यापीठ	618/–	1-10-85	भट्ट मेवाड़ा समाज
42.	प्रावि सुथारो की घाटी	962/–	1862	सरस्वतीदेवी

320

1	2	3	4	5
43.	प्रावि सिटी नं. 7	799/–	1-5-85	बांकीवाल समाज
44.	,, मोईवाडा	37/–	16-12-83	मुफरमाड समाज
45.	सिक्का कालोनी	1316/–	1-10-87	श्रीमती निर्मला परियानी
46.	पहाडा	481/–	1-11-85	श्री मनोहरलाल नगदा
47.	अशोकनगर	116/–	7-63	तानेराव महादेव मन्दिर
48.	मधुबन	220/–	22-7-78	विभाषा टिकल सोसाइटी
49.	अभय का कोडा	784/–	1-8-87	छगनलाल मैनारिया
50.	सम्मरदार ब्रांच	200/–	27-11-65	मनमोहन सोसायटी
51.	बारियों की घाटी	110/–	1-7-67	त्रिभुवन जोशी
52.	लोवट वाडियों की सरेरी	97/–	1-7-66	शान्तिलाल
53.	बारीघाट उदयपुर	230/–	1-7-87	गुलाबराय
54.	वार्ड नं. 8	621/–	15-7-62	योगेश कुमार
55.	तेवाली उदयपुर	461/–	1-7-70	श्रीमती बिमला आंवलिया
56.	चांदपोल उदयपुर	425/–	3-6-61	दुर्गाशंकर पुरोहित
57.	पंचवटी उदयपुर	555/–	11-2-87	भैरूलाल सत्तार
58.	माण्डल उदयपुर	292/–	9-8-79	गुलाम अब्बास
59.	नीममाता कॉलोनी	370/–	16-5-86	मन्नाराम
60.	वार्ड नं. 3	673/–	4-3-86	सुरजभान मेहता
61.	कोहरा गणेशजी	1190/–	7-7-87	बालकृष्ण द्विवेदी

परिशिष्ट–16

समयाभाव के कारण सदन में न पढ़े जा सके प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

माननीय सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :–नियम 295 के तहत सूचना कोटा जोधपुर नगर परिषद क्षेत्रों में कब्रिस्तान के नाम से भूमि हड़पने वाला बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है जिससे कब्रिस्तानों की भूमि हड़पने का अभियान चलाया हुआ है जिससे कब्रिस्तान छोटे होते जा रहे है जिससे अल्पसंख्यकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी तथा स्थानीय शहर काजी की मिलीभगत से कब्रिस्तान की जगह रोकी जा रही है कोटा शहर में सोफिया स्कूल के पास कब्रिस्तान की भूमि पर पत्थर के पन्द्रह स्टॉक है इन स्टॉकों में अधिकतर असमाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है इसी प्रकार चम्बल गार्डन के सामने वक्फ बोर्ड द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर 26 दुकान बनाकर अवैध निर्माण किया है जो कि सरासर गलत है तथा ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड भी जानबूझ कर कब्रिस्तानों की जमीनों को व्यवसाय में काम ले रहा है अतः जिन लोगों ने दुकानें बनाने की अनुमति दी है या बनाने में सहयोग किया है उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करें तथा उनके नाम बताये जावें। माननीय अध्यक्ष महोदय नयापुरा के कालपुरा स्थित कब्रिस्तात में भी मकानों का अवैध निर्माण कर बेश कीमती जीवन को कब्रिस्तान के नाम पर हड़प कर वहां के दूसरे समुदाय का मजाक बनाया जा रहा है इसी प्रकार नगरपरिषद जोधपुर क्षेत्र में भी मेहती सिलावटों के कब्रिस्तान में जाकिर हुसैन कॉलोनी, नागौरी गेट सिलावटी के कब्रिस्तान में साकिया कालोनी तथा चांदशाह तकिना, सोजती गेट के पास कब्रिस्तान में व्यवसायिक दुकान बनाकर कब्रिस्तान के नाम पर अरबों रूपये हड़पने का षडयंत्र है जो कि असहनीय है बर्दाश्त करये योग्य नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार अगर कबिस्तान की जमीन पर व्यवसायिक व आवासीय दृष्टि से अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण होता रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा कि कब्रिस्तानों में आवास व्यवसाय की दुकानें होगी व जहां हिन्दु अभी निवास करते है वहां कब्रिस्तान होगें। इस प्रकार के कृत्य को रोककर कब्रिस्तानों के आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण को तुरत हटाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए तथा मैं यह भी चाहूंगा कि कब तक ऐसे अतिक्रमणों को हटा दिया जावेगा। निश्चिय अवधि बताएं तथा इस प्रकार से बढ़ते हुए कब्रिस्तानों पर रोक लगायी जावें।

भवदीय
(मदन दिलावर)

323

सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

विषय :–राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर में बिजली की समस्या के अन्तर्गत नये कनेक्शन देना व ट्रांसफारमरों की व्यवस्था करने के बारे में।

महोदय,

जिला सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है जिन कुओं और ट्यूब वैलों में पानी है तो उनका जलस्तर बहुत नीचे चला गया हैं जिसके कारण डीजल से चलने वाले पम्प सफल नहीं हो रहे है और किसान चलाता भी है तो उससे इतना खर्चा आता है कि पैदावार करने का कोई लाभ नहीं है। इस क्षेत्र में बिजली की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर रखा है बेचारा किसान जिस पर इस सरकार ने इसना बोझा डाल दिया है कि जो जिजली का खम्भा उसे फ्री मिलता था उसकी 3200/– कीमत कर दी 1200/– जमा कराने पर प्राइटी बनती हैं पर पैसा जमा कराये हुए एक वर्ष हो जाने पर आज तक डिमाण्ड नोटिस नहीं निकले इसी प्रकार कुछ ग्रामों को आपने इलैक्ट्रीफाई घोषित कर दिया है पर आज तक उनमें बिजली नहीं लगी है जैसे टोडाभीम वि. क्षेत्र के ग्राम मोहनपुरा, सुजानपुरा, झोटवाड़ा आदि ग्रामों में आज तक बिजली नहीं मिली है न उनमें ट्रांसफारमर लगे है टोडाभीम में एक 3 के. एम. वी. का ट्रांसफारमर स्वीकृत हुए वर्षों हो गए पर आज तक नहीं लगा जिसके कारण रात्रि को किसानों को मिलती है अतः ट्रांसफारमर दिलाया जावे और जो जाते है उसके स्थान पर नये महीनों तक नहीं दिए जाते है और किसान की फसल सूख जाती है। अतः मेरा यह सुझाव है कि ट्रांसफारमर को खरीदने की पावर किसानों को दे दी जावे और उनकी जिम्मेदारी पर छोड दिया जावे ताकि सरकार को भी घाटा न हो। जो लाईनें बिछाई गई है उनके टूटने के कारण या खराब होने के कारण आदमी एवं जानवर मर जाते है।

अतः मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस ओर अवश्य शीघ्र ध्यान दें।

भवदीय

(रामस्वरूप मीणा)

सेवामें,

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषयः–राजस्थान विधान सभा एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार बाबत।

महोदय,

राजस्थान में इस समय हर रोज सामाचारों पत्रों में राजस्थान के कोने-कोने में महिलाओं पर अत्याचार के सामाचार छपते रहते है। जिसमें बलात्कार व जलाकर मार डालने जैसी घटनायें मुख्य रूप से होती है। इन घटनाओं पर सख्ती नहीं करने एवं मुलजीमान को गिरफ्तार नहीं करने से ज्यादा अपराध होते हैं। जैसे अजमेर जिले के रूपनगढ थाने में मु. न. 19/89 धारा 366, 376 आई. पी. सी. दर्ज किया गया यह मुकदमा राजू साटिया ने रूपनगढ थाने में दर्ज कराकर निवेदन किया था कि मुस्तगोस की पत्नि बन्दरी, पुत्री व पुत्रवधू मुकरड़ी व अन्तर को मुल्जीमान भंवरलाल राजपुरोहित बोरोवड़, मदनलाल सोनी बोरवक्ड़ अन्य मुल्जिमान से मिलकर तीनों महिलाओं का अपहरण किया व बलात्कार किया। यह मामला सन् 89 में विधान-सभा में भी तत्कालीन सदस्य श्री जगजोत सिंह जी, सदस्या सुश्री पुष्पाजैन विपक्षी नेता माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने उठाया था एवं मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की मांग करी व माननीय उपाध्यक्ष श्री किशन मोटवानी के निर्देश पर महिलाओं के बयान लिए गये थे जिसमें महिलाओं ने बलात्कार होना बयान किये थे। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुश्री पुष्पा जो अकाल राहत मंत्री को मालूम है। लेकिन अनुसूचित जाति के इस साटिया परिवार की महिलाओं के अपहरण कर्ताओं एवं बलात्कारीयों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इनको गिफ्तार करने व चालान करने की राजू ने पुलिस अधिकारियों को निवेदन के लिए दर-दर भटकना पड़ा है। यह अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अपहरण व बलात्कार का मामला है। जिससे मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से महिला समाज व अनु. जाति में भारी रोष है। इसकी अविलम्ब तफ्तीश की जावे या तफतीश लंबित नहीं है तो पुनः तफतीश करावें।

अतः मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाकर चालान करवाया जावे।

भवदीय,
(बिरधा राम चौधरी)

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषयः-नियम 295 के तहत प्रस्ताव

महोदय,

नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव राजस्थान में संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में वर्ष 1990–91 की स्थिति को आगे भी बनाये रखने के संबंध में है ।

वर्ष 1989–90 से पूर्व राज्य भर से उपाध्याय एवं संस्कृत के साथ हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए केवल एक संस्कृत एस टी.सी. विद्यालय महापुरा (जिला जयपुर) में कार्यरत था, जिसकी प्रवेश क्षमता मात्र 100 सीटों की थी तथा स्नातक स्तर के लिए चार संस्कृत ट्रेनिंग कालेज संचालित थे जिनकी प्रवेश क्षमता 480 थी ।

प्राथमिक एवं स्नातक शिक्षण प्रशिक्षण में विद्यमान इस भारी असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से ही संस्कृत जगत की व्यापक मांग पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989–90 में 3 संस्कृत एस. टी. सी. स्कूल और कायम किये गये तथा उनकी प्रवेश क्षमता 180 रखी गई । इस प्रकार 280 छात्र संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण में जाने लगे ।

राज्य सरकार ने गत वर्ष इन संस्कृत प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रथम वर्ष के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया और वर्ष 1991–92 में इन्हें मान्यता न देकर बंद करने की स्थिति में ला खड़ा किया है । दूसरी ओर 1991–92 में सामान्य शिक्षा के 27 डाइट व 34 एस. टी. सी. विद्यालय कार्यरत हैं और संस्कृत शिक्षा क्षेत्र में मात्र एक ही, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता । यह भी बताया गया है कि सरकार ने सामान्य शिक्षा के गत वर्ष बंद किए विद्यालयों में से कुछ को इस वर्ष फिर स्वीकृति प्रदान कर दी है किन्तु संस्कृत प्रशिक्षक विद्यालयों को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है । राज्य सरकार की इस कार्यवाही से संस्कृत छात्रों में भयंकर आक्रोश हैं ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि तत्काल संस्कृत शिक्षा क्षेत्र के तीनों प्रशिक्षण विद्यालयों को मान्यता देते हुए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण की वर्ष 1990–91 की स्थिति यथावत रखी जाय ताकि संस्कृत छात्रों को रोजगार उपलब्ध हो सके ।

भवदीय

(किशनाराम नाई)

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय:–कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदय,

कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत मैं सदन का ध्यान माउंट आबू में एक स्कूली छात्रा द्वारा नक्की झील में डूब कर की गई आत्महत्या के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

अभी हाल ही में माउंट आबू की सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय की एक छात्रा जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ती थी द्वारा आत्महत्या की गई है। यह छात्रा मरने से पूर्व अपने परिवारजनों के नाम एक चिट्ठी छोड़कर गई है, उस चिट्ठी के अनुसार उसने अपने ही विद्यालय के तीन अध्यापकों द्वारा उस पर ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर कुकृत्य करने के लिए बाध्य किया तथा अश्लील हरकतें की। इस हरकत को यह बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकी और नक्की झील में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह एक होनहार छात्रा थी और इसके 8वीं कक्षा में 76 प्रतिशत नम्बर रहे। जब इस छात्रा ने उक्त विद्यालय की 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया तो इस पर योगेन्द्र सिंह व 2 अन्य अध्यापकों द्वारा यह दबाव डाला गया कि तू हमसे ट्यूशन कर नहीं तो हम तुझे फेल कर देंगे।

इन्हीं अध्यापकों के ग्रुप द्वारा एक अन्य छात्राओं पर भी ट्यूशन के लिए दबाव डाला और तीसरे मामले में इन्होंने फिर एक लड़की पर ट्यूशन के लिए दबाव डालते हुए उसके साथ गलत हरकतें की हैं। यह अध्यापकों का ग्रुप अभी भी स्कूल में मौजूद है।

इन अध्यापकों की यह कार्यवाही निश्चित रूप से शिक्षा जगत् को बदनाम करने वाली है। उक्त घटना का ब्यौरा माउन्ट आबू की आम जनता ने अनुसूचित जाति कल्याण समिति के दौरे के दौरान दिनांक 29–8–91 को दी जिस पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने क्षोभ व्यक्त किया लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही करने में असमर्थता जाहिर की।

अतः मेरी सदन से मांग है कि उक्त घटना की जांच उच्च न्यायालय के जज से करवाई जाय तथा उक्त अध्यापकों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जावे और अब तक कार्यवाही नहीं करने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी को निलम्बित किया जावे।

भवदीय
(प्रकाश बैरवा)

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय और चिंताजनक है। सरकारी अनुदान दिए जाने के बावजूद प्रबन्धकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोर्ट में कोई सुनवाई कानून के अभाव में नहीं होती लेकिन प्रबंधकों को कानूनी अधिकार है कि वे सरकारी आदेशों को चुनौती दें। अनुदानित संस्थाओं में भी (अण्डर पैमेण्ट) की प्रवृत्ति है ऐसी संस्थाओं का दण्डस्वरूप अनुदान बन्द किया जावे तो कर्मचारियों का ही नुकसान है प्रबन्धकों को कोई दण्ड नहीं। सरकार अनुदान नियम '4 बी' के रहते हुए भी केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर ही अनुदान देती है। मकान किराया, चिकित्सा, नगरी आवास, पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि पर अनुदान दिया ही नहीं जाता। जनहित याचिका के अन्तर्गत हाई कोर्ट एवं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकाश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार के मामले में केस नं. 443 तथा 2027 एवं 5735 में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हो चुके हैं। 6 मई को राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई। 9 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भला यह कैसी सरकार है जो राम-रोटी और समानता का चुनावी 'नारा' लगाती है किन्तु कर्मचारियों के समानता के अधिकार छीनकर राम-रोटी से मोहताज कर रही है।

वैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षाकर्मियों पर शिक्षा-दिवस पर इस सरकार ने लाठियां बरसाई। अणु गैस के 'गोले' छोड़े। उस दिन तो यदि इनके सुरक्षाकर्मियों के पास 'स्टेनगन' होतीं तो सैकड़ों लोग 'भून' दिये जाते। राम मन्दिर निर्माण के लिए बलिदान की 'कस्में' खाने वाले राम विहीन हो चुके हैं। शिक्षक दिवस पर जिस बर्बरता का नंगा नाच शासन सचिवालय के सामने हुआ, उसने तो अंग्रेजों के दमनात्मक कारनामों को भी लांघ दिया। इस शर्मनाक घटना पर न तो अभी तक मुख्यमन्त्री और न ही गृहमन्त्री ने माफी मांगी और न ही खेद प्रकट किया।

9 सितम्बर को अनुदानित शिक्षा कर्मियों की संघर्ष समिति से मांगों के बारे में जो वायदे किये उसका कोई लिखित प्रभाव नहीं। मुख्यमन्त्रीजी सदन को बतावें कि शिक्षकों के साथ 9 सितम्बर को हुई वार्ता के निर्णय क्या है? कब तक उन निर्णयों को लागू करने का विचार रखते हैं? वरना उनका 9 सितम्बर का सारा घटनाक्रम नाटक था? यहां यह भी उल्लेखित कर रहा हूं कि विपक्ष के नेता के रूप

में मुख्यमन्त्रीजी ने बहुत से वायदे किये थे । वे कहते थे हम होते तो कभी इनकी मांगें मान लेते । राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में महंगा वकील कर केस लड़ा और हारे । फिर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध एक और अपील की कांग्रेस ने शिक्षा विधेयक पारित कराया जिसमें शिक्षकों के शोषण को रोकने सेवा सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें पूरा वेतन देने आदि के प्रावधान किये गये । ये उसे अटकाये हुए है क्योंकि इनको डर है कि इनकी समर्थक 'भारतीय शिक्षा समिति' द्वारा संचालित सैकड़ों स्कूल कर्मचारी प्रबन्धकों के कब्जे से निकल जावेंगे इसलिए ये उनको सुरक्षा नहीं देना चाहते । जन कल्याण 'गाय की खाल' को ओढ़ लेने से नहीं होता उसके राम को अपने अन्दर जागृत करना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदयजी, अब तक का किया भी शिक्षक माफ कर सकते हैं यदि सरकार के मुखिया शिक्षक विधेयक लागू कर दें । 9 सितम्बर के फैसले के प्रमुख निर्णयों से भी मुझे व सदन को अवगत करावें ।

सादर !

भवदीय

(बी. डी. कल्ला)

सेवामें,

श्रीमान् सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर (राज.)

विषय :—प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ।

महोदय,

टौंक जिला मुख्यालय पर राज. पथ परिवहन निगम का बस स्टेण्ड पर भारी असुविधाएं हैं, जिनको देखते हुए लगता है कि निगम जिन नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था वह ही समाप्त होता लगता है ।

यहां नागरिक सुविधा के नाम पर न केवल यात्रियों को बैठने अथवा खड़े रहने की जगह है अपितु बसें भी ठीक से खड़ी नहीं हो सकती है । यहां खुल्लेआम सुवरें, आवारा कुत्ते, गायें घूमती रहती हैं जो यात्रियों के सामान में मुंह देना, उठा ले जाना एवं यात्रियों को जख्मी कर देना जैसी घटनाएं होती रहती है ।

साथ ही यहां सचिवालय एवं पेशाब घर का अभाव है । टौंक में मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण परदानशीन औरतों को बड़ी परेशानी होती है ।

328

महोदय, इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहां कभी भी साम्प्रदायिक झगड़ा अथवा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृषि मण्डी टोंक के पास पड़े कृषि भूखण्ड को अधिग्रहण कर वहां पर अथवा जहां पर राज्य सरकार को जनसुविधाओं के लिए उपयुक्त भूखण्ड मिले वहां पर बस स्टेण्ड का नवनिर्माण कर जनता को राहत पहुंचाए।

सधन्यवाद !

भवनिष्ठ

(महावीर प्रसाद जैन)

सेवामें,

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :— राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत, गत वर्ष अतिवृष्टि से पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा में करीब 5 बांध टूट गए थे परन्तु अभी तक पुनः निर्माण नहीं कराने बाबत !

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम सांथस, धरवाड़ा, दांतवाड़ा, जासेरा खुर्द बगेरा तथा पंचायत समिति जसवंतपुरा में पुरण बगेरा के कई बांध क्षतिग्रस्त हो गये थे और कई काश्तकारों के कुएं खेत नष्ट हो गए थे परन्तु बड़े दुःख के साथ सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि करीब एक साल बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक उपरोक्त बांधों का निर्माण नहीं किया गया हैं जिससे काश्तकारों में सरकार के प्रति काफी रोष है।

गत सत्र में भी श्रीमान सिंचाई मन्त्री महोदय ने हमको और सदन को आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र ही उपरोक्त तमाम बांधों का पुनः निर्माण करवा दिया जायेगा।

अतः कृपया कर निश्चित तारीख एवं कब तक पुनः निर्माण करवा दिया जावेगा। कृपया सदन को अवगत करावें जिससे आम जनता को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सकें।

भवदीय

(रतनाराम चौधरी)

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—नियम संख्या 295 के तहत झालावाड़ जिले के पचपहाड़ कस्बे के राममंदिर में दि. 12 सितम्बर की रात्रि को चोरी हुई, बरामद नहीं होने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि झालावाड़ जिले पचपहाड़ कस्बे के राम मन्दिर में दिनांक 12-9-91 की रात्रि को 1 बजे के करीब चोरी हुई और वहां सोये हुए श्री बद्रीलाल पाटीदार को चोरों ने भारी पत्थर सिर पर मार कर घायल कर दिया । अभी भी होश नहीं आया और सवाईमानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं । जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया है चोरी में 5 किलो चांदी के जेवरात 4 तोला सोना के जेवर भगवान को पहिना रखे थे । पुलिस की निषक्रियता से अभी तक चोरी बरामद नहीं होने से भवानी मण्डी और पचपहाड़ बन्द रहा । और धार्मिक जनता में भारी आक्रोश है । इस गम्भीर मसले पर पूर्ण ध्यान देकर चोरों को गिरफ्तार किया जावे और चोरी में गये भगवान के जेवरात तुरन्त प्रभाव से बरामद किया जावे । यह गृह मन्त्रीजी से सम्बन्ध रखता है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रस्ताव है ।

भवदीय

(बालचन्द्र आर्यवीर)

सेवामें,

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत झांझरी बांध के अधूरे कार्य को पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में झांझरी नामक गांव गुजरात की सीमा पर बसा हुआ है और उस गांव में शत प्रतिशत आदिवासी रहते हैं । उनका मुख्य धन्धा खेती है । लेकिन सिंचाई के साधन नहीं होने से खेती अच्छी नहीं हो पाती है । इसलिए

330

अधिकतर वहां के निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते आ रहे हैं। इन लोगों की आर्थिक हालत सुधार के लिए आज से 15 साल पहले झांझरी नामक बांध बनाने की योजना बनाई थी और इस 15 साल के दौरान जब-जब भी अकाल पड़े हैं। तब-तब अकाल राहत में कार्य किया गया एवं नींव खोदकर भरती की गई है, वेस्टवीयर बनकर तैयार हो गया है। तथा केनाल भी खोद दी गई हैं।

लेकिन बांध की नींव खोदकर भर देने के बाद आगे का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और जब कभी भी सिंचाई विभाग के मन्त्री या अन्य अधिकारियों से बांध को पूरा करवाने की बात कही तो एक ही जवाब मिलता है कि धन उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। किन्तु 15 साल तक किसी भी सरकार को 50 लाख का धन उपलब्ध नहीं हो पाया और वे सभी आदिवासी काश्तकार जो इस बांध से लाभान्वित होने वाले थे गरीबी रेखा से ऊपर उठने के सपने देखते रहे हैं।

इस बांध की एक मुख्य विशेषता यह है कि कोई भी परिवार डूब में नहीं जाता है और न ही किसी को एक पैसा मुआवजा देना है। इसके बावजूद भी इस बांध को बनाने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आदिवासियों की बात को कोई नहीं सुनता है।

फिर भी मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि झांझरी बांध को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक धन स्वीकृत किया जावें।

भवदीय,

(दयाराम परमार)

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—नियम 295 के तहत नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र की की सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राधानाचार्यों व अध्यापकों की कमी से हो रही हानि के क्रम में तथा उक्त क्षेत्र में नई माध्यमिक व उच्च प्राथमिक शाला खोलने के क्रम में।

महोदय,

नीमकाथाना क्षेत्र की शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शिक्षा में पिछड़ रहे हैं व उच्च कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रहते हैं। उक्त क्षेत्र की कुछ विद्यालय की हालत बहुत पिछड़ गयी है जो निम्न है।

(801)

1. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय छावनी नीमकाथाना में पिछले चार पांच साल से प्राधानाचार्य का पद रिक्त चल रहा है। तथा उक्त पद पर वापिस एक सांवलराम यादव वरिष्ठ अध्यापक को उक्त पद का चार्ज देकर पदासीन कर रखा है। जिससे बालिका विद्यालय पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है।

2. राजकीय सी. मा. विद्यालय, छात्रा की नांगल, माध्यमिक विद्यालय चीपलाटा, टटेरा, नया बास, जिलो, हसामपुर, डाबला आदि जगह लम्बे समय से प्राधानाचार्यों के पद रिक्त हैं तथा केवल मात्र एक या दो अध्यापिका ही कार्यरत हैं जिससे बालिका, बालकों की शिक्षा पिछड़ गई है।

3. राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय हसामपुर, डाबला (सीकर) में लम्बे समय से प्राधानाध्यापिका के पद रिक्त हैं तथा केवल मात्र एक या दो अध्यापिका ही कार्यरत हैं। जिससे बालिका शिक्षा पिछड़ गई है।

4. उक्त क्षेत्र के सीनियर हायर सैकण्डरी, नीमकाथाना, छात्रा की नांगल डाबला आदि जगह विषय अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

5. इसके अलावा उक्त क्षेत्र की अन्य माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने की वजह से छात्र शिक्षा में पिछड़ गये हैं।

अतः मैं आपके मार्फत शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नीमकाथाना में तुरन्त प्रधानाध्यापिका लगाई जावे तथा पुरुष वरिष्ठ अध्यापक श्री सांवलराम यादव को हटाकर अन्य विद्यालयों में लगाया जावे।

2. सभी अन्य विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्य व अध्यापकों के पद तुरन्त भरें।

3. ग्रामीण शिक्षा के विस्तार हेतु उक्त क्षेत्र के पीथलपुर ग्राम माउन्डा कलां में माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय नायावाली, व ढाणी हीरांका वाली में उच्च प्राथमिक शालायें खोली जावें। जिससे ग्रामीण शिक्षा का विस्तार हो सके व गांव के छात्रों को पूरी शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके।

भवदीय

(फूलचन्द गुर्जर)

सेवामें,

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :— राजस्थान विधान सभा नियम प्रक्रिया नियम 295 के तहत क्षेत्र टोडारायसिंह के तहसील टोडारायसिह व तहसील देवली के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की अव्यवस्था के बारे में।

मान्यवर,

मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह की तहसील देवली व टोडारायसिंह में 1981 में ग्रामीण विद्युतीकरण स्वीकृत हो चुका था लेकिन पिछले आठ साल में तो तहसील टोडारायसिंह के 75 गांवों में बिजली पहुंचाई गई तथा पिछले दो सालों में विद्युत विभाग का कार्य बिल्कुल शिथिल हो चुका है। 1990-9' में मात्र तीन ग्रामों में स्वीकृत हुई इसी प्रकार देवली व टोडारायसिंह क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इस प्रकार 10 साल में अब तक सिर्फ 83 ग्रामों को बिजली स्वीकृत हुई थी उन गांवों में अब तक सिर्फ तीन गांवों में तो लाईन खेंची जा चुकी है। तथा दो ग्रामों में अभी तक लाईन भी नहीं खेंची जबकि 1991–92 का आधा समय भी निकल चुका है तथा अब 1991–92 में जो स्वीकृत हुये हैं शायद उन गांवों में 1992-93 में कार्य चालू होगा। तथा जिन गांवों में विद्युत काम हो चुका है उन गांवों की स्थिति यह है कि एक माह में सिर्फ कभी भूले भटके दो रोज या सिर्फ तीन रोज ही बिजली सप्लाई दी जाती है। क्योंकि टोडारायसिंह कस्बे को एक ही जगह टोंकमेन्दवास से 11 के. वी. की लाईन खिची हुई है जो पर्याप्त सप्लाई नहीं दे पाती है पिछले दो साल से मालपुरा 132 के. वी. के ग्रिड स्टेशन से ग्राम बावड़ी तहसील टोडारायसिंह तक 33 के. वी. लाईन खेंच कर ग्राम बावड़ी में 33 के. वी. स्टेशन बनाने की स्वीकृति मण्डल द्वारा हो चुकी है पंचायत बावड़ी द्वारा मण्डल को भूमि उपलब्ध करा दी गई है मण्डल ने वहां पर कब्जा लेकर पीलर खड़े करके तार खेंच दिया है तथा एक भवन भी बनवा दिया गया है मालपुरा से ग्राम बावड़ी तक साईड पर पोल भी डाल दिये गये हैं इस सम्बन्ध में मैंने मण्डल के उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया तो अधिकारियों ने बताया कि 1989-90 में कोटा की किसी पार्टी को लाईन खेंचने का ठेका दिया गया था लेकिन इस ठेकेदार ने भी कार्य नहीं किया। 1990–91 में निवाई की पार्टी को ठेका दिया उसने भी कार्य नहीं किया। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में बावड़ी ग्राम 33 के. वी. का सब स्टेशन नहीं बना, लाईन नहीं खेंची गई तथा महंगाई व मजदूरी में डबल रेट हो गई जिससे मण्डल का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। इसमें कौन-कौनसे अधिकारियों की लापरवाही से मण्डल को घाटा भोगना व जनता को समय पर विद्युत उपलब्ध नहीं हो सकी उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ माननीय मन्त्री जी तुरन्त जांच करवाने तथा 33 के. वी. की लाईन खेंचकर व सब-स्टेशन बावड़ी बनाने की कृपा करें। तथा माननीय मन्त्रीजी अपने जवाब में कोई भी निश्चित तिथि बताने की कृपा करें। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत ग्रामों में तुरन्त लाईन खिचवाकर विद्युत उपलब्ध करवाने की कृपा करें तथा इसी वित्तिय वर्ष पचायत हैड क्वाटर दाबड़, दूबा व मांवता ग्रामों को विद्युत से जोडने की स्वीकृति प्रदान करें।

भवदीय,

(घासीलाल चौधरी)

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय–नियम 295 के तहत समाज कल्याण विभाग का जीप घोटाला कांड एवं श्री नारायण सिंह (उपनिदेशक) के भ्रष्ट कारनामों के संबंध में बहस कराने बाबत

महोदय,

समाज कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के जिला कार्यालय जयपुर की जीप आर. एन एल. 1336 दिनांक 15-8-90 को चोरी हुई थी इस जीप को तत्कालीन अति. निदेशक प्रशासन श्री के. के. शवीकी के घर से चोरी होना बतलाया। उस वक्त जयपुर के सहायकि निदेशक श्री नारायण सिंह द्वारा कार चालक को यह लिखित आदेश दिये गए कि गाड़ी श्री शवीकी जी के घर छोड़ी जावें। इस आदेश की पालना में चालक ने रामबाग सर्विस स्टेशन से 99/–85 पैसे का तेल डलाकर जरिये बिल संख्या 24402 दिनांक 10-8-90 द्वारा गाडी श्री शवीकी के घर छोड़ना स्वीकार किया। मगर तत्कालीन अति. निदेशक ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने गाड़ी मंगाने का कोई आदेश नहीं दिया।

गाडी के आदेश कर श्री नारायण सिंह जानबूझकर बिना किसी अधिकारी को चार्ज दिए छुट्टी चले गए। उक्त मामले की एफ. आई. आर श्री श्यामनारायण माथुर जिला बालक अधिकारी द्वारा किन आदेशों के तहत समय सहायक निदेशक की हैसियत से दर्ज करवायी (एफ. आई. आर. नं. 243/90 धारा 379) आपीसी थाना विधायक पुरी जयपुर शहर।

उन आदेशों की प्रति सदन की पटल पर रखी जावें जिन आदेशों के तहत श्री नारायणसिंह ने चार्ज सम्भलाया। सरकार की इस अमूल्य संपत्ती के गायब हो जाने पर लाखों रूपये की हानि होने के पश्चात् भी सहायक निदेशक जयपुर के पद पर कार्यरत अधिकारी को न तो अब तक निलम्बित ही किया गया और न ही सरकारी राशि वसूल कि कोई कार्यवाही अमल में लाई गई। यह एक गम्भीर मामला है।

यह अधिकारी वर्ष 1961 से विभाग से कार्यरत है जिसने अपने सेवा काल में 4 लाख 77 हजार 972 रुपयें यात्रा भत्त के रूप में उठाए तथा 3 लाख 92 हजार 568 रुपये दूरभाष पर वार्ता कर सरकारी राशि का व्यय किया इतनी भारी राशि का व्यय करने के पश्चात इनकी क्या उपयोगिता रही। सारा विवरण सदन की मेज पर रखा जावें साथ ही यात्रा भत्ता एवं दूरभाष के समस्त बिलों की प्रति सदन की की मेज पर रखे ताकि विस्तृत चर्चा की जा सके कि इतनी भारी राशि को अनु. जाति/

(334)

जन जाति के विकास कार्यों में लगाने के बजाए यात्रा भत्तों एवं दूरभाष पर क्यों व्यय की गई,

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ. 1(5) ( ) जांच/सकवि/91/537-39 जयपुर दिनांक 30-5-91 में वर्णित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर नगर से एक महिला के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट में श्री नारायणसिंह को दोषी पाया गया इस रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि तत्कालीन सहायक निदेशक उदयपुर श्री नारायणसिंह का चरित्र एवं व्यवहार संदेह से परे नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान महिला परिषद् उदयपुर द्वारा की गई शिकायत में भी यह अंकित किया गया है कि श्री नारायण सिंह को ऐसे मौके पर स्वाभाविक शालीनता बनाये रखनी चाहिए थी। ऊपर वर्णित आदेश के तहत तत्कालीन निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा आचरण के दोषी अधिकारी को बिना दण्ड दिये बरी कर देना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। राज्य सेवा नियमों के अनुसार निदेशक समाज कल्याण विभाग इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उक्त अधिकारी राज्य सेवा स्तर का होने के कारण ऐसे मामलों में राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) या विभागीय जांच कमिश्नर ही सक्षम है। अतः इस मामले को पुनः जांच बाबत राज्य सरकार को भिजवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नगर दण्डनायक उदयपुर द्वारा चरित्र के मामले में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी को राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ-(8) (25) (सा) सकवि (91) 1852-1853 दिनांक 4-9-91 द्वारा महिला एवं बालक कल्याण के उपनिदेशक पद पर लगवाया गया चूंकि नगर दण्डनायक उदयपुर रिपोर्ट की जानकारी वर्तमान निदेशक समाज कल्याण विभाग को नही दी गई जिन्होंने कुछ ही दिन पूर्व विभागाध्यक्ष का पद सम्भाला है। अतः इन आदेशों को अविलम्ब निकाला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त मामला विशेष लोकमहत्व का हैं। इसकी ओर राज्य सरकार को अविलम्ब ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा अनु. जाति/जन जाति के इस विभाग में भ्रष्टाचार, वयभिचार एवं सरकार की अमूल्य सम्पत्ति को नष्ट होने का पूरा अंदेशा है। यदि दोषी अधिकारियों को दण्ड नहीं दिया गया तो वे और भी गम्भीर अपराध कर सकते है।

भवदीय
(निर्भय लाल)

सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुसूचित जाति के आरक्षित सहायक प्रोफेसर (भूगोल) पद पर सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी की गैर कानूनी नियुक्ति के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

महोदय,

सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 24-25 नवम्बर, 1990 को भूगोल विषय में साक्षात्कार सम्पन्न करवायें इनमें से एक पद अनुसूचित जाति व एक पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित था । विश्वविद्यालय ने विज्ञापन संख्या 1/90 दिनांक 13 फरवरी, 1990 में स्पष्ट रूप से इन पदों का उल्लेख किया था । श्री हरकेश मीना सभी योग्यता रखते हैं उनको 10 नवम्बर, 1990 को अस्थाई आरक्षित पद पर नियुक्ति दी थी । इन्होंने उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार साक्षात्कार दिया था ।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यादेश 6 आफ 1988 एवं एक्ट नं. 18 आफ 1984 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र यह स्पष्ट करते हैं कि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये पदों का आरक्षण पूर्णतः नियमों के अन्तर्गत रहेगा इन आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा नहीं भरा जायेगा अगर इन आरक्षित पदों के योग्य अभ्यार्थी साक्षात्कार के दौरान नहीं आते हैं तब इन पदों को तीन वर्ष तक रिक्त रखते हुये प्रतिवर्ष उस वर्ग विशेष के लिये विज्ञापित किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय ने अपने स्वयं के नियम यू. जी. सी. के नियम भारतीय संवैधानिक एवं राजस्थान सरकार के आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देते हुये आरक्षित पद पर सवर्ण जाति के प्रार्थी की नियुक्ति करके गैर कानूनी कार्य किया है । विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण अध्यापक वर्ग में अनु. जन. जा. का कोई भी सदस्य नहीं है । विश्वविद्यालय से विज्ञापन संख्या 1/90 दिनांक 13 फरवरी, 1990 में गैरकानूनी ढंग से सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी द्वारा स्थाईरूप से अनु. जन. जा. का पद दिनांक 7-8-91 को भरा गया उसकी नियुक्ति तत्काल हटाकर अनु. जन. जा. के व्यक्ति को लिया जावे ।

विश्वविद्यालय उदयपुर नं. एफ/एम. एल. एस. यू./ई. एस. टी. टी/जी. आर. 1/91/517950 दिनांक 7-8-91 आदेश को तत्काल निरस्त कर अनु. जन. जा. के प्रत्याशी को भर्ती किया जावे ।

भवदीय,
(हेमराज मीना)

336

सेवा में,

सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर ।

विषय :—नियम 295 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है अत इसे रखने की अनुमति प्रदान करें

महोदय,

निम्न ग्रामों में अनु. जाति और जन जाति के मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसका अवलोकन इस विभाग के अधिकारियों को करा दिया गया है मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया । यहां तक कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री गोयल ने भी मौका देखा आवश्यकता महसुस की और पिचानी, परशोतमपुरा, नारेडा, धनियाला, प्रागपुरा, पावटा, राजनौता, बड़नगर, भांकरी, खड़ब, भोनावास, टसकोला, देवता, छारदडा, रायकरणपुरा, गोपालपुरा, सांगटेड़ा, चिमनपुरा, गोनेड़ा कासली आदि ग्रामों में हरिजन व एस. टी. के मोहल्लों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । जबकि अनु. जाति और जन जाति के मोहल्लों और बस्तियों में प्राथमिकता से देना चाहिए । इस बार में कई बाइ प्रस्ताव छोटे अधिकारियों से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तक पहुंचाए गए मगर अति. मुख्य अभियंता ने यह कह कर लौटा दिए कि नार्मस में नहीं आते । उनका यह पक्षपात पूर्ण रवैया बड़ा ही अशोभनीय है । यही नहीं उनका यह कहना भी गलत ही है कि अनु. जाति/जनजाति के लोगों की बस्तियों के लिए बजट नहीं है, समाप्त हो गया है जबकि हर वर्ष इस पेयजल योजना का बजट लैप्स होता है, यह भी कुछेक सुस्त और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की वजह से ही प्रदेश को नुकसान हो रहा है ।

अतः दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाना बहुत ही वाजिब ठीक हो सके और अधिकारी मनमानी नहीं कर सकें ।

भवदीय

(रामकरणसिंह)

श्री मान् सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—नांवा तहसील क्षेत्र में पेयजल की समस्या के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय,

नांवा तहसील क्षेत्र के जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से चालू जल योजनाएं भी ठप्प पड़ी है। इस कारण ग्राम लोगों को पीने के पानी की भयंकर समस्या बन गई है :—

(1) ग्राम पंचायत के पांचोता के ग्राम गवारिया कुए में 2 वर्ष से मोटर पाइप लगे हुए है, विद्युत कनेक्शन है। परन्तु कुए गहरे नहीं करने से उसमें पानी नहीं है। हर महीने का विद्युत बिल का मिनीमम चार्जेज लग रहा है। इस कुए को गहरा करा देने से पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है।

(2) ग्राम पंचायत मारोठ में गंगा सागर कुए पर मोटर 15 दिन से जली हुई है जिससे पीने के पानी की किल्लत हो गई है सड़क के पास बना हैन्ड पम्प भी 20 दिन से बन्द पड़ा है इसी पंचायत क्षेत्र की गुजरो की ढाणी से सौर ऊर्जा उपकरण बन्द है इस कारण पानी नहीं मिल रहा है। ग्राम मारोठ में दो नये हैन्ड पम्प बनाये जाने थे वे भी नहीं बनाये गये हैं। मारोठ की आधी बस्ती में पानी नहीं पहुंचता यहां की बावड़ी में सफाई करवाकर मोटर पाइप लगा कर पानी सप्लाई किया जा सकता है परन्तु इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी हैं।

(3) नांवा शहर में पूरा पानी खारा हो चुका है 15000 की आबादी के कस्बें में पीने के पानी की किल्लत होने की संभावना बढ़ गई हैं। इस पानी की वजह से लोगों के घुटनों में दर्द पैदा होने लग गया है समय रहते पास के ग्राम पांचोता जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, मीठे पानी के टयूबवैल से पानी सप्लाई कर आने वाली समस्या से बचाव किया जा सकता है, परन्तु अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

(4) ग्राम लोहराना में चोसला बस स्टेन्ड कुए से पानी देकर समस्या का हल किया जा सकता है परन्तु अभी तक इसका हल नहीं किया जा रहा जब कि वर्तमान जल आपूर्ति से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।

(338)

(5) ग्राम ववली गूंठा में पाइप के जोइन्टों के अभाव में पानी नहीं मिल रहा। लम्बा अर्सा हो जाने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हैं।

(6) ग्राम पंचायत मोन्डा के ग्राम ठिकरिया से ट्यूब वैल बन गया परन्तु गांव तक पानी पहुंचा कर सप्लाई चालू नहीं की गई हैं।

(7) ग्राम हन्दोखा में टंकी बनी हुयी है पास ही कुआं हैं पानी है परन्तु उससे टंकी का कनेक्शन कर पानी चालू नहीं किया गया है।

(8) ग्राम दोलतपुरा में स्कीम स्वीकृत हो गई परन्तु पानी देने की अभी तक कोइ व्यवस्था नहीं की गई हैं।

(9) ग्राम कांकरिया में बनाया गया ट्यूब वैल फैल हो गया पर्याप्त पानी मोटर योग्य नहीं। नया सर्वे करा कर ट्यूब वैल शीघ्र कराया जाना आवश्यक है तब तक जो ट्यूब वैल बनाया गया उसमें हैण्डपम्प की मशीन लगाकर गांव वालों को पानी की पूर्ति की व्यवस्था की जा सकती हैं। अधिकारियों ने स्वीकार भी किया परन्तु इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(10) ग्राम पनाडा में 20 लाख रुपये की मशीन खारा पानी को मीठा करने की लगाई गई परन्तु पानी के लिये ट्यूब वैल की व्यवस्था ही नहीं की गई जिससे किमती मशीन का खर्चा बोझ बना हुआ है व गांव के लोगों को पीने के पानी की दिक्कत बढ़ गयी हैं।

उपरोक्त पूर्तियां यदि इस क्षेत्र के अधिकारी दिलचस्पी लेकर पूरा करना चाहे तो शीघ्र कर सकते है, परन्तु इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा पीने का पानी उपलब्ध कराने में शिथिलता बरती जा रही है मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान दिलाकर अनुरोध करता हूं कि ये कार्य शीघ्र पूरे कराये जावें।

भवदीय

(हरीश कुमावत)

सेवामें,

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर

विषय :— विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मकराना विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बाबत

महोदय,

मकराना एक औद्योगिक कस्बा है जिसकी आबादी इस समय करीब 60 हजार के आसपास है जिसमें पीने के पानी की कोई व्यवस्था स्थाई रूप से नहीं है। अभी मकराना कस्बें को पानी कुचामन सिटी में खुदे ट्यूब वैलों से दिया जाता है लेकिन मकराना में जो "मातामर" और "जूसरी रोड़" पर टंकिया बनी हुई है उसमें पानी नहीं डाला जा रहा हैं। कुचामन से पानी बहुत ही कम आता है इसलिये जनता को भारी परेशानी हो रही है। जलदाय विभाग से एक टंकी (होज) कुचामन मकराना के पास शाहजी की कोठी के पास बनी हुई है। उसको बने 20 साल से ज्यादा होने पर भी पानी डाला गया है इसका क्या कारण है यह बताया जावें।

अत: मकराना में बनी टंकी, ओवर हैड टैंक को पाईप लाईन से जोड़ा जाकर उससे पानी का वितरण किया जावें। मकराना में हरिजन मोहल्ला दक्षिण, हरिजन मोहल्ला उत्तर, देशवाली मौहल्ला (टंक यूनियन के पास) मोडी मस्जिद (बाई पास) में हैण्ड पम्पों की व्यवस्था करवाई जावें।

ग्रामीण क्षेत्र में राड़ों की ढाणी भींचावा, शेशमा की ढाणी रसाल; कसवां की ढाणी, बाबलों की ढाणी गेहड़ाकलां, कासिया की ढाणी क्चोलिया, मुआलों की ढाणी नगवाड़ाकलां, माकरों की ढाणी नोसरिया, ओगरों की ढाणी खारड़ियां, लोछवों की ढाणी रायथलिया, मांभुओं की ढाणी रायथलिया आदि में अविलम्ब पानी की व्यवस्था की जावें।

यह मामला लोक महत्व का है एवं पानी बिना जनता त्राहि-त्राहि कर रही है इसलिए पानी की व्यवस्था करवायें।

भवदीय
(बिरधाराम चौधरी)

340

माननीय सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :— राज्य में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने के हेतु कानून बनाने संबंध में।

निवेदन है कि राज्य झालावाड़ कोटा अन्य जिलों के हाट बाजारो से गाय बछडे खरीदे जाते हैं और झालावाड जिले के पिडावा कस्बे से कसाई ट्रकों में लादकर औरंगाबाद काटने के लिए ले जाते हैं। गाय भारतीय संस्कृति हिन्दुओं की मान सम्मान का द्योतक है। राज्य के कोटा झालावाड जिले के भवानी मण्डी रामगंज मंडी रायपुर सुवेल पिडावा के हाट बाजारों से स्वस्थ्य गाय बछडे कसाई खरीदते हैं। रास्ते में ले जाते वक्त सुवेल भवानी मंडी डग कस्बों में कई बार बहुसंख्यक हिन्दु समाज ने संघर्ष कर गाय बछडों को छुडाया। मध्यप्रदेश में गोवध पर कानून बना हुआ है प्रतिबन्ध है। कोई कसाई ले जाता है तो कडी कार्यवाही होती है अतः बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को गम्भीरता से लेते हुए राजस्थान में भी गोवध न हो। राज्य के हाट बाजारों से गाय बछड़ों की खरीद कर अन्य राज्य में वध करने के लिए नहीं ले जा सके। ऐसे कडे कानून बनाये जावें। यह मुख्यमंत्रीजी से संबंध रखता है। तथा अविलंबनीय लोक महत्व का प्रस्ताव है।

भवदीय
(बालचन्द आर्यवीर)

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के लोकमहत्व के प्रश्न को उठाते हुए भीलवाड़ा व ऊपर माल क्षेत्र के मार्ग पर मेनाल नामक ऐतिहासिक स्थल है, हांलाकि इस स्थल पर पर्यटन विभाग कुछ विकास के कार्य करने जा रहा है किन्तु मेनाल नामक पर्यटन स्थल की महत्ता को देखते हुए इसके विकास की विस्तृत योजना आज तक न बनने से धीरे-धीरे करके यह स्थल अव्यवस्थित हो गया है और उजड़ता जा रहा है ।

मेनाल में भव्य शिव मन्दिर है, बड़ी-बड़ी ऊंचाई से झरना गिरकर नदी में मिलता है । यह स्थल ऊंची पहाड़ियों के बीच में घाटी के ऊपरी भाग पर स्थित है । यहां किसी समय वन्य जीवों की भरमार थी । रख-रखाव के अभाव में वन्य जीवों का ह्रास होता गया और जंगल भी कट गये ।

वन्य जीवों में शेर, चीते व भालू तो आज यदा-कदा देखने को मिलते हैं । यदि उक्त स्थल की देखरेख हेतु राज्य सरकार को समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह स्थल और अधिक उजड़ सकता है । इस स्थल की थोड़ी दूरी पर जोगणिमा माता का भव्य मन्दिर है जो भी ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है इस स्थल पर भी प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आते रहते हैं इस कारण भी मेनाल जैसे पर्यटन स्थल का महत्व और बढ़ जाता है । यह स्थल पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत है किन्तु इस विभाग द्वारा भी पूरा ध्यान न दिये जाने से भारतीय संस्कृति के स्मृति चिह्न भी धीरे-धीरे कटते मिटते जा रहे हैं ।

आवश्यकता इस बात की है कि लम्बे चौड़े पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र में स्थित मेनाल नामक पर्यटन स्थल की दुर्दशा सुधार करे तथा इसके समुचित विकास के लिये

342

पर्यटन व पुरातत्व विभाग द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा जिला में हरणी महादेव तथा पुर के उवर शिला नामक ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों के विकास तथा रख-रखाव को भी अपने अन्तर्गत लेकर समय रहते समूचे आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। अन्यथा ऐतिहासिक स्थल होते हुए धीरे-धीरे करके ये उजड़ते जायेंगे।

साथ ही यदि विशेष रूप से मेनाल नाम के समूचे क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करके इसके विकास पर राज्य सरकार का ध्यान तो निश्चित ही भारतीय संस्कृति के स्मृति चिह्न बच सकेंगे। और वन्य जीवों का भी विकास होगा। अन्यथा यह प्रकृति के भरोसे पड़े रहकर उजड़ते ही रहने वाला है।

उक्त लोक महत्व के प्रश्न के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि मेनाल तथा हरणी महादेव और पुर की आधार शिला जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों के समुचित विकास की दिशा में तत्काल ध्यान दे ताकि टुकड़ों के रूप में धीरे-धीरे करके विकसित हो सके। और पर्यटकों को इसका समुचित लाभ मिल सके।

भवदीय
(बंशीलाल पटवा)

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान सचिव,
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर।

विषय :—सदन के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना।

महोदय,

अपने इस प्रस्ताव के जरिये मैं सदन का ध्यान एक ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं जो न सिर्फ गुलाबी नगर जयपुर

की लगातार बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से ताल्लुक रखता है अपितु राज्य सरकार में केबिनेट मन्त्री के ओहदे पर बैठे राजनेता के सार्वजनिक दुराचरण की भी मिसाल है ।

महोदय, गुलाबी नगरी का चोड़ा रास्ता न सिर्फ एक मुख्य बाजार है अपितु ताड़केश्वर महादेव, 100 वर्षीय महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय और हिन्द होटल जैसे ऐतिहासिक स्थानों के कारण इसका अपना एक विशेष महत्व भी है । इस क्षेत्र में कई बैंकों के कार्यालय तो है ही बालिकाओं का बड़ा सरकारी स्कूल भी है ।

महोदय मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इन तमाम तथ्यों के बावजूद राज्य सरकार की निरंकुशता, पुलिस प्रशासन की कर्तव्यहीनता और एक बड़े राजनेता के आचरण के चलते इस क्षेत्र को अराजकतत्वों ने एक तरह से अपना अभयारण्य बना रखा है ।

इन्हीं अराजकतत्वों के एक सरगना नाथू कुम्हार ने इस क्षेत्र में राजा रूपसिंह की हवेली के फुटपाथ तथा कुछ अन्य इमारतों के इर्द गिर्द अतिक्रमण का ऐसा जाल बिछा रखा है जिससे क्षेत्र के तमाम नागरिक क्षुब्ध और दुःखी है । सर्वाधिक दुर्भाग्य-पूर्ण तथ्य तो यह है कि इस अतिक्रन्ता अपराधी को अतिक्रमण रोकने के लिए अध्यादेश लाने का दावा करने वाले राज्य के बड़ बोले स्वायत्त शासन मंत्री भंवरलाल शर्मा का खुला संरक्षण प्राप्त है ।

राजनेता के संरक्षण में अराजकतत्वों के हौसले किस कदर बुलन्द है इसको अन्दाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब नगर के एक प्रमुख और प्रतिष्ठित पत्रकार राधेश्याम शर्मा क्रौंच ने इस अतिक्रमण और गुण्डा तत्वों की गतिविधियों के खिलाफ विरोध का स्वर मुखरित किया तो उन्होंने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया । इस घटना की रिपोर्ट पत्रकार श्री शर्मा ने बाकायदा थाने में भी दर्ज कराई है । मुख्यमन्त्री, स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्य सचिव को तार देकर मामले से अवगत कराया मगर कोई नतीजा नहीं निकला । अखबारों में समाचार छपे मगर प्रशासन की कुम्भकर्णी निद्रा नहीं टूटी । इस क्षेत्र में हत्या, वेश्यावृति, जुआ, सट्टे की वारदाते हो चुकी है जिनकी शिकायत करने पर पुलिस ने कातिलाना हमला कराया । कार्यालय पर छापा मारा और तलाशी ली । यह एक स्वतंत्र पत्रकार और नागरिक के अधिकारों पर कुठाराघात है ।

महोदय, कुल मिलाकर गुण्डा तत्वों के आये दिन के कारनामों के चलते चौड़ा रास्ता क्षेत्र में आतंक और आक्रोश का ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि वहां कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है तथा समूचे नगर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को डांवाडोल कर सकती है।

अतः इस प्रस्ताव के जरिये मेरा अनुरोध है कि सदन की अन्य कार्यवाही रोक कर मेरे इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दें ताकि बारूद के ढ़ेर पर टिके चौड़ा रास्ता क्षेत्र को किसी विस्फोट से पहले ही निरापद बनाया जा सके।

भवदीय,
(वि.स. 197)